सत्यमेव जयते

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट

2014-15

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट
2014-15

आंतरिक सुरक्षा, राज्य, गृह, जम्मू एवं कश्मीर
तथा सीमा प्रबंधन विभाग

विषय–सूची

अध्याय–1 गृह मंत्रालय का कार्य क्षेत्र और संगठनात्मक ढांचा	**1–3**
अध्याय–2 आंतरिक सुरक्षा	**4–29**
अध्याय–3 सीमा प्रबंधन	**30–45**
अध्याय–4 केन्द्र–राज्य संबंध	**46–49**
अध्याय– 5 देश में अपराध परिदृश्य	**50–58**
अध्याय–6 मानवाधिकार और राष्ट्रीय एकता	**59–81**
अध्याय–7 संघ राज्य क्षेत्र	**82–123**
अध्याय–8 पुलिस बल	**124–157**
अध्याय–9 अन्य पुलिस संगठन एवं संस्थाएं	**158–191**
अध्याय–10 आपदा प्रबंधन	**192–201**
अध्याय–11 अंतराष्ट्रीय सहयोग	**202–212**
अध्याय–12 महत्वपूर्ण पहलें और योजनाएं	**213–225**
अध्याय–13 विदेशी राष्ट्रिक, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन और पुनर्वास	**226–237**
अध्याय–14 भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त	**238–247**
अध्याय–15 विविध विषय	**248–258**
अनुलग्नक (I से XXIII)	**259–285**

अध्याय 1

गृह मंत्रालय का कार्य क्षेत्र और संगठनात्मक ढांचा

1.1 गृह मंत्रालय विभिन्न प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करता है, जिनमें आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, केंद्र–राज्य संबंध, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का प्रबंधन, आपदा प्रबंधन आदि महत्वपूर्ण हैं। यद्यपि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची II–"राज्य सूची" की प्रविष्टि 1 और 2 के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्यों के उत्तरदायित्व हैं, तथापि संविधान के अनुच्छेद 355 में संघ को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के संबंध में सुरक्षा प्रदान करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य का शासन, संविधान के उपबंधों के अनुरूप चलाया जा रहा है। इन दायित्वों के अनुसरण में, गृह मंत्रालय, राज्यों के संवैधानिक अधिकारों की उपेक्षा किए बिना, सुरक्षा, शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए आंतरिक सुरक्षा की स्थिति पर लगातार निगरानी रखता है, राज्य सरकारों को उपयुक्त सलाह जारी करता है, आसूचना संबंधी जानकारी का आदान–प्रदान करता है, जनशक्ति और वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन तथा सुविज्ञ राय प्रदान करता है।

1.2 भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, 1961 के अन्तर्गत, गृह मंत्रालय के निम्नलिखित संघटक विभाग हैं:–

- आंतरिक सुरक्षा विभाग, भारतीय पुलिस सेवा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, आंतरिक सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था, विद्रोह, आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, प्रतिकूल विदेशी एजेंसियों की गतिविधियों, आतंकवादियों के वित्तपोषण, पुनर्वास, वीजा प्रदान करने और अन्य आप्रवासन संबंधी मामले और सुरक्षागत स्वीकृति प्रदान किए जाने आदि संबंधी कार्य देखता है;
- राज्य विभाग, केंद्र–राज्य संबंधों, अंतर्राज्य संबंधों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन, मानवाधिकार, कारागार सुधार, पुलिस सुधार आदि संबंधी मामले देखता है;
- गृह विभाग, भारत के राष्ट्रपति और उप–राष्ट्रपति द्वारा कार्यभार ग्रहण करने संबंधी अधिसूचना, प्रधानमंत्री, मंत्रियों, राज्यपालों की नियुक्ति/त्यागपत्र संबंधी अधिसूचना, राज्य सभा/लोक सभा में नामांकन, आबादी की जनगणना और जन्म–मृत्यु पंजीकरण आदि का कार्य देखता है;
- जम्मू और कश्मीर कार्य विभाग, जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित सांविधानिक उपबंधों तथा विदेश मंत्रालय से संबंधित मामलों को छोड़कर राज्य से संबंधित अन्य सभी मामलों को देखता है;
- सीमा प्रबंधन विभाग, तटवर्ती सीमाओं सहित अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के प्रबंधन, सीमा चौकसी को सुदृढ़ करने और संबंधित आधारभूत ढांचे का सृजन करने, सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास आदि का कार्य देखता है;
- राजभाषा विभाग, राजभाषा से संबंधित संविधान के उपबंधों तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों के कार्यान्वयन का कार्य देखता है।

1.3 आंतरिक सुरक्षा विभाग, राज्य विभाग, गृह विभाग, जम्मू और कश्मीर कार्य विभाग तथा सीमा प्रबंधन विभाग पृथक–पृथक रूप से कार्य नहीं करते हैं। ये सभी विभाग, केंद्रीय गृह सचिव के अधीन कार्य करते हैं और परस्पर सम्बद्ध रहते हैं। सीमा प्रबंधन विभाग के लिए भी एक पदनामित सचिव हैं। राजभाषा विभाग में पृथक रूप से एक सचिव हैं और वे स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। इसलिए गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में राजभाषा विभाग के कार्यकलापों का उल्लेख नहीं किया जाता है।

1.4 वर्ष के दौरान गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग को छोड़कर) में मंत्रियों,गृह सचिव, सचिवों, विशेष सचिवों, अपर सचिवों और संयुक्त सचिवों के पद पर रहे/पदासीन

अधिकारियों के बारे में सूचना **अनुलग्नक–I** में दी गई है। संगठनात्मक चार्ट भी **अनुलग्नक**–II में दिया गया है।

1.5 गृह मंत्रालय के विभिन्न प्रभाग और उनके मुख्य दायित्व क्षेत्र निम्नानुसार हैं:

प्रशासन प्रभाग

1.6 प्रशासन प्रभाग का दायित्व सभी प्रशासनिक और सतर्कता मामलों को देखना, मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों में कार्य का आबंटन करना और पूर्वता अधिपत्र, पद्म पुरस्कार, शौर्य पुरस्कार, जीवन रक्षा पदक, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय संप्रतीक और सचिवालय सुरक्षा संगठन के मामलों को देखना है। प्रशासन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित मामलों के लिए नोडल प्रभाग भी है।

सीमा प्रबंधन प्रभाग

1.7 यह प्रभाग, तटीय सीमाओं सहित अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के प्रबंधन के लिए देश की प्रशासनिक, राजनयिक, सुरक्षा, आसूचना, विधिक, विनियामक और आर्थिक एजेंसियों द्वारा समन्वय और ठोस कार्रवाई किए जाने संबंधी मामलों और सीमाओं पर एकीकृत जांच चौकियों, सीमा चौकियों(बी ओ पी), सड़कों का निर्माण करने/बाड़ लगाने और तेज रोशनी की व्यवस्था करने जैसी आधारभूत सुविधाओं का सृजन करने और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम संबंधी मामलों को देखता है।

समन्वय प्रभाग

1.8 यह प्रभाग मंत्रालय के अंदर समन्वय संबंधी कार्य, संसदीय मामले, लोक शिकायत, मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के प्रकाशन, रिकार्ड प्रतिधारण समय–सूची, मंत्रालय के वर्गीकृत और गैर– वर्गीकृत रिकार्डों के अभिरक्षण, आंतरिक कार्य अध्ययन, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और विकलांग व्यक्तियों के रोजगार संबंधी विभिन्न रिपोर्टें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को प्रस्तुत किए जाने संबंधी आदि कार्य करता है।

केंद्र– राज्य प्रभाग

1.9 यह प्रभाग, केन्द्र–राज्य संबंधों का कार्य देखता है, जिसमें इस प्रकार के संबंधों को शासित करने वाले सांविधानिक प्रावधानों का कार्यकरण, राज्यपालों की नियुक्ति, नए राज्यों का सृजन, राज्य सभा/लोक सभा के लिए नामांकन, अंतर्राज्यीय सीमा विवाद, राज्यों में अपराध की स्थिति पर निगरानी रखना, राष्ट्रपति शासन लगाना इत्यादि शामिल है।

आपदा प्रबंधन प्रभाग

1.10 इस प्रभाग का दायित्व विधायन, नीति और क्षमता निर्माण, निवारण, प्रशमन, दीर्घकालिक पुनर्वास, कार्रवाई, राहत तथा प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं (सूखा और महामारी को छोड़कर) से निपटने के लिए तैयारी करना है।

वित्त प्रभाग

1.11 इस प्रभाग का दायित्व मंत्रालय का बजट तैयार करना, उसको संचालित और नियंत्रित करना तथा व्यय नियंत्रण एवं अनुवीक्षण और वित्तीय सलाह आदि से संबंधित अन्य मामलों संबंधी कार्य करना है।

विदेशी प्रभाग

1.12 यह प्रभाग, वीजा, संरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी)/प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (आरएपी) प्रणाली, आप्रवासन, नागरिकता, भारत की विदेशी नागरिकता, विदेशी अभिदाय की प्राप्ति तथा अतिथि सत्कार से संबंधित सभी मामलों को देखता है।

स्वतंत्रता सेनानी और पुनर्वास प्रभाग

1.13 यह प्रभाग, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्कीम और भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान/पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए योजनाएं बनाता है और इन्हें कार्यान्वित करता है तथा श्रीलंकाई और तिब्बती शरणार्थियों को राहत देने की व्यवस्था करता है।

मानवाधिकार प्रभाग

1.14 यह प्रभाग, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम और राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सद्भावना और अयोध्या से संबंधित मामलों को देखता है।

आंतरिक सुरक्षा प्रभाग

1.15 आंतरिक सुरक्षा–I प्रभाग, विभिन्न गुटों/उग्रवादी संगठनों की राष्ट्र विरोधी और विध्वंसात्मक गतिविधियों सहित आंतरिक सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था, आतंकवादियों के वित्तपोषण, आतंकवाद से संबंधित नीति और परिचालनात्मक मुद्दों, सुरक्षा स्वीकृति, आई एस आई की गतिविधियों के अनुवीक्षण, आतंकवाद को रोकने के संबंध में पाकिस्तान के साथ गृह सचिव स्तरीय वार्ता संबंधी मामलों को देखता है।

1.16 आन्तरिक सुरक्षा–II प्रभाग हथियारों और विस्फोटकों, प्रत्यर्पण, स्वापक एवं स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम से संबंधित मामलों को देखता है।

जम्मू और कश्मीर प्रभाग

1.17 यह प्रभाग, भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 सहित सांविधानिक मामलों तथा जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में सामान्य नीति विषयक मामलों और उस राज्य में आतंकवाद/उग्रवाद से संबंधित मामलों को देखता है। यह प्रभाग, जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री के पैकेज के कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार है।

न्यायिक प्रभाग

1.18 यह प्रभाग, भारतीय दंड संहिता (आई पी सी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और जांच आयोग अधिनियम के विधायी पहलुओं से संबंधित सभी मामलों को देखता है। यह संविधान के तहत भारत के राष्ट्रपति की सहमति की अपेक्षा वाले राज्य विधायनों, स्वतंत्रता से पहले के भूतपूर्व शासकों को राजनयिक पेंशन देने और भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत दया याचिका से संबंधित मामलों को भी देखता है।

वामपंथी उग्रवाद (एल डब्ल्यू ई) प्रभाग

1.19 मंत्रालय में इस प्रभाग का गठन सुरक्षा और विकास दोनों दृष्टिकोणों से वामपंथी उग्रवाद के खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 19 अक्तूबर, 2006 को किया गया था। यह वामपंथी उग्रवाद की स्थिति और प्रभावित राज्यों द्वारा इस समस्या से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों पर नजर रखता है, जिसका उद्देश्य प्रभावित राज्यों द्वारा तैयार की गई/तैयार की जाने वाली स्थान–विशिष्ट कार्य योजनाओं के अनुरूप मूलभूत पुलिस व्यवस्था और विकास दायित्यों में सुधार करना है। यह प्रभाग, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में संबंधित मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के उचित कार्यान्वयन तथा ऐसी योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई निधियों के इष्टतम उपयोग की समीक्षा भी करता है।

पूर्वोत्तर प्रभाग

1.20 यह प्रभाग, पूर्वोत्तर राज्यों में आंतरिक सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को देखता है जिसमें उस क्षेत्र में विद्रोह से संबंधित मामले और वहां पर सक्रिय विभिन्न उग्रवादी समूहों के साथ बातचीत करना शामिल है।

पुलिस प्रभाग

1.21 पुलिस–I प्रभाग, भारतीय पुलिस सेवा (आई पी एस) के संबंध में संवर्ग (काडर) नियंत्रण प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है और पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण, अनुकरणीय/विशिष्ट सेवा तथा शौर्य के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक आदि से संबंधित सभी मामलों को भी देखता है।

1.22 पुलिस–II प्रभाग केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा उनकी तैनाती से संबंधित सभी मामलों को देखता है।

पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग

1.23 यह प्रभाग, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न मदों की व्यवस्था, पुलिस सुधार आदि से संबंधित कार्य करता है।

नीति नियोजन प्रभाग

1.24 यह प्रभाग सार्क के आंतरिक/गृह मंत्रियों की बैठकों, आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों, आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं, द्विपक्षीय सहायता संधियों के बारे में नीति निर्धारण और सम्बन्धित कार्यमदों तथा अति विशिष्ट व्यक्तियों/महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा से संबंधित कार्य देखता है।

संघ राज्य क्षेत्र प्रभाग

1.25 यह प्रभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित सभी विधायी और संवैधानिक मामलों को देखता है। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई ए एस)/भारतीय पुलिस सेवा (आई पी एस) के अरूणाचल प्रदेश–गोवा–मिजोरम और संघ राज्य क्षेत्र (ए जी एम यू टी) और दिल्ली–अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा (दानिक्स)/दिल्ली–अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह पुलिस सेवा (दानिप्स) के संवर्ग (काडर) नियंत्रण प्राधिकरण के रुप में भी कार्य करता है। यह संघ राज्य क्षेत्रों में अपराध तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की निगरानी करने के लिए भी उत्तरदायी है।

***

अध्याय 2

आंतरिक सुरक्षा

सिंहावलोकन

2.1.1 देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति स्थूल रुप से निम्नलिखित समस्याओं से संबंधित है:

(i) देश के भीतरी भागों में आतंकवाद

(ii) जम्मू एवं कश्मीर में सीमा–पार से आतंकवाद

(iii) पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद

(iv) कुछ राज्यों में वामपंथी उग्रवाद

2.1.2 वर्ष 2014 के दौरान, आतंकवाद, उग्रवाद और विद्रोह के विशेष संदर्भ में देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। दिनांक 01.01.2014 से 31.12.2014 की अवधि के दौरान, देश के भीतरी भागों में आतंकवाद की केवल तीन छोटी घटनाएं हुई, पहली घटना दिनांक 01.05.2014 को चेन्नई रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन में बम विस्फोट की है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई। दूसरी घटना दिनांक 02.10.2014 को पश्चिम बंगाल के बर्दवान में बम बनाने की एक यूनिट में आकस्मिक विस्फोट की थी, जिसमें दो लोगों की मौत हुई और तीसरी घटना दिनांक 27.12.2014 को बेंगलुरु में हुई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई।

2.1.3 जम्मू एवं कश्मीर राज्य में भौगोलिक रुप से तीन अलग क्षेत्र अर्थात जम्मू का मैदानी भाग, कश्मीर घाटी और लद्दाख के पठार शामिल हैं। जम्मू एवं कश्मीर लगभग दो दशकों से अधिक समय से सीमापार से प्रायोजित और समर्थित आतंकवाद और अलगाववादी हिंसा से प्रभावित रहा है। जम्मू एवं कश्मीर के भीतरी भागों में आतंकवादी हिंसा और मुठभेड़ का स्तर विकट रुप से सीमापार से घुसपैठ के प्रयास से जुड़ा है। तथापि, हाल के वर्ष में जम्मू एवं कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। यद्यपि, वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2014 में आतंकवादी घटनाओं और सुरक्षा बल कर्मियों के हताहत होने की संख्या में थोड़ी वृद्धि हुई है, तथापि हमारे सुरक्षा बल कर्मियों ने वर्ष 2013 में 67 की तुलना में वर्ष 2014 में 110 उगवादियों को निष्क्रिय किया।

2.1.4 पूर्वोत्तर क्षेत्र, जिसमें आठ राज्य यथा असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल हैं, अलग–अलग भाषाओं, बोलियों और सामाजिक–आर्थिक पहचान के साथ 200 से अधिक जातीय दलों सहित एक जटिल सांस्कृतिक और जातीय गठबंधन को प्रस्तुत करता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में देश का 8% भूभाग और राष्ट्रीय जनसंख्या का 4% शामिल है। पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में सुरक्षा की स्थिति, जो विभिन्न आतंकवादी समूहों द्वारा समर्थित विभिन्न मांगों के कारण काफी समय से जटिल बनी हुई है, में वर्ष 2012 और 2013 के दौरान समग्र रुप से सुधार हुआ है, सिवाय मेघालय के, जहां अधिकांशतः जबरन वसूली और अपहरण के मामलों के कारण हताहतों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2007 में हिंसा की 1,489 घटनाएं हुई थीं जो वर्ष 2014 में घटकर 824 रह गई है और इसी अवधि के दौरान मारे गए सिविलियनों की संख्या 498 से घटकर 212 रह गई है।

2.1.5 वामपंथी उग्रवाद की हिंसा के साथ–साथ परिणामी हत्याओं की मात्रा में कमी की प्रवृत्ति, जो वर्ष 2011 में आरंभ हुई थी (1,760 घटनाएं/611 मौतें), वर्ष 2013 (1,136 घटनाएं/397 मौतें) में जारी रही। यह वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2013 में घटनाओं की संख्या में 34% और मौतों की संख्या में 35% की कमी दर्शाता है। लेकिन वर्ष 2014 में (दिसम्बर तक) वर्ष 2013 की तदनुरुपी अवधि की तुलना में घटनाओं और मौतों की संख्या में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि आम चुनाव से संबंधित वामपंथी उग्रवाद की हिंसा की वजह से हुई थीं। तथापि, वामपंथी उग्रवाद के विद्रोह को दीर्घावधिक संदर्भ में देखा जाना चाहिए, क्योंकि हिंसा की मात्रा में होने वाली अल्पावधिक घट–बढ़ एक पुनरावर्ती स्थिति है।

सुरक्षा की स्थिति

2.2.1 जम्मू और कश्मीर (जे एंड के) राज्य लगभग दो दशकों से सीमा पार से प्रायोजित और समर्थित आतंकवाद और अलगाववादी हिंसा से प्रभावित रहा है। जम्मू एवं कश्मीर में उग्रवाद शुरु होने (वर्ष 1990 में) से लेकर अब तक 13,904 सिविलियन और 4,922 सुरक्षा बलों के कार्मिक मारे गए हैं (दिनांक 31.12.2014 तक)। गत चार वर्षों के दौरान जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादी हिंसा की प्रवृत्ति नीचे दी गई सारणी में दर्शाई गई है:–

जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादी हिंसा की प्रवृत्ति

वर्ष	घटनाएं	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए सिविलियन	मारे गए आतंकवादी
2011	340	33	31	100
2012	220	38	11	50
2013	170	53	15	67
2014	222	47	28	110

2.2.2 उपुर्यक्त सारणी से पता चलता है कि गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2014 में आतंकवादी घटनाओं और हताहत हुए सिविलियनों की संख्या में वृद्धि हुई है। तथापि, वर्ष 2013 की तुलना में हताहत हुए सुरक्षा बल कर्मियों की संख्या में कमी आई है। वर्ष 2014 में वर्ष 2013 की तुलना में आतंकवादी घटनाओं और हताहत हुए सिविलियनों की संख्या में 30.58% और 86.66% की वृद्धि हुई। तथापि, वर्ष 2014 में विगत वर्ष की तुलना में सुरक्षा बल कर्मियों की मौतों में 11.32% की कमी आई है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2013 की तुलना में 64.18% अधिक आतंकवादियों की निष्क्रिय किया गया। वर्ष 2014 के दौरान, जम्मू एवं कश्मीर राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में रही।

2.2.3 जम्मू एवं कश्मीर राज्य में जारी उग्रवाद जम्मू एवं कश्मीर में 'अंतर्राष्ट्रीय सीमा' के साथ–साथ 'नियंत्रण रेखा' दोनों से मूल रुप से सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ से जुड़ा है। वर्ष 2011 में जम्मू एवं कश्मीर में सूचित किए गए घुसपैठ के प्रयास नीचे सारणी में दिए गए हैं:

वर्ष	2011	2012	2013	2014
घुसपैठ के कुल प्रयास	247	264	277	222

(स्रोत एमएसी)

2.2.4 वर्ष 2014 के दौरान, विगत वर्ष की तुलना में घुसपैठ के प्रयासों में 19.85% की कमी आई है।

2.2.5 जम्मू एवं कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति पर जम्मू एवं कश्मीर के मुख्य मंत्री द्वारा एकीकृत मुख्यालय/कमान में राज्य सरकार, सेना, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ निगरानी और समीक्षा की जाती है। गृह मंत्रालय भी राज्य सरकार और रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर सुरक्षा से संबंधित स्थिति की गहन और लगातार मानीटरिंग करता है।

2.2.6 केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलकर सीमा पार से घुसपैठ को रोकने के लिए बहु–आयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें, अन्य बातों के साथ–साथ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा/नियंत्रण रेखा पर तथा हर समय बदल रहे घुसपैठ के मार्गों के निकट सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना, बहु–स्तरीय तथा बहु–रुपात्मक तैनाती करना, सीमा पर बाड़ का निर्माण करना, सुरक्षा बलों के लिए उन्नत प्रौद्योगकी, हथियार और उपस्कर का प्रावधान करना, बेहतर आसूचना और परिचालनात्मक समन्वय और घुसपैठ रोकने के लिए आसूचना का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित करना और राज्य के अंदर आतंकवादियों के विरुद्ध सक्रिय कार्रवाई करना शामिल है। राज्य की शांति में बाधा डालने के लिए उग्रवादियों के प्रयासों और क्षमताओं को निष्क्रिय करने के लिए सरकार ने विभिन्न आतंकवाद रोधी रणनीतियां अपनाई हैं। सरकार ने युवाओं को मुख्य धारा में लाने और स्थानीय युवाओं को उग्रवाद में शामिल होने से हतोत्साहित करने की नीतियों को भी बढ़ावा दिया है।

2.2.7 सरकार का निम्नलिखित कार्य करने का प्रयास रहा है:–

(i) सीमा पार के आतंकवाद से सीमाओं की रक्षा करने और आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए सभी सुरक्षा बलों द्वारा तुरंत उचित उपाय करना;

(ii) यह सुनिश्चित करना कि प्रजातांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाए और राज्य में लम्बे समय से जारी उग्रवाद के प्रभाव के कारण लोगों के सामने आ रही सामाजिक–आर्थिक समस्याओं को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए सिविल प्रशासन की बहाली को प्राथमिकता दी जाए; और

(iii) स्थाई शांति प्रक्रिया सुनिश्चित करना और राज्य में हिंसा का त्याग करने वाले सभी वर्गों के लोगों को पर्याप्त अवसवर प्रदान करना और उन्हें प्रभावी ढंग से अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान करना तथा उनकी वास्तविक शिकायतों को दूर करना।

2.2.8 राज्य सरकार की पहलों में उसकी सहायता करने के लिए, केन्द्र सरकार आवश्यकतानुसार केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल उपलब्ध करा रही है और राज्य पुलिस को सुदृढ़ बनाने में सहायता उपलब्ध करा रही है। गृह मंत्रालय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न उपायों पर राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे व्यय की प्रतिपूर्ति करता है। इनमें सिपाहियों को लाने–ले–जाने में हो रहे व्यय, सामग्री की आपूर्ति, आवास का किराया, विशेष पुलिस अधिकारियों को मानदेय, सिविक कार्रवाई कार्यक्रम, एअर–लिफ्ट प्रभार, इंडिया रिजर्व बटालियनें गठित करने की लागत, परिवहन, ठहरने और खान–पान का व्यय, सुरक्षा बलों के लिए वैकल्पिक आवास आदि शामिल हैं। सुरक्षा से संबंधित व्यय (पुलिस) के तहत वर्ष 1989 से दिनांक 31.12.2014 तक कुल 4,735.48 करोड़ रूपए की प्रतिपूर्ति की गई है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सुरक्षा संबंधी व्यय (पुलिस) के तहत जम्मू एवं कश्मीर सरकार को 287.94 करोड़ रूपए की प्रतिपूर्ति की जा चुकी है।

आर्थिक विकास

जम्मू और कश्मीर को केन्द्रीय सहायता

जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री की पुनर्निर्माण योजना (पी एम आर पी)

2.2.9 प्रधान मंत्री ने नवम्बर, 2004 में जम्मू और कश्मीर के अपने दौरे के दौरान, लगभग 24,000 करोड़ रूपए के परिव्यय से जम्मू और कश्मीर के लिए एक ऐसी पुनर्निर्माण योजना की घोषणा की थी, जिसमें मोटे तौर पर वे परियोजनाएं/स्कीमें शामिल हैं जिनका उद्देश्य रोजगार और आय सृजन के कार्यकलापों पर जोर देते हुए आर्थिक आधारभूत संरचना का विस्तार करना और बुनियादी सेवाओं का प्रावधान करना तथा जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद से प्रभावित विभिन्न ग्रुपों को राहत और पुनर्वास प्रदान करना है। प्रधानमंत्री की पुनर्निर्माण योजना में शामिल सभी स्कीमों की वर्तमान अनुमानित लागत 36,264.70 करोड़ रूपए है।

2.2.10 पुनर्निर्माण योजना–2004 में परिकल्पित परियोजनाओं/स्कीमों का कार्यान्वयन संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा राज्य सरकार के साथ परामर्श करके किया जाता है। पी एम आर पी की 67 परियोजनाओं/स्कीमों के कार्यान्वयन की प्रगति की गृह मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। उक्त 67 परियोजनाओं/स्कीमों में से, 35 परियोजनाएं/स्कीमें पहले ही पूरी हो चुकी हैं। पीएमआरपी परियोजनाओं की सूची से दो परियोजनाएं अर्थात 'वृहत्तर जम्मू के लिए पानी की आपूर्ति में वृद्धि एवं सुधार के लिए पूर्व–व्यवहार्यता रिपोर्ट' और 'बाहरी सहायता से पूरे राज्य में स्वास्थ्य केन्द्र भवनों का निर्माण' हटा दी गई हैं। शेष 30 परियोजनाओं में से, 27 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। तीन परियाजनाएं तैयारी की अवस्था में हैं।

2.2.11 कुछ बड़ी परियोजनायें और उनकी प्रगति की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं:–

क्रम सं.	परियोजना	स्थिति
	विद्युत क्षेत्र	
1.	उरी ।। एचईपी	यूनिट–। और यूनिट–3 तथा यूनिट–2 का क्रमशः दिनांक 11.10.2013 और 01.12.2013 से वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया गया था। दिनांक 01.03.2014 से वाणिज्यिक परिचालन के तहत पावर स्टेशन के साथ यूनिट–4 की घोषणा की गई थी।
2.	समूचे राज्य में सभी गांवों का विद्युतीकरण	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) ने 3,172 गांवों का विद्युतीकरण किया है और गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे 69,079 परिवारों को बिजली के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।
3.	जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में पावर ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण का कार्य	परियोजना के तहत 73 योजनाओं में से, 52 योजनायें पूरी हो चुकी हैं।

क्रम सं.	परियोजना	स्थिति
	सड़क क्षेत्र	
4.	मुगल रोड़	सड़क और पुलों का कार्य पूरा किया गया है और जनता द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा संबंधी कार्य चल रहा है।
5.	बटोट–किश्तवाड़ सड़क (एनएच 1 बी)	कार्य प्रगति पर है।
6.	कारगिल से होकर श्रीनगर–लेह सड़क (एन–एच–1 डी) को दो लेन वाली बनाना	
7.	श्रीनगर–उरी–एलओसी सड़क का उन्नयन	
	अन्य क्षेत्र	
8.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज श्रीनगर – 220 बिस्तरों वाले ट्रामेटोलाजी संस्थान का निर्माण	सिविल कार्य में समग्र रुप से 99.5% की प्रगति हुई है।

जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष उद्योग की पहल (एस आई आई जे एंड के) 'उड़ान'

2.2.12 जम्मू एवं कश्मीर के युवाओं हेतु जाब प्लान तैयार करने के लिए डा. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह ने जम्मू एवं कश्मीर के लिए 'उड़ान' योजना नामक विशेष उद्योग की पहल (एसआईआई) की सिफारिश की थी। एस.आई.आई.जे.एंड के. योजना का उद्देश्य पांच वर्ष की अवधि में 40,000 स्नातकों, स्नातकोत्तरों, व्यावसायिक डिग्री धारकों और तीन वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारकों को कौशल प्रदान करना और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षित जनशक्ति को अच्छे वेतन वाली नौकरियां प्रदान करना है। 'उड़ान' योजना की परिकल्पना कार्पोरेट घरानों और गृह मंत्रालय के बीच भागीदारी के रुप में की गई है जिसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एन.एस.डी.सी.) द्वारा चलाया जाता है। यह एक राष्ट्रीय परियोजना है जो राष्ट्रीय मुख्य धारा के साथ राज्य के संबंधों को सुदृढ़ बनाने के सरकार के प्रयासों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। इस योजना को पब्लिक प्राइवेट भागीदारी (पीपीपी) पद्धति में कार्यान्वित किया जा रहा है।

2.2.13 पांच वर्षों की अवधि में परियोजना अनुमोदन समिति (पी ए सी) ने 71,305 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने के लिए 62 कार्पोरेट घरानों के प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया है। कार्पोरेटों द्वारा 12,996 उम्मीदवारों का चयन किया गया है जिनमें से, 6,622 उम्मीदवार प्रशिक्षण में शामिल हुए हैं। चयनित उम्मीदवारों में विभिन्न शैक्षिक विधाओं वाले पूरे राज्य के पुरूष एवं महिला दोनों उम्मीदवार शामिल हैं। 3,632 उम्मीदवारों ने अपना प्रशिक्षण पहले ही पूरा कर लिया है और 2,514 उम्मीदवारों को रोजगार मिल गया है। अन्य कार्पोरेटों द्वारा उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया चल रही है और प्रशिक्षण का कार्य शीघ्र आरंभ होगा।

2.2.14 वेबसाइट पर पंजीकरण, सूचना सेमिनारों आदि के माध्यम से 70,000 से अधिक उम्मीदवारों से संपर्क किया गया है। जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र के लिए सहायता जुटाने के लिए तीसरे पक्ष को शामिल करने और कार्यक्रम के बारे में जागरुकता उत्पन्न करने के लिए उड़ान हेल्पलाइन चलाकर तथा एक पीआर एजेंसी को शामिल करके स्टेकहोल्डरों को परामर्श देने के अधिकाधिक प्रयास किए जा रहे हैं।

जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों के लिए विशेष कार्य बल

2.2.15 जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों की विकासात्मक जरुरतों को पूरा करने के उद्देश्य से, जिसमें अवसंरचना की कमियों और उचित सिफारिशें करने का विशेष संदर्भ निहित है, जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों के लिए क्रमशः योजना आयोग के सदस्य डा. अभिजीत सेन और योजना आयोग के सदस्य डा. नरेन्द्र जाधव की अध्यक्षता में दो विशेष कार्य बलों (एसटीएफ) का गठन किया गया था। एसटीएफ ने जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों के लिए कुल क्रमशः 498 करोड़ रूपए और 416 करोड़ रूपए की लागत वाली

अल्पावधिक परियोजनाओं की सिफारिश की थी। वित्तीय वर्ष 2011–12, 2012–13 और 2013–14 के दौरान एसटीएफ परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए क्रमशः 250 करोड़ रूपए, 300 करोड़ रु. और 140 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया था। ये परियोजनाएं राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

2.2.16 योजना आयोग द्वारा वर्ष 2014–15 के लिए राज्य योजना में जम्मू, लेह और कारगिल के लिए क्रमशः 50 करोड़ रूपए, 25 करोड़ रूपए और 25 करोड़ रुपए के आवंटन का अनुमोदन प्रदान किया गया था। अधिकांश परियोजनाओं पर कार्य शुरु हो गया है। दिनांक 31.12.2014 तक, चालू परियोजनाओं पर 601.38 करोड़ रूपए का संचयी व्यय हो चुका है।

कश्मीरी प्रवासियों को राहत और पुनर्वास

2.2.17 वर्ष 1990 के आरंभ में जम्मू एवं कश्मीर राज्य में उग्रवाद आरंभ होने के कारण कश्मीर घाटी से कुछ सिख और मुस्लिम परिवारों के साथ अधिकांश कश्मीरी पंडित परिवार जम्मू, दिल्ली और देश के अन्य भागों में प्रवास कर गए। इस समय देश में लगभग 62,000 पंजीकृत कश्मीरी प्रवासी परिवार हैं। 40,668 पंजीकृत परिवार जम्मू में, 19,338 परिवार दिल्ली में और 1,995 परिवार अन्य राज्यों में रह रहे हैं। सरकार ने कश्मीरी प्रवासियों के लिए समय–समय पर अनेक पैकेजों की घोषणा की है।

2.2.18 जम्मू एवं कश्मीर सरकार जम्मू क्षेत्र में रह रहे 18,250 पात्र परिवारों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 1,650 रु. (अधिकतम 6600 रु. प्रति परिवार प्रति माह) और सूखा राशन (प्रति व्यक्ति प्रति माह 9 किलो चावल, 2 किलो आटा और 1 किलो चीनी प्रति परिवार प्रति माह) उपलब्ध करा रही है। इस संबंध में सुरक्षा संबंधी व्यय (वापसी एवं पुनर्वास) – एसआरई (आर एंड आर) के तहत गृह मंत्रालय द्वारा व्यय (लगभग 136 करोड़ रु. प्रति वर्ष) की प्रतिपूर्ति की जा रही है। दिल्ली सरकार भी अपने स्वयं के बजट से पात्र 3,385 परिवारों को 1,650रु. प्रति व्यक्ति प्रति माह (अधिकतम 6,600 रु. प्रति परिवार प्रति माह) की नगद राहत उपलब्ध करा रही है। अन्य राज्य अपने स्वयं के बजट से उनके द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार राहत उपलब्ध करा रहे हैं।

2.2.19 प्रधानमंत्री पैकेज–2004 के अंतर्गत, जम्मू में दो कमरों वाले 5,242 मकान बनाए गए थे और जम्मू में एक कमरे के मकान, सरकारी भवनों, मंदिरों आदि में रहने वाले प्रवासियों को आबंटित किए गए थे। बड़गाम जिला (कश्मीर घाटी) के शेखपुरा में भी 200 फ्लैट बनाए गए थे और प्रधानमंत्री पैकेज–2008 के रोजगार घटक के तहत सरकारी नौकरी पाने वाले प्रवासियों को साझेदारी आधार पर आबंटित किए गए थे। इन 200 फ्लैटों में से, स्थानीय प्रवासियों (जो कश्मीर घाटी के अंदर अपने मूल स्थान से अन्य स्थानों पर प्रवासित हुए) को भी 31 फ्लैट आबंटित किए गए हैं।

2.2.20 वर्ष 2008 में, सरकार ने कश्मीरी प्रवासियों की वापसी और पुनर्वास के लिए 1,618.40 करोड़ रु. के व्यापक पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज में घाटी में घरों की खरीद/निर्माण/मरम्मत, अस्थायी आवासों के निर्माण, छात्रों को छात्रवृत्ति, रोजगार (सरकारी/स्व–रोजगार), कृषि तथा उद्यान के लिए सहायता और भुगतान न किए गए ऋण के ब्याज की माफी हेतु वित्तीय सहायता का प्रावधान है। इस पैकेज का कार्यान्वयन जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। अब तक, प्रवासी युवाओं को राज्य सरकार की 1,553 नौकरियां दी गई हैं और कश्मीर घाटी में 469 अस्थायी आवासों का निर्माण किया गया है और नए नियुक्त प्रवासी कर्मचारियों को आबंटित किए गए हैं।

पुनर्वास परिषद

2.2.21 उग्रवाद से पीड़ित लोगों को मनोवैज्ञानिक सहायता और आर्थिक पुनर्वास प्रदान करने के उद्देश्य से, जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार ने उग्रवाद से प्रतिकूल रुप से प्रभावित विधवाओं, अनाथों, विकलांग व्यक्तियों और वृद्ध लोगों के पुनर्वास के लिए वर्ष 1995 में एक परिषद का गठन किया था। इस परिषद का पंजीकरण, 'जम्मू और कश्मीर में विधवा, अनाथ, विकलांग और वृद्ध व्यक्तियों (उग्रवाद से पीड़ित) के पुनर्वास परिषद' के नाम से सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत सोसाइटी के रूप में किया गया है। भारत सरकार भी स्कीम के अंतर्गत समय–समय पर कारपस/अनुदान के रूप में जम्मू एवं कश्मीर पुनर्वास परिषद को सहायता प्रदान कर रही है। अब तक, 3944 विधवाओं, 2,247 अनाथों, 2,525 वृद्ध व्यक्तियों तथा 1,080 शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को शामिल किया गया है। (दिनांक 31.12.2014 तक)।

नियंत्रण रेखा के पार के लोगों का एक–दूसरे के साथ सम्पर्क (विश्वास निर्माण के उपाय)

नियंत्रण रेखा पार यात्रा

2.2.22 दिनांक 07.04.2005 से श्रीनगर–मुजफ्फराबाद मार्ग पर पाक्षिक बस सेवा शुरु की गई थी और इसके बाद दिनांक 20.06.2006 से पुंछ–रावलकोट मार्ग पर ऐसी सेवा शुरु की गई थी। नियंत्रण रेखा के दोनों ओर से विश्वास निर्माण के इन उपायों पर अच्छी प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए, इन दोनों मार्गों की पाक्षिक बस सेवा को क्रमशः दिनांक 08.09.2008 और 11.09.2008 से साप्ताहिक सेवा में परिवर्तित कर दिया गया था।

दिनांक 31.12.2014 तक जिन यात्रियों (भारतीय और पाकिस्तानी नागरिक) ने श्रीनगर–मुजफ्फराबाद और पुंछ–रावलकोट मार्गों पर इन सेवाओं का लाभ उठाया, उनकी संख्या क्रमशः 9,482 और 17,576 है।

जम्मू एवं कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर के बीच नियंत्रण रेखा पार व्यापार

2.2.23 दिनांक 23.09.2008 को 63वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के समय भारत के प्रधान मंत्री की पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ हुई बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की थी कि दिनांक 21.10.2008 से नियंत्रण रेखा पार से व्यापार शुरु किया जाए। तदनुसार, श्रीनगर–मुजफ्फराबाद और पुंछ–रावलकोट मार्गों पर 21 अनुमोदित मदों का शुल्क मुक्त व्यापार दिनांक 21.10.2008 से शुरु हुआ। दिनांक 31.12.2014 तक, इन दो मार्गों से 38,721 ट्रक सीमा पार करके पाक अधिकृत कश्मीर गए और 25,672 ट्रक सीमा पार कर भारत आए। दिनांक 31.12.2014 तक, सलामाबाद–मुजफ्फराबाद मार्ग से 27,023 ट्रक सीमा पार करके पाक अधिकृत कश्मीर गए हैं और 17,613 ट्रक सीमा पार करके हमारी ओर आए हैं और पुंछ–रावलकोट मार्ग से 11,689 ट्रक पाक अधिकृत कश्मीर गए और 8,059 ट्रक हमारी ओर आए हैं।

अमरनाथ यात्रा

2.2.24 दिनांक 28.06.2014 को यात्रा आरंभ हुई और दिनांक 10.08.2014 को समाप्त हुई। तथापि, यात्रा मार्ग में बर्फबारी के कारण दिनांक 28.06.2014 से 02.07.2014 तक पहलगांव मार्ग पर यात्रा आस्थगित रही।

2.2.25 यह सुनिश्चित करने के लिए कि यात्रा शांतिपूर्वक सम्पन्न हो, आधार शिविरों और मार्ग में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और भारी मात्रा में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार की मदद एवं सहायता के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 95 कंपनियां उपलब्ध कराईं। बीएसएफ और सीआरपीएफ ने यात्रा मार्ग पर अनेक मेडिकल शिविर लगाए। बीएसएनएल ने पवित्र गुफा, शेषनाग पंजतर्णी और संगम पर सैटेलाइट फोन और वीएसएटी कनेक्टिविटी भी उपलब्ध कराई। वर्ष 2014 के दौरान कुल 3,72,909 यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए।

जम्मू एवं कश्मीर में मानवाधिकारों का संरक्षण

2.2.26 सरकार, मानवाधिकारों के संरक्षण को सर्वाधिक महत्व देती है। सरकार ने बार–बार देश में मानवाधिकारों के संरक्षण और मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के बारे में अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सुरक्षा बलों को सभी लोगों के मानवाधिकारों का सम्मान करने और अपनी दिन–प्रतिदिन की आपरेशनल ड्यूटी करते समय मानवतापूर्वक दृढ़निश्चय के साथ कार्य करने के अनुदेश दिए गए हैं।

2.2.27 मानवाधिकारों के कथित उल्लंघनों के प्रत्येक मामले को गंभीरता से लिया जाता है और एक पारदर्शी तरीके से तीव्रता से जांच की जाती है और युक्तिपूर्ण निष्कर्ष निकाला जाता है। दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ उपयुक्त दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है। जनवरी, 1994 से दिसम्बर, 2014 तक, सेना और अर्द्ध–सैनिक बलों के कर्मियों के खिलाफ प्राप्त मानवाधिकार के उल्लंघनों की कुल 1,427 शिकायतों में से 1401 शिकायतों की जांच की गई है। इनमें से 1,321 शिकायतें झूठी पाई गई और प्रामाणिक पाए गए 80 मामलों में इसके लिए उत्तरदायी कार्मिकों को दंडित किया गया। नवम्बर, 2014 में सेना के कोर्ट मार्शल ने वर्ष 2010 में माचिल, जम्मू एवं कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन के एक मामले में सेना के पांच व्यक्तियों को दोषसिद्ध किया और उन्हें उम्रकैद की सजा दी।

2.2.28 वर्ष 2014–15 में, सुरक्षा संबंधी व्यय (राहत एवं पुनर्वास) (एसआरई आरएंडआर) शीर्ष के अंतर्गत कश्मीरी प्रवासियों के पुनर्वास पैकेज के लिए 500 करोड़ रु. का बजटीय प्रावधान उपलब्ध कराया गया है। सरकार सभी स्टेकहोल्डरों को स्वीकार्य एक प्रभावी पैकेज विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

2.2.29 जम्मू एवं कश्मीर में विधान सभा चुनाव, 2014 दिनांक 25.11.2014, 02.12.2014, 09.12.2014, 14.12.20414 और 20.12.2014 को पांच चरणों में आयोजित किए गए। चुनाव शांतिपूर्वक हुए जिनमें बड़ी संख्या में मतदाताओं ने हिस्सा लिया। तथापि, स्पष्ट बहुमत न आने और सरकार बनाने में देरी के कारण दिनांक 08.01.2015 से जम्मू एवं कश्मीर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया।

पूर्वोत्तर

2.3.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र, जिसमें आठ राज्य यथा असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल हैं, अलग–अलग भाषाओं, बोलियों और सामाजिक–आर्थिक पहचान के साथ 200 से अधिक जातीय दलों सहित एक जटिल सांस्कृतिक और जातीय गठबंधन को प्रस्तुत करता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में देश का 8% भूभाग और राष्ट्रीय जनसंख्या का 4% शामिल हैं। इस क्षेत्र की कुल 6,387 किमी. सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है (जो इस क्षेत्र की सीमा का 99% है), जो बांग्लादेश (2,700 किमी), म्यांमार (1,643 किमी.), चीन (1,345 किमी.) और भूटान (699 किमी.) के साथ लगी हुई है।

2.3.2 पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में सुरक्षा की स्थिति, जो विभिन्न आतंकवादी समूहों द्वारा समर्थित भिन्न मांगों के कारण काफी समय से जटिल रही है, जिसमें वर्ष 2013 और 2014 में हिंसा की घटनाओं/सिविलियनों के हताहत होने आदि के संदर्भ में धीरे–धीरे सुधार हो रहा है। तथापि, दिसम्बर, 2014 में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट्र ऑफ बोडोलैंड (एनफडीएफबी)/सांगबिजीत समूह) के वार्ता–विरोधी संगठन द्वारा किए गए आतंकी हमले के कारण असम में हताहतों की संख्या बढ़ी है। गत आठ वर्षों की स्थिति की तुलना करें तो हिंसा की घटनाएं वर्ष 2007 में 1,489 से घटकर वर्ष 2014 में 824 रह गई हैं और इसी अवधि के दौरान मारे गए सिविलियनों की संख्या 498 से 212 रह गई हैं। पिछले आठ वर्षों के दौरान समग्र रुप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंसा की स्थिति नीचे दी गई है:–

वर्ष 2007 से 2014 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति

वर्ष	घटनाएं	गिरफ्तार किए गए उग्रवादी	मारे गए उग्रवादी	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए सिविलियन
2007	1489	1837	514	524	79	498
2008	1561	2566	640	1112	46	466
2009	1297	2162	571	1109	42	264
2010	773	2213	247	846	20	94
2011	627	2141	114	1122	32	70
2012	1025	2145	222	1195	14	97
2013	732	1712	138	640	18	107
2014	824	1934	181	965	20	212

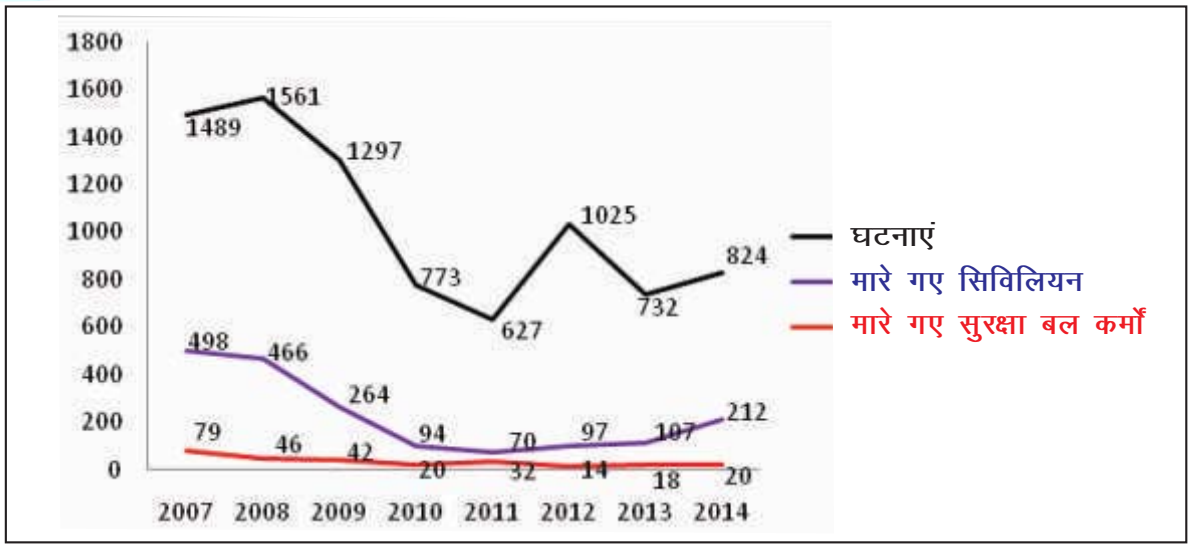

पूर्वोत्तर : वर्ष 2007 से 2014 के दौरान घटनाओं/मारे गए सविलियनों/मारे गए सुरक्षा बल कर्मियों की संख्या

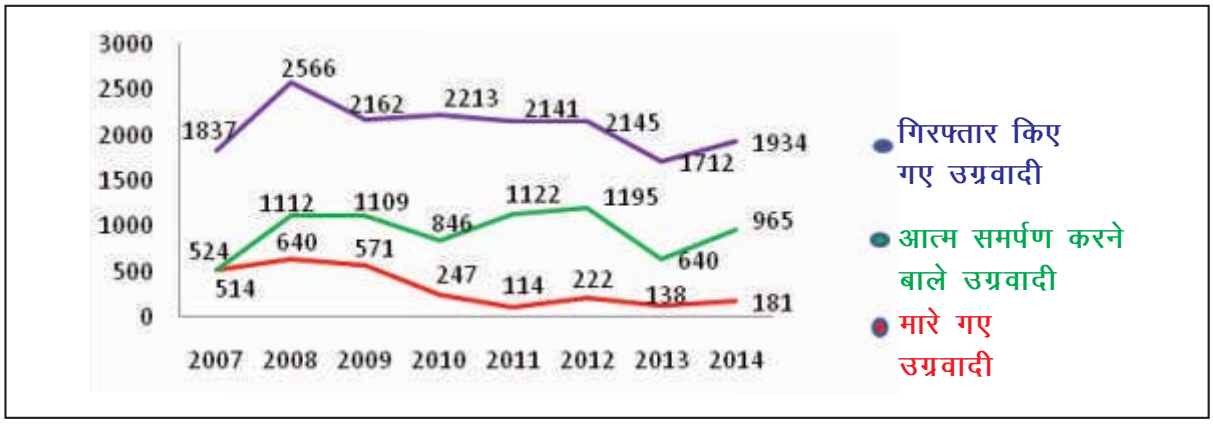

पूर्वोत्तर : वर्ष 2007 से 2014 के दौरान गिरफ्तार किए गए/मारे गए/ आत्म–समर्पण करने वाले उग्रवादियों की संख्या

2.3.3 पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद से संबंधित हिंसा की अधिकांश घटनाएं असम, मणिपुर, नागालैंड और मेघालय में जारी रहीं। त्रिपुरा, मिजोरम और सिक्किम में शांति बनी रही। अरुणाचल प्रदेश में कुछ घटनाओं को छोड़कर स्थिति शांतिपूर्ण रही। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पिछले आठ वर्षों के दौरान (दिनांक 31.12. 2014 की स्थिति के अनुसार) हिंसा की स्थिति का राज्यवार ब्यौरा **अनुलग्नक–III** में दिया गया है।

2.3.4 गृह मंत्रालय द्वारा विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3 के तहत जारी विदेशी विषयक (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 के अन्तर्गत संम्पूर्ण अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम के कुछेक भाग 'संरक्षित क्षेत्र' हैं। सिक्किम के भी कुछ क्षेत्रों को विदेशी विषयक (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश, 1963 के तहत 'प्रतिबंधित क्षेत्र' घोषित किया गया है। विदेशी विषयक (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 और विदेशी विषयक (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश, 1963 के अनुसार, केन्द्र सरकार अथवा इस निमित्त केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी परमिट के तहत और इसके अनुसार जारी परमिट के अलावा कोई भी विदेशी ऐसे किसी संरक्षित क्षेत्र/प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा अथवा उसमें नहीं ठहरेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, गृह मंत्रालय द्वारा समय–समय पर पीएपी/आरएपी प्रणाली में छूट के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। मणिपुर, मिजोरम और नागालैण्ड राज्यों के समग्र क्षेत्र को कुछ शर्तों के अध्यधीन विदेशी विषयक (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 के तहत अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र प्रणाली से बाहर रखा गया है।

अरुणाचल प्रदेश

2.3.5 अरुणाचल प्रदेश में कुछ घटनाओं को छोड़कर

सामान्य रुप से वातावरण शांतिपूर्ण है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में कोई स्वदेशी विद्रोही समूह नहीं है। राज्य में तिरप और चांगलांग जिलों में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एनएससीएन), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड/इसाक मुइवाह (एनएससीएन/आईएम), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड/खोले (एनएससीएन/केके) और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड/खापलांग (एनएससीएन/के) के नागालैंड में स्थित यूजी दलों के नागा विद्रोहियों की आतंकवादी गतिविधियां और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के अलावा असम में स्थित यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) की गतिविधियां फैली हुई हैं। एनडीएफबी और उल्फा के कैडर असम और म्यांमार की सीमा वाले राज्यों में (शरण/अस्थायी आवास हेतु) भी आते जाते हैं। ये उग्रवादी समूह जबरन धन वसूली के माध्यम से, मुख्य रूप से धन जुटाने के लिए राज्यों की राजनैतिक/आर्थिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करते रहे हैं। एनएससीएन दल अपने कैडरों की जबरन भर्ती में भी शामिल रहा है।

2.3.6 सरकार तिरप और चांगलांग जिलों में अवसंरचना विकास परियोजनाओं के साथ–साथ पुलिस संगठन के उन्नयन हेतु एक कार्य–योजना कार्यान्वित कर रही है। इस कार्य योजना के अंतर्गत, नए पुलिस स्टेशनों के गठन और इन नए गठित पुलिस स्टेशनों के लिए भवनों के निर्माण, पुलिस कार्मिकों की भर्ती और हथियारों, गोला–बारुद और वाहनों आदि की अधिप्राप्ति जैसे कार्यकलाप आरंभ किए गए हैं। सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने इस प्रयोजन के लिए 138.95 करोड़ रु. अनुमोदित किए हैं, जिसमें से दिनांक 31.12.2014 तक अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार को 56.00 करोड़ रु. पहले ही जारी कर दिए गए हैं।

2.3.7 अरुणाचल प्रदेश के तिरप और चांगलांग जिलों और असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश राज्य के 20 किमी. क्षेत्र को सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958 के तहत 'अशांत क्षेत्र' के रुप में घोषित किया गया है जो क्रमशः दिनांक 31.03.2015 और 03.11.2015 तक वैध है।

2.3.8 दिनांक 22.07.2014 को उग्रवाद का सामना करने, विशेष रुप से तिरप चांगलांग और लांगडिंग जिलों और असम राज्य की सीमा से लगे 20 किमी. के क्षेत्र के लिए गृह मंत्रालय द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अरुणाचल प्रदेश के लिए एकीकृत मुख्यालय स्थापित करने के आदेश जारी किए गए हैं।

असम

2.3.9 असम में हिंसा की कुछ घटनाओं को छोड़कर, वर्ष 2010 के शुरु से सुरक्षा की स्थिति में वर्ष–दर–वर्ष मामूली अंतर के साथ सुधार हुआ है। तथापि, वर्ष 2014 में एनडीएफबी (एस) द्वारा किए गए आतंकी हमले के कारण हताहतों में वृद्धि हुई है। असम राज्य में इस समय सक्रिय मुख्य उग्रवादी समूहों में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम–(स्वतंत्र), (उल्फा–आई), नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड–(सांगबीजीत), (एनडीएफबी–एस) शामिल हैं। विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के तहत उल्फा और एनडीएफबी को गैर–कानूनी संघों के रूप में घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त, करबी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर्स (केपीएलटी) असम के करबी आँगलोंग जिले में सक्रिय है।

2.3.10 सितम्बर, 2011 में उल्फा के साथ कार्रवाई स्थगन (एसओओ) समझौते पर हस्ताक्षर और क्रमशः नवम्बर, 2011 तथा अक्टूबर, 2012 में यूपीडीएस और डीएचडी के घटकों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर भी हस्ताक्षर होने के कारण विद्रोही समूहों द्वारा हिंसा के संदर्भ में असम में सुरक्षा की स्थिति में सुधार हुआ है। यूपीडीएस और डीएचडी ने अपने आप को विघटित कर लिया है और उन्होंने स्वायत्त जिला परिषदों के चुनावों में भाग लिया। भारत सरकार के प्रतिनिधि/वार्ताकार उनकी मांगों पर एनडीएफबी/प्रगतिशील और उल्फा से बातचीत कर रहे हैं। प्रतिनिधि को एनडीएफबी (रंजन डाइमारी) समूह के साथ भी वार्ता की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए अधिकृत किया गया है। दिनांक 24.01.2012 को, पांच आदिवासी संगठनों सहित नौ उग्रवादी संगठनों ने असम के मुख्यमंत्री और तत्कालीन गृह मंत्री की उपस्थिति में राज्य के अधिकारियों के सामने अपने हथियार सौंपे।

2.3.11 तथापि, असम के बक्सा जिले के तीन गांवों और कोकराझार जिले के एक गांव में दिनांक 01.05.2014 और 02.05.2014 को नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट आफ बोडोलैंड (एनडीएफबी/सांगबीजीत) नामक उग्रवादी समूह द्वारा हिंसा की घटनाएं की गईं, जिसमें 46 सिविलियनों की जानें गई और अन्य लोग घायल हुए। स्थिति का सामना करने के लिए प्रभावित क्षेत्र में सीएपीएफ की 65 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं। सुरक्षा की स्थिति की नियमित रुप से निगरानी की जा रही है।

2.3.12 इसके अलावा, अगस्त, 2014 में असम–नागालैंड सीमा पर गोलाघाट में हुई हिंसा/अशांति को नियंत्रित करने के लिए, अतिरिक्त सीएपीएफ तैनात करके प्रभावी और तत्काल उपाय किए गए थे। केन्द्रीय गृह मंत्री ने क्षेत्र में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी प्रभावी उपाय करने के लिए असम और नागालैंड के मुख्यमंत्रियों से बात की। इसके अलावा, गृह राज्य मंत्री ने तनाव को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि दोनों ओर के अधिकारियों की नियमित बैठकें उच्च स्तर पर संबंधित आयुक्तों के साथ हों और इन बैठकों को और अधिक बार करने के लिए तुरंत उपाय करने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंधित मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक आयोजित कराई।

2.3.13 दिनांक 18.09.2014 को नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट आफ बोडोलैंड (प्रगतिशील) के प्रतिनिधियों के साथ उनकी मांगों पर विचार–विमर्श करने के लिए एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में असम सरकार और गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में एनडीएफबी(पी) की मांगों पर विचार–विमर्श किया गया। विचार–विमर्श के पश्चात, दिनांक 30.06.2015 तक 06 माह की और अवधि के लिए कार्रवाई स्थगन समझौते को आगे बढ़ाने पर आपसी सहमति हुई।

2.3.14 दिनांक 20.10.2014 को, गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (पूर्वोत्तर) की अध्यक्षता में निम्नलिखित समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में राज्य सरकारों, केन्द्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और संबंधित परिषदों के अन्य सहभागियों/प्रतिनिधियों ने हिस्सा लियाः

(i) असम समझौते के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा;

(ii) बोड़ो समझौते के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा; और

(iii) यूपीडीएस और डीएचडी के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओएस) के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए त्रिपक्षीय समिति की बैठक।

2.3.15 दिनांक 23.12.2014 को असम के सोनितपुर और कोकराझार जिले में एनडीएफबी/सोंगबिजीत समूह द्वारा की गई अनेक हिंसाओं में महिलाओं एवं बच्चों सहित 78 लोगों की जानें गई और 52 लोग घायल हुए। प्रभावित क्षेत्रों में सीएपीएफ की 50 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं। 136 राहत शिविर लगाए गए हैं और राज्य सरकार ने 18 वर्ष से अधिक की आयु वाले मरने वालों के निकटतम संबंधी को 5 लाख रु. और 18 वर्ष से कम की आयु वाले मरने वालों के निकटतम संबंधियों को 3 लाख रु. के अनुग्रह अनुदान की घोषणा की है। 14 पुलिस मामले दर्ज किए गए हैं और 77 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए, एनडीएफबी (एस) द्वारा किए गए आतंकी हमलों की जांच कर रही है। केन्द्रीय गृह मंत्री ने दिनांक 24.12.2014 को एक उच्च स्तरीय बैठक की जिसमें एनडीएफबी(एस) के विरुद्ध सतत सीआई आपरेशन करने का निर्णय लिया गया। अब तक, एनडीएफबी(एस) के 177 से अधिक कैडर/अनुबंध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और बडी मात्रा में हथियार और गोलाबारुद बरामद किया गया है। भूटान और बांग्लादेश में इन विद्रोही समूहों के शिविरों/सुरक्षित ठिकानों को नष्ट करने सहित सुरक्षा मुद्दों पर भूटान और बांग्लादेश से सहयोग का अनुरोध कया गया है। श्री किरेन रीजिजू, राज्य मंत्री ने भी मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य संबंधितों के साथ दिनांक 09.01.2015 को समीक्षा बैठक की। स्थिति नियंत्रण में है और क्षेत्र से हिंसा की किसी और घटना की सूचना नहीं मिली है।

2.3.16 सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958 के तहत समूचे असम राज्य को 'अशांत क्षेत्र' के रुप में घोषित किया गया है, जो दिनांक 03.11.2015 तक वैध है।

मणिपुर

2.3.17 पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंसा की अधिकांश घटनाएं मणिपुर राज्य में जारी रहीं। मणिपुर एक उग्रवाद ग्रस्त राज्य है, जो मेइतेई, नागा, कुकी, जोमी, हमार और मुस्लिम यूजी समूहों की गतिविधियों से प्रभावित है। कुकी/जोमी/हमार यूजी समूहों का इस समय भारत सरकार और मणिपुर सरकार के साथ एसओओ करार है। नागा यूजी समूहों द्वारा की गई हिंसा अधिकांशतः जबरन धन वसूली संबंधी घटनाओं तक सीमित है। भारत सरकार और मणिपुर सरकार के साथ एसओओ करार के तहत इस समय कुल 19 यूजी समूह [दो मुख्य समूहों, अर्थात युनाइटेड पीपुल्स फ्रंट (यूपीएफ) और कुकी नेशनल आर्गेनाइजेशन (केएनओ)] के अंतर्गत, हैं।

2.3.18 मणिपुर में अधिक सुरक्षा के कारण जबकि विद्रोहियों द्वारा की गई घटनाओं की संख्या में काफी कमी आई है, उग्रवादी कम संख्या में आत्मसमर्पण कर रहे हैं।

2.3.19 सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत समस्त मणिपुर राज्य (इम्फाल नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर) को 'अशांत क्षेत्र' के रुप में घोषित किया गया है, जो दिनांक 30.11.2014 तक वैध है।

मेघालय

2.3.20 मेघालय में उग्रवादी गतिविधियां पिछले ढाई दशकों से गारो हिल्स क्षेत्रों के आस–पास केन्द्रित हैं। मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में पांच जिले नामतः (i) पश्चिम गारो हिल्स (ii) पूर्व गारो हिल्स (iii) दक्षिण गारो हिल्स (iv) दक्षिण–पश्चिम गारो हिल्स और (v) उत्तर गारो हिल्स शामिल हैं। निकटवर्ती पश्चिम खासी हिल्स जिला, जिसमें काफी संख्या में गारो जनसंख्या है, भी गारो उग्रवाद से प्रभावित है। पड़ोसी राज्यों में सक्रिय विभिन्न उग्रवादी समूह जैसे कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा– I), नेशनल फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड/इसाक/मुइवाह (एनएससीएन/आईएम) आदि प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों और क्षेत्र की सुदूरता का लाभ उठाकर बांग्लादेश में आने–जाने के लिए गारो हिल्स मार्ग का प्रयोग कर रहे हैं। पड़ोसी राज्यों के उग्रवादी समूहों ने अचिक नेशनल वालंटियर्स काउंसिल (एएनवीसी) और गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी (जीएनएलए), उल्फा, एनडीएफबी, यूएएलए और एनएससीएन/आईएम जैसे गारो उग्रवादी समूहों को प्रोत्साहित, प्रशिक्षित और उनका पोषण किया है तथा गारो हिल्स में इनकी 'कमांड संरचना' भी है।

2.3.21 अचिक नेशनल वालंटियर्स काउंसिल (एएनवीसी) का दिनांक 23.06.2004 से सरकार के साथ कार्रवाई स्थगन समझौता है। एएनवीसी के साथ अनेक त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गईं, जिसमें भारत सरकार के सरकारी वार्ताकार श्री पी.सी. हल्दर ने सहयोग किया।

2.3.22 माननीय गृह मंत्री और मेघालय के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में दिनांक 24.09.2014 को नई दिल्ली में भारत सरकार, मेघालय राज्य सरकार, एएनवीसी (अचिक नेशनल वालिन्टर काउंसिल) और इससे अलग हुए समूह एएनवीसी/बी के बीच राजनैतिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा अनुमोदित समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए गए। एएनवीसी ने दिनांक 15.12.2014 को तुरा (मेघालय) में आयोजित विघटन समारोह में अपना विघटन कर लिया है।

2.3.23 सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958 के तहत असम के साथ वाले मेघालय राज्य के 20 किमी. क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' के रुप में घोषित किया गया है जो दिनांक 03.11. 2015 तक वैध है।

नागालैंड

2.3.24 नागालैंड में हिंसा मुख्य रूप से विभिन्न दलों के बीच अन्तर–गुटीय झड़पों के रूप में होती रही है। नागालैंड राज्य में सक्रिय मुख्य विद्रोही समूह नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड–(एनएससीएन) के घटक हैं, जो वर्ष 1975 के शिलांग समझौते के असफल होने के बाद वर्ष 1980 में अस्तित्व में आए। ये विद्रोही समूह इसाकस्वू और टीएच. मुइवाह के नेतृत्व में एनएससीएन (आईएम) और एस.एस. खापलांग, म्यांमार के एक नागा के नेतृत्व में एनएससीएन(के) और जून, 2011 में बने नए घटक, खोले–किटोवी के नेतृत्व में एनएससीएन/केके हैं। यद्यपि, विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर अनेक कदम उठाए गए हैं, तथापि, एनएससीएन के समूहों का दल–संबंधी हिंसा और अन्य हिंसा/गैर–कानूनी गतिविधियों में शामिल होना जारी है, जिससे राज्य में सामान्य जन–जीवन प्रभावित होता है।

2.3.25 इस्टर्न नागा पीपुल आर्गेनाइजेशन (ईएनपीओ), जो छह नागा जनजातियों का एक शीर्ष निकाय है, ने भारत संघ के अंदर विशेष दर्जे के साथ नागालैंड के चार पूर्वी जिलों (मोन, त्वेनसांग, किफिरे और लोंगलेंग) तथा अरुणाचल प्रदेश के दो जिलों (तिरप और चांगलांग) को मिलाकर एक पृथक राज्य बनाने की मांग उठाई है।

2.3.26 नागालैंड के प्रमुख संगठनों, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एनएससीएन/आईएम) और एनएससीएन/के का भारत सरकार के साथ युद्ध–विराम करार है। एनएससीएन/के दो दलों नामतः एनएससीएन/के और एनएससीएन/केके में विभाजित हो गया। श्री आर.एन. रवि को नागा शांति वार्ता के लिए भारत सरकार का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। एनएससीएन/के और एनएससीएन/केके के साथ युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए गए हैं जो दिनांक 27.04. 2015 तक वैध है। एनएससीएन/आईएम ने अनिश्चितकालीन युद्ध–विराम पर हस्ताक्षर किए हैं।

2.3.27 सशस्त्र बल (विशेषाधिकार.) अधिनियम, 1958 के तहत समूचे नागालैंड राज्य को 'अशांत क्षेत्र' के रुप में घोषित किया गया है जो दिनांक 30.06.2015 तक वैध है।

मिजोरम और सिक्किम

2.3.28 मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद से मिजोरम राज्य में कोई स्थानीय उग्रवाद नहीं है। सिक्किम आतंकवादी गतिविधियों से मुक्त है और राज्य में कोई आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र नहीं है।

त्रिपुरा

2.3.29 मुख्य यूजी संगठनों अर्थात नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्विपरा/बिश्वमोहन (एनएलएफटी/बी) और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ) द्वारा हिंसा लगभग नगण्य है, क्योंकि केवल एनएलएफटी/बी वर्ष 2014 में 10 व्यक्तियों के अपहरण और हिंसा की 8 घटनाओं में शामिल रहा है। जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2014 तक की अवधि के दौरान कानून और व्यवस्था की स्थिति शांतिपूर्ण और पूर्ण रूप से नियंत्रण में रही।

2.3.30 त्रिपुरा सरकार ने सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम (एएफएसपीए), 1958 के तहत 25 पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को पूर्ण रुप से और 7 पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को आंशिक रुप से 'अशांत क्षेत्र' के रुप में घोषित किया है।

स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

2.3.31 अलग–अलग जातीय दलों की बहुलता और क्षेत्र में परिणामी जटिल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार ऐसे दलों के साथ वार्ता/बातचीत करने के लिए एक नीति का पालन कर रही है, जो स्पष्ट रुप से हिंसा छोड़ने, हथियार त्यागने को तैयार हैं और भारत के संविधान के ढांचे के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी समस्याओं के समाधान की मांग करते हैं। इसके परिणामस्वरुप, अनेक संगठन सरकार से वार्ता करने के लिए सामने आए हैं और कार्रवाई स्थगन समझौता किया है और कुछ संगठनों ने समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए हैं और अन्य संगठनों ने अपना विघटन कर दिया है। जिन संगठनों ने वार्ता नहीं की है, उन पर विद्रोह–रोधी कार्रवाई के माध्यम से केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

2.3.32 केन्द्र सरकार विभिन्न उपायों के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों के उग्रवादी/विद्रोही समूहों द्वारा किए गए अपहरण,

जबरन धन वसूली, हत्या, कैडरों की भर्ती और प्रशिक्षण तथा विस्फोट करने और अवसंरचनात्मक संस्थापनाओं पर हमला करने आदि जैसी अवैध और गैर–कानूनी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता प्रदान कर रही है। इन उपायों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की तैनाती, एसआरई योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु राज्य सरकारों के सहायता, इंडिया रिजर्व बटालियनों की मंजूरी, यूएपीए के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में सक्रिय गैर–कानूनी संगठनों को प्रतिबंधित करना, एएफएसपीए के उद्देश्य से विशिष्ट क्षेत्रों/राज्यों को 'अशांत क्षेत्रों' के रुप में घोषित करना और एकीकृत कमांड संरचना आदि हेतु अधिसूचाएं जारी करना शामिल है।

2.3.33 भारत सरकार, राज्य सरकार, सुरक्षा बलों और संबंधित समूहों के प्रतिनिधियों वाले संयुक्त निगरानी समूहों द्वारा इन व्रिदोही दलों के संबंध में सहमत बुनियादी नियमों के कार्यान्वयन की समय–समय पर समीक्षा की जाती है।

2.3.34 पूर्वोत्तर राज्यों के उग्रवादी/विद्रोही समूहों द्वारा अवैध और गैर–कानूनी गतिविधियों जैसे अपहरण, जबरन धन वसूली, हत्या, कैडरों की भर्ती और प्रशिक्षण तथा विस्फोट करने और अवसंरचनात्मक संस्थापनाओं आदि पर हमलों को रोकने के लिए, गृह मंत्रालय विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत इन संगठनों को प्रतिबंधित करने के लिए अधिसूचनाएं जारी करता है। पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय उग्रवादी समूहों/प्रतिबंधित संगठनों का ब्यौरा **अनुलग्नक–IV** में दिया गया है।

2.3.35 सम्पूर्ण मणिपुर राज्य (इम्फाल नगर पालिका क्षेत्र के अलावा), नागालैंड और असम, अरुणाचल प्रदेश के तिरप और चांगलांग तथा लोंगडिंग जिले और असम के साथ साझा सीमा वाले अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों के 20 किमी. क्षेत्र को सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958 के तहत 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया गया है। त्रिपुरा सरकार ने 25 पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को पूर्ण रुप से और 7 पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत क्षेत्रों को आंशिक रुप से इस अधिनियम के तहत 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया है।

2.3.36 केन्द्र सरकार ने विद्रोह रोधी कार्रवाई करने और असुरक्षित संस्थाओं तथा संस्थापनाओं को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य प्राधिकारियों की मदद के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) तैनात किए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में आंतरिक सुरक्षा और विद्रोह–रोधी (आपरेशन) कार्यों के लिए कोबरा दलों सहित सीएपीएफ की 403 कंपनियां तैनात की गई हैं।

2.3.37 पूर्वोत्तर राज्यों में शांति प्रक्रिया का सिंहावलोकन

2.3.37.1 असम

(i) दिनांक 25.11.2011 को यूपीडीएस (यूनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक सालिडैरिटी) ने समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए और बाद में अपना विघटन कर लिया।

(ii) डीएचडी (दीमा हलम दओगाह), जिसने दिनांक 08.10.2012 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, ने भी बाद में अपना विघटन कर लिया।

(iii) उल्फा (यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम) वार्ता चल रही है। पिछली बैठक दिनांक 26.06.2013 को हुई थी। कार्रवाई स्थगन समझौता दिनांक 03.09.2011 से वैध है और अनिश्चित समय तक जारी है।

(iv) एनडीएफबी(पी) (नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड) (प्रगतिशील) ने दिनांक 01.06.2005 को कार्रवाई स्थगन समझौते पर हस्ताक्षर किए और इस समय दिनांक 30.06.2015 तक वैध है।

(v) एनडीएफबी से अलग हुए समूह एनडीएफबी(आरडी) [नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट आफ बोडालैंड] (रंजन डाइमेरी) ने दिनांक 29.11.2013 को कार्रवाई स्थगन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कार्रवाई स्थगन दिनांक 30.06.2015 तक वैध है।

(vi) 9 आदिवासी संगठनों ने दिनांक 24.01.2012 को आत्म–समर्पण किया। उनकी मांगों पर विचार–विमर्श किया जा रहा है।

(vii) कारबी लोंगरी एनसी हिल्स लिब्रेशन फ्रंट (केएलएनएलएफ) का इस समय भारत सरकार के साथ कार्रवाई स्थगन समझौता है।

2.3.37.2 मेघालय

भारत सरकार, मेघालय राज्य सरकार और एएनवीसी (अचिक नेशनल वालिंटयर काउंसिल) के बीच दिनांक 24.09.2014 को समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए गए थे। एएनवीसी ने दिनांक 15.12.2014 को तुरा (मेघालय) में आयोजित विघटन समारोह में अपना विघटन किया।

2.3.37.3 मणिपुर

(i) केएनओ (कुकी नेशनल आर्गेनाइजेशन) और यूपीएफ (यूनाइटेड प्रोग्रेसिव फ्रंट) के साथ कार्रवाई स्थगन समझौता अगस्त, 2008 से लागू है और दिनांक 21.08.2015 तक वैध है।

(ii) 19 यूजी समूहों ने दिनांक 13.02.2013 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यूपीपीके ने दिनांक 24.05.2013 को 80 कैडरों के साथ आत्मसमर्पण किया और समझौता

ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दिनांक 01.01.2013 से 31.12.2014 की अवधि के दौरान अब तक कुल मिलाकर 593 यूजी समूहों ने आत्मसमर्पण किया है।

2.3.37.4 **नागालैंड**

(i) एनएससीएन (नेशनल सोसलिस्ट काउंसिल) के तीन गुट हैं। ये एनएससीएन (आईएम), एनएससीएन (केके) और एनएससीएन (के) हैं। एनएससीएन/के और केके के साथ हस्ताक्षरित कार्रवाई स्थगन समझौता दिनांक 27.04.2015 तक वैध है। एनएससीएन/आईएम ने अनिश्चित अवधि के लिए युद्ध–विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ii) श्री आर.एन. रवि, अध्यक्ष/जेआईसी को अगस्त, 2014 में नागा शांति वार्ता के लिए वार्ताकार और भारत सरकार का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है।

2.3.37.5 **त्रिपुरा**

दिनांक 17.12.2004 को एनएलएफटी (एनबी) [नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (नयन बासी)], के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे और जनजातीय कल्याण, विकास और पुराने समूहों के पुनर्वास के लिए 55 करोड़ रु. (बाद में बढ़ाकर 64.63 करोड़ रु. किया गया) का एक सामाजिक–आर्थिक पैकेज दिया गया है ओर पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। एटीटीएफ के नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनएलएफटी (बी) और एटीटीएफ को यूएपीए के तहत प्रतिबंधित किया गया है लेकिन उनकी गतिविधियां केवल सीमावर्ती क्षेत्रों तक सीमित हैं।

इंडिया रिजर्व बटालियनों (आई आर बटालियनों) का गठन

2.3.38 भारत सरकार विद्रोह/उग्रवाद से निपटने के लिए राज्य सरकारों के पुलिस बलों का संवर्धन और उन्नयन करने के लिए उनकी मदद करती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों हेतु 51 इंडिया रिजर्व बटालियनों (आई आर बटालियनों) की मंजूरी प्रदान की गई है। इनमें असम के लिए 09, त्रिपुरा के लिए 09, मणिपुर के लिए 09, नागालैण्ड के लिए 07, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में प्रत्येक के लिए पाँच–पाँच, मेघालय के लिए 04 तथा सिक्किम के लिए 03 बटालियनें शामिल हैं। मंजूर की गई 51 बटालियनों में से, अब तक सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में 48 इंडिया रिजर्व बटालियनों का गठन कर दिया गया है।

पूर्वोत्तर में उग्रवादियों के आत्मसमर्पण–सह–पुनर्वास संबंधी योजना

2.3.39 गृह मंत्रालय दिनांक 01.01.1998 (दिनांक 01.04.2005 को संशोधित) से पूर्वोत्तर में भ्रमित युवाओं और उन खुंखार उग्रवादियों को छुटकारा दिलाने के लिए, जो उग्रवाद में भटक गए हैं और बाद में उसमें फंसा हुआ पा रहे हैं, उन उग्रवादियों के आत्मसमर्पण–सह–पुनर्वास संबंधी एक योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना में यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी दोबारा उग्रवाद में शामिल न हो। भारत सरकार की इस नीति के अनुसरण में, अनेक विद्रोहियों/उग्रवादियों ने अपने हथियारों के साथ आत्म–समर्पण किया है और राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। इस योजना में निम्नलिखित उपलब्ध हैं:

(i) प्रत्येक आत्मसर्मणकर्ता को 1.5 लाख रूपए का तत्काल अनुदान दिया जाएगा, जिसे 3 वर्षों की अवधि के लिए सावधि जमा के रूप में आत्मसमर्पणकर्ता के नाम से बैंक में रखा जाएगा। इस धनराशि का प्रयोग आत्मसमर्पणकर्ता द्वारा स्वरोजगार हेतु बैंक से ऋण हासिल करते समय कोलैटरल सिक्यूरिटी/मार्जिन मनी के रूप में किया जा सकता है;

(ii) एक वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक आत्मसमर्पणकर्ता को 3,500 रूपए प्रतिमाह वजीफे का भुगतान। राज्य सरकारें, यदि लाभार्थियों को एक वर्ष से अधिक समय तक सहायता देनी अपेक्षित समझती हैं, तो वे गृह मंत्रालय से परामर्श कर सकती हैं;

(iii) आत्मसमर्पणकर्ताओं को स्वरोजगार हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रावधान।

2.3.39.1 मणिपुर में उग्रवाद में शामिल होने वाले भ्रमित युवाओं को आकर्षित करने के लिए मणिपुर राज्य के लिए एक विशेष आत्मसमर्पण योजना तैयार की गई है जिसे दिनांक 01.12.2012 से कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें उनके पुनर्वास के लिए 2.50 लाख रु. का तत्काल अनुदान और 4,000रु. प्रति माह का वजीफा उपलब्ध है।

राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण (एमपीएफ)

2.3.40 भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–।। की प्रविष्टि 2 के अनुसार 'पुलिस' और 'लोकव्यवस्था' राज्य के अधिकार क्षेत्र के विषयों की श्रेणी में आते हैं। इसलिए, इन विषयों का प्रबंधन करना मुख्य रुप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, राज्यों ने वित्तीय बाधाओं के कारण अपेक्षित स्तर तक अपने पुलिस बलों को आधुनिक और लैस नहीं किया है। यह इस संदर्भ में है कि गृह मंत्रालय वर्ष 1969–70 से राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण (एमपीएफ) योजना का कार्यान्वयन करके समय–समय पर राज्यों के प्रयासों और संसाधनों का सम्पूरण कर रहा है। एमपीएफ योजना को गैर–योजना और आंशिक रुप से योजना के तहत निधीयन के साथ, वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक पांच वर्षों की और अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। आवाजाही, हथियार,

उपकरण, प्रशिक्षण उपकरण, विधि–विज्ञान उपकरण आदि संघटकों के तहत राज्य पुलिस द्वारा अपेक्षित मदों का निधीयन गैर–योजना के तहत किया जाता है। पुलिस स्टेशनों/चौकयों, पुलिस लाइनों, पुलिस आवास का निर्माण/उन्नयन, विधि–विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण और प्रशिक्षण अवसंरचना (भवन) का निधीयन इस योजना के योजना बजट के तहत किया जाता है।

2.3.41 गैर–योजना और योजना दोनों के तहत निधीयन के उद्देश्य से राज्यों को 'क' और 'ख' दो श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी 'क' के राज्य नामतः जम्मू एवं कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्य अर्थात अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा 90% की वित्तीय सहायता पाने के पात्र होंगे और 10% अपनी स्वयं की निधियों से उपलब्ध कराना होगा। वर्ष 2004–05 से राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण योजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को जारी की निधियों का राज्य–वार विवरण **अनुलग्नक–V** में दर्शाया गया है।

सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) की प्रतिपूर्ति

2.3.42 केन्द्र सरकार उग्रवाद/विद्रोह से गंभीर रुप से प्रभावित राज्यों हेतु सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) की प्रतिपूर्ति की एक गैर–योजना स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है। इस स्कीम को मिजोरम और सिक्किम को छोड़कर इस क्षेत्र के सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत, इंडिया रिजर्व बटालियनों के गठन, राज्य में तैनात सी पी एफ सेना को प्रदान किए गए संभार तंत्र, उग्रवादी हिंसा के पीड़ितों को अनुग्रह अदायगी एवं निःशुल्क राहत, अभियानों में पीओएल (पेट्रोल, तेल और ल्यूब्रीकैन्ट) पर किए गए खर्च का 75% तथा सुरक्षा उद्देश्य के लिए तैनात ग्रामीण गार्डों/ग्रामीण रक्षा समितियों/होम गार्डों को प्रदान किए गए मानदेय और ऐसे ग्रुपों, जिनके साथ केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों ने कार्रवाइयों को आस्थगित रखने हेतु करार किया है, के लिए स्थापित किए गए निर्धारित शिविरों के अनुरक्षण पर खर्च किए गए व्यय जैसी विभिन्न मदों पर उनके द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है। विगत आठ वर्षों के दौरान एसआरई स्कीम के अन्तर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को जारी सहायता का राज्यवार ब्यौरा **अनुलग्नक–VI** में दिया गया है।

पूर्वोत्तर राज्यों में सिविक कार्रवाई कार्यक्रम

2.3.43 चूंकि कुछ पूर्वोत्तर राज्य विद्रोह और उग्रवाद से प्रभावित हैं, इसलिए विद्रोह का सामना करने के लिए क्षेत्र में सेना और अन्य केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों को तैनात करने की निरंतर आवश्यकता है। स्थानीय जनता को विश्वास में लेने और आम लोगों के बीच सशस्त्र बलों की छवि सुधारने के लिए, सेना और केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल सिविक कार्रवाई कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस कार्यक्रम के तहत, अनेक कल्याणकारी/विकास संबंधी गतिविधियां आरंभ की जाती हैं, जैसे मेडिकल कैंप आयोजित करना, स्वच्छता अभियान, खेल कार्यक्रम, बच्चों को अध्ययन संबंधी सामग्री का वितरण, स्कूल भवनों, सड़कों, पुलों आदि की छोटी–मोटी मरम्मत और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाना आदि। इस कार्यक्रम के लिए जारी की गई निधियों का ब्यौरा **अनुलग्नक–VII** में दिया गया है।

ब्रू प्रवासियों की त्रिपुरा से मिजोरम में वापसी

2.3.44 अक्टूबर, 1997 में मिजोरम के पश्चिमी भाग में जातीय हिंसा के कारण, वर्ष 1997–1998 में उत्तरी त्रिपुरा में बडी संख्या में अल्पसंख्यक ब्रू (रियांग) परिवार प्रवासित हुए। लगभग 30,000 (5,000 परिवार) ब्रू प्रवासियों को उत्तरी त्रिपुरा के कंचनपुर जिले में स्थापित 6 शरणार्थी शिविरों में शरण दी गई थी।

2.3.45 गृह मंत्रालय मिजोरम में ब्रू लोगों के पुनर्वास और उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए वर्ष 2004–05 से मिजोरम सरकार को और त्रिपुरा के राहत शिविरों में शरण प्रदान किए गए ब्रू प्रवासियों के भरण–पोषण के लिए वर्ष 1997–98 से त्रिपुरा सरकार को निम्नलिखित सहायता/अनुदान सहायता प्रदान कर रहा है:

i. प्रत्येक परिवार को आवासीय सहायता : 38,500रु.

ii. प्रत्येक परिवार को नगद सहायता : 41,500रु.

iii. एक वर्ष के लिए प्रत्येक व्यस्क और नाबालिग को मुफ्त राशन।

iv. मिजोरम सरकार द्वारा खर्च की गई परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति।

v. प्रत्येक ब्रू परिवार को कंबल और बर्तन।

2.3.46 मिजोरम के कुछ गैर–सरकारी संगठनों के विरोध के कारण मिजोरम सरकार द्वारा वर्ष 2011 और 2012 में वापसी की प्रक्रिया बाधित/रोकी गई थी। मिजोरम और त्रिपुरा सरकारों को ब्रू लोगों की वापसी के कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए कहा गया था। निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामस्वरुप, छठें बैच में 173 परिवारों की वापसी हुई, जिससे दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार कुल लगभग 1,210 ब्रू परिवारों (लगभग 5,000 लोग) की वापसी हुई है। ब्रू परिवारों की शीघ्र वापसी के मुद्दे की गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर निकटता से निगरानी की जा रही है।

2.3.47 जनहित याचिका सं. 10/2014 के मामले में पारित त्रिपुरा उच्च न्यायालय के दिनांक 06.05.2014 के आदेश के संदर्भ में, गृह मंत्रालय ने त्रिपुरा में ब्रू शरणार्थियों की स्थिति की जांच करने के लिए अपर सचिव (एलडब्ल्यूई) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति ने दिनांक 25.08.2014 से 27.08.2014 तक त्रिपुरा का दौरा किया और त्रिपुरा उच्च

न्यायालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समय यह मामला त्रिपुरा उच्च न्यायालय के समक्ष है और दिनांक 09 फरवरी, 2015 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया गया है। इसके अलावा, भारत के उच्चतम न्यायालय में ब्रू परिवारों की वापसी संबंधी एक जनहित याचिका लंबित है।

2.3.48 ब्रू प्रवासियों के लिए मिजोरम और त्रिपुरा में पुनर्वास योजनाओं (अनुदान सहायता) हेतु जारी व्यय/निधि का राज्य–वार ब्यौरा नीचे दिया गया हैं:.

(करोड़ रु. में)

क्रम सं.	वर्ष	त्रिपुरा राज्य हेतु	मिजोरम राज्य हेतु
1.	2005-06	11.00	00.05
2.	2006-07	10.00	03.22
3.	2007-08	12.00	00.16
4.	2008-09	14.96	01.61
5.	2009-10	31.60	05.00
6.	2010-11	12.50	12.40
7.	2011-12	29.35	शून्य
8.	2012-13	18.63	11.39
9.	2013-14	6.60	5.07
10.	2014-15 (31.12.2014 तक)	20.00	0.30 (किराए की क्षतिपूर्ति हेतु)

पूर्वोत्तर में हेलिकाप्टर सेवा

2.3.49 शेष भारत के साथ दूर–दराज के क्षेत्रों को जोड़ने और इन क्षेत्रों को हवाई सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय की सब्सिडी से योजनेतर स्कीम के तहत छह राज्यों अर्थात अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और मिजोरम में हेलिकाप्टर सेवायें प्रदान की जा रही हैं। सब्सिडी का भाग यात्रियों से प्राप्त की गई राशि का समायोजन करने के बाद परिचालन लागत के 75% तक सीमित है। सब्सिडी सीमित रखने के प्रयोजनार्थ प्रत्येक हेलिकाप्टर के उड़ान घंटों की वार्षिक सीमा निर्धारित की गई है।

2.3.50 छह राज्यों में हेलिकाप्टर सेवायें चलाने के लिए निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है:

राज्य सरकारों द्वारा भारित पट्टे पर लिए गए हेलिकाप्टर	हेलिकाप्टर की किस्म	प्रति वर्ष मंजूर किए गए उड़ान के घंटों की संख्या
त्रिपुरा	डॉफिन दो इंजन	480
अरुणाचल प्रदेश	प्रथम एम आई–172	960
	द्वितीय एम आई–172	1200
	बेल–412 दो इंजन	1300
सिक्किम	बेल–406 एक इंजन/दो इंजन	1200
मेघालय	डॉफिन दो इंजन	720
नागालैंड	डॉफिन/बेल दो इंजन	480
मिजोरम	डॉफिन दो इंजन	960

2.3.51 सब्सिडी को सीमित करने के उद्देश्य से, उपर्युक्त ब्यौरे के अनुसार विभिन्न राज्यों में चल रही हेलिकाप्टर सेवा हेतु उड़ान के घंटों की वार्षिक सीमा निर्धारित की गई है। तथापि, राज्य सरकारों को उड़ान के घंटों की सीमा से अधिक हेलिकाप्टर सेवा को संचालित करने की अनुमति है। गृह मंत्रालय से सब्सिडी को समायोजित करने के पश्चात, हेलिकाप्टर सेवाएं चलाने की शेष लागत को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है।

2.3.52 उपर्युक्त हेलिकाप्टर सेवाओं के अतिरिक्त, गृह मंत्रालय पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा करने वाले वीआईपी और केन्द्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रयोग हेतु गुवाहाटी में स्थापित एक दोहरे इंजन वाले हेलिकाप्टर का संचालन करता है। गृह मंत्रालय द्वारा इस सेवा की लागत का वहन किया जाता है।

2.3.53 पूर्वोत्तर राज्यों में हेलिकाप्टर सेवाओं हेतु व्यय/जारी की गई निधि का वर्ष–वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	वर्ष	व्यय/जारी की गई निधि (करोड रु. में)
1.	2005-06	20.00
2.	2006-07	17.54
3.	2007-08	23.41
4.	2008-09	25.00
5.	2009-10	34.99
6.	2010-11	44.99
7.	2011-12	59.18
8.	2012-13	25.00
9.	2013-14	38.45
10.	2014-15 (31.12.2014 तक)	50.17

विज्ञापन एवं प्रचार

2.3.54 पूर्वोत्तर की विशिष्ट समस्याओं अर्थात उग्रवाद, घुसपैठ और पराया होने की अनुभूति को ध्यान में रखते हुए, गृह मंत्रालय क्षेत्र में शांति के लिए सरकार द्वारा आरंभ की गई गतिविधियों पर विशेष बल देने और यह बताने के उद्देश्य से कि 'शांति से लाभ होता है' पूर्वोत्तर राज्यों में विज्ञापन और प्रचार की एक योजनागत स्कीम का कार्यान्वयन करता है। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर प्रभाग द्वारा अंग्रेजी, असमी, मणिपुरी और बंगाली भाषाओं में पूर्वोत्तर में सरकार की स्कीमों और अन्य विकासात्मक कार्यकलापों की विशिष्टताओं को बताने वाला एक मासिक पूर्वोत्तर न्यूजलेटर प्रकाशित किया जाता है। इस स्कीम के तहत, नेहरु युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस) के तत्वावधान में, पूर्वोत्तर राज्यों के युवाओं के शेष भारत के दौरे और शेष भारत के युवाओं के पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे, पत्रकारों के पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे, रेडियो जिंगल्स आदि के प्रसारण सहित अनेक अन्य पहलें भी की जाती हैं। पूर्वोत्तर न्यूजलेटर वेबसाइट http:mha@nic.in पर उपलब्ध हैं। वित्तीय वर्ष 2013–14 और 2014–15 (31.12.2014 तक) में, इस स्कीम के तहत क्रमशः 2.00 करोड़ रू. और 2.01 करोड़ रू. की राशि खर्च की गई है।

वामपंथी उग्रवादी (एन डब्ल्यू ई) विद्रोह

सिंहावलोकन

2.4.1 कुछ दशकों से भारत के कतिपय भागों में वामपंथी उग्रवादी (एलडब्ल्यूई) विद्रोह विद्यमान रहा है। मुख्य नक्सली गुटों का विलय हो जाने के फलस्वरुप वर्ष 2004 में सीपीआई (माओवादी) दल के गठन के बाद इस समस्या ने गंभीर रुप धारण कर लिया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और बिहार वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित राज्य हैं। एलडब्ल्यूई की समस्या महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के कुछ क्षेत्रों में भी है। वामपंथी उग्रवाद के प्रमुख संगठन भारत के लगभग 10 राज्यों में सक्रिय हैं। सी पी आई (माओवादी) अभी भी सर्वाधिक प्रमुख और हिंसक एलडब्ल्यूई ग्रुप बना हुआ है जिसने हिंसा और हत्या की 80% से अधिक वारदातें कीं। एल.डब्ल्यू.ई. विद्रोह से संबंधित हिंसा का राज्य–वार ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:–

वर्ष 2009 से 2014 तक एल.डब्ल्यू.ई. हिंसा के राज्यवार आंकड़े:

राज्य	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	घटनाएं	मौते	घटनाएं	मौते	घटनाएं	मौते	घटनाएं	मौते	घटनाएं	मौते	घटनाएं	मौते
आंध्र प्रदेश	66	18	100	24	54	9	67	13	36	11	18	4
बिहार	232	72	307	97	316	63	166	44	177	69	163	32
छत्तीसगढ़	529	290	625	343	465	204	370	109	355	111	328	111
झारखंड	742	208	501	157	517	182	480	163	387	152	384	103
मध्य प्रदेश	1	0	7	1	8	0	11	0	1	0	3	0
महाराष्ट्र	154	93	94	45	109	54	134	41	71	19	70	28
ओडिशा	266	67	218	79	192	53	171	45	101	35	103	26
तेलंगाना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	4	14	5
उत्तर प्रदेश	8	2	6	1	1	0	2	0	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	255	158	350	258	92	45	6	0	1	0	0	0
अन्य	5	0	5	0	6	1	8	0	7	0	7	0
कुल	**2258**	**908**	**2213**	**1005**	**1760**	**611**	**1415**	**415**	**1136**	**397**	**1090**	**309**

सी पी आई (माओवादी) पर प्रतिबंध

2.4.2 सी पी आई (माओवादी), जो हिंसा/हत्याओं की सर्वाधिक घटनाओं के लिए जिम्मेदार प्रमुख वामपंथी उग्रवादी संगठन है, को दिनांक 22.06.2009 की अधिसूचना के द्वारा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत इसके सभी गुटों और अग्रणी संगठनों के साथ आतंकवादी संगठनों की अनुसूची में शामिल किया गया है।

वामपंथी उग्रवाद का सामना करने के लिए सरकार की कार्य योजना

2.4.3 वामपंथी उग्रवादी (एलडब्लूई) विद्रोह का सामना करने के लिए सरकार की कार्य योजना सुरक्षा, विकास, स्थानीय समुदायों की हकदारी सुनिश्चित करने और सुशासन को बढ़ावा देने के क्षेत्रों की कमियों को दूर करके साकल्यवादी तरीके से निपटने की है। तदनुसार, सरकार का बल वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा, विकास और अभिशासन की कमियों को दूर करने पर है। इस संबंध में, केन्द्रीभूत ध्यान देने के लिए 10 राज्यों में 106 जिलों की पहचान की गई है।

2.4.4 सरकार की नीति राज्य सरकारों के क्षमता निर्माण को सुकर बनाकर वामपंथी उग्रवादी विद्रोह से प्रभावी ढंग से निपटने की है। तदनुसार, सरकार राज्यों में सुरक्षा के ढांचे को सुदृढ़ करने संबंधी योजनाओं अर्थात् सुरक्षा से संबंधित व्यय योजना, विशेष अवसंरचना योजना, सुरक्षित पुलिस स्टेशनों के निर्माण की योजना आदि का कार्यान्वयन कर रही है। इसके साथ ही विशेष रूप से महत्वपूर्ण स्तर पर, विकास और अभिशासन के मुद्दों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधान मंत्री की ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आश्रम स्कूल, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और सर्व शिक्षा अभियान आदि जैसी विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के तहत राज्यों को निधियां आबंटित की जा रही हैं। इन योजनाओं के कार्यान्वयन की राज्य सरकारों के साथ–साथ केन्द्र सरकार द्वारा भी गहन निगरानी की जाती है। इसके अलावा, सरकार चुने हुए 88 जिलों में लोक अवसंरचना और सेवाओं में विकासात्मक कमी को दूर करने के लिए एकीकृत कार्य योजना (आई ए पी) कार्यान्वित कर रही है, जिसे अब वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) कहा जाता है। सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माध्यम से भारत के वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित 34 जिलों में एक महत्वाकांक्षी सड़क विकास योजना भी कार्यान्वित कर रही है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन, विशेष रूप से व्यक्तियों और समुदायों को हक विलेख आबंटित किए जाने संबंधी प्रावधानों का कार्यान्वयन भी एक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र है।

केन्द्र सरकार द्वारा किए गए विशिष्ट उपाय

2.4.5 'पुलिस' और 'लोकव्यवस्था' चूंकि राज्य के विषय हैं, इसलिए कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के संबंध में कार्रवाई करना मुख्य रुप से संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। केन्द्र सरकार स्थिति की गहन रूप से निगरानी करती है और कई तरीके से एलडब्ल्यूई समस्या से निपटने में उनके प्रयासों को समन्वित और सम्पूरित करती है। इनमें

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी ए पी एफ) तथा कमाण्डो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन (कोबरा) को मुहैया कराना; इण्डिया रिजर्व (आई आर) बटालियनों की स्वीकृति प्रदान करना, विद्रोह–रोधी एवं आतंकवाद–विरोधी (सी आई ए टी) विद्यालयों की स्थापना करना; राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना (एम पी एफ स्कीम) के अन्तर्गत राज्य पुलिस एवं उनके आसूचना तंत्र का आधुनिकीकरण तथा उन्नयन करना; सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) योजना के अन्तर्गत सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति; वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में विशेष अवसंरचना योजना के अन्तर्गत मुख्य अवसंरचनात्मक कमियों को पूरा करना; नक्सल–रोधी अभियानों के लिए हेलिकाप्टर उपलब्ध कराना, रक्षा मंत्रालय, केन्द्रीय पुलिस संगठनों तथा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के माध्यम से राज्य पुलिस के प्रशिक्षण में सहायता करना; आसूचना का आदान–प्रदान करना; अन्तर–राज्यीय समन्वय, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था एवं सिविक कार्रवाई की सुविधा प्रदान करना और विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों की अनेक योजनाओं के माध्यम से विकास कार्य में सहायता प्रदान करना शामिल है। इसका मूल उद्देश्य माओवादी खतरे से समन्वित तरीके से निपटने के लिए राज्य सरकार की क्षमता में वृद्धि करना है।

भारत सरकार के हस्तक्षेप

क) सुरक्षा से संबंधित उपाय

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी ए पी एफ) की तैनाती

2.4.6 आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलगांना, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में राज्य पुलिस की सहायता करने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 93 बटालियनें तैनात हैं। इस संख्या में और वृद्धि होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, सीएपीएफ की 04 बटालियनों को रोघाट क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के लिए छत्तीसगढ़ में तैनाती हेतु रखा गया है।

कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन (कोबरा) बटालियनें

2.4.7 वर्ष 2008–09 से 2010–11 की अवधि के दौरान केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के एक भाग के रुप में कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन (कोबरा) नामक विद्रोह–रोधी और जंगल युद्ध कार्रवाइयों के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित विशेषज्ञ बल की 10 बटालियनों का गठन किया गया है। इन 10 कोबरा बटालियनों में से 9 बटालियनों की तैनाती एलडब्ल्यूई प्रभावित राज्यों में की गई है।

सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) योजना

2.4.8 सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) योजना के अन्तर्गत, केन्द्र सरकार वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 10 राज्यों की सरकारों को वामपंथी उग्रवादी हिंसा में मारे गए सिविलियनों/सुरक्षा कर्मियों के परिवारों को अनुग्रह–भुगतान, पुलिस कार्मिकों के बीमा, सुरक्षा बलों की प्रशिक्षण तथा संचालनात्मक आवश्यकताओं, संबंधित राज्य सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के अनुसार आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी कैडरों को मुआवजा, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, ग्राम रक्षा समितियों के लिए सुरक्षा संबंधी अवसंरचना तथा प्रचार सामग्री के लिए 106 जिलों के सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति करती है। वर्ष 2014–15 के दौरान (दिनांक 31.12.2014 तक), इस स्कीम के अंतर्गत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 10 राज्यों को 207.08 करोड़ रू. की राशि जारी की गई है।

सुरक्षित पुलिस स्टेशनों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण

2.4.9 गृह मंत्रालय, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में 80:20 (केन्द्र अंशदानः राज्य अंशदान) के आधार पर 2.00 करोड़ रूपए प्रति पुलिस स्टेशन की दर से 400 सुरक्षित पुलिस स्टेशनों के निर्माण/उनके सुदृढ़ीकरण में राज्य सरकारों की सहायता करने की एक योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत, वर्ष 2010–11 से 2013–14 के दौरान और चालू वर्ष में अब तक 542.16 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं।

विशेष अवसंरचना संबंधी योजना

2.4.10 वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में विशेष अवसंरचना संबंधी योजना केन्द्र सरकार द्वारा 100 % वित्तपोषण के साथ 11वीं योजना में अनुमोदित की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत, महत्वपूर्ण अवसंरचना संबंधी उन अंतरालों को पूरा करने के लिए वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित सभी 09 राज्यों को निधियां जारी की गई थी, जिन्हें किसी अन्य विद्यमान स्कीमों में शामिल नहीं किया जा सकता। यें अगम्य क्षेत्रों में विद्यमान सड़कों/रास्तों का उन्नयन करके पुलिस/सुरक्षा बलों की आवाजाही की आवश्यकता, दूरस्थ और भीतरी क्षेत्रों में सामरिक स्थानों पर सुरक्षित कैंपिंग ग्राउंड और हेलिपैड उपलब्ध कराने, संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित पुलिस स्टेशनों/चौकियों के संबंध में सुरक्षा को बढ़ाने के उपायों आदि से संबंधित हैं। 11वीं योजना के दौरान दिनांक 31.12.2012 तक इस स्कीम के तहत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 09 राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) को कुल 445.82 करोड़ रू. जारी किए गए थे। दिनांक 02.04.2013 को निम्नलिखित संशोधनों के साथ आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) द्वारा 12वीं योजनावधि के दौरान इस योजना को जारी रखने का अनुमोदन प्रदान किया गया थाः

(i) प्रशिक्षण अवसंरचना, आवासीय अवसंरचना, हथियारों, वाहनों और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के विशेष बलों

के उन्नयन और महत्वपूर्ण अंतरालों को पूरा करने से संबंधित किसी अन्य संबंधित मद के लिए वित्तीय सहायता के नए उद्देश्य को जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य आन्ध्र प्रदेश के ग्रेहाउन्ड्स की सफल पद्धति पर वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के विशेष बलों का उन्नयन करना है।

(ii) केन्द्र सरकार द्वारा 100% वित्तपोषण की पद्धति को 75 (केन्द्र सरकार का अंशदान): 25 (राज्य सरकार का अंशदान) के वित्तपोषण की पद्धति में बदला गया है।

2.4.11 वित्तपोषण का बल अब आन्ध्र प्रदेश और तेलगाना हेतु वित्तपोषण की कम मात्रा के साथ एलडब्ल्यूई से सबसे अधिक प्रभावित 4 राज्यों नामतः बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा के विशेष बलों के उन्नयन/महत्वपूर्ण अंतरालों को पूरा करने पर है। 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्कीम की कुल अनुमोदित लागत 373 करोड़ रूपए (केन्द्र का अंशदान 280 करोड़ रू. और राज्य अंशदान 93 करोड़ रू.) है। दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार योजना के तहत जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्रम सं.	राज्य	जारी की गई निधियां (लाख रु. में)						
		2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15 (31.12.2014 तक)
1	आन्ध्र प्रदेश	589.00	340.00	1751.18	2377.16	शून्य	999.00	700.00
2	बिहार	1605.00	370.00	1739.40	3465.71	शून्य	1505.70	404.29
3	छत्तीसगढ़	2750.00	390.00	2033.76	3040.53	शून्य	1634.09	1655.47
4	झारखंड	2380.00	585.00	2008.10	3561.35	शून्य	1652.33	-
5	मध्य प्रदेश	293.00	-	232.07	747.73	शून्य	-	-
6	महाराष्ट्र	339.92	290.00	879.42	434.25	शून्य	-	-
7	ओडिशा	1177.00	420.00	2035.64	4047.27	शून्य	1622.25	1740.24
8	तेलंगाना	-	-	-	-	शून्य	-	300.00
9	उत्तर प्रदेश	866.00	265.00	1121.83	440.84	शून्य	-	-
10	पश्चिम बंगाल	-	340.00	1198.60	467.17	शून्य	-	-
	कुल	**9999.92**	**3000.00**	**13000.00**	**18582.01**	**शून्य**	**7413.37**	**4800.00**

* वर्ष 2012–13 के दौरान कोई निधि जारी नहीं की गई थी क्योंकि सीसीईए ने दिनांक 02.04.2013 अर्थात वित्तीय वर्ष 2012–13 के समाप्त होने के बाद 12वीं योजना अवधि के लिए एसआईएस को जारी रखना अनुमोदित किया।

इंडिया रिजर्व बटालियन

2.4.12 वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों को मुख्य रूप से राज्य के सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने के साथ–साथ विशेष रूप से नक्सल प्रभावित राज्यों में युवाओं को उपयोगी रोजगार उपलब्ध कराने में राज्यों को सक्षम बनाने के लिए इंडिया रिजर्व बटालियनें (आईआर) मंजूर की गई हैं। नक्सल प्रभावित 10 राज्यों को 37 आईआर बटालियनें मंजूर की गई थीं, जिनमें से 36 बटालियनें स्थापित की जा चुकी हैं। शेष 01 बटालियन को झारखंड में विशिष्ट इंडिया रिजर्व बटालियनों (एसआईआरबी) में परिवर्तित किया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों, बिहार (01), छत्तीसगढ़ (02), झारखंड (01), मध्य प्रदेश (01), ओडिशा (03) और पश्चिम बंगाल (01) में 09 नई एसआईआरबी की स्थापना की मंजूरी प्रदान की है।

विद्रोह–रोधी और आतंकवाद–रोधी (सीआईएटी) स्कूल

2.4.13 11वीं योजना अवधि के दौरान विद्रोह–रोधी और आतंकवाद–रोधी (सीआईएटी) स्कूल स्थापित करने हेतु एक स्कीम अनुमोदित की गई थी जिनमें पुलिस कार्मिकों को आतंकवाद/वामपंथी उग्रवाद का सामना करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत, यह मंत्रालय मुख्य रूप से सीआईएटी स्कूलों की स्थापना करने, उन पर होने वाले आवर्ती व्यय और उपकरण के उन्नयन हेतु निधियां

उपलब्ध कराता है। इन स्कूलों के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकारें सीआईएटी स्कूलों को चलाने के लिए प्रशासनिक सहायता भी उपलब्ध कराएंगी। इस समय 15 सीआईएटी स्कूल वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में स्थापित किए गए हैं ये सभी 15 सीआईएटी स्कूल कार्यरत हैं। सीआईएटी स्कूलों का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

राज्य	सीआईएटी स्कूलों की संख्या
बिहार	03
छत्तीसगढ़	04
झारखंड	04
ओडिशा	03
पश्चिम बंगाल	01
कुल	**15**

2.4.14 12वीं योजना अवधि के दौरान, 03 नए सीआईएटी स्कूलों, महाराष्ट्र, सीमांध्र और तेलंगाना में एक–एक स्कूल की स्थापना हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। चालू वर्ष में ओडिशा को 84.36 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

ख) विकास संबंधी उपाय

2.4.14.1 **महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी:** योजना आयोग, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित संकेन्द्रित जिलों में प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) (http//pcserver.nic.in/lwe) के माध्यम से महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी कर रहा है और वीडियो कान्फरेंसिंग के माध्यम से निम्नलिखित योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा भी कर रहा है:–

(क) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई);

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम);

(ग) आश्रम विद्यालय;

(घ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम(मनरेगा);

(ङ) सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए);

(च) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन आर डी डब्ल्यू पी);

(छ) राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर जी जी वी वाई);

(ज) एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई सी डी एस);

(झ) इंदिरा आवास योजना (आई ए वाई);

(ञ) अनुसूचित जनजातियां और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 ।

2.4.14.2 योजना आयोग ने सार्वजनिक अवसरंचना और सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2010–11 में चुनिन्दा जनजातीय और पिछड़े जिलों के लिए एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) का कार्यान्वयन आरंभ किया था। सरकार ने दिनांक 01.08.2013 को वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) के रूप में आईएपी को जारी रखने का अनुमोदन प्रदान किया है जिसमें वर्ष 2013–14 और 2014–15 के लिए प्रत्येक जिले को 30 करोड़ रू. प्रतिवर्ष के आबंटन सहित 88 जिले शामिल हैं और इसके लिए निधि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) से नहीं ली जाएगी। इस स्कीम के तहत परियोजनाओं/कार्यों को अंतिम रूप देते समय स्थानीय सांसदों से परामर्श किया जाएगा। इस स्कीम के तहत अब तक, जिलों को कुल 9059 करोड़ रू. जारी किए गए हैं (आईएपी के तहत 6,090 करोड़ रु. और एसीए के तहत 2,969 करोड़ रु.), जिसमें से दिनांक 07.01.2015 की स्थिति के अनुसार 7,461.10 करोड़ रू. के व्यय की सूचना मिली है। आरंभ की गई कुल 1,50,584 परियोजनाओं में से, दिनांक 07.01.2015 की स्थिति के अनुसार 1,23,264 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं।

2.4.14.3 विभिन्न विकास संबंधी कार्यक्रमों और महत्वपूर्ण स्कीमों के कार्यान्वयन के संबंध में विद्यमान निर्देशों को रद्द करने अथवा संशोधित करने के लिए केन्द्र सरकार के स्तर पर सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में अधिकारियों के एक अधिकार प्राप्त समूह का गठन किया गया है। प्रभावित राज्यों से भी अपने यहां भी इस प्रकार के अधिकार प्राप्त समूह गठित करने के लिए कहा गया है।

2.4.14.4 सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 34 जिलों में पर्याप्त सम्पर्क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 26.02.2009 को एक सड़क आवश्यकता योजना–I (आरआरपी–I) अनुमोदित की। आरआरपी–I में 7,300 करोड़ रू. की लागत से 5,477 किमी. सड़क को विकसित करने की परिकल्पना की गई है। इसमें से, दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार, कुल 3,299 किमी, सड़क पूर्ण कर ली गई है और 4,374 करोड़ रू. का व्यय किया गया है।

2.4.14.5 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत, आईएपी जिलों के लिए पुलों की अधिकतम लंबाई के मानदंडों को 50 मीटर से बढ़ाकर 75 मीटर और पीएमजीएसवाई के तहत रिहाइशी कवरेज के जनसंख्या संबंधी मानदंडों में ढ़ील देते हुए 500 की जनसंख्या को घटाकर 250 कर दिया गया है।

इसके अलावा, पीएमजीएसवाई के तहत निविदा पैकेज की न्यूनतम राशि घटाकर 50 लाख रूपए कर दी गई है।

2.4.14.6 जनजातीय उप–योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों के साथ–साथ अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास स्थापित करने हेतु वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के लिए 100% अनुदान के आधार पर (50:50 के अनुपात की तुलना में) निधियों का प्रावधान अनुमोदित किया गया है।

2.4.14.7 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने स्कूल, डिस्पेंसरी/अस्पताल, विद्युत और दूर संचार लाइनों, पेय जल, जल/वर्षा के जल संचयन के ढांचों, लघु सिंचाई नहर, ऊर्जा के गैर–पंरपरागत स्रोतों, कौशल उन्नयन/व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, पावर सब–स्टेशनों, सभी प्रकार की सड़कों और सार्वजनिक सड़कों के निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्रियों के खनन, मेडिकल कालेज स्थापित करने, संचार पोस्ट जैसे क्रियाकलापों और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस स्टेशनों/आउट पोस्टों/सीमा चौकियों/निगरानी टावरों जैसी पुलिस स्थापनाओं और ऑप्टिकल फाइबर केबल, टेलीफोन लाइन तथा पेयजल आपूर्ति की लाइनें बिछाने के लिए वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में 1.00 हेक्टेयर से 5.00 हेक्टेयर वन भूमि के विपथन (डायवर्सन) के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत सामान्य अनुमोदन प्रदान किया है। ऐसी परियोजनाओं में शामिल वन भूमि के निरपेक्ष सरकारी विभागों द्वारा दो लेन की सार्वजनिक सड़कों के निर्माण हेतु संरक्षित क्षेत्र में न आने वाली वन भूम के विपथन में शामिल योजनाओं को सामान्य अनुमोदन प्रदान किया गया है।

2.4.14.8 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने यह भी निर्णय लिया है कि उक्त सामान्य अनुमोदन के अनुसरण में जिस वन भूमि का विपथन किया गया है उसके बदले प्रतिपूरक वृक्षारोपण पर जोर नहीं दिया जाएगा।

2.4.14.9 इंदिरा आवास योजना (आई ए वाई) के अंतर्गत, दिनांक 01.04.2013 से पहाड़ी/कठिन क्षेत्रों और आईएपी जिलों में नए निर्माण हेतु यूनिट सहायता 48,500 रूपए से बढ़ाकर 75,000 रूपए कर दी गई है।

2.4.14.10 पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (पीईएसए) और अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 के उपबंधों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से बार–बार कहा जाता रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत वन अधिकारों को शीघ्र मान्यता देने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दिनांक 12.07.2012 को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं और साथ ही अनुसूचित जनजाति और अन्य पंरपरागत वन वासी (वन अधिकारों को मान्यता) नियम, 2008 को सुदृढ़ बनाने के लिए दिनांक 06.09.2012 को इनमें संशोधन किया है। दिनांक 30.11.2014 की स्थिति के अनुसार दावों का राज्य–वार निपटान निम्नानुसार हैं:

राज्य	दावे	संवितरित अधिकार–पत्र	रद्द किए गए दावे	निपटाए गए दावों की कुल संख्या	दावों के निपटान की प्रतिशत
आंध्र प्रदेश	4,11,012	1,69,370	1,65,466	3,34,836	(81.46%)
बिहार	2,930	28	1,644	1,672	(57.06%)
छत्तीसगढ़	8,17,809	3,36,590	4,60,023	7,96,613	(97.40%)
झारखंड	42,003	15,296	16,958	32,254	(76.78%)
महाराष्ट्र	3,49,543	1,45,752	2,73,345	4, 19,097	(119.89%)
मध्य प्रदेश	5,92,221	1,96,969	2,96,261	4,93,230	(83.28%)
ओडिशा	6,08,476	3,42,818	1,45,526	4,88,344	(80.25%)
उत्तर प्रदेश	93,635	18,488	74,583	93,071	(99.39%)
पश्चिम बंगाल	1,40,309	33,838	--	33,838	(24.11%)
कुल	**30,57,938**	**12,59,149**	**14,33,806**	**26,92,955**	**88.06%**

2.4.14.11 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी आर जी एफ) के तहत और निधियां जारी किए जाने के लिए निधियों के 80% उपयोग की सीमा में संशोधन करके उसे 60% कर दिया गया है। बी आर जी एफ के तहत राज्य से स्थानीय निकायों को त्वरित निधियां जारी करना सुनिश्चित करने के लिए इसमें अपेक्षित बदलाव किया गया है। बी आर जी एफ के तहत जिला योजनाओं को अनुमोदित करने के लिए जिला योजना समिति को भी शक्ति प्रदान की गई है और उच्चाधिकार प्राप्त समिति

(एच पी सी) निगरानी समिति के रूप में कार्य करेगी और विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगी।

सिविक कार्रवाई कार्यक्रम

2.4.15 इस योजना के तहत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सिविक कार्रवाई कार्यक्रम (सीएपी) शुरु करने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी ए पी एफ) को वित्तीय अनुदान मंजूर किया जाता है। यह एक सफल योजना है, जिसका उद्देश्य स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों के बीच संबंध स्थापित करना है। सीएपी के तहत, सुरक्षा बलों का मानवीय चेहरा दिखाने का प्रयास किया जाता है, ताकि वे लोगों का दिल और दिमाग जीत सकें। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, सीएपी के तहत 19.30 करोड़ रू. आबंटित किए गए हैं, जिसमें से दिनांक 31.12.2014 तक सीएपीएफ को 17.65 करोड़ रू. जारी किए गए हैं।

2.4.15.1 सिविक कार्रवाई कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षा बलों द्वारा निम्नलिखित क्रियाकलाप/कार्य किए जाते हैं:

(i) स्वास्थ्य, चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन करना, मौजूदा अस्पतालों/नर्सिंग होम और सीएपीएफ द्वारा आयोजित चिकित्सा शिविरों के लिए चिकित्सा उपकरणों तथा भंडार आदि उपलब्ध कराना, रोगियों को दवाइयां वितरित करना और लैब के जांच की लागत का वहन करना, मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में मच्छरदानियों का वितरण करना और उपचार के लिए अत्यधिक बीमार लोगों/गर्भवती स्त्रियों को इकट्ठा कर नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र/चिकित्सा सुविधा केन्द्र तक पहुंचाना।

(ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण (भर्ती–पूर्व प्रशिक्षण सहित कौशल विकास) प्रदान करने के कार्य को शामिल करने के लिए मानव संसाधन विकास, कैरियर परामर्श, कोचिंग आदि का आयोजन, स्कूल के छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना।

(iii) ग्रामीणों के लिए सहकारी कृषि/पौधा–रोपण को बढ़ावा देते हुए अच्छी गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक, फलदायी पौधे उपलब्ध करवाना और सुअर पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन आदि के लिए सहकारी फार्मों को विकसित करने में सहायता प्रदान करना।

(iv) विस्तारीकरण सेवाओं और सामाजिक शिक्षा के माध्यम से स्वच्छता एवं स्वास्थ्य विज्ञान।

(v) पेयजल की सुलभ उपलब्धता के लिए हैंड पंप लगाना एवं पानी की टंकियां उपलब्ध करवाना।

(vi) सौर लैम्पों आदि के प्रावधान सहित गैर–पंरपरागत ऊर्जा के स्रोतों का विकास करना।

(vii) हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना।

(viii) प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता प्रदान करना, हवा/वर्षा, बाढ़ आदि द्वारा प्रभावित अत्यधिक गरीब, वृद्ध, विकलांग व्यक्तियों को छप्पर आदि की मरम्मत के लिए आंशिक सहायता प्रदान करना।

(ix) जल संचयन के ढांचे।

(x) खेल–कूद की सुविधाएं विकसित करना और बच्चों तथा युवाओं के लिए खेल से संबंधित सामग्री उपलब्ध करवाना और खेल प्रतियोगिताओं का संचालन करना।

(xi) ट्रांजिस्टर प्रदान करना।

(xii) गरीब व्यक्तियों, बच्चों, वृद्ध एवं विकलांग व्यक्तियों को वस्त्र और कंबल प्रदान करना।

(xiii) भारत के स्वतंत्रता संग्राम; भारत के महान नेताओं, भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति; भारत के इतिहास; धर्मनिरपेक्षता; सामाजिक बुराइयां – दहेज, बाल विवाह; बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल/स्वच्छता; कृषि– बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि के उपयोग से संबंधित फिल्मों की स्क्रीनिंग! गरीब परिवारों को एलुयूमिनियम के बर्तन, चाकू आदि प्रदान करना।

मीडिया योजना

2.4.16 सुरक्षा और विकास के मुद्दों के बारे में लोगों को सरकार के दृष्टिकोण की जानकारी देने के लिए सरकार के पास एक प्रभावी मीडिया योजना का होना आवश्यक है। सरकार की सामाजिक–आर्थिक विकास संबंधी स्कीमों, उनके अधिकारों और कानूनी हकों के विषय में लक्षित आबादी के बीच जागरुकता पैदा करने में मीडिया एक प्रभावशाली माध्यम साबित हुआ है। मीडिया ने लोगों को वामपंथी उग्रवाद की गतिविधियों के बारे में यह बताने में मदद की है कि वामपंथी उग्रवादी हिंसा सरकार की स्कीमों, नीतियों और पहलों के कार्यान्वयन को किस प्रकार रोक रही है। मीडिया योजनाओं के तहत आकाशवाणी पर ऑडियो स्पॉट का प्रसारण, गीत और नाटक प्रभाग के माध्यम से विकास के मामलों पर कार्यक्रम की प्रस्तुति, नेहरु युवा केन्द्र संगठन के माध्यम से जनजातीय युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम आयोजित करने आदि जैसे कार्यकलाप किए गए हैं। गृह मंत्री के अनुमोदन से मीडिया दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान, 5.00 करोड़ रू. आबंटित किए गए हैं, जिसमें से अब तक आकाशवाणी के माध्यम से जिंगल्स के प्रसारण, श्रव्य दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) के माध्यम से लघु फिल्मों के निर्माण और दस स्थानों पर 7वें जनजातीय युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम के आयोजन पर 4.71 करोड़ रु. का व्यय किए गए हैं।

समर्पण और पुनर्वास नीति

2.4.17 भारत सरकार ने प्रभावित राज्यों में वामपंथी उग्रवादियों के आत्मसमर्पण–सह–पुनर्वास स्कीम के लिए संशोधित दिशा–निर्देश जारी किया है, जो दिनांक 01.04.2013 से प्रभावी है। संशोधित नीति में पुनर्वास पैकेज में, अन्य बातों के साथ–साथ, उच्च स्तर के एलडब्लूई कैडरों के लिए 2.5 लाख रू. और मध्यम/निचले स्तर के एलडब्लूई कैडरों के आत्मसमर्पणकर्ताओं के लिए 1.5 लाख रू. का तत्काल अनुदान शामिल है, जिसे उनके नाम से सावधि जमा के रूप में रखा जाएगा और इसे उनके अच्छे व्यवहार की शर्त पर 3 वर्ष पूर्ण होने के बाद निकाला जा सकता है। उन्हें उनकी पसंद के व्यापार/व्यवसाय में प्रशिक्षित भी किया जाएगा और उन्हें तीन वर्षों के लिए 4000 रू. का मासिक वज़ीफा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, स्कीम के तहत हथियारों/गोलाबारुद का समर्पण करने के लिए प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराए जाते हैं। भारत सरकार, एसआरई स्कीम के तहत इस नीति में आत्मसमर्पणकर्ताओं के पुनर्वास पर वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों द्वारा वहन किए गए व्यय की 100 % प्रतिपूर्ति करती है।

2.4.18 वर्ष के दौरान निम्नलिखित बैठकें/समीक्षाएं आदि आयोजित की गईं:

(i) केन्द्रीय गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ के सुरक्षा और विकास संबंधी मामलों पर विचार–विमर्श करने के लिए दिनांक 09.06.2014 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक की।

(ii) देश में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति की समीक्षा करने के लिए दिनांक 27.06.2014 को केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित सभी राज्यों के मुख्य सचिवों/पुलिस महानिदेशकों और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के महानिदेशकों (डीजी) की एक बैठक आयोजित की गई।

(iii) छत्तीसगढ़ में सीएपीएफ की 10 अतिरिक्त बटालियनों की तैनाती पर विचार–विमर्श करने के लिए दिनांक 15.07.2014 को केन्द्रीय गृह सचिव ने सीएपीएफ और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की।

(iv) केन्द्रीय गृह सचिव ने दिनांक 18.07.2014 को रोघाट खनन परियोजना और दल्लीराजाहारा से रोघाट के बीच रेल लाइन के निर्माण पर सभी स्टेकहोल्डरों के साथ एक बैठक की।

(v) केन्द्रीय गृह सचिव ने दिनांक 28.08.2014 को छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति की समीक्षा करने के लिए छत्तीसगढ़, सीएपीएफ और आसूचना ब्यूरो के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की।

(vi) छत्तीसगढ़ में सीएपीएफ की 10 बटालियनों की तैनाती को अंतिम रुप देने और महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले में सीआरपीएफ की 05 बटालियनों के स्थान पर आईटीबीपी की 05 बटालियनों की तैनाती पर भी विचार करने के लिए दिनांक 26.09.2014 को विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई।

(vii) अपर सचिव (एलडब्ल्यूई) ने दिनांक 22.08.2014 को वामपंथी उग्रवाद से संबंधित आपरेशनल मुद्दों की समीक्षा करने के लिए वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 10 राज्यों के नोडल अधिकारियों (नक्सली मामले) के साथ एक बैठक आयोजित की।

(viii) बिहार के वामपंथी उग्रवाद के मुद्दों की समीक्षा करने के लिए दिनांक 16.09.2014 को अपर सचिव (एलडब्ल्यूई) की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई।

निष्कर्ष

2.4.19 भारत सरकार का मानना है कि विकास और सुरक्षा संबंधी उपायों के संयोजन से एलडब्लूई समस्या को सफलतापूर्वक सुलझाया जा सकता है। तथापि, यह स्पष्ट है कि माओवादी विकास की कमी जैसे मूल कारणों का सार्थक हल नहीं होने देना चाहते, क्योंकि वे बड़े पैमाने पर स्कूल भवनों, सड़कों, रेल, पुलों, स्वास्थ्य अवसंरचना, संचार सुविधाओं आदि को नष्ट करने के लिए उन्हें अपना निशाना बनाते हैं। वे अपनी पुरानी विचारधारा को कायम रखने के लिए अपने प्रभाव क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हाशिए पर रखना चाहते हैं। इसके परिणामस्वरूप, देश के एलडब्लूई प्रभाव वाले अनेक भागों में दशकों से विकास की प्रक्रिया थम गई है। माओवादियों पर हिंसा त्यागने, मुख्य धारा में शामिल होने और इस तथ्य को स्वीकर करने का दबाव बनाने कि 21वीं सदी की सामाजिक–आर्थिक तथा राजनैतिक विचारधारा और आकांक्षाएं माओवादी विचारधारा से काफी अलग हैं, सिविल समाज और मीडिया को इस तथ्य को स्वीकार करने की जरुरत है। सरकार ऊपर बताए गए रणनीतिक विजन के माध्यम से एलडब्लूई की समस्या को समाप्त करने के प्रति आशावादी है। यह उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा आरंभ किए गए उपायों के कारण पिछले तीन वर्षों अर्थात 2011, 2012 और 2013 में वामपंथी उग्रवादी हिंसा में काफी कमी आई है। सरकार के बहुआयामी प्रयासों के धीरे–धीरे सकारात्मक प्रभाव और परिणाम दिखाई दे रहे हैं।

आतंकवादी, साम्प्रदायिक और वामपंथी उग्रवादी हिंसा के पीड़ित नागरिकों/पीडितों के परिवारों को सहायता देने की केन्द्रीय योजना

2.4.20 भारत सरकार आतंकवादी, साम्प्रदायिक और वामपंथी उग्रवादी हिंसा के पीड़ित नागरिकों के परिवारों के

भरण–पोषण और रख–रखाव के लिए एक योजना का कार्यान्वयन कर रही है, जिसे आतंकवादी/साम्प्रदायिक/वामपंथी उग्रवादी हिंसा के पीड़ित नागरिकों को केन्द्रीय सहायता का नाम दिया गया है। इस योजना के तहत, पीड़ितों/पीड़ित के निकटतम संबंधी (एनओके) को 3 लाख रू. की राशि दी जाती है, बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा पीड़ितों के परिवार के किसी भी सदस्य को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया हो। 3 लाख रू. की यह राशि तीन वर्षों की अवधि के लिए सावधी जमा के रूप में दी जाती है, जिसका तिमाही ब्याज लाभार्थी के बचत खाते में जमा किया जाता है। इस योजना के तहत वामपंथी उग्रवादी हिंसा के लाभार्थियों को दी गई सहायता सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) स्कीम के अंतर्गत दिए गए एक लाख रू. के अनुग्रह भुगतान के अतिरिक्त है।

2.4.21 केन्द्रीय सहायता योजना के दिशानिर्देशों को जून, 2012 में संशोधित किया गया था। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, आतंकी हिंसा के पीड़ितों/पीड़ितों के निकटतम संबंधी को सहायता का भुगतान जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त द्वारा तुरंत किया जाएगा और इसके पश्चात, राज्य सरकार अर्ध–वार्षिक आधार पर (दिनांक 31 दिसम्बर और 30 जून तक) प्रतिपूर्ति हेतु गृह मंत्रालय (एमएचए) को प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। केन्द्र सरकार प्रतिपूर्ति के 70% का तुरंत भुगतान करेगी और शेष 30% का भुगतान गृह मंत्रालय के आंतरिक लेखा परीक्षा विंग से लेखापरीक्षा की सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर किया जाएगा।

2.4.22 वर्ष 2014–15 के दौरान दिनांक 31.12.2014 तक गृह मंत्रालय ने 63 लाख रू. जारी किए हैं। आतंकवादी/सांप्रदायिक/वामपंथी उग्रवादी हिंसा के पीड़ित नागरिकों को सहायता की केन्द्रीय योजना के नए दिशा–निर्देशों के कार्यान्वयन में शामिल मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए दिनांक 16.07.2014 को एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में 15 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। राज्यों को योजना के तहत सहायता की प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्ताव भेजने के लिए पुनः अनुस्मरण कराया गया।

हथियार और गोला–बारुद

2.4.23 गृह मंत्रालय हथियार नियंत्रण नीति का पक्षधर है। तदनुसार, उचित मामलों में हथियार रखने के लिए कानून का पालन करने वाले नागरिकों की सहायता करने के लिए, यह मंत्रालय हथियार नियम, 1962 में उल्लिखित प्रत्येक लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली हथियार लाइसेंस जारी करने की सरल प्रक्रिया सुनिश्चित करता है।

2.4.24 समीक्षाधीन अवधि के दौरान विभिन्न श्रेणी के खिलाड़ियों द्वारा रखे जाने हेतु पात्र हथियारों के कोटे की समीक्षा की गई थी और तदनुसार, आयुध अधिनियम, 1959 के संबंधित प्रावधानों के तहत राजपत्र अधिसूचना एस.ओ. 1988(ई) प्रकाशित की गई है।

आतंरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु संस्थाएं/उपाय

2.5.1 **मल्टी एजेंसी सेंटर (एमएसी)**: मल्टी एजेंसी सेंटर का गठन आतंकवाद और उग्रवाद से संबंधित आसूचना का मिलान, विश्लेषण और प्रसार करने के लिए एक समेकित प्रणाली विकसित करने हेतु किया गया था। सहायक मल्टी ऐंसी सेंटर (एसएमएसी) राज्य स्तर पर इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर स्थापित किया गया था। इस समय, मल्टी एजेंसी सेंटर की कनेक्टिविटी को आसूचना के तत्काल आदान–प्रदान के लिए केन्द्र सरकार के स्तर पर सभी प्रयोक्ता एजेंसियों तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा, कुल 429 एसएमएसी स्थलों की पहचान की गई है, जिनमें से 374 स्थल कार्यशील हो गए हैं। कनेक्टिविटी को जिला स्तर तक बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। तदनुसार, एमएसी प्रणाली की समग्र संरचना में जिला स्तरीय कनेक्टिविटी के लिए कुल 474 स्थलों की पहचान की गई है। केन्द्र और राज्य एजेंसियों के बीच आसूचना के इस अबाधित आदान–प्रदान से आसूचना साझा करने में काफी सुधार हुआ है और इसके परिणामस्वरुप बड़ी संख्या में आतंकवादी मॉडयूलों का पता लगाया और आतंकवादियों को पकड़ा गया है।

राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (नेटग्रिड)

2.5.2 नेटग्रिड की कल्पना देश में सगठनों के विभिन्न संबंधित डाटाबेसों में उपलब्ध आंकड़ों का संग्रहण करने हेतु एक ढांचे के रुप में की गई है। यह एक नवीनतम प्रौद्योगिकी माध्यम है जिससे देश की आतंक–रोधी अवसंरचना सुदृढ़ होगी। सरकार ने नेटग्रिड के संचालन हेतु डीपीआर को अनुमोदित किया है। नेटग्रिड परियोजना के मुख्य तत्वों के कार्यान्वयन हेतु कुल 1,002.97 करोड़ रु. का प्रस्ताव है। सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने दिनांक 13.03.2014 को आयोजित अपनी बैठक में परियोजना की अवधि को दिनांक 30.06.2016 तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा, अंधेरिया मोड़, नई दिल्ली में डाटा सेंटर (डीसी) और बिजनेंस कंटीन्यूटी प्लानिंग (बीसीपी) सहित नेटग्रिड सुविधाओं के निर्माण हेतु 346.05 करोड़ रु. की धनराशि मंजूर की गई है। बेंगलुरु में एक डाटा आपदा रिकवरी सेंटर भी मंजूर किया गया है। बेंगलुरु में निर्माण कार्य आरंभ हो गया है। इस परियोजना के लिए कुशाग्रबुद्धि वाले भारतीयों को आकर्षित करने के लिए, वित्त मंत्रालय ने नियमित आधार पर 81 नए पदों और संविदागत आधार पर 122 पदों के सृजन का अनुमोदन प्रदान किया है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए)

2.5.3 राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) का गठन एनआईए अधिनियम, 2008 के तहत केन्द्रीय आतंकवाद–रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रुप में किया गया था। एनआईए को इसकी अनुसूची में उल्लिखित अपराधों की जांच करने और अभियोजन

चलाने का अधिदेश प्राप्त है। एनआईए का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके शाखा कार्यालय हैदराबाद, गुवाहाटी, मुम्बई, लखनऊ और कोच्चि में स्थित हैं। एनआईए की स्वीकृत नफरी में 816 अधिकारी हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 38 एनआईए विशेष अदालतें भी गठित की गई हैं। एनआईए ने अपने गठन से अब तक 89 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें से 63 मामलों में आरोप–पत्र दाखिल किए गए हैं। अब तक, 12 मामलों में विचारण पूर्ण किया गया है और 29 आरोपियों को दोषसिद्ध किया गया है।

आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने (सीएफटी) संबंधी सेल

2.5.4 गृह मंत्रालय में आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने संबंधी सेल (सीएफटी सेल) आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने (सीएफटी) और जाली भारतीय करेंसी नोट (एफआईसीएन) से संबंधित नीतिगत मामलों को देखता है।

2.5.5 विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के अंतर्गत, केन्द्र सरकार को आतंकवाद में शामिल होने के संदिग्ध अथवा शामिल किसी व्यक्ति के निर्देश पर अथवा उस व्यक्ति की ओर से रखी गई निधियों और अन्य वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों पर रोक लगाने, जब्त करने अथवा कुर्क करने की शक्ति प्राप्त है। वर्ष 2009 से, विश्वसनीय सूचनाओं के आधार पर, गृह मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी ने कुल 55 संदिग्ध आतंकवादी वित्तपोषण खातों पर रोक लगाई है।

2.5.6 देश के भीतर जाली भारतीय करेंसी नोटों के परिचालन के खतरे से निपटने के लिए राज्यों/केन्द्र की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच आसूचना/सूचना के आदान–प्रदान के लिए गृह मंत्रालय में एक एफआईसीएन समन्वय समूह (एफसीओआरडी) का गठन किया गया है।

2.5.7 इसके अलावा, एक आतंकी वित्तपोषण एवं जाली करेंसी सेल (टीएफएफसी) राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के अंतर्गत कार्य कर रहा है। एनआईए द्वारा जांच किए गए एफआईसीएन के एक मामले में, एनआईए अधिनियम, 2008 के अंतर्गत स्थापित विशेष अदालत ने टिप्पणी की है कि भारत में एफआईसीएन के परिचालन में पड़ोसी संप्रभु राष्ट्र शामिल है जिसका एकमात्र उद्देश्य और इरादा इस देश की एकता, अखंडता, आर्थिक सुरक्षा और संप्रभुता को नष्ट करना और इन्हें चुनौती देना तथा लोगों में आतंक उत्पन्न करना है।

2.5.8 वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) वर्ष 1989 में स्थापित एक स्वतंत्र अंतर–सरकारी निकाय है, जो धन शोधन, आतंकवाद के वित्तपोषण और विध्वंस्क हथियारों के वित्तपोषण के खिलाफ वैश्विक वित्तीय प्रणाली की रक्षा करने के लिए नीतियां बनाता है और उन्हें बढ़ावा देता है। एफएटीएफ ने फरवरी, 2012 में ''धनशोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण एवं प्रसार को रोकने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय मानक'' नामक 40 सिफारिशें जारी की थीं। भारत जून, 2010 में एफएटीएफ का सदस्य बना, जो भारत द्वारा एक व्यापक और चुनौतीपूर्ण कार्य योजना का अनुपालन करने के अध्यधीन था। भारत ने दी गई समय–सीमा में सभी कार्य योजना मदों को पूरा किया। एफएटीएफ प्रतिवर्ष फरवरी, जून और अक्टूबर में प्लेनरी और कार्यकारी दल की बैठकें आयोजित करता है। आतंकवाद के वित्त–पोषण को रोकने से संबंधित मुद्दों को रेखांकित करने के लिए गृह मंत्रालय का एक प्रतिनिधि बैठकों में भाग लेता है।

सिख जत्थे का पाकिस्तान का दौरा

2.5.9 दिनांक 14.09.1974 को भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित धार्मिक श्राइनों का दौरा करने संबंधी प्रोटोकाल के अनुसार, सिख जत्थे बैशाखी, गुरु अर्जुन देवजी शहीदी दिवस, महाराजा रणजीतसिंह की पुण्यतिथि और गुरु नानक देवजी के जन्मदिवस के चार अवसरों पर पाकिस्तान में नौ गुरुद्वारों (श्राइनों) का दौरा करते हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान, उक्त अवसरों पर लगभग 3,773 तीर्थ यात्रियों ने पाकिस्तान का दौरा किया।

गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (जी टी ए)

2.6.1 गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन (जी टी ए) नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना करने के लिए, दिनांक 18.07.2011 को भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और गोरखा जन मुक्ति मोर्चा (जी जे एम) के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे जो इस क्षेत्र के प्रशासन का कार्य देखेगा ताकि सामाजिक–आर्थिक, अवसंरचनात्मक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और भाषाई विकास तीव्र हो, जिससे क्षेत्र की जनता का सम्पूर्ण विकास होगा। दिनांक 03.08.2012 को जी टी ए का गठन किए जाने के बाद, राज्य सरकार द्वारा दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल अधिनियम, 1988 निरस्त कर दिया गया है।

2.6.2 करार के खंड 14 के अनुसार, भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार क्षेत्र के समग्र विकास के लिए जी टी ए को हर संभव सहायता प्रदान करेंगी। भारत सरकार, पश्चिम बंगाल राज्य को सामान्य योजना सहायता के अतिरिक्त जी टी ए में सामाजिक–आर्थिक अवसंरचना का विकास करने के लिए परियोजनाओं के वास्ते 3 वर्ष के लिए 200 करोड़ रूपए प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस संबंध में, जी टी ए को अब तक 315 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं जिसने आज की तारीख तक 117.32 करोड़ रु. खर्च किए हैं। जैसे ही जीटीए द्वारा अपेक्षित उपयोग प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जाएगा, बिना देरी किए अगली किस्त जारी की जाएगी।

सुरक्षा

अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों (वी आई पी) की सुरक्षा

2.7.1 अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में उनकी सार्वजनिक हैसियत की वजह से हमेशा खतरा बना रहता है, जो राष्ट्रीय अभिशासन पर इसके संभावित प्रभाव के लिए गंभीर चिंताएं पैदा करता है। आतंकवादी/उग्रवादी समूहों से समय के साथ–साथ खतरा बढ़ता रहा है, जिसके फलस्वरूप अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों और अति विशिष्ट हस्तियों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराना अनिवार्य हो गया है। चूंकि वी आई पी की सुरक्षा को खतरा एक हमेशा बढ़ते रहने वाला कारक है, इसलिए गृह मंत्रालय द्वारा समय–समय पर सुरक्षा की समीक्षा की जाती है। आतंकवादियों और उग्रवादियों के मंसूबों को प्रभावकारी रूप से विफल करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा सुरक्षा व्यवस्थाओं का आकलन किया जाता है, ताकि देश में लोक व्यवस्था और शान्ति कायम रखी जा सके।

2.7.2 राज्य सरकारों को भी सतत रूप से वी आई पी सुरक्षा और उनके आवागमन से संबंधित सुरक्षा मुद्दों के बारे में गृह मंत्रालय द्वारा आगाह किया जाता है। इस संबंध में, उन्हें समय–समय पर परामर्शी–पत्र भेजे जाते हैं। वी आई पी सुरक्षा ड्यूटियों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एन एस जी), सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ), भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आई टी बी पी) और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी आई एस एफ) के प्रशिक्षण संस्थानों में पुलिस कमाण्डो के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

2.7.3 मई, 2001 में मंत्रियों के समूह (जी ओ एम) ने यह सिफारिश की थी कि वी आई पी सुरक्षा के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी आई एस एफ) में एक विशेष सुरक्षा ग्रुप (एस एस जी) का सृजन किया जाए। तदनुसार, दिनांक 17.11.2006 को सीआईएसएफ में एसएसजी यूनिट अस्तित्व में आई। तदनुसार, सी आई एस एफ अपने कार्मिकों को अत्यधिक खतरे वाली विशिष्ट हस्तियों/व्यक्तियों की शारीरिक सुरक्षा, सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को बचाकर निकालने तथा सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को स्थानिक एवं सचल सुरक्षा प्रदान करने के प्रयोजनार्थ प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

विमानपत्तन सुरक्षा/मेट्रो सुरक्षा

2.7.4 संयुक्त राज्य अमेरिका (यू एस ए) में 11.09.2001 को हुए हमले के पश्चात, वर्तमान में विमानन क्षेत्र की सुरक्षा पर विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है। इसलिए, किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए आधुनिक सुरक्षा उपकरणों की अधिप्राप्ति और हवाई अड्डों पर सी आई एस एफ के सुरक्षा कार्मिकों की तैनाती बढ़ाने पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है।

2.7.5 इसके अलावा, नागर विमानन मंत्रालय, आसूचना ब्यूरो, सी आई एस एफ और अन्यों के साथ परामर्श करके किसी भी तरह की आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए आपात योजनाएं भी तैयार की गई हैं। इनके अतिरिक्त, उनके लिए मौजूदा खतरे की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए देश में सभी नागर विमानपत्तनों पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के बारे में समय–समय पर परामर्शी–पत्र भी जारी किए जाते हैं।

2.7.6 जहां तक देश में मेट्रो रेलवे को सुरक्षा प्रदान करने का संबंध है, कोलकाता मेट्रो को कोलकाता पुलिस के साथ–साथ रेलवे पुलिस बल द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। दिल्ली मेट्रो के लिए सी आई एस एफ द्वारा सुरक्षा मुहैया करायी जाती है और समय–समय पर इसकी समीक्षा की जाती है।

महत्वपूर्ण स्थापनाओं की सुरक्षा

2.7.7 देश में महत्वपूर्ण स्थापनाओं की सुरक्षा, मूल रूप से संबंधित मंत्रालय/विभाग/राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तथापि, गृह मंत्रालय, केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई मौजूदा सुरक्षा व्यवस्थाओं की आवधिक समीक्षा के आधार पर उन्हें विभिन्न स्थापनाओं की सुरक्षा संबंधी आवश्यकता के बारे में समय–समय पर सलाह देता है। इसके अलावा, महत्वपूर्ण स्थापनाओं के बारे में केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों से प्राप्त खतरे संबंधी सूचनाओं का संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/मंत्रालयों के साथ तत्काल आदान–प्रदान किया जाता है। संबंधित संगठनों/मंत्रालयों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, कुछ महत्वपूर्ण स्थापनाओं की सुरक्षा के लिए सीएपीएफ को भी तैनात किया जाता है।

2.7.8 खतरे की संभावनाओं और संवदेनशीलता के आधार पर, केन्द्रीय आसूचना एजेंसियां, ऐसे संयंत्रों/स्थापनाओं को पर्याप्त सुरक्षोपाय मुहैया कराने हेतु उन्हें क, ख और ग श्रेणी में वर्गीकृत करती हैं। सुरक्षा पहलुओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने और अद्यतन करने के लिए इन स्थापनाओं की आवधिक सुरक्षा समीक्षा भी की जाती है।

धार्मिक श्राइनों/स्थलों की सुरक्षा

2.7.9 देश में धार्मिक श्राइनों/स्थलों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का है। तथापि, श्राइनों/स्थलों के संबंध में किसी विशिष्ट खतरे की सूचना प्राप्त होने पर गृह मंत्रालय द्वारा संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऐसी धार्मिक श्राइनों/स्थलों की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक परामर्शी–पत्र जारी किए जाते हैं।

*****

अध्याय 3

सीमा प्रबंधन

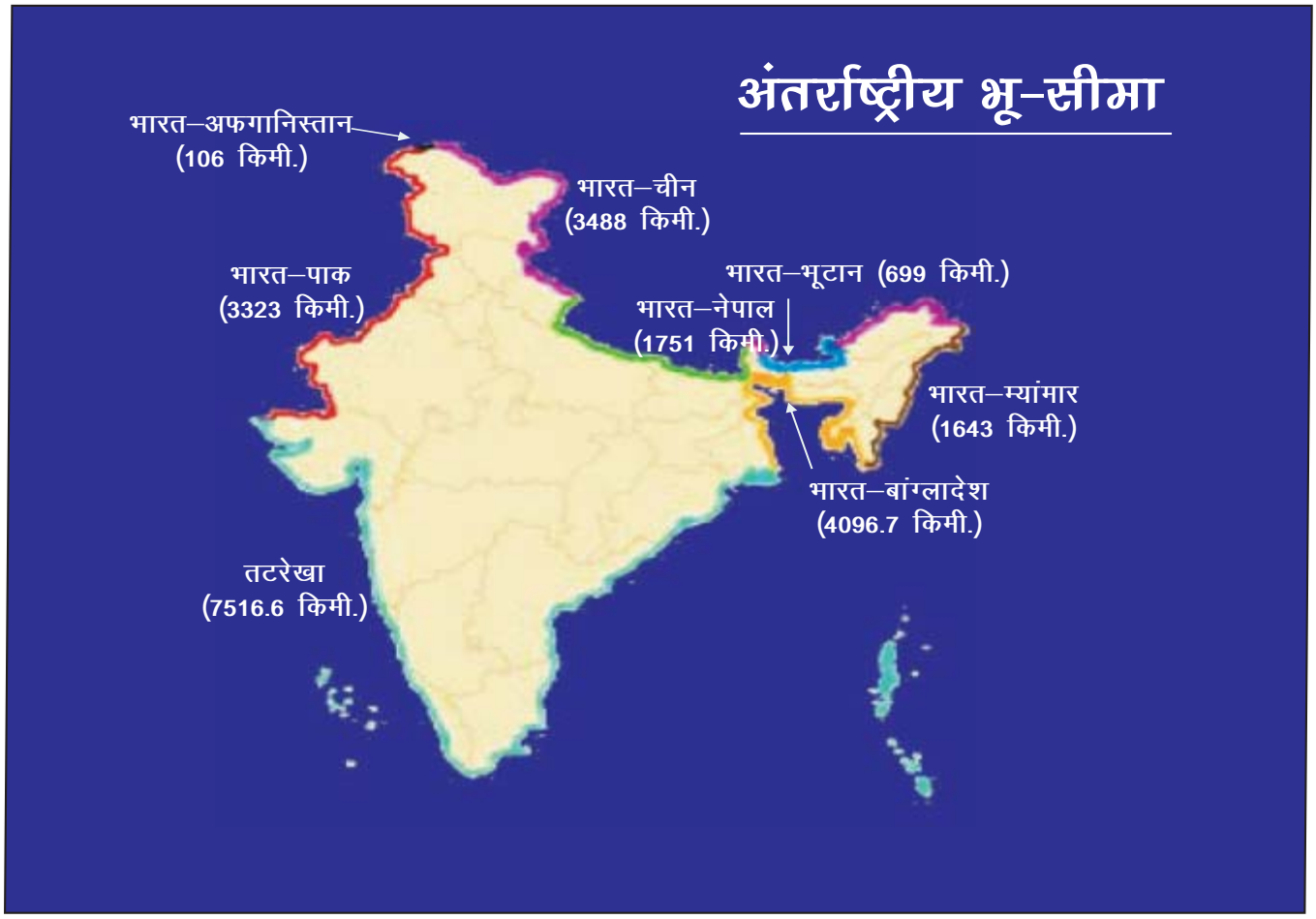

पृष्ठभूमि

3.1 भारत की भू–सीमा 15,106.7 किमी. और द्वीप क्षेत्रों सहित तटरेखा 7,516.6 किमी. है। पड़ोसी देशों के साथ भू–सीमाओं की लंबाई निम्नानुसार है :–

देश का नाम	सीमा की लंबाई (किमी. में)
बांग्लादेश	4,096.7
चीन	3,488
पाकिस्तान	3,323
नेपाल	1,751
म्यांमार	1,643
भूटान	699
अफगानिस्तान	106
कुल	**15,106.7**

3.2 अंतर्राष्ट्रीय भू–सीमा और तटवर्ती सीमाओं के प्रबंधन, सीमावर्ती पुलिस व्यवस्था और चौकसी को सुदृढ़ करने, सीमाओं पर सड़क बनाने, बाड़ लगाने तथा तेज रोशनी की व्यवस्था करने जैसे अवसंरचनात्मक मामलों पर ध्यान केन्द्रित करने तथा सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी ए डी पी) का कार्यान्वयन करने के लिए जनवरी, 2004 में गृह मंत्रालय में सीमा प्रबंधन विभाग गठित किया गया था।

सीमा प्रबंधन के उद्देश्य

3.3 देश–विरोधी तत्वों से देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना और ऐसी प्रणालियों की व्यवस्था करना सीमा प्रबंधन के मुख्य उद्देश्यों में से है जो विधिसम्मत व्यापार और वाणिज्य को सुकर बनाते हुए ऐसे तत्वों को रोकने में सक्षम हों। सीमाओं का उचित प्रबंधन, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, कई चुनौतियां प्रस्तुत करता है और इसमें सीमाओं की सुरक्षा करने और इनके सर्वोत्तम हितों को पूरा करने के लिए देश की प्रशासनिक, राजनयिक, सुरक्षा, आसूचना, कानूनी, विनियामक और आर्थिक एजेंसियों द्वारा समन्वय और सुनियोजित कार्रवाई किया जाना शामिल है।

3.4 सीमाओं को सुरक्षित रखने और देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का सृजन करने की रणनीति के एक भाग के रूप में सीमा प्रबंधन विभाग ने कई पहलें की हैं। इनमें भारत–पाकिस्तान और भारत–बांग्लादेश सीमाओं पर बाड़ लगाना, तेज रोशनी की व्यवस्था करना और सड़कों का निर्माण करना, भारत–चीन और भारत–नेपाल सीमाओं पर सड़कों का निर्माण करना, देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के विभिन्न स्थानों पर एकीकृत जांच चौकियों (आईसीपी) का विकास करना और तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए किए गए उपाय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सीमा प्रबंधन के व्यापक दृष्टिकोण के एक भाग के रूप में विभाग ने बी ए डी पी के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में कई विकासात्मक कार्य शुरु किए हैं।

3.5 सीमा पर बलों की तैनाती **'एक सीमा–एक सीमा रक्षक बल'** के सिद्धांत पर आधारित है। तदनुसार, प्रत्येक सीमा की जिम्मेवारी निम्नानुसार एक विशेष सीमा रक्षक बल को सौंपी गई है:–

- बांग्लादेश तथा पाकिस्तान सीमाएं – सीमा सुरक्षा बल (सीसुब)
- चीन सीमा – भारत तिब्बत सीमा पुलिस (भातिसीपु)
- नेपाल तथा भूटान सीमाएं – सशस्त्र सीमा बल (ससीब)
- म्यांमार सीमा – असम राइफल्स
- इसके अतिरिक्त:
  - ✓ भारतीय सेना पाकिस्तान सीमा पर नियंत्रण रेखा तथा चीन सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगी भू–सीमाओं की रक्षा करती है।
  - ✓ भारतीय नौ सेना तथा तटरक्षक को तटीय सीमाओं की जिम्मेवारी सौंपी गई है, जबकि राज्य (समुद्री) पुलिस दूसरी रक्षा पंक्ति के रूप में कार्य कर रही है।

3.5.1 सीमा प्रबंधन संबंधी दृष्टिकोण तथा पद्धतियां एक सीमा से दूसरी सीमा के लिए अलग–अलग हैं, जो सुरक्षा के बोध तथा पड़ोसी देश के साथ संबंध पर आधारित है।

अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का प्रबंधन भारत–बांग्लादेश सीमा (आईबीबी)

सीमा चौकियां

3.6 सीमाओं पर स्थित सीमा चौकियां (बीओपी) सीमा सुरक्षा बल का मुख्य कार्य स्थल हैं। ये विशेष दायित्व वाली सभी सुविधाओं से युक्त रक्षा चौकियां हैं, जो समस्त भू–सीमाओं पर अविच्छिन्न रूप से स्थापित की गई हैं। अन्य बातों के साथ–साथ, सीमा चौकियों का उद्देश्य घुसपैठ/अतिक्रमण तथा सीमा के उल्लंघन संबंधी गतिविधियों में संलिप्त सीमा–पार के अपराधियों, घुसपैठियों तथा विरोधी तत्वों को रोकने के लिए बल की उपयुक्त मौजूदगी मुहैया कराना है। प्रत्येक सीमा चौकी को आवास की सुविधा, संभार तंत्र संबंधी सहायता तथा युद्ध संबंधी कार्यों के लिए आवश्यक अवसंरचना मुहैया कराई जाती है। वर्तमान समय में, भारत–बांग्लादेश सीमा पर 802 बीओपी मौजूद हैं।

3.7 अन्तर–सीमा चौकी (बीओपी) की दूरी को कम करके 3.5 किमी. करने के लिए सरकार द्वारा दिनांक 16.02.2009 को 1832.50 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 509 अतिरिक्त बीओपी (आईपीबी तथा आईबीबी पर कुल बीओपी) के निर्माण

भारत बांग्लादेश सीमा पर बीओपी की स्थिति

राज्य का नाम	बीओपी की संख्या		
	अनुमोदित	पहले से मौजूद	स्थापित की जाने वाली
पश्चिम बंगाल	633	410	223
मेघालय	125	108	17
असम	91	85	06
त्रिपुरा	245	181	64
मिजोरम	91	18	73
कुल	**1185**	**802**	**383**

संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया था। 509 बीओपी में से, 383 बीओपी का निर्माण भारत–बांग्लादेश सीमा पर किया जाना है। इस परियोजना को वर्ष 2013–14 तक पूरा करने का लक्ष्य था। तथापि, लोगों के विरोध, भूमि के अधिग्रहण में विलंब तथा सांविधिक अनापत्ति आदि जैसी रुकावटों के कारण इस कार्य की समयावधि बढ़ गई है।

3.8 कुल 383 सीमा चौकियों (बीओपी) में से, 65 बीओपी का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और अन्य 78 बीओपी में कार्य प्रगति पर है। शेष बीओपी के लिए, भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है और भूमि के अधिग्रहण के तुरंत बाद कार्य आरंभ हो जाएगा।

बाड़ लगाना

3.9 भारत–बांग्लादेश सीमाओं (आईबीबी) से होने वाली घुसपैठ, तस्करी और अन्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से, सरकार ने इस सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य प्रारंभ किया है।

3.10 भारत की तरफ से भारत–बांग्लादेश की सीमा, पश्चिम बंगाल (2,216.7 किमी.), असम (263 किमी.), मेघालय (443 किमी.), त्रिपुरा (856 किमी.) और मिजोरम (318 किमी.) से होकर गुजरती है। इस संपूर्ण क्षेत्र में मैदानी, नदी तटीय, पर्वतीय और जंगल के क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र में काफी जनसंख्या है और सीमा तक खेती की जाती है।

3.11 भारत–बांग्लादेश सीमा अत्यधिक सुभेद्य है और सीमा पार की अवैध गतिविधियों और बांग्लादेश से भारत में हो रहे अवैध आप्रवासन पर रोक लगाना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। सीमापार से अवैध आप्रवासन और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों सहित अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए भारत सरकार ने दो चरणों में सीमा पर तेज रोशनी की व्यवस्था करने सहित बाड़ लगाने के कार्य को मंजूरी प्रदान की थी। भारत–बांग्लादेश सीमा पर कुल 3,326.14 किमी. लंबे क्षेत्र में बाड़ लगाने की मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें से 2,828 किमी. बाड़ लगाई जा चुकी है (31.12.2014 तक)। नदी तटीय/निचले क्षेत्र होने, सीमा से 150 गज के अंदर बसावट होने, भूमि–अधिग्रहण के मामले लंबित होने और सीमावर्ती आबादी द्वारा विरोध के कारण इस सीमा के कुछ भागों में बाड़ का निर्माण करने में कुछ समस्यायें आई हैं, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना को पूरा करने में विलम्ब हुआ है।

भारत–बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाना और सड़क निर्माण

भारत–बांग्लादेश सीमा पर बाड़ का राज्य–वार ब्यौरा

(लम्बाई किमी. में)

राज्य का नाम	चरण–I		चरण–II		कुल (चरण–I + चरण–II)	
	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण
पश्चिम बंगाल	507.00	507.00	957.78	730.11	1464.78	1237.11
असम	152.31	149.29	76.72	74.6	229.03	223.89
मेघालय	198.06	198.06	255.35	149.85	453.41	347.91
त्रिपुरा	-	-	834.51	784.46	834.51	784.46
मिजोरम	-	-	344.41	234.54	344.41	234.54
कुल	**857.37**	**854.35**	**2468.77**	**1973.57**	**3326.14**	**2828.00**

चरण–I में निर्मित बाड़ बदलना

3.12 पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय राज्यों में चरण–I के तहत निर्मित अधिकांश बाड़ प्रतिकूल मौसमी स्थितियों, बार–बार जलमग्न आदि होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है। तदनुसार, भारत सरकार ने चरण–I में निर्मित संपूर्ण बाड़ के स्थान पर 884 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 861 किमी. पर बाड़ लगाने के लिए एक परियोजना (चरण–III) को मंजूरी प्रदान की है। अब तक, 790 किमी. की बाड़ बदल दी गई है और 71 किमी. की लम्बाई में बाड़ को बदलने का शेष कार्य मुकदमे, लोक हित आदि के कारण रुका हुआ है।

सड़कें

3.13 इसके अतिरिक्त, 4,347.66 किमी. की मंजूरशुदा लंबाई में से 3,774.41 किमी. की सीमावर्ती गश्त सड़कों का निर्माण कार्य भी किया जा चुका है।

भारत–बांग्लादेश सीमा पर सड़कों का राज्य–वार ब्यौरा

(लम्बाई किमी. में)

राज्य का नाम	चरण–I		चरण–II		कुल (चरण–I + चरण–II)	
	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण
पश्चिम बंगाल	1770.00	1689.00	0.00	0.00	1770.00	1689.00
असम	186.33	176.50	102.42	83.56	271.39	260.06
मेघालय	211.29	211.29	321.74	169.04	523.32	380.33
त्रिपुरा	545.37	480.51	639.64	516.77	1182.37	997.28
मिजोरम	153.40	153.06	448.88	294.67	600.58	447.73
कुल	**2866.39**	**2710.36**	**1512.68**	**1064.04**	**4347.66**	**3774.41**

तेज रोशनी की व्यवस्था

3.14 दिसम्बर, 2003 से जून, 2006 की अवधि के दौरान, प्रायोगिक परियोजना के रूप में पश्चिम बंगाल में 277 किमी. बाड़ पर तेज रोशनी की व्यवस्था करने का कार्य पूरा किया गया था। इस पहल को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने 1,327 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भारत–बांग्लादेश सीमा पर पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में 2,840.90 किमी. की लम्बाई में तेज रोशनी की व्यवस्था करने का निर्णय लिया था। भारत–बांग्लादेश सीमा पर तेज रोशनी की व्यवस्था (दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार) के कार्य में हुई प्रगति निम्नानुसार है:

भारत–बांग्लादेश सीमा पर तेज रोशनी की व्यवस्था का राज्य–वार ब्यौरा

(लम्बाई किमी. में)

राज्य का नाम	स्वीकृत	पूर्ण	शेष
पश्चिम बंगाल	1134.13	842.59	291.54
असम	208.74	155.3	53.44
मेघालय	443.00	170	273.00
त्रिपुरा	718.47	660	58.47
मिजोरम	335.66	46.2	289.46
कुल	**2840.90**	**1874.09**	**965.91**

भारत–पाकिस्तान सीमा (आई पी बी)

3.15 भारत की पाकिस्तान के साथ 3,323 किमी. भू–सीमा है। यह सीमा गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू और कश्मीर राज्यों के साथ लगी हुई है। भारत–पाकिस्तान सीमा पर विविध भूभाग और विशिष्ट भौगोलिक विशेषताएं मौजूद हैं। नियंत्रण रेखा, सीमा का सबसे ज्यादा सक्रिय और क्रियाशील हिस्सा होने के कारण इस सीमा को आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ किए जाने तथा शस्त्र, गोलाबारुद और निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी करने का प्रयास किए जाने वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है।

सीमा चौकियां (बीओपी)

3.16 वर्तमान समय में, भारत–पाकिस्तान सीमा पर पहले से 609 बीओपी मौजूद हैं और अन्तर–सीमा चौकी (बीओपी) की दूरी को 3.5 किमी. करने के लिए भारत–पाकिस्तान सीमा पर 126 अतिरिक्त बीओपी की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन अतिरिक्त बीओपी का निर्माण किए जाने से भारत–पाकिस्तान सीमाओं पर तैनात सीमा सुरक्षा बल की टुकडियों के आवास, संभार तंत्र संबंधी सहायता तथा युद्ध संबंधी कार्यों के लिए समस्त आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध होगी। यह परियोजना वर्ष 2013–14 तक पूरी किए जाने का लक्ष्य था। तथापि, लोगों के विरोध, भूमि के अधिग्रहण में विलंब तथा सांविधिक मंजूरी आदि जैसी रुकावटों के कारण इस कार्य की समयावधि बढ़ गई है।

भारत–पाकिस्तान सीमा पर सीमा चौकियों का राज्य–वार ब्यौरा

राज्य का नाम	सीमा चौकियों की संख्या		
	स्वीकृत	पहले से मौजूद	स्थापित की जाने वाली अतिरिक्त सीमा चौकियां
जम्मू एंव कश्मीर	90	90	38*
पंजाब	179	178	01
राजस्थान	293	270	23
गुजरात	135	71	64
कुल	**697**	**609**	**126**

*38 मौजूदा बीओपी का उन्नयन किया जाएगा।

3.17 सभी 126 बीओपी का निर्माण कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है। 46 बीओपी का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और 41 बीओपी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष बीओपी के लिए भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है और भूमि के अधिग्रहण के तुरंत बाद कार्य प्रारंभ हो जाएगा।

3.18 ऊपर यथा उल्लिखित नई मंजूर की गई बीओपी के अतिरिक्त, भारत–पाक सीमा के गुजरात क्षेत्र के लिए संयुक्त योजना के अन्तर्गत 70 बी ओ पी की स्वीकृति प्रदान की गई थी। 54 बीओपी का निर्माण पहले ही हो चुका है और 02 अन्य बी ओ पी का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जबकि भू–क्षेत्र के जलमग्न होने के कारण 14 बीओपी का निमार्ण कार्य शुरु नहीं हुआ है।

बाड़ लगाना

भारत पाक सीमा पर निर्मित बाड़

3.19 दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार, इस सीमा पर बाड़ लगाने के कार्य में हुई प्रगति की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

राज्य का नाम	सीमा की कुल लम्बाई	सीमा पर लगाई जाने वाली बाड़ की कुल लम्बाई	सीमा पर अब तक लगाई गई बाड़ की लम्बाई	सीमा पर लगाई जाने वाली प्रस्तावित बाड़ की शेष लम्बाई
पंजाब	553	461	462.45*	---
राजस्थान	1037	1056.63	1048.27*	---
जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा	210	186	186.00	---
गुजरात	508	340	261.78	78.22
कुल	**2308**	**2043.63**	**1958.50**	---

*भौगोलिक कारकों/बाड़ को सुव्यवस्थित करने के कारण लम्बाई भिन्न है।

तेज रोशनी की व्यवस्था

3.20 भारत–पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ तथा सीमा–पार अपराधों के प्रयास को रोकने के लिए, सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, राजस्थान तथा गुजरात राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 2,009.52 किमी. तक तेज रोशनी की व्यवस्था करने की मंजूरी प्रदान की है। इस सीमा पर तेज रोशनी की व्यवस्था करने संबंधी कार्य की प्रगति की स्थिति (दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार) नीचे दर्शाई गई है:–

भारत–पाकिस्तान सीमा पर तेज रोशनी की व्यवस्था का राज्य–वार ब्यौरा

(लम्बाई किमी. में)

राज्य का नाम	सीमा की कुल लम्बाई	सीमा पर की जाने वाली तेज रोशनी की व्यवस्था की कुल लम्बाई	सीमा पर अब तक की गई तेज रोशनी की व्यवस्था की लम्बाई	सीमा पर की जाने वाली तेज रोशनी की व्यवस्था की शेष लम्बाई
पंजाब	553	460.72	460.72	---
राजस्थान	1037	1022.80	1022.80	---
जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा	210	186	176.40	--
गुजरात	508	340	293.00*	47.00
कुल	**2308**	**2009.52**	**1952.92**	**47.00**

*बाढ़ से हुई क्षति के कारण 118 कि.मी. क्षेत्र अकार्यशील है।

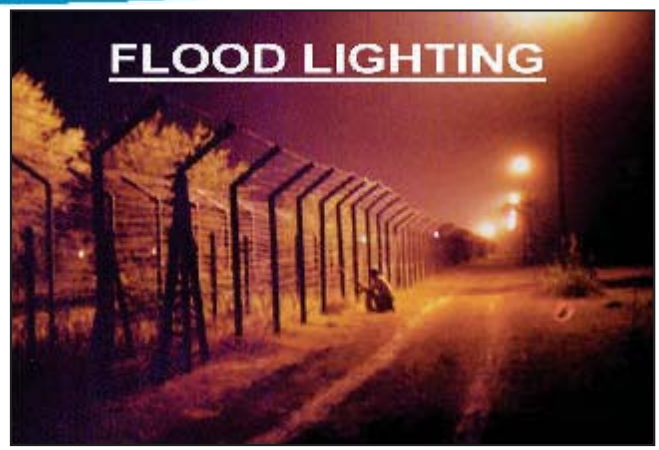

सीमा पर तेज रोशनी की व्यवस्था

गुजरात राज्य में भारत–पाकिस्तान सीमा पर सीमा संबंधी कार्यों के समक्ष आए मामले

3.21 उपर्युक्त ब्यौरे से यह स्पष्ट है कि भारत–पाकिस्तान सीमा के गुजरात क्षेत्र में कुछ लंबित कार्य को छोड़कर समस्त भारत–पाकिस्तान सीमा पर बाड़ लगाने और तेज रोशनी की व्यवस्था करने का कार्य पूरा हो गया है।

3.22 अप्रत्याशित परिस्थितियों और वर्ष 2001 में आए विनाशकारी भूकंप, वर्ष 2003, 2006 और 2011 में हुई अभूतपूर्व वर्षा और इसके परिणामस्वरुप आई बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाओं के कारण परियोजना पूरी करने में अधिक समय लग गया है। गुजरात क्षेत्र में बाड़ लगाने और तेज रोशनी की व्यवस्था करने का कुछ कार्य क्षेत्र में जल भराव की वजह से रुका हुआ है। कीमतें बढ़ने, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होने, सड़कों और बिजली आदि के कार्यों के लिए विनिर्देशनों का उन्नयन होने के कारण भी परियोजना की लागत में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

3.23 कठिन क्षेत्र में बाड़ लगाने, तेज रोशनी की व्यवस्था करने तथा सड़कों संबंधी कार्य के बचे हुए हिस्से को पूरा करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके

गुजरात सीमा पर प्रायोगिक परियोजना

1 किमी. लम्बे जल भराव वाले क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करने, बाड़ लगाने तथा तेज रोशनी की व्यवस्था करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना की मंजूरी प्रदान की गई है। यह प्रायोगिक परियोजना दिनांक 31.12.2014 को पूरी हो गई है और तीसरे पक्ष द्वारा इसका निरीक्षण किया जा रहा है।

भारत–म्यांमार सीमा

3.24 भारत की म्यांमार के साथ 1,643 किमी. लम्बी सीमा है। अरूणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मणिपुर और मिजोरम ऐसे राज्य हैं, जिनकी सीमा म्यांमार के साथ लगती है। भारत–म्यांमार सीमा की रक्षा असम राइफल्स द्वारा की जाती है।

मोरेह (मणिपुर) में बाउंडरी पिलर सं0 79 और 81 के बीच सीमा पर बाड़ लगाना

3.25 भारत और म्यांमार के बीच 1,643 किमी. की बिना बाड़ वाली सीमा है, जो पूर्वोत्तर राज्यों, अरूणाचल प्रदेश (520 किमी.), नागालैण्ड (215 किमी.), मणिपुर (398 किमी.) और मिजोरम (510 किमी.) के साथ लगती है और सीमा के आर–पार 16 किमी. की दूरी तक मुक्त रूप से आवाजाही की अनुमति है। इससे यह अन्तरराष्ट्रीय सीमा अत्यधिक सुभेद्य हो गई है। इस सीमा पर पहाड़ी और कठिन भू–भाग हैं जिस पर समग्र रूप से आधारभूत सुविधाओं की कमी है और इससे विभिन्न भारतीय विद्रोही समूहों (आई आई जी) की अवैध गतिविधियों को पर्याप्त आश्रय (कवर) प्राप्त होता है।

3.26 भारत–म्यांमार सीमा क्षेत्र में बढ़ती हुई आतंकवादी गतिविधियों की समस्या से निपटने के लिए, भारत सरकार ने भारत–म्यांमार सीमा पर बाउंडरी पिलर संख्या 79 से 81 के बीच के क्षेत्र (लगभग 10 किमी.) में बाड़ लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। सरकार ने बाड़ लगाने के कार्य के लिए 30.96 करोड़ रूपए की की निधि आबंटित की है। बाड़ लगाने का कार्य आरंभ करने के लिए, जमीन अधिगृहीत कर ली गई है और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से आवश्यक मंजूरियां ले ली गई हैं। सरकार ने कार्यान्वयन एजेंसी, सीमा सड़क संगठन को 16.38 करोड़ रुपए जारी किए हैं और 4.02 किमी. क्षेत्र में बाड़ लगाने का कार्य पूरा हो गया है।

3.26.1 बाड़ लगाने का कार्य स्थानीय लोगों के विरोध की वजह से रूका हुआ है। मणिपुर सरकार ने अब सीमा चौकी सं. 79–81 के बीच सीमा रेखा का पुनः निरीक्षण करने का प्रस्ताव किया है।

भारत–चीन सीमा

3.27 भारत–चीन सीमा पर अवसंरचना की कमी के कारण पैदा हुई स्थिति में सुधार करने तथा भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (भा.ति.सी.पु.), इस सीमा संबंधी सीमा रक्षक बल, के प्रभावशाली

परिचालन के लिए, गृह मंत्रालय ने 1,937 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 804.91 किमी. लम्बी 27 सड़कों के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। भारत–चीन सीमा पर इन सड़कों का निर्माण जम्मू एवं कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखण्ड और हिमाचल प्रदेश राज्यों में किया जा रहा है।

3.28 दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार, 5 सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और 22 सड़कों पर कार्य चल रहा है। इन सड़कों पर 593 किमी. फार्मेशन–कटिंग और 273 किमी. सर्फेसिंग का कार्य पूरा हो गया है।

भारत–नेपाल सीमा

3.29 भारत और नेपाल की 1,751 किमी. खुली सीमा है, जिसमें उत्तराखण्ड (275 किमी.), उत्तर प्रदेश (551 किमी.), बिहार (726 किमी.), पश्चिम बंगाल (100 किमी.) और सिक्किम (99 किमी.) राज्यों के साथ लगी सीमाएं शामिल हैं। अवैध एवं राष्ट्र–विरोधी गतिविधियों के लिए आतंकवादियों और अपराधियों द्वारा खुली सीमा के दुरुपयोग को रोकना और इस सीमा पर सुरक्षा में सुधार करना मुख्य चुनौतियां हैं।

3.30 सीमा प्रबंधन से संबंधित पारस्परिक चिंता वाले मामलों पर द्विपक्षीय वार्ता को सुकर बनाने के लिए भारत और नेपाल की सरकारों ने गृह सचिव स्तर की वार्ता और संयुक्त सचिवों के स्तर पर संयुक्त कार्य दल के रूप में संस्थागत तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, दोनों देशों के जिला पदाधिकारियों के स्तर पर सीमा जिला समन्वय समिति का तंत्र भी है। ये तंत्र, सीमा पार के अपराध, तस्करी और आतंकवादी क्रियाक्रलापों से उत्पन्न स्थिति आदि जैसे पारस्परिक चिंता वाले मुद्दों पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय/ स्थानीय स्तरों पर चर्चा करने के लिए प्लेटफार्म के रूप में कार्य करते हैं।

3.31 सशस्त्र सीमा बल, जो सीमा रक्षक बल है, की परिचालन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सरकार ने 3,853 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भारत–नेपाल सीमा पर उत्तराखण्ड (173 किमी.), उत्तर प्रदेश (640 किमी.) और बिहार (564 किमी.) राज्यों में 1,377 किमी. सामरिक सड़क के निर्माण एवं उन्नयन का अनुमोदन प्रदान किया है।

3.32 उच्च स्तरीय शक्तिप्राप्त समिति (एचएलईसी) ने बिहार में 552.30 किमी. सड़क के उन्नयन/निर्माण के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया है, जो अंतिम अपेक्षित लंबाई है। पूरे क्षेत्र के लिए कार्य सौंप दिया गया है और सड़कों का निर्माण कार्य आरंभ हो गया है। दिनांक 31.12.2014 तक कुल 93 किमी. फारमेशन कार्य पूरा कर लिया गया है।

3.33 इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने उत्तराखण्ड राज्य सरकार के ककराली गेट से थुलीघाट तक 12 किमी. से अधिक लम्बी सड़क के उन्नयन के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया है। यह कार्य ठेकेदार को सौंप दिया गया है। 5 किमी. मिट्टी का कार्य पूरा हो गया है और 12 में से 9 पुलियों का निर्माण हो गया है। उत्तराखंड राज्य में शेष 123.47 किमी. सड़क के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) अनुमोदनार्थ तकनीकी समिति (टीसी) के विचाराधीन है।

3.34 जहां तक उत्तर प्रदेश में भारत–नेपाल सीमा सड़क का संबंध है, सरकार ने 256.95 किमी. सड़क के निर्माण के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। दिनांक 31.12.2014 तक कुल 46 किमी. मिट्टी का कार्य पूरा हो गया है।

भारत–भूटान सीमा

3.35 669 किमी. लम्बी इस सीमा पर सुरक्षा वातावरण में सुधार करने के लिए, सीमा चौकसी बल के रूप में सशस्त्र सीमा बल (एस एस बी) को तैनात किया गया है।

3.36 सीमा प्रबंधन और सुरक्षा के संबंध में सचिव स्तरीय भारत–भूटान ग्रुप के रूप में एक द्विपक्षीय तंत्र विद्यमान है। इस खुली सीमा का लाभ उठाने की कोशिश करने वाले ग्रुपों से दोनों देशों को संभावित खतरे का आकलन करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा के वातावरण में सुधार करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए यह तंत्र बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है।

3.37 भारत सरकार ने भारत–भूटान सीमा पर 1,259 करोड़ रूपए की लागत से 313 किमी. लम्बी सड़क के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। इन सड़कों का निर्माण कार्य भूमि के अधिग्रहण का कार्य होने के कारण अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

3.38 सीमा प्रबंधन विभाग, सीमा प्रबंधन के विस्तृत दृष्टिकोण के भाग के रूप में राज्य सरकारों के माध्यम से सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी ए डी पी) का कार्यान्वयन करता रहा है। बीएडीपी का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के समीप स्थित दूर–दराज एवं दुर्गम क्षेत्रों में रह रहे लोगों की विशेष विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना और केन्द्रीय/राज्य/ बीएडीपी/स्थानीय स्कीमों की सुविधा और सहभागिता के दृष्टिकोण के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों को समस्त आवश्यक अवसंरचना मुहैया कराना और सीमावर्ती लोगों में सुरक्षा और खुशहाली की भावना पैदा करना है। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय भू–सीमा के साथ लगे 17 राज्यों के 104 सीमावर्ती जिलों के 367 सीमावर्ती ब्लॉक आते हैं। यह कार्यक्रम 100% केन्द्रीय

आधार पर प्रायोजित योजना है। राज्यों को निधियां अवसंरचना, आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और संबंधित क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए व्यपगत न होने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता (एस सी ए) के रूप में प्रदान की जाती हैं।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी ए डी पी) के अन्तर्गत जिंगसुई, जिलाः उखरूल (मणिपुर) में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण

बी ए डी पी के दिशानिर्देश

3.39 राज्य सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के तहत स्कीमें तैयार की जाती हैं और इन्हें राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है और राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा इनका कार्यान्वयन किया जाता है। सीमा रक्षक बल भी बीएडीपी के तहत स्कीमों के संबंध में सुझाव दे सकते हैं किंतु इस प्रकार की स्कीमों पर व्यय किसी विशिष्ट वर्ष के कुल आबंटन के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। संभावित राज्यों में लोगों की क्षमता निर्माण, कौशल विकास तथा रोजगार उक्त कार्यक्रम के कुछ लक्षित क्षेत्र हैं। राज्य सरकारों को बीएडीपी की वार्षिक कार्य योजना में इस प्रकार की स्कीमों को उनके आबंटन की राशि के कम से कम 5% राशि के साथ शामिल करने के लिए कहा गया है।

3.40 बीएडीपी के अधिक गुणवत्तापूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने तथा सीमा के निकट स्थित गांवों में स्कीमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, सीमा पर 0 से 10 किमी. तक लगने वाले गावों के विशिष्ट सामाजिक–आर्थिक और अवसंरचनात्मक विकास संबंधी दिशानिर्देशों पर बल दिया गया है। गावों को जीरो रेखा से 10 किमी. के बीच व्यवस्थित किया गया है। प्रत्येक गांव का ग्रामीण विकास प्रारूप तैयार किया जा रहा है। पक्की सड़क संपर्क, बिजली, सुरक्षित पेय जल, टेलिफोन सुविधाएं, प्राथमिक स्कूल भवन, पीडीएस दुकान और सामूहिक केन्द्र जैसी प्रमुख विकासपरक अवसंरचनात्मक सुविधाएं योजनागत ढंग से विकसित की जा रही हैं। सीमा पर जीरो से 10 कि.मी. के बीच लगने वाले गावों को संतृप्त करने के पश्चात, बीएडीपी के तहत स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए 10–15 किमी. और 15–20 किमी. के बीच आने वाले गावों के अगले समूह को लिया जाएगा। राज्य सरकारों का यह निदेश दिया गया है कि तदर्थ परियोजनाओं को किसी भी प्रकार नहीं लिया जाएगा।

3.41 बीएडीपी के दिशानिर्देशों में फरवरी, 2014 में संशोधन किया गया था। संशोधित दिशानिर्देशों में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समितियों, जिनमें पुलिस अधीक्षक (एसपी), जिला वन अधिकारी (डीएफओ), जिला योजना अधिकारी (डीपीओ) और सीमा रक्षक बलों (बीजीएफ) के कमांडेंट/उप कमांडेंट सदस्य के रूप में शामिल हैं, को स्थानीय संसद सदस्य/विधायक, पीआरआई के सदस्यों, स्वायत्त निकायों के परामर्श से बीएडीपी की वार्षिक कार्य योजना तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है।

बीएडीपी के तहत अखरीदंगा खारी (चरण–।।), तपन ब्लॉक जिलाः दक्षिण दिनाजपुर (पश्चिम बंगाल) में पुल का निर्माण

बीएडीपी के तहत पचयांग्रियांग, मांगियो, ब्लॉक पारसी पारलो, जिलाः कुरंग कुमेय (अरुणाचल प्रदेश) में मांगियो गांव से गवर्नमेंट विलेज स्कूल के बीच कुमेय नदी पर रीइनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट (आरसीसी) पिलर वायर रोप सस्पेंशन ब्रिज (डब्ल्यूआरएसबी) का निर्माण

बीएडीपी के तहत पटुक, ब्लॉकः पारसी पारलो, जिलाः कुरंग कुमेय (अरुणाचल प्रदेश) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का विकास

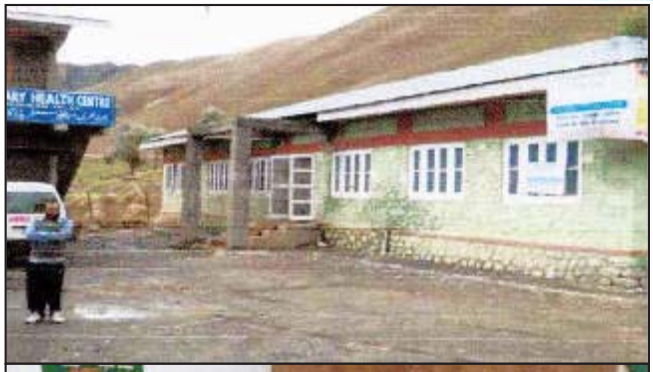

बीएडीपी के तहत बादूगाम (तुरेल), ब्लॉकः गुरेस, जिलाः बांदीपुरा (जम्मू एवं कश्मीर) में सहायक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण

शक्तिप्राप्त समिति

3.42 कार्यक्रम के क्षेत्र संबंधी नीतिगत मामलों, राज्यों की भौगोलिक सीमाओं के क्षेत्रों, जिनमें योजनाओं को शुरु किया जाना है, राज्यों को निधियों के आबंटन और कार्यक्रम के उचित कार्यान्वयन के तौर–तरीके की निगरानी सचिव, सीमा प्रबंधन, गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित शक्तिप्राप्त समिति द्वारा की जा रही है।

बी ए डी पी के अन्तर्गत निधियों का प्रवाह

3.43 वर्ष 2014–15 के दौरान, बी ए डी पी के लिए 990.00 करोड़ रूपए का बजट आबंटित किया गया है जो पिछले वर्ष के आबंटन के बराबर है। वर्ष 2013–14 के दौरान बीएडीपी के अन्तर्गत राज्यों को आबंटित और जारी की गई निधियों और वर्ष 2014–15 के दौरान आबंटन का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

दिनांक 04.12.2014 की स्थिति के अनुसार (लाख रू. में)

राज्य का नाम	2013-14		2014-15	
	आवंटन	जारी की गई राशि	आवंटन	जारी की गई राशि
अरूणाचल प्रदेश	9277.00	@ 6594.05	9277.00	7648.34
# असम	3480.00	#	3480.00	1250.92
बिहार	6084.00	6084.00	6084.00	3129.86
गुजरात	4505.00	4505.00	4505.00	4505.00
हिमाचल प्रदेश	2100.00	2100.00	2100.00	2100.00
जम्मू एवं कश्मीर	12800.00	* 15800.00	12800.00	9111.24
मणिपुर	2200.00	2200.00	2200.00	2200.00
मेघालय	2100.00	* 2897.00	2100.00	2100.00
मिजोरम	4017.00	* 5446.94	4017.00	3534.16
नागालैंड	2000.00	* 3000.00	2000.00	2000.00
पंजाब	3526.00	@ 3217.76	3526.00	**1025.00
राजस्थान	13773.00	13773.00	13773.00	10140.50
सिक्किम	2000.00	* 2400.00	2000.00	844.97

राज्य का नाम	2013-14		2014-15	
	आवंटन	जारी की गई राशि	आवंटन	जारी की गई राशि
त्रिपुरा	4825.00	4825.00	4825.00	3798.22
उत्तर प्रदेश	4982.00	* 5293.59	4982.00	4982.00
उत्तराखंड	3565.00	* 4651.16	3565.00	2821.84
पश्चिम बंगाल	15835.00	*16212.50	15835.00	9419.23
रिजर्व	1931.00	0.00	1931.00	0.00
कुल	**99000.00**	**99000.00**	**99000.00**	**70611.27**

* अधिक राशि इस तथ्य के कारण जारी की गई कि अतिरिक्त राशि बचतों तथा रिजर्व राशि से जारी की जाएगी।
**पंजाब राज्य को उन किसानों को प्रतिपूर्ति के रूप में 10.25 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है जिनकी भूमि पंजाब में सुरक्षा बाड़ के उस पार है।
वर्ष 2013–14 के दौरान असम राज्य को 3480.00 करोड़ रु. के आबंटन में से इस कारण से कोई राशि जारी नहीं की जा सकी कि राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती वर्षों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र (यूसी) प्रस्तुत नहीं किए थे।
@पूर्ववर्ती वर्षों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण कम राशि जारी की गई।

तटीय सुरक्षा

भारत की तटरेखा

3.44 भारत की तटरेखा 7,516.6 किमी. है जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिन्द महासागर और पश्चिम में अरब महासागर सहित मुख्यभूमि और द्वीपों से घिरी है। इस तटरेखा पर नौ राज्य अर्थात गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तथा चार संघ राज्य क्षेत्र अर्थात दमण एवं दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह अवस्थित हैं। इन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में द्वीपों सहित तटरेखा की लम्बाई नीचे दी गई है :–

क्रम सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लम्बाई (किमी. में)
1	गुजरात	1214.70
2	महाराष्ट्र	652.60
3	गोवा	101.00
4	कर्नाटक	208.00
5	केरल	569.70
6	तमिलनाडु	906.90
7	आंध्र प्रदेश	973.70
8	ओडिशा	476.70
9	पश्चिम बंगाल	157.50
10	दमन और दीव	42.50
11	लक्षद्वीप	132.00
12	पुडुचेरी	47.60
13	अंडमान एवं निकाबार द्वीपसमूह	1962.00
	कुल	**7516.60**

समुद्री एवं तटीय सुरक्षा ढांचा

3.45 तटीय पुलिस का क्षेत्राधिकार समुद्र (सीमान्तर्गत जलक्षेत्र) में 12 नाविक मील तक है और भारतीय तट रक्षक का क्षेत्राधिकार बेसलाइन से अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) की सीमाओं तक अर्थात समुद्र में 0 से 200 नाविक मील तक है। 200 नाविक मील से आगे का क्षेत्र (हाई सी) भारतीय नौसेना के क्षेत्राधिकार के अन्दर आता है। समस्त तट पर त्रि–स्तरीय तटीय सुरक्षा समुद्री पुलिस, भारतीय तट रक्षक और भारतीय नौसेना द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

3.46 भारतीय नौसेना को समग्र समुद्री सुरक्षा के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण के रुप में नामित किया गया है, जिसमें तटीय सुरक्षा एवं अपतटीय सुरक्षा शामिल है।

3.47 भारतीय तटरक्षक को तटरक्षक अधिनियम, 1978 के तहत सभी समुद्री जोनों में भारत के हितों की सुरक्षा करने का अधिदेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय तट रक्षक को तटीय पुलिस द्वारा गश्त लगाए जाने वाले क्षेत्रों सहित सीमान्तर्गत जलक्षेत्र में तटीय सुरक्षा के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण के रुप में भी नामित किया गया है।

3.48 तटरक्षक महानिदेशक को तटीय कमांड के कमांडर के रुप में पदनामित किया गया है और वे तटीय सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों में केन्द्र और राज्य की एजेंसियों के बीच समग्र समन्वय के लिए उत्तरदायी हैं।

तटीय सुरक्षा योजना

3.49 तटीय सुरक्षा योजना का उद्देश्य तटीय क्षेत्रों, विशेष रुप से तट के निकटवर्ती सतही क्षेत्रों पर गश्त लगाने और निगरानी करने के लिए समुद्री पुलिस बल की अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना है।

3.50 तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार की गई भावी योजनाओं पर आधारित तटीय सुरक्षा योजना (चरण– I) 5 वर्षों की

अवधि में 551 करोड़ रुपए के प्रारंभिक परिव्यय (400 करोड़ रुपए अनावर्ती और 151 करोड़ रुपए आवर्ती) के साथ वर्ष 2005–06 से कार्यान्वित की गई थी। तदनन्तर, यह योजना 95 करोड़ रुपए के अतिरिक्त अनावर्ती परिव्यय के साथ मार्च 2011 तक 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दी गई थी, जिससे अंतिम परिव्यय की राशि 646 करोड़ रुपए हो गई थी। इस योजना के अन्तर्गत, तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 73 तटीय पुलिस स्टेशन, 97 जांच चौकियां, 56 आउटपोस्ट, 30 बैरक, 204 इन्टरसेप्टर नौकाएं, 153 जीपें और 312 मोटर साइकिलें उपलब्ध कराई गई थीं।

3.51 तट रक्षक स्टेशन मुख्य केन्द्र के रुप में और तटीय पुलिस स्टेशन सहायक केन्द्र के रुप में कार्य करते हैं। योजना का कार्यान्वयन पूरा हो गया है। गार्डन रीच शिपिंग एण्ड इंजीनियरिंग लिमिटेड (जीआरएसई), कोलकाता पूर्वी तट पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध कराई गई 88 इन्टरसेप्टर नौकाओं को एएमसी/मरम्मत की सेवाएं प्रदान करता है और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) पश्चिमी तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आपूर्ति की गई 116 इन्टरसेप्टर नौकाओं को एएमसी/ मरम्मत सेवा प्रदान करता है।

3.52 तटीय सुरक्षा योजना (चरण–।।) 26/11 को मुम्बई में हुई घटनाओं के पश्चात तेजी से बदलते हुए तटीय सुरक्षा परिदृश्य एवं उसके बाद तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए सुभेद्यता/अन्तराल विश्लेषण के संदर्भ में तैयार की गई है, जिसमें तटीय सुरक्षा अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था। इस समय, तटीय सुरक्षा योजना का चरण–II, 1,580 करोड़ रुपए के परिव्यय से 5 वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 01.04.2011 से कार्यान्वित किया जा रहा है। द्वितीय चरण के अन्तर्गत, तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 131 समुद्री पुलिस स्टेशन, 60 जेटीज, 10 समुद्री पुलिस परिचालन केन्द्र, 150 नौकाएं (12 टन), 10 नौकाएं (5 टन), 20 नौकाएं (19मी.), 35 रिजिड इन्फ्लेटेबल बोट, 10 बड़े जलयान, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के लिए 131 चार पहिया वाहन और 242 मोटर साइकिलें उपलब्ध कराई जाएंगी। निगरानी उपकरण, कंप्यूटर सिस्टम और फर्नीचर के लिए प्रति तटीय पुलिस स्टेशन 15 लाख रु. की एक मुश्त सहायता भी प्रदान की जाती है।

3.53 तटीय सुरक्षा योजना (चरण–। एवं चरण–।।) के अन्तर्गत, जनशक्ति संबंधित तटीय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराई जानी है। भारत सरकार प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान करती है। आरंभ में तट रक्षक द्वारा समुद्री पुलिस कार्मिकों का प्रशिक्षण जुलाई, 2006 में शुरु किया गया था। सहायक उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबल और इससे नीचे के रैंक वाले समुद्री पुलिस कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण 10 तट रक्षक जिला मुख्यालयों में आयोजित किया जाता है। इस प्रकार के प्रशिक्षणों में 3 सप्ताह का अभिविन्यास माड्यूल और 1 सप्ताह का सेवा कालीन प्रशिक्षण (ओजेटी) माड्यूल शामिल है। दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार, भारतीय तट रक्षक द्वारा 3,589 पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया है।

तटीय सुरक्षा योजना (चरण–II) के तहत स्वीकृत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार घटक तथा कार्यान्वयन की स्थिति

3.54 तटीय सुरक्षा योजना (चरण–II) के तहत स्वीकृत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार घटक तथा कार्यान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है:–

3.54.1 तटीय पुलिस स्टेशन

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	तटीय पुलिस थाने					
		स्वीकृत तटीय पुलिस स्टेशनों की संख्या	प्रचालनात्मक बनाये गए तटीय पुलिस स्टेशनों की संख्या	भूमि/स्थल का चयन (सं.)	भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू (सं.)	जमीन अधिग्रहीत की गई/कब्जे में (सं.)	निर्माण कार्य का प्रारंभ
1	गुजरात	12	12	12	8	4	
2	महाराष्ट्र	7	6	7	5	2	
3	गोवा	4	3	4	2	2	
4	कर्नाटक	4	4	4	3	1	4
5	केरल	10	8	10	7	3	7
6	तमिलनाडु	30	0	30	28	2	28
7	आंध्र प्रदेश	15	15	15	15	0	2
8	ओडिशा	13	10	13	12	1	8
9	पश्चिम बंगाल	8	8	8	8	0	8
10	दमन और दीव	2	0	2	2	0	2
11	पुडुचेरी	3	3	3	3	0	1
12	लक्षद्वीप	3	3	3	2	1	1
13	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	20	20	20	20	0	
	कुल	**131**	**92**	**131**	**115**	**16**	**61**

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सी.पी.एस. का निर्माण किए जाने तक, सीपीएस को किराए के भवनों में चालू करने का परामर्श दिया गया है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने तटीय पुलिस स्टेशनों (सीपीएस) के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अन्य सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उक्त प्रक्रिया पूरा करने का परामर्श दिया गया है।

3.54.2 **जेटीज़**

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जेटीज				
		स्वीकृत जेटीज की संख्या	भूमि/स्थल का चयन (संख्या)	जमीन अधिग्रहीत की गई/कब्जे में (संख्या)	भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू (संख्या)	जेटीज का निर्माण कार्य प्रारंभ (संख्या)
1	गुजरात	5	5	-	-	-
2	महाराष्ट्र	3	3	1	2	-
3	गोवा	2	2	2	-	-
4	कर्नाटक	2	2	1	1	-
5	केरल	4	4	-	4	-
6	तमिलनाडु	12	12	6	6	-
7	आंध्र प्रदेश	7	7	-	-	-
8	ओडिशा	5	3	1	2	-
9	पश्चिम बंगाल	4	4	-	4	-
10	दमन और दीव	2	2	2	-	2
11	पुडुचेरी	2	2	2	0	-
12	लक्षद्वीप	2	2	-	2	-
13	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	10	10	-	-	-
	कुल	**60**	**58**	**15**	**21**	**2**

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जहां कहीं व्यवहार्य हो, वहां जेटीज को रणनीतिक रूप से विद्यमान मत्स्यन बंदरगाहों के निकट स्थापित करने का परामर्श दिया गया है।

गृह मंत्रालय द्वारा 10 बड़े जलयानों की खरीद केवल अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के लिए की जा रही है। जहां तक नौकाओं की खरीद का संबंध है, गृह मंत्रालय इनका प्रापण कर रहा है। अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने समुद्री पुलिस प्रचालन केन्द्रों की स्थापना के लिए पहल की है।

3.54.3 **वाहन**

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चार पहिया वाहन		दुपहिया वाहन	
		स्वीकृत	खरीदे गए	स्वीकृत	खरीदे गए
1	गुजरात	12	12	24	24
2	महाराष्ट्र	7	7	14	-
3	गोवा	4	-	8	-
4	कर्नाटक	4	4	8	8
5	केरल	10	-	20	-
6	तमिलनाडु	30	30	60	60
7	आंध्र प्रदेश	15	15	30	30
8	ओडिशा	13	-	26	-
9	पश्चिम बंगाल	8	-	16	-
10	दमन और दीव	2	2	4	4
11	पुडुचेरी	3	3	6	6
12	लक्षद्वीप	3	3	6	6
13	अण्डमान निकोबार दीप समूह	20	20	20	-
	कुल	**131**	**96**	**242**	**138**

3.54.4 दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार, तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 122.58 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

तटीय सुरक्षा के लिए केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समग्र समन्वय

3.55 तट रक्षक को सभी स्टेकहोल्डरों के साथ गहन परामर्श करके मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) विकसित करने का कार्य विशिष्ट रुप से सौंपा गया है, ताकि एजेंसियों के बीच समन्वय विकसित किया जा सके और सूचना के निर्बाध प्रवाह में सहायता प्रदान की जा सके।

3.56 तटरक्षक द्वारा तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ तटीय सुरक्षा अभ्यास छमाही आधार पर आयोजित किए जाते हैं और इन अभ्यासों के दौरान मानक प्रचालन प्रक्रियाओं को विधिमान्य बनाया जाता है। तटीय राज्यों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों की अध्यक्षता में अभ्यास के उपरांत बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिनमें सभी स्टेकहोल्डर भाग लेते हैं। सीखी गई बातों पर विचार–विमर्श किया जाता है और इसकी सूचना सभी स्टेकहोल्डरों को दी जाती है। वर्ष 2009 से दिनांक 31.12.2014 तक तटरक्षक द्वारा 105 तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किए गए हैं।

3.57 समुद्री पुलिस और सीमा शुल्क के साथ संयुक्त तटीय गश्त (जेसीपी) को संस्थागत बनाया गया है और यह गश्त विशेष रुप से गुजरात क्षेत्र में लगाई जा रही है। इसके अलावा, आसूचना संबंधी जानकारियों के आधार पर, तटीय सुरक्षा अभियान भी चलाए जा रहे हैं और इसमें तटरक्षक द्वारा सहभागिता की जाती है। वर्ष 2009 से दिनांक 31.12.2014 तक कुल 143 तटीय सुरक्षा अभियान चलाए गए हैं।

3.58 इसके अतिरिक्त, भारतीय तटरक्षक समुद्र में सुरक्षा संबंधी मुद्दों के बारे में जागरुकता लाने के लिए मछुआरों के लिए सामुदायिक विचार–विमर्श कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। सामुदायिक विचार–विमर्श कार्यक्रम मछुआरा समुदाय को विद्यमान सुरक्षा की स्थिति के बारे में सुग्राही बनाने और आसूचना के संग्रहण के लिए उन्हें 'आंख और कान' के रुप में विकसित करने के लिए भी आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2009 से, दिनांक 31.12.2014 तक कुल 3120 सामुदायिक विचार – विमर्श कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

तटीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए तंत्र

3.59 देश की तटीय सुरक्षा के संबंध में सरकार द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, सरकार द्वारा मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इसे 'समुद्री मार्ग से खतरों के प्रति समुद्री एवं तटीय सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए राष्ट्रीय समिति' (एनसीएसएमसीएस) कहा जाता है और इसमें नौसेना प्रमुख, विदेश सचिव, रक्षा सचिव, गृह सचिव, सचिव (सीमा प्रबंधन), पोत परिवहन, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, पशुपालन, डेयरी एवं मात्स्यिकी तथा राजस्व सचिव, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एवं सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, सचिव (आर) मंत्रिमंडल सचिवालय, निदेशक (आसूचना ब्यूरो), महानिदेशक (भारतीय तटरक्षक), तटीय राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव/प्रशासक और केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष शामिल हैं। समिति की पिछली बैठक दिनांक 03.07.2014 को आयोजित की गई थी। बैठक में लिए गए विभिन्न निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए गहन अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

3.60 तटीय सुरक्षा की समीक्षा के लिए मंत्रालय में सचिव (सीमा प्रबंधन) की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किया गया है, जिसकी पिछली बैठक दिनांक 07.03.2014 को आयोजित की गई थी। तटीय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस समिति में प्रतिनिधित्व करते हैं और तटीय सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में फीडबैक प्रदान करते हैं।

तटीय सुरक्षा में सुधार के लिए की गई अन्य पहलें

संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास

3.61 तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य संबंधित एजेंसियों की तैयारी में सुधार करने के लिए तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और सीमा शुल्क के साथ भारतीय तटरक्षक द्वारा समन्वित 'सागर कवच' जैसे तटीय सुरक्षा अभ्यास हर 6 महीने में आयोजित किए जाते हैं। ऐसे अभ्यास सहक्रिया एवं सामंजस्य उत्पन्न करने में बहुत उपयोगी रहे हैं। सभी स्टेकहोल्डरों के लाभ के लिए प्रत्येक अभ्यास में सीखी गई बातों और सामने आई कमियों के बारे में बताने के तौर–तरीके तैयार किए गए हैं। ऐसे अभ्यासों के दौरान, मछुआरों के साथ नियमित रुप से बैठकें आयोजित की जाती हैं, ताकि उन्हें तटीय सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान की जा सके। 26/11 के पश्चात, दिनांक 31.12.2014 तक 105 सुरक्षा अभ्यास आयोजित किए गए हैं।

3.62 रक्षा मंत्रालय ने भी मुम्बई, विशाखापत्तनम, कोच्चि और पोर्ट ब्लेयर में चार संयुक्त प्रचालन केन्द्र स्थापित किए हैं, जिनकी जनशक्ति और प्रचालन का प्रबंध संबंधित केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर नौसेना और तटरक्षक द्वारा संयुक्त रुप से किया जाता है।

3.63 भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के अनुसार, बड़ा बन्दरगाह विकसित करने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है और छोटे बन्दरगाहों का विकास करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सभी बड़े

बन्दरगाहों में सुरक्षा प्रदान कर रही है। चूंकि छोटे बन्दरगाह राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं, इसलिए छोटे बन्दरगाहों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है।

3.64 सागर प्रहरी बल (एसपीबी) में 1000 कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया पहले ही शुरु कर दी गई है। कार्मिकों की वास्तविक तैनाती फास्ट इन्टरसेप्टर क्राफ्टों (एफ आई सी) के आने पर की जाएगी। दिनांक 31.12.2014 तक 17 अधिकारियों और 341 नाविकों की भर्ती की गई है।

3.65 एक समुद्री पुलिस प्रशिक्षण संस्थान (एमपीटीआई), पश्चिमी तट पर पिंडारा ग्राम, जिलाः देवभूमि द्वारका, गुजरात राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर)/मछुआरा पहचान–पत्र

3.66 दो प्रकार के पहचान–पत्र हैं, अर्थात तटीय गांवों के लोगों के लिए भारत के महापंजीयक (आरजीआई) द्वारा जारी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) पहचान–पत्र और पशुपालन, डेयरी एवं मात्स्यिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा मछुआरों को जारी मछुआरा पहचान–पत्र। आरजीआई ने दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार, 18 वर्ष और इससे अधिक की आयु वाले 67,50,719 व्यक्तियों के बायोमीट्रिक ब्यौरे प्राप्त कर लिए हैं और 65,72,523 एनपीआर पहचान–पत्र वितरित कर दिए हैं। दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग ने 11, 76,616 मछुआरा पहचान–पत्र तैयार किए है और 11,52,146 कार्ड वितरित कर दिये हैं। आरजीआई कार्ड सभी तटीय लोगों के लिए हैं, जबकि पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग द्वारा जारी किए गए कार्ड केवल मछुआरों के लिए हैं।

जलयानों/नौकाओं का पंजीकरण

3.67 जून, 2009 में, कुल 20 मीटर से कम की लम्बाई वाले मत्स्यन जलयानों का एक समान पंजीकरण करने का निर्णय लिया गया था। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा व्यापारिक जहाज अधिनियम, 1958 के तहत एकसमान पंजीकरण किया जाता है। 20 मीटर से अधिक की लम्बाई वाले सभी जलयानों पर एआईएस उपकरण लगा होना अनिवार्य है। यदि यह उपकरण नहीं लगा है, तो वार्षिक आधार पर ऐसे जलयानों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। दिनांक 31.12.2014 तक नई ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली के तहत कुल 1,91,559 मत्स्यन जलयानों का पंजीकरण किया गया है।

नौकाओं के लिए ट्रैकिंग प्रणाली (ट्रांसपोंडर)

3.68 नौवहन महानिदेशक ने दो परिपत्र जारी किए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 20 मीटर से अधिक की लम्बाई वाले मत्स्यन जलयानों सहित सभी प्रकार के जलयानों पर आटोमैटिक आइडेंटीफिकेशन सिस्टम (ए आई एस) टाइप बी ट्रांसपोंडर लगा दिए गए हैं।

3.69 20 मीटर से कम लंबी नौकाओं के लिए, रक्षा/पोत परिवहन मंत्रालय में प्रायोगिक अध्ययन के आधार पर ट्रैकिंग प्रणाली लगाने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी का पता लगाया जा रहा है। संपूर्ण तट के लिए प्रायोगिक परियोजना शुरू करने के लिए यह मामला सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है।

राज्य समुद्री बोर्डों (एसएमबी) का गठन

3.70 भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के अनुसार, पोत परिवहन मंत्रालय बड़े पत्तनों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है, जबकि छोटे पत्तनों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकारें/राज्य समुद्री बोर्ड उत्तरदायी हैं। छोटे पत्तनों के प्रबंधन, नियंत्रण और संचालन के लिए यह आवश्यक है कि तटीय राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य समुद्री बोर्ड (एसएमबी) हो।

(i) गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों ने एसएमबी का पहले ही गठन कर दिया है। पश्चिम बंगाल राज्य और पुडुचेरी, दमण एवं दीव तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों ने समुद्री सलाहकार समितियों का गठन कर दिया है।

(ii) केरल, ओडिशा तथा कर्नाटक राज्यों में एसएमबी के गठन की प्रक्रिया जारी है।

(iii) आंध्र प्रदेश, गोवा और अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन को एसएमबी की स्थापना संबंधी प्रक्रिया तेज करनी है।

एकीकृत जांच चौकियों (आईसीपी) का विकास

3.71 भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण अच्छा सीमा–प्रबन्धन करना अनिवार्य है, अतः यह आवश्यक है कि ऐसी प्रणालियां स्थापित की जाएं जिनसे इन समस्याओं का समाधान करने के साथ–साथ व्यापार और वाणिज्य की भी सुविधा हो सके। देश की अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर ऐसे विभिन्न नियत प्रवेश और निकासी स्थल हैं जहां से लोगों, सामान और यातायात की सीमा पार आवाजाही होती है।

3.72 हमारी भू–सीमाओं पर इन स्थलों पर सीमा शुल्क, आप्रवासन और अन्य विनियामक एजेंसियों के पास इस समय उपलब्ध आधारभूत ढांचा सामान्य रूप से अपर्याप्त है। वेयरहाउस, पार्किंग स्थल, बैंक, होटल, आदि जैसी सभी नियामक एवं सहायक सुविधायें भी या तो अपर्याप्त हैं या हैं ही नहीं। सभी विनियामक और सहायक कार्य सामान्यतया अपर्याप्त हैं और सामान्य रूप से एक ही परिसर में उपलब्ध नहीं हैं। बिल्कुल निकट स्थित होने पर भी विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों/सेवा प्रदान करने वाली एजेंसियों के कार्यों का समन्वय करने के लिए कोई एक एजेंसी जिम्मेदार नहीं है।

3.73 इस स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा स्वीकार की जाती है। जिन उपायों के बारे में सहमति व्यक्त की गई थी, उनमें से एक उपाय हमारी भू–सीमाओं पर प्रमुख प्रवेश स्थलों पर एकीकृत जांच चौकियों (आई सी पी) की स्थापना करना है। इन एकीकृत जांच चौकियों (आई सी पी) में आप्रवासन, सीमा शुल्क, सीमा सुरक्षा आदि जैसी सभी विनियामक एजेंसियों के साथ–साथ सभी आधुनिक सुविधाओं से सज्जित एक ही परिसर में पार्किंग, वेयरहाउसिंग, बैंकिंग, होटल आदि जैसी सहायक सेवाएं उपलब्ध होंगी।

भारतीय भू–पत्तन प्राधिकरण (एलपीएआई)

3.74 भारतीय भू–पत्तन प्राधिकरण (एलपीएआई) की स्थापना भारतीय भू–पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत दिनांक 01 मार्च, 2012 को आई सी पी की स्थापना, विकास और प्रबंधन के अधिदेश के साथ की गई है। एल पी ए आई सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय (एमएचए) के अधीन एक स्वायत्तशासी एजेंसी के रुप में कार्य करता है, जिसमें विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, राजस्व विभाग और अन्य स्टेकहोल्डरों का भी प्रतिनिधित्व होता है। यह अपने कार्यों में संबंधित राज्य सरकारों और बीजीएफ को भी शामिल करता है।

एकीकृत जांच चौकी, अटारी

एकीकृत जांच चौकी, अटारी

सुरक्षा लॉज

आप्रवासन खण्ड

एकीकृत जांच चौकी, अगरतला

3.75 सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में 635 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से योजनागत स्कीम के रुप में भारत–पाकिस्तान, भारत–नेपाल, भारत–बांग्लादेश और भारत–म्यांमार सीमाओं पर 13 स्थानों पर आई सी पी की स्थापना करने का अनुमोदन प्रदान किया है।

इन 13 आईसीपी की स्थिति निम्नानुसार है:

क) अटारी में आईसीपी का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और इसे दिनांक 13.04.2012 से कार्यरत बना दिया गया है।

ख) अगरतला में भी आईसीपी का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और गृह मंत्री द्वारा दिनांक 17.11.2013 को इसका उद्घाटन कर दिया गया है तथा आईसीपी अगरतला में कारगो कॉम्पलेक्स का दिनांक 06.12.2014 को उद्घाटन किया गया था।

ग) आईसीपी रक्सौल का कार्य अब पूरा होने वाला है। आगामी वित्तीय वर्ष 2015–16 तक इसके प्रारम्भ हो जाने की संभावना है।

घ) आईसीपी जोगबनी का कार्य प्रगति पर है तथा इसके इस वित्तीय वर्ष 2015–16 के अंत तक शुरू होने की संभावना है।

ङ) आईसीपी, पेट्रापोल के वित्त वर्ष 2015–16 तक शुरू होने की संभावना है।

च) आईसीपी, मोरेह विकास की प्रक्रिया में है तथा इसके वित्तीय वर्ष 2015–16 में परिचालित हो जाने की संभावना है।

छ) दवकी, सुनौली,सूत्रखंडी तथा कवरपुचिया में आईसीपी के संबंध में भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, जबकि आईसीपी, रूपैडिहा के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। जहां तक हिली तथा चन्द्रबंधा (पश्चिम बंगाल) में आईसीपी का संबंध है वहां पर भूमि की पहचान कर ली गई है।

आईसीपी, अटारी की शुरूआत के पश्चात व्यापार की मात्रा में वृद्धि

3.76 वित्तीय वर्ष 2012–13 में आईसीपी, अटारी में व्यापार की मात्रा वित्तीय वर्ष 2011–12 में 2,340 करोड़ रु. की तुलना में 4800 करोड़ रु. थी, जो आईसीपी की शुरूआत के पश्चात 100% से अधिक की वृद्धि का द्योतक है, वित्तीय वर्ष 2013–14 में, यह मात्रा 5,443.72 करोड़ रु. बताई गई थी। एक बार पाकिस्तान द्वारा भारत को एमएफएन का दर्जा प्रदान करने के बाद आई सी पी अटारी में व्यापार की मात्रा और अधिक बढ़ जाएगी।

आई सी पी द्वारा प्रदान की गई सुविधाएं

3.77 यह परिकल्पना की गई है कि आई सी पी एकीकृत परिसर के तहत व्यक्तियों, वाहनों और सामान की सहज सीमा पर आवाजाही के लिए शासकीय और गैर–शासकीय कार्य करने के लिए अपेक्षित सभी सुविधाएं प्रदान करेंगी। इनसे आप्रवासन, सीमा शुल्क, सुरक्षा, संगरोध आदि की प्रक्रियाओं में सुविधा होगी। इसमें सक्षम बनाने के लिए, आई सी पी पर प्रदान की गई अवसंरचनात्मक सुविधाएं निम्नानुसार हैं:

i) पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग

ii) इन्टरनेट की सुविधा

iii) कार्गो निरीक्षण शेड

iv) संगरोध प्रयोगशाला

v) बैंक

vi) डी एफ एम डी / एच एच एम डी

vii) आइसोलेशन बे

viii) कैफेटेरिया

ix) करेंसी एक्सचेंज

x) कार्गो प्रोसेस बिल्डिंग

xi) वेयरहाउस / कोल्ड स्टोरेज

xii) क्लीयरिंग एजेंट

xiii) स्कैनर

xiv) सी सी टी वी / पी ए सिस्टम

xv) पार्किंग

xvi) अन्य सार्वजनिक उपयोगी वस्तुएं

सीमा हाट

3.78 जनवरी, 2010 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के भारत के दौरे के दौरान, भारत और बांग्लादेश ने चुनिंदा स्थानों पर प्रायोगिक आधार पर सीमा हाट स्थापित करने का निर्णय लिया था। भारत–बांग्लादेश सीमा पर सीमा हाट और सीमा व्यापार के संबंध में दोनों देशों के बीच दिनांक 23.10.2010 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे।

3.79 निम्नलिखित स्थानों पर दो सीमा हाट पहले ही स्थापित कर दिए गए हैं:

1. कलाइचार (मेघालय, भारत) – बलियामारी (कुरीग्राम, बांग्लादेश)।

2. डोलोरा (सुनामगंज, बांग्लादेश) – बालाट (मेघालय, भारत)।

3.80 इसके अलावा, बांग्लादेश सरकार ने 8 सीमा हाटों (त्रिपुरा तथा मेघालय में 4–4) संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। वाणिज्य मंत्रालय सीमा हाटों की स्थापना करने संबंधी कार्य शुरू कर रहा है।

*****

अध्याय 4

केन्द्र–राज्य संबंध

सरकार का विज़न

4.1.1 केन्द्र और राज्यों के बीच तथा एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए, नई सरकार ने निम्नलिखित बातों पर बल दिया है:

केन्द्र–राज्य संबंध

4.1.2 भारत एक विविध और बहु–भाषायी देश है तथा विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की अपनी आकांक्षाएं हैं। इसलिए, इन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र और राज्यों को एक ऐसी कार्य प्रणाली का विकास करना है, जिससे सद्भावपूर्ण संबंध कायम हो सके।

4.1.3 संघीय राजव्यवस्था में, घटक इकाइयों के बीच वृहत सामूहिक हित और आपसी कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए नीतियों और उनके कार्यान्वयन के बीच समन्वय अति महत्वपूर्ण होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 में नीतियां बनाने और उनके कार्यान्वयन में समन्वय को सुसाध्य बनाने हेतु संस्थागत तंत्र की स्थापना की परिकल्पना की गई है।

अंतर–राज्य परिषद (आई एस सी)

4.2 केन्द्र–राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में, अन्तर–राज्य परिषद (आई एस सी) का गठन दिनांक 28.5.1990 के राष्ट्रपति के आदेश के तहत वर्ष 1990 में किया गया था।

4.3 अन्तर–राज्य परिषद एक अनुशंसात्मक निकाय है तथा इसको ऐसे विषयों की जांच और उन पर विचार–विमर्श करने तथा संस्तुतियां करने के कार्य सौंपे गए हैं जिनमें उस विषय से संबंधित नीति एवं कार्रवाई के बेहतर समन्वयन हेतु कुछ अथवा सभी राज्यों एवं केन्द्र तथा एक या अधिक राज्यों के साझा हित शामिल होते हैं। यह अध्यक्ष द्वारा परिषद के सामने लाए गए राज्यों के सामान्य हित के ऐसे अन्य मामलों पर भी विचार– विमर्श करती है।

4.4 माननीय प्रधान मंत्री परिषद के अध्यक्ष हैं। सभी राज्यों और विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री, विधान सभा रहित संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल, परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में कैबिनेट रैंक के छह मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं। परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित कैबिनेट स्तर के पाँच मंत्री/राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) परिषद के स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं। परिषद का पिछला पुनर्गठन दिनांक 23.09.2013 को किया गया था।

4.5 परिषद की बैठकें बंद कमरे में आयोजित की जाती हैं तथा बैठक में परिषद के विचाराधीन सभी मुद्दों पर आम सहमति से निर्णय लिया जाता है तथा आम सहमति पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। परिषद को संविधान के अनुच्छेद 263 के खंड (क) में उल्लिखित कार्य अर्थात् राज्यों के बीच पैदा हुए विवादों की जांच करने और सलाह देने का कार्य नहीं सौंपा गया है।

4.6 दिनांक 31.12.2014 तक अन्तर–राज्य परिषद की 10 बैठकें हो चुकी हैं। पिछली बैठक वर्ष 2006 में हुई थी। अब तक हुई अंतर–राज्य परिषद की 10 बैठकों का ब्यौरा दर्शाने वाली सूची **अनुलग्नक–VIII** में दी गई है। अपनी पहली 8 बैठकों में, परिषद ने केन्द्र–राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग द्वारा की गई 247 सिफारिशों पर ध्यान केन्द्रित किया था और सभी सिफारिशों पर विचार किया था। इसकी 247 सिफारिशों में से, 180 सिफारिशों को स्वीकार और कार्यान्वित किया जा चुका है, 65 सिफारिशों को अन्तर–राज्य परिषद/प्रशासनिक मंत्रालयों/संबंधित विभागों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है तथा केवल 02 सिफारिशें स्टेकहोल्डरों के परामर्श से अभी भी कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

4.7 अन्तर–राज्य परिषद की स्थायी समिति का गठन वर्ष 1996 में किया गया था ताकि निरंतर परामर्श किया जा सके और परिषद के विचारार्थ मामलों पर कार्रवाई की जा सके। स्थायी समिति का पिछला पुनर्गठन दिनांक 23.09.2013 को किया गया था। माननीय गृह मंत्री स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं और छह केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री तथा नौ मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं। दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार, अंतर–राज्य परिषद की स्थायी समिति की 10 बैठकें हो चुकी हैं।

4.8 परिषद का सचिवालय अन्तर–राज्य परिषद द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की गहन निगरानी करता है और कृत कार्रवाई की रिपोर्ट स्थायी समिति/परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करता है।

4.9 परिषद के सचिवालय ने परिषद के विचारार्थ नए मुद्दों का पता लगाने हेतु केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों के परामर्श से भी अनेक कदम उठाए हैं। अंतर–राज्य परिषद के समक्ष रखे जाने के लिए जिन मुद्दों पर विचार किया गया है, उनमें से कुछ मुद्दे निम्नलिखित हैं:

(i) दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा 'राज्य और जिला प्रशासन' शीर्षक वाली अपनी 15वीं रिपोर्ट (पैरा 2.3.2.12) में की गई सिफारिशों को स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार में कमी।

(ii) राज्य लोक सेवा आयोग में ऊंची साख, बौद्धिक क्षमता और ख्याति वाले व्यक्तियों की अध्यक्ष एवं सदस्यों के रुप में नियुक्ति तथा राज्य लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या की सीमा निर्धारित करना (दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिश)।

4.10 भारत सरकार की ओर से अन्तर–राज्य परिषद सचिवालय ने वर्ष 2005 में तीन वर्षों की अवधि के लिए 50,000 अमरीकी डालर प्रति वर्ष की सदस्यता शुल्क के साथ फोरम आफ फेडरेशंस, ओटावा, कनाडा के साथ एक ढांचागत करार किया था और तदनंतर वर्ष 2008 में तीन वर्ष की अवधि के लिए इसका नवीकरण किया गया था। इस ढांचागत करार को वर्ष 2011 के बाद 3 वर्ष की अवधि के लिए पुनः नवीकृत किया गया है। इस करार का उद्देश्य अन्तरराष्ट्रीय साझेदारी सृजित करना है जो संघवाद के व्यवहार, सिद्धांत और सम्भावनाओं के संबंध में बातचीत को बढ़ावा देकर फोरम और साझेदार सरकारों को अभिशासन में सुधार करने तथा लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में सहायता प्रदान करेगा। कार्य आरंभ हो गया है और फोरम आफ फेडरेशन (एफओएफ) के सहयोग से अप्रैल या मई, 2015 के माह में सहकारी संघवाद के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए यूएनडीपी, विश्व बैंक, कंज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसाइटी (सीयूटीएस) जैसे संगठनों के साथ परामर्श किया जा रहा है। इससे सहकारी संघवाद की लाभप्रद कवायद का अगला चरण आरंभ करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में सभी राज्यों और संघ राज्यों सहित अंतर–राज्य परिषद की पूर्ण बैठक का मार्ग प्रशस्त होगा।

केन्द्र – राज्य संबंधों से संबंधित आयोग (सी सी एस आर)

4.11 भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मदन मोहन पंछी की अध्यक्षता में केन्द्र राज्य संबंधों से संबंधित आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 31.03.2010 को सरकार को प्रस्तुत कर दी थी। यह रिपोर्ट संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों सहित सभी स्टेकहोल्डरों को आयोग की सिफारिशों पर उनके विचारित अभिमत हेतु परिचालित की गयी थी। इसकी प्रति परिषद की वेबसाइट अर्थात् www.interstatecouncil.nic.in पर भी उपलब्ध है।

4.12 दिनांक 31.12.2014 तक सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और 30 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं और अन्तर–राज्य परिषद सचिवालय द्वारा इनकी जांच की जा रही है।

4.13 इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अंतर–राज्य परिषद की बैठक वर्ष 2006 से नहीं हुई है, वर्तमान सरकार ने एक नया विज़न लागू करने के लिए इस प्रक्रिया को पुनः आरंभ किया है (जैसाकि माननीय राष्ट्रपति द्वारा संसद में उल्लेख किया गया था)। विज़न संबंधी विवरण निम्नानुसार है:–

- सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य की वास्तविक शिकायतों का व्यापक रुप से समाधान किया जाना।
- परामर्श की प्रक्रिया के माध्यम से केन्द्र–राज्य संबंधों में संतुलन स्थापित करना और सद्भावपूर्ण केन्द्र–राज्य संबंध के लिए प्रयास करना। इस प्रयोजन के लिए अंतर–राज्य परिषद को एक सक्रिय निकाय बनाना।
- केन्द्र को एक ऐसे राष्ट्रीय विकास का माडल विकसित करके राज्यों की तीव्र प्रगति में सक्षम बनाने वाले एवं सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाना, जो राज्यों द्वारा संचालित हो।
- टीम इंडिया दिल्ली में पदासीन प्रधान मंत्री के नेतृत्व वाली टीम तक सीमित न हो, बल्कि इसमें समान भागीदारों के रुप में मुख्य मंत्री और अन्य पदाधिकारी शामिल हों।
- वित्तीय अनुशासन का आग्रह करते हुए राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करना।
- सामान्य समस्याओं और सरोकारों के साथ 'क्षेत्रीय राज्य परिषदों' का सृजन करना, ताकि ऐसे समाधान ढूंढ़े जा सकें जो राज्यों के समूह पर समान रुप से लागू हों।
- सुरक्षा संबंधी मुद्दों, अंतर–राज्य विवादों तथा अंतर–क्षेत्रीय आर्थिक विषमताओं को दूर करने तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के बीच सहयोग को प्रोत्साहन प्रदान करना।
- द्वीप क्षेत्रों का संरक्षण और समन्वित विकास सुनिश्चित करना।

4.14 विज़न संबंधी विवरण के अनुसार, अंतर–राज्य परिषद ने निम्नलिखित कार्रवाई संबंधी एजेंडा तैयार किया है और मुद्दों की पहचान की है तथा नए लक्ष्य शामिल करने के लिए सरकार के विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं:–

- अंतर–राज्य परिषद और अंतर–राज्य परिषद की स्थायी समिति का पुनर्गठनः इसके लिए सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और प्रधान मंत्री कार्यालय के विचाराधीन है। पत्र की एक अग्रिम प्रति राज्यों को भी भेजी गई है, जिसमें उनसे अंतर–राज्य परिषद की अगली बैठक के लिए औपचारिक संदर्भ/एजेंडा मांगा गया है।
- क्षेत्रीय परिषदों तथा क्षेत्रीय परिषदों की स्थायी समितियों की बैठकों का आयोजनः उत्तरी क्षेत्र की बैठक लखनऊ में तथा पश्चिमी क्षेत्र की बैठक गांधीनगर में आयोजित करने के प्रयास किए गए थे, लेकिन ये बैठकें स्थगित कर दी गई हैं। ये बैठकें पुनः आयोजित की जानी हैं। फाइलें सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत की गई हैं।
- क्षेत्रीय परिषदों को पुनः सक्रिय बनाने और उन्हें अंतर–राज्य परिषद के अनुरुप बनाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और शीघ्र तैयार हो जाएगा।
- एम.एम. पंछी आयोग (2010) सहित विभिन्न आयोगों की सिफारिशों के अध्ययन की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है और शीघ्र पूरी हो जाएगी।
- अंतर–राज्य परिषद को सुदृढ़ करने तथा क्षेत्रीय परिषद को पुनः सक्रिय बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 263 तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 और नियमों में कुछ परिवर्तन करने आवश्यक होंगे। इस संबंध में कदम उठाए जा रहे हैं।
- लोक–हित तथा परिषद के विषयों के मामले में परामर्श देने और नीतिगत कार्रवाई के लिए अध्ययन में सहायता प्रदान करने के लिए सचिवालय में नीति संबंधी सलाहकार समूह के सृजन का प्रस्ताव है।
- 'सहकारी संघवाद' से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करना।
- केन्द्र–राज्य और अंतर–राज्य संबंध के क्षेत्र में प्राप्त की गई ऐतिहासिक उपलब्धियों तथा भावी कार्य योजना के संबंध में प्रकाशन निकालना और लोक सरोकर के मुद्दों के संबंध में भी 'न्यूज लेटर' प्रकाशित करना।
- सहकारी संघवाद के संबंध में शिक्षा प्रदान करने वाले तथा अनुसंधान करने वाले संस्थानों के साथ सहयोग और यदि आवश्यक हो, तो इस प्रयोजन के लिए एक संस्थान/विश्वविद्यालय की स्थापना करना।

क्षेत्रीय परिषद सचिवालय

भूमिका और कार्य

4.15 क्षेत्रीय परिषदों की संख्या पाँच है और ये सांविधिक निकाय हैं, जिनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र में अन्तर–राज्य तथा क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करने, संतुलित सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने और सद्भावनापूर्ण केन्द्र–राज्य संबंध बनाने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को साझा बैठक का आधार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद ने संबंधित क्षेत्रीय परिषदों के सदस्य राज्यों के मुख्य सचिवों को शामिल करके एक स्थायी समिति का गठन किया है। ये स्थायी समितियाँ मुद्दों को सुलझाने अथवा क्षेत्रीय परिषदों की आगे की बैठकों के लिए आवश्यक आरम्भिक कार्य करने के उद्देश्य से समय–समय पर बैठकें आयोजित करती हैं। योजना आयोग और अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी आवश्कयता के आधार पर इन बैठकों से सम्बद्ध रहते हैं।

क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें

4.16 इन क्षेत्रीय परिषदों की इनके गठन के समय से लेकर अब तक 110 बैठकें हो चुकी हैं। स्थायी समितियों की भी 50 बैठकें हो चुकी हैं।

नई दिल्ली में मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 10वीं बैठक

4.17 मध्य, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी और पश्चिमी सभी क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें तीन महीने की अल्पावधि में आयोजित की गई थीं। इन बैठकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्रम सं.	बैठक का विवरण	बैठक की तारीख	बैठक का स्थान	टिप्पणी
1.	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति	31.10.2014	नई दिल्ली	बैठक आयोजित की गई
2.	मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति	7.11.2014	पटना	बैठक आयोजित की गई
3.	मुख्य सचिव, तेलंगाना की अध्यक्षता में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति	19.11.2014	हैदराबाद	बैठक आयोजित की गई
4.	मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति	27.11.2014	नई दिल्ली	बैठक आयोजित की गई
5.	मुख्य सचिव, गुजरात की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति	2.12.2014	नई दिल्ली	बैठक आयोजित की गई

4.18 यह एक विशिष्ट उपलब्धि है, क्योंकि स्थायी समिति की 5 बैठकें 3 महीने (अक्तूबर, 2014 से दिसम्बर, 2014 तक) के दौरान आयोजित की गईं, जबकि समिति की पिछली पांच बैठकें पहले 4 वर्षों (2010 से 2013 तक) के दौरान आयोजित की गई थीं।

हैदराबाद में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 8वीं बैठक

4.19 स्थायी समिति की बैठकों में संबंधित सदस्य राज्यों के मुख्य सचिवों/वरिष्ठ अधिकारियों तथा संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के अधिकारियों ने भाग लिया था।

4.20 क्षेत्रीय परिषदों/स्थायी समिति की बैठकों में विचार–विमर्श के परिणामस्वरुप संक्रामक रोगों को रोकने के उपायों, प्रमुख खनिज पदार्थों की रायल्टी की दरों में संशोधन, पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, वन संरक्षण, भारतीय सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण परियोजना, रेलवे की परियोजनाओं के लिए भूमि के अधिग्रहण से संबंधित मुद्दों, आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा, कोयला और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और संवितरण, बटालियनों के शिविर स्थलों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को भूमि के आबंटन, पुलिस प्रशासन से संबंधित मामलों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मुद्दों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) से संबंधित मुद्दों, स्वास्थ्य शिक्षा, सड़क, रेलवे, निधियों के उपयोग, क्षेत्रीय परिषद की संस्था के सुदृढ़ीकरण आदि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों और एजेंडा मदों की पहचान की गई है।

4.21 सभी स्थायी समितियों की सिफारिश के आधार पर, राज्य के मुख्य मंत्रियों, सदस्यों और सलाहकारों की क्षेत्रीय परिषदों की बैठक जनवरी 2015 में अर्थात पूर्वी क्षेत्र की पहली बैठक दिनांक 16.01.2015 को पटना में और मध्य क्षेत्र की दूसरी बैठक दिनांक 19.01.2015 को लखनऊ में आयोजित करने की योजना है। अन्य क्षेत्रों की बैठकें आयोजित करने का कार्य मार्च, 2015 तक पूर्ण कर लिए जाने की योजना है।

*****

अध्याय 5

देश में अपराध परिदृश्य

5.1 भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत "पुलिस" एवं "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं और इसलिए प्रारम्भिक तौर पर राज्य सरकारें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होने वाले अपराधों के निवारण, पंजीयन, उनका पता लगाने एवं जांच करने और अपराधियों पर अभियोजन चलाने के लिए उत्तरदायी हैं। तथापि, गृह मंत्रालय, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत हथियार, संचार, उपकरण, आवाजाही, प्रशिक्षण और अन्य अवसंरचना की दृष्टि से राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करता है।

अपराध की प्रवृत्ति का विश्लेषण

5.2 राष्ट्रीय अपराध रिकर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) का वार्षिक प्रकाशन, "भारत में अपराध, 2013" प्रकाशित किया गया और इसे जून, 2014 में ब्यूरो की वेबसाइट http://ncrb.nic.in पर अपलोड किया गया। ब्यूरो की बेबसाइट पर इस प्रकाशन के सभी अंक भी उपलब्ध हैं। प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों (2009–2013) के दौरान अपराध की मिश्रित प्रवृत्ति रही है। सूचित किए गए और पुलिस द्वारा जांच किए गए सभी संज्ञेय अपराधों को मोटे तौर पर भारतीय दण्ड संहिता (आई पी सी) के अंतर्गत आने वाले या विशेष और स्थानीय कानून (एस एल एल) के अंतर्गत आने वाले अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

5.3 देश में वर्ष 2012 में हुए 23,87,188 आई पी सी अपराधों की तुलना में वर्ष 2013 के दौरान कुल 26,47,722 आई पी सी अपराध सूचित किए गए, जिसमें वर्ष 2013 में 10.9% की वृद्धि दर्ज की गई। प्रतिशतता की दृष्टि से कुल संज्ञेय अपराधों की तुलना में आई पी सी अपराधों का हिस्सा वर्ष 2009 में 31.8% से बढ़कर वर्ष 2010 में 33.0% हो गया। तथापि, यह वर्ष 2011, 2012 और 2013 में बढ़कर क्रमशः 37.2%, 39.5% और 39.9% हो गया, जो वर्ष 2009–2013 की पांच वर्ष की अवधि में वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाता है।

अपराध दर

5.4 अपराध दर को प्रत्येक 1,00,000 की जनसंख्या पर घटित अपराधों की संख्या के रुप में परिभाषित किया जाता है। इसे सामान्यतः अपराध का वास्तविक सूचक माना जाता है, क्योंकि इसमें स्थान विशेष की जनसंख्या के आकार को ध्यान में रखा जाता है।

5.5 वर्ष 2009–12 के दौरान अपराध दर में निरंतर कमी की प्रवृत्ति दिखाई दी (वर्ष 2009 में 570.8 से घटकर वर्ष 2012 में 497.9 हो गई)। लेकिन वर्ष 2012–13 के दौरान अपराध दर में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई, जो वर्ष 2012 में 497.9 से बढ़कर वर्ष 2013 में 540.4 हो गई।

शारीरिक अपराध

5.6 शारीरिक अपराध की संख्या, जिसमें हत्या, हत्या के प्रयास, हत्या की कोटि में न आने वाला सदोष मानववध, व्यपहरण और अपहरण, चोट पहुंचाना, लापरवाही से हुई मौत शामिल हैं, वर्ष 2013 में 5,83,645 थी, जो वर्ष के दौरान हुए कुल भारतीय दंड संहिता वाले अपराधों का 22.0% है। शारीरिक अपराधों में वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2013 के दौरान 4.1% की वृद्धि हुई।

संपत्ति के प्रति अपराध

5.7 वर्ष 2012 के दौरान दर्ज किए गए 4,65,055 अपराधों की तुलना में वर्ष 2013 के दौरान संपत्ति के प्रति कुल 5,16,648 अपराध दर्ज किए गए थे, जिनमें डकैती, डकैती डालने के लिए एकत्र होना, लूट–पाट, सेंधमारी और चोरी शामिल हैं और यह 11.1% की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय दंड संहिता के कुल अपराधों की तुलना में इन अपराधों का हिस्सा 19.5% था।

लोक व्यवस्था के प्रति अपराध

5.8 वर्ष 2013 के दौरान लोक व्यवस्था के प्रति अपराध, जिनमें दंगे और आगजनी शामिल हैं, के कुल 81,483 मामले सूचित किए गए, जो वर्ष 2012 में हुए 86,469 अपराधों के मामलों की तुलना में 5.8% की कमी दर्शाते हैं।

विशेष और स्थानीय कानूनों (एस एल एल) के अंतर्गत अपराध

5.9 वर्ष 2013 के दौरान विभिन्न विशेष और स्थानीय कानूनों के तहत कुल 39,92,656 मामले सूचित किए गए, जबकि वर्ष 2012 में 36,54,371 मामले सूचित किए गए थे, जो वर्ष 2013 में 9.3% की वृद्धि दर्शाते हैं।

अनुसूचित जातियों के प्रति अपराध

वर्ष 2009–2013 के दौरान अनुसूचित जातियों के प्रति अपराध की घटनाएं

क्र. सं	अपराध–शीर्ष	वर्ष					वर्ष 2012 की तुलना में 2013 में % अंतर
		2009*	2010*	2011	2012	2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	हत्या	629	572	673	651	676	3.8
2	बलात्कार	1,350	1,350	1,557	1,576	2,073	31.5
3	अपहरण और व्यपहरण	511	510	616	490	628	28.2
4	डकैती	42	41	36	27	45	66.7
5	लूटपाट	67	75	54	40	62	55.0
6	आगजनी	195	150	169	214	189	-11.7
7	चोट पहुंचाना	4,322	4,344	4,247	3,855	4,901	27.1
8	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम	168	143	67	62	62	0.0
9	अनु. जाति/अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम	11,037	10,419	11,342	12,576	13,975	11.1
10	अनुसूचित जातियों के प्रति अन्य अपराध	15,091	15,039	14,958	14,164	16,797	18.6
	अनुसूचित जातियों के प्रति कुल अपराध	**33,412**	**32,643**	**33,719**	**33,655**	**39,408**	**17.1**

नोटः '*' छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा आंकड़ों में संशोधन किए जाने के कारण संशोधित आंकड़े।

5.10 अपराध की घटनाएंः उपर्युक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2013 में अनुसूचित जातियों के प्रति अपराध में 17.1% वृद्धि हुई है, क्योंकि वर्ष 2012 में सूचित किए 33,655 मामले वर्ष 2013 में बढ़कर 39,408 हो गए हैं। यह वृद्धि आगजनी को छोड़कर सभी शीर्षों में देखी गई। वर्ष 2013 में हत्या (676), बलात्कार (2,073), अपहरण एवं व्यपहरण (628), डकैती (45), लूटपाट (62), चोट पहुंचाना (4,901), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (13,975) और अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अन्य अपराध (16,797) के मामलों में वर्ष 2012 की तुलना में क्रमशः 3.8%, 31.5%, 28.2%, 66.7%, 55.0%, 27.1%, 11.1%, और 18.6%, की वृद्धि हुई है। लेकिन सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों का स्तर 2012 के समान ही रहा। देश में सूचित किए गए कुल 39,408 मामलों में से उत्तर प्रदेश का हिस्सा 18.0% (7,078 मामले) था, जिसके बाद बिहार 17.1% (6,721 मामले), राजस्थान 16.4% (6,475 मामले) और आन्ध्र प्रदेश 8.3% (3,270 मामले) का स्थान रहा।

5.11 अपराध दरः वर्ष 2013 के दौरान अनुसूचित जातियों के प्रति अपराध की दर प्रति लाख अनुसूचित जाति की आबादी पर 19.6 पायी गई।

अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध

वर्ष 2009–2013 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध की घटनाएं

क्रम सं.	अपराध–शीर्ष	वर्ष					वर्ष 2012 की तुलना में 2013 में % अंतर
		2009*	2010*	2011	2012	2009	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	हत्या	122	124	143	156	122	-21.8
2	बलात्कार	589	640	772	729	847	16.2
3	अपहरण और व्यपहरण	66	69	137	103	130	26.2
4	डकैती	3	7	7	5	8	60.0
5	लूटपाट	22	5	9	15	7	-53.3
6	आगजनी	27	33	24	26	33	26.9
7	चोट पहुंचाना	715	917	803	816	930	14.0
8	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम	2	5	7	2	25	1,150.0
9	अनु. जाति/अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम	822	1,037	1,154	1,311	1,390	6.0
10	अनुसूचित जनजातियों के प्रति अन्य अपराध	2,882	2,927	2,700	2,759	3,301	19.6
	अनुसूचित जनजातियों के प्रति कुल अपराध	**5,250**	**5,764**	**5,756**	**5,922**	**6,793**	**14.7**

नोटः '*' छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा आंकड़ों में संशोधन किए जाने के कारण संशोधित आंकड़े।

5.12 अपराध की घटनाएंः उपर्युक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि देश में अनुसूचित जनजातियों के प्रति वर्ष 2012 में 5,922 मामलों की तुलना में वर्ष 2013 के दौरान कुल 6,793 मामले सूचित किए गए, जो वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2013 में 14.7% की वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि 'हत्या', और 'लूटपाट', को छोड़कर सभी शीर्षों में देखी गई। वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2013 में बलात्कार (847), अपहरण एवं व्यपहरण (130), डकैती (8), आगजनी (33), चोट पहुंचाना (930), सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम (25), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, (1,390) और अनुसूचित जनजातियों के प्रति अन्य अपराध (3,301) में क्रमशः 16.2%, 26.2%, 60.0%, 26.9%, 14.0%, 11.50%, 6.0% और 19.6% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2013 के दौरान देश में सूचित किए गए कुल 6,793 मामलों में से राजस्थान ने 24.30% मामलों (1,651 मामले) की सूचना दी है, जिसके बाद मध्य प्रदेश 19.08% (1,296 मामले) का स्थान आता है।

5.13 अपराध दरः वर्ष 2013 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध की दर प्रति लाख अनुसूचित जनजाति आबादी पर 6.5 पायी गई।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध को रोकने के लिए किए गए उपाय

5.14 संविधान की सातवीं अनुसूची के अधीन 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इस प्रकार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध सहित अपराध की रोकथाम करने, उसका पता लगाने, जांच करने और उस पर मुकदमा चलाने की मुख्य जिम्मेवारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, संघ सरकार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध की रोकथाम करने एवं उस पर नियंत्रण पाने के मामले को सर्वाधिक महत्व देती है।

5.15 गृह मंत्रालय ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के परामर्श से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रभावी कार्यान्वयन पर विचार–विमर्श करने के लिए दिनांक 17.04.2012 को नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में, राज्यों/संघ राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों, कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के गृह मंत्रियों और सामाजिक न्याय के प्रभारी मंत्री और अन्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

5.16 बैठक में, निम्नलिखित कदम उठाए जाने का प्रस्ताव किया गयाः

(i) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए परामर्शी पत्र में उल्लिखित विभिन्न उपायों के माध्यम से इसके प्रभावी कार्यान्वयन में अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता है।

(ii) सरकारी तंत्र को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सुग्राहीकरण के माध्यम से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों के संबंध में अधिक अनुक्रियाशील एवं संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।

(iii) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की व्यथा को दूर करने के लिए इस क्षेत्र में कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों, सामाजिक संगठनों और अन्य संगठनों को शामिल किया जाना चाहिए।

5.17 गृह मंत्रालय ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के विरूद्ध अपराध के संबंध में दिनांक 01.04.2010 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक विस्तृत परामर्शी पत्र भेजा था। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित इस परामर्शी पत्र में विभिन्न कदमों का उल्लेख किया गया है, जैसे; सांविधिक प्रावधानों एवं मौजूदा विधानों को प्रभावी रूप से एवं विवेकपूर्ण तरीके से लागू करना; सुसंरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सम्मेलनों एवं संगोष्ठियों आदि के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के विरूद्ध अपराध के बारे में विधि प्रवर्तन तंत्र को संवेदनशील बनाना; अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के विरूद्ध अपराध से संबंधित कानूनों के बारे में आम जागरूकता में सुधार करना, हिंसा, दुर्व्यवहार एवं उत्पीड़न के मामलों पर नियंत्रण के लिए सामुदायिक निगरानी प्रणाली का विकास करना; अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के विरूद्ध अपराध के मामलों में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में कोई विलंब नहीं करना; निवारक उपाय करने के लिए आर्थिक एवं सामाजिक उत्पीड़न–संभावित क्षेत्रों की पहचान करना; उत्पीड़न के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए पर्याप्त उपाय करना आदि।

5.18 गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 25.04.2011 को भी एक परामर्शी–पत्र जारी किया है, जिसमें उनसे मैला ढोने वाले व्यक्तियों (स्कावेंजरों) को काम पर रखने पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की पृष्ठभूमि से न आने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाने का आग्रह किया गया है। उक्त परामर्शी पत्र के पैरा 3 में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख है किः–

(i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के विरूद्ध अपराध से संबंधित सांविधिक प्रावधानों एवं मौजूदा विधानों को प्रभावी रूप से एवं विवेकपूर्ण तरीके से लागू किया जाना चाहिए।

(ii) इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अनुसार, किसी भी गैर–अनुसूचित जाति अथवा गैर–अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के किसी भी सदस्य की प्रतिष्ठा के हनन के कार्य को इस अधिनियम की धारा 3(1) (iii) के अधीन अपराध माना जाएगा। यह नोट किया जा सकता है कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के किसी भी सदस्य को मानव उत्सर्ग की सफाई करने अथवा उसे ढोने के लिए रोजगार देना अथवा उसे ऐसे कार्य पर लगाना उसकी प्रतिष्ठा का हनन माना जाएगा ओर इस प्रकार इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के दायरे में आएगा। इसलिए, व्यक्तियों द्वारा मैला ढोने के ऐसे मामलों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की उपयुक्त धाराओं के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

5.19 राज्य सरकारों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों से निपटने के लिए, अन्य बातों के साथ–साथ, निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं;

(ii) अत्याचार प्रवण / संवदेनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(iii) अधिनियम के तहत अपराधों के शीघ्र विचारण का प्रावधान करने के प्रयोजन के लिए विशेष न्यायालय एवं अनन्य विशेष न्यायालय नामोदिष्ट किए गए हैं। 9 विभिन्न राज्यों में 195 विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं।

(iv) जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों अथवा अन्य प्राधिकृत अधिकारियों के कार्यकरण का समन्वय करने के लिए नोडल अधिकारी नामित किये गये हैं; और

(v) मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति और जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियाँ गठित की गई हैं।

महिलाओं के प्रति अपराध

5.20 महिलाएं हत्या, लूटपाट, धोखाधड़ी इत्यादि जैसे कई आम अपराधों की भी पीड़ित होती हैं। केवल वे ही अपराध, जो विशेष रुप से महिलाओं के प्रति किए जाते हैं ''महिलाओं के प्रति अपराध'' के रुप में वर्गीकृत किए जाते हैं। महिलाओं के प्रति अपराधों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:–

(क) भारतीय दण्ड संहिता (आई पी सी) के अंतर्गत अपराध

(i) बलात्कार (भा.दं.सं. की धारा 376)

(ii) विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अपहरण एवं व्यपहरण (भा.दं.सं. की धारा 363–369 और 371–373)

(iii) दहेज के लिए गैर–इरादतन हत्या, दहेज हत्या अथवा उसका प्रयास (भा.दं.सं. की धारा 302 / 304–ख)

(iv) पति अथवा उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता (भा.दं.सं. की धारा 498–क)

(v) शील भंग के इरादे से महिलाओं पर हमला (भा.दं.सं. की धारा 354)

(vi) महिलाओं का शीलभंग (भा. दं. सं. की धारा 509)

(vii) विदेशों से लड़कियों का आयात (21 वर्ष की आयु तक) (भा.दं.सं. की धारा 366–ख)

(ख) विशेष एवं स्थानीय कानूनों (एस एल एल) के अंतर्गत अपराध

लिंग सापेक्ष कानून, जिनके लिए अपराध के आंकड़े देश भर में दर्ज किए जाते हैं, निम्नानुसार हैं:

(i) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956

(ii) दहेज निषेध अधिनियम, 1961

(iii) महिलाओं का अभद्र प्रदर्शन (निषेध) अधिनियम, 1986

(iv) सती प्रथा (निवारण) अधिनियम, 1987

5.21 वर्ष 2009–2013 के दौरान महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाएं

क्रम सं.	अपराध–शीर्ष	वर्ष					वर्ष 2012 की तुलना में 2013 में % अंतर
		2009	2010	2011	2012	2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	बलात्कार	21,397	22,172	24,206	24,923	33,707	35.2
2	अपहरण एवं व्यपहरण	25,741	29,795	35,565	38,262	51,881	35.6
3	दहेज हत्या	8,383	8,391	8,618	8,233	8,083	-1.8
4	पति अथवा उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता	89,546	94,041	99,135	1,06,527	1,18,866	11.6
5	शील भंग के इरादे से महिलाओं पर हमला	38,711	40,613	42,968	45,351	70,739	56.0
6	महिलाओं का शीलभंग	11,009	9,961	8,570	9,173	12,589	37.2
7	विदेशों से बालिकाओं का आयात	48	36	80	59	31	-47.5
8	सती प्रथा निवारण अधिनियम	0	0	0	0	0	-
9	अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956	2,474	2,499	2,436	2,563	2,579	0.6
10	महिलाओं का अभद्र प्रदर्शन (निवारण) अधिनियम	845	895	453	141	362	156.7
11	दहेज निषेध अधिनियम	5,650	5,182	6,619	9,038	10,709	18.5
	महिलाओं के प्रति कुल अपराध	**2,03,804**	**2,13,585**	**2,28,650**	**2,44,270**	**3,09,546**	**26.7**

5.22 अपराध की घटनाएंः उपर्युक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2013 के दौरान महिलाओं के प्रति अपराध में 26.7% और वर्ष 2009 की तुलना में 51.9% की वृद्धि हुई है। महिलाओं के प्रति अपराधों का आईपीसी संघटक कुल अपराधों का 95.6% था और शेष 4.4% महिलाओं के प्रति एसएलएल अपराध थे। पिछले 5 वर्षों के दौरान कुल आईपीसी अपराधों में से महिलाओं के प्रति किए गए आईपीसी अपराधों का अनुपात वर्ष 2009 में 9.2% से बढ़कर वर्ष 2013 के दौरान 11.2% हो गया है।

5.23 अपराध दरः वर्ष 2013 में महिलाओं के प्रति किए गए अपराध की दर प्रति लाख महिला आबादी पर 52.2 थी।

महिलाओं के प्रति अपराध का मुकाबला करने के लिए किए गए प्रशासनिक उपाय

5.24 महिलाओं के प्रति अपराध का मुकाबला करने के उपाय नीचे दिए गए हैंः–

(i) दिनांक 02.04.2013 से दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 प्रभावी हो गया है, जिसके द्वारा भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की विभिन्न धाराओं में संशोधन किए गए हैं। इसके द्वारा बलात्कार, यौन उत्पीड़न, पीछा करने, घूरने, तेजाब से हमले, शब्दों एवं अनुपयुक्त रुप से छूने आदि जैसे अभद्र हाव–भाव जैसे अपराधों के लिए सजा में वृद्धि की गई है। नए कानूनों में तेजाब से हमले, पीछा करने और घूरने के लिए सख्त सजा के प्रावधान के अतिरिक्त बलात्कार के अपराधियों के लिए आजीवन कारावास और मृत्यु दंड सहित अधिक सजा का प्रावधान है।

(ii) गृह मंत्रालय ने महिलाओं के प्रति अपराध और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति अत्याचार के संबंध में दिनांक 04.01.2013 को नई दिल्ली में मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों का एक सम्मेलन आयोजित किया था। प्रतिनिधियों ने महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षा में सुधार करने के लिए अपराध के निवारण, महिलाओं की सुरक्षा, कानून में परिवर्तन, संगठन, जांच प्रक्रियाओं और शीघ्र विचारण के विभिन्न उपायों पर विचार–विमर्श किया।

(iii) महिलाओं के प्रति अपराध के विभिन्न पहलुओं पर विचार–विमर्श करने के लिए दिनांक 21.02.2014 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ एक अन्य बैठक आयोजित की गई थी।

(iv) गृह मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीड़ित मुआवजा योजना (वी सी एस) की अधिसूचना एवं कार्यान्वयन की निगरानी कर रहा है। 26 राज्यों और सभी 7 संघ राज्य क्षेत्रों ने पीड़ित मुआवजा योजना को पहले ही अधिसूचित कर दिया है, जबकि शेष राज्यों में इसे अधिसूचित करने की प्रक्रिया चल रही है।

(v) गृह मंत्रालय ने दिनांक 22.04.2013 को एक परामर्शी पत्र जारी किया है, जिसके द्वारा राज्यों से पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर 33% करने का अनुरोध किया गया था।

(vi) गृह मंत्रालय ने क्षेत्राधिकार पर ध्यान दिए बिना एफआईआर तथा जीरो एफआईआर दर्ज करने के संबंध में दिनांक 10.05.2013 को एक अन्य परामर्शी पत्र जारी किया है।

(vii) अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने जिला स्तर पर 'समस्त महिला पुलिस स्टेशन' और पुलिस स्टेशन स्तर पर 'महिला/बाल सहायता डेस्क' स्थापित कर दिए हैं।

5.25 गृह मंत्रालय के अंतर्गत पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बी पी आर एण्ड डी) महिलाओं और बच्चों सहित समाज के सभी कमजोर वर्गों के प्रति अपराध की रोकथाम के लिए राज्यों में विभिन्न स्तरों पर पुलिस अधिकारियों को सुग्राही बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को सम्पूरित कर रहा है।

निर्भया निधि

5.26 भारत में महिलाओं की मर्यादा की रक्षा करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार और इस क्षेत्र में कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों द्वारा की गई पहलों का समर्थन करने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में 'निर्भया निधि' नामक एक आधारभूत निधि की स्थापना की गई है। गृह मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कई अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ इस निधि की संरचना, क्षेत्र और अनुप्रयोग के ब्यौरे तैयार कर लिए हैं।

5.27 पूर्वोक्त घोषणा के अनुसरण में, एक एकीकृत कंप्यूटर से लैस डिस्पैच (सीएडी) प्लेटफार्म की परिकल्पना की गई है, जो भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी आई एस) पर आधारित कॉल को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा। यह कॉल को रिसीव करेगा और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जी पी एस) से लैस पुलिस वाहन को स्थल पर भेजेगा। इससे महिलाओं द्वारा विपत्ति के समय कॉल किए जाने पर कार्रवाई करने की दक्षता और शीघ्रता से सहायता उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। लैंडलाइनों/मोबाइलों से दी गई विपत्ति/आपातकालिक चेतावनियों और विशेष रुप से महिलाओं द्वारा मोबाइल फोन के प्रयोगों और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) द्वारा तैयार किए गए वैयक्तिक उपकरणों के माध्यम से की गई कॉलों का पता लगाया जाएगा। प्रस्तावित प्रणाली को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चुने गए 113 शहरों में कार्यान्वित किया जाना है, जिनमें दस लाख से अधिक की आबादी वाले 53 शहर

तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यालय और अधिक अपराध संभावित 41 जिलों के मुख्यालय शामिल हैं।

5.28 इस परियोजना में 204.25 करोड़ रुपए की एकबारगी कार्यान्वयन लागत, 102.12 करोड़ रुपए का आवर्ती व्यय (5 वर्ष की परिचालन लागत) और केन्द्रीय निगरानी और मूल्यांकन परियोजना प्रबंधन इकाई के लिए लगभग 15.32 करोड़ रुपए का व्यय (कुल 321.69 करोड़ रुपए) शामिल है।

बच्चों के प्रति अपराध

वर्ष 2009–2013 के दौरान बच्चों के प्रति अपराध की घटनाएं

क्रम सं.	अपराध–शीर्ष	वर्ष					वर्ष 2012 की तुलना में 2013 में प्रतिशत अंतर
		2009*	2010	2011*	2012	2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	हत्या	1,488	1,408	1,451	1,597	1,657	3.8
2	शिशु हत्या	63	100	63	81	82	1.2
3	बलात्कार	5,368	5,484	7,112	8,541	12,363	44.7
4	अपहरण और व्यपहरण	8,945	10,670	15,284	18,266	28,167	54.2
5	भ्रूण हत्या	123	111	132	210	221	5.2
6	आत्महत्या के लिए उकसाना	46	56	61	144	215	49.3
7	अतिचार और परित्याग	857	725	700	821	930	13.3
8	अवयस्क बालिकाओं की खरीद	237	679	862	809	1224	51.3
9	वेश्यावृत्ति के लिए बालिकाओं की खरीद	32	78	27	15	6	-60.0
10	वेश्यावृत्ति के लिए बालिकाओं की बिक्री	57	130	113	108	100	-7.4
11	बच्चों के प्रति अन्य अपराध (बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 सहित)	6,987	7,253	7,247	7,580	13,259	74.9
	बच्चों के प्रति कुल अपराध	**24,203**	**26,694**	**33,052**	**38,172**	**58,224**	**52.5**

नोट : *छत्तीसगढ़ और अंडमान एवं निकोबार द्वभपसमूह द्वारा आंकड़ों में संशोधन के कारण संशोधित आंकड़े।

5.29 अपराध की घटनाएंः जैसाकि उपर्युक्त सारणी से देखा जा सकता है, वर्ष 2012 के दौरान 38,172 मामलों की तुलना में वर्ष 2013 के दौरान देश में बच्चों के प्रति अपराध के कुल 58,224 मामले सूचित किए गए थे, जो 52.5% की वृद्धि का द्योतक है। आईपीसी अपराधों में, अपहरण एवं व्यपहरण के मामलों की संख्या वर्ष 2012 में 18,266 से बढ़कर वर्ष 2013 में 28,167 हो गई और इसमें वर्ष 2012 की तुलना में 54.2% की वृद्धि दर्ज की गई। आईपीसी अपराधों में, नाबालिग लड़कियों की खरीद–फरोख्त के तहत मामलों की संख्या वर्ष 2012 में 809 से बढ़कर वर्ष 2013 में 1,224 हो गई, जिसमें वर्ष 2012 की तुलना में 51.3% की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2013 के दौरान देश में बच्चों के प्रति अपराध के 9,857 मामलों की अधिकतम संख्या के साथ उत्तर प्रदेश से 16.93% घटनाओं की सूचना मिली।

5.30 अपराध दर : वर्ष 2013 के दौरान बच्चों के प्रति अपराध की दर प्रति लाख बच्चों की आबादी (18 वर्ष से कम आयु वाले) के अनुसार 13.2 पायी गयी।

बच्चों के प्रति अपराध के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा किए गए प्रशासनिक उपाय

5.31 बच्चों के प्रति अपराध के संबंध में किए गए उपाय निम्नानुसार हैंः–

(i) बचपन बचाओ आन्दोलन बनाम भारत संघ के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लापता बच्चों के मामले में अनिवार्य रुप से एफआईआर दर्ज करने और उस पर तत्काल अनुवर्ती कार्रवाई करने के संबंध में दिनांक 25.06.2013 को परामर्शी पत्र जारी किया गया था।

(ii) यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम, 2012 के प्रमुख प्रावधानों के संबंध में दिनांक 28.05.2013 को एक परामर्शी पत्र जारी किया गया था, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उसे पूर्णरुपेण लागू करने का अनुरोध किया गया था।

(iii) बच्चों के प्रति साइबर अपराध को रोकने और उसका मुकाबला करने के संबध में दिनांक 04.01.2012 को एक परामर्शी पत्र जारी किया गया था, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को साइबर स्टाकिंग, साइबर बुलींग, बाल–अश्लीलता और यौन संबधी सामग्री के प्रति एक्सपोजर आदि जैसे अपराधों का विशेष रुप से मुकाबला करने का पमरार्श दिया गया था।

(iv) बच्चों के प्रति अपराध के संबंध में सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दिनांक 14.07.2010 को परामर्शी पत्र जारी किया गया था, जिसमें राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूलों/संस्थानों, विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सार्वजनिक वाहनों, बच्चों के पार्कों/खेलने के मैदानों, रिहाइशी इलाकों/सड़कों आदि में सुरक्षा की स्थितियों में सुधार करने के लिए समस्त उपाय करने का परामर्श दिया गया है। यह परामर्श भी दिया गया है कि अपराध की संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान की जाए और विद्यार्थियों, विशेष रुप से लड़कियों की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे क्षेत्रों में उल्लंघनों की निगरानी करने के लिए एक तंत्र की स्थापना की जाए। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित विशिष्ट उपाय करने का परामर्श दिया गया है:

क) बीट कांस्टेबलों की संख्या में वृद्धि करना;

ख) विशेष रुप से दूरस्थ एवं एकांत क्षेत्रों में पुलिस सहायता बूथों/कियोस्कों की संख्या में वृद्धि करना;

ग) विशेष रुप से रात्रि के दौरान पुलिस गश्त बढ़ाना;

घ) अपराध की संभावना वाले क्षेत्रों में पुलिस अवसरंचना से पूर्णरुपेण सज्जित पर्याप्त संख्या में पुलिस अधिकारियों, विशेष रुप से महिला अधिकारियों की तैनाती करना।

लापता बच्चे

5.32 गृह मंत्रालय ने लापता बच्चों का दुर्व्यापार रोकने और उनका पता लगाने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में दिनांक 31.01.2012 को एक विस्तृत परामर्शी पत्र जारी किया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बच्चों के प्रति बलात्कार, यौन–शोषण, बाल–अश्लीलता, अंग व्यापार आदि जैसे किसी भी जघन्य अथवा संगठित अपराध को रोकने की सलाह दी गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बच्चों का दुर्व्यापार रोकने और लापता बच्चों का पता लगाने के लिए विभिन्न आवश्यक उपायों के बारे में भी सलाह दी गई थी। इनमें ये शामिल हैं: लापता बच्चों का पता लगाने के कार्य को सुकर बनाने के लिए रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण, डी एन ए प्रोफाइल बनाना, गैर–सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों को शामिल करना, सामुदायिक जागरुकता कार्यक्रम आदि।

ट्रैक चाइल्ड

5.33 महिला और बाल विकास मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के परामर्श से देश में 'ट्रैक चाइल्ड' नामक एक राष्ट्रव्यापी पोर्टल की भी शुरूआत की है, जिसका लक्ष्य एकीकृत बाल सुरक्षा योजना (आईसीपीएस) के अंतर्गत पुनर्वास सेवाएं प्राप्त कर रहे सभी बच्चों के आंकड़ो का रख–रखाव करना है। इस साफ्टवेयर में पुलिस स्टेशनों में सूचित लापता बच्चों का ब्यौरा दिया गया है। यह पोर्टल सूचित लापता बच्चों के साथ योजना के अंतर्गत सेवाएं प्राप्त कर रहे बच्चों के मिलान की सुविधा प्रदान करता है। इसे www.trackthemissingchild.gov.in नामक वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

मानव दुर्व्यापार

वर्ष 2009–2013 के दौरान मानव दुर्व्यापार की घटनाएं

क्रम सं.	अपराध शीर्ष	वर्ष					वर्ष 2012 की तुलना में 2013 में प्रतिशत अंतर
		2009	2010	2011*	2012	2013	
1.	अवयस्क बालिकाओं की खरीद (आईपीसी की धारा 366–क)	237	679	862	809	1,224	51.3
2.	बालिकाओं का आयात (आईपीसी की धारा 366–ख)	48	36	80	59	31	-47.5
3.	वैश्यावृत्ति हेतु बालिकाओं की बिक्री (आईपीसी की धारा 372)	57	130	113	108	100	-7.4
4.	वैश्यावृत्ति हेतु बालिकाओं की खरीद (आईपीसी की धारा 373)	32	78	27	15	6	-60.0
5.	अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956	2,474	2,499	2,436	2,563	2,579	0.6
	कुल	**2,848**	**3,422**	**3,518**	**3,554**	**3,940**	**10.9**

टिप्पणी: *जम्मू एवं कश्मीर राज्य द्वारा आंकड़ों में संशोधन के कारण संशोधित आंकड़े।

5.34 जैसाकि निम्नलिखित सारणी से देखा जा सकता है, मानव दुर्व्यापार के इन शीर्षों के अंतर्गत दर्ज मामलों की कुल संख्या में पिछले 5 वर्षों के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है।

वर्ष 2009–2013 के दौरान आईपीसी अपराध, एसएलएल अपराध एवं मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत अपराध

क्रम सं.	वर्ष	कुल आईपीसी अपराध	कुल एसएलएल अपराध	मानव दुर्व्यापार के तहत मामले	मानव दुर्व्यापार के तहत अपराध की दर
1.	2009	21,21,345	45,53,872	2,848	0.2
2.	2010	22,24,831	45,25,917	3,422	0.3
3.	2011	23,25,575	39,27,154	3,518	0.3
4.	2012	23,87,188	36,54,371	3,554	0.3
5.	2013	26,47,722	39,92,656	3,940	0.3

5.35 **प्रवृत्ति विश्लेषण** : वर्ष 2009 से 2013 तक विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत दर्ज मानव दुर्व्यापार की घटनाओं में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। वर्ष 2012 के दौरान मानव दुर्व्यापार के 3,554 मामलों की तुलना में वर्ष 2013 के दौरान, मानव दुर्व्यापार के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कुल 3,940 मामले सूचित किए गए, जो वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2013 में 10.9% की वृद्धि दर्शाता है। वेश्यावृत्ति के लिए बालिकाओं की खरीद के मामलों में वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2013 में 60.0% की गिरावट देखी गई। इसी अवधि के दौरान अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत घटनाओं में 0.6% की मामूली वृद्धि देखी गई। वर्ष 2013 के दौरान मानव दुर्व्यापार के कुल 3,940 मामलों में से पश्चिम बंगाल ने 669 मामलों की सूचना दी। वर्ष 2013 के दौरान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार ने ऐसे क्रमशः 549, 531, 412, 345, और 267 मामलों की सूचना दी।

5.36 **अपराध दर** : वर्ष 2009 में मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत अपराध की दर 0.2 और वर्ष 2010, 2011, 2012 और 2013 में प्रत्येक वर्ष 0.3 थी। इस प्रकार, वर्ष 2009–2013 के दौरान अपराध दर में मिश्रित प्रवृत्ति देखी गई है।

दुर्व्यापार–रोधी प्रकोष्ठ

5.37 मानव दुर्व्यापार संबंधी मामलों से निपटने के लिए एक नोडल प्रकोष्ठ गठित किया गया है। यह प्रकोष्ठ, अन्य बातों के साथ–साथ, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अवैध व्यापार संबंधी आंकड़े एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने, समस्या वाले क्षेत्रों की पहचान करने और उनके स्रोत/पारगमन/गंतव्य क्षेत्र होने के कारणों का विश्लेषण करने, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपराध को रोकने के लिए की गई कार्रवाई की मानीटरिंग करने और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें आयोजित करने के लिए उत्तरदायी है। वर्ष 2007 से, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मानव दुर्व्यापार–रोधी इकाइयों के नोडल अधिकारियों के साथ 19 समन्वय बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। ये समीक्षा बैठकें बुनियादी स्तर पर मानव दुर्व्यापार संबंधी अपराध के मामलों को प्राथमिकता देने और प्रभावकारी अंतर–राज्य समन्वय में बहुत सहायक रही हैं। इस वर्ष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल पुलिस अधिकारियों के साथ दिनांक 20.06.2014 और 18.12.2014 को दो समन्वय बैठकें आयोजित की गईं।

''प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण'' (टीओटी) कार्यक्रमों के माध्यम से और मानव दुर्व्यापार–रोधी इकाइयों (एएचटीयू) की स्थापना के द्वारा दुर्व्यापार के प्रति विधि प्रवर्तन की कार्रवाई को मजबूती प्रदान करने के लिए व्यापक योजना

5.38 गृह मंत्रालय ने प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से ''मानव दुर्व्यापार के विरुद्ध भारत में विधि प्रवर्तन कार्रवाई के सुदृढ़ीकरण'' के संबध में एक व्यापक योजना को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें पूरे देश में 330 अवैध मानव दुर्व्यापार–रोधी इकाइयां (एएचटीयू) स्थापित करने और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) संघटक के माध्यम से 10,000 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव है। गृह मंत्रालय ने वर्ष 2010–2011 और 2011–12 में 225 मानव दुर्व्यापार–रोधी इकाइयों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को पहले ही दो किस्तों में निधियां जारी कर दी हैं। सभी मानव दुर्व्यापार–रोधी इकाइयां शुरू हो गई हैं।

5.39 वर्ष 2014 में, 45 अतिरिक्त मानव दुर्व्यापार–रोधी इकाइयों की स्थापना के लिए आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल, नागालैंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और मिजोरम की राज्य सरकारों को 3.41 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

5.40 वर्ष 2014 में, मानव दुर्व्यापार पीड़ितों की सहायता के लिए गृह मंत्रालय ने वर्ष 2011–12 के दौरान स्थापित 110 एएचटीयू में से प्रत्येक एएचटीयू जिले के लिए 35,000 रु. की दर से कुल 38.50 लाख रु. की मंजूरी प्रदान की है।

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम

5.41 विधि प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता निर्माण में वृद्धि करने और उनके बीच जागरूकता पैदा करने के लिए देश भर में क्षेत्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर पुलिस अधिकारियों और अभियोजकों के लिए मानव दुर्व्यापार का मुकाबला करने के संबंध में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) पर विभिन्न कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

न्यायिक विद्वत सम्मेलन

5.42 न्यायिक विद्वत सम्मेलन, दुर्व्यापार से संबंधित कानूनी प्रक्रिया के बारे में महिलाओं और बच्चों के अनुभव के संबंध में मजिस्ट्रेटों और न्यायाधीशों को सुग्राही बनाने, मजिस्ट्रेटों और न्यायाधीशों को कानून के अंतर्गत यथा उपबंधित व्यवहार्य निर्णय लेने और विवेक का इस्तेमाल करने में सक्षम बनाने, जो पीड़ित के लिए सर्वाधिक लाभदायक एवं न्यायोचित होगा किन्तु दुर्व्यापार करने वाले व्यक्ति के लिए अधिक सख्त होगा, दुर्व्यापार के मामलों के शीघ्र निपटान की प्रक्रियाओं पर ध्यान केन्द्रित करने तथा दुर्व्यापार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्रवाई करने के लिए पूरे देश में आयोजित किए जा रहे हैं। अब तक, नौ न्यायिक विद्वत सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। दिनांक 23.08.2014 को, उत्तर प्रदेश न्यायिक अकादमी, लखनऊ में न्यायिक विद्वत सम्मेलन आयोजित किया गया।

मानव दुर्व्यापार के संबंध में राज्य सरकारों को परामर्शी पत्र/मानक प्रचालन प्रक्रिया (एस ओ पी)

5.43 भारत सरकार ने मानव दुर्व्यापार के अपराध से निपटने की प्रभावकारिता में सुधार करने और विधि प्रवर्तन तंत्र की अनुक्रियाशीलता में वृद्धि करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय–समय पर विभिन्न उपायों का उल्लेख करते हुए व्यापक परामर्शी–पत्र जारी किए हैं। दिनांक 05.05.2014 को, गृह मंत्रालय के वेब पोर्टल (www.stophumantrafficking-mha.nic.in) पर मानव दुर्व्यापार–रोधी विषय पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक परामर्शी पत्र जारी किया गया।

5.44 इन परामर्शी पत्रों का संपूर्ण देश में विधि प्रवर्तन एजेंसियों पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा है और उनमें अपराध की गंभीरता के विषय में बताया गया है। इन परामर्शी पत्रों को अब जांच के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में माना जा रहा है। गैर–सरकारी संगठनों और सिविल सोसायटी ने इन परामर्शी पत्रों का उपयोग वकालती दस्तावेजों के रूप में किया है। ये परामर्शी पत्र मानव दुर्व्यापार–रोधी विषय पर गृह मंत्रालय के वेब पोर्टल (www.stophumantrafficking-mha.nic.in) पर उपलब्ध हैं।

बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय तंत्र

5.45 भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पार दुर्व्यापार से निपटने के लिए, दुर्व्यापार के निवारण, पीड़ित की पहचान और प्रत्यावर्तन से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान और प्रक्रिया को तेज तथा पीड़ित–हितैषी बनाने के लिए, भारत तथा बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है और भारत तथा बांग्लादेश के बीच एक कार्यबल का गठन किया गया है। भारत तथा बांग्लादेश के बीच कार्यबल की तीन बैठकें पहले ही आयोजित की जा चुकी हैं। चौथी बैठक का आयोजन दिनांक 06.04.2014 से 07.04.2014 तक मुम्बई (भारत) में किया गया था।

वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं एवं बच्चों के दुर्व्यापार को रोकने एवं उसका मुकाबला करने के संबंध में सार्क कन्वेंशन

5.46 भारत ने वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं एवं बच्चों के दुर्व्यापार को रोकने एवं उसका मुकाबला करने के संबंध में सार्क कन्वेंशन की अभिपुष्टि कर दी है। वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं एवं बच्चों के दुर्व्यापार को रोकने एवं उसका मुकाबला करने के संबंध में सार्क कन्वेंशन के कार्यान्वयन के लिए एक क्षेत्रीय कार्यबल का गठन किया गया था। अब तक, सार्क के सदस्य देशों के क्षेत्रीय कार्यबल की पांच बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

5.47 वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं एवं बच्चों के दुर्व्यापार को रोकने एवं उसका मुकाबला करने के संबंध में सार्क कन्वेंशन के मसौदे में संशोधनों पर चर्चा करने के लिए काठमांडू (नेपाल) में दिनांक 16.10.2014 से 17.10.2014 तक विशेषज्ञ समूह की बैठक आयोजित की गई थी।

5.48 एक मानव दुर्व्यापार–रोधी वेब पोर्टल (stophuman trafficking_mha.nic.in) फरवरी, 2014 में शुरू किया गया है। यह मानव दुर्व्यापार–रोधी उपायों, विशेष रुप से इसके आपराधिक पहलू के प्रभावी कार्यान्वयन तथा इस क्षेत्र में बेहतर पद्धतियों के संवर्धन के लिए सभी स्टेकहोल्डरों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा सिविल सोसाइटी संगठनों के बीच सूचना के आदान–प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण आईटी टूल है। यह पोर्टल दुर्व्यापार से संबंधित मामलों पर एक ही स्थान पर सूचनाओं के संग्रह–स्थल का भी कार्य करता है। यह लापता बच्चों से संबंधित राष्ट्रीय पोर्टल 'ट्रैक चाइल्ड' को महत्वपूर्ण लिंक उपलब्ध कराएगा, जो कई राज्यों में चल रहा है।

5.49 गृह मंत्रालय ने हाल ही में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल अधिकारियों (मानव दुर्व्यापार–रोधी इकाई), अन्य स्टेकहोल्डरों एवं सिविल सोसाइटी के इंटरएक्टिव सेशन के लिए और उन्हें कार्रवाई–योग्य नवीनतम जानकारी देने के लिए एक अन्य आईटी टूल ''मानव दुर्व्यापार–रोधी विषय पर फेसबुक पेज'' शुरू किया है।

*****

अध्याय 6

मानवाधिकार और राष्ट्रीय एकता

मानवाधिकार

6.1 भारत के संविधान में लगभग सभी सिविल और राजनीतिक अधिकारों के सुरक्षा उपायों के संबंध में उपबंध और उनकी गारंटी विद्यमान है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में राज्यों से यह अपेक्षित है कि वे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अधिकारों, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों का संवर्धन और संरक्षण सुनिश्चित करें ताकि समाज के सभी वर्गों के जीवन की गुणवत्ता में समग्र सुधार लाने के लिए समान और न्यायसंगत सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जा सके। हमारे देश के सिविल और आपराधिक कानून भी व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के स्थायी तंत्र हैं और समाज के सबसे कमजोर वर्गों को विशेष सुरक्षा प्रदान करते हैं।

6.2 इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का गठन करके और राज्य मानवाधिकार आयोगों (एसएचआरसी) के गठन की व्यवस्था करके मानवाधिकारों के उल्लंघनों से निपटने हेतु एक मंच प्रदान किया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन एच आर सी)

6.3 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन एच आर सी) का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अधीन किया गया था। इसके अध्यक्ष, भारत के उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं। एन एच आर सी का एक मुख्य कार्य शिकायत प्राप्त करना और सरकारी कर्मचारियों द्वारा लापरवाही से अथवा भूलचूक से किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच पड़ताल शुरु करना है।

6.4 दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2014 तक की अवधि के दौरान, 86,155 मामले विचारार्थ दर्ज किए गए और आयोग ने 68,486 मामले निपटाए, जिनमें पिछले वर्षों के अग्रेनीत मामले भी शामिल हैं। आयोग ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 [मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथा संशोधित] के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोगों (एसएचआरसी) द्वारा निपटान के लिए उन्हें 4,693 मामले अंतरित भी किए हैं। उक्त अवधि के दौरान, आयोग ने 262 मामलों में अंतरिम राहत के रूप में 6,67,25,000 रू. के भुगतान की सिफारिश की।

मामलों की जांच–पड़ताल

6.5 दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2014 तक की अवधि के दौरान, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जांच प्रभाग को निदेश दिया गया था कि वे नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के कथित उल्लंघन के 31 मामलों की उसी स्थान पर जांच करें। इनमें से 18 मामलों में जांच पूरी कर ली गई है और 13 मामलों की जांच प्रगति पर है।

6.6 दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2014 तक की अवधि के दौरान, एन एच आर सी के जांच प्रभाग ने न्यायिक हिरासत में हुई मृत्यु के 3,707 मामलों, पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु के 326 मामलों और वास्तविकता का पता लगाने वाले 1,406 मामलों सहित कुल 5,439 मामलों में कार्रवाई की है। इस प्रभाग ने पुलिस मुठभेड़ में हुई मृत्यु के 129 मामलों में भी कार्रवाई की है।

वैधानिक पूर्ण आयोग

6.7 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 3(3) के अनुसार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षों को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के खण्ड (ख) से (ञ) में निर्दिष्ट कार्यों को करने और इन कार्यों को करने के लिए किए जाने वाले कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पूरा करने के प्रयोजन के लिए आयोग का सदस्य माना जाता है। ये कार्य वैधानिक पूर्ण आयोग को सौंपे जाते हैं, जिनमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष शामिल हैं। अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग वैधानिक पूर्ण आयोग में एक विशेष आमंत्रिती हैं।

6.8 वैधानिक पूर्ण आयोग की बैठकें सामान्य रुचि के मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए नियमित आधार पर आयोजित की जाती हैं।

राज्य मानवाधिकार आयोग

6.9 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (पीएचआरए), 1993 की धारा 21 में सभी राज्यों में भी राज्य मानवाधिकार आयोगों (एस एच आर सी) के गठन का प्रावधान है। राज्यों में मानवाधिकार आयोग की मौजूदगी और कार्यकरण मानवाधिकारों के संरक्षण की बेहतरी में बहुत कारगर एवं प्रभावी साबित होगा। अब यह स्वीकृत मत है कि अच्छा शासन और मानवाधिकार साथ–साथ चलते रहते हैं। आयोग, सहयोग और भागीदारी के क्षेत्रों का पता लगाने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए राज्य मानवाधिकार आयोगों के साथ नियमित वार्ता आयोजित करने की पहल करता है।

6.10 राज्य सरकारों से मिली सूचना के अनुसार, 24 राज्यों ने राज्य मानवाधिकार आयोग (एसएचआरसी) का गठन कर लिया है। ये राज्य हैं:– आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, जम्मू और कश्मीर, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हरियाणा, गोवा, पश्चिम बंगाल और मेघालय। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी इस बात के लिए बेहद उत्सुक है कि ऐसे मानवाधिकार आयोग प्रत्येक राज्य में गठित किए जाएं, ताकि प्रत्येक नागरिक के लिए, मानवाधिकार का संवर्धन एवं उसकी सुरक्षा अत्यधिक सुगम रूप से उसकी पहुंच में हो।

6.11 आयोग ने सरकार के साथ राज्य मानवाधिकार आयोगों के बुनियादी ढांचे विकसित करने, न्यूनतम जनशक्ति और वित्तीय आवश्यकताओं के मुद्दे उठाए हैं ताकि वे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1973 के तहत सौंपे गए अपने कार्य पूरे कर सकें और राज्य मानवाधिकार आयोगों द्वारा शिकायतों का निपटान सरल एवं कारगर ढंग से हो सके। इसके उत्तर में, भारत सरकार ने प्रत्येक एसएचआरसी से वर्ष 2010–12 के दौरान दर्ज की गई, निपटान की गई और लंबित शिकायतों के ब्यौरे, प्रभाग–वार विद्यमान मानवशक्ति, वित्तीय आबंटन, महसूस की जा रही कमियों के ब्यौरे और अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने का औचित्य आदि भेजने का अनुरोध किया है। तदनुसार, प्रत्येक एसएचआरसी से ये ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं।

अन्तरराष्ट्रीय सहयोग

6.12 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों की अन्तरराष्ट्रीय समन्वय समिति (आई सी सी) का सदस्य है और राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के एशिया पेसिफिक फोरम (एपीएफ) का संस्थापक सदस्य है। दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2014 की अवधि के दौरान आयोग ने विभिन्न बैठकों/कार्यशालाओं/सेमिनारों में भाग लिया, जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:–

क्र. सं.	तिथि	बैठक/सेमिनार/कार्यशाला का स्थान	बैठक/सेमिनार/कार्यशाला का स्थान	टिप्पणी
1	07.04.2014 से 10.04.2014	माले, मालदीव	भवन एवं प्रभावी मीडिया संचार कार्यक्रम पर राष्ट्रीय मानाधिकार संस्थानों के एशिया पेसिफिक फोरम (एपीएफ) की उप–क्षेत्रीय कार्यशाला	संयुक्त निदेशक (अनुसंधान), सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी और सहायक सूचना अधिकारी ने भाग लिया।
2	13.05.2014 से 15.05.2014	सिडनी, आस्ट्रेलिया	वृद्धों के अधिकारों से संबंधित एपीएफ की क्षेत्रीय कार्यशाला	संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान) ने भाग लिया।
3	19.05.2014 से 23.05.2014	कुआलालम्पुर, मलेशिया	प्रभावी जांच आरम्भ करने से संबंधित एपीएफ की क्षेत्रीय कार्यशाला	एनएचआरसी के जांच विभाग के एक निरीक्षक ने भाग लिया।
4	09.06.2014 से 13.06.2014	नई दिल्ली, भारत	एपीएफ मास्टर प्रशिक्षकों और मानवाधिकार शिक्षकों की कार्यशाला	एनएचआरसी, भारत ने एपीएफ कार्यशाला का आयोजन किया और संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान) जो एक एपीएफ मास्टर प्रशिक्षक हैं, सहित 13 राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों (एनएचआरआई) ने भाग लिया।
5	23.06.2014 से 24.06.2014	लंदन, यूके	''विधिशास्त्रियों और लेखकों का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन–2014	अध्यक्ष ने भाग लिया।

क्र. सं.	तिथि	बैठक/सेमिनार/कार्यशाला का स्थान	बैठक/सेमिनार/कार्यशाला का स्थान	टिप्पणी
6	23.06.2014 से 24.06.2014	सिडनी, आस्ट्रेलिया	एपीएफ के वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) की बैठक	महानिदेशक (जांच) ने भाग लिया।
7	25.06.2014 जव 27.06.2014	सिडनी, आस्ट्रेलिया	प्रोफेसर गिलियन ट्रिग्स, अध्यक्ष, आस्ट्रेलिया मानवाधिकार आयोग, सिडनी और राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की उच्च स्तरीय बैठक और फोरम परिषद कार्यदल कार्ययोजना 2015–2020 की बैठक	अध्यक्ष ने भाग लिया।
8	30.06.2014 से 02.07.2014	जेनेवा, स्विटजरलैंड	महिलाओं के प्रति भेदभाव समाप्त करने संबंधी संयुक्त राष्ट्र समिति (सीईडीएडब्ल्यू) का 58वां सत्र	अध्यक्ष एवं संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान) ने भाग लिया। एनएचआरसी, भारत ने भी दिनांक 30.06.2014 को सीईडीएडब्ल्यू समिति के सामने मौखिक विवरण दिया। इससे पहले आयोग ने भारत में सीईडीएडब्ल्यू के कार्यान्वयन पर सीईडीएडब्ल्यू समिति को एक लिखित आवेदन किया।
9	11.08.2014 से 15.08.2014	कुआलालम्पुर, मलेशिया	राष्ट्रमंडल सचिवालय, लंदन द्वारा आयोजित मध्यस्थता एवं बातचीत कौशल संबंधी प्रायोगिक प्रशिक्षण	अध्यक्ष (एक संसाधन व्यक्ति के रूप में) और संयुक्त रजिस्ट्रार (विधि) ने भाग लिया।
10	03.09.2014 से 05.09.2014	नई दिल्ली, भारत	राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के एशिया पेसिफिक फोरम (एपीएफ) की 19वीं वार्षिक सामान्य बैठक	एनएचआरसी, भारत ने बैठक का आयोजन किया और अध्यक्ष/सदस्यों/एशिया पेसिफिक क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के 21 वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया। इस वर्ष की बैठक का मुख्य पहलू एपीएफ कार्य योजना 2015–2020 का विकास था। राष्ट्रीय मानवाधिकार सस्थानों संबंधी एशियन एनजीओ नेटवर्क के प्रतिनिधियों ने भी पहले दिन एपीएफ सदस्यों के साथ वार्ता के रूप में इन विचार–विमर्शो में भाग लिया। 19वीं वार्षिक बैठक में यूनाइटेड नेशन ओपन एंडिड वर्किंग ग्रुप ऑन एजिंग के साथ विनियोजित सहित एपीएफ के सदस्यों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों की जांच

क्र. सं.	तिथि	बैठक/सेमिनार/कार्यशाला का स्थान	बैठक/सेमिनार/कार्यशाला का स्थान	टिप्पणी
				की। कजाकिस्तान के राष्ट्रीय मानवाधिकार लोकपाल द्वारा एपीएफ की सहयोगी सदस्यता हेतु आवेदन पर फोरम परिषद द्वारा विचार किया गया और अनुमोदन दिया गया। एपीएफ के सदस्यों ने भारत, जोर्डन और मंगोलिया के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ महिला एवं बालिका मानवाधिकारों संबंधी एपीएफ कार्य योजना के कार्यान्वयन हेतु अपने कार्य पर विचार–विमर्श में भाग लिया, जिसमें उन्होंने उनके द्वारा आरम्भ की गई हाल की गतिविधियों को बताया।
11	22.09.2014 से 26.09.2014	कुआलालम्पुर, मलेशिया	राओल वालेनबर्ग इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमेनिटेरियन लॉ (आरडबल्यूआई) द्वारा आयोजित एशिया 2014 में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के लिए मानवाधिकार पुस्तकालय एवं सूचना प्रबंधन पर मिश्रित शिक्षा पाठ्यक्रम	पुस्तकाध्यक्ष ने भाग लिया।
12	25.09.2014	वेब आधारित प्रौद्योगिकी का उपयोग करके रिमोट भागीदारी	विकलांगों के अधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र समिति (यूएनसी आरपीडी), जेनेवा के स्वतंत्र निगरानी निकायों और राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के बीच बैठक	महासचिव, संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान) और संयुक्त निदेशक (अनुसंधान ने भाग लिया।
13	30.09.2014 से 02.10.2014	बैंकाक, थाइलैंड	एशिया पेसिफिक फोरम द्वारा आयोजित एशिया पेसिफिक क्षेत्र में वृद्धों के सामाजिक एकीकरण और अधिकार संबंधी कार्यशाला	महासचिव ने भाग लिया।
14	17.11.2014 से 18.11.2014	ढाका, बांग्लादेश	''दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय मानवाधिकार तंत्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	अध्यक्ष ने भाग लिया।
15	19.11.2014 से 28.11.2014	बैंकाक, थाइलैंड	राओल वालेनवर्ग इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमेनिटेरियन लॉ (आरडब्ल्यूआई) और एशिया पेसिफिक फोरम (एपीएफ) द्वारा संयुक्त रूप से	जांच प्रभाग से एक निरीक्षक और एनएचआरसी के पीआरपीएंडपी प्रभाग के अनुसंधान सहायक ने भाग लिया।

क्र. सं.	तिथि	बैठक/सेमिनार/ कार्यशाला का स्थान	बैठक/सेमिनार/कार्यशाला का स्थान	टिप्पणी
			आयोजित एशिया पेसिफिक क्षेत्र में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की भूमिका और कार्यों तथा मानवाधिकारों पर क्षेत्रीय मिश्रित शिक्षा पाठ्यक्रम	
16	25.11.2014 से 27.11.2014	बैंकाक, थाइलैंड	एशिया क्षेत्र में महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति हिंसा के संबंध में समानता के विधिशास्त्र संबंधी राष्ट्रमंडल सचिवालय– यूएन महिला क्षेत्रीय परामर्श	संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान) ने भाग लिया।
17	08.12.2014 से 09.12.2014	वाशिंगटन, डीसी, अमेरिका	''मानवाधिकार प्रलेखन और मुकदमेबाजी में सहायता के लिए भूस्थानिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर प्रशिक्षण''	संयुक्त सचिव (अनुसंधान) ने भाग लिया।

एपीएफ मास्टर प्रशिक्षक एवं मानवाधिकार शिक्षक कार्यशाला–दिनांक 09.06.2014 से 13.06.2014, नई दिल्ली

महिलाओं के प्रति भेदभाव समाप्त करने संबंधी संयुक्त राष्ट्र समिति (सीईडीएडब्ल्यू) का 58वां सत्र–दिनांक 30.06.2014 से 02.07.2014, जेनेवा, स्विटजरलैंड

राष्ट्रमंडल सचिवालय, लंदन द्वारा आयोजित मध्यस्थता एवं बातचीत कौशल संबंधी प्रायोगिक प्रशिक्षण–दिनांक 11.08.2014 से 15.08.2014, कुआलालम्पुर, मलेशिया

राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के एशिया पेसिफिक फोरम की 19वीं वार्षिक सामान्य बैठक–दिनांक 03.09.2014 से 05.09.2014, नई दिल्ली, भारत

राओल वालेनबर्ग इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमिटेरियन लॉ (आरडब्ल्यूआई) द्वारा आयोजित एशिया 2014 में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के लिए मानवाधिकार पुस्तकालय एवं सूचना प्रबंधन संबंधी मिश्रित शिक्षा पाठ्यक्रम–दिनांक 22.09.2014 से 26.09.2014, कुआलालम्पुर, मलेशिया

एशिया पेसिफिक फोरम (एपीएफ) द्वारा आयोजित एशिया पेसिफिक क्षेत्र में वृद्धों के सामाजिक एकीकरण और अधिकारों संबंधी कार्यशाला–दिनांक 30.09.2014 से 02.10.2014, बैंकाक, थाइलैंड

राओल वालेनवर्ग इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमेनिटेरियन लॉ (आरडब्ल्यूआई) और एशिया पेसिफिक फोरम (एपीएफ) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एशिया पेसिफिक क्षेत्र में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों (एनएचआरसी) की भूमिका और कार्यों तथा मानवाधिकारों पर क्षेत्रीय मिश्रित शिक्षा पाठ्यक्रम 19.11.2014 से 28.11.2014, बैंकाक, थाइलैंड

आयोग में विदेशी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत

6.13 दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2014 तक की अवधि के दौरान, आयोग ने नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार अनेक विदेशी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की:

क्र. सं.	बैठक की तिथि	शिष्टमंडल के देश का नाम	विदेशी शिष्टमंडल के नेता का नाम और पदनाम	दौरे का उद्देश्य/विचारविमर्श किए गए विषय
1	29.04.2014	जेनेवा, स्विटजरलैंड	सुश्री ज्योति संघेरा, मानवाधिकार एवं आर्थिक तथा सामाजिक मुद्दे अनुभाग, मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की अध्यक्ष (ओएचसीएचआर) और श्री चार्ल्स रेडक्लिफ, वैश्विक मुद्दे अनुभाग, न्यूयार्क के अध्यक्ष और मानवाधिकार, यौन दिग्विन्यास और लिंग पहचान के संबंध में उच्चायुक्त के वरिष्ठ सलाहकार	भारत में स्त्री समलिंग, समलैंगिक, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर (एलजीबीटी) लोगों के मानवाधिकारों पर विचार–विमर्श करने और एलजीबीटी के अधिकारों के क्षेत्र में आयोग के कार्यों के बारे में और अधिक जानना। अध्यक्ष ने बैठक में भाग लिया।
2	16.07.2014	वाशिंगटन, यूएसए	जेसिका रोडर्स, विदेशी मामले अधिकारी, लोकतंत्र मानवाधिकार एवं श्रम कार्यालय, (डीआरएल) की अध्यक्षता में पांच सदस्यों का शिष्टमंडल	देश में मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए एनएचआरसी और इसके कार्यों के बारे में और अधिक जानना। शिष्टमंडल ने महासचिव और संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान) के साथ शिष्टाचार बैठक की।
3	28.08.2014	भारत, अफगानिस्तान, नेपाल, थाइलैंड	श्री मिलून कोठारी, संयोजक दक्षिण एशिया मानवाधिकार तंत्र कार्यबल हेतु क्षेत्रीय पहल (आरआई–एसएएचआरएम) और आवासीय अधिकारों संबंधी पूर्व संयुक्त राष्ट्र रिपोर्टर की अध्यक्षता में सात सदस्यीय शिष्टमंडल	शिष्टमंडल ने निम्नलिखित मुद्दों पर विचार–विमर्श किया: क) दक्षिण एशिया मानवाधिकार तंत्र संबंधी दिल्ली घोषणपत्र, 26–27 अगस्त, 2014 के भारतीय राष्ट्रीय परामर्श का परिणाम और इसकी सिफारिशें; और ख) तंत्र के लिए कार्य करने के लिए दक्षिण एशियाई देशों के जरूरी मानवाधिकारों और सहयोग मांगने के वर्तमान संदर्भ में दक्षिण एशियाई मानवाधिकार तंत्र की अत्यंत आवश्यकता। बैठक में अध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान) ने भाग लिया।

क्र. सं.	बैठक की तिथि	शिष्टमंडल के देश का नाम	विदेशी शिष्टमंडल के नेता का नाम ओर पदनाम	दौरे का उद्देश्य/विचारमिर्श किए गए विषय
4	03.09.2014	दोहा, कतर	डॉ. अली बिन सामिख अल मारी, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार समिति, कतर	प्रवासी श्रमिकों के अधिकार और मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए पारस्परिक सहयोग बैठक में अध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान) ने भाग लिया।
5	05.09.2014	संयुक्त राज्य अमेरिका	सुश्री अलिसन कोर्करी, निदेशक, अधिकारों का दावा और जवाबदेही, आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार केन्द्र (सीईएसआर), यूएसए	आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की निगरानी संबंधी एपीएल मैनुअल का विकास। श्री जगदीप सिंह कोचर, संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान), एनएचआरसी द्वारा संदर्भ समूह और मैनुअल को बेहतर करने के लिए मामला अध्ययनों में योगदान करने के लिए नामित किया गया। तदनुसार, मैनुअल में शामिल करने के लिए एनएचआरसी की कार्यप्रणाली पर आधारित मामला अध्ययनों को एपीएफ को भेज दिया गया है।
6	15.10.2014	यूरोपीय संघ	श्री रोबर्ट बडिन्टर, फ्रांस के भूतपूर्व न्याय मंत्री की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय शिष्टमंडल	मानवाधिकारों की स्थिति संबंधी विचारों का आदान–प्रदान। बैठक में अध्यक्ष, सदस्यों, महासचिव और संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान) ने भाग लिया।

गैर–सरकरी संगठनों का कोर ग्रुप

6.14 मानवाधिकर संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12(i) के अनुरूप, आयोग मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) और संस्थानों के प्रयासों को बढ़ावा देता रहा है। इस संबंध में, आयोग ने निगरानी तंत्र के रूप में कार्य करने के प्रयोजन से सदस्यों के रूप में चुनिंदा गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के एक कोर ग्रुप का गठन किया है। आयोग में 11 सदस्यों वाले एनजीओ के कोर ग्रुप का दिनांक 16.09.2011 को पुनर्गठन किया गया है। आयोग में एनजीओ के कोर ग्रुप के सदस्यों के साथ नियमित आधार पर बैठकें आयोजित की जाती हैं और उसमें कारागार में अपनी मां के साथ रह रहे बच्चों की स्थिति, कमजोर वर्गों और महिलाओं को कानूनी सहायता/समर्थन, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के समक्ष चुनौतियों और भारत में मानवाधिकार न्यायालयों के गठन जैसे विभिन्न मुद्दों पर विचार–विमर्श किया जाता है।

आयोग की शिविर बैठकें/खुली सुनवाई

6.15 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के बेहतर संरक्षण और संवर्धन के लक्ष्य के मद्देनजर मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने हेतु राज्यों में कैम्प कमीशन बैठकें आयोजित करता रहा है।

6.16 यह बैठक आयोग के साथ–साथ राज्य सरकार को एक दूसरे के मतों को समझने का अच्छा अवसर प्रदान करती है। यह आयोग को, राज्यों द्वारा महत्वपूर्ण मानवाधिकार मुद्दों पर की गई कार्रवाई का जायजा लेने का अवसर भी प्रदान करती है। शिविर बैठकों के दौरान, आयोग लंबित महत्वपूर्ण मामलों और राज्य से संबंधित मानवाधिकार के मुद्दों पर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, जिला मजिस्ट्रेटों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों, पुलिस अधीक्षकों और संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा करता है। आयोग पूर्ण आयोग, डिवीजनल बेंच–। और ।। और सिंगल बेंच में लंबित महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई भी करता है। बंधुआ मजदूरी, बालश्रम, मानसिक स्वास्थ्य, किशोर न्याय, वृद्धावस्था पेंशन, मानवाधिकार जागरूकता कार्यक्रम आदि जैसे लंबित महत्वपूर्ण मानवाधिकार के मुद्दों पर राज्य के प्राधिकारियों के साथ चर्चा की जाती है। वर्ष के दौरान आयोग द्वारा दिनांक 10.09.2014 से 12.09.2014 तक भोपाल, मध्य प्रदेश, दिनांक 10.11.2014 से 12.11.2014 तक भुवनेश्वर ओडिशा और दिनांक 26.11.2014 से 28.11.2014 तक चंडीगढ़ में शिविर बैठकें आयोजित की गई थीं।

6.17 आयोग ने देश के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों पर हो रहे अत्याचारों पर खुली सुनवाई भी आयोजित की। खुली सुनवाई के दौरान आयोग शिकायतें सुनता है और शिकायतों का निवारण करने के लिए प्राधिकरणों को निदेश देता है। वर्ष के दौरान आयोग ने दिनांक 10.09.2014 को भोपाल में और दिनांक 26.11.2014 को चंडीगढ़ में दो खुली सुनवाई आयोजित की।

मानसिक स्वास्थ्य

6.18 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वाभाविक असुरक्षा के कारण मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के मानवाधिकारों के संरक्षण के बारे में चिंतित रहा है। इस असुरक्षा के कारण उन्हें कई बार उनके घरों में उनके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों अथवा सार्वजनिक स्थानों पर लोगों द्वारा अभद्र व्यवहार का सामना करना पड़ता है। आयोग मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों की देखरेख करने के लिए देश में अपर्याप्त मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना के बारे में भी विशेष रूप से चिंतित है। अनेक अस्पतालों में मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी है।

6.19 देश के प्रत्येक नागरिक के मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के व्यापक अधिदेश के भाग के रूप में, आयोग जनसंख्या के इस असुरक्षित वर्ग के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के प्रयास करता रहा है। आयोग का यह प्रयास है कि जिन संस्थाओं में उन्हें उपचार के लिए रखा जाए, वहां उन्हें उचित देखभाल और संरक्षण उपलब्ध हो। आयोग ने इन सभी मुद्दों को उठाने के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका भी दायर की है और मानसिक स्वास्थ्य अवसंरचना से संबंधित स्थिति में सुधार करने के लिए संबंधित प्राधिकरणों को उपयुक्त निर्देशों के रूप में उसके हस्तक्षेप की मांग की है।

6.20 माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर, केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक शपथ–पत्र दायर किया गया था। इस शपथ–पत्र में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) के तहत जिला मानसिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (बीएमएचपी) और मानवशक्ति विकास कार्यक्रमों सहित मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों के संबंध में सूचना शामिल थी। इसमें राज्यों को संवितरित निधियों और इस संबंध में राज्यों द्वारा आरम्भ की गई कार्रवाई/कार्रवाई की कमी से संबंधित सूचना भी शामिल थी।

6.21 राज्यों को भी केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दायर शपथ–पत्र के उत्तर में शपथ–पत्र दायर करने का निर्देश दिया गया है। माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, राज्यों ने शपथ–पत्र दायर किया है जिनमें मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के उपचार के लिए सुविधाओं में सुधार करने के लिए उठाए गए कदमों के साथ–साथ उपर्युक्त कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का अपना ब्यौरा दिया गया है।

6.22 आयोग ने हाल ही में अपने विशेष रिपोर्टरों से केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दायर शपथ–पत्र के उत्तर में राज्य सरकार के शपथ–पत्र में बताए गए तथ्यों का सत्यापन करने के लिए राज्यों में मानसिक स्वास्थ्य संस्थाओं के साथ–साथ संबंधित विभागों का दौरा करने का अनुरोध किया है और दिनांक 15 जनवरी, 2015 तक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

6.23 व्यापक तरीके से राज्य स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य की वास्तविक स्थिति प्राप्त करने के लिए, आयोग ने एक प्रश्नावली भी तैयार की है, जिसे हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने रखा गया था।

6.24 मुद्दे के महत्व और इस क्षेत्र में आयोग द्वारा किए गए हस्तक्षेप को देखते हुए और मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों से संबंधित मानवाधिकारों की स्थिति में सुधार करने के लिए और कदम उठाने के तरीकों पर विचार–विमर्श करने के लिए, आयोग ने नई दिल्ली में दिनांक 30.05.2014 को मानसिक स्वास्थ्य और मानवाधिकारों के संबंध में एक–दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया।

6.25 सम्मेलन में हुए विचार–विमर्श के आधार पर, कई उपयोगी सिफारिशें सामने आईं जिन्हें बाद में आवश्यक कार्रवाई हेतु केन्द्र/राज्य सरकारों और अन्य स्टेकहोल्डरों को भेज दिया गया।

6.26 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (पीएचआरए) की धारा 12(ग) में तत्समय लागू किसी अन्य कानून में निहित किसी बात के होते हुए भी आयोग को किसी जेल अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य संस्था जहां व्यक्तियों को उपचार, सुधार अथवा संरक्षण के उद्देश्य से रखा जाता है, का दौरा करने की शक्ति प्राप्त है, ताकि वह वहां रह रहे व्यक्तियों के रहने की स्थिति का अध्ययन कर सके और सरकार को उसके संबंध में सिफारिश कर सकें। तदनुसार, एनएचआरसी के माननीय सदस्यों, विशेष रिपोर्टरों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने निम्नलिखित संस्थाओं का दौरा किया:

(i) दिनांक 01.05.2014 को श्री एस.सी. सिन्हा, माननीय सदस्य, एनएचआरसी द्वारा सरकारी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अस्पताल, विशाखापटनम, आंध्र प्रदेश।

(ii) श्री अनिल प्रधान, विशेष रिपोर्टर, एनएचआरसी द्वारा दिनांक 13.06.2014 को लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदेलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान (एलजीबीआरआर ईएमएच), तेजपुर, असम।

(iii) श्री एस.सी. सिन्हा, माननीय सदस्य, एनएचआरसी द्वारा दिनांक 30.07.2014 और 31.07.2014 को मेंटल केयर, इरागड्डा, हैदराबाद, तेलंगाना।

(iv) श्रीमती एस. जालजा द्वारा दिनांक 20.06.2014 से 04.07.2014 तक केन्द्रीय कारावास बक्सर, उप–कारावास बक्सर, जिला कारावास आरा और सासाराम तथा मुक्त कारावास के रूप में महिलाओं हेतु जिला कारावास बक्सर।

(v) श्रीमती एस. जालजा द्वारा दिनांक 30.06.2014 से 04.07.2014 तक भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर जिला (बिहार)।

(vi) श्रीमती एस. जालजा द्वारा दिनांक 16.09.2014 को केन्द्रीय कारावास चंड़ीगढ़, केन्द्रीय कारावास पटियाला मुक्त कारावास, पंजाब।

(vii) श्रीमती एस. जालजा द्वारा दिनांक 18.09.2014 को केन्द्रीय कारावास जालंधर, (कपूरथला जिला), पंजाब।

(viii) श्रीमती एस. जालजा द्वारा दिनांक 07.10.2014 से 10.10.2014 को वायानाड जिला केरल।

(ix) डॉ. के. आर. श्यामसुन्दर ने दिनांक 28.05.2014 से 31.05.2014 और 13.06.2014 से 15.06.2014 तक तमिलनाडु में ओटकमुंड और महाबलिपुरम जिलों में पुलिस स्टेशनों का दौरा किया।

(x) डॉ. के. आर. श्यामसुन्दर द्वारा दिनांक 08.12.2014 को महिला पुलिस स्टेशन, मदुरै, तमिलनाडु।

(xi) श्री पी. पी. माथुर द्वारा दिनांक 11.06.2014 से 12.06.2014 तक बंधुआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1979 के कार्यानवयन की देखरेख के लिए जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

(xii) श्री अनिल प्रधान द्वारा दिनांक 10.06.2014 को केन्द्रीय कारावास, गुवाहाटी, सरूसजाई, असम।

(xiii) श्री अनिल प्रधान द्वारा दिनांक 27.08.2014 को केन्द्रीय कारावास, गुवाहाटी, सिल्चर, असम।

(xiv) श्री अनिल प्रधान द्वारा दिनांक 28.08.2014 को हेलाकाडी जिला कारावास, असम।

(xv) श्री अनिल प्रधान द्वारा दिनांक 23.09.2014 को नामची जिला कारावास, सिक्किम।

(xvi) श्री अनिल प्रधान द्वारा दिनांक 24.09.2014 को रोंगयक केन्द्रीय कारावास, गंगटोक, सिक्किम।

(xvii) प्रोफेसर एस. नारायण द्वारा दिनांक 20.06.2014 से 28.06.2014 तक सुपेला पुलिस स्टेशन, जिला दुर्ग और सोमानी पुलिस स्टेशन, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़।

6.26.1 विशेष रिपोर्टर द्वारा की गई सिफारिशों/सुझावों को आवश्यक कार्रवाई हेतु केन्द्र/राज्य सरकारों को भेजा गया था।

6.27 मेंहदीपुर, राजस्थान के श्री बालाजी मंदिर में रह रहे मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए दिनांक 25.08.2014 से 26.08.2014 तक मंदिर का दौरा करने के लिए आयोग ने एक दल का गठन किया। दल ने उक्त तारीखों पर श्री बालाजी मंदिर का दौरा किया और दल की सिफारिशों को बाद में आवश्यक कार्रवाई हेतु राज्य सरकार को भेजा गया था।

विकलांगता

6.28 भारत सरकार विद्यमान विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 को बदलने की प्रक्रिया में है और नया विकलांगता विधेयक, 2014 तैयार किया है। विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया गया था और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया था। आयोग को सिविल सोसाइटी से यह अनुरोध प्राप्त हुआ कि विधेयक अपने वर्तमान रूप में अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर रहा है और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के अनुरूप नहीं है। इस संदर्भ में, दिनांक 05.05.2014 को इस विषय पर विभिन्न विशेषज्ञों के उपयुक्त विचार प्राप्त करने के लिए आयोग द्वारा एक बैठक आयोजित की गई।

6.29 तैयार की गई टिप्पणियों को पूर्ण आयोग के सामने रखा गया और इसके विधिवत अनुमोदन के पश्चात इसे ''विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2014'' से संबंधित सामाजिक

न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति को भेज दिया गया था। संसदीय स्थायी समिति के आमंत्रण पर, दिनांक 03.12.2014 को महासचिव द्वारा उनके सामने आयोग के सुझावों का मौखिक प्रस्तुतीकरण किया गया।

सिलिकोसिस

6.30 आयोग सिलिकोसिस, सांस के द्वारा होने वाले फाइब्रोटिक फेफड़े के विकार, प्रतिधारण और क्रिस्टोलिन सिलिका की फुप्फुस प्रतिक्रिया के कारण स्वास्थ्य को होने वाले खतरे के बारे में काफी चिंतित है। पत्थर खदानों और क्रसरों, बालू ब्लास्टिंग, फाउंड्रीज, सिरामिक उद्योग, रत्न कटिंग और पालिशिंग, स्लेट–पेंसिल, निर्माण, कांच के निर्माण और सभी खदान उद्योग के श्रमिकों को इसका विशेष रूप से खतरा है।

6.31 आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई और समीक्षा करने के साथ–साथ आगे की कार्रवाई करने के लिए सभी स्टेकहोल्डरों के साथ विचार करने के लिए, आयोग ने दिनांक 25.07.2014 को नई दिल्ली में सिलिकोसिस पर एक अन्य एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया।

6.32 सम्मेलन के सहभागियों में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, राष्ट्रीय आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोगों के अधिकारी/प्रतिनिधि, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और स्वास्थ्य वैज्ञानिक, विधि विशेषज्ञ, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, सिविल सोसाइटी और सिलिकोसिस की समस्या से निपटने वाले तकनीकी संगठन शामिल थे।

6.33 सम्मेलन में हुए विचार–विमर्श के आधार पर, अनेक उपयोगी सिफारिशें सामने आईं, जिन्हें बाद में आवश्यक कार्रवाई हेतु केन्द्र/राज्य सरकार और अन्य स्टेकहोल्डरों को भेज दिया गया था। आज तक, आयोग को जम्मू एवं कश्मीर राज्य से ही की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त हुई है जबकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों ने उनकी ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सिफारिशों की प्राप्ति स्वीकार की है। आयोग ने सिलिकोसिस पर एनएचआरसी की विशेष रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन पर विचार विमर्श करने के लिए विशेषज्ञों की एक बैठक की जिसे दिनांक 23.12.2014 को संसद में प्रस्तुत किया गया था।

वृद्ध व्यक्तियों के अधिकार

6.34 भारत में वृद्ध व्यक्तियों की जनसंख्या में धीरे–धीरे वृद्धि हो रही है। अधिकांश वृद्ध व्यक्ति भावनात्मक उपेक्षा और शारीरिक और वित्तीय सहायता की कमी का सामना करते हैं। आयोग इन मुद्दों के बारे में चिंतित है। उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक स्रोतों से विविध और एकीकृत प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता है। सक्रिय और उपयोगी वृद्धावस्था को बढ़ावा देने के लिए वृद्ध व्यक्तियों के मानवाधिकारों सें संबंधित मुद्दों के बारे में व्यापक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए स्टेक होल्डरों की व्यापक सहभागिता और सक्रिय भागीदारी की काफी आवश्यकता है।

6.35 इसे ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिनांक 29.08.2014 को चंडीगढ़ में ''माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007'' के संदर्भ में भारत में वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में एक दिवसीय राष्ट्रीय परामर्शदात्री सम्मेलन का आयोजन किया। यह सम्मेलन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी सह–प्रायोजित किया गया और क्षेत्रीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, अनुग्रह, दिल्ली के सहयोग से आयोजित किया गया।

6.36 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हेल्पएज इंडिया के सहयोग से पूरे देश में पांच अलग–अलग स्थानों पर वृद्ध व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य जागरूकता कार्यशालाएं और स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया। दिनांक 23.09.2014 से 24.09.2014 तक बेतूल (मध्य प्रदेश), दिनांक 19.10.2014 से 20.10.2014 तक रायपुर (छत्तीसगढ़) और दिनांक 06.11.2014 से 07.11.2014 तक सिलिगुड़ी (पश्चिम बंगाल) में तीन स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। शेष दो कार्यक्रम जमशेदपुर (झारखंड) और कटक (ओडिशा) में आयोजित किए जाने हैं। न्यायमूर्ति के.जी बालाकृष्णन, अध्यक्ष, एनएचआरसी ने सिलिगुड़ी में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया।

कुष्ठ रोग

6.37 आयोग कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों द्वारा सामना किए जा रहे भेदभाव और कलंक को समाप्त करने के लिए कुष्ठरोग के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और कुष्ठ रोग के मुद्दे पर स्कूली बच्चों को सुग्राही बनाने के लिए यंग पार्टनर्स प्रोग्राम (वाईपीपी) 2014 को आयोजित करने में सासाकावा इंडिया लेपरोसी फाउंडेशन (एसआईएलएफ) की सहायता कर रहा है।

6.38 इस कार्यक्रम के पहले चरण के रूप में, दिल्ली के तीन जिलों के 20 सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और अध्यापकों को सुग्राही बनाने के लिए दिनांक 26.09.2014 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली में कुष्ठ रोग पर एक कार्यशाला आयोजित की गई।

6.39 राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान ने पूरे विश्व के कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों के प्रति भेदभाव और कलंक को समाप्त करने के लिए जकार्ता, इंडोनेशिया में दिनांक 27.01.2014 और 28.01.2014 को एक बैठक आयोजित की और वैश्विक अपील 2014 का शुभारम्भ किया। इस वैश्विक अपील समारोह में

न्यायमूर्ति श्री के. जी. बालाकृष्णन, माननीय अध्यक्ष, एनएचआरसी, भारत ने भी हिस्सा लिया।

अनुसंधान प्रस्ताव

6.40 आयोग ने वर्ष 2014–15 के दौरान निम्नलिखित अनुसंधान प्रस्तावों को अनुमोदित किया है:

(i) डॉ. रेणु अदलखा, प्रोफेसर और उप–निदेशक, महिला विकास अध्ययन केन्द्र, नई दिल्ली–110001 द्वारा प्रस्तुत ''दूसरे दृष्टिकोण से महिला के प्रति हिंसा का विश्लेषण: अपराधियों की दुनिया का विश्लेषणात्मक अध्ययन''। इस अनुसंधान से हिंसा से महिलाओं के संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी।

(ii) ''समानता अध्ययन केन्द्र'' द्वारा प्रस्तुत उत्तर प्रदेश राज्य में विचाराधीन कैदियों पर प्रायोगिक अध्ययन और रिहा होने के बाद समाज में दुबारा जाने पर हैं, रिहा किए गए कैदी कैसा व्यवहार करते हैं इस पर राष्ट्रीय अध्ययन, जिससे संबंधित उपायों पर कार्य किया जा रहा है।

भारत के चुनिंदा 28 जिलों में मानवाधिकार जागरूकता एवं मानवाधिकार कार्यक्रम के मूल्यांकन एवं प्रवर्तन में सहायता प्रदान करना

6.41 रिपोर्ट की अवधि के दौरान, मानवाधिकार जागरुकता तथा मानवाधिकार कार्यक्रम के मूल्यांकन एवं प्रवर्तन में सहायता प्रदान करने के भाग के रुप में एनएचआरसी के दल ने देश के अभिनिर्धारित 28 जिलों में से दिनांक 24.06.2014 से 26.06.2014 तक सिक्किम जिले का दौरा किया।

6.42 इसका मुख्य उद्देश्य जिला स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजन योजना, एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आदि जैसे भारत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही अन्य कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी करना था। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विद्यालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, अस्पतालों, पुलिस स्टेशनों, कारागारों, पंचायतों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन कार्यरत राशन की दुकानों, बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए कार्यरत विभिन्न विभागों के क्षेत्र दौरों के द्वारा खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, हिरासत में न्याय, स्वास्थ्य, सफाई एवं स्वच्छता आदि जैसे मानवाधिकार पर केन्द्रित मुद्दों पर लोगों के बीच जागरूकता फैलाना है। आयोग ने वायनाड और चंबा जिले में पुनः दौरों सहित अभी तक 17 (सत्रह) जिलों में ऐसे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

बंधुआ और बाल मजदूरी

(i) श्रेत्रीय कार्यशालाएं

6.43 वर्ष 1985 की रिट याचिका (सिविल) सं. 3922 में दिनांक 11.11.1997 के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में आयोग ने बंधुआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम,1976 के कार्यान्वयन की निगरानी कर रहा है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, आयोग ने ओडिशा में कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए एक गैर–सरकारी संगठन को वित्तीय सहायता दी थी। दिनांक 20.09.2014 को आयोजित कार्यशाला में क्षेत्र के लिए एनएचआरसी के विशेष रिपोर्टर ने भाग लिया। इस कार्यशाला का उद्देश्य बंधुआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम (बीएलएसए),1976 और अन्य संबंधित कानूनों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों के संबंध में जागरूकता पैदा करना था।

(ii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अर्ध वार्षिक सूचना

6.44 दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2014 तक की अवधि के दौरान, आयोग ने बंधुआ मजदूरों की पहचान करने, उन्हें छुड़ाने और उनका पुनर्वास करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में छमाही सूचना प्राप्त करना जारी रखा है। दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2014 की अवधि के दौरान नौ (09) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात गुजरात, ओडिशा, उत्तराखंड, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और सिक्किम ने आयोग को अपेक्षित सूचना भेज दी है। शेष राज्यों से छमाही रिपोर्टें प्रतीक्षित हैं।

(iii) बंधुआ मजदूर पर कोर ग्रुप के सदस्यों के साथ बैठक

6.45 बंधुआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) नियम, 1976 में संभावित संशोधनों पर विचार–विमर्श करने के लिए न्यायमूर्ति श्री डी. मुरूगेसन, सदस्य, एनएचआरसी की अध्यक्षता में दिनांक 25.03.2014 को बंधुआ मजदूर पर कोर ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। संशोधन के लिए आयोग की सिफारिशें इस समय तैयार की जा रही हैं। आयोग द्वारा बंधुआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) नियम, 1976 के प्रस्तावित संशोधनों की जांच की गई और सिफारिशों को आवश्यक कार्रवाई हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

6.46 एनएचआरसी को मानवाधिकारों का संरक्षण करने और उनका संवर्धन करने का अधिदेश प्राप्त है। अधिनियम की धारा

12(ज) में यह परिकल्पना की गई है कि एनएचआरसी समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार करेगा और प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनारों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों का संरक्षण करने के लिए उपलब्ध सुरक्षोपायों के बारे में जागरूकता को बढ़ाएगा। एनएचआरसी छात्रों के अलावा पुलिस, गैर–सरकारी संगठनों और आम जनता के सदस्यों के अतिरिक्त सरकारी अधिकारियों, विशेष रूप से पुलिस के बीच मानवाधिकार जागरूकता फैलाने में शामिल रहा है।

6.47 एनएचआरसी प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों, पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों, एसएचआरसी, विश्वविद्यालय और कॉलेजों के सहयोग तथा विश्वसनीय एनजीओ के माध्यम से मानवाधिकारों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से मानवाधिकार साक्षरता फैला रहा है। इनके अलावा, एनएचआरसी द्वारा देश के विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालय/कॉलेज के छात्रों के लिए अपने परिसर में वर्ष में दो बार अर्थात् ग्रीष्म एवं शीतकाल में एक माह का इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा, पूरे वर्ष मानवाधिकारों के क्षेत्र में इच्छुक छात्रों के लिए अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

6.48 दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2014 तक 15 संस्थाओं द्वारा मानवाधिकारों और इससे संबंधित मुद्दों पर 21 एनएचआरसी प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके अलावा, दिनांक 02.06.2014 से 01.07.2014 तक ग्रीष्म कालीन (समर) इंटर्नशिप कार्यक्रम, 2014 आयोजित किया गया था। 37 लड़कियों और 13 लड़कों सहित कुल 50 इंटर्न ने अपनी इंटर्नशिप पूर्ण की। 50 इंटर्न में से, 20 विधि के छात्र थे और शेष 30 इंटर्न सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों के स्नातकोत्तर छात्र थे। 04 छात्रों ने सर्वश्रेष्ठ इंटर्नशिप पुरस्कार साझा किया। इसके अलावा, 114 छात्रों ने एनएचआरसी में अप्रैल से नवम्बर, 2014 के दौरान आयोजित अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम (15 दिन) में भाग लिया। 07 विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के 167 छात्रों, अन्य संस्थाओं के प्रशिक्षणार्थिये/अधिकारियों के शिष्टमंडल ने भी एनएचआरसी का दौरा किया और एनएचआरसी में उनके दौरे के दौरान उन्हें मानवाधिकारों और आयोग की कार्यशैली के बारे में जानकारी दी गई।

एनएचआरसी के प्रकाशन

6.49 आयोग का प्रकाशन अनुभाग अपने मानवाधिकारों के संबंध में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें मानवाधिकारों से संबंधित अनेक प्रकाशन हैं। जैसा कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12(ज) में बताया गया है, आयोग का एक कार्य विभिन्न वर्गों/समाज के बीच मानवाधिकार साक्षरता को फैलाना और उपलब्ध सुरक्षोपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आयोग ने अपनी स्थापना से ही छात्रों, अनुसंधानकर्ताओं, शिक्षाविदों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और आम जनता सहित समाज के अनेक वर्गों के लिए साहित्य का प्रकाशन किया है। आयोग ने दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2014 तक निम्नलिखित प्रकाशनों का मुद्रण किया:

(i) एनएचआरसी पुस्तक का मुद्रण, शीर्षक: वर्ष 2013–14 की वार्षिक रिपोर्ट अंग्रेजी और हिंदी में

(ii) पुस्तिका का पुनःमुद्रण, शीर्षक : एनएचआरसी का ब्रोशर: अंग्रेजी में

(iii) पुस्तिका का पुनःमुद्रण, शीर्षक: मानवाधिकार संबंधी विभिन्न मुद्दों पर पुलिस कर्मियों हेतु दिशानिर्देश: उड़िया में।

(iv) पुस्तिका का पुनःमुद्रण, शीर्षक: मानवाधिकारों के समर्थकों का यूएन घोषणा पत्र: उड़िया में।

(v) पुस्तिका का पुनःमुद्रण, शीर्षक: मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा–पत्र: उड़िया में।

(vi) एनएचआरसी पुस्तक का मुद्रण, शीर्षक: ''एनएचआरसी का अंग्रेजी जर्नल, खंड–13, 2014'' – अंग्रेजी में।

(vii) एनएचआरसी पुस्तक का मुद्रण, शीर्षक: ''हिन्दी जर्नल (मानवाधिकार–नई दिशाएं, खड– ।।, 2014''–अंग्रेजी में।

(viii) एनएचआरसी पुस्तक का मुद्रण, शीर्षक: ''स्थानिक पूछताछ संबंधी पुस्तिका''– अंग्रेजी में।

(ix) एनएचआरसी पुस्तक का मुद्रण, शीर्षक: ''कारावास में आत्महत्या–रोकथाम की योजना और मानवाधिकारों से बाध्यताएं तथा दृष्टिकोण का स्तर'' –अंग्रेजी में।

(x) एनएचआरसी पुस्तक का मुद्रण, शीर्षक: ''मानवाधिकारों के रूप में पुनर्विचारण के लाभ–एनएचआरसी की पहलें''– अंग्रेजी में।

(xi) विभिन्न मानवाधिकार विषयों पर वर्ष 2015 के लिए एनएचआरसी दीवार कैलेन्डर का मुद्रण।

राजभाषा विंग

(i) राष्ट्रीय सेमिनार

6.50 मानवाधिकारों की जागरूकता पैदा करने और मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के महत्व पर वार्ता करने के अपने प्रयास में, आयोग भारत के विभिन्न भागों में मानवाधिकार संबंधी विषयों पर हिंदी में राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित कर रहा है। तदनुसार, अगस्त और अक्टूबर, 2014 में क्रमशः विश्वभारती, शांतिनिकेतन (पश्चिम बंगाल) और जम्मू (जम्मू एवं कश्मीर) में दो राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किए गए थे। विश्वभारती में सेमिनार का विषय ''भारतीय साहित्य, विज्ञान और मानवाधिकार: एक

वार्ता'' था और यह दिनांक 05.08.2014 से 06.08.2014 तक आयोजित किया गया था। न्यायमूर्ति श्री के.जी. बालाकृष्णन, अध्यक्ष, एनएचआरसी मुख्य अतिथि थे। न्यायमूर्ति श्री सिरिया जोसेफ, सदस्य, एनएचआरसी ने भी सेमिनार में हिस्सा लिया। जाने माने लेखक और विचारक प्रोफेसर नन्द किशोर आचार्य सेमिनार के मुख्य वक्ता थे। इसी प्रकार, ''सत्याग्रह, स्व–अनुशासन और गांधी : एक चर्चा'' विषय पर दिनांक 29.10.2014 से 30.10.2014 तक जम्मू में सेमिनार आयोजित किया गया था। अध्यक्ष, एनएचआरसी मुख्य अतिथि थे और जाने माने गांधीवादी और गुजरात विद्यापीठ के उप–कुलपति डॉ. सुदर्शन अयंगर सेमिनार के मुख्य वक्ता थे। इन सेमिनारों में संबंधित विश्वविद्यालयों, शैक्षिक संस्थाओं और एसएचआरसी के प्रतिनिधियों सहित प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भाग लिया। ''न्यायपालिका, लोकतंत्र और परम्पराः क्रमिक विकास'' पर तीसरा हिन्दी सेमिनार दिनांक 05.02.2015 से 06.02.2015 तक उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित किया जाना है।

(ii) ''हिंदी में मानवाधिकारों पर महात्मा गांधी द्विवार्षिक पुरस्कार योजना

6.51 इस योजना का मुख्य उद्देश्य मानवाधिकारों के विभिन्न विषयों पर हिंदी में मूल लेखन को प्रोत्साहित करना है। वर्ष 2012–13 की पुरस्कार योजना के लिए डीएवीपी के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित किया गया है और योजना के ब्यौरे आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड किए गए हैं। पुरस्कार के नियमों में संशोधन किया जा रहा है।

(iii) पुरस्कृत पुस्तकों / हस्तलिपियों का अनुवाद

6.52 आयोग की योजना इस स्कीम के तहत पुरस्कृत पुस्तकों / हस्तलिपियों को प्रकाशित करने और संबंधित क्षेत्रों के बुद्धिजीवियों को इसका लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए पहले चरण में बंगाली, मराठी, मलयालम, तमिल और तेलुगु में उनका अनुवाद कराने की है। नेशनल बुक ट्रस्ट ने इस कार्य में सहयोग करने के लिए एनएचआरसी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।

(iv) एनएचआरसी में हिन्दी पखवाड़ा

6.53 अपने दिन–प्रतिदिन के कार्य में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए एनएचआरसी का वार्षिक हिंदी पखवाड़ा दिनांक 14.09.2014 से 28.09.2014 तक मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। पखवाड़े के दौरान प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम अनुवाद प्रतियोगिता और हिंदी निबंध प्रतियोगिता आदि आयोजित की गई।

(v) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के समुदायों के लिए निबंध लेखन प्रतियोगिता

6.54 लोगों के बीच मानवाधिकारों की जागरूकता फैलाने के अपने प्रयास में, आयोग ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के समुदायों के लिए ''अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, महिला सशक्तिकरण और मानवाधिकार'' विषय पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की। स्कीम के ब्यौरे आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड किए गए थे। इस प्रतियोगिता के तीन विजेताओं को आयोग के स्थापना दिवस समारोह में पुरस्कार दिए गए। श्री सुभ्र प्रतिम हल्दर, सुश्री दिव्या भारती और श्री अमित कुमार मोहन विजेता थे।

निबंध प्रतियोगिता के विजेता

निबंध प्रतियोगिता के विजेता

निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को दिनांक 12.10.2014–स्थापना दिवस समारोह–2014 को पुरस्कृत किया गया

सूचना का प्रसार

6.55 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपने सूचना एवं जन संपर्क (आईएंडपीआर) प्रभाग के माध्यम से मीडिया के साथ अपने आबंध पर लगातार बल दिया है क्योंकि आयोग का मानना है कि आयोग और मीडिया संगठन मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन में भागीदार हैं। इस प्रयास में, सूचना एवं जनसंपर्क प्रभाग विभिन्न साधनों के माध्यम से एनएचआरसी की गतिविधियों के बारे में सूचना का प्रसार करता है। इनमें प्रेस विज्ञप्ति, मीडिया ब्रीफिंग, प्रेस सम्मेलन, अध्यक्ष और सदस्यों के साक्षात्कार शामिल हैं। इसके अलावा, प्रभाग अंग्रेजी और हिन्दी में मासिक न्यूजलेटर भी प्रकाशित करता है जिसे मानवाधिकारों के महत्व और एनएचआरसी के हस्तक्षेपों तथा सिफारिशों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सरकारी, शैक्षिक संस्थाओं, एनजीओ के सभी महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं और व्यक्तियों के बीच परिचालित किया जाता है।

6.56 दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2014 की अवधि के दौरान, आयोग के विभिन्न हस्तक्षेपों और गतिविधियों के बारे में आईएंडपीआर प्रभाग द्वारा 167 प्रेस विज्ञप्तियां/वक्तव्य जारी किए गए थे। इस अवधि के दौरान देश के विभिन्न भागों में एनएचआरसी की सभी शिविर बैठकों और खुली सुनवाइयों के एक अनिवार्य घटक के रूप में प्रेस सम्मेलन और दैनंदिन मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के विशेष प्रयास किए गए।

महिलाओं के अधिकार

6.57 आयोग कानून और व्यवहार में महिलाओं के प्रति भेदभाव सहित महिलाओं के अधिकारों के बारे में समान रूप से चिंतित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा नई दिल्ली में दिनांक 18.02.2014 से 19.02.2014 तक राष्ट्रीय महिला मानवाधिकार सम्मेलन अयोजित किया गया। सम्मेलन में चार महत्वपूर्ण मुद्दों नामतः (i) छोटे परिवार के मानकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहनों और गैर–प्रोत्साहनों का प्रावधान करने सहित महिलाओं का यौन और जनन स्वास्थ्य और अधिकार, (ii) महिलाओं और बालिकाओं के प्रति हिंसा, (iii) महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता और (iv) महिलाओं और बालिकाओं के दुर्व्यापार पर विचार–विमर्श किया गया। सम्मेलन में विचार–विमर्श के आधार पर, अनेक महत्वपूर्ण सिफारिशें/ सुझाव सामने आए, जिन्हें सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु केन्द्र/राज्य सरकारों और अन्य स्टेकहोल्डरों को भेज दिया गया था।

बाल गृहों, स्कूलों और परियोजनाओं का दौरा

6.58 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12(ग) में तत्समय लागू किसी अन्य कानून में निहित किसी बात के होते हुए भी, आयोग को किसी जेल अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य संस्था जहां व्यक्ति को उपचार, सुधार अथवा संरक्षण के उद्देश्य से रखा जाता है, का दौरा करने की शक्ति प्राप्त है ताकि वह वहां रह रहे व्यक्तियों के रहने की स्थिति का अध्ययन कर सके और उन पर सरकार को सिफारिशें कर सके। तदनुसार, न्यायमूर्ति श्री डी. मुरूगेसन, माननीय सदस्य, एनएचआरसी और आयोग के तीन विशेष रिपोर्टरों ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान गृहों, स्कूलों और परियोजनाओं का दौरा किया:

1) मिजोरम में लड़कों एवं लड़कियों के लिए प्रेक्षण गृह–सह–विशेष गृह
2) प्रेक्षण गृह, मदुरै।
3) थेनी जिले में होसन्ना चिल्ड्रन होम
4) आईसीडीएस केन्द्र, थाथाप्पनकुलम (दक्षिण)
5) पल्लकातूर जिले मे ह्यूमैनिटी ट्रस्ट चिल्ड्रन होम, सारालई स्ट्रीट।
6) तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में चिल्ड्रन होम, विकलांग गृह, आंगनवाड़ी और स्कूल।
7) मध्य प्रदेश के जिला बेतूल में जनजातीय क्षेत्र।
8) लड़कों एवं लड़कियों के लिए प्रेक्षण गृह, अपर सिचे, गंगटोक, सिक्किम।

6.59 उनके द्वारा प्रस्तुत दौरे की रिपोर्टों की आयोग द्वारा जांच की गई थी और इन गृहों, स्कूलों और परियोजनाओं के उचित कार्यकरण में सुधार लाने से संबंधित सिफारिशें आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेजी गई थी।

सीईडीएडब्ल्यू के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अनुरोध

6.60 आयोग ने महिलाओं के प्रति भेदभाव के उन्मूलन (सीईडीएडब्ल्यू) संबंधी समिति के 58वें सत्र में भाग लिया, जो दिनांक 30.06.2014 से 18.07.2014 तक जेनेवा में आयोजित किया गया था। उक्त सत्र में, भारत में सीईडब्ल्यूएडी के कार्यान्वयन के सबंध में भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत देश की चौथी और 5वीं संयुक्त रिपोर्ट पर विचार किया गया। एनएचआरसी, भारत ने सीईडीएडब्ल्यू के सामने दिनांक 30.06.2014 को मौखिक वक्तव्य भी दिया। इससे पहले आयोग ने भारत में सीईडीएडब्ल्यू के कार्यान्वयन के संबंध में सीईडीएडब्ल्यू समिति से लिखित रूप में अनुरोध किया।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) विधेयक, 2014

6.61 चूंकि भारत सरकार विद्यमान किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 (वर्ष 2006 और 2011 में यथा संशोधित) को बदलने की प्रक्रिया में है, इसलिए सरकार ने नया किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) विधेयक, 2014 तैयार किया है। विधेयक, 2014 को संसद में प्रस्तुत किया गया था और मानव संसाधन विकास से संबंधित विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया है। आयोग को सिविल सोसाइटी से यह अनुरोध प्राप्त हुए, जिसमें यह कहा गया कि अपने वर्तमान रूप में इस विधेयक से किसी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी और इसके अतिरिक्त यह विधेयक बच्चों के अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के अनुरूप नहीं है। इस संदर्भ में, दिनांक 27.08.2014 को नई दिल्ली में आयोग द्वारा किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) विधेयक, 2014 पर विचार–विमर्श करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। उपर्युक्त कार्यशाला में आए सुझावों को बाद में आयोग द्वारा मूर्त रूप प्रदान किया गया और उपर्युक्त संबंधित समिति को भेजा गया।

मानवाधिकार न्यायालय

6.62 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने न्यायमूर्ति श्री के.जी. बालाकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जिसमें अधिकार–क्षेत्र और मानवाधिकार न्यायालयों के अधिदेश के मुद्दे पर सदस्यों के रूप में न्यायमूर्ति श्री सिरियाक जोसफ, सदस्य, न्यायमर्ति श्री डी. मुरूगेशन, सदस्य, न्यायमूर्ति श्री विजेन्द्र जैन, अध्यक्ष, हरियाणा मानवाधिकार आयोग शामिल हैं। समिति की अब तक पांच बैठकें हुई हैं और दिनांक 26.08.2014 को आयोजित चौथी बैठक में, जिसमें श्री ए. के. गर्ग, रजिस्ट्रार (विधि), एनएचआरसी, श्री टी.के. विश्वनाथन, भूतपूर्व महासचिव, लोक सभा, श्री पी.के. मल्होत्रा, सचिव, विधि कार्य विभाग और डॉ. संजय सिंह, सचिव, विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार ने भी विशेष आमंत्रितियों के रूप में भाग लिया, यह निर्णय लिया गया कि एक पृथक कानून के स्थान पर पीएचआर अधिनियम, 1993 की धारा 30 को संशोधित करना उचित कार्रवाई होगी और संशोधन के अंतर्गत, उन अपराधों की पहचान की जाएगी जिनका विचारण, इसकी प्रक्रिया के विशिष्टीकरण के साथ–साथ मानवाधिकार न्यायालयों द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, एक प्रावधान जोड़ा जा सकता है कि केन्द्र/राज्य सरकारों को संबंधित आयोगों की अधिसूचना के द्वारा अपराधों को जोड़ने का अधिकार होगा। यह भी निर्णय लिया गया था कि समिति के सामने मसौदा संशोधन रखे जाएंगे और गृह मंत्रालय के माध्यम से विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार को संशोधन भेजा जाएगा। तदनुसार दिनांक 05.1.2015 को आयोजित अपनी 5वीं बैठक में समिति ने मसौदा संशोधन पर विचार किया।

दिनांक 5.1.2015 को मानवाधिकार न्यायालयों की बैठक

कारागार सुधारों संबंधी राष्ट्रीय सेमिनार

6.63 आयोग कैदियों के रहने की दशा और हिरासत की सुविधाओं, विशेष रूप से अधिक कैदियों, स्टाफ की कमी, पर्याप्त मेडिकल देखभाल की कमी, मौलिक अवसंरचना आदि जैसी समस्या के संबंध में चिंतित है।

6.64 दिनांक 15.04.2011 को आयोग द्वारा आयोजित ''कारागार सुधार'' पर एक राष्ट्रीय सेमिनार की श्रृंखला के रूप में दिनांक 13.11.2014 को नई दिल्ली में एनएचआरसी द्वारा कारागार सुधार पर एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। सहभागियों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सचिव/प्रशासक, डीजीपी/आईजीपी, राज्य मानवाधिकार आयोग, कैदियों की समस्या का समाधान करने वाले गैर–सरकारी संगठन शामिल थे। इस सेमिनार के मुख्य उद्देश्य वर्ष 2011 के पूर्व के सेमिनार की सिफारिशों पर विभिन्न सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा और मूल्यांकन करना और उच्चतम न्यायालय के संबंधित फैसलों और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/प्रसंविदाओं के संदर्भ में कारागार मैनुअल/कारागार नियमों और कारागार अधिनियम, 1894 के संशोधन की आवश्यकता, कारागार प्रशासन में मानवशक्ति की कमी और कारागार अधिकारियों की कार्यशील स्थिति, कारागारों में स्वास्थ्य, सफाई एवं स्वच्छता से संबंधित मुद्दों, अवसंरचना से संबंधित मुद्दों, कारागारों हेतु कल्याणकारी उपाय और कारागारों में महिलाओं और कारागारों में उनके बच्चों को प्रभावित करने वाले मुद्दों जैसे कुछ पहचाने गए कुछ मुद्दों पर विचार–विमर्श करना है।

6.65 श्री राजनाथ सिंह, माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री दो दिवसीय सेमिनार के समापन सत्र के मुख्य अतिथि थे। गृह मंत्री ने कारागार सुधार सेमिनार 2011 की सिफारिशों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा करने के लिए एनएचआरसी की तारीफ करते हुए कहा कि केन्द्र अगले वित्तीय वर्ष से कारागारों के आधुनिकीकरण के चरण–।। पर ध्यान केन्द्रित करेगा।

6.66 सेमिनार में विचार–विमर्शों के आधार पर, अनेक उपयोगी सिफारिशें सामने आइ जिनकी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए गृह मंत्रालय, राज्य गृह सचिवों, डीजीपी/आईजीपी द्वारा जांच की जाएगी।

दिनांक 13–14 नवम्बर, 2014 को 'कारागार सुधार' पर राष्ट्रीय सेमिनार

देश में साम्प्रदायिक स्थिति

6.67 वर्ष 2014 के दौरान, देश में 644 साम्प्रदायिक घटनाओं की सूचना मिली, जिनमें 95 लोगों की जानें गईं और 1,921 लोग घायल हुए। इस अवधि के दौरान सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) (जुलाई, 2014) में एक बड़ी साम्प्रदायिक घटना हुई।

6.68 वर्ष 2013 की तदनुरूपी अवधि के दौरान, देश में 823 साम्प्रदायिक घटनाएं हुईं, जिनमें 133 लोगों की जानें गईं और 2,269 लोग घायल हुए। वर्ष के दौरान दो बड़ी घटनाएं अर्थात् धुले (महाराष्ट्र) और मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) में हुईं।

राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान (एनएफसीएच)

6.69 राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान (एनएफसीएच) गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक स्वायत्त संगठन है। प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य देश के लोगों के बीच साम्प्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिष्ठान अनेक कार्यकलाप करता है।

6.70 चालू वर्ष के दौरान, स्कूलों, विश्वविद्यालयों में युवाओं, महिलाओं आदि तक पहुंचने पर विशेष बल दिया गया है ताकि साम्प्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के प्रति उन्हें सक्रिय बनाया जा सके। इस संबंध में, एनएफसीएच ने देश के नागरिकों के बीच वसुधैव कुटुम्बकम (सारा संसार एक परिवार है) और सर्वधर्म समभाव' के विषय को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रमुख विश्वविद्यालयों के शैक्षिक स्टाफ कॉलेजों, नवोदय विद्यालय समिति, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन आदि के साथ सहयोग स्थापित किया है।

6.71 प्रतिष्ठान ''सद्भावना संदेश'' नामक एक न्यूजलेटर प्रकाशित करता है, जिसमें सभी धर्मों के शांतिपूर्वक सह–अस्तित्व, परस्पर सम्मान आदि की प्रकृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिष्ठान की गतिविधियों और कार्यक्रमों से संबंधित समाचार होते हैं। इस न्यूजलेटर को दूर तक और व्यापक रूप से संदेश को फैलाने के लिए निर्णय और नीति निर्माताओं, सिविल सोसाइटी के नेताओं, सरकारी कार्यालयों, पुस्तकालयों आदि को भेजा जाता है। प्रतिष्ठान की वेबसाइट और फेसबुक पेज़ भी है।

6.72 प्रतिष्ठान की कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्नलिखित हैं:–

(i) परियोजना 'सहायता': यह प्रतिष्ठान की मुख्य स्कीम है, जिसके तहत बच्चों की देखभाल और शिक्षा के लिए समूचे देश में साम्प्रदायिक, जाति, जातीय अथवा आतंकवादी हिंसा से पीड़ित बच्चों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है ताकि उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल होने में सक्षम बनाने के लिए उनका प्रभावी रूप से पुनर्वास किया जा सके। प्रति बच्चा मासिक वित्तीय सहायता की राशि कक्षा XII तक 1,000 रु., स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए 1,250 रु. तथा मेडिकल/इंजीनियरिंग/एमबीए के लिए 1,500 रु. है। यह सहायता जन्म से 25 वर्ष की उम्र तक उपलब्ध कराई जाती है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दिनांक 31.12.2014 तक 2,061 बच्चों को 3.06 करोड़ रु. की धनराशि जारी की गई है। दिनांक 01.01.2015 से 31.03.2015 की शेष अवधि के दौरान लगभग 1,800 बच्चों को 2,25,00,000 रु. की अतिरिक्त राशि जारी किए जाने की संभावना है।

(ii) साम्प्रदायिक सद्भाव अभियान सप्ताह और झंडा दिवस: एनएफसीएच कौमी एकता सप्ताह के साथ प्रतिवर्ष दिनांक 19 से 25 नवम्बर तक साम्प्रदायिक सद्भाव अभियान सप्ताह आयोजित करता है। सप्ताह का अंतिम कार्यदिवस प्रतिष्ठान के साम्प्रदायिक सद्भाव झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर अनेक प्रचार सामग्रियों जैसे पोस्टर, ब्रोशर, रैपर्स और फ्लैग स्टिकर्स स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षिक संस्थाओं (सरकारी और निजी), केन्द्रीय/राज्य सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, विदेश में भारतीय दूतावासों/मिशनों को भेजे जाते हैं। इन सभी संगठनों से लोगों के बीच, विशेष रूप से युवाओं में साम्प्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के महत्व के बारे में जागरूकता का सृजन करने और साम्प्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के विषय पर निबंध/पेंटिंग प्रतियोगिताएं, वाद–विवाद आदि आयोजित करने की अपील की जाती है। उक्त प्रचार सामग्रियां पूरे देश में सभी 1,12,000 यूनिटों को भेजी गई हैं। इस अवसर का उपयोग प्रतिष्ठान में गतिविधियों की सहायता करने के लिए स्वैच्छिक आधार पर धन एकत्र करने के लिए भी किया जाता है।

(iii) राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव पुरस्कार: प्रतिष्ठान ने दो राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव पुरस्कार आरंभ किए हैं, एक 'व्यक्तिगत' श्रेणी में और दूसरा 'संगठन' श्रेणी में, जिसे

साम्प्रदायिक सद्भाव और/अथवा राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में विशिष्ट योगदान करने के लिए भारत के माननीय उप–राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा वार्षिक रूप से चुना जाता है। पुरस्कारों में एक प्रमाण–पत्र और 5.00 लाख रु. (व्यक्तिगत) और प्रमाण–पत्र तथा 10.00 लाख रु. (संगठन) की नकद राशि दी जाती है। विजेताओं को ये पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित समारोह में दिए जाते हैं।

(iv) विस्तार संबंधी गतिविधियां : यह संस्था अपनी विस्तार गतिविधियों अर्थात् पहुंच, अंतर–आस्था, आपसी बातचीत, भागीदारी और उद्देश्य भागीदारी के तहत साम्प्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, गैर–सरकारी संगठनों, शैक्षिक और अन्य संस्थाओं आदि के माध्यम से अथवा स्वतंत्र रूप से अनेक गतिविधियां चलाती है। संस्था ने वर्ष 2014–15 में अनेक कार्यक्रम अर्थात् सांस्कृतिक और संगीत कार्यक्रम, सेमिनार, संगोष्ठी, कहानी/निबंध प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम आदि आयोजित किए जिनमें छात्र, अध्यापक, शैक्षिक, सिविल संस्था के प्रतिनिधि, अनेक आस्थाओं के धार्मिक नेता, सरकारी संगठन, गैर–सरकारी संगठन, अलग–अलग से और शैक्षिक स्टाफ कालेजों के माध्यम से विश्वविद्यालय अन्य शैक्षिक संस्थान, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान आदि शामिल हुए जिनका उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों के बीच साम्प्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता फैलाना है। वर्ष 2014–15 में संस्था द्वारा आरंभ की गई कुछ गतिविधियां निम्नानुसार थीं :

1. दिनांक 26 जुलाई, 2014 को आजाद भवन सभागार, आईसीसीआर, नई दिल्ली में ''सुरसंगम, शांति और सद्भाव हेतु एक संगीत कार्यक्रम''।
2. एनएफसीएच द्वारा आरंभ की गई सक्रिय पहल के रूप में, दिनांक 19 से 23 अगस्त, 2014 तक समूचे देश के जवाहर नवोदय विद्यालयों में निबंध/कहानी लेखन और पेंटिंग प्रतियोगिता।
3. राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान (एनएफसीएच) ने राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की भागीदारी में दिनांक 1.9.2014 को ''शांति और सद्भाव को बढ़ावा देनाः अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं का सामाजिक बहिष्कार–चुनौतियां और उपचार'' पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया।
4. राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान ने गुरू शोवना नारायण और शर्बलिंग सीट के बौध गुरुओं के सहयोग से अंतर–आस्था समझदारी और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को कमानी सभागार, नई दिल्ली में ''शुन्यता'' का आयोजन किया।
5. राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान (एनएफसीएच) ने इमेजइंडिया संस्थान और बहाई लोक कार्य कार्यालय के सहयोग से संयुक्त रूप से दिनांक 10 अक्तूबर, 2014 को बहाई हाउस, नई दिल्ली में ''स्वच्छ भारत–समृद्ध भारत'' पर राष्ट्रीय नेतृत्व गोलमेज विचार–विमर्श का आयोजन किया।
6. एनएफसीएच ने अखिल भारतीय महिला सम्मेलन (एआईडब्ल्यूसी), नई दिल्ली के सहयोग से दिनांक 18.10.2014 को अमृतसर (पंजाब) में और दिनांक 10.11.2014 को मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) में 'शांति और साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने में महिलाओं की भूमिका' पर अनेक सेमिनार आयोजित किए।

राष्ट्रीय एकता परिषद (एन आई सी)

6.73 राष्ट्रीय एकता परिषद (एन आई सी) ने अब तक 16 बैठकों का आयोजन किया है। अंतिम बैठक दिनांक 23.09.2013 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। एनआईसी में केन्द्रीय मंत्री, सभी मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता (लोक सभा/राज्य सभा), राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नेता, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नेता, राष्ट्रीय आयोग, मीडियाकर्मी, व्यवसाय जगत के प्रतिनिधि, प्रतिष्ठित व्यक्ति एवं महिला संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

राष्ट्रीय एकता दिवस/राष्ट्रीय संकल्प दिवस और कौमी एकता सप्ताह

6.74 दिनांक 31.10.2014 को राष्ट्रीय एकता दिवस/राष्ट्रीय संकल्प दिवस मनाने और दिनांक 19.11.2014 से 25.11.2014 के दौरान 'कौमी एकता सप्ताह' मनाने के संबंध में सभी

मंत्रालयों/राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदेश जारी किए गए थे।

कट्टरवादी धार्मिक संगठनों के क्रियाकलाप

6.75 देश की शांति, साम्प्रदायिक सद्भाव और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सभी कट्टरवादी धार्मिक संगठनों अथवा समूहों के क्रियाकलापों पर विधि प्रवर्तन एजेंसियों की सतत निगाह रहती है और जहां कहीं आवश्यक होता है, वहां उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

6.76 स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) के तहत दिनांक 01.02.2014 की अधिसूचना सं.का.आ. 299(अ) के तहत गैर–कानूनी संगठन के रूप में घोषित किया गया है, जो इसी तारीख से अस्तित्व में आ गया। यह निर्णय लेने के प्रयोजनार्थ कि उक्त संगठन को गैर–कानूनी के रूप में घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण है अथवा नहीं, केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 27.03.2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 578 (अ) के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय जस्टिस सुरेश कैत को शामिल करते हुए विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) न्यायाधिकरण गठित किया गया था। ''विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अभिकरण'' ने दिनांक 30.07.2014 को एक आदेश पारित किया है जिसमें दिनांक 01.07.2014 से पांच वर्षों की अवधि के लिए सिमी को प्रतिबंधित करने के सरकार के निर्णय की पुष्टि की गई है।

राम जन्म भूमि–बाबरी मस्जिद का मुद्दा

6.77 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने दिनांक 30.09.2010 को ओ.ओ.एस. संख्या 4/1989 (1961 का नियमित वाद संख्या 12) और ओ.ओ.एस. संख्या 5/1989 (1989 का नियमित वाद संख्या 236) में अयोध्या स्थित राम जन्म भूमि–बाबरी मस्जिद नामक विवादास्पद सम्पति/परिसरों के अधिकार के संबंध में अंतिम निर्णय, आदेश और डिक्री की घोषणा की थी। बहुमत से लिए गए न्यायालय के निर्णय के अनुसार सभी तीन पक्षों अर्थात मुसलमान, हिन्दू और निर्मोही अखाड़े को विवादित संपत्ति/परिसरों का संयुक्त स्वत्व धारक घोषित किया गया है। तदनुसार, कुल विवादित संपत्ति/परिसरों के एक–एक तिहाई हिस्से पर तीनों पक्षों द्वारा प्रबंधन और पूजा करने के लिए उसका उपयोग करने के अधिकार की घोषणा की गई है।

6.78 श्री मोहम्मद सिद्दीक उर्फ हाफिज़ मोहम्मद सिद्दीक आदि और कुछ अन्य पार्टियों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा ओ.ओ.एस. संख्या 4/1989 (1961 का नियमित वाद संख्या 12) और ओ.ओ.एस. संख्या 5/1989 (1989 का नियमित वाद संख्या 236) में पारित किए गए दिनांक 30.09.2010 के उक्त अंतिम निर्णय, आदेश और डिक्री के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में वर्ष 2010 की सिविल अपील संख्या 10866–67 दायर की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त सिविल अपीलों की दिनांक 09.05.2011 को सुनवाई की थी और यह निदेश दिया है कि अपीलों के लंबित रहने के दौरान इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा पारित निर्णय और डिक्री का परिचालन स्थगित रहेगा और पार्टियाँ वाद भूमि के संबंध में यथास्थिति बनाए रखेंगी जैसा कि डॉ. एम. इस्माइल फारुकी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में भारत के उच्चतम न्यायालय के दिनांक 24.10.1994 के पूर्व के आदेश में निर्देश दिया गया था। भारत संघ किसी भी स्वत्व वाद में पार्टी नहीं था। इसी प्रकार, भारत संघ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा पारित दिनांक 30.09.2010 के अंतिम निर्णय, आदेश और डिक्री के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में दायर किसी भी सिविल अपील में भी पार्टी नहीं है। तथापि, अयोध्या में कतिपय क्षेत्र अधिग्रहण अधिनियम, 1993 में दिए गए उपबंधों के अन्तर्गत अयोध्या में विवादित भूमि का वैधानिक प्राप्तकर्ता होने के नाते केन्द्रीय सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार और फैजाबाद संभाग, फैजाबाद के प्राधिकृत व्यक्ति/कमिश्नर के साथ समन्वय स्थापित करके विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखी है।

*****

अध्याय 7

संघ राज्य क्षेत्र

प्रस्तावना

7.1 संघ राज्य क्षेत्र सात हैं, जिनके नाम अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमण और दीव, लक्षद्वीप, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी हैं। सात संघ राज्य क्षेत्रों में से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी की विधायिका, मंत्रिपरिषद और अपनी स्वयं की समेकित निधियां हैं। बाकी संघ राज्य क्षेत्रों की विधायिका नहीं है।

7.2 सात संघ राज्य क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल 10,960 वर्ग किमी. और 2011 की जनगणना के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार इनकी जनसंख्या 2,00,82,522 है। संघ राज्य क्षेत्र–वार जनसंख्या और क्षेत्रफल **अनुलग्नक–IX** में दिया गया है। वर्ष 2014–2015 में बजट प्रावधान और उनका उपयोग **अनुलग्नक–X** में दिया गया है।

सांविधानिक स्थिति

7.3 संघ राज्य क्षेत्र भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची के भाग–II में विनिर्दिष्ट हैं। इन क्षेत्रों का प्रशासन भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 से 241 के प्रावधानों के अनुसार चलाया जाता है। भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 के अधीन, गृह मंत्रालय, विधायन, वित्त और बजट, उप–राज्यपालों और प्रशासकों की सेवाओं और नियुक्ति से संबंधित संघ राज्य क्षेत्रों के सभी मामलों के लिए नोडल मंत्रालय है। प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा चलाया जाता है। दिल्ली, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में, उप–राज्यपालों को प्रशासकों के रुप में पदनामित किया जाता है। पंजाब के राज्यपाल को चंडीगढ़ के प्रशासक के रुप में नियुक्त किया जाता है। अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और संघ राज्य क्षेत्र (ए जी एम यू टी) संवर्ग के वरिष्ठ आई ए एस अधिकारियों को प्रशासकों के रुप में नियुक्त किया जाता है।

प्रशासनिक अंतर–संपर्क (इंटरफेस)

7.4 विधान सभा रहित सभी पांचों संघ राज्य क्षेत्रों– अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली तथा लक्षद्वीप में गृह मंत्री की सलाहकार समिति (एच एम ए सी) के रुप में एक मंच है, जिसमें संबंधित संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक और सांसद के अलावा, स्थानीय निर्वाचित निकायों जैसे कि जिला पंचायतों और नगरपालिका परिषद/समितियों के सदस्यों को उक्त मंच के सदस्य के रुप में नामित किया जाता है। एच एम ए सी की बैठकों की अध्यक्षता गृह मंत्री द्वारा अथवा उनकी अनुपस्थिति में गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री द्वारा की जाती है। यह समिति संघ राज्य क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित आम मुद्दों पर चर्चा करती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

7.5 भारत संघ की राजधानी होने के नाते दिल्ली की अपनी अलग विशेषताएं और समस्याएं हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एक ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जहां विधान सभा मौजूद है और इसकी अपनी समेकित निधि है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद उप राज्यपाल को उनके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करती है और उन्हें सलाह देती है। विधान सभा को संविधान के अनुच्छेद 239कक(3) में निर्धारित शर्तों के अध्यधीन, राज्य सूची की प्रविष्टि 1 (लोक व्यवस्था), 2 (पुलिस) और 18 (भूमि) तथा उक्त सूची की प्रविष्टियों 64, 65 और 66, जहां तक उनका संबंध पूर्व उल्लिखित प्रविष्टि 1, 2 और 18 से हो, को छोड़कर राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में, जहां तक वह संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू हो, पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं।

7.6 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 1,483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या मुख्यतः देश के विभिन्न भागों से बड़े पैमाने पर होने वाले प्रवास के कारण 1,67,53,235 हो गई है। समय के साथ–साथ दिल्ली का बहुत तेज गति से शहरीकरण हुआ है। इन दो कारणों से दिल्ली की अवसंरचना, नागरिक सुविधाओं एवं कानून और व्यवस्था की स्थिति पर अभूतपूर्व दबाव बना है।

अर्थव्यवस्था

7.7 दिल्ली की अर्थव्यवस्था बेहद मजबूत और गतिशील है। वर्ष 2013–14 के लिए प्रति व्यक्ति आय अनुमानित रुप से 2.20

लाख रु. थी। दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सबसे अधिक है। वर्ष 2013–14 के दौरान स्थिर मूल्यों पर दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 9.35% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में दिल्ली का योगदान लगभग 3.86% है। वर्ष 2013–14 के दौरान दिल्ली में औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी पी आई) पर आधारित मुद्रास्फीति की दर सबसे कम 8.2% थी। दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्यों में वृद्धि अन्य महानगरों और राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले न्यूनतम थी।

सुशासन

7.8 विकास संबंधी प्रक्रिया दिनोंदिन एक सहभागितापूर्ण गतिविधि बनती जा रही है, जहां आम नागरिक विकास का लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से केन्द्र में होने के साथ–साथ विकास की प्रक्रिया को मूर्त रुप देने में महत्वपूर्ण कड़ी होने की भूमिका भी निभाता है।

7.9 सुशासन कभी भी सुनिश्चित नहीं हो सकता है यदि सरकार आम जनता की जरुरतों का आकलन करने में असमर्थ रहे। सरकार ने यह निदेश दिया है कि वरिष्ठ स्तर के अधिकारी आम जनता की जरुरतों का आकलन करने तथा जमीनी स्तर पर प्रशासन के कार्यों और कार्यकरण की निगरानी करने के लिए क्षेत्रों का दौरा करेंगे।

7.10 दिल्ली सरकार ने सभी कार्यालयों में बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त, आम जनता से जुड़े कार्यों की देखरेख कर रहे कार्यालयों में सीसीटीवी प्रणालियां स्थापित की गई हैं ताकि व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जा सके और लोगों को सुचारु रुप से सेवा प्रदान की जा सके।

7.11 दिनांक 02.10.2014 को दिल्ली सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, जिसने अब जोर पकड़ लिया है। दिल्ली सरकार के अधिकारी सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों, अस्पतालों आदि का नियमित निरीक्षण कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, इस सरकार के आईएएस अधिकारियों और दानिक्स अधिकारियों ने स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत समग्र निगरानी तथा स्वच्छता के लिए एक सरकारी कार्यालय, एक सरकारी विद्यालय और एक अस्पताल और चिकित्सालय का चुनाव किया है। नागरिक एजेंसियां, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद भी शहर में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए उपाय कर रही हैं। दिल्ली सरकार के सभी विभागों ने अल्पकालिक और दीर्घकालिक कार्य योजनाएं तैयार की हैं। शहरी विकास विभाग इस संबंध में नोडल विभाग है और वह स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित गतिविधियों की सक्रिय रुप से निगरानी कर रहा है।

7.12 दिनांक 13.08.2014 को दिल्ली (सेवाओं की समयबद्ध सुपुर्दगी के प्रति नागरिक का अधिकार) अधिनियम, 2011 के अंतर्गत सेवाओं की अनुसूची में 245 नागरिक सेवाएं जोड़ी गईं। इसके परिणामस्वरुप, वर्तमान में उक्त अधिनियम के दायरे के अन्तर्गत 361 नागरिक सेवाएं आ चुकी हैं। इनकी निगरानी ईएसएलए (इलेक्ट्रानिक सर्विस लेवल एग्रीमेंट) मानीटरिंग प्रणाली के माध्यम से की जाती है।

7.13 दिल्ली (सेवाओं की समयबद्ध सुपुर्दगी के प्रति नागरिक का अधिकार) अधिनियम, 2011 के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित सेवाओं का निष्पादन समयबद्ध तरीके से हो सके। महिला एवं बाल विकास विभाग निर्धन विधवाओं को उनकी पुत्रियों के विवाह के संबंध में आवेदन प्राप्त होने से 60 दिन के भीतर वित्तीय सहायता स्वीकृत करता है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदान की जा रही एक अन्य समयबद्ध सेवा अनाथ लड़कियों को उनके विवाह हेतु आवेदन प्राप्त होने से 60 दिन के भीतर वित्तीय सहायता स्वीकृत करने से संबंधित है। संकट में फंसी विधवाओं/महिलाओं को पेंशन की स्वीकृति से संबंधित सेवा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आवेदन प्राप्त होने से 45 दिन के भीतर उपलब्ध कराई जा रही है।

7.14 दिल्ली (सेवाओं की समयबद्ध सुपुर्दगी के प्रति नागरिक का अधिकार) अधिनियम, 2011 के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग फॉस्ट ट्रैक आधार पर 15 दिनों के भीतर वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद स्टेशनरी की निःशुल्क आपूर्ति के लिए संबंधित विभागों को निधियां स्वीकृत तथा उन्हें जारी करता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा आवेदन प्राप्त होने से 30 दिनों के भीतर शिक्षा–ऋण स्वीकृत किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, यह विभाग मान्यताप्राप्त पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए ट्यूशन शुल्क और अन्य अनिवार्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति की कार्रवाई आवेदन प्राप्त होने से 75 दिनों के भीतर पूरी करता है।

7.15 ई.एस.एल.ए. के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि सामाजिक कल्याण विभाग निःशक्त व्यक्तियों को उनके आवेदन प्राप्त होने से 45 दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति जारी करे।

7.16 दिल्ली में एकीकृत बाल विभाग योजना के लिए राज्य ई–मिशन दल, दिल्ली इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस आधारित निगरानी प्रणाली क्रियान्वित करने के लिए सिस्टम इंडीकेटर के चयन हेतु आर.एफ.पी. तैयार कर रहा है।

7.17 खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने लाभार्थियों से संबंधित सभी सूचनाएं सार्वजनिक करके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए

कार्रवाई की है। इस वेबसाइट के माध्यम से नए राशन कार्ड जारी करने, मौजूदा राशन कार्डों में संशोधन करने तथा लोगों को उनके आवेदन की स्थिति की जानकारी देने जैसी ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

7.18 नागरिकों के साथ नियमित रुप से बातचीत करने तथा टेक्स्ट संदेशों, फोटोग्राफों, वीडियो और ऑडियो के जरिए उनकी शिकायतों को प्राप्त करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग आरंभ किया गया है। दिनांक 02.10.2014 को फेसबुक पेज https://www.facebook.com/cfood.delhi की शुरुआत की गई है। दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार एक लाख से अधिक व्यक्ति इस सुविधा का लाभ उठा चुके थे।

7.19 लोगों की शिकायतें प्राप्त करने के लिए ''वॉट्स ऐप'' की सेवा का उपयोग करने के लिए एक समर्पित फोन नं. 8800950480 चालू किया गया है। इस सेवा की शुरुआत दिनांक 01.11.2014 को हो चुकी है। फेसबुक और वॉट्स ऐप का इस्तेमाल करके नागरिकों से निरंतर संपर्क बनाए रखा जा रहा है। राशन हेल्पलाइन सं. 1967 चलाई गई है तथा इस हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों को दर्ज करने तथा पूछे गए सवालों का उत्तर देने के लिए एक कॉल सेंटर (जिसका प्रबंधन एक व्यावसायिक एजेंसी द्वारा किया जा रहा है) की स्थापना भी की गई है। यह हेल्पलाइन बेहद लोकप्रिय हो चुकी है और दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2014 तक इस पर 2,12,660 सवाल पूछे जा चुके थे तथा 1,891 शिकायतें प्राप्त हो चुकी थीं।

7.20 व्यापार एवं कर विभाग ने दिनांक 12.05.2014 से स्वचालित पंजीकरण योजना की शुरुआत की है जिसमें अपना व्यापार पंजीकृत कराने के इच्छुक आवेदक अपने व्यापार और पैन का ब्यौरा देते हैं। पैन का सत्यापन होने के पश्चात् आवेदक पंजीकरण आवेदन भर सकता है तथा दस्तावेजों की स्कैन प्रतियां अपलोड तथा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर सकता है। पंजीकरण संख्या अर्थात् टिन स्वचालित रुप से निर्धारित होती है और विक्रेता को इसकी जानकारी ऑनलाइन दी जाती है। इसके लिए आवेदक को विभाग में जाने या इस संबंध में कोई हार्ड प्रति प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है। निरीक्षण का कार्य पंजीकरण के पश्चात् किया जाता है।

7.21 भुगतान की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाया गया है। तेइस बैंकों को भुगतान प्राप्त करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, दो बैंकों को ई–पेमेंट के अलावा वास्तविक आधार पर भुगतान प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। सभी भुगतानों की शुरुआत विभागीय वेबसाइट के माध्यम से होती है।

7.22 विक्रेताओं को डिजिटल हस्ताक्षरों के माध्यम से अपनी विवरणियां प्रस्तुत करने का विकल्प दिया गया है। इन विवरणियों के लिए पावती की हार्ड कॉपी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है। अन्य विक्रेताओं को एक पृष्ठ की पावती प्रस्तुत करनी होती है।

7.23 विक्रेता किसी भी समय अपनी सुविधानुसार अपने कार्यालय/व्यापार–स्थल से अंतर–राज्य खरीद के लिए केन्द्रीय सांविधिक प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। डीलरों के वेबपेज पर नोटिस/आदेशों की जानकारी भी दी जाती है। इस प्रकार, विक्रेता अपनी स्थिति के बारे में स्वतः अद्यतन जानकारी प्राप्त करते रहते हैं।

7.24 विवरणियों के विश्लेषण पर आधारित नए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से उन विक्रेताओं का कंप्यूटरीकृत चयन संभव हो सका है जिनका सर्वेक्षण किया जाना है या जिनकी जांच की जानी है। इससे न केवल प्रभावी चयन की प्रक्रिया में और सुधार होने में मदद मिलेगी बल्कि इस प्रकार के चयन में आत्मपरकता भी कम की जा सकेगी। व्यापार एवं कर विभाग पूर्णतः कंप्यूटरीकृत है और वर्तमान में यह अपनी अधिकांश सेवाएं विक्रेताओं को ऑनलाइन मुहैया करा रहा है।

7.25 अपने क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामीण और शहरी जनसंख्या को तत्काल और सजग प्रशासन प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को 33 सब–डिवीजनों के साथ 11 जिलों में बाँटा गया है और प्रत्येक जिला प्रशासन संपत्ति दस्तावेजों के पंजीकरण, विभिन्न प्रमाण–पत्रों को जारी करने जैसी अनेक लोक उन्मुखी सेवाएं प्रदान कर रहा है।

7.26 राजस्व विभाग के अधीन अनेक कार्यालयों का लोगों के लिए सुविधाओं सहित स्तरोन्नयन किया गया है। राजस्व विभाग की पच्चीस सेवाओं की निगरानी ईएसएलए प्रणाली के माध्यम से की जा रही है, जिससे लोगों को समयबद्ध तरीके से प्रमाण–पत्र/दस्तावेज प्रदान किया जाना सुनिश्चित हो सका है।

7.27 सक्रिय अनुवर्ती कार्रवाई और गहन निगरानी के परिणामस्वरुप, दिल्ली की लगभग समूची जनसंख्या आधार के दायरे में आ गई है। आधार डाटा बेस का व्यापक उपयोग प्रत्यक्ष लाभ अंतरण संबंधी विभिन्न योजनाओं में किया जा रहा है।

शिक्षा

7.28 शिक्षा, समाज के विकास को प्रभावित करने वाला एक अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दिल्ली सरकार ने समाज के सभी वर्गों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है। चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान 6 नए विद्यालय खोले गए हैं, 30 विद्यालयों का स्तरोन्नयन किया गया है तथा 9 विद्यालयों का विभाजन किया गया है, जिससे विभिन्न स्तरों पर प्रवेश करने वाले छात्रों की संख्या बढ़ी है। मौजूदा विद्यालयों के अतिरिक्त, छात्रों के बीच विज्ञान की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 03 विद्यालयों में विज्ञान पाठ्यक्रमों की शुरुआत की गई है।

7.29 सरकारी विद्यालयों में 10+2 स्तर पर उत्तीर्ण होने की प्रतिशतता वर्ष 2013–14 में 88.65% से बढ़कर वर्ष 2014–15 में

88.67% हो गई। वर्ष 2014–15 में दसवीं स्तर पर सरकारी विद्यालयों में उत्तीर्णता का प्रतिशत 98.81% रहा। कुल मिलाकर, वर्ष के दौरान 111 सरकारी विद्यालयों ने शत–प्रतिशत सफलता का लक्ष्य प्राप्त किया। लगभग 551 सरकारी विद्यालयों ने वर्ष 2013–14 में 522 विद्यालयों की तुलना में वर्ष 2014–15 के दौरान 90% या इससे अधिक का परिणाम हासिल किया। वर्ष के दौरान राष्ट्रीय प्रतिभा विकास विद्यालयों में परिणाम का प्रतिशत 99.71% रहा।

7.30 सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में लगभग 17 लाख छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा सब्सिडी आधार पर वर्दी उपलब्ध कराई गई है। सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के छात्रों को लेखन सामग्री के लिए नकद सब्सिडी से प्रारंभिक कक्षाओं के 8 लाख छात्रों को लाभ पहुंचा है।

7.31 निजी स्कूलों में ई डब्ल्यू एस श्रेणी के अंतर्गत लगभग 25,000 छात्रों को दाखिला मिला है। 13,336 छात्रों को लाल बहादुर शास्त्री मेरिट छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय के 2,32,700 छात्रों को भी छात्रवृत्तियां दी गई हैं।

7.32 सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 6 से कक्षा 12 की लगभग 8 लाख छात्राएं, लड़कियों के बीच रजोधर्म संबंधी स्वच्छता के संबंध में किशोरी योजना के तहत सैनिटरी नैपकिनों की निःशुल्क आपूर्ति की सुविधा का लाभ उठाती रही हैं।

7.33 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के संबंध में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा वसूले जाने वाले परीक्षा शुल्क का भुगतान शिक्षा निदेशालय प्रत्येक वर्ष करता है। छात्रों से संबंधित योजनाओं के अंतर्गत नकद लाभ का वितरण छात्रों के बैंक खातों के माध्यम से किया जा रहा है।

7.34 खेलकूद संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राष्ट्रमंडल खेल, 2014 तथा एशियाई खेल, 2014 के पदक विजेताओं को सम्मानित किया और उन्हें नकद पुरस्कार प्रदान किया।

7.35 विभिन्न राष्ट्रीय, अन्तरराष्ट्रीय और राज्य प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं को मिलने वाली नकद पुरस्कार की धनराशि दोगुनी कर दी गई है। शिक्षा निदेशालय ने सभी शारीरिक शिक्षा शिक्षकों, व्याख्याता (शारीरिक शिक्षा) और योग शिक्षकों के लिए सेमिनार/पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन भी आरंभ किया है, जिससे छात्रों को प्रशिक्षित करने की उनकी क्षमता में और निखार आए।

7.36 शिक्षा निदेशालय ने विद्यालय भवनों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए 30 करोड़ रु. स्वीकृत किए हैं। 20 पक्का स्कूली भवनों के निर्माण के लिए अनन्य रुप से लोक निर्माण विभाग को 344 करोड़ रु. की स्वीकृतियां जारी की गई हैं।

7.37 योजनाओं में पारदर्शिता लाने, सुचारु निष्पादन और दक्ष कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, शिक्षा निदेशालय ने अग्रणी बैंकरों से विद्यालय परिसरों में शिविरों के आयोजन तथा छात्रों का शून्य अधिशेष खाता खोलने का अनुरोध किया है ताकि लाभ सुचारु रुप से उनके संबंधित बैंक खातों में अंतरित किया जा सके। वर्तमान में लगभग 10 लाख छात्रों के बैंक खाते हैं।

7.38 व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पूरी दिल्ली में 22 विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा आरंभ की गई है। शिक्षा निदेशालय ने विद्यालयों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से पिछले 3–4 माह के दौरान 19 नए विद्यालय भवनों के निर्माण की मंजूरी प्रदान की है।

7.39 जनशक्ति को सुदृढ़ करने के लिए, शिक्षा निदेशालय ने प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संगठनों के साथ तालमेल स्थापित किया है। निदेशालय विभिन्न प्रकार की ई–सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगभग 50 विद्यालयों में 'ऑफिस 365 ई' नामक एक पायलट परियोजना आरंभ करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट से सहयोग कर रहा है।

7.40 वर्तमान में पांच राज्य विश्वविद्यालय (अर्थात् गुरु गोविन्द सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तथा इंदिरा गांधी महिला प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय) उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार गुणवत्तापरक तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास के प्रति मार्गनिर्देशन, नीतियां एवं कार्यक्रम उपलब्ध करा रहा है और इसके लिए मानक निर्धारित कर रहा है। प्रत्येक वर्ष लगभग 26,000 छात्र प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से तकनीकी शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शामिल हो रहे हैं।

7.41 एक प्रमुख पहल के रुप में, पॉलीटेक्निक में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया सफलतापूर्वक ऑनलाइन कर दी गई है। इस प्रक्रिया में संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आनलाइन आवेदन करना, वेब–आधारित परामर्श तथा आवेदन शुल्क और प्रवेश शुल्क के भुगतान के लिए धनराशि के भुगतान की सुविधा प्रदान करना शामिल है। इसी प्रकार, 66 विभिन्न विषयों/पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन की प्रक्रिया पहली बार शैक्षणिक सत्र 2014–15 में ऑनलाइन बनाई गई। प्रतिष्ठित दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू), नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान (एन एस आई टी), इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई आई टी) और इंदिरा गांधी

दिल्ली महिला प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आई जी डी टी यू डब्ल्यू) में नामांकन के लिए शैक्षणिक सत्र 2014–15 में पहली बार संयुक्त वेब–आधारित काउंसलिंग एक बार पुनः प्रारंभ की गई। इसके परिणामस्वरुप प्रवेश की समूची प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता आई है।

7.42 इस वर्ष, सरकार ने 2.7 करोड़ रु. की लागत से आई.टी.आई. नंद नगरी में छात्राओं, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं के लिए एक नए भवन का निर्माण कार्य पूरा किया है। इसका उपयोग अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को विभिन्न कौशल जैसे बाल एवं त्वचा देखभाल, कढ़ाई, फैशन टेक्नोलाजी, ड्राफ्ट्समैनशिप (सिविल) आदि में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

7.43 सरकार ने नरेला में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने की दिशा में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। इस प्रयोजन के लिए 158 करोड़ रु. की लागत से भूमि आबंटित हो चुकी है। चारदीवारी के निर्माण का कार्य एन.बी.सी.सी. लिमिटेड को सौंपा गया है।

7.44 इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने संबंधी भारत सरकार की नई नीति के अनुरुप एन.एस.आई.टी. के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने तीन उत्कृष्टता केन्द्रों अर्थात् सेंटर फॉर एसिक डिजाइन, सेंटर फॉर इमेज प्रोसेसिंग और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन मेमेरीस्टर्स की स्थापना को सैद्धान्तिक सहमति प्रदान कर दी है।

7.45 छात्रों और प्रशिक्षुओं के कौशल के स्तरोन्नयन को उच्च प्राथमिकता दी गई है। दिल्ली सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से लोक निजी भागीदारी (पी पी पी) मोड के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के स्तरोन्नयन के लिए एक कार्यक्रम आरंभ किया है जिसके तहत आई.टी.आई. के स्तरोन्नयन के लिए बनाई गई एक पंजीकृत सोसायटी संस्थान प्रबंधन समिति (आई.एम.सी.) को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत नौ आई.टी.आई. का स्तरोन्नयन किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने भी वैश्विक मानकों के अनुरुप बहुविध कुशल कामगारों को तैयार करने के उद्देश्य से विश्व बैंक समर्थित परियोजना, व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना (वी.टी.आई.पी.) आरंभ की है। इस योजना के अंतर्गत चार आई.टी.आई. का स्तरोन्नयन किया गया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न आई.टी.आई. में अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं/कार्यशालाएं विकसित करने, उन्नत प्रौद्योगिकियों में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान कराने के लिए प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 50 प्रशिक्षुओं के पहले बैच को औद्योगिक घरानों ने अपने यहां रोजगार मुहैया कराया है।

स्वास्थ्य सेवाएं

7.46 दिल्ली एक आधुनिक शहरी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के साथ इस क्षेत्र में एक चिकित्सकीय देखभाल हब के रुप में उभर रही है। दिल्ली सरकार ने 6 सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल सहित 36 अस्पतालों से युक्त एक जबरदस्त स्वास्थ्य देखभाल अवंसरचना का निर्माण किया है जिसमें 10 अस्पतालों के पास अपना स्वयं का ब्लड बैंक और रक्त भंडारण सुविधाएं मौजूद हैं। वर्तमान में, अस्पतालों में 10,000 से अधिक बिस्तर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार के पास 202 चिकित्सालय, 58 सीड प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, 35 आयुर्वेदिक, 17 यूनानी और 100 होमियोपैथिक चिकित्सालय उपलब्ध हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, मातृत्व और बाल स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि बीमारी के बोझ, मातृत्व और बाल मृत्यु दर में कमी लाई जा सके।

7.47 महत्वपूर्ण देखभाल के क्षेत्र में, सरकार ने लोक निजी भागीदारी के अंतर्गत वर्ष 2014–15 के दौरान 50 डॉयलिसिस बेड्स और जोड़े जाने की योजना तैयार की है। यह लोक निजी भागीदारी के अंतर्गत स्थापित 40 मौजूदा डॉयलिसिस बेडों के अतिरिक्त होगी। ट्रॉमा पीड़ितों तक एंबुलेंसों की पहुंच बढ़ाने के लिए 110 नई अत्याधुनिक एंबुलेंसों की खरीद की जा रही है। ये 51 रोगी परिवहन एंबुलेंसों के मौजूदा बेड़े के अतिरिक्त हैं।

7.48 आर्थिक रुप से कमजोर श्रेणी (ई डब्ल्यू एस) के लगभग 11 लाख रोगियों को उन 43 चिन्हित निजी अस्पतालों में निःशुल्क ओ.पी.डी. की सुविधा दी गई जिन्हें रियायती दरों पर भूमि दी गई है। इसी प्रकार, इन अस्पतालों में ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के 35,000 रोगियों को आई.पी.डी. सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं।

7.49 इस वित्तीय वर्ष के दौरान लोक नायक अस्पताल में नागरिक जन्म/मृत्यु प्रमाण–पत्र जारी किया जाना आरंभ हुआ है।

7.50 तर्कसंगत तरीके से दवाइयों की सलाह देने तथा सचल स्वास्थ्य सुविधाओं में रोगियों का प्रोटोकॉल आधारित उपचार करने के बारे में सभी चिकित्सकों को मानक उपचार दिशानिर्देश (एस टी जी) जारी किए गए हैं। निर्धन व्यक्तियों, जो इलाज के लिए पूरी तरह से सरकारी अस्पतालों पर आश्रित हैं, को रियायती दर पर उपचार उपलब्ध कराने के लिए जेनरिक दवाइयों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

7.51 चिकित्सा संबंधी खरीद और दवाइयों के वितरण और चिकित्सा संबंधी आपूर्तियों के संबंध में क्षमता–निर्माण हेतु आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों के प्रशिक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) के साथ मिलकर समझौता ज्ञापन का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

7.52 इंडोर रोगी तथा आउटडोर रोगी देखभाल, दोनों के लिए स्टाफ की समय पाबंदी और उपस्थित सुनिश्चित करने के लिए सभी अस्पतालों में उपस्थिति की बॉयोमैट्रिक प्रणाली शुरु की गई है।

7.53 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने निम्नलिखित स्वास्थ्य कार्यक्रम में उपलब्धियां हासिल की हैं:–

(i) छात्रों के बीच 2,72,18,109 आयरन और फोलिक एसिड (आई एफ ए) के टैबलेट वितरित किए गए हैं।

(ii) विद्यालय स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 97,513 छात्रों में हेमोग्लोबिन की मात्रा की जांच की गई। इसके अतिरिक्त, 3,82,093 छात्रों के ब्लड शुगर की भी जांच की गई।

(iii) योजनागत स्कीम "एच आई वी/एड्स प्रभावित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता" के अंतर्गत 1,540 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई।

(iv) दिल्ली के सरकारी अस्पतालों और दिल्ली नगर निगम के अस्पतालों ने स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार की योजना जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया। इस योजना के अन्तर्गत 1,44,773 निःशुल्क नैदानिक सुविधाएं, 1,76,148 निःशुल्क दवाइयां, 4,061 निःशुल्क रक्त ट्रांसफ्यूजन और गर्भवती महिलाओं के लिए 34,794 निःशुल्क आने–जाने की व्यवस्था की गई।

7.54 इस वित्तीय वर्ष के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निम्नलिखित नए कार्यक्रमों/योजनाओं/परियोजनाओं का कार्यान्यवन किए जाने का प्रस्ताव है:

क) महर्षि वाल्मिकी अस्पताल में 100 बिस्तरों वाला मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य (एम सी एच) ब्लॉक खोलना।

ख) निर्माणाधीन 8 चिकित्सालयों के क्रियाशील हो जाने की संभावना है।

ग) राव तुला राम मेमोरियल अस्पताल का स्तरोन्नयन 100 बिस्तरों से 200 बिस्तरों के साथ किया जाएगा। इस अस्पताल में अत्याधुनिक सी सी टी वी निगरानी प्रणाली भी स्थापित की जाएगी।

घ) डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल, रोहिणी के परिसर में 100 छात्रों के प्रारंभिक प्रवेश के साथ एक मेडिकल कॉलेज के निर्माण का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, इस परिसर में एक मेट्रो ब्लड बैंक की स्थापना करने का भी प्रस्ताव है।

ङ) मलिन बस्तियों के लिए वैनों में 10 नई मोबाइल डिस्पेंसरियों का प्रस्ताव है।

सामाजिक सुरक्षा

7.55 सरकार समाज के सभी वर्गों, विशेषकर आर्थिक रुप से पिछड़े लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का लाभ प्रदान करने के लिए पात्र परिवारों की पहचान की प्रक्रिया खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा पूरी कर ली गई है और गेहूं के लिए 2 रु. प्रति किलोग्राम की दर से तथा चावल के लिए 3 रु. प्रति किलोग्राम की दर से सब्सिडी आधार पर राशन प्रदान करके दिल्ली के 15 लाख से अधिक पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराई गई है।

7.56 चालू वित्तीय वर्ष में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम निर्धन महिलाओं के लिए 2,750 सिलाई मशीनें खरीदेगा तथा उनका वितरण करेगा। विधवाओं को उनकी पुत्रियों के विवाह के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता 25,000 रु. से बढ़ाकर 30,000 रु. कर दी गई है। इसके अतिरिक्त धोबी समाज के लिए 1,160 धोबी प्रेस की खरीद और उनके वितरण संबंधी प्रक्रिया को अंतिम रुप दिया गया है।

7.57 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग इन समुदायों के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास की गति को तेज करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनागत स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है। विभाग की विभिन्न योजनागत स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2014–15 के दौरान 34,000 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। दिनांक 31.12.2014 तक 24,259.58 लाख रु. का व्यय किया जा चुका था जो अनुमोदित परिव्यय का लगभग 61.29% है। आई टी आई, नंद नगरी में महिला विंग के भवन का निर्माण आरंभ हो चुका है तथा ईश्वर नगर में स्थित कस्तूरबा बालिका विद्यालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए एक नया छात्रावास भवन तैयार हो चुका है। एक अन्य पहल के तौर पर दिल्ली सरकार ने दिल्ली में सीवरों की मैनुअल सफाई के खतरनाक काम पर प्रतिबंध लगाने की पहल की है।

अवसंरचना

7.58 दिल्ली ने अवसंरचना के विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है। सिंचाई एवं बाढ़–नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रमुख नालों में सुधार लाने के लिए अनेक योजनागत स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है। विभाग की चल रही प्रमुख स्कीमें निम्नानुसार हैं:

i) दिल्ली के मास्टर प्लान–2021 के सम्पूरक के तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जल–निकासी में सुधार हेतु एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है।

ii) प्रमुख नालों से गाद हटाने की क्षमता बढ़ाने/प्रक्रिया तेज करने के लिए डी जी एस एंड डी के माध्यम से आधुनिक मशीन (अर्थात् एम्फीबियस एक्सकावेटर, ड्रैगलाइन्स, बुलडोजरों, क्रेनों) की खरीद की जा रही है।

iii) मुंडका पेरीफेरल ड्रेन के रि–मॉडलिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है।

iv) आई एंड एफ सी नालों पर सात पुलों तथा 21 पुलियाओं का निर्माण कार्य चल रहा है। एक पुल का निर्माण कार्य इस वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया गया है।

v) अपरदन–रोधी कार्य के तौर पर, आई एंड एफ सी विभाग ने बाढ़ के कटाव को कम करने के लिए नदी–प्रशिक्षण कार्य पूरा कर लिया है।

vi) बरसात के मौसम में पानी के भंडारण सहित भूमिगत जल का पुनः दोहन करने के लिए ग्रामीण इलाकों के मृत जलाशयों को पुनः जीवंत बनाने के उद्देश्य से आई एंड एफ सी विभाग ने मुख्य सचिव, दिल्ली द्वारा परिचालित 9 सूत्री दिशानिर्देशों के अनुसार 237 जल–स्थल विकसित किए हैं तथा वर्तमान में 10 जल–स्थलों पर काम चल रहा है तथा 30 जल–स्थलों के परियोजना संबंधी अनुमान प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए गए हैं।

7.59 शहर में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए, जवाहरलाल नेहरु स्टेडियम से आई एन ए मार्किट तक बारापुला नाला के ऊपर ऐलीवेटिड कॉरीडोर के चरण–II के निर्माण के लिए अपेक्षित अनुमोदन प्रदान कर दिए गए हैं जिसे इस वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिए जाने का प्रस्ताव है।

परिवहन

7.60 दिल्ली सरकार के 17,200 करोड़ रु. के कुल योजनागत परिव्यय में से वार्षिक योजना 2014–15 में परिवहन क्षेत्र को 1,702 करोड़ रु. का योजनागत परिव्यय आबंटित किया गया है जो वर्ष के कुल योजनागत परिव्यय का लगभग 10% है।

7.61 चरण–।।। कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली मेट्रो के विस्तार का कार्य समय–सीमा के अनुसार चल रहा है। वार्षिक योजना 2014–15 के अंत तक चरण–।।। के अंतर्गत जहांगीरपुरी से बादली तक विस्तारित की जाने वाली लाइन सबसे पहले पूर्ण होने वाला कॉरीडोर बनेगा। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन इस वर्ष की समाप्ति तक बदरपुर मेट्रो लाइन को वाई एम सी ए चौक, फरीदाबाद तक बढ़ाने का कार्य भी पूरा करने का प्रयास कर रहा है।

7.62 लगभग 1,300 स्टैंडर्ड बसों के पुराने बेड़े को 1,380 नई सेमी लो फ्लोर बसों से बदला जाएगा। दिल्ली परिवहन निगम इन नई बसों की खरीद के लिए आवश्यक प्रबंध कर रहा है।

7.63 दिनांक 25.11.2014 को दिल्ली परिवहन निगम ने दिल्ली से काठमांडू, नेपाल तक एक नई बस सेवा प्रारंभ की, जिसका शुभारंभ माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, भारत सरकार ने किया।

पर्यावरण

7.64 दिल्ली ने वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। निम्नलिखित कार्यों की देखरेख करने के लिए दिनांक 13.05.2014 को मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की अध्यक्षता में वायु एवं जल प्रदूषण विषयक एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया:

i) दिल्ली शहर में वाहनों द्वारा प्रदूषण का स्तर;

ii) औद्योगिक और सीवर अपशिष्ट डाले जाने के कारण यमुना में प्रदूषण का स्तर।

7.65 समिति ने वायु एवं जल प्रदूषण को कम करने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों की सिफारिश की है।

7.66 जल प्रबंधन से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए जल–विशेषज्ञों के एक सलाहकार दल का गठन किया गया है जो जल–प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर दिल्ली सरकार के विशेषज्ञ दल का मार्गदर्शन करेगा। इसके अतिरिक्त, दिल्ली के नागरिकों के लिए बोरवेल तथा नलकूप की स्वैच्छिक जानकारी देने की सुविधा आरंभ की गई है, जो दिनांक 31.12.2014 तक जारी रहेगी ताकि शहर में बोरवेलों/नलकूपों से संबंधित डाटा बेस तैयार हो सके।

7.67 खतरनाक अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान दिल्ली सरकार के लिए गंभीर चिंता का विषय रहा है। खतरनाक अपशिष्ट के शोधन, भंडारण और निपटान सुविधा (टीएसडीएफ) के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार करने के प्रयास किए गए हैं। दिल्ली में खतरनाक अपशिष्ट के निपटान के लिए टीएसडीएफ की स्थापना हेतु स्थल की पहचान की प्रक्रिया चल रही है। दिल्ली सरकार राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों से संपर्क करने का प्रयास कर रही है ताकि उनसे टीएसडीएफ का आदान–प्रदान हो सके।

दिल्ली पुलिस

7.68 दिल्ली पुलिस, जो मुगल काल से अस्तित्व में थी, का पुनर्गठन ब्रिटिश द्वारा पुलिस अधिनियम, 1861 के अंतर्गत किया गया था। दिनांक 16.02.1948 को दिल्ली पुलिस का प्रभार पुलिस महानिरीक्षक को सौंपा गया जो शहर में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनन्य रुप से जिम्मेदार था।

7.69 वर्ष 1978 में, दिल्ली पुलिस अधिनियम पारित किया गया तथा दिनांक 01.07.1978 से आयुक्त प्रणाली लागू हुई। तब से दिल्ली पुलिस के प्रमुख पुलिस आयुक्त, दिल्ली होते हैं। वर्तमान में, दिल्ली पुलिस में 181 पुलिस थानों (161 प्रादेशिक, 2 आई जी आई ए, 5 अपराध एवं रेलवे, 8 मेट्रो और पुलिस थानों के रुप में घोषित 5 विशेषीकृत यूनिटें (i) आर्थिक अपराध शाखा (ii) अपराध शाखा (iii) विशेष सेल (iv) महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष पुलिस यूनिट (एस पी यू डब्ल्यू ए सी) और (v) सतर्कता सहित 06 रेंज, 11 पुलिस जिले, 54 सब–डिवीजन शामिल हैं। बल की स्वीकृत नफरी 84,536 (आई.आर. बटालियनों सहित) है।

दिल्ली पुलिस की प्राथमिकताएं

7.70 दिल्ली पुलिस की उच्च प्राथमिकताएं कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना, अपराध की रोकथाम, महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों सहित आम लोगों के बीच सुरक्षा की

भावना पैदा करना, यातायात प्रबंधन बेहतर बनाना और भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना है।

वर्ष 2014 के दौरान दिल्ली में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति

7.71 दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2014 के दौरान नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार कुल 1,20,248 आई पी सी मामले दर्ज किए गए। उक्त अवधि के दौरान प्रति लाख व्यक्तियों पर कुल आई पी सी अपराध के मामलों की संख्या 881.04 रही।

दिल्ली में अपराध

क्रम सं.	अपराध की श्रेणी	दिनांक 01.04.2013 से 31.12.2013 के दौरान मामलों की संख्या	दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2014 के दौरान मामलों की संख्या	% अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	डकैती	29	57	96.55%
2.	हत्या	416	447	7.45%
3.	हत्या का प्रयास	457	622	36.11%
4.	लूटपाट	1024	5425	429.79%
5.	दंगा	86	127	47.67%
6.	फिरौती के लिए अपहरण	26	32	23.08%
7.	बलात्कार	1230	1693	37.64%
8.	**कुल जघन्य अपराध**	**3268**	**8403**	**157.13%**
9.	जबरन धन वसूली	146	176	20.55%
10.	छीनाझपटी	3122	5306	69.96%
11.	चोट	1380	1564	13.33%
12.	सेंधमारी	2352	7978	239.20%
13.	मोटर वाहन की चोरी	11784	18505	57.03%
14.	घर में चोरी	2782	10339	271.64%
15.	अन्य चोरी	9867	32257	226.92%
16.	महिलाओं से छेड़छाड़	2649	3293	24.31%
17.	प्राणघातक दुर्घटना	1374	1265	-7.93%
18.	साधारण दुर्घटना	4446	5113	15.00%
19.	अपहरण	4665	4915	5.36%
20.	अन्य आईपीसी	16155	21134	30.82%
	कुल गैर–जघन्य अपराध	**60722**	**111845**	**84.19%**
	कुल आईपीसी	**63990**	**120248**	**87.92%**

अपराध के कारण

7.72 देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली बड़ी तेज गति से विकसित हो रही है। तेजी से होने वाले इस शहरीकरण से कुछ ऐसे कारण बने हैं जिनका योगदान शहर में अपराध की दर में रहा है। द्वारका, रोहिणी आदि जैसी नई कॉलोनियों का बड़े पैमाने पर विस्तार तथा हजारों अनियोजित कॉलोनियां विशेषकर लूटपाट और छीना–झपटी जैसे सड़क पर होने वाले अपराधों के पीछे प्रमुख कारण रहे हैं। अपराध के लिए जिम्मेदार अन्य कारणों में सामाजिक–आर्थिक असमानता, सम्पन्न लोगों तथा कम सुविधा प्राप्त लोगों की कॉलोनियों की निकटता, शहर में गुमनामी जो प्रतिकूल व्यवहार को बढ़ावा देता है, सामाजिक ढांचों और परिवार के नियंत्रण का ढीला पड़ना, प्रतिकूल लिंग–अनुपात (866 महिला/1000 पुरुष), सीमा पार के आपराधिक तत्वों तक आसान पहुंच/भागने के साधनों की उपलब्धता तथा पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशाल अंदरुनी क्षेत्र शामिल हैं। चालू वर्ष में, दिल्ली पुलिस ने अपराध को दर्ज करने में सक्रियता लाने की एक अभूतपूर्व पहल की है। दिल्ली पुलिस तंत्र को शिकायतों का सही पंजीकरण किए जाने के संबंध में उचित प्रकार से सुविज्ञ बनाया गया है, इस कार्य के लिए प्रोत्साहित किया गया है और इनकी निगरानी की जा रही है। वर्ष 2013 में दर्ज आई पी सी अपराध की संख्या वर्ष 2012 के दौरान दर्ज 54,287 मामलों की तुलना में बढ़कर 80,184 हो गई। दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2014 तक वास्तविक रुप से अपराध के पंजीकरण में 87% से अधिक वृद्धि हुई है।

संवदेनशील समूहों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा

7.73 महिलाएं

7.73.1 महिला शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को सुनने के लिए प्रत्येक डेस्क में इनकमिंग कॉल की सुविधा के साथ एक अलग समर्पित टेलीफोन लाइन सहित 24x7 महिला सहायता डेस्कों की स्थापना की गई है।

7.73.2 किसी शिकायत पर पुलिस कार्रवाई में विलंब हेतु किसी क्षेत्राधिकार संबंधी विवाद की अनुमति नहीं दी गई है।

7.73.3 महिला शिकायतकर्ताओं को सम्मान देना तथा उनसे सहानुभूतिपूर्वक पेश आना।

7.73.4 छींटाकशी करने वालों के प्रति बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की नीति तथा उन पर तत्काल कार्रवाई।

7.73.5 स्थानीय पुलिस और पी सी आर वैन लड़कियों के स्कूलों तथा कॉलेजों के बाहर उनके खुलने और बंद होने के समय तैनात रहते हैं।

7.73.6 एक विशेष पुलिस आयुक्त, महिलाओं के लिए काम कर रहे गैर–सरकारी संगठनों के साथ प्रत्येक माह के अंतिम शुक्रवार को बातचीत करने के लिए दिल्ली के नोडल अधिकारी के तौर पर कार्य कर रहे हैं।

7.73.7 गैर–सरकारी संगठनों, आर डब्ल्यू ए, एम डब्ल्यू ए के प्रतिनिधि, प्रतिष्ठित कॉलेजों/स्कूलों के प्रधानाध्यापक, एक भूतपूर्वक सैनिक, होमगार्ड प्रभारी, नागरिक सुरक्षा प्रभारी, एस एच ओ और ए सी पी/सब डिवीजन को शामिल करते हुए एक थाना स्तरीय महिला सुरक्षा समिति कार्य कर रही है जो महिला सुरक्षा के मुद्दे की देखरेख कर रही है।

7.73.8 एक पुलिस हेल्पलाइन सं. '100' काम कर रही है जिसकी लाइनों की संख्या 60 से बढ़ाकर 100 की गई है। महिला हेल्प लाइन सं. '1091' भी काम कर रही है जिसकी लाइनों की संख्या 4 से बढ़ाकर 10 की गई है।

7.73.9 एस पी यू डब्ल्यू ए सी, दिल्ली में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित दिशानिर्देशों और उपायों से जुड़ी वेबसाइट www.spuwac.com को निरंतर अद्यतन कर रहा है।

7.73.10 मनोरंजन स्थलों तथा मॉलों से लौटते समय महिलाओं द्वारा लिए जाने वाले जोखिम भरे रास्तों पर पिकेटों की संख्या, पी सी आर वैनों तथा मोटरसाइकिलों की गश्त बढ़ाकर गश्त लगाई जा रही है।

7.73.11 परिवहन विभाग ने सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों को निदेश दिया है कि वे बस के अंदर ड्राइवर और स्टाफ के फोटो सहित उनका नाम तथा पी एस वी नं. प्रदर्शित करें।

7.73.12 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत बार–बार किए जाने वाले अपराध के आंकड़ों का आदान–प्रदान नियमित रुप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग से किया जाता है ताकि 'अपराध की पुनरावृत्ति से संबंधित नीति' के तहत समुचित कार्रवाई की जा सके।

7.73.13 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार डीटीसी/क्लस्टर बसों में जी पी एस लगाया जाना सुनिश्चित करती है तथा यह भी सुनिश्चित करती है कि चालक दल अपना फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करे।

7.73.14 राजपत्रित अधिकारियों के मोबाइल नंबर आम जनता को सीधे संपर्क हेतु उपलब्ध कराए गए हैं।

7.73.15 सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करने वालों पर होने वाली कार्रवाई में तेजी लाई गई है।

7.73.16 डिस्कोथेक्स और नाइट क्लबों को मध्य रात्रि 01.00 बजे तक बंद किए जाने के कड़े निदेश दिए गए हैं।

7.73.17 महिला यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा के लिए मेट्रो स्टेशनों और रेलवे स्टेशनों पर विशेष जांच के दौरान महिला डिब्बों में यात्रा करने पर 31.12.2014 तक 10,350 व्यक्तियों का चालान किया गया है।

7.73.18 गैर–सरकारी संगठनों के साथ हर स्तर पर बैठकें की जाती हैं। महिलाओं की समस्याओं के प्रति पुलिस–कार्रवाई को बेहतर बनाने के संबंध में उनके सुझाव दिल्ली पुलिस कार्यक्रमों का अहम हिस्सा होते हैं। जिला पुलिस को महिला शिकायतकर्ताओं के प्रति और संवेदनशील होने के लिए सुविज्ञ बनाया गया है।

7.73.19 आत्म–सुरक्षा प्रशिक्षणः– वर्ष 2014 (31.12.2014 तक) में 17,699 लड़कियों/महिलाओं को आत्म–सुरक्षा का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

7.73.20 महिलाओं और लड़कियों के सभी पेइंग गेस्ट आवासों और होस्टलों की सुरक्षा संबंधी जांच का कार्य पूरा किया गया है। इस संदर्भ में कुल 405 पेइंग गेस्ट आवासों/होस्टलों की जांच की गई।

7.73.21 प्लेसमेंट एजेंसियों की पहचान की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका इस्तेमाल मानव दुर्व्यापार जैसी अवैध गतिविधियों के लिए नहीं किया जाता है।

7.73.22 परिवर्तनः– यह अभियान महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस के उत्तर–पश्चिम जिले में अगस्त, 2005 में आरंभ किया गया था। इस अनूठी पहल में कतिपय मलिन बस्तियों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए बीट ड्यूटियों के निर्वहन हेतु महिला पुलिस अधिकारियों को तैनात किया जाता है।

7.73.23 सिविक एजेंसियों को सड़कों पर निरंतर कम रोशनी वाले क्षेत्रों के बारे में सूचित किया जाता है। सिविक एजेंसियों से भी पार्किंग स्थलों, शापिंग मॉलों आदि में सीसीटीवी, वेबकैमरे लगाने का अनुरोध भी किया गया है।

7.73.24 यातायात पुलिसः यातायात पुलिस ने फिल्मों और काले शीशे वाले सार्वजनिक परिवहन वाहनों, भीड़–भाड़ वाले बस स्टैंडों से यात्री उठाने वाली अनधिकृत बसों तथा टीएसआर/टैक्सी चालकों के मना करने या उनके दुर्व्यवहार के कारण उनके खिलाफ विशेष अभियान चलाए हैं।

7.73.25 बीपीओ को समय–समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं तथा उनकी समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि महिला कर्मचारियों को कैब ड्राइवर के साथ अकेले यात्रा करने के लिए विवश नहीं किया जाता तथा रात्रि के समय अर्थात् रात्रि 8 बजे से 7 बजे सुबह तक महिला स्टाफ को ले जाने ली प्रत्येक कैब में अनिवार्य रुप से एक विधिवत् रुप से सत्यापित सुरक्षा गार्ड अथवा एक पुरुष सहयोगी (जो कंपनी का नियमित कर्मचारी होना चाहिए) मौजूद हो।

7.73.26 जेंडर सुविज्ञता संबंधी पाठ्यक्रम नियमित आधार पर आयोजित किए जा रहे हैं। इस वर्ष (31.12.2014 तक) के दौरान, 8,035 पुलिस कार्मिकों को 275 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया है।

7.73.27 दिल्ली पुलिस के लिए बलात्कार के मामलों की जांच–प्रक्रिया को तेजी से पूरा करना अत्यधिक महत्व रखता है। बलात्कार से संबंधित प्रत्येक मामले की जांच की गहन निगरानी संबंधित अपर पुलिस आयुक्त/उप पुलिस आयुक्त द्वारा की जाती है तथा प्रयास यह होता है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी से बीस दिनों के भीतर आरोप–पत्र दाखिल कर दिया जाए।

7.73.28 दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों को यह निदेश जारी किया है कि बलात्कार से संबंधित सभी मामलों पर तेजी से कार्रवाई की जाए।

7.74 **बच्चे**

7.74.1 लापता बच्चे के बारे में शिकायत प्राप्त होने पर, अपहरण शीर्ष के तहत तत्काल एफआईआर दर्ज की जाती है। वर्ष 2014 (01.04.2014 से 31.12.2014) में वर्ष 2013 की तदनुरुपी अवधि में 5,793 मामलों की तुलना में अपहरण के कुल 6,437 मामले दर्ज किए गए।

7.74.2 लापता बच्चों के बारे में सूचना तत्काल जिपनेट पर अपलोड की जाती है।

7.74.3 पहचानः लापता बच्चों से संबंधित अपहरण के मामलों की जांच बच्चों के फोटो के न होने के कारण प्रभावित होती थी। इस समस्या से निपटने के लिए पहचान योजना की शुरुआत की गई है। इसमें सभी बच्चों के साथ परिवार का फोटो लिया जाता है और इस फोटो की एक प्रति परिवार को रिकार्ड के लिए दे दी जाती है ताकि यदि कोई बच्चा लापता हो तो उसकी फोटो उपलब्ध रहे। यह योजना उन क्षेत्रों में चलाई जा रही है जहां अधिकांश बच्चों के लापता होने की सूचना मिलती है। इस योजना के अंतर्गत एक लाख से अधिक बच्चों की फोटो ली जा चुकी है।

7.74.4 जिला लापता व्यक्ति इकाई (डी एम पी यू) तथा अपराध शाखा के अधीन पूरी दिल्ली के लिए कार्य कर रहा लापता व्यक्ति दस्ता निरंतर लापता बच्चों के मामले की निगरानी करता है।

7.74.5 प्रत्येक जिले तथा अपराध शाखा में एक मानव दुर्व्यापार रोधी इकाई (ए एच टी यू) मौजूद है। यदि 3 से 8 साल के बच्चे का पता 4 माह के भीतर नहीं चल पाता है, तो वह मामला विशेषीकृत जांच हेतु जिले की ए एच टी यू को भेज दिया जाता है। जब कभी ऐसा महसूस होता है कि किसी मामले में कोई संगठित गैंग संलिप्त हो सकता है, तब ऐसे मामलों की जांच अपराध शाखा द्वारा की जाती है। अंतरराष्ट्रीय तारों से जुड़े मामले सीबीआई की एएचटीयू को भेजे जाते हैं।

7.74.6 बलात् श्रम के लिए विवश किए गए बच्चों के लिए बचाव अभियान गैर–सरकारी संगठनों की सहायता से चलाए जाते हैं।

7.75 **वरिष्ठ नागरिक**

7.75.1 वरिष्ठ नागिरकों का दायरा बढ़ाया गयाः वरिष्ठ नागरिकों का पंजीकरण इस वर्ष भी जारी रहा। अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के अतिरिक्त कुछ ऐसे अन्य व्यक्ति भी होते हैं जो अपने बच्चों के काम पर चले जाने के कारण घंटों घर पर अकेले रह जाते हैं। ऐसे लोगों का भी पंजीकरण अब दिल्ली पुलिस में किया जा रहा है।

7.75.2 वर्ष 2012, 2013 और 2014 (31.12.2014 तक) के दौरान स्थानीय पुलिस द्वारा 20,666 वरिष्ठ नागरिकों की जांच की गई है ताकि उनकी सुरक्षा पुख्ता की जा सके। वर्ष 2012 के दौरान एक नई पहल की शुरुआत की गई जो दिल्ली पुलिस में पंजीकृत वरिष्ठ नागरिकों को प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित थी। दिनांक 31.12.2014 तक 18,981 वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं।

7.75.3 पुलिस थाना स्टाफ तथा वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, दोनों वरिष्ठ नागरिकों से दूरभाष पर संपर्क भी करते हैं तथा उनसे व्यक्तिगत रुप से मिलते–जुलते रहते हैं। वर्ष 2014 (31.12.2014 तक) के दौरान उनके पास 4,02,958 दौरे किए गए तथा टेलीफोन पर संपर्क करने की संख्या 2,95,994 रही।

7.76 पूर्वोत्तर के लोगः दिल्ली पुलिस ने पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित पहलें की हैंः

7.76.1 दिल्ली पुलिस ने पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए एक पृथक स्थायी आदेश प्रक्रिया 383/2014 जारी की है।

7.76.2 दिनांक 14.02.2014 से एक विशेष हेल्पलाइन सं. 1093 की शुरुआत की गई है।

7.76.3 नानकपुरा, दिल्ली में पूर्वोत्तर के लिए एक विशेष सेल ने काम करना आरंभ कर दिया है कि और इस सेल में पूर्वोत्तर राज्यों के 15 पुलिस कार्मिक तैनात किए गए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के उप पुलिस आयुक्त रैंक के एक अधिकारी को पूर्वोत्तर क्षेत्र, नानकपुरा, दिल्ली के लिए विशेष पुलिस यूनिट के प्रभारी के रुप में पदनामित किया गया है।

7.76.4 पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के लिए छात्रों और स्वयंसेवियों को दिल्ली पुलिस के प्रतिनिधियों के रुप में नियुक्त किया गया है और उन्हें इसका प्रशिक्षण दिया गया है कि संकट के दौरान वे किस प्रकार से पूर्वोत्तर राज्यों के पीड़ितों की सहायता करें।

7.76.5 दिल्ली पुलिस के महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी को पूर्वोत्तर से संबंधित मुद्दों के लिए नोडल अधिकारी के रुप में नियुक्त किया गया है।

7.76.6 जब कभी किसी मामले की सूचना प्राप्त होती है, तब दिल्ली पुलिस तत्काल एफआईआर दर्ज करती है और कार्रवाई करती है।

सामुदायिक पुलिस व्यवस्था से संबंधित योजनाएं

7.77 युवाः विशेष सामुदायिक पुलिस व्यवस्था से संबंधित योजना 'युवा' का उद्देश्य उन युवाओं और सुविधाओं से वंचित बच्चों को सही मार्ग पर ले जाना है जो उचित शिक्षा और खेलकूद की सुविधाओं के अभाव में अपराध की ओर मुड़ जाते हैं। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस युवा फाउंडेशन के माध्यम से खेलकूद संबंधी गतिविधियां, चित्रकारी कार्यशालाएं,

व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि आयोजित करती है ताकि युवाओं और सुविधाओं से वंचित बच्चों की ऊर्जा का सही प्रकार से दोहन किया जा सके। वर्ष 2014 (31.12.2014 तक) में 3,128 युवाओं ने खेलकूद संबंधी गतिविधियों में भाग लिया तथा 3,515 युवाओं ने व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया।

7.78 जन सम्पर्क: यह सार्वजनिक सहयोग का एक सक्रिय उपाय है, जिसमें दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी एक पूर्व–निर्धारित समय और तारीख को अपने–अपने क्षेत्रों में जाते हैं तथा किसी अलग स्थान पर सार्वजनिक शिकायतें सुनते हैं। वर्ष 2014 (31.12.2014 तक) के दौरान, 374 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें 6,472 शिकायतें प्राप्त हुईं तथा 1,027 शिकायतों का निराकरण किया गया।

7.79 आपका अपडेट: यह दिल्ली पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता को उनकी शिकायतों/मामलों पर हुई प्रगति की सूचना देने की एक पहल है। वर्ष 2014 (31.12.2014 तक) के दौरान, 2,09,243 शिकायतकर्ताओं को सूचित किया गया तथा 1,84,074 शिकायतकर्ताओं से फीडबैक/प्रत्युत्तर प्राप्त हुए जिनमें से 87% लोगों ने दिल्ली पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की सराहना की।

दिल्ली पुलिस का बजट

7.80 योजनेतर शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2013–14 तथा 2014–15 के लिए दिल्ली पुलिस का बजट आबंटन और व्यय निम्नानुसार है:

(करोड़ रू. में)

2013-14		2014-15	
अंतिम बजट आवंटन	वास्तविक व्यय	बजट आबंटन	31.12.2014 तक व्यय
4205.15	4189.43	4588.29	3516.00

7.81 योजनागत शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2013–14 तथा 2014–15 के लिए दिल्ली पुलिस का बजट आबंटन और व्यय निम्नानुसार है:

	2013-14		2014-15	
	अंतिम बजट आवंटन	वास्तविक व्यय	अंतिम बजट आबंटन	31.12.2014 तक व्यय
	268.09	**268.09**	**445.18**	**178.58**
निर्भया कोष से वित्तपोषित महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित योजना	3.00	0.98	3.00	0.07

यातायात नियंत्रण और आधुनिकीकरण (01.04.2014 से 31.12.2014 तक)

7.82 दिल्ली में विगत कुछ दशकों के दौरान तेजी से जनसांख्यिकीय बदलाव देखे गए हैं। यह वृद्धि जनसंख्या के आकार, आर्थिक गतिविधियों और वास्तविक रुप में परिलक्षित हुई है। जनसंख्या, जो 1971 में 43 लाख थी, वर्ष 2011 में बढ़कर 167 लाख (लगभग) हो गई है। इसी प्रकार, वर्ष 1971 में मोटर वाहनों की संख्या 2.17 लाख थी, जो बढ़कर अब लगभग 85 लाख हो गई है। इस चुनौती से निपटने के लिए एक और यातायात जिला अर्थात् बाहरी जिला तथा 10 और यातायात सर्किल बनाए गए हैं जो दिनांक 01.09.2014 से क्रियाशील हो गए हैं।

दिल्ली यातायात पुलिस की प्राथमिकताएं

7.83 शहर के वर्तमान यातायात परिदृश्य में दिल्ली पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताएं निम्नलिखित रही हैं:

क) यातायात का सुरक्षित और सुचारु प्रवाह उपलब्ध कराना।

ख) यातायात नियमों और विनियमों को प्रभावी रुप से लागू करना।

ग) सड़क दुर्घटनाएं रोकना तथा उनकी संख्या में कमी लाना।

घ) शिक्षा के माध्यम से सड़क सुरक्षा संबंधी जागरुकता पैदा करना।

ङ) यातायात–प्रबंधन में आधुनिक प्रौद्योगिकी को शामिल करना।

7.84 यातायात पुलिस के कार्यकरण में दक्षता तथा पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से दिल्ली यातायात पुलिस ने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग प्रारंभ किया है ताकि आम जनता को वास्तविक लाभ मिल सके। इन प्राथमिकताओं के अनुसार, दिल्ली यातायात पुलिस ने चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों अर्थात् विनियमन, प्रवर्तन, शिक्षा और इंजीनियरी पर ध्यान केन्द्रित किया है।

आधुनिकीकरण संबंधी उपाय

7.85 आधुनिकीकरण के एक भाग के रुप में दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा दिल्ली में दक्ष यातायात नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

i) सिगनल वाले जंक्शनों पर एलईडी: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1,306 जंक्शनों (880 सिगनल और 426 ब्लिंकर्स) में से 1,304 जंक्शनों (880 सिगनल और 424 ब्लिंकर्स) पर एलईडी उपलब्ध कराई गई हैं।

ii) पेलिकन/पैदल–यात्री यातायात सिगनल: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 60 पैदल यात्री सिगनलों, 30 पेलिकन सिगनलों तथा 140 सिगनलों में पैदल–यात्री सुविधा का प्रावधान किया गया है।

iii) यातायात सिगनल पर इन्वर्टर: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 100 महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थित यातायात सिगनलों पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए इन्वर्टर लगाए गए हैं।

iv) सड़क दुर्घटनाओं का रुपान्तरण करने तथा इन दुर्घटनाओं के पीछे के कारणों का अध्ययन करने के लिए

एक्सीडेंट क्रैश प्रयोगशाला स्थापित की गई है ताकि उसी स्थान पर दुर्घटना होने से रोकने और उसकी पुनरावृत्ति होने से बचने के लिए समुचित उपचारी उपाय किए जा सकें।

v) सचल यातायात विधि प्रवर्तन/शिक्षा इकाई–इंटरसेप्टरः निगरानी यूनिटों में दिन के समय के साथ–साथ रात्रि के दौरान देखने, रिकार्ड तथा प्रिंट करने की सुविधा से युक्त कैमरा, गति मापन उपकरण होते हैं जो दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा (i) गति–सीमा (ii) लेन अनुशासन (iii) मध्य पीली रेखा के उल्लंघन (iv) दोषपूर्ण नंबर प्लेटों (v) आड़े– तिरछे/खतरनाक गाड़ी चलाने से सबंधित यातायात कानून के प्रवर्तन के लिए बेहद प्रभावी हैं। अब प्रत्येक जिले में एक इंटरसेप्टर सहित ग्यारह ऐसे इंटरसेप्टर कार्य कर रहे हैं।

vi) यातायात हेल्पलाइन चौबीसों घंटे काम करती है और आम जनता/शिकायतकर्ता यातायात संबंधी मामलों पर अपनी शिकायतें/सुझाव टेलीफोन नंबर 25844444 और 1095 पर रिकार्ड करा सकते हैं।

vii) यातायात संबंधी मामलों पर आम जनता को नवीनतम जानकारी के बारे में अवगत कराते रहने के अपने प्रयास के तहत दिल्ली यातायात की एक समर्पित वेबसाइट यूआरएल www.delhitrafficpolice.nic.in मौजूद है।

viii) दिल्ली यातायात पुलिस ने दिल्ली की सड़कों पर यातायात प्रबंधन और सुरक्षा में सुधार लाने के लिए ई–मेल के जरिए शिकायतें/सुझाव अथवा विचार रखने की सुविधा प्रदान की है।

ix) दिल्ली यातायात पुलिस ने ऑटो रिक्शा चालकों के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराने के लिए 56767 पर शॉर्ट मैसेज सेवा की शुरुआत भी की है।

x) आम जनता तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से यातायात इकाई में सार्वजनिक संपर्क इकाई (पब्लिक इंटरफेस यूनिट) की स्थापना की गई है। दिल्ली यातायात पुलिस सोशल नेटवर्किंग साइटों अर्थात् फेसबुक और ट्विटर से भी जुड़ी है।

xi) दिल्ली यातायात पुलिस ने आम जनता की सुविधा के लिए एंड्रायड मोबाइल फोन पर आसानी से डाउनलोड हो सकने वाला एक एप्लीकेशन तैयार किया है।

xii) दिल्ली यातायात पुलिस यातायात की समस्या से संबंधित आम जनता की शिकायतें प्राप्त करने के लिए दिनांक 16.10.2014 से मोबाइल नं. 8750871493 पर वॉट्स ऐप के माध्यम से आम लोगों से जुड़ी है।

xiii) दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात पुलिस द्वारा विनियमन में दक्षता लाने के उद्देश्य से आधुनिक सड़क प्रबंधन संबंधी उपकरणों जैसे क्रैश बैरियर्स, चैनलाइजर्स, बोलाड्र्स, पोर्टबेल लाउडहेलर्स आदि का प्रयोग आरंभ किया है ताकि आम लोगों को लाभ मिल सके।

xiv) यातायात उल्लंघनकर्ताओं का चालान करने के लिए हैंड हेल्ड इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से अभियोजन अधिकारियों को सुसज्जित करने के लिए आधुनिकीकरण संबंधी पहल के रुप में ई–चालान की शुरुआत की गई थी।

xv) हिम्मत एपः महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस एप की शुरुआत 01.01.2015 को की गई थी। इस एप के माध्यम से संकट में फंसी महिला अपने मोबाइल फोन पर अलर्ट एसओएस बटन को दबाकर पुलिस नियंत्रण कक्ष से संपर्क कर सकती है। संकट से संबंधित एसएमएस अलर्ट उसी समय पीसीआर, स्थानीय पुलिस थाने के एसएचओ को भी चली जाती है तथा क्षेत्र में मौजूद पुलिस गश्त वैन बिना कोई समय गंवाए घटना–स्थल पर पहुंच जाती है। यह एसएमएस अलर्ट पहले से निर्दिष्ट महिला के संबंधियों/मित्रों को भी भेजी जाती है।

दिल्ली पुलिस द्वारा की गई नई पहलें

'गुमशुदगी रिपोर्ट' (लास्ट रिपोर्ट) नामक मोबाइल एवं वेब आधारित एप्लीकेशन

7.86 आम जनता के हित में, दिल्ली पुलिस ने पुलिस थाना गए बगैर मोबाइल अथवा कंप्यूटर से खो गई वस्तुओं की शिकायत दर्ज कराने के उद्देश्य से 'गुमशुदगी रिपोर्ट' नामक एक मोबाइल एवं वेब आधारित एप्लीकेशन की शुरूआत की है। दिल्ली पुलिस के ''गुमशुदगी रिपोर्ट'' नामक एप्लीकेशन ने उन नागरिकों को एक स्थायी समाधान उपलब्ध कराया है, जो पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि जैसी वस्तुओं के खो जाने की रिपोर्ट दर्ज करा पाने में समस्याओं का सामना कर रहे थे। महज 9 माह में 6 लाख से अधिक लोग इस एप्लीकेशन से लाभान्वित हो चुके हैं। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि दिल्ली पुलिस विश्व का एकमात्र बल है जो इस प्रकार की वस्तुओं के खो जाने की रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रुप में दर्ज करता है तथा चंद सेकंडों के भीतर ही शिकायतकर्ता को रिपोर्ट की डिजिटल रुप में हस्ताक्षरित प्रति तत्काल भेजता है।

पुलिस अनापत्ति प्रमाण–पत्र (पी सी सी)

7.87 अंकीकरण की श्रृंखला में, दिनांक 08.08.2014 को 'पुलिस अनापत्ति प्रमाण–पत्र' (पीसीसी) के लिए एक वेब आधारित एप्लीकेशन आरंभ करके दिल्ली पुलिस ने एक अन्य उल्लेखनीय कदम उठाया है। इस कदम से एक प्रमुख समस्या दूर हो गई है जिसका सामना पुलिस अनापत्ति प्रमाण–पत्र के जरुरतमंद लोग करते थे। इस संदर्भ में यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि कई बार अन्य देशों के दूतावास या रोजगार से संबंधित एजेंसियां पुलिस अनापत्ति प्रमाण–पत्र की मांग करती हैं। ऐसे मामलों में, एप्लीकेशन के जरिए पीसीसी हेतु ऑनलाइन

आवेदन करना तथा आवेदक की ई–मेल आईडी पर डिजिटल रुप में हस्ताक्षरित "पीसीसी" प्राप्त होना आम जनता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस 'पीसीसी' (एप) के माध्यम से 3 माह की कम अवधि में ही 13 हजार से अधिक नागरिक इस 'पुलिस अनापत्ति प्रमाण–पत्र' का लाभ उठा चुके हैं।

यातायात मोबाइल एप्लीकेशन

7.88 दिल्ली का यातायात प्रत्येक दिन किसी न किसी रुप में लगभग 1.75 करोड़ लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। दिल्ली की लगभग 33,000 किलोमीटर लंबी सड़कों पर यातायात को सुचारु रुप से विनियमित करना एक प्रमुख चुनौती है क्योंकि इन सड़कों पर प्रति दिन 30 प्रकार के 85 लाख से अधिक वाहन अलग–अलग गति से चलते हैं। यातायात के प्रबंधन में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से, दिल्ली यातायात पुलिस ने दिनांक 08.05.2014 को एक मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की तथा अपनी वेबसाइट को अद्यतन बनाया। इस एप्लीकेशन के जरिए सड़क प्रयोक्ता मार्ग डायवर्जन अथवा यातायात जाम जैसी यातायात संबंधी जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन से ऑटो टैक्सी, रेडियो टैक्सी किराया, गंतव्य मानचित्र संबंधी सूचना तथा खराब यातायात सिगनलों की शिकायतें दर्ज कराने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इस प्रणाली के माध्यम से पुलिस हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध कराए जाते हैं। अब तक, लगभग 30 हजार लोग इस मोबाइल एप्लीकेशन सेवा से लाभान्वित हो चुके हैं।

भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदम – हेल्पलाइन संख्या 1064

7.89 महानगरों की पुलिस व्यवस्था में भ्रष्टाचार एक प्रमुख समस्या है। दिल्ली पुलिस दिल्ली के नागरिकों को भ्रष्टाचार मुक्त सेवा प्रदान कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिल्ली पुलिस ने आम जनता को अंकीकरण का लाभ उठाने के प्रति जागरुक बनाया है। दिल्ली पुलिस ने आम जनता को यह निःशुल्क सेवा प्रदान की है कि वे उन्हें अपनी समस्या, यदि कोई हो, के बारे में टॉल फ्री चार अंकों की संख्या अर्थात् 1064 पर सूचित करें। इसके अतिरिक्त, आम जनता को एक बेहद लोकप्रिय संख्या 99–1064–1064 पर ऑडियो या वीडियो क्लिप भेजने की सुविधा भी दी गई है। इसके माध्यम से दिल्ली पुलिस ने कई भ्रष्ट पुलिस कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की है।

पुदुचेरी

7.90 पुदुचेरी विधायिका वाला एक संघ राज्य क्षेत्र है। इसमें पुदुचेरी, कराइकल, माहे और यनम नामक चार क्षेत्र हैं, जो भौगोलिक रुप से एक दूसरे से अलग–अलग स्थित हैं। वर्ष 2012–13 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) 25% से अधिक की विकास दर के साथ 16,769 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2013–14 में 21,061 करोड़ रु. हो गया। इसी प्रकार, प्रति व्यक्ति आय भी वर्ष 2012–13 में 1,29,460 रु. से 22.5% की विकास–दर के साथ बढ़कर वर्ष 2013–14 में 1,58,630 रु. हो गई। पुदुचेरी में जन्म दर, बाल मृत्यु दर, साक्षरता दर, लिंग–अनुपात और साक्षरता में महिलाओं की देखभाल जैसे मानव विकास संकेतक अखिल भारतीय आंकड़ों की तुलना में अधिक हैं। पुदुचेरी सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में शुरु की गईं प्रमुख विकास संबंधी परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है:

लोक निर्माण कार्य

7.91 एनएच–45 ए पुदुचेरी–नागापट्टनम खण्ड के कराइकल नगर में थिरुमलाइरजनार नदी पर बहाव धारा की दिशा में 12.80 करोड़ रु. की लागत से एक पुल का निर्माण किया जा रहा है। यह पुल मार्च, 2015 तक पूरा हो जाएगा।

थिरुमलाइरजनार पुल, कराइकल

7.92 हुडको से ऋण सहायता प्राप्त करके 19.70 करोड़ रु. की लागत से बहौर कम्यून, पुदुचेरी में मनामेडु में थेनपेनयर नदी पर दो लेन वाले हाई लेवल पुल का निर्माण–कार्य पूरा कर लिया गया है।

मनामेडु पुल, पुदुचेरी

7.93 थिरुनल्लर मंदिर नगर विकास परियोजना में 306.04 करोड़ रु. की लागत से शॉपिंग और रेस्टोरेंट का निर्माण शुरु किया गया है। यह कार्य दिनांक 04.03.2014 से आरंभ हुआ तथा यहां काम चल रहा है।

7.94 पुदुचेरी में 35.72 करोड़ रु. की लागत से एलसी 43ए पर 100 फुट वाली सड़क पर रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण कार्य शुरु किया गया है और यह कार्य 30 महीने में पूरा हो जाएगा।

7.95 कइकलापेट सुथुकेनी में अनईकट में 34.95 करोड़ रु. की लागत से हाई लेवल पुल का निर्माण–कार्य शुरु किया गया है। यह पुल आठ गांवों को जोड़ेगा तथा यह कार्य दिसम्बर, 2015 तक पूरा हो जाएगा।

7.96 पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में, सभी ग्रामीण क्षेत्रों को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 40 से 70 लीटर की दर से जलापूर्ति मुहैया कराई गई है तथा इसके दायरे के अन्तर्गत लाई गई बस्तियों की कुल संख्या 259 है।

7.97 पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के सभी गांवों को ब्लैक टॉप सतह वाली सड़कों से जोड़ा गया है तथा इसके अन्तर्गत लाई गई ग्रामीण सड़क की कुल लंबाई 290.93 किमी. है।

नगर एवं ग्राम योजना

7.98 जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे एन एन यू आर एम) योजना की संक्रांतिकाल के दौरान, 639.9 करोड़ रु. की कुल अनुमानित लागत से शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 4 परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया अर्थात् जे एन एन यू आर एम योजना के अंतर्गत शहरी परिवहन के लिए बसों और सहायक अवसंरचना की खरीद (26.00 करोड़ रु.), पुदुचेरी के शहरी क्षेत्रों के लिए जलापूर्ति परियोजना (307.46 करोड़ रु.), कराइकल के शहरी क्षेत्र के लिए जलापूर्ति परियोजना (161.439 करोड़ रु.) और पुदुचेरी के शहरी क्षेत्रों में ग्रेड सेपरेटरों/पुलों का निर्माण (145 करोड़ रु.)। ये परियोजनाएं वर्ष 2014–15 के पश्चात् शहरी विकास मंत्रालय की नई परियोजना के अंतर्गत चलाई जाएंगी। बस वित्त–पोषण परियोजना के चरण–।। के अंतर्गत 10 वातानुकूलित बसें खरीदी तथा चलाई गई हैं।

जे एन एन यू आर एम के अंतर्गत खरीदी गई वातानुकूलित बसें

7.99 पुदुचेरी के लिए व्यापक भूमिगत सीवरेज स्कीम के तहत सहायक सुविधाओं के साथ लगभग 130 किमी. लम्बी सीवर लाइन बिछाई गई है। लासपेट और दुब्रयापेट में सीवरेज शोधन संयंत्रों का कार्य मार्च, 2015 तक पूरा हो जाएगा तथा कनगनेरी में यह कार्य जून, 2015 तक पूरा कर लिया जाएगा।

सीवर लाइन कार्य

विद्युत

7.100 पुदुचेरी शहरी क्षेत्र में 110/11 केवी वेंकट नगर सब स्टेशन की स्थापना का कार्य पूरा किया गया तथा दिनांक 30.06.2014 को चालू किया गया। मैसर्स ईईएसएल की सहायता से पुदुचेरी ''दक्ष प्रकाश कार्यक्रम (डीईएलपी) आधारित मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम)'' नामक एक नवोन्मेषी योजना क्रियान्वित करने वाला पहला संघ राज्य क्षेत्र बन गया है। इस योजना के अन्तर्गत, पुदुचेरी क्षेत्र में 10 रु. प्रति एलईडी की दर से तीन इनकैन्डेसेंट लैम्पों के स्थान पर तीन एलईडी वितरित किए गए। इस संबंध में उपभोक्ता से और कीमत वसूली नहीं जाएगी क्योंकि इसका भुगतान पुदुचेरी विद्युत विभाग द्वारा बचाई गई ऊर्जा को बेचकर किया जाएगा।

7.101 46.11 करोड़ रु. की अनुमोदित लागत से स्मार्ट ग्रिड कार्यक्रम संबंधी एक पायलट परियोजना के रुप में, 87,075 इलेक्ट्रोमेकैनिकल मीटरों को स्मार्ट मीटरों से बदला जाएगा। छह संवितरण ट्रांसफॉमर्स के दायरे में आने वाले 1,600 उपभोक्ताओं को नमूना अध्ययन के लिए स्मार्ट मीटर उपलब्ध कराए गए हैं। उपर्युक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मॉनीटरिंग सोल्यूशन, फॉल्ट पैसेज इंडीकेटर्स और नेट मीटरिंग को भी कवर किया गया है।

7.102 पायलट परियोजना के तौर पर, कनगाचेट्टीकुलम से पिल्लइचावडी गांव तक 270 स्ट्रीट लाइटों में नई एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। उपर्युक्त परियोजना को समूचे पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में विस्तारित करने का प्रस्ताव है।

एलईडी स्ट्रीट लाइटों का दृश्य

शिक्षा

7.103 शिक्षा का एकसमान पैटर्न सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुदुचेरी सरकार ने चालू शैक्षणिक वर्ष से सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से तथा अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूलों में कक्षा 5 तक सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया है।

7.104 पुदुचेरी सरकार ने सुबह के समय कक्षा में लगने वाली भूख को दूर करने के लिए सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में प्री–प्राइमरी से 12वीं तक की कक्षा में पढ़ रहे छात्रों के लिए नाश्ता योजना की शुरुआत भी की है, जिससे

कक्षाओं में नामांकन, उपस्थिति और एकाग्रता में बढ़ोतरी हुई है।

कृषि

7.105 विगत तीन वर्षों से धान का क्षेत्र लगभग एक जैसा रहा है, परन्तु समय के साथ–साथ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर के वी वाई) के माध्यम से राइस इन्टेंसिफिकेशन प्रणाली (एस आर आई) का तरीका अपनाकर तथा मशीनों के प्रयोग की शुरुआत किए जाने संबंधी तकनीकी प्रयोगों के कारण चावल की उत्पादकता वर्ष 2011–12 में 2090 किग्रा./हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2013–14 में 3574 किग्रा./हेक्टेयर हो गई है।

काम करता हुआ ट्रांसप्लांटर

काम करता हुआ पॉवर वीडर

7.106 इसी प्रकार, गन्ने में वर्ष 2011–12 में जो उपज दर 78.49 मीट्रिक टन थी, वह आरकेवीवाई के अंतर्गत समर्थित हाई–टेक प्रेसिजन कृषि के तहत माइक्रो–सिंचाई तथा उर्वरक तकनीक अपनाए जाने के कारण बढ़कर वर्ष 2013–14 में 92.86 मीट्रिक टन हो गई। आरकेवीवाई के माध्यम से शुगरकेन हार्वेस्टर जैसी मशीनें आने से किसान विलंब के कारण होने वाली आर्थिक क्षति से बच पाए हैं।

7.107 पुदुचेरी क्षेत्र में 316.18 हेक्टेयर क्षेत्र में आरकेवीवाई के अंतर्गत वित्तीय सहायता के साथ प्रेसिजन कृषि योजना के कार्यान्वयन से भू–जल के तर्कसंगत उपयोग के प्रति किसानों के नजरिए में वांछनीय सुधार आया है तथा किसानों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी हुई है, जो प्रेसिजन कृषि को अपनाने के प्रति किसानों के बढ़ते रुझान से स्पष्ट है।

अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

7.108 बंगाल की खाड़ी में शानदार एकाकीपन में भारत की मुख्यभूमि से भौगोलिक रुप से पूर्व में स्थित अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में लगभग 556 द्वीपसमूह, चट्टानें और द्वीप हैं जिनमें से केवल 37 द्वीपसमूहों में ही लोग रहते हैं। ये द्वीपसमूह घने आर्द्र और सदाबहार वन तथा अनगिनत प्रकार के पेड़–पौधों तथा जीव–जंतुओं एवं प्रवाल से आच्छादित हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में छह अनुसूचित जनजातियों के लोग अर्थात ग्रेट अंडमानीज, ओंगेज, जारवा, सेन्टिनेलीज, शोम्पेन्स और निकोबारीज रहते हैं।

7.109 निकोबारीज के अतिरिक्त अन्य जनजातियों को विशेष संवदेनशील जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के रुप में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक माह पीवीटीजी को वितरण के निर्धारित पैमाने के अनुसार निःशुल्क राशन और अनुपूरक आहार उपलब्ध कराए जाते हैं। वर्ष 2014–2015 के लिए वार्षिक आदिवासी उप–योजना का परिव्यय 184.54 करोड़ रु. है जो विशिष्ट रुप से अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए निर्धारित है। इक्कीस ग्रेट अंडमानीज छात्रों को पोर्ट ब्लेयर में स्थित विभिन्न संस्थानों में अच्छी शिक्षा मुहैया कराई जा रही है। द्वीपसमूहों तथा मुख्यभूमि के संस्थानों में पूर्वस्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में शामिल अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रति माह 1,000 रु. की अतिरिक्त छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। अंडमान एवं निकोबार आदिवासी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (एएनटीआरआई), जिसका शुभारंभ भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 12.01.2014 को किया गया था, ने अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति (एएजेवीएस) और जनजातीय कल्याण निदेशालय के साथ मिलकर जारवाओं के लिए द्विभाषी और द्वि–सांस्कृतिक पाठ्यक्रमों की 'अंगकथा' नामक पुस्तकों का प्रावधान करना आरंभ किया है। इसका आशय "बाहरी दुनिया" की तुलना में सामुदायिक पहचान बनाना और उसे सुनिश्चित करना है। जारवा रिजर्व में आठ विभिन्न स्थानों पर "हॉट–स्पॉट्स" की पहचान की गई है जिनमें से छह क्रियाशील हैं। ये "हॉट–स्पॉट्स" सामुदायिक केन्द्र के रुप में कार्य करते हैं जहां एक मैत्रीपूर्ण और रचनात्मक वातावरण, दोनों तरीकों से संस्कृति के ज्ञान और समझ को साझा किया जाता है। "नज़र रखो'' तथा ''दखल न दो" ("आईज ऑन" एंड "हैंड्स ऑफ") नीति को मूर्त रुप देने तथा शरारती एवं असामाजिक तत्वों को दूर रखने के उद्देश्य से अल्प ज्ञात पीवीटीजी सेन्टिनेलीज जनजाति के लोगों के रहने के स्थान नॉर्थ सेन्टिनल द्वीपसमूह के चारों ओर घूमने के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया है। जनजातीय आबादी का ब्यौरा निम्नानुसार हैः–

क्रम सं.	जनजाति का नाम	संख्या
1.	अण्डमानीज	57 अब तक
2.	ओंगेज	117 अब तक
3.	जारवा	436 अब तक
4.	सेन्टिनेलीज	50 अनुमानित
5.	निकोबारीज	27686 (2011)
6.	शोम्पेन्स	219 (2011)

7.110 अगस्त 2006 में, अंडमान जिले को दक्षिण अंडमान जिला और उत्तर एवं मध्य अंडमान जिला में विभाजित कर दिया गया था। इसमें छह सब–डिवीजन, नौ तहसीलें और नौ विकास खण्ड हैं। संघ राज्य क्षेत्र में त्रि–स्तरीय पंचायती राज प्रणाली विद्यमान है, जिसमें उनहत्तर ग्राम पंचायत समितियां और दो जिला परिषदें शामिल हैं। पोर्ट ब्लेयर शहर के लिए एक नगरपालिका है, जिसमें अठारह निर्वाचित सदस्य और तीन मनोनीत सदस्य हैं। अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में संसदीय चुनाव क्षेत्र की एक सीट है।

नौवहन

7.111 ये द्वीपसमूह 4° से 6° उत्तरी अक्षांश और 92° से 94° पूर्वी देशांतर के बीच स्थित हैं। यह भू–भाग द्वीपसमूहों के ही दो समूहों अर्थात अण्डमान और निकोबार से मिलकर बना है, जो 10° चैनल्स द्वारा पृथक किए गए हैं। मुख्य भूमि से वास्तविक दूरी और साथ ही द्वीपसमूहों के बीच की पृथकता की वजह से लोगों के बीच अलग–थलग पड़े होने की भावना पैदा हो गई है। ये द्वीपसमूह कोलकाता से 1,255 किमी. और चेन्नई से 1,190 किमी. की दूरी पर स्थित हैं। नौवहन द्वीपवासियों की जीवन रेखा है। इसलिए, मुख्य भूमि और द्वीपसमूहों, दोनों के बीच सम्पर्कता एक प्रमुख मुद्दा है। अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में नौवहन सेवाओं का सवंर्धन करने के लिए, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जलयान अधिग्रहण की योजना की जोर–शोर से पैरवी करता रहा है, जिसके द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल 25 जलयानों का अधिग्रहण किया जाएगा जिनमें क्रमशः मुख्य भूमि, अग्रतट और पत्तन क्षेत्र में संचालित होने वाले 2x1200 पैक्स, 2x500 पैक्स, 3x300 पैक्स तथा 14 छोटे जलयान शामिल हैं। चावड़ा, कटचल, टेरेसा और अफ्रा बे में घाटों का निर्माण, मध्य अंडमान के हंसपुरी और जगन्नाथडेरा में उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन (एच डी पी ई) घाटों का निर्माण, कार निकोबार में क्षतिग्रस्त घाट का पुनर्निर्माण और मलक्का जेट्टी तक मौजूदा संपर्क में सुधार तथा हैवलॉक में आरसीसी बर्थिंग जेट्टी का विस्तार–कार्य प्रगति पर है।

चावड़ा में (मेरीन हार्ड) जेट्टी का पुनर्निर्माण

स्पीड नौकाओं के लंगरगाह हेतु टेरेसा में घाट का पुनर्निर्माण

परिवहन

7.112 राज्य परिवहन सेवा (एस टी एस) चौदह एसटीएस यूनिटों से बारह द्वीपसमूहों में अपनी सेवा संचालित करती है। जुलाई, 2014 माह के दौरान बेड़े में खरीदी गईं आठ लॉंग चेसिज बसें जुड़ी हैं। केवल महिलाओं के लिए एक और बस सेवा पोर्ट ब्लेयर में जून, 2014 माह में आरंभ की गई है। इस नई सेवा के साथ अनन्य रुप से महिलाओं के लिए अब दो बसें चल रही हैं। सितम्बर, 2014 माह के दौरान इस संघ राज्य क्षेत्र में वाहनों के स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीकरण प्रमाण–पत्रों की शुरुआत की गई है।

बिजली

7.113 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन 104.65 मेगावॉट की प्रतिष्ठापित क्षमता के साथ लगभग 1.17 लाख उपभोक्ताओं को सभी प्रमुख द्वीपसमूहों में चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति कर रहा है। अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में सभी द्वीपसमूहों/स्थलों की पूरी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रतिष्ठापित क्षमता उपलब्ध है।

स्वास्थ्य

7.114 संघ राज्य क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के 119 उप–केन्द्रों, 22 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 04 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 05 शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों, 02 जिला अस्पतालों, 01 रेफरल अस्पताल, 07 होमियो औषधालयों, 01 आयुर्वेदिक औषधालय और 01 आयुष अस्पताल के रुप में एक सुविकसित स्वास्थ्य अवसंरचना है। राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आर ए एन) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के 27 रोगियों को सुपर स्पेशियलिटी उपचार के लिए मुख्यभूमि के अस्पतालों में भेजा गया है। डॉ. आर.पी. अस्पताल मायाबंदर, उत्तर एवं मध्य अंडमान में एक डायलिसिस यूनिट तथा जी.बी. पंत अस्पताल, पोर्ट ब्लेयर में एक एमआरआई मशीन लगाई गई है।

जी.बी. पंत अस्पताल में एम.आर.आई. यूनिट का शुभारंभ

शिक्षा

7.115 निकोबार जिले के अंतर्गत लिटिल निकोबार में एक नया प्राथमिक विद्यालय खोला गया है। अण्डमान एवं निकोबार संघ राज्य क्षेत्र में 459 विद्यालय चल रहे हैं जिसमें से 330 विद्यालयों को संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के शिक्षा विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। 02 विद्यालय संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से सहायता प्राप्त हैं, 04 विद्यालय केन्द्र सरकार के अधीन हैं, 14 विद्यालय स्थानीय निकायों के अधीन और शेष 109 गैर–सहायता प्राप्त निजी विद्यालय हैं। इन द्वीपसमूहों में पकाये हुए मध्यकालीन भोजन की योजना सफलतापूर्वक चल रही है और उसमें कुल 37,553 बच्चों को स्व–सहायता समूहों के माध्यम से इस प्रकार का भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

कृषि

7.116 तीन उप–क्षेत्रों–फसल उत्पादन, मृदा संरक्षण और लघु सिंचाई के अंतर्गत आठ विकास संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कृषि विभाग का परिव्यय 1,620.00 लाख रु. है। अवधि के दौरान धान/मक्का/दलहन/सब्जियों के 16.5 मीट्रिक टन उन्नत बीज तथा 2,60,000 पौध किसानों को वितरित किए गए। कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करके कृषि क्षेत्र में 4% विकास प्राप्त करने के उद्देश्य से इस संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर के वी वाई) की शुरुआत की गई है। इस संघ राज्य क्षेत्र में फसलें वर्षा सिंचित दशाओं में होती हैं। अव्यवस्थित मानसून की समस्या से निपटने के लिए, इन द्वीपसमूहों में 80.00 लाख रु. के परिव्यय के साथ लघु सिंचाई योजना क्रियान्वित की जा रही है।

पर्यटन

7.117 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन आदिम जनजातियों की क्षणभंगुर पारिस्थितिकी और जीवन शैली को नुकसान पहुंचाए बगैर स्थायी पर्यटन विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता रहा है। पर्यटन क्षेत्र के अन्तर्गत, रॉस आइलैंड, जो अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के ऐतिहासिक स्थानों में से एक है, में साउंड एंड लाइट शो परियोजना लगभग पूरी हो चुकी है। स्कूबा डाइविंग और सी वॉक जैसी वॉटर स्पोर्ट्स गतिविधियां अधिसूचित दिशानिर्देशों के अनुसार विनियमित की जाती हैं। पर्यटन विभाग ने वर्ष के दौरान पोर्ट ब्लेयर और द्वीपसमूहों में

मानूसन पर्यटन महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम

अन्य स्थानों में 10 दिवसीय ''आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल'', 3 दिवसीय "मानसून पर्यटन महोत्सव", "विश्व पर्यटन दिवस" तथा 6 दिवसीय ''फूड फेस्टिवल'' जैसे पर्यटन को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

विश्व पर्यटन दिवस और फूड फेस्टिवल का आयोजन

तटीय सुरक्षा

7.118 समुद्री पुलिस बल, जिसे पहले अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह की तटरक्षक इकाई के रुप में जाना जाता था, ऐसे विदेशी घुसपैठियों पर नजर रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, जो उन क्रीक्स और छिछले जल क्षेत्रों में चोरी–छिपे घुस जाते हैं, जहां नौसेना और तट–रक्षक के जलयान नहीं जा पाते हैं। ये द्वीपसमूह जलक्षेत्र में समृद्ध समुद्री उत्पादों को लूटने के लिए बसावट रहित द्वीपसमूहों में डेरा डाल देते हैं। तटीय सुरक्षा योजना– ।। (2011–2016) के अंतर्गत 20 तटीय पुलिस थानों के स्तरोन्नयन, 10 समुद्री पुलिस अभियान केन्द्रों के निर्माण, वाहनों की खरीद तथा उपकरणों, कंप्यूटर प्रणाली आदि के प्रापण के लिए प्रति तटीय पुलिस थाना 15 लाख रु. की सहायता हेतु 27.02 करोड़ रु. की धनराशि स्वीकृत की गई है। समुद्री अभियान केन्द्र (एम ओ सी) कदमतला भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा शेष समुद्री अभियान केन्द्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। 20 चार पहिया वाहन खरीदे गए हैं तथा 20 दो पहिया वाहनों की खरीद की जा रही है।

वन

7.119 इस संघ राज्य क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किमी. है, जिसमें से 86.93% क्षेत्र, वन–क्षेत्र के रुप में दर्ज है। द्वीपसमूह की चीरी गई इमारती लकड़ी की जरुरत को पूरा करने के लिए वन विभाग द्वारा संचालित और अनुरक्षित दो सरकारी आरा मिलों नामतः सरकारी आरा मिल, चाथम और बेटापुर के लिए विभिन्न वानिकी संबंधी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया गया है। गैर–इमारती लकड़ी संबंधी वन उत्पाद के विकास की योजना के अंतर्गत, वर्ष 2014–15 के दौरान कुल 311 हेक्टेयर क्षेत्र में केन एवं बांस बागान के विकास का लक्ष्य है।

मत्स्यपालन

7.120 अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह की 1,912 किमी. की तटरेखा है तथा द्वीपसमूहों का अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) 6 लाख वर्ग किमी. है, जो देश के ईईजेड का लगभग 28% है। अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के अनन्य आर्थिक क्षेत्र को द्वीपसमूह में मत्स्य संसाधनों के दोहन के लिए एक व्यापक क्षेत्र के रुप में जाना जाता है। भारत के मत्स्य सर्वेक्षण द्वारा की गई 2010 की जनगणना के अनुसार समुद्री मछुआरों की कुल आबादी 22,188 है, जिसमें से 14,839 मछुआरे सक्रिय मछुआरे हैं। मत्स्य विभाग इन द्वीपसमूहों में मत्स्यन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अनेक योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। तटीय सुरक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए, इस संघ राज्य क्षेत्र के सभी मछुआरों को भारत सरकार की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना अर्थात समुद्री मछुआरों को "बायोमैट्रिक पहचान–पत्र जारी करना" के अन्तर्गत बायोमैट्रिक पहचान–पत्र जारी किए गए हैं। मत्स्यन के विकास की प्रमुख योजनाएं और उनके निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

(i) लंगरगाह, जाल की मरम्मत के लिए शेड, इंजन/नौका की मरम्मत के प्रावधान और मछली को सुखाने के प्लेटफार्म के लिए प्रावधान सहित मछली के घाट (फिश लैंडिंग) की सुविधाओं का विकास। वर्ष 2014–15 के अंत तक 38,000 मी. टन मछली उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा।

(ii) मछली पकड़ने एवं उसके संवर्धन तथा संसाधन प्रबंधन का विकासः– इस योजना में, मोटरयुक्त/मशीनयुक्त मत्स्यन नौकाओं, मत्स्य परिवहन वाहनों की खरीद आदि के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। वर्ष 2014–15 के दौरान, सब्सिडी के लिए 46 लाभार्थियों का चयन किया गया है।

(iii) मत्स्यपालन का विस्तार तथा मछुआरा परिवारों का कल्याणः– इस योजना में, किसी प्राकृतिक आपदा आदि से प्रभावित मछुआरों को अपनी मत्स्यन गतिविधि पुनः शुरु करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। लहर चक्रवात से प्रभावित 521 मछुआरों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई गई थी।

उद्योग

7.121 वर्ष 2014–15 (31.12.2014 तक) के दौरान, जिला उद्योग केन्द्र, पोर्ट ब्लयेर द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत 84 उद्यम पंजीकृत किए

गए जिससे 635 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ। 165 व्यक्तियों को विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से बढ़ईगिरी, सामान्य अभियांत्रिकी, केन एवं बांस हस्तशिल्प, सिलाई और वस्त्र निर्माण की विधाओं में क्षमता–निर्माण संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत, 43 इकाइयों को 25.97 लाख रु. की मार्जिन धनराशि घटक के साथ सहायता प्रदान की गई है। सेल्युलर जेल में सागरिका इम्पोरियम के विस्तार–पटल केन्द्र का शुभारंभ दिनांक 27.09.2014 को किया गया।

सेल्युलर जेल में सागरिका इम्पोरियम का विस्तार–पटल केन्द्र

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम

7.122 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत, 569 रोजगार कार्ड परिवारों को जारी किए गए तथा 3,05,193 व्यक्ति–दिवस का सृजन किया गया।

पर्का गांव, कार निकोबार, निकोबार जिला में पीवाईकेकेए के साथ मिलकर मनरेगा के अंतर्गत स्थानीय रुप से उपलब्ध सामग्री से निर्मित पर्यावरण हितैषी साइकिल स्टैंड का दृश्य

अंदर का दृश्य

लक्षद्वीप

7.123 लक्षद्वीप प्रवाल द्वीपसमूहों एवं प्रवालभित्तियों के द्वीपसमूह से बना भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र है। भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र अपने एकमात्र प्रवाल द्वीपसमूह श्रृंखला के लिए जाना जाता है। इन खूबसूरत और प्रदूषण रहित द्वीपसमूहों की कुल भूमि का क्षेत्रफल 32 वर्ग किमी. है और ये लगभग 4,200 वर्ग किमी. भूभागीय समुद्री जलक्षेत्र से घिरे हुए हैं। इसमें 36 द्वीपसमूह, (3 प्रवालभित्तियां और 6 जलमग्न रेतीले किनारे) हैं, जिनमें से 10 में बसावट है और ये केरल के पश्चिमी तट से 220 से 440 किमी. की दूरी पर अरब सागर में फैले हुए हैं। यहां की संपूर्ण आदिम आबादी को अनुसूचित जनजाति के रुप में वर्गीकृत किया गया है। यहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना, नारियल की खेती और नारियल की जटा की बटाई करना है। ये द्वीपसमूह प्रतिबंधित क्षेत्र में आते हैं और इन द्वीपसमूहों का दौरा करने के लिए संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से परमिट की आवश्यकता होती है। कावारत्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासनिक मुख्यालय है। वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान संघ राज्य क्षेत्र की उपलब्धियों, क्रियाकलापों और महत्वपूर्ण नीतियों का सार नीचे दिया गया है।

7.124 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन बेहतर परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नए जहाजों, वायुयानों एवं माल ढुलाई नौकाओं के संवर्धन का प्रयास कर रहा है। 58.52 मिलियन अमरीकी डालर की लागत से मैसर्स कोलम्बो डॉकयार्ड पी एल सी, श्रीलंका में निर्माणाधीन दो 400 यात्री सह 250 मी. टन कार्गो जहाजों में से पहले जलयान एम.वी. कोरल्स का निर्माण–कार्य पूरा कर लिया गया है और दिनांक 06.11.2014 को यह कोच्चि पहुंच गया है। दूसरे जलयान की सुपुर्दगी फरवरी, 2015 तक संभावित है। एयर इंडिया वर्तमान में रविवार को छोड़कर सप्ताह के छह दिन कोच्चि से अगाती के बीच उड़ानें संचालित कर रहा है।

7.125 28.35 करोड़ रु. की लागत से 800 मी. टन वाले पहले बहुप्रयोजनीय कार्गो जलयान के लिए जहाज–निर्माण की संविदा पर माडेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, गुजरात के साथ हस्ताक्षर किए गए थे। पहले जलयान का नौतल दिनांक

30.05.2014 को डाल दिया गया है। 800 मी. टन वाले दूसरे बहुप्रयोजनीय कार्गो जलयान की संविदा पर दिनांक 12.03.2014 को हस्ताक्षर किए गए थे, जिसकी संविदागत सुपुर्दगी की तारीख 11.05.2015 है। 1000 मी. टन की एक अन्य तेल ढुलाई नौका के अर्जन की प्रक्रिया चल रही है।

7.126 37.50 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 50,000 वर्ग मी. जल सतह–क्षेत्र पर 300 मीटर लंबे एक समर्पित लंगरगाह का निर्माण–कार्य पूरा हो गया है।

7.127 वर्ष 2011 के दौरान पीपीपी मॉडल के अंतर्गत स्थापित राजीव गांधी स्पेशियलिटी अस्पताल आगाती को सीटी स्कैन, वेंटिलेटर, सी–आर्म, आर्थोपेडिक टेबल, मॉड्युलर थियेटर आदि जैसी आधुनिक सुविधाओं से युक्त किया गया है और यह रोगियों को बेहतर नैदानिक और उपचारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है।

7.128 वर्ष भर चौबीसों घंटे साम्यपूर्ण गुणवत्तापरक चिकित्सा देखभाल सेवा तथा कैज्यूलिटी सेवाएं सुनिश्चित की जाती हैं। टीके से बचाव वाली सात बीमारियों के लिए शत–प्रतिशत बच्चों (0–5 वर्ष) के टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। विभिन्न अन्य योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त किए गए लक्ष्य निम्नानुसार हैं:

(i) शत–प्रतिशत जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण।

(ii) सहायक नर्सिंग मिडवाइफ (ए एन एम) और सरकारी मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (ए एस एच ए) की सहायता से 100% जन्म–पूर्व देखभाल (ए एन सी) पंजीकरण।

(iii) लक्षद्वीप के सभी छात्रों को हेपटाइटिस बी का टीका दिया गया है।

(iv) विशेषीकृत चिकित्सा के लिए मुख्यभूमि ले जाए गए रोगियों के संबंध में प्रतिपूर्ति हेतु जिला पंचायत को 121.00 लाख रु. की वित्तीय सहायता की मंजूरी प्रदान की गई है। इस योजना के अंतर्गत 383 रोगी लाभान्वित हुए है।

(v) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आयुष को शामिल करने की दिशा में दवाइयां और जनशक्ति उपलब्ध कराके आबादी वाले सभी द्वीपों में आयुष की सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

(vi) इंदिरा गांधी अस्पताल, कावारत्ती में एक डायलिसिस यूनिट की स्थापना।

(vii) 931 जननी सुरक्षा योजना और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम लाभार्थियों को प्रोत्साहन प्रदान किया गया। 478 निःशक्त जनों को 1,118 सहायक उपकरण वितरित किए गए।

(viii) 622 निःशक्त जनों को प्रमाणपत्र जारी किए गए।

(ix) द्वीपसमूह में 3 डे केयर केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

(x) इंदिरा गांधी अस्पताल, कावारत्ती में ब्लड बैंक की स्थापना की गई।

(xi) 1000 रु. प्रति माह का नया आशा (ए एस एच ए) प्रोत्साहन आरंभ किया गया।

7.129 संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप प्रशासन की अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों का उत्थान करने के लिए पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयों के लिए 25% पूंजीगत निवेश सब्सिडी मुहैया कराने की एक योजना है, जिसके लिए वर्ष 2014–15 के दौरान 20.00 लाख रु. की धनराशि उपलब्ध है। लक्षद्वीप में, दिसम्बर, 2014 तक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 के अंतर्गत 91 (इक्कायानबे) लघु इकाइयां पंजीकृत थीं।

7.130 100 टन की क्षमता वाले मदर जलयान को शामिल करने में आने वाली कठिनाई के कारण 15–20 टन की क्षमता के साथ 20 मीटर लंबे 10 छोटे जलयानों को निर्मित करने का प्रस्ताव है, जिन्हें मुख्यभूमि तक मछलियों को ले जाने के लिए विभिन्न द्वीपों पर तैनात किया जाएगा। इस प्रकार के एक जलयान की लागत 1.05 करोड़ रु. है। पायलट परियोजना के तौर पर इस प्रकार का एक जलयान कोच्चि में निर्माणाधीन है।

7.131 मछली एकत्रीकरण उपकरण (ए ए डी), मत्स्य विद्यालयों के संचयन और मछली उतारने की क्षमता के संवर्धन में अत्यंत प्रभावी औजार सिद्ध हुए हैं। अगाती, बंगाराम, थिन्नाकारा और पेरुमलपार (अटॉल) के आस–पास मछली एकत्रीकरण उपकरण बेहद सफल रहे हैं। अतः निकट के क्षेत्रों में और कम लागत वाले एफ ए डी को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। एफ ए डी के प्रतिष्ठापन के लिए स्थलों की पहचान करने/अन्तिम रुप देने का कार्य स्थानीय मछुआरों से परामर्श करके किया जाएगा। एफ ए डी का प्रापण और प्रतिष्ठापन लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स/नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नॉलाजी की सहायता से किया जाएगा।

7.132 वार्षिक योजना में, प्रतिबंध/मौसम न रहने (मानसून) के दौरान मछुआरों को राहत प्रदान करने का प्रावधान शामिल किया गया है। प्रतिकूल समुद्री दशाओं, दक्षिण–पश्चिम मानसून के दौरान तेज गति से चलने वाली हवाओं से मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रति वर्ष जून, जुलाई और अगस्त के माह ''मछली पकड़ने की प्रतिबंधित अवधि'' के रुप में घोषित किए जाते हैं। चूंकि मछली पकड़ना मछुआरों की आजीविका का एकमात्र साधन है, इसलिए उक्त अवधि के दौरान मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाए जाने से उन पर दबाव आ जाता है और उनके परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच जाते हैं। इस घटक के अंतर्गत 3 माह के लिए प्रति व्यक्ति 1,500 रु. की दर से मामूली प्रावधान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत मछुआरों और संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप का अंशदान 40:60 के अनुपात में अर्थात् 600 रु. मछुआरों से तथा 900 रु. संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप से प्रस्तावित है। यह 600 रु. की

धनराशि 9 माह की अवधि अर्थात मछली पकड़ने वाले महीनों के दौरान मछुआरों से एकत्रित की जाएगी। मछुआरों और संघ राज्य क्षेत्र के अंशदान को एक बैंक खाते में जमा कराया जाएगा जिसे प्रतिबंध की अवधि के दौरान 3 माह में प्रति माह 500 रु. की दर से मछुआरों के बीच वितरित किया जाएगा। प्राप्त ब्याज भी तीसरी किस्त के साथ वितरित कर दिया जाएगा।

7.133 वार्षिक योजना 2014–15 को द्वीप–विशेष आधार पर तैयार किया गया है ताकि द्वीपों के बीच संतुलित विकास सुनिश्चित हो सके। द्वीपों को निधियां, क्षेत्रफल, जनसंख्या, मछली उतारने, तटीय लंबाई आदि के आधार पर वितरित की जाती हैं। वर्ष 2014–15 के लिए अनुमोदित योजनागत बजट 464 करोड़ रु. है।

7.134 प्रशासन ने नागरिकों को सभी सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी), लक्षद्वीप के स्थानीय नागरिकों को कम्प्यूटर का ज्ञान प्रदान करने के लिए ई–साक्षरता, लक्षद्वीप प्रशासन की सरकारी फाइल प्रणाली और प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत और स्वचालित बनाने के लिए ई–आफिस, इलेक्ट्रानिक माध्यम से सामानों एवं उत्पादों के प्रापण के लिए ई–प्रापण की परियोजनाएं प्रारम्भ की हैं।

7.135 प्रशासन ने लक्षद्वीप के लिए राज्य डाटा केन्द्र को त्रिवेन्द्रम, केरल में सह–स्थित किया है और निर्माण कार्य हेतु भवन निर्माण सामग्री प्राप्त करने के लिए नागरिकों से आवेदन प्राप्त करने के लिए लक्षद्वीप भवन विकास बोर्ड का सिटीजन एप्लीकेशन एण्ड मटेरियल मैनेजमेन्ट सिस्टम शुरु किया है। लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा भुगतान के गेटवे के रुप में एनएसडीएल के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया है। पर्यटन के विकास के लिए वाटर स्पोर्ट्स क्लब के आनलाइन सदस्यता प्रबंधन, मौसम की चेतावनी के संबंध में एमएमएस के जरिए अलर्ट आदि जैसे विभिन्न विभागीय एप्लीकेशन विकसित किए गए हैं। लक्षद्वीप प्रशासन ने आम जनता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी परियोजना के रुप में लक्षद्वीप के सभी नागरिकों को सेंटर फार डेवलपमेंट आफ एडवांस कंप्यूटर (सी–डैक) के माध्यम से निःशुल्क कंप्यूटर पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण प्रदान किया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए आंकड़ों का अंकीकरण किया गया है। प्रशासन ने लक्षद्वीप प्रशासन के यात्री जहाजों पर सवार यात्रियों की शिकायतों के पंजीकरण और उसके निपटान के लिए यात्री शिकायत पंजीकरण एवं निगरानी प्रणाली विकसित की है। इसने स्टेट रेजीडेंट डाटा हब स्थापित करने के लिए यूआईडीएआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके ब्यौरे आधार इनरोलमेंट आंकड़ों से सुपुर्द किए जाएंगे तथा इससे विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एप्लीकेशनों में आधार प्रमाणीकरण सेवा का आसानी से समावेश कर पाना संभव हो सकेगा। संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप प्रशासन ने लक्षद्वीप सूचना प्रौद्योगिकी (इलेक्ट्रॉनिक सेवा सुपुर्दगी) नियम, 2012 तैयार और प्रकाशित किए हैं। प्रशासन ने विभिन्न द्वीपों में 9 सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित किए हैं तथा सभी द्वीपों में वीडियो क्रान्फ्रेंसिंग प्रणाली स्थापित की है। प्रशासन ने ई–जिला और स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे और स्टेट पोर्टल मिशन मोड परियोजना, राज्य सचिवालय भवन कावारत्ती में सीसीटीवी लगाना तथा उच्च शिक्षा के लिए ऑनलाइन सीट आबंटन की 48 चिन्हित सेवाओं का कार्यान्वयन आरंभ किया है।

7.136 प्रशासन ने हाल के वर्षों के दौरान जबरदस्त नृजातीय दबाव और खतरे पर गौर करते हुए क्षेत्र में समुद्री वन्य–जीवन की स्थिति का आकलन करने के उद्देश्य से वन्य जीव, प्रवाल एवं लैगून संरक्षण योजना आरंभ की है। प्रारंभ में, इस योजना के अंतर्गत समन्वय तथा आंकड़ा–संग्रहण के लिए विभिन्न द्वीपों से पंचायती राज संस्थानों के 51 संरक्षण मजदूर नियुक्त किए गए हैं। प्रशासन ने वर्ष 2014–15 के दौरान भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, कोलकाता के साथ मिलकर दीर्घकालिक कोरल रीफ निगरानी कार्यक्रम आरंभ किया है। वर्ष 2014–2015 की अवधि के लिए इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु प्रशासन द्वारा 11 करोड़ रु. की धनराशि निर्धारित की गई है।

7.137 प्रशासन ने द्वीपों में एकत्रित होने वाले प्लास्टिक बोतलों, कैरी बैगों, सीमेंट बैगों, टेट्रा पैकों, कांच की बोतलों आदि जैसे नॉन–बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट के संग्रहण के लिए आबादी वाले द्वीपों के सभी कोनों में 4,000 नीले कचरा कूड़ादान रखे हैं। प्रशासन ने वर्ष 2009 के दौरान राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के अनुरुप राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना तैयार करना आरंभ किया है।

7.138 लक्षद्वीप जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के कार्यान्वयन हेतु इसे राज्य योजना और बजटीय प्रक्रिया में शामिल किया गया है और वर्ष 2014–15 के दौरान 119.12 करोड़ रु. के कुल आबंटन के साथ 10 प्रमुख क्षेत्र (अर्थात् मत्स्यपालन, कृषि, स्वास्थ्य, विद्युत, समुद्र अपरदन–रोधी, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, पर्यटन, परिवहन और आपदा प्रबंधन) चिन्हित किए गए हैं।

7.139 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने लक्षद्वीप में हितधारियों को बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2014–15 के दौरान सफाई, स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी एक योजना की शुरुआत की है। इसके अतिरिक्त, प्रशासन ने दिनांक 22.09.2014 से 02.10.2014 तक "स्वच्छ भारत अभियान" के तहत एक अभियान शुरु किया। आबादी वाले सभी द्वीपों में सभी सरकारी कर्मचारियों, गैर–सरकारी संगठनों, एसएचजी, एनसीसी कैडेटों, महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं और हितधारियों ने इसमें भाग लिया और सभी खुले परिसरों की सफाई की।

7.140 द्वीपों में परिवहन संबंधी अड़चनों को दूर करने के लिए 2 बहु–प्रयोजनीय स्पीड बोटों और 6 रेस्क्यू बोटों की खरीद की गई है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न वाटर स्पोर्ट्स संबंधी सामग्रियों, स्कूबा डाइव उपकरणों की भी खरीद विभाग द्वारा की गई है। विभाग ने 2 डाइव बोटों की आपूर्ति के आदेश भी दिए हैं

और 3 पैरा सेल बोटों की आपूर्ति का आदेश जारी करेगा। केन्द्रीय वित्तीय सहायता के अंतर्गत विभाग द्वारा मिनीकॉय में 6 नए पर्यटक कॉटेज, कावारत्ती में 6 कॉटेज तथा कादमट में 10 कॉटेज भी निर्मित किए गए हैं। द्वीपों पर क्रूज जहाजों का आना सुगम बनाने के उद्देश्य से अगाती और मिनीकॉय को आप्रवासन अनापत्ति पत्तनों के रुप में मंजूरी प्रदान की गई है।

7.141 प्रशासन ने स्थानीय निर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से वृद्ध, अक्षम, विधवाओं, निराश्रितों और परित्यक्त महिलाओं को राज्य पेंशन योजना के तहत 1,000/–रुपए प्रति माह की धनराशि संवितरित की है। लाभार्थियों की कुल संख्या 2,355 थी और इस प्रयोजन के लिए जिला पंचायत को 1,35,60,000.00 रु. (एक करोड़ पैंतीस लाख और साठ हजार रुपये) जारी किए गए थे।

दिनांक 28.10.2014 को सुपुर्द तथा दिनांक 06.11.2014 को कोच्चि पहुंचा जहाज एम.वी. कोरल

एम.वी. मिनीकॉय से द्वीपों पर उतारना/चढ़ाना

द्वीपों में वॉटर स्पोर्ट्स (पर्यटन)

द्वीपों में गोताखोरी (पर्यटन)

कोरा पैराडाइज में स्वच्छ लक्षद्वीप अभियान की शुरुआत

चंडीगढ़

प्रस्तावना

7.142 उत्तर में शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं की निचली पहाड़ियों में अवस्थित ''सुंदर शहर'' चंडीगढ़ को संघ राज्य क्षेत्र होने के साथ–साथ दो राज्यों अर्थात् पंजाब और हरियाणा की राजधानी होने का विशिष्ट दर्जा प्राप्त है। इस संघ राज्य क्षेत्र को देश के सबसे स्वच्छ, हरे–भरे, सुरक्षित तथा सर्वश्रेष्ठ योजनाबद्ध शहरों में से एक माना जाता है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अवसंरचना तथा अपने नागरिकों की जीवन–दशा में सुधार लाने का सतत प्रयास करता है। वर्ष के दौरान, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने अपने नागरिकों के लिए विभिन्न सेवाएं/सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा उनमें सुधार लाने हेतु अनेक विकास संबंधी गतिविधियां/परियोजनाएं आरंभ की हैं।

अवसंरचना का विकास

7.143 इंजीनियरी विभाग ने रि–कार्पेटिंग तथा नई सड़कें बनाने के लिए 30.35 करोड़ रु. की धनराशि निर्धारित की है। विभाग ने 17.37 किमी. नई सड़कों का निर्माण–कार्य तथा 54.90 किमी. में रि–कार्पेटिंग का कार्य संपन्न किया है। हालोमाजरा चौक से संघ राज्य क्षेत्र की सीमा, पंचकुला इंडस्ट्रियल एरिया फेज–।। तक मौजूदा 4 लेन वाले डुअल कैरिजवे को चौड़ा करके धीमी गति से चलने वाले वाहनों और हल्के मोटर वाहनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़क के दोनों ओर धीमे कैरिजवे के साथ इसे 6 लेन वाले डुअल कैरिजवे में परिवर्तित करने तथा रेलवे लेवल क्रासिंग नं. 125 पर पुल के नीचे सड़क के निर्माण का कार्य 38.00 करोड़ रु. की लागत से पूरा किया गया है।

7.144 इसके अतिरिक्त, 7.00 करोड़ रु. की लागत से चंडीगढ़ को मुल्लनपुर से जोड़ने वाली एक अन्य सड़क को खुदा लाहौरा से आरंभ करके संघ राज्य क्षेत्र की सीमा तक 6 लेन वाले डुअल कैरिजवे में बदलने का कार्य पूरा किया गया है।

7.145 मलिन बस्ती पुनर्वास योजना के लिए चंडीगढ़ प्रशासन की नोडल एजेंसी के रुप में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने चंडीगढ़ में पांच अलग–अलग स्थानों पर एक कमरे वाले 12,736 फ्लैटों का निर्माण–कार्य पूरा किया है। जुलाई, 2014 में मलोया में दो कमरों वाले 4,960 फ्लैटों का निर्माण 212 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से आरंभ किया गया है।

7.146 सभी कर्मचारियों को आवास मुहैया कराने के प्रयास में, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने अपने मकानों के स्तरोन्नयन तथा पुनरुद्धार का कार्य आरंभ किया है। इस समय चंडीगढ़ में विभिन्न श्रेणियों के लगभग 13,400 मकान हैं। दिसम्बर, 2014 तक लगभग 5,500 मकानों का स्तरोन्नयन तथा 800 मकानों का पुनरुद्धार संबंधी कार्य पूरा हो चुका है।

7.147 वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान, नए स्कूलों और कॉलेजों के निर्माण और उनके विस्तार आदि के संबंध में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए 2,700 लाख रु. तथा कॉलेजों, पुस्तकालयों, एनसीसी परिसरों तथा विशेष शिक्षा हेतु 2,300 लाख रु. के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

राजकीय उच्च विद्यालय, सेक्टर–45, चंडीगढ़ –04.06.2014

7.148 सेक्टर–45 में राजकीय उच्च विद्यालय तथा पॉकेट नं. 6, मणिमाजरा में राजकीय माध्यमिक विद्यालय का निर्माण–कार्य 12.00 करोड़ रु. की लागत से पूरा किया गया है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, शहर के विभिन्न स्थानों पर अन्य 11 नए राजकीय विद्यालयों का निर्माण–कार्य भी वित्तीय वर्ष के दौरान 80.00 करोड़ रु. की लागत से आरंभ किया गया है।

7.149 सेक्टर–42 में लड़कियों के राजकीय महाविद्यालय में 600 लोगों के बैठने की क्षमता वाले एक नए आधुनिक ऑडिटोरियम ब्लॉक का निर्माण कार्य 5.00 करोड़ रु. की लागत से पूरा किया गया है, जिसका शुभारंभ दिनांक 22.08.2014 को माननीय गृह राज्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने किया। इसके अतिरिक्त, सेक्टर–46 में राजकीय महाविद्यालय में 5.00 करोड़ रु. की लागत से एक और विज्ञान खण्ड जोड़ा गया है।

श्री किरेन रिजिजू, माननीय गृह राज्य मंत्री द्वारा चंडीगढ़ में नए आधुनिक ऑडिटोरियम ब्लॉक का उद्घाटन

श्री शिवराज पाटील, प्रशासक, चंडीगढ़ द्वारा जापानी गार्डन का उद्घाटन

7.150 उपर्युक्त के अतिरिक्त, सेक्टर–11 में लड़कों के राजकीय महाविद्यालय में बायोटेक्नोलॉजी के अलग शिक्षण–ब्लॉक तथा सेक्टर–50 में एक नए राजकीय वाणिज्य एवं व्यापार प्रबंधन महाविद्यालय के निर्माण का कार्य 10.00 करोड़ रु. की लागत से प्रारंभ किया गया है और इसके इस वित्तीय वर्ष के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है।

7.151 सेक्टर–26 में 7.00 करोड़ रु. की लागत से चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के नए वर्कशॉप खण्ड का निर्माण–कार्य आरंभ हुआ है और इसके इस वित्तीय वर्ष के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है। सेक्टर–31 में 23.00 करोड़ रु. की लागत से नए एनसीसी परिसर का निर्माण कार्य भी आरंभ हुआ है।

7.152 सेक्टर–17 के बाजार क्षेत्र में 45.00 करोड़ रु. की लागत से एक मल्टीलेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स निर्मित किया जा रहा है। इससे एक समय पर 950 वाहनों की पार्किंग के लिए स्थान उपलब्ध हो सकेगा। इस पार्किंग स्थान पर सौर ऊर्जा से चलने वाली लाइटों का प्रावधान किया गया है। दिनांक 31.12.2014 तक 33.21 करोड़ रु. की धनराशि का व्यय किया जा चुका है।

सार्वजनिक सामुदायिक स्थल

7.153 चंडीगढ़ प्रशासन हर एक सेक्टर में अपने नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक स्थल उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। शहर के दक्षिणी सेक्टरों में रह रहे लोगों की काफी लंबे समय से लंबित आकांक्षाओं को पूरा करने के प्रयास के तहत प्रशासन ने कई उद्यान आम जनता के लिए खोले हैं। सेक्टर 31–ए के बीचोंबीच स्थित जापानी गार्डन सभी लोगों के लिए आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। सुंदर पगोडा, झीलों, पेड़ों और सुरंगों से युक्त इस उद्यान का शुभारंभ होने के बाद से भारी संख्या में लोग इस पार्क को देखने के लिए आ रहे है।

7.154 चंडीगढ़ प्रशासन ने सेक्टर–42 में ताड़ का एक नया उद्यान, सेक्टर–52 में शंकु वृक्षों का उद्यान तथा सेक्टर 53, चंडीगढ़ में झरनों से युक्त उद्यान विकसित किया है। चंडीगढ़ के प्रसिद्ध सेक्टर–17 प्लाजा क्षेत्र में नई जान फूंकने के प्रयास के तहत 3.50 करोड़ रु. की लागत से एक मल्टीमीडिया लेज़र फाउंटेन का उद्घाटन किया गया है।

चंडीगढ़ के महापौर श्री एच.सी. कल्याण के साथ प्रशासक के सलाहकार श्री के.के. शर्मा, आईएएस द्वारा लेज़र फाउंटेन का उद्घाटन

स्वास्थ्य और स्वच्छता

7.155 सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, सेक्टर–32 में ब्लॉक–ई का ढांचागत कार्य 29.00 करोड़ रु. की लागत से पूरा किया गया तथा इस वर्ष के अंत तक इस कार्य को पूरा करके के लिए भारत सरकार द्वारा 44.00 करोड़ की और अनुमानित धनराशि अनुमोदित की गई है।

7.156 उपर्युक्त के अतिरिक्त, 10.50 करोड़ रु. की लागत से 50 बिस्तर वाला एक अस्पताल (गांव बुरैल, सेक्टर–45) का निर्माण–कार्य अपने अंतिम चरण में है। इस वर्ष 44.65 करोड़ रु. की लागत से सेक्टर–32 में एक नए मानसिक स्वास्थ्य संस्थान का निर्माण–कार्य भी आरंभ हुआ है।

स्वच्छ भारत अभियान

7.157 ग्रामीण विकास विभाग ने स्वच्छता बनाए रखने तथा चंडीगढ़ के सभी गांवों से कचरा एकत्रित करने के लिए पांच कचरा संग्रहण वाहन चलाए हैं।

7.158 नगर निगम ने भी सक्रिय रुप से आम जनता में स्वच्छता कार्यक्रम और जागरुकता अभियान आयोजित किए हैं, जिनमें सफाई, स्वच्छता, हाथ धोने की महत्ता, शौचालयों के इस्तेमाल तथा खुले में शौच करने से पड़ने वाले बुरे प्रभावों के बारे में ज़ोर दिया गया है।

7.159 चंडीगढ़ प्रशासन ने 1,154.63 लाख रु. की लागत से धनास (मलिन बस्ती पुनर्वास कॉलोनी) में 7.5 एमएलडी क्षमता वाले एक सीवेज शोधन संयंत्र का निर्माण पूरा किया है।

माननीय सांसद श्रीमती किरण खेर कचरा संग्रहण ट्रकों को रवाना करते हुए तथा "स्वच्छ भारत अभियान" आरंभ होने के अवसर पर सरकारी कर्मचारी शपथ लेते हुए

हरित पहलें

7.160 प्रशासन ने विश्व पर्यावरण दिवस, 2014 के अवसर पर 'हरित चंडीगढ़ कार्य योजना 2014–15' जारी की। अवधि के दौरान 50,000 से अधिक पौधे लगाए गए। वन विभाग ने नागरिकों को निःशुल्क 40,000 औषधीय और हर्बल गुणों से युक्त पौधे वितरित किए।

7.161 चंडीगढ़ को एक मॉडल सौर शहर बनाने की योजना के साथ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने सौर फोटोवोल्टिक संयंत्रों के माध्यम से वर्ष 2015 से पूर्व 5 मेगा वॉट तथा वर्ष 2022 से पहले 10 मेगा वॉट बिजली के उत्पादन के लिए मास्टर प्लॉन तैयार किया है। इस संबंध में, 4,466 किलो वाट की समग्र क्षमता के 33 सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र पहले से क्रियाशील किए जा चुके हैं। 815 किलो वॉट बिजली की अन्य क्षमता 31.03.2015 तक चालू हो जाएगी।

शिक्षा और खेलकूद

7.162 चंडीगढ़ के सेक्टर–42 में स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 44.72 लाख रु. की लागत से दो नए सिंथेटिक टेनिस कोर्ट निर्मित किए गए हैं। सेक्टर–10 में टेनिस स्टेडियम (चरण–।।) का निर्माण वर्ष 2014–15 के दौरान आरंभ हुआ है। वर्ष के दौरान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर–7, चंडीगढ़ में छह लेन वाले सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, सेक्टर–42 में दो सिंथेटिक बॉस्केट बॉल कोर्ट तथा सेक्टर–18, चंडीगढ़ में हॉकी स्टेडियम में हॉकी के लिए एक अभ्यास मैदान भी निर्मित किए गए।

7.163 खेलकूद विभाग ने चंडीगढ़ के हॉकी और फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए शिल्लारु, शिमला में हाई एल्टीट्यूड समर कोचिंग कैम्प का आयोजन किया। विभाग ने अंतर विद्यालय (17 वर्ष से कम) कबड्डी प्रतियोगिता (बालक और बालिका) का भी आयोजन किया। प्रशासन ने अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में विजेता रहे/भाग लेने वाले चंडीगढ़ के

प्रतिष्ठित खिलाड़ियों को 57.00 लाख रु. का नकद पुरस्कार प्रदान किया।

पर्यटन

7.164 प्रसिद्ध फ्रेंच वास्तुविद ली–कोरबुजियर की देन के रुप में 'ट्रांस–बार्डर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट' के तहत कैपिटल कॉम्प्लेक्स, चंडीगढ़ को नामांकित करने की प्रक्रिया इस वर्ष अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद न केवल यह भवन विश्व पर्यटन मानचित्र में स्थान बना सकेगा, बल्कि यह शहर में घरेलू और विदेशी पर्यटन के लिए उत्प्रेरक का कार्य भी करेगा।

7.165 चंडीगढ़ पर्यटन ने वर्ष 2014 के दौरान अनेक पर्यटन संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें रोज़ फेस्टिवल, विश्व संगीत दिवस, चंडीगढ़ मैराथन, चंडीगढ़ साइक्लोथॉन, विश्व पर्यटन सप्ताह और चंडीगढ़ कार्निवल शामिल हैं। पर्यटन मंत्रालय ने रोज़ फेस्टिवल और चंडीगढ़ कार्निवल के प्रमुख पर्यटन आर्कषण को मेलों और उत्सवों के राष्ट्रीय कैलेण्डर में जगह दी है।

7.166 शहर का दौरा करने वाले पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने तथा उन्हें गाइड, संभार–तंत्र आदि जैसी एकल विंडो सहायता और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पर्यटन विभाग ने कैपिटल कॉम्प्लेक्स में एक नई सुसज्जित पर्यटक सूचना–सह–सुविनियर शॉप खोली है।

कल्याणकारी पहलें

7.167 चंडीगढ़ में क्रियान्वित की जा रही भारत सरकार की विभिन्न कल्याण संबंधी योजनाओं जैसे अपनी बेटी अपना धन, आम आदमी बीमा योजना, साथ–साथ, जनश्री बीमा योजना, शिक्षा सहयोग योजना, स्वावलंबन और अन्य के अतिरिक्त, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने आर्थिक और सामाजिक रुप से वंचित लोगों के लिए अपनी कल्याणकारी योजनाएं आरंभ की हैं।

7.168 अनुसूचित जातियों के समुदाय की विधवाओं/बेसहारा महिलाओं, जिनकी आय प्रति वर्ष 24,000/–रु. से अधिक नहीं है, की पुत्रियों के विवाह के लिए 20,000 रु. की वित्तीय सहायता दी जा रही है। प्रसूति के बाद माता और बच्चे के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अनुसूचित जाति की महिलाओं को 2,000 रु. की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

7.169 उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने तथा शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने और चंडीगढ़ प्रशासन के कार्यालयों/बोर्डों/निगमों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के बच्चों की स्कूल छोड़ने वाली प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए 'सफाई कर्मचारियों के बच्चों को नकद पुरस्कार' योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत, अपने प्रथम प्रयास में 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले सफाई कर्मचारियों (अनुसूचित जाति) के बच्चों को नकद पुरस्कार दिए जाते हैं।

7.170 बालिका के जन्म को सुरक्षित करने तथा समाज को प्रोत्साहित करने, जहां अभी भी लड़की के जन्म के प्रति भेदभाव बरता जाता है तथा उसे अपने विकास में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, संस्थागत प्रसूति को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन ने प्राथमिकता प्राप्त परिवारों, जिनकी पहचान की गई है, के लिए 'हमारी बेटी' नामक एक नई योजना आरंभ की है। बालिका का जन्म होने पर किसी भी अनुसूचित बैंक में बालिका तथा कार्यक्रम अधिकारी के नाम से एक संयुक्त खाते में 40,000 रु. की प्रोत्साहन राशि जमा की जाएगी जो बालिका द्वारा 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए जाने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 18 वर्ष पश्चात देय होगी। इस प्रोत्साहन का लाभ दो जीवित बालिकाओं के जन्म के मामले में उठाया जा सकता है।

7.171 शैक्षणिक सत्र 2014–15 से गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, चंडीगढ़ में बी.ए./बी.एससी. के प्रथम वर्ष में प्रवेश पाने वाली प्राथमिकता प्राप्त परिवारों की छात्राओं के लिए संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में 'ई–स्नातक' (निःशुल्क लैपटॉप वितरण) नामक योजना क्रियान्वित की जा रही है।

7.172 चंडीगढ़ प्रशासन ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 कार्यान्वित किया है तथा प्राथमिकता प्राप्त परिवारों के रुप में चयनित 45,064 परिवारों तथा अन्त्योदय अन्न योजना के 117 परिवारों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया है।

7.173 धनास (मलिन बस्ती पुनर्वास कॉलोनी) में नव–निर्मित चंडीगढ़ आवास बोर्ड फ्लैटों में महिला स्व–सहायता समूहों (डब्ल्यू एस एच जी) को पांच उचित मूल्य की दुकानों के लाइसेंस प्रदान किए गए हैं।

7.174 चंडीगढ़ प्रशासन निःशक्त जनों और महिलाओं के लिए आशा किरण नामक एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र संचालित कर रहा है। इस वर्ष बच्चों, महिलाओं और निःशक्त जनों के लिए

राष्ट्रीय निःशक्त जन अधिकारिता पुरस्कार, 2014

चौबीसों घंटे की हेल्पलाइन की शुरुआत की गई। चंडीगढ़ प्रशासन को निःशक्त जनों के कल्याण के लिए की गई सकारात्मक पहलों की मान्यतास्वरुप राष्ट्रीय निःशक्तजन अधिकारिता पुरस्कार, 2014 प्राप्त हुआ।

परिवहन

7.175 चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर में परिवहन व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। चंडीगढ़ शहर को विश्व बैंक द्वारा नगर बस सेवा के आधुनिकीकरण के लिए चार शहरों में से एक शहर के रुप में चुना गया है। इस परियोजना से नगर बस सेवा के आधुनिकीकरण के प्रति लक्षित वास्तविक सुधारों में सहायता प्राप्त होगी जिनमें (i) बसों के बेहतर अनुरक्षण और उनकी उपयोगिता काल के लिए आधुनिक डिपो उपकरण, (ii) सेवाओं को प्रयोक्ता–हितैषी बनाने के लिए वाहन ट्रैकिंग, यात्री सूचना प्रणाली और स्वचालित किराया संग्रहण हेतु आधुनिक आईटीएस, (iii) बेहतर प्रबंधन सूचना प्रणालियों, मालसूची अनुरक्षण प्रबंधन, बेहतर संग्रहण, प्रबंधन, विश्लेषण, रिपोर्टिंग तथा और अधिक वैज्ञानिक ढंग से योजना बनाने के लिए आंकड़ों के उपयोग हेतु आधुनिक एमआईएस शामिल हैं, जिससे सुविधाओं का इष्टतम उपयोग संभव हो सकेगा।

7.176 शहरी विकास मंत्रालय ने जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन योजना के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ को 400 बसें स्वीकृत की हैं। 400 बसों में से, चंडीगढ़ प्रशासन ने 170 मिडी बसों (80 पूर्णतः निर्मित सेमी–लो फ्लोर एसी मिडी बसें तथा 90 पूर्णतः निर्मित सेमी–लो फ्लोर नॉन–एसी बसें) की खरीद का क्रय आदेश दिया है। नगर के मार्गों पर 40 नई मिडी बसें आ चुकी हैं तथा शेष बसें शीघ्र आ जाएंगी। इससे चंडीगढ़ प्रशासन सभी प्रमुख मार्गों पर 10–15 मिनट के अंतराल पर अपने नागरिकों को सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध करवा पाने में समर्थ होगा।

7.177 महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, चंडीगढ़ प्रशासन ने इतिहास में पहली बार अपनी बसों के लिए 72 महिला कंडक्टरों की नियुक्ति की है।

सूचना प्रौद्योगिकी

7.178 चंडीगढ़ प्रशासन ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के सभी लाभार्थियों को आधार से जोड़ने का लक्ष्य शत–प्रतिशत प्राप्त कर लिया है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, अनुसूचित जातियों और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के मैट्रिक से पूर्व तथा उसके बाद की छात्रवृत्तियों तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त परिवारों के अपने सभी लाभार्थियों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर रहा है।

7.179 चंडीगढ़ प्रशासन के विभिन्न कार्यालयों में कार्यान्वयन हेतु ई–कार्यालय परियोजना भी आरंभ की गई है। शहर के निवासियों के लाभ के लिए, चंडीगढ़ प्रशासन ने एम डायरेक्टरी तैयार की है, जो ऐसी मोबाइल डायरेक्टरी है जिसमें प्रशासन के कार्यालयों तथा इसके महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के पते, दूरभाष संख्या और ई–मेल पते जैसे संपर्क करने से संबंधित ब्यौरे उपलब्ध हैं।

7.180 अपने नागरिकों को एक ही स्थान पर सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयास के तहत, वर्ष 2004 में ई–संपर्क केन्द्र आरंभ किए गए थे। इस वर्ष सेवाओं की संख्या में वृद्धि की गई है और वर्तमान में 38 ई–सम्पर्क केन्द्रों के माध्यम से 41 सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

दमण एवं दीव

7.181 दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र दमण और दीव नामक दो जिलों से मिलकर बना है और इसका कुल क्षेत्रफल 112 वर्ग किलोमीटर है जिसमें से दमण का क्षेत्रफल 72 वर्ग किमी. तथा दीव का क्षेत्रफल 40 वर्ग किमी. है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, दमण एवं दीव की जनसंख्या 2,43,247 (दमणः 1,91,173 और दीवः 52,074) थी।

7.182 वर्ष 2013–14 के दौरान, संघ राज्य क्षेत्र को 505.29 करोड़ रु. की धनराशि (संशोधित अनुमान) आबंटित की गई थी और यह संघ राज्य क्षेत्र संपूर्ण आबंटन का व्यय करने में समर्थ रहा। वर्ष 2014–15 के लिए योजनागत आबंटन 657.00 करोड़ रु. है। दमण एवं दीव संघ राज्य प्रशासन कई वर्ष से धनात्मक चालू राजस्व अधिशेष (बी सी आर) बनाए हुए हैं। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने वर्ष 2012–13 के दौरान 442.04 करोड़ रु. के बीसीआर तथा वर्ष 2013–14 के दौरान 752.53 करोड़ रु. के बीसीआर का लक्ष्य प्राप्त किया।

7.183 चालू वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा की गई प्रमुख विकास संबंधी पहलों का ब्यौरा उत्तरवर्ती पैराग्राफों में दिया गया है।

लोक निर्माण कार्य

पुल

7.184 नानी दमण में पटालिया को गुजरात में उदवाड़ा गांव से जोड़ने वाली कोलक नदी पर पुल के निर्माण का कार्य पूरा किया जा चुका है। यहां प्रकाश की व्यवस्था का कार्य प्रगति पर है।

7.185 9.5 करोड़ रु. की लागत से टैड क्रीक, दीव में नए पुल के निर्माण की आधारशिला माननीय गृह राज्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने दिनांक 03.08.2014 को रखी।

श्री किरेन रिजिजू, गृह राज्य मंत्री दीव में टैड क्रीक के टैड ब्रिज की आधारशिला रखते हुए

भवन और विकास संबंधी अन्य कार्य

7.186 दिनांक 08.08.2014 को 2.5 करोड़ रु. की लागत से मोटी दमण क्षेत्र में आदिवासी भवन के निर्माण के लिए आधारशिला रखी गई।

7.187 दिनांक 13.06.2014 को दमण में तटीय पुलिस के लिए घाट का शुभारंभ हुआ। यह कार्य 2.98 करोड़ रु. की लागत से पूरा किया गया है।

7.188 राजकीय महाविद्यालय के निकट मैदान (स्वामी विवेकानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स) का विकास 3.20 करोड़ रु. की लागत से पूरा किया गया है तथा दिनांक 19.07.2014 को प्रशासक ने इसका उद्घाटन किया।

दमण में स्वामी विवेकानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स

गणमान्य लोगों की उपस्थिति में प्रशासक द्वारा स्वामी विवेकानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन

7.189 355.29 लाख रु. की अनुमानित लागत से कार्यशाला भवन, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक, दमण का निर्माण–कार्य पूरा किया गया है।

7.190 विद्युतीकरण संबंधी कार्यों सहित प्रशासनिक भवन, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक, दमण में बहुउद्देशीय हॉल के दूसरे तल का निर्माण–कार्य 60.00 लाख रु. की अनुमानित लागत से जनवरी, 2015 के अंत तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

7.191. विद्युत विभाग, दमण के केन्द्रीय भंडार भवन का निर्माण 2.40 करोड़ रु. की लागत से पूरा किया गया है। विद्युतीकरण संबंधी कार्य प्रगति पर है।

7.192 सचिवालय, मोटी दमण के पीछे बास्केट बाल और टेनिस कोर्ट का कार्य 56.33 लाख रु. की अनुमानित लागत से पूरा किया गया है और दिनांक 13.06.2014 को आम जनता को समर्पित कर दिया गया है।

दिनांक 13.6.2014 को माननीय प्रशासक, दमण, दीव और दादरा एवं नगर हवेली द्वारा टेनिस और बास्केट बाल कोर्ट का उद्घाटन

बास्केट बाल कोर्ट के उद्घाटन के दौरान बास्केट बाल खेलती टीमें

सड़कें

7.193 श्री किरेन रिजिजू, माननीय गृह राज्य मंत्री ने साइकिल ट्रैक का शुभारंभ किया (दिनांक 03.08.2014 को दीव में नागोआ जंक्शन से मलाला जंक्शन तक) जिसे 2.00 करोड़ रु. की लागत से पूरा किया गया है।

दीव में नागोआ जंक्शन से मलाला जंक्शन तक अंतरराष्ट्रीय स्तर के "साइकिल ट्रैक" का उद्घाटन करते हुए माननीय मंत्री

7.194 दीव हवाई अड्डे के रनवे को विस्तारित करने के लिए हाल में अर्जित भूमि के समतलीकरण का कार्य 3.28 करोड़ रु. की लागत से पूरा किया गया है।

7.195 सिम्बोर–दीव में सड़क को चौड़ा करने तथा उसकी रिकार्पेटिंग का कार्य 49.95 लाख रु. की लागत से पूरा किया गया है।

7.196 8.00 मीटर की कारपेट चौड़ाई के साथ मगरवाड़ा से जरी कॉजवे, मोटी दमण तक की सड़क (कुल 7.6 किमी. लंबी) को चौड़ा करने का कार्य 12.31 करोड़ रु. की लागत से पूरा किया गया है। इसी प्रकार, नानी दमण में वारकुंड जंक्शन से रिंगनवाड़ा रोड तक की सड़क (2.1 किमी. लंबी) को चौड़ा करने का कार्य 1.33 करोड़ रु. तथा नानी दमण में भारत इंडस्ट्रियल रोड (2.7 किमी.) के सुधार तथा चौड़ा करने का कार्य 3.13 करोड़ रु. की लागत से पूरा किया गया है।

जल आपूर्ति और मलजल निकासी

7.197 जलापूर्ति के संवर्धन के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं चल रही हैं, जिनके मार्च, 2015 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(i) दमण में दुनेथा टैंक, डाभेल टैंक और मगरवाड़ा टैंक के माध्यम से मधुबन डैम से पाइपलाइन बिछाकर दमण जिले के गांवों को पाइप के जरिए पेयजल आपूर्ति का संवर्धन।

(ii) दुनेथा, नानी दमण में 17 एमएलडी जल शोधन संयंत्र का निर्माण।

(iii) डब्ल्यू टी पी, डाभेल दमण में भूमिगत पम्प।

(iv) ऊना से दीव तक सरदार सरोवर नहर पाइपलाइन परियोजना पर आधारित जलापूर्ति योजना निष्पादित की जा रही है तथा इसके वर्ष 2015 के मध्य तक पूरा हो जाने की संभावना है।

विद्युत

7.198 श्री किरेन रिजिजू, माननीय गृह राज्य मंत्री ने दिनांक 03.08.2014 को दीव में 3 एम डब्ल्यू पी ग्रिड सौर संयंत्र की आधारशिला रखी।

माननीय राज्य मंत्री दीव में 3 एम डब्ल्यू पी ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखते हुए

7.199 39.95 करोड़ रु. की लागत से रिंगनवाड़ा, दमण को 400 केवी न्यू पीजीसीआईएल एस/एस से संबद्ध 220 केवी डी/सी लाइन सहित रिंगनवाड़ा, दमण में 1x160 एमवीए+2x50 एमवीए, 220/66/11 केवी एस/एस स्थापित करने के लिए पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को कार्य–आदेश सौंपा गया है।

7.200 66 केवी मगरवाड़ा–काचीगाम, मगरवाड़ा–वारकुंड, वापी–डाभेल और काचीगाम–डालवाड़ा लिंक लाइन के मौजूदा एसीएसआर पैंथर कंडक्टर को एचआई टीएएससीआर–160 वर्ग मिमी. द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने की योजना प्रगति पर है।

7.201 400/220 केवी मगरवाड़ा से 220/66 केवी मगरवाड़ा, दमण के बीच 220 केवी हेतु ट्रांसमिशन लाइन का कार्य प्रगति पर है।

मगरवाड़ा, दमण में ट्रांसमिशन लाइन

7.202 मगरवाड़ा, दमण में ग्रिड सौर संयंत्र में 1 एमडब्ल्यूपी तथा दीव में ग्रिड सौर संयंत्र में 3 एमडब्ल्यूपी स्थापित करने की योजना प्रगति पर है।

7.203 जरी, दमण में सम्बद्ध लाइन सहित 66/11 के वी 2x15 एमवीए एस/एस स्थापित करने की योजना प्रगति पर है।

7.204 मगरवाड़ा, दमण में 220/66 केवी एस/एस में क्षमता को 1x100 + 1x50 + 1x60 एमवीए से 1x100 + 1x50 + 2x160 एमवीए में संवर्धित करने का कार्य प्रगति पर है।

7.205 विद्युत विभाग, नानी दमण के पुराने जीर्ण–शीर्ण ढांचे के स्थान पर नए कार्यालय भवन का निर्माण–कार्य 98.00 लाख रु. की लागत से पूरा किया गया तथा दिनांक 10.08.2014 को इसे आम जनता को समर्पित किया गया।

शिक्षा

सरस्वती विद्या योजना

7.206 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों/संस्थानों/कॉलेज में कक्षा–I से स्नातकोत्तर स्तर तक सभी छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा।

7.207 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों/संस्थानों/कॉलेज में कक्षा IX से स्नातकोत्तर स्तर तक सभी छात्राओं को छात्रवृत्तिः (1,000 रु. प्रति माह से 3,500 रु. प्रति माह)।

7.208 छात्राओं और उनके परिवारों को "संजीवनी स्वास्थ्य बीमा योजना" के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवच (प्रीमियम का भुगतान संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है)।

7.209 डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टोरल स्तर के लिए गरीबी रेखा से ऊपर के छात्रों को शुल्क के 50% की प्रतिपूर्ति (अधिकतम 2.5 लाख रु. वार्षिक) तथा गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के छात्रों को शुल्क की शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति।

7.210 कक्षा VIII (और कक्षा IX-XII में पढ़ रही छात्राओं, जिन्हें पहले छोड़ दिया गया था) की सभी छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण।

7.211 छात्रों और स्कूलों के बेहतर परिणाम को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कक्षा XII तथा सर्वश्रेष्ठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के उत्कृष्ट छात्रों को पुरस्कृत करने के लिए एक नई "ज्ञान गौरव पुरस्कार योजना" क्रियान्वित की जा रही है।

7.212 सरस्वती साधना योजना के अन्तर्गत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को 196 साइकिलें वितरित की गई हैं। चालू वर्ष में प्रशासन ने उच्च विद्यालयों में प्रवेश करने से पूर्व पढ़ाई छोड़ने वाली छात्राओं की संख्या में कमी लाने के उद्देश्य से यह योजना कक्षा VIII की सभी छात्राओं के लिए लागू किया है। इस योजना के तहत वर्ष 2014 के दौरान 1,120 छात्राएं लाभान्वित हुई हैं। इसके अलावा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के अतिरिक्त अन्य पिछड़ा वर्गों और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को भी अब मैट्रिक–पूर्व तथा इसके बाद की छात्रवृत्ति का लाभ दिया जा रहा है। आदिवासी छात्रों के कल्याण हेतु कक्षा I से X के सभी आदिवासी छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी और वर्दी प्रदान की जाती है। उन्हें कक्षा I से VIII के लिए 1,000 रु. प्रति माह तथा कक्षा XI से XII के लिए 1,250 रु. प्रति माह का नकद प्रोत्साहन भी दिया जाता है।

7.213 अवसंरचना संबंधी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न स्थानों पर सभी बुनियादी सुविधाओं सहित स्कूल भवनों के निर्माण और नवीकरण संबंधी कार्य आरंभ किया गया है।

7.214 विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सीआईआई इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी, बेंगलुरु की भागीदारी से संघ राज्य क्षेत्र में सर्वोत्तम परियोजना क्रियान्वित की जा रही है।

7.215 विद्यमान शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षणः दीव में शिक्षकों के पांच दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण, विद्यालय आधारित व्यापक मूल्यांकन पर आधारित था।

स्कूली शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण

स्वच्छ भारत अभियान में भाग ले रहे छात्र

7.216 सभी विद्यालयों ने स्वच्छ भारत शपथ अभियान में हिस्सा लिया।

7.217 दो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई टी आई) में पुराने पाठ्यक्रम के साथ कौशल संबंधी प्रशिक्षण की गुणवत्ता बेहद अपर्याप्त है। पीपीपी आधार पर एक नए आईटीआई की योजना बनाई जा रही है और मौजूदा संस्थानों का भी साथ–साथ स्तरोन्नयन किया जाएगा। क्षेत्र में एक विश्व स्तरीय कौशल विकास संस्थान विकसित करने के लिए समुचित संस्थागत और वित्तीय मॉडलों की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है। भारत सरकार के स्किल इंडिया पहल के साथ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रयासों को जोड़े जाने के उद्देश्य से इस मामले को कौशल विकास मंत्रालय के साथ भी उठाया जा रहा है।

7.218 क्षेत्र में एक बड़े शैक्षणिक हब के भाग के रुप में दीव में एक खाद्य शिल्प संस्थान विकसित किया जा रहा है।

7.219 संघ राज्य क्षेत्र में खेलकूद की गतिविधियों के विकास हेतु एक नई खेलकूद नीति तैयार की गई है।

स्वास्थ्य

7.220 प्रशासन संघ राज्य क्षेत्र के लोगों को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान में 26 उप केन्द्र, 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और 2 जिला अस्पताल संघ राज्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं।

7.221 गांधीपाड़ा, दीव में 60 बिस्तरों वाले आधुनिक अस्पताल का निर्माण अपने अंतिम चरण में है।

7.222 महिलाओं में स्तन कैंसर की पहले पहचान करने के लिए सरकारी अस्पताल में एक मैमोग्राफी मशीन लगाई गई है। मारवाड़ अस्पताल, दमण की डायलिसिस यूनिट टर्मिनल रीनल फेल्योर वाले रोगियों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान कर रही है।

7.223 सरकारी अस्पताल मारवाड़, दमण में 30 अतिरिक्त बिस्तरों और घटक पृथक्करण इकाई का निर्माण 112.34 लाख़ रु. की लागत से पूरा किया गया है जिसका शुभारंभ माननीय प्रशासक द्वारा दिनांक 10.08.2014 को किया गया।

माननीय प्रशासक, दमण, दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र दिनांक 10.08.2014 को 30 बिस्तरों वाले अस्पताल का शुभारंभ करते हुए

7.224 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, काचीगाम, दमण के पहले तल पर आयुष अस्पताल तथा पंचकर्म केन्द्र के निर्माण का कार्य 1.22 करोड़ रु. की लागत से दिनांक 31.01.2015 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

दमण में आयुष अस्पताल का निर्माण

7.225 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने उन सभी परिवारों, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रु. से कम है, के लिए ''संजीवनी स्वास्थ्य बीमा योजना'' नामक एक व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना तैयार की है, जिसके प्रीमियम का वहन संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यह योजना उन पेंशनभोगियों और अन्य परिवारों, जो उक्त प्रीमियम का भुगतान करके योजना में शामिल होने का विकल्प चुन सकते हैं, के लिए भी है। इस स्वास्थ्य कवर में परिवार के पांच सदस्य अर्थात् परिवार का मुखिया, पति–पत्नी और तीन आश्रित शामिल किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत पैनल में शामिल मुम्बई, सूरत, राजकोट और अहमदाबाद में स्थित प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। योजना में शामिल व्यक्तियों को, कवर किए गए प्रत्येक परिवार को जारी एक स्मार्ट कार्ड के आधार पर पैनल में शामिल अस्पतालों द्वारा नकद धनराशि के बगैर सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना में प्रत्येक परिवार के लिए 2 लाख रु. के वार्षिक स्वास्थ्य कवर के साथ–साथ दुर्घटना में हुई मृत्यु/निःशक्तता के लिए 1 लाख रु. तक के कवर का प्रावधान है।

7.226 राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत तीन स्कूली टीमें स्वीकृत की गई हैं और ये टीमें किसी भी बीमारी के समय रहते पहचान हेतु स्वास्थ्य जांच के लिए दमण एवं दीव जिले के सभी स्कूलों का दौरा करेंगी।

7.227 दमण जिले के सभी पंचायत क्षेत्रों में दिनांक 10.10.2014 से माह के प्रत्येक दूसरे शनिवार को स्वास्थ्य–जांच शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

7.228 दिनांक 05.06.2014 से सरकारी अस्पताल, दीव के परिसर में दीव ब्लड बैंक ने काम करना आरंभ कर दिया है।

7.229 विशेषज्ञ चिकित्सकों के ठहरने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दीव में ट्रांजिट छात्रावास का निर्माण किया गया है।

पर्यटन

7.230 दीव में पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं। दीव को गन्तव्य का दर्जा देने के लिए ओजिलवी मैथर्स प्रा. लि. मुम्बई के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दर्जा देने संबंधी अभियान प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया में जनवरी, 2015 के अन्तिम सप्ताह में आरंभ होगा।

7.231 संघ राज्य क्षेत्र में पुर्तगालियों के समय के पुराने धरोहर मौजूद हैं जिनमें से अधिकांश भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रणाधीन हैं। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (आई एन टी ए सी एच) ने उन स्मारकों के पुनरुद्धार और विकास के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है जिनका मामला राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण को विचारार्थ भेजा जा रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रण से इतर स्मारकों के पुनरुद्धार का कार्य, निष्पादन हेतु आईएनटीएसीएच को सौंपा गया है।

7.232 दिनांक 06.08.2014 को पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री श्री श्रीपद नायक ने गृह राज्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू, संसद सदस्य श्री लालूभाई बी. पटेल (दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र) तथा संसद सदस्य श्री नाटूभाई (दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र) की उपस्थिति में दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली के पर्यटन के "ब्रांड लोगो" का शुभारंभ किया।

7.233 दमण–बमनपूजा रोड, मोटी दमण पर धोलार जंक्शन के विकास और सौंदर्यीकरण का कार्य 31.59 लाख रु. की लागत से पूरा किया गया है।

दमण में धोलार जंक्शन का सौंदर्यीकरण

दमण में पर्यटक सहायता बूथ का शुभारंभ

7.234 जामपोर बीच पर पर्यटक सहायता बूथ का निर्माण 37.41 लाख रु. की लागत से पूरा किया गया है।

मत्स्यपालन

7.235 दमण एवं दीव की कुल तटीय लंबाई 29 किमी. है। मत्स्यपालन, इस संघ राज्य क्षेत्र के प्रमुख आर्थिक क्रियाकलापों में से एक है। मछुआरों को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रशासन इस क्षेत्र के विकास हेतु विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है।

मछुआरों का कल्याण

7.236 पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पकड़े गए नौका मालिकों/मछुआरों को निम्नलिखित दर पर सहायता प्रदान की जाती है:

(i) नौका–मालिकों को मछली पकड़ने वाले जलयान खरीदने/निर्मित करने के लिए अधिकतम 10.00 लाख रु. तक 25% की दर से एकबारगी वित्तीय सहायता।

(ii) पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा बंधक बनाए गए पंजीकृत मछुआरों के परिवारों को प्रतिदिन प्राप्त होने वाले 100 रु. के भत्ते को बढ़ाकर प्रति दिन 200 रु. किया जाना।

(iii) पाकिस्तानी जेल से मछुआरों के प्रत्यावर्तन के लिए उन्हें टीए/डीए।

7.237 प्राकृतिक आपदाओं/दुर्घटनाओं आदि से प्रभावित मछुआरों के परिवारों को निम्नलिखित दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

(i) मृत्यु/लापता होने के स्थिति में मछुआरे के कानूनी उत्तराधिकारी को प्राप्त होने वाली 0.50 लाख रु. की सहायता को बढ़ाकर 1.00 लाख रु. किया जाना।

(ii) नौका के पुनर्निर्माण/मरम्मत के लिए निम्नलिखित मानदंड के अनुसार एकबारगी वित्तीय सहायता:

क) मेकेनाइज्ड ट्रालर (15 मीटर या अधिक) 5.00 लाख रु. (सब्सिडी)।

ख) मेकेनाइज्ड ट्रालर (15 मीटर से कम) 3.00 लाख रु. (सब्सिडी)।

ग) 5 मीटर तक मोटोरियल ओबीएम/आईबीएम 1.00 लाख रु. (सब्सिडी)।

7.238 मत्स्यपालन से संबंधित आवश्यक सामग्रियों/उपकरणों की खरीद के लिए मछुआरों को निम्नलिखित दर पर सहायता दी जाती है:

क्रम सं.	मद	मद की अधिकतम लागत	की दर से सब्सिडी	अधिकतम स्वीकार्य सब्सिडी
1.	एफआरपी नौका आदि सहित मत्स्यपालन संबंधी अपेक्षित सामग्रियां	2.00 लाख रु तक 5.00 लाख रु. तक 5.00 लाख रु. से अधिक	20% 15% 10%	0.40 लाख रु. 0.75 लाख रु. 2.00 लाख रु.
2.	आईबीएम इंजन : 8–10 एचपी 108 एचपी तक 108 एचपी से ऊपर	1.00 लाख रु. तक 5.00 लाख रु. तक 8.00 लाख रु. तक	50% 30% 25%	0.50 लाख रु. 1.50 लाख रु. 2.00 लाख रु.
3.	विद्युत/सौर उपकरण	0.50 लाख रु. तक	50%	0.25 लाख रु.
4.	आइस बॉक्स: मछुआरिनों के लिए नौका मालिकों के लिए	10,000/–रु. तक 50,000/–रु. तक	75% 50%	7,500 रु. 25,000 रु.
5.	परिवहन इन्सुलेटेड टेम्पो रिक्शा/ चार पहिया वाहन	5.00 लाख रु. तक	20%	1.00 लाख रु.

7.239 नौका मालिकों को सुरक्षा एवं संचार उपकरणः संचार उपकरणों की खरीद के लिए अधिकतम 1.50 लाख रु. तक तथा सुरक्षा जैकेट और लाइफ रिंग की खरीद के लिए अधिकतम 0.30 लाख रु. तक की 75% सब्सिडी।

7.240 मछुआरों को ओबीएम इंजन (8–10 एचपी) की आपूर्तिः 1.20 लाख रु. की अधिकतम सीमा के अध्यधीन 75% की दर से एक–बारगी अंतिम चरण की सब्सिडी।

7.241 मछली अचारों की पैकिंग के लिए मछुआरिनों को वित्तीय सहायताः महिलाओं के स्व–सहायता समूह को कार्यशील पूंजी के तौर पर अधिकतम 10,000 रु. के साथ 50% की दर से एकबारगी वित्तीय सहायता।

7.242 मछली पकड़ने वाले जलयानों पर माल चढ़ाने/उतारने के लिए मछुआरों को जलयान के आकार के आधार पर 3,000 रु. से 5,000 रु. तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

7.243 स्व–रोजगारः एमपीईडीए के सहयोग से दीव की तटरेखा पर झींगी उत्पादन की एक योजना तैयार की गई है, जिससे विशेष रुप से क्षेत्र की महिलाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी तथा इससे अधिक आय के अवसर भी प्राप्त होंगे।

7.244 दमण एवं दीव के तटों, जिनका उपयोग भारी मात्रा में गाद जमा होने के कारण यात्री यातायात के लिए बेहद कम होता है तथा मछली पकड़ने का कार्य भी जहां सीमित मात्रा में ही होता है, की ड्रेजिंग के लिए ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

आवास और स्वच्छता

सूर्योदय आवास योजना

7.245 गरीबी हटाओ उपाय के रुप में, इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी निर्धन व्यक्तियों के लिए आवास का प्रावधान किया गया है।

7.246 संघ राज्य क्षेत्र के भीतर हिताधिकारी के पास एक भूखंड होना चाहिए और उसकी वार्षिक परिवारिक आय 1,00,000 रु. से कम होनी चाहिए।

7.247 इस योजना के अंतर्गत मकान के निर्माण तथा उसी मकान में शौचालय की सुविधा के लिए 1,50,000 रु. का अनुदान 3 किस्तों में दिया जाता है।

7.248 स्वच्छ आंगन योजनाः खुले में शौच से मुक्त क्षेत्र – इस योजना के अंतर्गत, ऐसे परिवार को, जिसकी वार्षिक आय 1,00,000 रु. से कम है, मौजूदा मकान, जिसमें शौचालय की सुविधा नहीं है, में शौचालय के निर्माण के लिए दो किस्तों में 20,000 रु. का अनुदान दिया जाता है।

उद्योग

7.249 श्रम, प्रदूषण, पर्यावरण संबंधी विनियमन की अनुपालना सहित उद्योग के लिए सिंगल विंडो अनापत्ति को सुगम बनाने के लिए एक संयुक्त आवेदन प्रपत्र की शुरुआत की गई है। निरर्थक प्रक्रियाएं हटाई जा रही हैं तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर विशेष ज़ोर दिया जा रहा।

7.250 प्रदूषण नियंत्रण संबंधी मानदंडों को संशोधित करके उसे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी पी सी बी) के मानदंडों तथा प्रदूषण मुक्त उद्योग के लिए लागू की गई सरल व्यवस्था के अनुरुप बनाने की आवश्यकता है। इस संबंध में अधिसूचना का मसौदा जारी किया गया है और दो माह की अनिवार्य अवधि के बाद नए मानदंड अधिसूचित कर दिए जाएंगे।

7.251 सहायक उत्पाद से संबंधित वस्त्र उद्योग पर ध्यान केन्द्रित करते हुए एक हरित क्षेत्र औद्योगिक सम्पदा/टेक्सटाइल क्लस्टर विकसित करने की एक परियोजना की रुपरेखा तैयार की गई है। लोक–निजी भागीदारी (पीपीपी) आधार पर अवसंरचना विकसित करने के लिए बोलियां आमंत्रित करने हेतु कार्य–संपादन सलाहकार (ट्रांसएक्शन एडवाइज़र) की नियुक्ति की जा रही है।

नागर विमानन एवं पत्तन

7.252 दीव में कनेक्टिविटी एक गंभीर मुद्दा है तथा मुम्बई के साथ हवाई संपर्क बढ़ाने के मामले पर कार्रवाई की जा रही है।

सूचना प्रौद्योगिकी

7.253 माननीय प्रशासक ने जिला पंचायत, दमण में सरल सेवा केन्द्र का शुभांरभ किया है। यह केन्द्र सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके दैनिक आधार पर आम जनता से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराएगा।

7.254 दिनांक 13.06.2014 को समय सुधिनी सेवा (एस एस एस) अर्थात् समयबद्ध सेवाओं के तीसरे चरण का आरंभ हुआ, जिसके तहत समय सुधिनी सेवा के अंतर्गत 18 विभागों की 73 सेवाएं जोड़ी गईं। अब एस एस एस के माध्यम से दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र के लोगों को दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र के 22 विभागों की कुल 125 सेवाएं उपलब्ध हैं।

7.255 शहरी भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण और उनके अंकीकरण का कार्य पूरा किया गया तथा आम जनता/नागरिकों के सत्यापन हेतु इसे दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की वेबसाइट www.daman.inc.in पर उपलब्ध करा दिया गया है। इसे "अवनिका अर्बन" का नाम दिया गया है और यह वेब पोर्टल "अवनिका" का एक भाग है।

7.256 राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत, दमण जिले की ग्रामीण भूमि के अभिलेखों से संबंधित आंकड़ों के अंकीकरण और सत्यापन का कार्य पूरा कर लिया गया है। भूमि–अभिलेखों को परिवर्तित करने का कार्य भी "अवनिका रुरल" साफ्टवेयर का उपयोग करके किया जा रहा है। भूमि अभिलेख संबंधी आंकड़े दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट www.daman.nic.in

तथा "अवनिका" पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं।

7.257 संघ राज्य क्षेत्र वाइड एरिया नेटवर्क (यू टी डब्ल्यू ए एन), दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना संबंधी एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण परियोजना है। इसका कार्यान्वयन दमण एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों की एक संयुक्त परियोजना के रुप में किया गया है। संघ राज्य क्षेत्र वाइड एरिया नेटवर्क का चरण I पूरा हो चुका है। चरण I में, संघ राज्य क्षेत्र दमण एवं दीव के 61 कार्यालय एक–दूसरे से जुड़े हैं। परियोजना के चरण II का कार्यान्वयन किया जा रहा है। अंतिम और तीसरे चरण में, दमण एवं दीव में स्थित दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सभी कार्यालय आपस में जोड़े जाएंगे।

7.258 ई–पीआरआई (पंचायती राज संस्थान) परियोजना में, कुल 10 माड्यूलों में से तीन माड्यूल अर्थात् पंचायत पोर्टल, एरिया प्रोफाइलर तथा लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी क्रियान्वित किए गए हैं। तीन और मॉड्यूलों अर्थात् प्रिया सॉफ्ट, प्लान प्लस और एक्शन सॉफ्ट के कार्यान्वयन की प्रक्रिया चल रही है।

7.259 मूल्य वर्धित कर के अन्तर्गत, ई–भुगतान की सुविधा वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और देना बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही। ई–भुगतान के आरंभ से, इस सुविधा के माध्यम से 200.13 करोड़ रु. का राजस्व जमा कराया गया है। दिनांक 07.10.2014 को सीजीए ने छह और बैंकों अर्थात कारपोरेशन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, आईडीबीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक के माध्यम से यह सुविधा प्रदान करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। सितम्बर, 2014 से सभी सांविधिक प्रपत्र ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं। अब तक लगभग 1,32,745 प्रपत्र जारी किए गए हैं तथा ई–चालान माड्यूल की सफल शुरुआत हो चुकी है। इसी प्रकार, ई–रिफंड, ई–एसेसमेंट और ई–लेखापरीक्षा जांच–सूची, ई–टीडीएस, पंजीकृत विक्रेताओं के ब्यौरों का संशोधन तथा डि–रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर दिए गए हैं।

अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां और पहलें

7.260 गृह राज्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने दिनांक 03.08.2014 को दीव जिले के लिए "सारथी बस सेवा" (सार्वजनिक परिवहन सेवा) का शुभारंभ किया तथा दिनांक 10.08.2014 को माननीय प्रशासक ने माननीय संसद सदस्य श्री लालूभाई बी. पटेल तथा स्थानीय निकायों के नेताओं की उपस्थिति में दमण जिले के लिए "सारथी बस सेवा" (सार्वजनिक परिवहन सेवा) का शुभारंभ किया।

माननीय मंत्री दिनांक 03.08.2014 को अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ दीव में सारथी बस सेवा का शुभारंभ करते हुए

7.261 स्वच्छ भारत अभियानः स्वच्छ भारत अभियान के दौरान इस दिशा में पकड़ने वाला जोर विगत एक माह के दौरान भी जारी रहा और नगरपालिका निकाय और जिला पंचायत प्राधिकारी भी ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों की साफ–सफाई के लिए दिन–रात काम में जुटे रहे हैं। दमण में, कचरा संग्रहण, पृथक्करण और शोधन सहित संपूर्ण क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु एक ठेका दिया गया है। संग्रहण का कार्य जनवरी, 2015 में आरंभ हो जाएगा और शोधन की सुविधा अगस्त, 2015 तक क्रियाशील हो जाएगी। वर्ष 2017 तक दोनों क्षेत्रों को "खुले में शौच से मुक्त" तथा "कूड़ा विहीन" क्षेत्र में बदलने के लिए इस मुहिम को मध्य एवं दीर्घकालिक अवधि के लिए बनाए रखने के लिए एक रोड मैप भी तैयार किया गया है।

7.262 प्रशासन, आपके निकटः आम जनता से संबंधित कार्यों से सीधे जुड़े विभागों को लोगों के निकट लाने के लिए एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की गई है तथा अब तक संघ राज्य क्षेत्र में दो शिविरों का आयोजन हो चुका है। नागरिकों से इसका बहुत अच्छा प्रत्युत्तर देखने को मिला है क्योंकि राजस्व प्रशासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, यूआईडी के इनरोलमेंट, स्वास्थ्य–जांच जैसे उनके रोजमर्रा के मामले वहीं पर निपट जा रहे हैं।

7.263 आदर्श ग्राम योजनाः माननीय संसद सदस्य ने आदर्श ग्राम के रुप में विकसित करने के लिए दमण जिले के पेरयारी गांव का चयन किया है। विभिन्न सरकारी योजनाओं से संसाधनों का समन्वय करने, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) एजेंडा के भाग के रुप में निजी क्षेत्र से संसाधन जुटाने के लिए एक सोसायटी बनाई गई है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह कार्य दक्षतापूर्ण तथा संकेन्द्रित तरीके से किया जा रहा है।

7.264 प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 64,359 बैंक खाते खोले गए हैं।

7.265 दमण जिले में विभिन्न जांच चौकियों पर सीसीटीवी निगरानी प्रणाली की व्यवस्था की गई है।

7.266 संघ राज्य क्षेत्र में 102 आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से क्षेत्र में एकीकृत बाल विकास योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस कार्यक्रम के दायरे में 1,950 गर्भवती महिलाएं तथा स्तनपान कराने वाली माताएं, 2,306 युवतियां तथा 7,750 बच्चे (0–6 वर्ष) शामिल हैं।

7.267 प्रशासन के सम्मिलित प्रयासों से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक समुदाय के लगभग सभी पात्र छात्रों को विभिन्न छात्रवृत्ति संबंधी योजनाओं के दायरे

में लाया गया है। छात्रवृत्ति की धनराशि अब सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरित की जा रही है।

दादरा एवं नगर हवेली

7.268 दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 3,43,709 (1,93,760 पुरुष और 1,49,949 महिलाएं) है। इसका कुल क्षेत्रफल 491 वर्ग किमी. है और यह दो इन्क्लेव अर्थात (1) दादरा और (2) नगर हवेली से मिलकर बना है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, इस संघ राज्य क्षेत्र में 65 गांव, 05 सेन्सस नगर, 01 नगर परिषद, 01 जिला पंचायत और 11 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। यह संघ राज्य क्षेत्र गुजरात के वलसाड जिला और महाराष्ट्र के थाणे जिला के साथ सटा हुआ है।

प्रशासन

7.269 दादरा एवं नगर हवेली में एक जिला और एक तालुका शामिल है। तथापि, राजस्व प्रशासन के उद्देश्य के लिए सभी 72 गांवों/नगरों को 11 पटेलाड्स में विभाजित किया गया है। इस संघ राज्य क्षेत्र में कोई विधायिका नहीं है। प्रशासक, प्रशासन के प्रमुख होते हैं तथा उनकी सहायता के लिए विकास आयुक्त, वित्त सचिव, पुलिस महानिरीक्षक और जिला कलेक्टर होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के कार्यान्वयन के लिए, निर्वाचित सदस्यों को शामिल करते हुए 11 ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त, सभी ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए एक जिला पंचायत तथा एक नगर परिषद है जिसमें 15 वार्ड शामिल हैं। उन सभी को अपने क्षेत्राधिकार के संबंध में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार सभी मामलों में शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। इस संघ राज्य क्षेत्र के लिए लोक सभा में एक सीट आबंटित है, जो अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि के लिए आरक्षित है। संघ राज्य क्षेत्र में कुल 72 गांव हैं जिनमें से 5 गांवों को वर्ष 2011 की जनगणना के दौरान जनगणना नगरों के रुप में घोषित किया गया है। 2 जनगणना नगर सिलवासा परिषद में परिवर्तित किए गए हैं तथा 65 गांव ग्रामीण गांव हैं।

राजस्व प्राप्तियां

7.270 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने वर्ष 2014–15 (31.12.2014 तक) के दौरान 543.91 करोड़ रु. का राजस्व संग्रहित किया, जिसके दिनांक 31.03.2015 तक 657.00 करोड़ रु. हो जाने की संभावना है।

योजनागत आबंटन और व्यय

7.271 वर्ष 2014–15 के दौरान, संघ राज्य क्षेत्र को 703.00 करोड़ रु. की धनराशि आबंटित की गई थी जिसमें से 497.00 करोड़ रु. का व्यय दिनांक 31.12.2014 तक हो चुका है तथा संभावना है कि दिनांक 31.03.2015 तक संपूर्ण बजट प्रावधान का उपयोग कर लिया जाएगा।

विद्युत

7.272 प्रशासन अपने नागरिकों को अत्यंत किफायती दरों पर बिजली की अच्छी सेवा उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास कर रहा है। संघ राज्य क्षेत्र में दादरा एवं नगर हवेली विद्युत वितरण निगम स्थापित किया गया है तथा यह वर्ष 2012–13 से क्रियाशील है। विद्युत–क्षेत्र में शुरु की गईं प्रमुख परियोजनाओं में निम्नलिखित परियोजनाएं शामिल हैं:–

(i) वाघछिपा में नए 220/66 केवी, 2x160 एमवीए उप–स्टेशन की स्थापना।

(ii) खरादपाड़ा उप–स्टेशन से 2x100 एमवीए, 220/66 केवी के मौजूदा ट्रांसफार्मर की गांव सायली में 220 केवी स्विचिंग उप–स्टेशन में प्रतिष्ठापन।

(iii) 220/66 केवी खरादपाड़ा उप–स्टेशन का 400 एमवीए से 520 एमवीए क्षमता में संवर्धन।

(iv) 220/66 केवी खदोली उप–स्टेशन का 2x160 एमवीए से 3x160 एमवीए क्षमता में संवर्धन।

(v) प्रस्तावित 400 केवीए, काला उप–स्टेशन से 220 केवी खदोली उप–स्टेशन तक 220 केवी अंतर–संपर्क पारेषण लाइन।

(vi) प्रस्तावित 400 केवीए, काला उप–स्टेशन से 220 केवी खरादपाड़ा उप–स्टेशन तक 220 केवी अंतर–संपर्क पारेषण लाइन।

(vii) पीजीसीआईएल के 400/220 केवी उप–स्टेशन की शुरुआत।

(viii) 220/66 केवी पर विद्युत ट्रांसफार्मेशन क्षमता का 780 एमवीए से 1520 एमवीए में संवर्धन।

स्वास्थ्य

7.273 दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित नेटवर्क के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं:

जिला अस्पताल	:	01 (सिलवासा में स्थित 272 बिस्तरों वाला)
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी एच सी)	:	01 (खानवेल में स्थित 100 बिस्तरों वाला)
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	:	07 (सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 1 चिकित्सा अधिकारी, 1 आयुष चिकित्सक, 3 स्टाफ नर्सों के साथ चौबीसों घंटे कार्य करते हैं)
ग्रामीण चिकित्सालय	:	02
उप–केन्द्र	:	51
सचल चिकित्सा इकाई	:	01

7.274 आपातकालीन चिकित्सा सेवा (ग्रामीण क्षेत्रों में 15 मिनट तथा शहरी क्षेत्रों में 10 मिनट के भीतर) उपलब्ध कराई जा रही है।

7.275 रजोधर्म संबंधी स्वच्छता के लिए सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जा रहे हैं।

7.276 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं:

(i) परिवार कल्याण कार्यक्रम

(ii) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (टीकाकरण)

(iii) राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम (राज्य तपेदिक नियंत्रण सोसायटी)

(iv) राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम (जिला कुष्ठ सोसायटी)

(v) संस्थागत प्रसूति

7.277 श्री विनोबा भावे सिविल अस्पताल, सिलवासा का टेलीमेडिसिन विभाग, नानावती अस्पताल, मुम्बई, टाटा मेमोरियल अस्तपाल, मुम्बई और संजय गांधी पोस्ट ग्रैजुएट इंस्टीट्यूट, लखनऊ के साथ सुपर स्पेशलियटी परामर्श करता है। वर्ष 2014–15 (31.12.2014 तक) के दौरान 349 परामर्श–सत्र आयोजित किए गए।

7.278 सीएचसी खानवेल का 100 बिस्तरों वाले उप–जिला अस्पताल में स्तरोन्नयन किए जाने का कार्य किया जा रहा है।

7.279 "बालिका बचाओ" योजना के अंतर्गत, 497 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं (31.12.2014 तक), जिसमें भारतीय जीवन बीमा की प्रॉफिट प्लस पॉलिसी में लाभार्थी के खाते में 41,799 रु. की धनराशि जमा कराई जाती है।

7.280 मातृ समृद्धि योजना के अंतर्गत, 906 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं (31.12.2014 तक), जिसमें प्रत्येक लाभार्थी के खाते में 5,000 रु. की धनराशि जमा कराई जाती है।

7.281 जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जे एस एस के) आरंभ किया गया है जिसमें सभी गर्भवती महिलाओं को प्रसव की सुविधा प्रदान करने के लिए घर से अस्पताल ले जाने और वहां से वापस लाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाती हैं। जेएसएसके के अंतर्गत पहली सवारी भी आरंभ की गई है, जिसमें माताएं और नवजात शिशु आने और जाने की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। इसके अंतर्गत 58,498 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं, जिनमें से 23,789 नवजात शिशु हैं (31.12.2014 तक)।

7.282 राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम–विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत, वर्ष 2014–15 में (दिनांक 31.12.2014 तक) आंगनवाड़ी बच्चों तथा 302 स्कूलों के 44,772 छात्रों के स्वास्थ्य की जांच की गई है।

7.283 जिला पूर्व पहल केन्द्र (डी ई आई सी) में 57 बच्चों ने फिजियोथेरेपी, 25 बच्चों ने विशेष शिक्षा तथा 24 बच्चों ने स्पीच थेरेपी में नामांकन कराया है।

7.284 वॉकहार्ट हास्पिटल के सहयोग से श्री विनोबा भावे सिविल अस्पताल, सिलवासा में सुपर स्पेशलियटी सेवाएं शुरु की गईं हैं।

7.285 एक नया मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड के अंतर्गत स्थापित किया जा रहा है जिसके लिए ट्रांसैक्शन एडवाइजर की नियुक्ति की गई है और समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

7.286 दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में सिकल सेल एनीमिया परियोजना शुरु हो गई है। कुल 52,680 व्यक्तियों की जांच की गई है और 4,023 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं (दिनांक 31.12.2014 तक)।

7.287 राष्ट्रीय वृद्ध जन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम, राष्ट्रीय बहरापन निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, सीवीडी और हृदयाघात निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रगति पर

7.288 10–19 वर्ष आयु–समूह की लड़कियों के बीच पोषाहार संबंधी एनीमिया की समस्या को कम करने के लिए युवा वर्ग को साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड अनुपूरकः कक्षा 6 से 12 तक के स्कूल जाने वाले बच्चे विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत तथा विद्यालय से बाहर कम आयु की लड़कियां आंगनवाड़ी केन्द्र के दायरे में शामिल हैं।

7.289 सीएचसी खानवेल में पोषाहार पुनर्वास केन्द्र (एनआरसी) की स्थापनाः सीएचसी खानवेल में एक एनआरसी स्थापित किया जा रहा है जहां कुपोषण के शिकार बच्चों को दाखिला दिया जाएगा तथा उनकी गहन देखभाल की जाएगी। पोषाहार संबंधी मुद्दों तथा बच्चों के खान–पान के बारे में माताओं को भी सलाह दी जाएगी।

सड़क और पुल

7.290 संघ राज्य क्षेत्र में सड़क नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण और स्तरोन्नयन के लिए प्रशासन द्वारा निम्नलिखित प्रमुख परियोजनाएं आरंभ की गई हैं:

(i) 2 लेन की सड़कों (रांधा, सिली, मोरखल, किलवानी और खानवेल – रूदाना) को चौड़ा करने का कार्य 17.53 करोड़ रु. की लागत से पूरा किया गया है।

(ii) मसत से रखोली पुल तक 3.60 किमी. राज्य राजमार्ग सड़क को चौड़ा करने (छह लेन) का कार्य 4.25 करोड़ रु. की लागत से पूरा किया गया हे।

(iii) रखोली–सायली सड़क (2.00 किमी.) तथा मंडोनी सड़क (2.60 किमी.) को 1.5 लेन से 2 लेन में चौड़ा/परिवर्तित करने का कार्य विभाग द्वारा पूरा किया गया है। पॉलिटेक्निक परिसर के लिए 1.00 किमी. की अंदरुनी पहुंच सड़क को चौड़ा करने का कार्य पूरा किया गया है।

(iv) मोरखल एवं करचोंद पुलों का कार्य 10 करोड़ रु. की लागत से पूरा किया गया है।

मोरखल पुल

मोरखल पुल तक पहुंच सड़क

भवन

7.291 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने वर्ष 2014–15 के दौरान निम्नलिखित प्रमुख निर्माण कार्य आरंभ कराए हैं:

(i) दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर दूध घर का निर्माण।

(ii) विभिन्न विभागों के लिए टाइप– ।।। क्वार्टरों का निर्माण।

(iii) दुधानी, खानवेल, झंडा चौक और तोकारखादा में उच्च विद्यालय भवन का निर्माण।

(iv) दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर लड़कियों के छात्रावासों का निर्माण।

(v) लेखा निदेशालय/पी.ए.ओ., दादरा एवं नगर हवेली के लिए कार्यालय भवन का निर्माण।

(vi) अथल में परिवहन भवन का निर्माण (इसके जनवरी, 2015 तक पूरा हो जाने की संभावना है)।

(vii) सिलवासा में विनोबा भावे सिविल अस्पताल के लिए टाइप– ।।। रिहाइशी क्वार्टरों (ब्लॉक– ।।) का निर्माण।

(viii) विनोबा भावे सिविल अस्पताल सिलवासा में नर्सिंग कॉलेज का निर्माण।

(ix) सिलवासा में कला केन्द्र का निर्माण।

(x) सिलवासा में जिला सचिवालय का निर्माण।

सिंचाई

7.292 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं को आरंभ किया हैः

(i) मोटा–रांधा पर कोलक नदी के ऊपर चेक डैम–सह–सेतु पथ का निर्माण [90% कार्य पूरा हो गया है तथा जनवरी, 2015 के अंत तक इसके पूरा हो जाने की संभावना है]।

(ii) सिंचाई–सह–जल संरक्षण तथा भूजल रिचार्जिंग के लिए 48 चेक डैमों का निर्माण।

(iii) समूचे संघ राज्य क्षेत्र के लिए संग्रहण, पृथक्करण और शोधन की वैज्ञानिक प्रणाली हेतु 14.50 करोड़ रु. की लागत से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य सौंपा गया।

जल आपूर्ति एवं मलजल–निकासी

7.293 272.95 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से दादरा एवं नगर हवेली के ग्रामीण क्षेत्र के लिए एकीकृत जल प्रबंधन योजना की एक प्रमुख परियोजना पर पहले से कार्रवाई की जा रही है।

7.294 दुधानी और मंडोने पटेलाड को जलापूर्ति उपलब्ध करने (1+1=2 एमएलडी) की परियोजना पर कार्रवाई की जा रही है।

7.295 दुधानी में दमणगंगा जलाशय पर बिल्धारी, गुंसा, कौंचा और जमालपाड़ा के लिए जलापूर्ति योजना उपलब्ध कराने (0.8 एमएलडी) की एक अन्य योजना पर भी कार्रवाई की जा रही है।

दुधानी और मंडोनी पटेलाड के लिए जलापूर्ति परियोजना उपलब्ध कराना

वन एवं पर्यावरण संरक्षण

7.296 संरक्षित वन क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 40% है।

7.297 नए पौधारोपण करने तथा पुराने पेड़ों के अनुरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए सामाजिक एवं कृषि वानिकी क्रियान्वित की जाती है। वर्ष 2014–15 के दौरान, नए पौधारोपण के दायरे में 200 हेक्टेयर निम्नीकृत वन क्षेत्र को लाया गया था। पुराने पौधारोपण के अनुरक्षण की योजना के अंतर्गत, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन 630 हेक्टेयर पुराने पौधारोपण का अनुरक्षण कर रहा है।

7.298 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और सीमान्त किसानों को 5 लाख पौधों का निःशुल्क संवितरण किया गया।

7.299 वर्ष 2014–15 के दौरन वानस्पतिक/नक्षत्र वन उद्यान चरण–।। आरंभ किया गया है।

7.300 सरंक्षित वन क्षेत्र में 6 चेक डैमों का कार्य पूरा किया गया है।

7.301 वन को बचाने तथा वन पर निर्भरता/दबाव को कम करने के लिए आरसीसी खंभों और प्रेशर कुकरों के निःशुल्क वितरण का कार्य आरंभ किया गया है। इसमें 1 लाख रु. से कम की वार्षिक आय वाले परिवारों को 12 आरसीसी खंभे तथा एक प्रेशर कुकर के संवितरण की परिकल्पना की गई है। इस योजना से कुल मिलाकर 10,000 परिवार लाभान्वित होंगे।

पर्यटन

7.302 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने अनेक पर्यटन संबंधी आर्कषण को विकसित किया है जिनमें उद्यान, टूरिस्ट रिसार्ट, लॉयन सफारी और एडवेंचर स्पोर्ट्स गतिविधियां शामिल हैं:

(i) दुधानी में रिवर फ्रंट का विकास।

(ii) दमण गंगा नदी पर रिवर फ्रंट का विकास (चरण–।, ।।, ।।।, केबल पर आधारित पुल तथा पुल पर प्रकाश व्यवस्था)।

(iii) कन्वेंशन केन्द्र/ऑडिटोरियम सिलवासा।

(iv) वनगंगा गार्डेन, दादरा में सिग्नेचर ब्रिज।

(v) वनगंगा गार्डेन, दादरा में संगीतमय फौव्वारा।

(vi) रांधा में ग्रामीण पर्यटन का विकास।

(vii) दुधानी और वाघचौड़ा में फ्लोटिंग जेट्टी।

7.303 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने दुधानी में आदिवासियों को नई नौकाएं खरीदने के लिए जीवन रक्षक जैकेटें और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक नई योजना आरंभ की है। इसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) जीवन रक्षक जैकेट और जीवन रक्षक रिंग उपलब्ध कराना: प्रत्येक नौका के लिए 2 जीवन रक्षक रिंगों सहित 8 जीवन रक्षक जैकेटों का प्रापण।

(ii) फाइबर नौकाओं की खरीद के लिए वित्तीय सहायता– दुधानी पंचायत के किसी भी आदिवासी, जो पर्यटन के उद्देश्य से नौकाएं चलाने का इच्छुक हो, को नौका की लागत के 75% अथवा 60,000 रु., इनमें से जो भी कम हो, की वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी।

सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

7.304 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:

(i) एकीकृत बाल विकास योजना (219 आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा 49 लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से)।

(ii) वृद्ध–जन, निःशक्त जन, विधवाओं के लिए पेंशन योजनाएं: (लगभग 10,000 लाभार्थी)।

(iii) 60% से अधिक अंक लाने वाली लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति।

(iv) अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम (लगभग 19,000 बच्चे एवं 3,500 गर्भवती माताएं/स्तनपान कराने वाली माताएं)।

(v) महिला–गृह।

(vi) किशोरों के लिए मॉडल गृह।

(vii) वरिष्ठ नागरिक आवास।

(viii) परीक्षा–पूर्व कोचिंग क्लास।

(ix) वरिष्ठ नागरिकों के लिए डे केयर सेंटर।

(x) निर्धनता–रोधी उपाय के तौर पर ग्रामीण और शहरी निर्धन व्यक्तियों के लिए आवास का प्रावधान। इसमें शौचालय की सुविधा सहित मकान के निर्माण हेतु 1,50,000 रु. (3 किस्तों में) का अनुदान शामिल है। यह सुविधा उस व्यक्ति को उपलब्ध होगी जो संघ राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भूखंड का स्वामी है तथा जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय 1,00,000 रु. से कम है।

(xi) स्वच्छ आंगन योजनाः खुले में शौच करने को हतोत्साहित करने के लिए मकान के स्वामी को, जिसकी वार्षिक परिवारिक आय 1,00,000 रु. से कम है, शौचालय के निर्माण हेतु इस योजना के अंतर्गत 20,000 रु. का अनुदान दिया जाता है।

श्रम कल्याण

7.305 उद्योग, लोक–निर्माण, परिवहन सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे बड़ी संख्या में लोगों को देखते हुए, मजदूरों और उनके परिवारों के हित की रक्षा को समुचित प्राथमिकता दी जाती है।

शिक्षा

7.306 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) पीपीपी आधार पर इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज आरंभ करने का प्रस्ताव।

(ii) उड़ान, सर्वोत्तम, सरस्वती विद्या योजना और ज्ञान गौरव योजनाओं का कार्यान्वयन।

(iii) ईआरएनईटी, इंडिया के साथ विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी) अवसंरचना उपलब्ध कराना।

(iv) संघ राज्य क्षेत्र खेलकूद नीति तैयार करना।

(v) खेलकूद परिसर का विकास (40,000 की क्षमता)

(vi) संघ राज्य क्षेत्र के अंदरुनी भाग में दुधानी में एक नया अंग्रेजी माध्यम का प्राथमिक विद्यालय खोला गया है।

(vii) दुधानी पटेलाड में आदर्श ग्राम परियोजना के अंतर्गत संपूर्ण स्मार्ट विद्यालय का कार्यान्वयन किया जाएगा।

(viii) गुणवत्तापरक शिक्षा में सुधार के लिए 30 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में प्रथम परियोजना कार्यान्वित की गई है।

7.307 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने 'सरस्वती विद्या योजना' नामक एक नई योजना आरंभ की है। इसकी शर्तें वही हैं, जो इसी अध्याय में इससे पहले उल्लिखित दमण एवं दीव प्रशासन द्वारा इसी शीर्षक के अंतर्गत शुरु की गई योजना की हैं।

7.308 दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार की राष्ट्रीय–ई–शासन योजना के अंतर्गत विभिन्न ई–शासन परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। इसमें एक उल्लेखनीय कदम यह है कि सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा क्षेत्र के निवासियों को समय पर सेवाएं प्रदान किया जाना सुगम बनाया गया है। इस पहल को "समय सुधिनी सेवा" का नाम दिया गया है जिसमें प्रशासन एक निर्धारित समय–सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करने की गारंटी देता है।

7.309 इस सेवा के लिए प्राप्त हुए सभी आवेदनों को एनआईसी द्वारा तैयार किए गए केन्द्रीकृत सॉफ्टवेयर के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रुप में ग्रहण किया जाएगा तथा इसकी निगरानी विभिन्न स्तरों पर की जाएगी। यदि किसी नागरिक को निर्धारित समय–सीमा के भीतर उक्त सेवा का लाभ नहीं मिल पाता है, तो उसे इस मामले को अगले वरिष्ठ अधिकारी के साथ उठाने का अधिकार होगा। सेवाएं प्रदान न करने पर संबंधित सरकारी कर्मचारियों पर प्रशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। समय सुधिनी सेवा के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं की निगरानी के लिए सेवा–स्तर और शिकायत–निराकरण तंत्र संबंधी संगत सरकारी आदेश जारी किए जाते हैं। प्रशासक एनआईसी द्वारा विकसित ऑनलाइन व्यवस्था के जरिए सेवा सुपुर्दगी की क्षमता की निगरानी करते हैं तथा संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकें करके इनकी आवधिक समीक्षा करते हैं।

7.310 समय सुधिनी सेवा के अब तक तीन चरण आरंभ किए जा चुके हैं। इन चरणों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) दस विभागों की 31 सेवाओं के साथ दिनांक 07.05.2013 को चरण–I आरंभ हुआ।

(ii) 13 विभागों की 31 सेवाओं के साथ जुलाई 2013 में चरण–II आरंभ हुआ।

(iii) 22 विभागों की 144 सेवाओं के साथ दिनांक 13 जून, 2014 को चरण–III आरंभ हुआ।

सरल सेवा केन्द्र

7.311 सरल सेवा केन्द्र सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के संबंध में एकल सेवा प्रदायगी बिन्दु हैं। नागरिक सरल सेवा केन्द्र से सरकारी सेवाओं तक सीधे पहुंच सकते हैं। चरण–I के अंतर्गत प्रस्तावित 15 सरल सेवा केन्द्रों में से, 05 केन्द्रों ने दादरा एवं नगर हवेली के निम्नलिखित स्थानों पर सफलतापूर्वक कार्य करना आरंभ कर दिया है:

(i) नरोली समूह ग्राम पंचायत, सिलवासा।

(ii) दादरा समूह ग्राम पंचायत, सिलवासा।

(iii) रखोली समूह ग्राम पंचायत, सिलवासा।

(iv) दापाड़ा समूह ग्राम पंचायत, सिलवासा।

(v) खानवेल समूह ग्राम पंचायत, सिलवासा।

केन्द्र पर लाइव संघ राज्य क्षेत्र–विशेष जी 2 सी सेवाएं

7.312 सरल सेवा केन्द्र निम्नलिखित सेवाएं प्रदान कर रहे हैं/करेंगे:

(i) बिजली बिल के भुगतान के लिए नकद धनराशि प्राप्त करना।

(ii) नागरिकों को भूमि अभिलेखों की प्रति उपलब्ध कराना।

(iii) मोबाइल रिचार्ज।

(iv) मोबाइल बिल भुगतान।

(v) डाटा कार्ड रिचार्ज।

(vi) डीटीएच रिचार्ज।

(vii) बीमा पॉलिसी प्रीमियम का भुगतान।

(viii) बैंकिंग सुविधाएं।

(ix) रेलवे टिकटों की बुकिंग।

7.313 सचल पशु–चिकित्सालय एवं वेटिनरी एंबुलेंस

(i) दामोदर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की "संकल्प" परियोजना के अंतर्गत मोबाइल डिस्पेंसरी का दान दिया है।

(ii) एमपीएलएडी योजना के अंतर्गत, विभाग ने एक वेटिनरी वैन (एंबुलेंस) खरीदी है जिसका उपयोग लावारिस/गंभीर रुप से घायल जानवरों को एक जगह से दूसरे जगह लाने–ले जाने के लिए किया जाता है। कुल 892 जानवरों का स्थल पर जाकर उपचार किया गया है।

दिनांक 26.02.2014 को खरीदी गई वेटिनरी एंबुलेंस

7.314 एकीकृत डेयरी विकास परियोजना (आई डी डी पी)

(i) वर्ष 2014–15 के दौरान (दिनांक 31.12.2014 तक) सत्रह ग्राम स्तरीय दुग्ध सहकारी सोसायटियों को संगठित किया गया है और अनन्य रुप से 678 महिला लाभार्थी इनका संचालन कर रही हैं।

(ii) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने वर्ष 2014–15 के दौरान सिली, गालोंदा तथा रांधा में तीन दूध घरों का निर्माण किया है।

(iii) दुधारु गाय के वास्तविक क्रय मूल्य के 50% की दर से सब्सिडी उपलब्ध होगी, जो प्रति गाय 24,000 रु. तक सीमित होगी।

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के गरीबी रेखा के नीचे के किसानों के साथ–साथ इन श्रेणियों के छोटे और सीमान्त किसान पात्र हैं।

(ख) दिनांक 31.12.2014 तक 140 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं।

दुधारु गाय के साथ एक महिला लाभार्थी

7.315 लघु कुक्कुट इकाई (लेयर) की स्थापना

(i) जहां डेयरी विकास व्यवहार्य नहीं है वहां कुक्कुट विकास गतिविधियां चलाई जाएंगी।

(ii) पचास लेयर पक्षियों की इकाई – इसकी स्थापना 60,000 रु. की इकाई लागत के साथ की जाएगी।

यूनिट लागत के 50% की दर से सब्सिडी दी जाएगी जो 30,000 रु. प्रति यूनिट तक सीमित होगी। ग्राम लुहारी–नरोली में योजना के अंतर्गत दस लाभार्थी लाभान्वित हो चुके हैं।

कुक्कुट विकास गतिविधि का लाभार्थी

7.316 **कृषि**

(i) ऋण और सब्सिडी आधार पर बीज, उर्वरक, फलों की टहनियां, कृषि सहायक सामग्री, कीटनाशक, पौधा संरक्षण उपकरण आदि जैसी कृषि संबंधी सामग्रियों की आपूर्ति।

(ii) किसानों को सभी प्रकार की फसलों की खेती के लिए नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। किसानों को खेती में नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के बारे में जागरुक और शिक्षित करने के लिए सरकारी फार्म में प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाता है। किसानों को कृषि में प्रौद्योगिकी संबंधी प्रगति के बारे में जानकारी देने तथा शिक्षित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर एक दिवसीय शिविरों का आयोजन भी किया जाता है।

सरकारी कृषि फार्म में नेट हाउस और पॉली हाउस

(iii) किसानों को शंकर सब्जियों के पौधों की आपूर्ति करने के लिए पॉली हाउस, नेट हाउस और हार्डेनिंग यूनिट की स्थापना करके सरकारी कृषि फार्म का आधुनिकीकरण।

7.317 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने कृषि विकास योजना नामक एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसमें निम्नलिखित की परिकल्पना की गई है:

(i) ड्रिप सिंचाई प्रणाली की स्थापना।

(ii) मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण।

(iii) फेरोमैन ट्रैप, स्टिकी ट्रैप आदि

(iv) पॉवर–टिलर, बाड़ और कम्पोस्ट पिट आदि के लिए सहायता।

7.318 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए फार्म तालाब का निर्माण भी करता है जिससे ग्रामीण कृषि क्षेत्र में जल संरक्षण सुनिश्चित हो सके तथा अतिरिक्त फसल का विकास और फसल की उत्पादकता में वृद्धि हो सके।

कानून एवं व्यवस्था

7.319 दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में रही। लोक सभा 2014 के आम चुनाव का आयोजन भी शांतिपूर्वक तरीके से सम्पन्न हुआ।

7.320 संघ राज्य क्षेत्र पुलिस को अवसंरचना एवं जनशक्ति द्वारा सुदृढ़ किया गया है तथा नवीनतम उपकरण, हथियारों और प्रभावी संचार प्रणाली के साथ इसका आधुनिकीकरण किया गया है।

7.321 क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने तथा कानून एवं व्यवस्था तथा आपराधिक घटनाओं पर कड़ी चौकसी बरतने के लिए सिलवासा बस स्टैंड, शहीद चौक, अमली चार रास्ता, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपोजिट, बवीसा फालिया, रखोली चार रास्ता और नरोली चार रास्ता जैसे अनेक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

पुलिस भवन

7.322 पुलिस प्रशिक्षण परिसर सायली में चार टाइप–V क्वार्टरों का निर्माण किया जा रहा है। 65% कार्य पूरा हो गया है तथा फिनिशिंग संबंधी कार्य प्रगति पर है। इसके दिनांक 31.03.2015 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

*****

अध्याय 8

पुलिस बल

भारतीय पुलिस सेवा

8.1.1 भारतीय पुलिस सेवा (आई पी एस) भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत गठित तीन अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, राज्यों और केन्द्र दोनों में पुलिस बलों को वरिष्ठ स्तरीय नेतृत्व प्रदान करते हैं। सेवा का अखिल भारतीय स्वरूप, सेवा के सदस्यों को देश की एकता और अखंडता के समग्र परिप्रेक्ष्य में राज्यों की विशेष समस्याओं को हल करने में विशिष्ट सहायता प्रदान करता है। गृह मंत्रालय भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के संवर्ग को नियंत्रित करने का कार्य करता है और वह संवर्ग संरचना, प्रशिक्षण, संवर्ग के आवंटन, सेवा में स्थायीकरण, पैनल में शामिल करने, प्रतिनियुक्ति, वेतन और भत्ते, अनुशासनात्मक मामलों इत्यादि सहित इस सेवा से संबंधित सभी नीतिगत निर्णयों के लिए जिम्मेवार है।

8.1.2 यह सेवा 25 राज्य संवर्गों/संयुक्त संवर्गों में संगठित की जाती है। संघ सरकार के लिए कोई पृथक संवर्ग नहीं है। प्रत्येक संवर्ग में, अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए एक 'केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व' बनाया गया है। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद, भारत सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से प्रत्येक संवर्ग के ढांचे की संयुक्त रूप से समीक्षा की जाती है। गृह मंत्रालय ने वर्ष 2010 में 23 संवर्गों की संवर्ग संख्या की समीक्षा की थी और एक संवर्ग की समीक्षा वर्ष 2011 में की गई थी।

8.1.3 दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की प्राधिकृत संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है:

क्र.सं.	राज्य/संवर्ग	दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार अधिकारियों की प्राधिकृत संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	258
2.	ए जी एम यू	295
3.	असम–मेघालय	188
4.	बिहार	231
5.	छत्तीसगढ़	103
6.	गुजरात	195
7.	हरियाणा	137
8.	हिमाचल प्रदेश	89
9.	जम्मू एवं कश्मीर	147
10.	झारखंड	135
11.	कर्नाटक	205
12.	केरल	163
13.	मध्य प्रदेश	291

क्र.स.	राज्य/संवर्ग	दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार अधिकारियों की प्राधिकृत संख्या
14.	महाराष्ट्र	302
15.	मणिपुर	89
16.	नागालैण्ड	70
17.	ओडिशा	188
18.	पंजाब	172
19.	राजस्थान	205
20.	सिक्किम	32
21.	तमिलनाडु	263
22.	त्रिपुरा	65
23.	उत्तर प्रदेश	517
24.	उत्तराखंड	69
25.	पश्चिम बंगाल	347
	कुल	**4756**

सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपीएनपीए), हैदराबाद

8.2.1 सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, देश का प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है। इसमें विश्वस्तरीय पुलिस प्रशिक्षण सुविधाएँ हैं। इसको (i) भारतीय पुलिस सेवा में नए भर्ती किए गए अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर भारतीय पुलिस के लिए नेतृत्व करने वाले अधिकारी तैयार करने और (ii) पुलिस संबंधी विषयों पर अध्ययन के लिए अनुसंधान केन्द्र के तौर पर कार्य का दायित्व सौंपा गया है।

बुनियादी पाठ्यक्रम

8.2.2 66 आरआर के प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों (2013 बैच) के लिए दिनांक 23.12.2013 को बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आरंभ हुआ और यह दिनांक 28.08.2015 को समाप्त होगा, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

क्र.सं	प्रशिक्षण कार्यक्रम	अवधि		
1.	अकादमी में चरण–I का प्रशिक्षण	46 सप्ताह	23.12.2013	31.10.2014
2.	अध्ययन सह–सांस्कृतिक दौरा	03 सप्ताह	10.11.2014	29.11.2014
3.	संसदीय अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो (बीपीएसटी) के साथ अटैचमेंट	01 सप्ताह	30.11.2014	06.12.2014
4.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के साथ अटैचमेंट	01 सप्ताह	15.12.2014	20.12.2014
	सेना के साथ अटैचमेंट	01 सप्ताह	22.12.2014	27.12.2014
5.	पुलिस प्रशिक्षण कालेज/राज्यों में व्यावहारिक प्रशिक्षण/संबंधित संवर्गों में जिला व्यावहारिक प्रशिक्षण	28 सप्ताह	29.12.2014	11.07.2015
6.	अकादमी में चरण–II का प्रशिक्षण (02 सप्ताह के विदेशी घटक के प्रशिक्षण सहित)	06 सप्ताह	20.07.2015	28.08.2015

8.2.2.1 इसमें भूटान, नेपाल और मालदीव से 15 प्रशिक्षु अधिकारियों सहित कुल 143 प्रशिक्षु अधिकारी (28 महिला अधिकारियों सहित) शामिल हैं। यह प्रशिक्षण पेशेवर कौशल में क्षमता के निर्माण के लिए इंडोर एवं आउटडोर दोनों श्रेणियों में विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारियों को शामिल करते हुए एकीकृत तरीके से प्रदान किया जाता है। बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की समाप्ति पर वे अकादमी से उत्तीर्ण होकर बाहर निकले। दिनांक 31.10.2014 को हुए दीक्षांत समारोह के दौरान माननीय केंद्रीय गृह मंत्री, श्री राजनाथ सिंह इसके मुख्य अतिथि थे।

श्री राजनाथ सिंह, माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री दिनांक 31.10.2014 को 66 आरआर बैच के दीक्षांत समारोह की समीक्षा करते हुए

इन्डोर प्रशिक्षण

8.2.2.2 इन्डोर प्रशिक्षण में अपराध संबंधी कानून, जांच, मानवाधिकार और अपराध की जांच, लोक व्यवस्था प्रबंधन एवं विधि–विज्ञान जैसी अनुकृत कवायदें शामिल थी। लिंग, बच्चों, उपेक्षित समुदायों, समाज के कमजोर वर्गों और सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित मामलों के बारे में प्रशिक्षुओं को संवेदनशील बनाने के लिए माड्यूल्स संचालित किए गए। उन्हें आदर्श पुलिस स्टेशन में जमीनी स्तर पर पुलिस व्यवस्था का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। परिदृश्य–आधारित एकीकृत परीक्षा प्रणाली के माध्यम से उसका मूल्यांकन भी किया गया।

अपराध के घटना स्थल पर जांच एवं कौशल मापदंड

आउटडोर प्रशिक्षण

8.2.2.3 उन्हें जमीनी कला एवं युक्ति, विस्फोटकों एवं इम्प्रोवाइज्ड विस्फोटक उपकरणों (आईईडी) की हैंडलिंग, पर्वतारोहण (आईटीबीपी, मसूरी के साथ अटैचमेंट के दौरान), यूएसी एवं क्राव मागा, घुड़सवारी, स्कूबा डाइविंग, रीवर राफ्टिंग (आईटीबीपी, ऋषिकेश के साथ अटैचमेंट के दौरान) का आउटडोर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षुओं को आतंकवाद एवं वामपंथी उग्रवाद से मुकाबला करने के तरीके भी सिखाए गए।

जंगल युद्धकौशल एवं युक्ति

रॉक क्लाइम्बिंग (आईटीबीपी अटैचमेंट)

विदेशी कार्यक्रमों में प्रतिनिधित्व

8.2.2.4 दिनांक 12.07.2014 से 15.07.2014 तक सिडनी, आस्ट्रेलिया में यूथ वाई20 2014 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए 66 आरआर के दो अधिकारियों, अर्थात् सुश्री मेरिन जोसफ और सुश्री रूवेदा सलाम का चयन किया गया।

चरण– ।।

8.2.2.5 64 और 65 आर आर (2011 और 2012 बैच) के कुल 114 प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों ने दिनांक 04.08.2014 से 29.08.2014 तक अकादमी में संचालित चार सप्ताह की अवधि वाले चरण– ।। के प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस व्यवहारों के प्रति एक्सपोजर के लिए चरण– ।। के प्रशिक्षण के दौरान 01 सप्ताह की अवधि के विदेशी घटक से संबंधित प्रशिक्षण को पहली बार इसमें शामिल किया गया। 65 आर आर के प्रशिक्षु अधिकारियों (107) ने क्रमशः दिनांक 18.08.2014 से 22.08.2014 तक और 25.08.2014 से 29.08.2014 तक 02 समूहों में सिंगापुर में विदेशी घटक से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त किया।

65 आरआर के प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों (107) ने सिंगापुर पुलिस बल (एसपीएफ) में पहली बार चरण– ।। विदेशी घटक से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त किया।

सीनियर पाठ्यक्रम

8.2.3 कुल 843 प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा, वन्य जीव अपराध का पता लगाने, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, विधि (फॉरेंसिक) विज्ञान में नई खोज, महिलाओं के विरुद्ध अपराध की जांच, मानवाधिकार एवं पुलिस जैसे विभिन्न विषयों पर 07 संगोष्ठियों सहित 26 सेवाकालीन पाठ्यक्रमों में भाग लिया।

8.2.3.1 साइबर अपराध के पाठयक्रमों में इंटरनेट आधारित अपराध की जांच एवं मुक्त स्रोत आसूचना और साइबर अपराध की जांच से लेकर न्यायिक अधिकारियों के लिए डिजिटल साक्ष्य एवं मोबाइल फोन फॉरेंसिक जैसे विषय शामिल हैं।

8.2.3.2 यूएनओडीसी (मादक पदार्थों एवं अपराध संबंधी संयुक्त राष्ट्र कार्यालय) ने जुलाई, 2014 में 'ग्लोबल लीगल फ्रेमवर्क अगेन्स्ट टेररिज्म एंड रेलीवैंट क्रिमनल जस्टिस रिस्पांस मेज़र्स' पर एक 05 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला का संचालन किया।

8.2.3.3 आईपीएस अधिकारियों की पुनर्मिलन संगोष्ठियों में बड़ी संख्या में 1989 बैच (25 वर्ष), 1984 बैच (30 वर्ष), 1999 बैच (35 वर्ष) और 1964 बैच (50 वर्ष) के अधिकारियों ने भाग लिया।

विशेष युक्ति पाठयक्रम

8.2.4 राज्य पुलिस/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के 191 पुलिस अधिकारियों को सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में और उत्तराखंड (दिनांक 28.07.2014 से 02.08.2014 तक), उत्तर प्रदेश (04.08.2014 से 09.08.2014 तक) के राज्यों में तथा पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, शिलांग (मेघालय) (दिनांक 01.09.2014 से 13.09.2014 तक) में 'विशेष युक्ति' में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसमें इम्प्रोवाइज्ड विस्फोटक उपकरणों (आईईडी), धमाका–पश्चात क्रियाप्रणाली एवं युक्ति पर विशेष बल दिया गया।

आईपीएस अधिकारियों के लिए मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम

8.2.5 भारतीय पुलिस (वेतन), नियम, 2007 में यह निर्धारित किया गया है कि आईपीएस अधिकारियों को चरण– ।।। की समाप्ति के पश्चात कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में नियुक्त किया जाएगा और चरण–IV मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमसीटीपी) की समाप्ति के पश्चात इन अधिकारियों को द्वितीय सुपर टाइम वेतनमान (पुलिस महानिरीक्षक रैंक) में नियुक्त किया जाएगा। 28 वर्ष की सेवा के पश्चात अगली वार्षिक वेतन–वृद्धि प्राप्त करने के लिए चरण–V को पूरा करना अनिवार्य है।

8.2.5.1 मध्य सेवाकालीन कार्यक्रम के संचालन के लिए अनुमोदित योजना निम्नानुसार है :–

क्र.सं	चरण	अवधि	प्रोन्नति के लिए प्रशिक्षण	सेवा के वर्ष
1.	चरण III	06 सप्ताह (04 सप्ताह भारत में और 02 सप्ताह विदेश में)	पुलिस अधीक्षक से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड तक	7 से 9 वर्ष की सेवा, वर्ष 2000 बैच और उसके बाद के बैच के लिए अनिवार्य।
2.	चरण IV	06 सप्ताह (04 सप्ताह भारत में और 02 सप्ताह विदेश में)	पुलिस उप महानिरीक्षक से पुलिस महानिरीक्षक तक	14 से 16 वर्ष की सेवा, वर्ष 1991 बैच और उसके बाद के बैच के लिए अनिवार्य।
3.	चरण V	04 सप्ताह (02 सप्ताह भारत में और 02 सप्ताह विदेश में)	28 वर्ष की सेवा पूरी करने पर वार्षिक वेतन–वृद्धि प्राप्त करने के लिए	24 से 26 वर्ष की सेवा, वर्ष 1981 बैच और उसके बाद के बैच के लिए अनिवार्य।

8.2.5.2 वर्ष 2014 के दौरान संचालित एमसीटीपी का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

क्र.सं	चरण	संचालनकर्ता विश्वविद्यालय / संस्थानों के नाम	अवधि	भागीदारों की संख्या
1.	चरण III	इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद के सहयोग से चार्ल्स स्टुअर्ट युनिवर्सिटी, आस्ट्रेलिया	06 सप्ताह (04.09.2014 से 01.10.2014 तक एसवीपी एनपीए में 04 सप्ताह और 06.10.2014 से 17.10.2014 तक आस्ट्रेलिया में 02 सप्ताह)	81
2.	चरण IV	अंतिम रूप दिया जा रहा है		
3.	चरण V	अंतर्राष्ट्रीय पुलिस प्रमुख संघ (आईएसीपी), यूएसए द्वारा संचालित एसवीपी एनपीए एंकर्ड स्टडी टूर	04 सप्ताह (14.07.2014 से 25.07.2014 तक एसवीपी एनपीए में 02 सप्ताह) और (28.07.2014 से 08.08.2014 तक यूएसए में 02 सप्ताह)	76

एमसीटीपी चरण–III आईपीएस अधिकारियों ने चार्ल्स स्टुअर्ट युनिवर्सिटी, आस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित 02 सप्ताह के स्टडी टूर में भाग लिया।

इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस (आईएसीपी), यूएसए द्वारा आयोजित आईपीएस अधिकारियों के 02 सप्ताह के स्टडी टूर के लिए एमसीटीपी चरण–V

8.2.6 **अकादमी में महत्वपूर्ण कार्यक्रम**

(i) युगांडा सरकार ने अपनी पुलिस के लिए एक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की स्थापना में सहायता के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी से अनुरोध किया है और इसके लिए अकादमी ने अपनी सहमति जताई है। यह मामला विदेश मंत्रालय में विचाराधीन है।

(ii) निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी ने दिनांक 28.07.2014 को रिसर्च काउंसिल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पुलिसिंग एंड सिक्योरिटी, ब्रिसबेन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपीएनपीए) तथा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पुलिसिंग एंड सिक्योरिटी (सीईपीएस) के बीच उनके पारस्परिक हितों के आदान–प्रदान तथा समानता के आधार पर पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा के क्षेत्र में शिक्षण एवं अभ्यास में सहयोग तथा अंतर्राष्ट्रीय सूझ–बूझ को बढ़ावा देना है।

(iii) सुश्री डायना नेल्सन, उप उच्चायुक्त, आस्ट्रेलिया ने दिनांक 01.10.2014 को एमसीटीपी चरण–III के विदाई समारोह के दौरान सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का दौरा किया।

(iv) आईएसबी के डीन, प्रो. अजीत रंगनेकर ने दिनांक 14.07.2014 को एमसीटीपी चरण–V का उदघाटन किया।

(v) माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रमुख, श्री भास्कर प्रमाणिक ने दिनांक 25.07.2014 को एमसीटीपी चरण–V को संबोधित किया।

(vi) श्री गोपालकृष्ण गांधी, पूर्व राज्यपाल, पश्चिम बंगाल ने दिनांक 30.10.2014 को ''जय हिंद! भारतीय स्वाभिमान की कहानी'' नामक विषय पर 29वां सरदार वल्लभभाई पटेल मेमोरियल भाषण दिया।

श्री गोपालकृष्ण गांधी, मेमोरियल भाषण देते हुए

पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी (नेपा), शिलांग

8.3.1 पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी (नेपा) –जो कि अकेला और एकमात्र क्षेत्रीय पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है, की स्थापना भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय के अधीन की गई थी। इसकी स्थापना वर्ष 1978 में की गई थी और यह मेघालय के री–भोई जिले के अंदर गांव उमसाव में स्थित है। शुरु में नेपा का गठन पूर्वोत्तर परिषद की एक परियोजना के रूप में किया गया था। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग के बनाए जाने के पश्चात, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी सहित पूर्वोत्तर परिषद को इस नए विभाग (अब

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय) के अंदर लाया गया। वर्ष 2007 में, नेपा को पेशेवर सूचनाओं के लिए पुनः गृह मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया। नीतिगत निर्णय तैयार करने के लिए अकादमी का एक परामर्शी बोर्ड है, जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय गृह सचिव हैं।

नेपा का प्रशासनिक भवन

8.3.2 नेपा का उद्देश्य भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्यों के सीधी भर्ती वाले उप पुलिस अधीक्षकों एवं उप निरीक्षकों के लिए बुनियादी पाठ्यक्रमों और सभी राज्यों के पुलिस अधिकारियों के लिए संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं सहित सेवा–कालीन पाठ्यक्रमों का संचालन करना है।

8.3.3 नेपा में 47 परियोजनाओं के लिए दिनांक 24.07.2011 को 82.13 करोड़ रू. के परिव्यय के साथ एक संशोधित प्लान स्कीम अनुमोदित की गई थी। इनमें से 8 कार्य (7 कार्य के.लो.नि.वि. द्वारा निर्माण कार्यों से संबंधित हैं ओर 1 कार्य वाहन की खरीद से संबंधित है) दिनांक 31.10.2014 तक पूरे किए जा चुके हैं। निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य पूरे किये जा चुके हैं:– (i) स्विमिंग पूल, (ii) इंडोर खेल परिसर, (iii) प्रशिक्षण खण्ड, (iv) आवासीय क्वार्टर, (v) व्यावसायिक दुकानें, (vi) शॉपिंग कॉम्पलेक्स, (vii) सभागार।

नेपा–स्विमिंग पूल

नेपा–इंडोर खेल परिसर

नेपा–प्रशिक्षण खण्ड

नेपा–आवासीय क्वार्टर

नेपा–व्यावसायिक दुकानें

नेपा–शॉपिंग कॉम्पलेक्स

नेपा–सभागार

8.3.4 नेपा बड़ी संख्या में सेवाकालीन पाठ्यक्रमों का संचालन करती है। इनमें से कुछ, विशेषकर पूर्वोत्तर के राज्यों और सामान्य रूप से भारत के अन्य राज्यों के पुलिस अधिकारियों की आवश्यकताओं के अनुरूप महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम निम्नलिखित हैं:–

1. सूचना का अधिकार पर कार्यशाला (03.03.2014 से 07.03.2014)
2. विभागीय जांच (23.09.2014 से 27.09.2014)
3. आपदा प्रबंधन (20.01.2014 से 25.01.2014 और 10.11.2014 से 15.11.2014)
4. स्वापक पदार्थ प्रवर्तन (25.02.2014 से 28.02.2014)
5. पुलिस–मीडिया संबंध पर कार्यशाला (11.02.2014 से 14.02.2014)
6. विस्फोटक एवं बम निष्क्रिय करना (08.09.2014 से (20.09.2014)
7. आपराधिक मामलों की वैज्ञानिक जांच (10.11.2014 से 19.11.2014)
8. विद्रोह रोधी एवं जंगल युद्धकला (06.01.2014 से 01.02.2014 एवं 30.06.2014 से 27.07.2014)
9. नई पदोन्नति प्राप्त पुलिस उपाधीक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (03.03.2014 से 29.03.2014)
10. आसूचना के संग्रह एवं पूछताछ संबंधी तकनीकों पर कार्यशाला (19.05.2014 से 31.05.2014)
11. सीसीटीएनएस/एथिकल हैकिंग/साइबर अपराध/साइबर फॉरेंसिक आदि पर कंप्यूटर पाठ्यक्रम (10.02.2014 से 07.03.2014, 24.03.2014 से 19.04.2014, 25.05.2014 से 07.06.2014, 07.07.2014 से 02.08.2014, 25.08.2014 से 20.09.2014 एवं 20.10.2014 से 15.11.2014)

जनवरी, 2014 के आपदा प्रबंधन पाठ्यक्रम के सहभागियों का समूह फोटोग्राफ

8.3.5 वर्ष 2014 में, नेपा ने पुलिस उपाधीक्षकों एवं उप निरीक्षकों के रैंक के 169 प्रशिक्षुओं के साथ 40वें बुनियादी पाठ्यक्रम का संचालन किया है। ये सभी प्रशिक्षु अधिकारी नेपा से उत्तीर्ण होकर 20.12.2014 को निकल गए हैं। इसके अतिरिक्त, 31.12.2014 तक 38 सेवाकालीन पाठ्यक्रम/कार्यशालाएं/संगोष्ठियां संचालित की जा चुकी हैं। वर्ष 2014 के दौरान अकादमी ने बुनियादी तथा सेवाकालीन पाठ्यक्रमों में 1125 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। अगले बैच के लिए बुनियादी पाठ्यक्रम अर्थात् 41वें बुनियादी पाठ्यक्रम की शुरूआत मध्य जनवरी, 2015 में होगी।

8.3.6 नेपा बोर्ड की बैठक के संबंध में दिनांक 29.01.2008 को नेपा के दौरे के दौरान, तत्कालीन केन्द्रीय गृह सचिव ने नेपा को उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में तैयार करने हेतु योजना बनाने का निर्देश दिया था। तदनुसार, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के अधिकारियों के एक दल ने, जिन्हें इस उद्देश्य के लिए कार्य सौंपे गए थे, सरकार के समक्ष उपयुक्त सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए 17 से 20 मार्च, 2008 तक नेपा का अध्ययन किया।

8.3.7 नेपा को ''उत्कृष्ट केन्द्र'' के रूप में परिवर्तित करने हेतु विभिन्न अंतरालों पर गठित समितियों की अनेक सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है। नेपा की स्थापना से आज की तिथि तक नियमित योजनाओं द्वारा सुसंरचित तरीके से इस अकादमी को आगे बढ़ाया गया है। नेपा को 'उत्कृष्ट केन्द्र' के रूप में परिवर्तित करने की दिशा में अभी काफी कार्य किया जाना शेष है। 12वीं पंचवर्षीय योजनावधि के लिए, 334.00 करोड़ रु. की राशि (राजस्व शीर्षः 134.00 करोड़ रु. और पूंजीगत शीर्षः 150.00 करोड़ रु.) निर्धारित की गई है। पूंजीगत शीर्ष में से निम्नानुसार व्यय किए जाने का प्रस्ताव हैः

चालू/नई परियोजनाओं से संबंधित निर्माण कार्य	:	139.50 करोड़ रू.
वाहनों की खरीद	:	3.00 करोड़ रू.
मशीनरी/उपकरण की खरीद	:	7.50 करोड़ रू.

8.3.8 आईआईटी, गुवाहाटी द्वारा चालू ईएफसी परियोजनाओं के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, निम्नलिखित निर्माण परियोजनाओं के संचालन का प्रस्ताव हैः–

1. 60 बिस्तरों वाला प्रशिक्षु अधिकारी मेस।
2. 20 बिस्तरों वाला वरिष्ठ अधिकारी मेस।
3. 120 बिस्तरों वाला महिला कैडेट मेस।
4. 30 बिस्तरों वाला अधीनस्थ अधिकारी मेस।
5. सेवाकालीन पाठ्यक्रम के प्रशिक्षुओं के लिए 120 बिस्तरों वाला हॉस्टल।
6. 38 आवासीय क्वार्टर।
7. ड्रिल हॉल।
8. 20 घोड़ों के लिए अस्तबल।
9. सुरक्षा कर्मियों के लिए 100 बिस्तरों वाला बैरक।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ)

8.4 गृह मंत्रालय के अधीन पांच केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल अर्थात् सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.), भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आई.टी.बी.पी.), सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी.) तथा राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एन.एस.जी.) हैं। एक केन्द्रीय अर्धसैनिक बल (सीएपीएफ), नामतः असम राइफल्स (ए.आर.) भी गृह मंत्रालय के अधीन है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी) गृह मंत्रालय के अधीन एक कमांडो बल है जिसको विशेष अभियानों के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इनमें से, असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस और सशस्त्र सीमा बल, 'सीमा रक्षक बल' हैं, जबकि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को लोक व्यवस्था बनाए रखने, आंतरिक सुरक्षा एवं विद्रोह–रोधी मामलों में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधीन सिविल

प्रशासन की सहायता हेतु तैनात किया जाता है। त्वरित कार्रवाई बल (आर ए एफ) और दृढ़ता से कार्रवाई करने के लिए कमांडो बटालियन (कोबरा) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के विशिष्ट विंग हैं, जो क्रमशः दंगों और वामपंथी उग्रवाद/विद्रोह से निपटते हैं। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), हवाई अड्डों, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, अंतरिक्ष संगठनों, औद्योगिक इकाइयों, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संग्रहालयों तथा दिल्ली में स्थित सरकारी भवनों एवं अन्य महत्वपूर्ण संवेदनशील संगठनों सहित राष्ट्रीय/रणनीतिक महत्व वाले महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गारद आतंकवाद का मुकाबला करने और विमान अपहरण–रोधी अभियानों के लिए प्रशिक्षित एक विशेषज्ञता प्राप्त प्रहार बल है। इसे अधिक जोखिम वाले विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा का कार्य भी सौंपा जाता है। यह घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की सुरक्षा के लिए स्काई मार्शल के रूप में भी कार्य करता है।

असम राइफल्स (ए.आर.)

8.5.1 'पूर्वोत्तर के लोगों के मित्र' के रूप में लोकप्रिय असम राइफल्स का गठन सन 1835 ई. में 'काचरलेवी' के रूप में किया गया था और यह भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। यह रक्षा मंत्रालय के परिचालनात्मक नियंत्रण तथा गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इसे 1,631 किमी. लंबी भारत–म्यांमार सीमा की रक्षा करने तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में आंतरिक सुरक्षा बहाल रखने की दोहरी भूमिका का अधिदेश प्राप्त है। इस बल में 1 महानिदेशालय, 3 महानिरीक्षक कार्यालय, 12 सेक्टर मुख्यालय, 46 बटालियनें, एक प्रशिक्षण केन्द्र एवं अन्य संबंधित घटक शामिल हैं और इसके कार्मिकों की कुल संख्या 65,902 है।

अभियान संबंधी उपलब्धियां

8.5.2 दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2014 तक उग्रवाद के विरुद्ध अपनी लड़ाई में, असम राइफल्स की उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:–

(क)	मारे गए उग्रवादी	.	28
(ख)	गिरफ्तार उग्रवादी	.	712
(ग)	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	.	119
(घ)	गिरफ्तार किए गए हथियार के डीलर	.	78
(ङ)	गिरफ्तार किए गए मादक पदार्थ तस्कर	.	54
(च)	गिरफ्तार किए गए म्यांमार के नागरिक	.	29
(छ)	बरामद हथियार	.	737
(ज)	बरामद गोला बारूद	.	17167
(झ)	बरामद विस्फोटक	.	63645
(ञ)	बरामद प्रतिबंधित सामग्री	.	3947.886 कि.ग्रा.
(त)	बरामद स्वापक पदार्थ/मादक पदार्थ	.	159077
(थ)	बरामद अवैध शराब	.	92005 बोतलें
(द)	बरामद किए गए चींटीखोर (पैंगोलिन) की शेल	.	12.800 किग्रा.
(ध)	बरामद जहरीली छिपकलियां	.	03
(न)	बरामद किए गए बाघ के दांत	.	18
(ट)	विदेशी मुद्रा सहित बरामद मुद्रा	.	86,90,111 रु.

नागरिक कार्य संबंधी परियोजनाएं

8.5.3 देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल, असम राइफल्स पिछले काफी दशकों से पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोहियों से सफलतापूर्वक मुकाबला कर रही है। एक सुरक्षित एवं शांत वातावरण प्रदान करने के अतिरिक्त, यह बल स्थानीय युवाओं को रचनात्मक कार्यों में शामिल करने के मौलिक उद्देश्य के साथ और इस प्रकार उन्हें विद्रोह के चंगुल से दूर रखकर और स्वतंत्र, आत्मनिर्भर एवं सम्मानजनक जीवन जीने के लायक बनाकर, नागरिक संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा क्षेत्र के निवासियों को राहत प्रदान करने के लिए भी जाना जाता है। असम राइफल्स पूर्वोत्तर के समग्र विकास के लिए कार्यरत है ताकि देश का यह सुदूर क्षेत्र न केवल देश के साथ स्वयं को

जोड़ सके, बल्कि शांत वातावरण वाले शांतिप्रद क्षेत्र के अपने पुराने आकर्षण को पुनः प्राप्त कर सके। इन परियोजनाओं का स्थानीय आबादी पर गहरा प्रभाव पड़ता है और इनसे सार्थक सामाजिक–आर्थिक विकास हासिल करने में सुरक्षा बलों के मानवीय रूप के प्रदर्शन के द्वारा वातावरण में व्यापक बदलाव आया है, स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद मिली है, उग्रवाद के खतरे के विरुद्ध जनता के बीच जागरूकता हुई है और इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में स्थानीय आबादी

कुटुम ग्राम, अरुणाचल प्रदेश में चिकित्सा शिविर

मणिपुर के गांवों में सोलर लाइटों का वितरण

8.5.4 असम राइफल्स द्वारा बाढ़ के दौरान राहत कार्यः सितम्बर, 2014 में मेघालय में बाढ़ के दौरान, असम राइफल्स महानिदेशालय ने अपने कार्मिकों की ओर से स्वेच्छा से दान किए गए कंबलों, कपड़ों एवं जूतों सहित आवश्यक राहत सामग्री प्रदान करने संबंधी कार्य का सक्रिय रूप से संचालन किया। बाढ़ पीड़ितों को अपेक्षित सहायता एवं अति आवश्यक राहत प्रदान करने के लिए बाढ़ से तबाह हो चुके मेघालय के तुरा जिले में अत्यंत शीघ्रता से राहत सामग्री के साथ एक दस्ता रवाना किया गया। यह दस्ता 28 सितम्बर, 2014 को तुरा जिला पहुंचा और राहत शिविरों में पहुंचने वाले शुरूआती राहत दस्तों में से एक था। इस दस्ते के द्वारा फूलबारी एवं चिबनियांग के राहत शिविरों में स्थानीय लोगों के बीच खाद्य सामग्रियों के 200 पैकेट, कपड़े और अत्यावश्यक 400 कंबल बांटे गए जिसकी स्थानीय लोगों, राज्य आपदा राहत संगठन और जिला प्रशासन द्वारा काफी सराहना की गई।

असम राइफल्स का बाढ़ राहत दल तुरा, मेघालय में राहत सामग्री बांटते हुए

खेलकूद

8.5.5 असम राइफल्स की फुटबाल, घुड़सवारी, मुक्केबाजी, जूडो, कराटे, तीरंदाजी, मार्शल आर्ट्स (किक बॉक्सिंग एवं वुशू) और क्रास कन्ट्री सहित विभिन्न विधाओं में खेल के दल हैं। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित, 35वीं सीनियर (रीकर्व एंड कम्पाउंड) और 22वीं सीनियर (भारतीय राउंड) तीरंदाजी प्रतियोगिता में असम राइफल्स के दल ने भारतीय श्रेणी में दो स्वर्ण एवं दो रजत पदक हासिल किए।

8.5.6 **घुड़सवारी**

(क) असम राइफल्स के लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम नेहरा ने दिनांक 15.11.2014 से 18.11.2014 तक दिल्ली में आयोजित एफईआई वर्ल्ड चैलेंज जम्पिंग एसीटी ए, बी, सी–2014 के वर्ग–ख में भाग लिया और रजत पदक जीता।

(ख) दिनांक 27.11.2014 से मेरठ में आयोजित मेरठ अश्व प्रदर्शनी में असम राइफल्स की टीम पांच रजत एवं पांच कांस्य पदकों के साथ संपूर्ण रूप से तीसरे स्थान पर रही। इसमें मेजर एन.एस. कृष्णा ने सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार (अन्य आर्म्स) की ट्राफी जीती।

विदेश में तैनाती

8.5.7 असम राइफल्स की एक टुकड़ी (कन्टिनजेंट) दिनांक 12.06.2010 से हेती में युनाइटेड नेशन्स स्टेबिलाइजेशन मिशन (एमआईएनयूएसटीएएच) में तैनात है। वर्तमान में दिनांक 18.07.2014 से 10 अधिकारियों, 16 जूनियर कमीशन्ड अधिकारियों एवं 114 अन्य रैंकों के अधिकारियों के साथ 5वीं टुकड़ी तैनात की गई है। इस मिशन की शुरूआत से ही असम राइफल्स की टुकड़ी अभियान संबंधी विभिन्न कार्यों, सुरक्षा संबंधी कर्तव्यों में अनुकरणीय भूमिका निभा रही है और हेती की राष्ट्रीय पुलिस (एचएनपी) को सहायता प्रदान कर रही है तथा रक्तदान शिविरों एवं चिकित्सा शिविरों आदि जैसी विभिन्न मानवीय परियोजनाओं का भी संचालन कर रही है। इन उत्कृष्ट सेवाओं के समानस्वरूप इस टुकड़ी की अनेक बार सराहना एवं प्रशंसा की गई है।

सीमा सुरक्षा बल (बी. एस. एफ.)

8.6.1 बी एस एफ का गठन 25 बटालियनों तथा 3 कंपनियों के साथ वर्ष 1965 में किया गया था। इसके साथ ही पड़ोसी देशों के साथ भारतीय सीमाओं की रक्षा करने वाले राज्य बलों की बहुलता की प्रणाली समाप्त हो गई। कालान्तर में, बल के आकार में वृद्धि हुई है, इस समय इसकी 179 बटालियनें, 3 एन डी आर एफ बटालियनें, 5 प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान, 11 सहायक प्रशिक्षण केन्द्र और 3 छोटे प्रशिक्षण संस्थान हैं। बल का मुख्यालय दिल्ली में है। इसकी फील्ड रचना में 2 विशेष महानिदेशालय अर्थात् विशेष महानिदेशालय (पूर्वी कमान) और विशेष महानिदेशालय (पश्चिमी कमान), 13 फ्रंटियर्स और 46 सेक्टर मुख्यालय (01 सेक्टर मुख्यालय का गठन किया जा रहा है), वाटर विंग और एअर विंग एवं अन्य सहायक इकाइयां हैं। दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार बी एस एफ की कुल संस्वीकृत पद संख्या 2,52,059 है।

8.6.2 इसकी ऑपरेशनल जिम्मेदारी पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ लगी अन्तरराष्ट्रीय सीमा में 6,386.36 किमी. तक फैली हुई है। इसे सेना के ऑपरेशनल नियंत्रण में जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर भी तैनात किया जाता है।

8.6.3 दिनांक 01.01.2014 से 31.12.2014 तक की अवधि के दौरान आतंकवाद के विरुद्ध अपनी लड़ाई में, बी एस एफ ने 03 आतंकवादियों/नक्सलियों को मार गिराया, 373 आतंकवादियों/नक्सलियों को गिरफ्तार किया, 136 आतंकवादियों/नक्सलियों का आत्म समर्पण करवाया और इसके अतिरिक्त, इस बल ने 395 हथियारों, विविध असलों के 6,189 कारतूसों, 14 ग्रेनेडों, 115 आई ई डी और 330.25 कि.ग्रा. विस्फोटकों की जब्ती की कार्रवाई की। सीमा पार से अपराध की रोकथाम के अपने सतत प्रयासों से, बी एस एफ ने अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर 1951.70 करोड़ रुपए की वर्जित सामग्रियां जब्त कीं, 4,843 घुसपैठियों/भगोड़ों को गिरफ्तार किया तथा 26 तस्करों को मार गिराया। इस अवधि के दौरान अभियानों में बी एस एफ के 10 कार्मिक शहीद हो गए और 131 कार्मिक घायल हुए।

8.6.4 वर्ष 2014 (31.12.2014 तक) के दौरान बल के सदस्यों को निम्नलिखित शौर्य एवं अन्य पदक प्रदान किए गए:–

(क)	वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक	01
(ख)	वीरता के लिए पुलिस पदक	06
(ग)	उल्लेखनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक	06
(घ)	सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक	46

विदेश में तैनाती

8.6.5 सीमा सुरक्षा बल की दो गठित पुलिस इकाइयां (एफपीयू) हैं जो युनाइटेड नेशन्स स्टेबिलाइजेशन मिशन, हेती और युनाइटेड नेशन्स स्टेबिलाइजेशन मिशन, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य में निम्नानुसार तैनात हैं:–

(i) हेती में युनाइटेड नेशन्स स्टेबिलाइजेशन मिशन

सीमा सुरक्षा बल की गठित पुलिस इकाई को हेती में युनाइटेड नेशन्स स्टेबिलाइजेशन मिशन (एमआईएनयूएसटीएएच) दिनांक 15.12.2010 से तैनात किया गया है। वर्तमान में 09 अधिकारियों, 12 अधीनस्थ अधिकारियों एवं 119 अन्य रैंकों के कुल 140 कार्मिकों वाली चौथी टुकड़ी शांति प्रक्रिया में हेती की राष्ट्रीय पुलिस को सहायता प्रदान कर रही है। वैश्विक शांति प्रक्रिया के संचालन में संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश को सुनिश्चित

करने के लिए सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियां अनुकरणीय तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हैं।

(ii) कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य में युनाइटेड नेशन्स स्टेबिलाइजेशन मिशन

सीमा सुरक्षा बल की गठित इकाई को कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य में यूनाइटेड नेशन्स स्टेबिलाइजेशन मिशन (एमओएनयूएससीओ) में दिनांक 28.11.2005 से तैनात किया गया है। 07 अधिकारियों, 07 अधीनस्थ अधिकारियों एवं 121 अन्य रैंकों के कुल 135 कार्मिकों वाली 9वीं टुकड़ी कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक शांति प्रक्रिया को पूरा करने में अपना योगदान दे रही है। संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश को सुनिश्चित करने हेतु अपने सभी कर्तव्य क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियां अनुकरणीय तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हैं।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.)

8.7.1 वर्ष 1969 में गठित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 313 इकाइयों को सुरक्षा कवर प्रदान कर रहा है जिनमें 59 घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और 91 औद्योगिक इकाइयों को अग्नि–सुरक्षा कवर भी शामिल हैं। चार दशकों की अवधि में, बल की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है और दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार इसमें कार्मिकों की संस्वीकृत पद संख्या 1,41,342 है। अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के साथ, सी आई एस एफ अब सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम केंद्रित संगठन नहीं रह गया है। बल्कि यह देश का एक प्रमुख बहु–कौशल सम्पन्न सुरक्षा एजेन्सी बन गया है, जिसे आतंकवाद एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों सहित विभिन्न प्रदेशों में देश की मुख्य संवेदनशील आधारभूत संस्थापनाओं को सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है। सीआईएसएफ वर्तमान में 313 इकाइयों को सुरक्षा कवर प्रदान कर रहा है। जिनमें परमाणु ऊर्जा संयंत्र, अन्तरिक्ष संस्थापनाएँ, रक्षा उत्पादन इकाइयाँ, खानें, आयल फील्ड और रिफाइनरी, प्रमुख बंदरगाह, भारी इंजीनियरिंग, स्टील संयत्र, उर्वरक इकाइयाँ, हवाई अड्डे, जलविद्युत/थर्मल विद्युत संयंत्र, संवेदनशील सरकारी भवन तथा विरासती स्मारक (ताजमहल एवं लाल किला सहित) और निजी क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण इकाइयाँ शामिल हैं। वर्ष 2014 में, सीआईएसएफ को कोलडम पनबिजली परियोजना, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश (अग्नि विंग), बरौनी थर्मल पॉवर स्टेशन, बिहार, वल्लूर थर्मल पावर परियोजना, तमिलनाडु (अग्नि विंग), मेजा उर्जा निगम (पी) लि., इलाहाबाद (उ.प्र.); भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ), नई दिल्ली, मुन्द्रा पानीपत पाइपलाइन (एमआरपीएल) और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) मुन्द्रा, गुजरात (अग्नि विंग) में तैनात किया गया है

8.7.2 सीआईएसएफ ने इस अवधि के दौरान आंतरिक सुरक्षा और चुनाव की ड्यूटी में क्रमशः 45 एवं 421 कंपनियों को तैनात किया।

8.7.3 सी आई एस एफ देश में सबसे बड़े अग्नि संरक्षण सेवा प्रदाताओं में से भी एक है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के 91 उपक्रमों को अग्निशमन और अग्नि–संरक्षण कवर प्रदान करता है। वर्ष 2014 (31.12.2014 तक) में आग लगने से संबंधित कुल 3,197 घटनाओं की कॉल पर (जिनमें आग की 30 बड़ी घटनाएं शामिल हैं) कार्रवाई की गई और कुल 77.76 करोड़ रु. की संपत्ति को बचाया गया।

8.7.4 इंडियन एयरलाइंस के विमान सं. आई सी–814 का अपहरण करके कंधार ले जाने की घटना के बाद हवाई अड्डों की सुरक्षा का विशिष्ट कार्य वर्ष 2000 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंपा गया था। इस बल को तभी से संपूर्ण देश में 59 हवाई अड्डों पर तैनात किया गया है, जिनमें सभी प्रमुख हवाई अड्डे, यथा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलूरु शामिल हैं। इनमें सबसे अंत में दिनांक 01.03.2012 को दीव हवाई अड्डे को शामिल किया गया है। सी आई एस एफ, नई दिल्ली में 36 संवदेनशील सरकारी भवनों की सुरक्षा भी करती है। विशेष सुरक्षा ग्रुप (एस एस जी) नामक सी आई एस एफ का वी आई पी सुरक्षा विंग वी वी आई पी/वी आई पी को सुरक्षा प्रदान करता है। वर्तमान में देश के विभिन्न राज्यों में 43 वी वी आई पी/वी आई पी को विभिन्न श्रेणियों में सी आई एस एफ/एस एस जी द्वारा सुरक्षा कवर प्रदान किया जा रहा है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सरकारी और निजी क्षेत्र में उद्योगों को सुरक्षा और अग्निशमन से संबंधित तकनीकी परामर्शी सेवाएं प्रदान करता है। सी आई एस एफ अधिनियम में संशोधन किया गया था ताकि यह बल देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण निजी/संयुक्त उद्यम वाले औद्योगिक उपक्रमों को भुगतान के आधार पर सुरक्षा प्रदान कर सके।

8.7.5 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को 4,869 कार्मिकों के साथ दिनांक 15.04.2007 को दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डी एम आर सी) की सेवा में लगाया गया था। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 136 मेट्रो स्टेशनों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इसके दैनिक यात्रियों की संख्या लगभग 26 लाख है।

8.7.6 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की एक टुकड़ी दिनांक 17.10.2008 से हेती में युनाइटेड नेशन्स स्टेबिलाइजेशन मिशन (एमआईएनयूएसटीएएच) में तैनात है। इस समय वहां, 8 अधिकारियों, 20 जूनियर कमीशन्ड अधिकारियों तथा अन्य रैंक के 122 अधिकारियों के साथ 7वीं टुकड़ी दिनांक 15.01.2015 से तैनात है। वर्तमान में, सीआईएसएफ की टुकड़ी को हेती के राष्ट्रपति के आवास को सुरक्षा उपलब्ध कराने का प्रतिष्ठापूर्ण कार्य सौंपा गया है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल प्रचालन संबंधी कार्यों, स्थिर सुरक्षा संबंधी ड्यूटी, स्थानीय पुलिस को सहायता प्रदान करने तथा रक्तदान शिविर, चिकित्सा शिविर आदि जैसी विभिन्न मानवीय परियोजनाओं के संचालन में काफी अच्छा कार्य कर

रहा है। इसकी उत्कृष्ट सेवाओं के सम्मानस्वरूप, इस टुकड़ी की कई बार प्रशंसा एवं सराहना की गई है।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.)

8.8.1 शुरु में दिनांक 27.07.1939 को 'क्राउन रिप्रेजेन्टेटिव पुलिस' के नाम से नीमच, मध्य प्रदेश में गठित किए गए इस बल का नाम स्वतंत्रता के बाद बदलकर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी आर पी एफ) कर दिया गया था। तब से, बल की संख्या और क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्तमान में इसकी स्वीकृत क्षमता 231 बटालियनों की है तथा इसके पास 41 ग्रुप सेन्टर, 20 प्रशिक्षण संस्थान (15 विद्यमान+5 गठन के अधीन अर्थात् 3 आरटीरसी), 1 विद्रोह एवं आतंकवाद–रोधी (सीआईएटी) स्कूल और 1 विद्रोह–रोधी एवं जंगल युद्धकला प्रशिक्षण केन्द्र (सीएसजेडब्ल्यूटी) 7 शस्त्र कार्यशालायें तथा 3 केन्द्रीय शस्त्रागार भी हैं। इस बल में, नई दिल्ली में स्थित बल मुख्यालय/महानिदेशालय के अलावा, 3 स्पेशल डी जी जोन, 1 ए डी जी जोन, 20 आई जी सेक्टर और 02 आईजी ऑपरेशन सेक्टर और 36 डीआईजी रेंज, 07 ऑपरेशन रेंज के रुप में सीनियर कमांड/पर्यवेक्षकीय संघटन भी हैं। सीआरपीएफ देश का सबसे बड़ा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल बन गया है। यह बल लोक व्यवस्था बनाए रखने में राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की सहायता करने और उग्रवादी समूहों की विध्वंसात्मक गतिविधियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस बल की महिला टुकड़ी भी है, जो तीन महिला बटालियनों और 10 आर ए एफ बटालियनों में से प्रत्येक में 96 की संख्या वाली 10 महिला टुकड़ियों में संघटित है। दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार इस बल की संख्या 3,03,535 है।

8.8.2 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिक लगातार चौकसी बरत रहे हैं और देश के विभिन्न हिस्सों में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की ड्यूटी तथा विद्रोह–रोधी एवं नक्सल–रोधी कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं। यह बल लोक व्यवस्था कायम रखने और आतंकवादी समूहों की विध्वंसात्मक गतिविधियों को रोकने में राज्य सरकार एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों एवं भवनों की चौकसी भी करते हैं, जिनमें जम्मू में माता वैष्णो देवी धार्मिक परिसर और रघुनाथ मंदिर, अयोध्या में राम जन्म भूमि/बाबरी मस्जिद; वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर/ज्ञानवापी मस्जिद; मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि तथा शाही ईदगाह मस्जिद और संसद भवन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को 49 वर्गीकृत वी आई पी व्यक्तियों के लिए वी आई पी सुरक्षा की ड्यूटी भी सौंपी गई है।

8.8.3 दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2014 की अवधि के दौरान विद्रोह–रोधी मोर्चे पर सी आर पी एफ की अभियान संबंधी प्रमुख उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:–

i.	मारे गए माओवादी/आतंकवादी	66
ii.	गिरफ्तार किए गए माओवादी / आतंकवादी	1087
iii.	आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी/आतंकवादी	908
iv.	बरामद किए गए हथियार	707
v.	बरामद किए गए कारतूस	15199
vi.	बरामद किए गए विस्फोटक	1416.490 किग्रा.
vii.	बरामद किए गए हथगोले	196
viii.	बरामद किए गए बम	287
ix.	बरामद किए गए रॉकेट	10
x.	बरामद किए गए आई ई डी	371
xi.	बरामद किए गए डेटोनेटर	6248
xii.	बरामद किए गए जिलेटिन स्टिक	2820
xiii.	बरामद की गई नगदी	2,47,88,465 रु.
xiv.	बरामद किए गए स्वापक पदार्थ (कि.ग्रा. में)	4816.48 किग्रा.

8.8.4 बल में व्यापक पैमाने पर ई–गवर्नेंस पहल के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी की शुरुआत करने के उद्देश्य से एक आदर्श कम्प्यूटरीकरण योजना की परिकल्पना की गयी थी। इसमें महानिदेशालय से लेकर ग्रुप सेंटर तक बल की 'ऑनलाइन' कार्य प्रणाली की परिकल्पना की गयी है। सभी कार्यालयी कार्यों के पूर्ण स्वचालन के लिए एक एकीकृत अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर ''सेलो'' (सर्विस एवं लॉयल्टी) विकसित करवाया गया है। इस सॉफ्टवेयर में बल के निम्नलिखित कार्य तथा महानिदेशालय से लेकर ग्रुप सेंटर तक सभी स्तर के कार्य शामिल हैं:–

(i)	पर्सनेल इन्फॉर्मेशन मॉड्यूल
(ii)	इन्वेंट्री मॉड्यूल
(iii)	फाइनेन्स मॉड्यूल
(iv)	ऑपरेशन्स मॉड्यूल
(v)	पे मॉड्यूल
(vi)	मेल/मैनेजमेंट
(vii)	दस्तावेज प्रबंध प्रणाली
(viii)	वर्क फ्लो एप्लीकेशन

8.8.4.1 केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए एक आईसीटी रोडमैप तैयार करने की गृह मंत्रालय की योजना के अनुरूप, बेहतर दक्षता एवं प्रभावकारिता के लिए समस्त आईटी संसाधनों का उन्नयन करने एवं उसे अद्यतन बनाने की प्रक्रिया चल रही है।

8.8.4.2 सेलो प्रणाली में वेतन/सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) के ब्यौरे, सीआरपीएफ के रिस्क फंड पासबुक योजना के ऑटोमेशन के अतिरिक्त प्रशासन के साथ–साथ क्षेत्र में तैनात अंतिम व्यक्ति के कल्याण से संबंधित सूचना के प्रसारण के लिए एसएमएस गेटवे के साथ एकीकरण जैसी सुविधाओं को भी शामिल किया गया है।

सी.आर.पी.एफ. में त्वरित कार्रवाई बल (आर.ए.एफ.)

8.8.5 वर्ष 1992 में, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 10 बटालियनों का पुनर्गठन किया गया था और इन्हें त्वरित कार्रवाई बल (आरएएफ) की 4–4 कम्पनियों वाली 10 बटालियनों में परिवर्तित किया गया था। आर ए एफ के कार्मिकों को साम्प्रदायिक दंगों या इसी प्रकार की स्थितियों से निपटने के लिए एक प्रभावी मारक बल बनाने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जाता है। ये बटालियनें देश में साम्प्रदायिक दृष्टि से 10 संवेदनशील स्थानों पर अवस्थित हैं, ताकि इस प्रकार की कोई भी घटना होने पर ये तुरंत कार्रवाई कर सकें। इन सभी बटालियनों को स्वतंत्र पद्धति से संगठित किया गया है और ये एक महानिरीक्षक के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य कर रही हैं।

8.8.6 सी आर पी एफ की ये आर ए एफ बटालियनें निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं:–

राज्य	स्थान	यूनिट
तेलंगाना	रंगारेड्डी	99 आर ए एफ
गुजरात	अहमदाबाद	100 आर ए एफ
उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	101 आर ए एफ
महाराष्ट्र	तलोजा (नवी मुंबई)	102 आर ए एफ
दिल्ली	वजीराबाद (दिल्ली)	103 आर ए एफ
उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	104 आर ए एफ
तमिलनाडु	कोयम्बटूर	105 आर ए एफ
झारखंड	जमशेदपुर	106 आर ए एफ
मध्य प्रदेश	भोपाल	107 आर ए एफ
उत्तर प्रदेश	मेरठ	108 आर ए एफ

8.8.7 आर ए एफ की कंपनियां विभिन्न उत्सवों और साम्प्रदायिक दंगों आदि के दौरान, कानून एवं व्यवस्था संबंधी ड्यूटी का निर्वाह करने और शांति बनाए रखने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोध पर अल्प–आवधिक आधार पर तैनात की जाती हैं।

8.8.8 वर्ष 2014–15 के दौरान, आर ए एफ की कंपनियों को कानून एवं व्यवस्था संबंधी उनकी नियमित ड्यूटी के लिए तैनात किए जाने के अलावा, उनकी तैनाती निम्नानुसार की गई थी:–

क) आंध्र प्रदेश में तेलंगाना आंदोलन के संबंध में।

ख) दिल्ली में विरोध रैलियों के संबंध में।

ग) झाझा, जमुई (बिहार) में साम्प्रदायिक दंगे के संबंध में।

घ) कुडनकुलम, त्रिवेनवेली (तमिलनाडु) में परमाणु ऊर्जा परियोजना संयंत्र में।

ङ) फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) में 84 कोसी परिक्रमा के संबंध में।

च) मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) में साम्प्रदायिक हिंसा के संबंध में।

छ) सबरीमाला (केरल) में अयप्पा पूजा के संबंध में।

ज) अहमदाबाद (गुजरात) में रथ यात्रा उत्सव के लिए।

झ) भुवनेश्वर (ओडिशा) में रथ यात्रा उत्सव के लिए।

ञ) रोहतास एवं सासाराम (बिहार) में साम्प्रदायिक दंगे के संबंध में।

ट) देवघर (झारखंड) और हरिद्वार (उत्तराखंड) में कांवड़ मेला के संबंध में।

सी.आर.पी.एफ. में दृढ़तापूर्वक कार्रवाई करने के लिए कमांडो बटालियनें (कोबरा)

8.8.9 वर्ष 2008 में, सरकार ने सी आर पी एफ में कोबरा नामक एक विशेषज्ञता प्राप्त बल की 10 बटालियनें गठित करने

का अनुमोदन दिया था। ये बटालियनें कमांडो अभियानों और गुरिल्ला/जंगल युद्धकला के लिए विशेष रुप से प्रशिक्षित और संसाधनों से लैस हैं और आसूचना पर आधारित शीघ्र कार्रवाई करने में सक्षम हैं। इन बटालियनों को मुख्यतः वामपंथी उग्रवाद (एल डब्ल्यू ई) से प्रभावित क्षेत्रों में रखा जाता है। आर ए एफ की ही तरह, इन बटालियनों का गठन एक महानिरीक्षक के पर्यवेक्षण के अधीन स्वतंत्र पद्धति के रूप में किया गया है। बल के लिए स्थल (स्पॉट) पर ही निर्णय लेना सुकर बनाने के लिए सहायक कमांडेंट रैंक का एक अधिकारी टीम के स्तर पर उपलब्ध कराया गया है (प्रत्येक बटालियन में 18 टीमें हैं) और उप कमांडेंट रैंक का एक अधिकारी कंपनी के स्तर पर उपलब्ध कराया गया है (प्रत्येक बटालियन में 3 कंपनियां हैं)। कोबरा यूनिटों में शामिल किए गए नए कार्मिकों को बेलगाम (कर्नाटक) में स्थित कोबरा जंगल युद्धकला एवं युक्ति स्कूल (सीएसजेडब्ल्यूटी) में 12 सप्ताह का समावेशन–पूर्व विशेषज्ञता वाले प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है।

विदेश में तैनाती

8.8.10 भारत सरकार के निर्णय के अनुसार, दो टुकड़ियों (एक पुरूष एवं एक महिला) को लाइबेरिया में तैनात किया गया है। प्रत्येक टुकड़ी का कार्यकाल एक वर्ष का है। वर्तमान में, अक्तूबर, 2013 और मार्च, 2014 से लाइबेरिया में क्रमशः महिला टुकड़ी के आठवें बैच और पुरूष टुकड़ी के पाचवें बैच को तैनात किया गया है। लाइबेरिया में चुनाव ड्यूटी के कारण पुलिस टुकड़ी के पांचवें बैच की तैनाती की अवधि को सितम्बर, 2014 से बढ़ाकर जनवरी/फरवरी, 2015 तक कर दिया गया है।

भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी)

8.9.1 आईटीबीपी का गठन वर्ष 1962 में चीनी आक्रमण के पश्चात भएक सीमा एक बल के सिद्धांत के अधीन 4 बटालियनों की मामूली संख्या के साथ किया गया था। मूलतः आपूर्ति, संचार एवं आसूचना संग्रहण के मामले में आत्मनिर्भर एक एकीकृत 'गुरिल्ला–सह–आसूचना–सह–लड़ाकू बल की अवधारणा वाला यह बल समय के साथ परंपरागत सीमा प्रहरी बल के रूप में विकसित हो गया। आज आईटीबीपी लद्दाख में कराकोरम दर्रा (पास) से अरुणाचल प्रदेश में जाचेप ला तक हिमालय के साथ–साथ भारत–चीन सीमा के पश्चिमी, मध्यवर्ती एवं पूर्वी क्षेत्र में 9,000 फीट से लेकर 18,750 फीट की ऊंचाई वाले हिस्सों में 3,488 कि.मी. सीमा की रक्षा कर रही है और 157 सीमा चौकियों का संचालन कर रही है। इसके अलावा, आईटीबीपी की टुकड़ियों को छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद–प्रभावित क्षेत्रों में भी तैनात किया गया है। दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार इस बल के पास 05 फ्रंटियर मुख्यालय, 14 सेक्टर मुख्यालय, 56 सर्विस बटालियनें, 04 स्पेशलाइज्ड बटालियनें, 02 आपदा प्रबंधन बटालियनें और 17 प्रशिक्षण केन्द्र हैं और इसकी कुल स्वीकृत कार्मिक संख्या 89,427 है।

8.9.2 वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 (चरण–I) और 2013–15 (चरण–II) के दौरान विभिन्न रैंकों और कैडरों में 31,876 पदों के सृजन के साथ बल के पुनर्गठन के लिए भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल के लिए 13 सर्विस बटालियनें और 07 प्रशिक्षण केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 2011–12 और 2012–13 को कवर करने वाले चरण–I का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। चरण–II का कार्य प्रगति पर है और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष 2014–15 के दौरान 4 बटालियनों और 1 क्षेत्रीय मुख्यालय का गठन कर दिया गया है।

8.9.3 बल के हाल के विस्तार के कारण, प्रशिक्षण के भार में कई गुना वृद्धि हुई है और प्रशिक्षण की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए आई टी बी पी ने मौजूदा 17 नियमित प्रशिक्षण केन्द्रों के अलावा 06 अतिरिक्त प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए हैं।

आपदा प्रबंधन

8.9.4 भारत तिब्बत सीमा पुलिस, हिमालय क्षेत्र में किसी भी आपदा के मामले में पहला प्रतिक्रिया बल है और यह बल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरूणाचल प्रदेश में क्षेत्रीय कार्रवाई केंद्र स्थापित करने वाला पहला पुलिस बल था। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की टुकड़ियों ने अपने दायित्व से जुड़े क्षेत्रों तथा देश के अन्य भागों में सभी प्रकार की आपदा की स्थितियों में कई बचाव एवं राहत अभियान चलाए हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने भानु, हरियाणा में खोजबीन, बचाव एवं आपदा से निपटने की कार्रवाई के प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया है, जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस और अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/राज्य पुलिस बलों के कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। आईटीबीपी की 02 यूनिटों को एनडीआरएफ यूनिटों में परिवर्तित किया गया है और वे ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) और भटिंडा (पंजाब) से अपना कार्य संचालन कर रही हैं।

8.9.5 जनवरी, 2014 से अक्तूबर, 2014 की अवधि के दौरान, आईटीबीपी की टुकड़ी ने 11 राहत एवं बचाव अभियान (उत्तराखंड में 06, पंजाब में 01, हिमाचल प्रदेश में 01, अरुणाचल प्रदेश में 02 और जम्मू एवं कश्मीर में 01) संचालित किए हैं। बचाव अभियानों के दौरान आईटीबीपी ने 15 व्यक्तियों को बचाया और 16 शव बरामद किए।

कैलाश मानसरोवर यात्रा

8.9.6 जनवरी, 2014 से अक्तूबर, 2014 की अवधि के दौरान, कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन 18 जत्थों में किया गया जिसमें 893 यात्रियों ने सफलतापूर्वक यात्रा पूरी की। आईटीबीपी ने तीर्थयात्रियों को चिकित्सा, संचार एवं सुरक्षा कवर प्रदान किया।

कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करते हुए आईटीबीपी कार्मिक

कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की सहायता करती हुई आईटीबीपी

खेलकूद

8.9.7 आईटीबीपी ने इस वर्ष अनेक खेल विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। आईटीबीपी ने 13 स्वर्ण पदक, 11 रजत पदक और 17 कांस्य पदक (कुल 41 पदक) जीते। इन पदकों में से आईटीबीपी के 05 कार्मिकों ने जूडो और कराटे की विधाओं में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 02–स्वर्ण (टीम इवेंट में 01), 01–रजत, 01–कांस्य (कुल–04) पदक जीते।

विदेश में तैनाती

अफगानिस्तान में भारतीय मिशन की समीक्षा

8.9.8 आईटीबीपी कमांडो काबुल में भारतीय दूतावास और हेरात, जलालाबाद, मजार–ए–शरीफ एवं कंधार में स्थित भारतीय कांसुलेट की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। दिनांक 23.05.2014 को, आईटीबीपी के सुरक्षा गार्डों ने कांसुलेट जेनरल, हेरात में फिदायीन हमले को नाकाम कर दिया और भीषण गोलीबारी के बीच कांसुलेट की रक्षा की। आईटीबीपी के जवानों ने 04 फिदायीनों को मार गिराया और मारे गए फिदायीनों से निम्नलिखित हथियार एवं गोलाबारूद बरामद किए:–

ए के. 47 राइफल	01
भरी हुई मैगजीनें	06
आर पी जी शेल	17
उन्नत हथगोले	04

कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य में युनाइटेड नेशन्स स्टेबिलाइजेशन मिशन

8.9.9 आईटीबीपी की गठित पुलिस यूनिट को दिनांक 09.11.2005 से कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य में युनाइटेड नेशन्स स्टेबिलाइजेशन मिशन (एमओएनयूएससीओ) के साथ तैनात किया गया है। 06 अधिकारियों, 11 अधीनस्थ अधिकारियों और 118 अन्य रैंकों वाले कुल 135 कार्मिकों की नौवीं टुकड़ी कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक शांति प्रक्रिया को पूरी कर रही है। अपने सभी कर्तव्य क्षेत्रों में संयक्त राष्ट्र के अधिदेश को सुनिश्चित करने के लिए आईटीबीपी की टुकड़ियां अनुकरणीय तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी)

8.10.1 राष्ट्र–विरोधी तत्वों द्वारा पैदा किए जाने वाले गंभीर खतरों को निष्प्रभावी बनाने की दृष्टि से आतंकवादी गतिविधियों से निपटने हेतु फेडरल कंटिजेंसी डिप्लॉयमेंट फोर्स के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एन एस जी) का गठन वर्ष 1984 में किया गया था। तथापि, 1986 में भारत संघ के सशस्त्र बल के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा गारद का औपचारिक रुप से गठन किया गया था।

8.10.2 राष्ट्रीय सुरक्षा गारद शत–प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कार्मिकों वाला बल है और इसके सभी कार्मिक सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राज्य पुलिस एवं अन्य संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर तैनात किए जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गारद के कमांडो को अत्यन्त जोखिम वाले कार्य, जैसे विमान अपहरण–रोधी एवं आतंकवाद–रोधी अभियान में प्रशिक्षित किया जाता है। उन्हें अत्यधिक खतरे वाले अति विशिष्ट व्यक्तियों को गश्ती सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी सौंपा जाता है।

8.10.3 इस बल का बुनियादी कार्य विशिष्ट स्थितियों में आतंकवादी खतरों से निपटना एवं उनको निष्प्रभावी करना तथा विमान अपहरण–रोधी एवं बंधक बनाए गए व्यक्तियों को छुड़ाने संबंधी अभियान चलाना है। अपनी स्थापना के बाद से एनएसजी ने अब तक कई अभियान चलाए हैं, जिनमें अक्षरधाम मंदिर, गुजरात और नवम्बर, 2008 में आतंकवादी हमले के दौरान मुम्बई स्थित होटल ताज, होटल ओबराय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस में चलाए गए अभियान शामिल हैं। अपने अभियान संबंधी कार्यों के अतिरिक्त, यह बल विशेष कमांडो कार्रवाई, बम निष्क्रिय (बीडी) करने संबंधी तकनीक एवं सशस्त्र बलों, सी ए पी एफ/राज्य

पुलिस एवं मैत्रीपूर्ण पड़ोसी देशों के सुरक्षा बल कार्मिकों को वी आई पी सुरक्षा संबंधी कार्य का प्रशिक्षण प्रदान करता है। दिल्ली में, एन एस जी को किसी भी राष्ट्रीय आकस्मिक घटना से निपटने के लिए नियत स्थानों पर सतर्क रखा जाता है। इन कमांडो को गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस समारोहों जैसे राष्ट्रीय महत्व के अवसरों पर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों तथा राज्यों/सरकार के प्रमुखों के दौरे के समय भी विशेष सुरक्षा कवरेज प्रदान करने के लिए भी तैनात किया जाता है।

एन एस जी के अधीन राष्ट्रीय बम आँकड़ा केंद्र (एनबीडीसी)

8.10.4 एन एस जी का मानेसर, गुड़गांव में राष्ट्रीय बम आंकड़ा केंद्र (एन बी डी सी) है और यह अधिकांशतः राज्य प्राधिकरणों के अनुरोध पर देश के विभिन्न भागों में विस्फोट के बाद की स्थिति का अध्ययन करता है। यह देश में सुरक्षा बलों के प्रयोग के लिए विस्फोटकों और विस्फोटों की घटनाओं का एक डाटा बैंक रखता है। यह केंद्र विश्व के अन्य बम आंकड़ा केंद्रों के साथ नियमित रूप से संपर्क बनाए रखता है। एन बी डी सी प्रत्येक वर्ष एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करता है और विस्फोट से संबंधित विषयों पर 'बमशेल' नामक एक व्यावसायिक पत्रिका प्रकाशित करता है।

एनएसजी क्षेत्रीय हब

8.10.5 सरकार ने किसी भी संकटकालीन स्थिति में त्वरित गति से एनएसजी को तैनात करने की दृष्टि से मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता में एनएसजी के 04 क्षेत्रीय हबों की स्थापना की है। इन हबों को जून/जुलाई, 2009 में चालू किया जा चुका है। सरकार ने इनमें से प्रत्येक क्षेत्रीय हब की कार्मिक संख्या को भी 241 से बढ़ाकर 460 कर दिया है। रीइन्फोर्स्ड क्षेत्रीय हबों की स्थापना के लिए हैदराबाद और कोलकाता में भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। इन स्थानों पर अवसंरचना तैयार करने की मंजूरी दी जा चुकी है।

सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)

8.11.1 वर्ष 1962 में भारत–चीन संघर्ष के पश्चात् विशेष सेवा ब्यूरो का गठन वर्ष1963 के प्रारंभ में सीमापार से विध्वंस, घुसपैठ और तोड़–फोड़ के खतरे के प्रति सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोगों का मनोबल बढ़ाने और उनमें क्षमता का निर्माण करने के लिए मौजूदा सशस्त्र सीमा बल के पूर्ववर्ती बल के रूप में किया गया था। गृह मंत्रालय के अधीन यह बल वर्ष 2001 में सीमा रक्षक बल बन गया और इसके कर्तव्यों के चार्टर में संशोधन करके इसका नाम 'सशस्त्र सीमा बल' रखा गया। इसे भारत–नेपाल तथा भारत–भूटान सीमा पर चौकसी की जिम्मेदारी दी गई है।

8.11.2 दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार, इस बल की कुल स्वीकृत पद संख्या 91,234 है। एसएसबी के कार्मिक विभिन्न स्थानों पर तैनात 67 बटालियनों में कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, अन्य फॉर्मेशन्स, सिविल स्टाफ अवधारणा प्रबंधन के 25 क्षेत्रों में तथा आसूचना के संग्रहण के लिए कार्यरत हैं। एस एस बी की तैनाती 1,751 किमी. लंबे क्षेत्र में भारत–नेपाल सीमा पर और 699 किमी. लंबी भारत–भूटान सीमा पर की गई है। इस बल के 05 फ्रंटियर्स और 15 सेक्टर मुख्यालय हैं। नेपाल और भूटान, दोनों सीमाओं पर जिम्मेवारी का क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय सीमा से 15 किमी. की दूरी तक है।

8.11.3 दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2014 तक की अवधि के दौरान, सशस्त्र सीमा बल द्वारा निम्नलिखित सामग्रियों की जब्ती और गिरफ्तारियां की गईं:

(i)	वर्जित वस्तुएं	23.81 करोड़ रु.
(ii)	नार्कोटिक्स	37.72 करोड़ रु.
(iii)	जाली मुद्रा	04.90 लाख रु.
(iv)	भारतीय मुद्रा	91.24 लाख रु
(v)	नेपाली मुद्रा	34.02 लाख रु
(vi)	भूटानी मुद्रा	00.89 लाख रु
(vii)	जाली नेपाली मुद्रा	00.86 लाख रु
(viii)	विदेशी मुद्रा	18.92 लाख रु
(ix)	चांदी	50.74 लाख रु
(x)	वन उत्पाद	06.01 करोड़ रु.
(xi)	प्राचीन मूर्तियां	25.70 करोड़ रु.
(xii)	सोना	02.88 करोड़ रु.

8.11.4 रिपोर्ट के अधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित हथियार/गोलाबारूद/विस्फोटक सामग्री जब्त की गई:

(i)	हथियार	93
(ii)	कारतूस	2308
(iii)	डेटोनेटर	63
(iv)	मैगजीन	28
(v)	ग्रेनेड	13
(vi)	बम	07
(vii)	विस्फोटक (किग्रा में)	60.409 किग्रा.
(viii)	कॉर्डेक्स (फीट में)	03 फीट
(ix)	सेफ्टी फ्यूज (फीट में)	08 फीट
(x)	सेफ्टी फ्यूज (संख्या में)	46

जब्त किए गए हथियारों के साथ जवान

8.11.5 दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2014 तक की अवधि के दौरान की गई कुल गिरफ्तारियां निम्नानुसार हैं:

i)	तस्कर	1796
ii)	अवैध घुसपैठिये	11
iii)	माओवादी (सीपीआई)	07
iv)	एन डी एफ बी (एस) के संदिग्ध लिंकमैन	28
v)	नक्सली / पीएलएफआई	28
vi)	कश्मीरी	90
vii)	अपहरणकर्ता	01
viii)	अन्य	31

8.11.6 दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2014 की अवधि के दौरान एसएसबी द्वारा निम्नलिखित मानव तस्करों की गिरफ्तारियां की गईं:

उक्त अवधि के दौरान मानव तस्करी के मामले:

(क)	बचाए गए कुल व्यक्ति	26
(ख)	गिरफ्तार किए गए कुल तस्कर	05

8.11.7 वर्ष 2014–15 से 2017–18 तक चार चरणों में गठित किए जाने के लिए मंजूर की गई 21 महिला कम्पनियों के संबंध में, पहली भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है।

सी ए पी एफ में कांस्टेबलों की संशोधित भर्ती योजना

8.12.1 भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष, सक्षम, प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए सी ए पी एफ और असम राइफल्स में कांस्टेबलों की भर्ती योजना को वर्ष 2011–12 से संशोधित किया गया है ताकि भर्ती प्रक्रिया में व्यक्तिपरकता की गुंजाइश को कम किया जा सके तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाया जा सके। सी ए पी एफ और असम राइफल्स (एआर) में कांस्टेबलों की भर्ती की संशोधित भर्ती योजना निम्नानुसार है:–

क) सभी सी ए पी एफ और असम राइफल्स के लिए भर्ती, कर्मचारी चयन आयोग (एस एस सी) के माध्यम से एक एकल संयुक्त परीक्षा आयोजित करके केन्द्रीय स्तर पर की जा रही है। परीक्षार्थियों को टेलीफोन / वेबसाइट / मोबाइल फोन / एस एम एस के माध्यम से आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है।

ख) आवेदन–प्रपत्रों को ओ एम आर (ऑप्टिकल मैगनेटिक रेकगनिशन) शीट में केन्द्रीय स्तर पर तैयार किया जाता है ताकि कम्प्यूटरों के माध्यम से तीव्रता से इनकी संवीक्षा की जा सके। लिखित परीक्षा में ओ एम आर पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहु–विकल्प वाले प्रश्न ही होते हैं।

ग) हिंदीतर भाषी राज्यों में तीन भाषाओं में एवं हिंदी भाषी राज्यों में द्विभाषी रूप में (हिंदी एवं अंग्रेजी में) प्रश्न–पत्र तैयार किए जा रहे हैं।

घ) शारीरिक क्षमता जांच (पी ई टी) अब मात्र अर्हक प्रकृति की होती है और इसमें कोई अंक नहीं दिया जाता। साक्षात्कार को भी समाप्त कर दिया गया है।

ङ) भर्ती प्रक्रिया की तरजीही तौर पर वीडियोग्राफी की जा रही है।

च) भर्ती के सभी चरणों में बायोमीट्रिक प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है।

छ) जम्मू एवं कश्मीर राज्य, पूर्वोत्तर के राज्यों, सीमावर्ती जिलों तथा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के उम्मीदवारों को छोड़कर, जिन्हें ऑन–लाइन या ऑफ–लाइन (डाक द्वारा) आवेदन करने का विकल्प प्राप्त है, सभी आवेदकों से ऑन–लाइन पद्धति के जरिए ही आवेदन–पत्र मंगाए जा रहे हैं।

ज) कर्मचारी चयन आयोग ऑन–लाइन और ऑफ–लाइन पद्धति के माध्यम से लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए इन दोनों पद्धतियों में से किसी एक पद्धति का चयन करने का विकल्प प्राप्त है।

8.12.2 सीमावर्ती और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से, अब रिक्तियों का आबंटन निम्नलिखित ढंग से किया जाता है:–

क) राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के बीच 60% रिक्तियों का आबंटन, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाता है।

ख) सीमा रक्षक बलों (बी जी एफ) (अर्थात् असम राइफल्स, बी एस एफ, आई टी बी पी और एस एस बी) में 20% रिक्तियों का आबंटन उन सीमावर्ती जिलों को किया जाता है जो बल की जिम्मेदारी के अंतर्गत आते हैं।

ग) सीमा रक्षक बलों (बी जी एफ) में 20% रिक्तियां, समय–समय पर सरकार द्वारा यथा अधिसूचित उग्रवाद से प्रभावित जिलों/क्षेत्रों अर्थात जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर के राज्यों और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों को आबंटित की जाती हैं।

घ) बी जी एफ से भिन्न अन्य बलों में, 40% रिक्तियां, समय–समय पर यथा अधिसूचित उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों अर्थात् जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों को आबंटित की जाती हैं।

8.12.3 ऐसे राज्य (राज्यों)/क्षेत्र (क्षेत्रों)/ प्रदेश (प्रदेशों) के संबंध में, जहां कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया की समाप्ति के बाद भी रिक्त पदों की संख्या का बड़ा हिस्सा खाली रह जाता है, गृह मंत्रालय संबंधित बल को भर्ती योजना के अनुसार उस राज्य/क्षेत्र/प्रदेश–विशेष में रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती रैलियाँ चलाने का निदेश देता है। ऐसी विशेष भर्ती रैलियों के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को सामूहिक रूप से उस बल में उस वर्ष–विशेष में कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों से नीचे रखा जाता है।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए विमान सहायता

8.13 गृह मंत्रालय का एयरविंग दिनांक 01 .05.1969 को हताहतों को निकालने के लिए सी ए पी एफ को विमान सहायता उपलब्ध कराने, उच्च स्थानों और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित सीमावर्ती चौकियों के हवाई अनुरक्षण, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में अभियानों में लगी टुकड़ियों को पर्याप्त हवाई सहायता प्रदान करने, कार्रवाई के प्रयोजन से टुकड़ियों को लाने–ले–जाने, प्राकृतिक आपदा और राष्ट्रीय संकट के दौरान सौंपे गए किसी भी कार्य को पूरा करने और सी ए पी एफ कार्मिकों की हवाई कोरियर सेवा के लिए अस्तित्व में आया। इसमें दो विंग शामिल हैं, अर्थात् स्थायी विंग और रोटरी विंग। इन दोनों विंगों का विगत कुछ वर्षों में विस्तार किया गया है और अभी इनका और भी विस्तार किया जा रहा है। वर्तमान में, इसके बेडे में 01 इम्ब्रेयर 135 बीजे एक्जीक्यूटिव जेट, 02 ए वी आर ओ एच एस– 748, 01 सुपर किंग बी–200 एयरक्राफ्ट, 06 एम आई–17 1वी, 06 ए एल एच/ध्रुव एवं 01 चीता हेलिकॉप्टर शामिल हैं।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का आधुनिकीकरण

8.14.1 सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा दिनांक 03.05.2013 को एक आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। यह प्रयास किया गया है कि 'जवान' आधुनिकीकरण के केंद्रबिंदु के रुप में रहें। सामान्य विषय, जो कि दोहराए गए हैं, निम्नलिखित हैं:

क) सुरक्षात्मक उपकरण समाधान

ख) सर्विलांस सॉल्यूशंस

ग) नाइट फाइटिंग डोमिनेंस

घ) बेहतर फायर पावर

ड) गैर–घातक दंगा नियंत्रक उपकरण

च) फूलप्रूफ संचार

छ) रणभूमि प्रबंधन प्रणाली प्रशिक्षण सहायताः विविध उपकरण

8.14.2 आधुनिकीकरण योजना (के.स.पु.बल–वार) के वित्तीय निहितार्थ का सार निम्नलिखित सारणी में दिया गया हैः–

बल का नाम	वित्तीय परिव्यय (करोड़ रू. में)
ए आर	1545.47
बीएसएफ	4570.07
सीआईएसएफ	264.36
सीआरपीएफ	2619.16
आईटीबीपी	686.87
एनएसजी	664.62
एसएसबी	658.64
कुल	**11009.19**

आधुनिकीरण योजना–II की विशेषताएं

8.14.3 आधुनिकीकरण योजना–II में, निम्नलिखित हथियारों और उपकरणों को पेश किया गया हैः–

क) अंडर बैरल ग्रेनेड लांचर (यूबीजीएल), मल्टी ग्रेनेड लांचर (एमपीएल), एंटी मटीरियल राइफल, अल्प घातक हथियार, गन शॉट खोज प्रणाली जैसे हथियार एवं मौजूदा कार्बाइनों और पिस्तौलों को आधुनिक पिस्तौलों, सब मशीन गन एवं असाल्ट राइफलों से बदला जाना।

ख) भू–भेदी रडार प्रणाली, मानव–रहित हवाई वाहन, लक्ष्य प्राप्त करने वाला बाइनॉकुलर, कॉर्नर शॉट्स, हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर, (एचएचटीआई)/थर्मल साइट्स/रात्रि दृश्य उपकरण (एनवीडी), अनअटेंडेड ग्राउंड सेंसर्स, उन्नत चिकित्सा उपकरण आदि जैसे उपकरण।

ग) माइन–सुरक्षित वाहन, बुलेट प्रतिरोधी वाहन/नौका आदि।

घ) जैमर्स एवं इंटरसेप्टर्स सहित संचार उपकरण।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के आधुनिकीकरण पर व्यय

8.14.4 आंतरिक सुरक्षा को कायम रखने और देश की सीमाओं की रक्षा करने में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा निष्पादित की जा रही अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं उच्च जोखिम वाली भूमिका को

ध्यान में रखते हुए, बजट प्रावधानों में उसी के अनुरूप वृद्धि की जाती रही है, जैसा कि निम्नलिखित सारणी में दिए गए विगत 11 वित्तीय वर्षों के वास्तविक व्यय के आंकड़ों में देखा जा सकता है:

वर्ष 2003–04 से 2014–15 (31.12.14 तक) की अवधि के दौरान केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों पर वास्तविक व्यय (करोड़ रु. में)

वर्ष	ए आर	बी एस एफ	सी आई एस एफ	सी आर पी एफ	आई टी बी पी	एन एस जी	एस एस बी	कुल
2003 -2004	929.15	2970.24	982.19	2087.78	468.32	113.81	315.92	7867.41
2004 -2005	1005.64	2635.76	1061.24	2516.96	552.72	128.00	381.84	8282.16
2005 -2006	1314.17	3560.45	1134.07	3228.03	576.25	140.28	381.97	10335.22
2006 -2007	1478.29	3398.85	1225.59	3642.40	707.99	151.19	779.92	1138 4.23
2007 -2008	1541.81	3879.00	1376.23	3911.69	1000.73	163.90	943.70	12817.06
2008 -2009	2016.27	5398.50	2169.28	5557.82	1433.24	210.52	1241.63	18027.26
2009 -2010	1599.02	4472.66	1978.88	5262.33	1134.05	231.70	801.31	15479.95
2010 -2011	2814.79	7366.87	2780.44	8128.10	1862.35	491.77	1630.36	25074.68
2011 -2012	3207.91	8741.67	3382.72	9662.89	2208.09	578.59	2073.08	29854.95
2012 -2013	3359.83	9772.55	3967.95	11040.13	2917.85	541.77	2765.16	34365.24
2013 -2014 #	3651.21	10904.74	4401.49	11903.70	3346.94	536 .70	2979.16	37723.94
2014 -15 *	3140.36	9877.42	3913.18	10778.60	2924.55	395.71	2706.58	33736.40

#पहले अंतिम रूप प्रदान किए गए आंकड़े अनंतिम थे।
*ई–लेखा के अनुसार दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार वास्तविक आंकड़े।

अवसंरचना का विकास

8.14.5 वर्ष 2014–15 में, एसएसबी और एनआईए के 306.395 करोड़ रु. के अवसंरचना संबंधी प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया है। इससे, वर्ष 2013–14 में, 12वीं योजना के दौरान अनुमोदित सीएपीएफ (एआर, बीएसएफ, सीआरपीएफ, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल चिकित्सा विज्ञान संस्थान (सीएपीएफ आईएमएस), एसएसबी एनएसजी, आईबी और एनआईए) के अवसंरचना संबंधी प्रस्तावों की कुल लागत 12,893.505 करोड़ रु. हो गई है।

8.14.6 वर्ष 2014 में, दिनांक 31.12.2014 तक पूंजीगत अवसंरचना पर व्यय की राशि 1,925.52 करोड़ है।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल आवास परियोजना

8.15 वर्ष 2014–15 में, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी के लिए 3090.98 करोड़ रू. की लागत से 13,072 मकानों एवं 113 बैरकों के निर्माण के प्रस्ताव का ईएफसी द्वारा मूल्यांकन किया गया है और अनुमोदनार्थ सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया है।

8.15.1 वर्ष 2014–15 के दौरान नवम्बर, 2014 तक 3,053 मकानों और 33 बैरकों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है।

भत्ते

8.16.1 केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल कार्मिक कतिपय निबंधनों एवं शर्तों के अध्यधीन अनेक भत्ते, जैसे कि, जोखिम एवं कठिनाई भत्ता, डिटैचमेंट भत्ता, विशेष ड्यूटी भत्ता, राशन मनी भत्ता, किट अनुरक्षण भत्ता एवं धुलाई भत्ता प्राप्त करने के हकदार हैं।

8.16.2 केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल कार्मिक, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को देय भत्ते, यथा मकान किराया भत्ता, बाल शिक्षा भत्ता, महंगाई भत्ता, परिवहन भत्ता आदि प्राप्त करने के भी पात्र हैं। तैनाती के स्थान, पात्रता के मानदंडों और ऐसे भत्तों से संबंधित निबंधनों एवं शर्तो के आधार पर दरों तथा भत्तों की पात्रता भिन्न–भिन्न होती है।

कल्याण और पुनर्वास बोर्ड (डब्ल्यू ए आर बी)

8.16.3 सरकार ने ड्यूटी के दौरान घायल होने वाले सीएपीएफ कार्मिक के उपचार के संबंध मे अस्पताल में भर्ती की अवधि को 'ड्यूटी' के रूप में माने जाने के रूप में मंजूरी प्रदान की है।

8.16.4 सी ए पी एफ के कार्मिक आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने और अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करने में मूल्यवान सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। कभी–कभी किसी आतंकवाद– रोधी/माओवादी संघर्ष अथवा किसी अन्य आंतरिक सुरक्षा संबंधी

कार्रवाई में भाग लेने पर उनका कोई अंग–भंग हो जाता है या वे अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान कर देते हैं। इन कटु वास्तविकताओं पर विचार करते हुए, सी ए पी एफ ने सरकार की योजनाओं के अतिरिक्त स्वयं अपनी ही अंशदायी कल्याणकारी योजनाएं शुरु की हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत कल्याण निधि, राहत निधि, बीमा निधि और शिक्षा निधि सृजित की गई है। इन सबके अलावा, सरकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों के कल्याण के लिए प्रत्येक वर्ष पर्याप्त राशि और उनके निकटतम संबंधी (एनओके) के लिए अनुग्रह राहत और परिवार पेंशन मंजूर करती है।

8.16.5 सी ए पी एफ के कार्मिकों के कल्याण और पुनर्वास संबंधी आवश्यकताओं पर विचार करने के लिए एक संस्थागत तंत्र उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 17.05.2007 को एक कल्याण और पुनर्वास बोर्ड (डब्ल्यू ए आर बी) भी स्थापित किया गया था। डब्ल्यू ए आर बी का प्रारंभिक कार्य पद पर रहने के दौरान मरने वाले कार्मिकों के आश्रितों को तत्काल मदद देना और जो अशक्त हो गए हैं, उन्हें उनकी व्यक्तिगत समस्याओं, जैसे कि बच्चों की शिक्षा, भूमि/सम्पत्ति संबंधी मुद्दों, गंभीर चिकित्सा समस्याओं आदि से निपटने में सहायता करना है। वर्तमान में, सीएपीएफ कार्मिकों के कल्याण के लिए संपूर्ण देश में 6 केन्द्रीय कल्याण अधिकारी (सी डब्ल्यू ओ), 29 राज्य कल्याण अधिकारी (एस डब्ल्यू ओ) और 137 जिला कल्याण अधिकारी (डी डब्ल्यू ओ) कार्यरत हैं।

केन्द्रीय पुलिस बल कैंटीन सिस्टम (सी पी एफ सी एस)

8.16.6 सरकार द्वारा सितंबर, 2006 में एक केन्द्रीय पुलिस बल कैंटीन प्रणाली (सी पी एफ सी एस) शुरू की गई थी। चूंकि केन्द्रीय पुलिस बल कैंटीन की सुविधा राज्य पुलिस के लिए भी लागू कर दी गई है, इसलिए वर्ष 2014 के दौरान दिनांक 31.12.2014 तक, सी ए पी एफ और राज्य पुलिस द्वारा विभिन्न राज्यों में 100 से ज्यादा सहायक कैंटीनें स्थापित की गई हैं। इस समय 119 मास्टर कैंटीनें और 1,365 सहायक कैंटीनें चल रही हैं। सहायक कैंटीनें, गुणवत्ता से कोई समझौता किए बिना, उचित दरों पर और सुविधाजनक स्थानों पर पूर्व कार्मिकों एवं उनके परिवारों सहित सी ए पी एफ और पुलिस बलों के कार्मिकों को उपभोक्ता वस्तुओं की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध करा रही हैं। इसके अतिरिक्त, सी पी एफ सी को वैट से छूट प्रदान किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जैसा कि सेना की कैंटीनों के लिए किया गया है। इस समय 17 राज्यों अर्थात् मेघालय, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, बिहार, मणिपुर, हरियाणा, उत्तराखंड, तमिलनाडु, ओडिशा, राजस्थान, केरल, चंडीगढ़, सिक्किम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं गुजरात ने सी पी एफ सी को वैट से छूट प्रदान की है।

8.16.7 इसके अतिरिक्त, गुणवत्ता से कोई समझौता किए बगैर लाभार्थियों को अच्छी क्वालिटी के सामानों की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने के लिए 400 से अधिक प्रसिद्ध विनिर्माता/फर्में, केंद्रीय पुलिस कैंटीन (सी पी सी) के साथ सूचीबद्ध/पंजीकृत हैं। सी पी एफ सी के वार्षिक टर्नओवर में वृद्धि का रुझान जारी है। वित्तीय वर्ष 2014–15 (31.12.2014 तक) में इसका टर्नओवर, वर्ष 2013–14 के पूर्ण वर्ष में 890.48 करोड़ रुपए की तुलना में 880.70 करोड़ रूपए रहा है। केन्द्रीय पुलिस कैंटीन प्रणाली में स्मार्ट कार्ड लागू करने हेतु 2 मास्टर कैंटीनों और उनसे जुड़ी सहायक कैंटीनों में पायलट परियोजना के रुप में इसे क्रियान्वित करने के लिए एक समिति गठित की गई है। इस उद्देश्य के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति का मामला प्रक्रियाधीन है।

प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना

8.16.8 सी ए पी एफ के कार्मिक अपनी अत्यन्त कठिन ड्यूटी के दौरान वर्षों तक अपने परिवार से दूर रहते हैं और इस दौरान वे अपनी पारिवारिक वचनबद्धताओं को पूरा करने की स्थिति में नहीं होते । उनके बच्चे पिता की अपेक्षित सहायता से वंचित रह जाते हैं। इस पर विचार करते हुए, सी ए पी एफ के सेवारत और पूर्व कार्मिकों के बच्चों और विधवाओं को उच्चतर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए प्रधानमंत्री मेरिट छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत, पूर्व वर्ष के पुनःनवीकृत मामलों के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष चिकित्सा, इंजीनियरी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करने के लिए कुल 910 छात्रवृत्तियां प्रदान करने पर विचार किया जाता है।

सी ए पी एफ कार्मिकों के लिए चिकित्सा सुविधाएँ

8.16.9 सी ए पी एफ के कार्मिक आम तौर पर अपनी ड्यूटी असुविधाजनक वातावरण में और कठिन परिस्थितियों के अधीन निष्पादित करते हैं। सीमाओं की रक्षा करते समय उन्हें ऊँचाई वाले स्थानों पर भी तैनात किया जाता है और वामपंथी उग्रवादियों एवं आतंकवादियों का मुकाबला करते समय उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए, सी ए पी एफ के कार्मिकों को मानसिक रूप से अत्यधिक सजग और शारीरिक रूप से चुस्त–दुरुस्त रहना होता है। सी ए पी एफ कार्मिकों का उत्तम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए और उन्हें लगातार तनाव एवं दबाव से मुक्त रखने के लिए, जो कि प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने से उत्पन्न होता है, उनके कार्मिकों के लिए निम्नलिखित चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाई गई हैं:–

i) सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल यूनिटों में उसके एकीकृत हिस्से के रूप में इन्डोर सुविधाओं के साथ एक यूनिट अस्पताल उपलब्ध है। प्रत्येक अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ हैं और वह अपेक्षित उपकरणों से लैस है।

ii) सम्पूर्ण देश में पचास बिस्तर वाले 32 कम्पोजिट अस्पतालों, सौ बिस्तर वाले 06 कम्पोजिट अस्पतालों और वर्ष 2004 में ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.) में 200 बिस्तर वाले एक रेफरल अस्पताल की स्थापना करके

सीएपीएफ के लिए चिकित्सा सुविधाओं में सुधार किया गया है।

iii) इन कम्पोजिट अस्पतालों और रेफरल अस्पताल के माध्यम से कार्मिकों को स्पेशलाइज्ड उपचार प्रदान किया जा रहा है।

iv) किसी भी बल के साथ संबद्धता पर विचार किए बिना सी ए पी एफ के कार्मिक संपूर्ण देश में स्थित किसी भी सी ए पी एफ के कम्पोजिट अस्पताल में मुफ्त उपचार प्राप्त कर सकते हैं।

v) सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वोत्तर तथा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में तैनात सीएपीएफ बटालियनों (आईटीबीपी तथा एआर को छोड़कर) में 10 तथा 20 बिस्तरों वाले अस्पतालों के लिए स्टाफ मानदंड को अनुमोदित किया है। मानदंडों को 10 बिस्तर वाले अस्पताल के लिए 17 और 20 बिस्तर वाले अस्पताल के लिए 19 निर्धारित किया गया है।

vi) भारत–पाकिस्तान एवं भारत–बांग्लादेश सीमाओं पर तैनात बीएसएफ की बटालियनों के लिए 30 अतिरिक्त चिकित्सा अधिकारियों की मंजूरी प्रदान की गई है, जिन्हें एक चिकित्सक से कवर कर पाना मुश्किल है।

vii) 02 रिहैबिलिटेशन केंद्रों (सी आर पी एफ और बी एस एफ, प्रत्येक में 01) की स्थापना की मंजूरी दी गई है।

viii) 100 बिस्तर वाले सभी 6 कम्पोजिट अस्पतालों में डायलिसिस केन्द्रों की मंजूरी दी गई है।

ix) 200 बिस्तर वाले रेफरल अस्पताल को फर्नीचर, कपड़ों एवं विविध सामग्री वाले स्टोरों की खरीद के लिए अधिकृत करने की मंजूरी दी गई है।

x) नए मंजूर किए गए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल चिकित्सा विज्ञान संस्थान (सीएपीएफआईएमएस) के निर्माण का कार्य के.लो.नि.वि. को सौंपा गया है। एफएआर में संशोधन की वजह से इस परियोजना के ले आउट प्लान में संशोधन किया गया है। संबंधित एजेंसियों से क्लीयरेंस मिलने के तत्काल बाद निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। सरकार ने सीएपीएफआईएमएस के लिए 07 वाहनों की खरीद की मंजूरी प्रदान की है।

सी ए पी एफ और असम राइफल्स में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

8.16.10 महिला सशक्तीकरण समिति (2010–11) ने अपनी छठी रिपोर्ट (पंद्रहवीं लोक सभा) और नौवीं रिपोर्ट में 'अर्ध सैनिक बलों में महिलाएं' विषय पर सिफारिशें दी हैं। समिति की उपर्युक्त रिपोर्टों में शामिल सिफारिशों एवं टिप्पणियों की जांच की जा रही है और इस संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी समिति को प्रस्तुत कर दी गई है।

8.16.11 महिला अधिकारियों को पुलिस व्यवस्था की मुख्यधारा में लाने के लिए महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता बरतने, लड़ाई का प्रशिक्षण जैसे विषयों को शामिल करने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पुनर्विन्यास करने, नई स्थिति के अनुसार पाठ्यचर्या तैयार करने, अधिकाधिक महिलाओं को अभियान संबंधी ड्यूटी सौंपने जैसे अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में महिला कार्मिकों के कल्याण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:–

(i) भारत सरकार केन्द्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए समिन्वत प्रयास कर रही है। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को अगले तीन वर्षों के भीतर महिलाओं की प्रतिशतता को 5 प्रतिशत करने के अनुदेश जारी किए गए हैं।

(ii) सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कर रहे हैं और उन्होंने शिकायत समितियां गठित कर ली हैं। इन समितियों की अध्यक्ष पर्याप्त रूप से वरिष्ठ रैंक की महिला अधिकारी होती हैं। कथित रूप से गलत कार्य करने वाले से वरिष्ठ महिला अधिकारी के उपलब्ध नहीं होने पर, संबंधित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल अन्य संगठनों से अध्यक्ष की तैनाती के लिए गृह मंत्रालय से संपर्क करता है।

(iii) सभी केन्द्रीय सशस्त्र बलों ने यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जाँच–पड़ताल करने के लिए शिकायत समितियों में गैर–सरकारी संगठनों को पहले ही शामिल कर लिया है। वे यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत की जांच करने से संबद्ध है। अर्ध सैनिक बलों में अन्य अनुशासनात्मक मामलों के साथ–साथ, यौन उत्पीड़न के संबंध में अनुशासनिक मामलों की मानीटरिंग, आवधिक रिपोर्टों एवं गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकों के जरिए की जा रही है, ताकि जल्दी निष्कर्ष पर पहुँचा जा सके।

(iv) महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता एवं सरकारी सेवाओं में इसके निहितार्थ के बारे में सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा अपने कार्मिकों को शिक्षित करने के कार्यक्रम पहले ही संचालित किए जा चुके हैं और इसे विभिन्न रैंकों के बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं सभी सेवाकालीन पाठ्यक्रमों का भी हिस्सा बनाया गया है। लैंगिक संवेदनशीलता पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अनुदेशकों का एक प्रशिक्षित पूल तैयार करने के उद्देश्य से प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण भी संचालित किया जाता है।

क) सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को समय–सीमा के अनुपालन के लिए दिनांक 26.03.2014 को अनुदेश भी जारी किए गए हैं, ताकि कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न की

शिकायतों पर अनुशासनिक कार्यवाहियों को शीघ्रतापूर्वक निष्कर्ष तक पहुंचाया जा सके।

ख) सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (जेटी 1997 (7) एस सी 384) के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के परिणामस्वरूप बनाए गए दिशानिर्देशों एवं मानकों के अनुसार आवश्यक प्रावधान करने के लिए दिनांक 25.03.2013 को अपने अधिनियमों/नियमों में उपयुक्त संशोधन का भी परामर्श दिया गया है।

(v) सभी बलों द्वारा अपने स्थायी स्थानों/परिसरों में आवश्यकता के आधार पर महिला कर्मचारियों के लिए पृथक शौचालय पहले ही बनाए जा चुके हैं। अन्य क्षेत्रों में, जहां उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं हैं, महिला कर्मचारियों के उपयोग के लिए छोटे तंबू के भीतर कमोड लगाकर उन्हें शौचालय सुविधाएं उपलब्ध कारवाई की जाती हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवाजाही और पिकेट की ड्यूटी के दौरान विशेष रूप से महिला कार्मिकों की जरूरत को पूरा करने के लिए मोबाइल शौचालयों का भी प्रावधान किया जाता है।

(vi) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा आवश्यकता के आधार पर महिला कर्मचारियों के लिए 'क्रेच' और 'डेकयर सेंटर्स' की सुविधा प्रदान की गई है और क्रेच से जुड़ी सुविधाएं प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को नियमित आधार पर पृथक बजटीय आवंटन का प्रावधान किया गया है।

(vii) बीएसएफ में विभिन्न समूहों में कुल 2,710 महिलाएं कार्यरत हैं। लड़ाकू बल होने के कारण, महिलाओं को उनके रैंक के अनुसार बल में समय–समय पर संशोधित सरकारी नीतियों के अनुसार अधिकार दिए जाते हैं।

(viii) कानून एवं व्यवस्था की स्थिति से निपटने के मामले में महिला पुलिस की बढ़ती मांग को पूरा करने और बल में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के स्तर को बढ़ाने के लिए भी सरकार ने सीआरपीएफ में वर्ष 2015–16 और 2016–17 के दौरान 2 पुरुष बटालियनों की जगह 2 महिला बटालियनों के गठन की मंजूरी दी है।

(ix) दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में महिलाओं की वर्तमान संख्या निम्नानुसार है:

बल	कुल पद संख्या	महिलाओं की पद संख्या	प्रतिशतता
ए आर	65545	484	0.74%
बी एस एफ	245779	3366	1.37%
सी आई एस एफ	125687	6126	4.87%
सी आर पी एफ	286187	5954	2.08%
आई टी बी पी	79051	1212	1.53%
एस एस बी	77674	1186	1.53%
कुल	879923	18328	2.08%

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती

8.16.12 राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के अनुरोध पर लोक व्यवस्था बनाए रखने में उनकी सहायता करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को तैनात किया जाता है। इन बलों की तैनाती, समग्र सुरक्षा की स्थिति और बलों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। ये बल, देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति के समग्र प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। इन बलों ने देश में आम संसदीय चुनावों तथा विभिन्न राज्यों में विधान सभा चुनावों और उप–चुनावों के स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण आयोजन में भी सहायता की है।

8.16.13 वर्ष के दौरान देश में आम चुनाव, हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू एवं कश्मीर और झारखंड में विधान सभा चुनावों, त्रिपुरा में पंचायत चुनाव के साथ–साथ विभिन्न राज्यों में उप चुनावों के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/राज्यों के सशस्त्र पुलिस बलों/आईआर बटालियनों को इकट्ठा कर तैनात किया गया। दिनांक 07.04.2014 से 12.05.2014 तक देश में आम संसदीय चुनाव –2014 का आयोजन 09 चरणों में किया गया। देश में चुनाव के शांतिपूर्ण संचालन के लिए भारतीय चुनाव आयोग की सिफारिश पर भारी संख्या में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के साथ–साथ विभिन्न राज्यों के राज्य सशस्त्र पुलिस बलों/आईआर बटालियनों/बॉर्डर विंग होमगार्डों को इकट्टा कर उन्हें तैनात किया गया। समय से उनकी आवाजाही और समावेशन/गैर–समावेशन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, आम संसदीय चुनाव–2014 के लिए तैनाती हेतु उनकी आवाजाही के दौरान बल के कार्मिकों को आईआरसीटीसी/रेलवे बोर्ड के माध्यम से पैकेज वाला भोजन

प्रदान करने के प्रबंध किए गए थे। सुरक्षित, निर्बाध एवं निष्पक्ष परिवेश में आम संसदीय चुनाव–2014 की आवाजाही, विशेषकर भारी संख्या में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के मूवमेंट एवं तैनाती के संदर्भ में अत्यंत भारी–भरकम कार्य था। तथापि, गृह मंत्रालय द्वारा इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। चुनाव आयोग ने भी गृह मंत्रालय की इस उपलब्धि की प्रशंसा की।

8.16.14 वर्ष 2014–15 के दौरान, सी ए पी एफ ने उग्रवाद और आतंकवाद से लड़ने में पूर्वोत्तर के राज्यों, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर राज्य, को सहायता देना जारी रखा। जम्मू एवं कश्मीर सरकार को राज्य में श्री अमरनाथ जी की यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए सी ए पी एफ के अतिरिक्त कार्मिक भी उपलबध कराए गए थे। अनेक राज्यों, विशेषकर असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, मेघालय, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में शांति एवं साम्प्रदायिक सद्भाव कायम रखने और कानून एवं व्यवस्था संबंधी ड्यूटी के लिए भी सी ए पी एफ/आर ए एफ के कार्मिकों को तैनात किया गया।

प्रशिक्षण

8.17.1 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) देश में राज्यों/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करता है। यह विशेष रूप से निम्नलिखित का संचालन करता है:

(i) भावी प्रशिक्षण की आवश्यकताओं की समीक्षा एवं पहचान करना;

(ii) प्रशिक्षण की रणनीतियां एवं प्रणाली तैयार करके उनकी सिफारिश करना;

(iii) प्रशिक्षण संस्थानों के लिए मानक तैयार करना;

(iv) प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता की जांच करना;

(v) प्रशिक्षण पाठ्यचर्या का परामर्श देना एवं उसकी सिफारिश करना।

घरेलू प्रशिक्षण

8.17.2 प्रशिक्षण प्रभाग के प्रमुख क्रियाकलापः वर्ष 2014–15 के दौरान, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बी पी आर एंड डी) के प्रशिक्षण निदेशालय ने केन्द्रीय/राज्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों तथा अन्य प्रसिद्ध संस्थानों में 11 वर्टिकल संवाद पाठ्यक्रमों (वी आई सी) को प्रायोजित किया, जिनमें 135 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इन पाठ्यक्रमों का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि
(i)	संवेदनशीलता प्रोफाइल	04.08.2014 से 08.08.2014
(ii)	संवेदनशीलता (महिलाओं, कमजोर वर्गों और किशोर न्याय के संबंध में)	04.08.2014 से 08.08.2014
(iii)	राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चुनौतियां एवं पुलिस की प्रतिक्रिया	25.08.2014 से 30.08.2014
(iv)	रासायनिक, जैविक, रेडियोधर्मी और नाभिकीय खतरा एवं पुलिस की प्रतिक्रिया	01.09.2014 से 06-09-2014
(v)	साइबर एवं मोबाइल फॉरेंसिक	08.09.2014 से 12.09.2014
(vi)	भ्रष्टाचार एवं भावी शासन	08.09.2014 से 12.09.2014
(vii)	संगठित/सिंडिकेट अपराध	23.09.2014 से 27.09.2014
(viii)	आपराधिक न्याय प्रणालीः समन्वय की आवश्यकता	03.11.2014 से 07.11.2014
(ix)	विमानन एवं पत्तन सुरक्षा	01.12.2014 से 05.12.2014
(x)	पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए आधुनिक तकनीकें	08.12.2014 से 12.12.2014
(xi)	रक्षा एवं सुरक्षा मॉडल	16.12.2014 से 20.12.2014

8.17.2.1 दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2014 की अवधि के दौरान, बीपीआरएंडडी के प्रशिक्षण प्रभाग ने 11 प्रबंधन पाठ्यक्रमों को प्रायोजित किया, जिनका संचालन अहमदाबाद, बेंगलूरु, कोलकाता के भारतीय प्रबंध संस्थानों एवं देश के अन्य प्रमुख संस्थानों जैसे प्रबंधन संस्थान में किया गया और इन पाठ्यक्रमों में कुल 55 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इन 11 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का ब्यौरा निमनानुसार है:–

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	स्थान
1	पारस्परिक प्रभावकारिता और नेतृत्व उत्कृष्टता	21.07.2014 से 25.07.2014	आई आई एम कोलकाता
2	संवाद एवं प्रस्तुति कौशल	28.07.2014 से 01.08.2014	आई आई एम कोलकाता
3	प्रबंधकीय नेतृत्व एवं विवाद समाधान	18.08.2014 से 23.08.2014	आई आई एम कोलकाता
4	रणनीतिक रूपान्तरणपरक प्रशिक्षण प्रणाली	25.08.2014 से 27.08.2014	आई आई एम अहमदाबाद
5	नेतृत्व एवं बदलाव प्रबंधन	08.09.2014 से 12.09.2014	आई आई एम अहमदाबाद
6	पेशेवर महिलाओं के बीच नेतृत्व क्षमताओं एवं संभावनाओं में वृद्धि	22.09.2014 से 25.09.2014	आई आई एम अहमदाबाद
7	संवाद रणनीति	24.09.2014 से 25.09.2014	आईएसबी, हैदराबाद
8	प्रभावी सम्प्रेषण की रणनीतिः कार्यरत पुरुष एवं महिलाएं	13.10.2014 से 18.10.2014	आई आई एम अहमदाबाद
9	भावनात्मक बुद्धिमता	17.11.2014 से 20.11.2014	आईआईएम कोलकाता
10	सृजनात्मक एवं उत्कृष्टता को प्रोत्साहन	04.12.2014 से 06.12.2014	आईआईएम बेंगलुरू
11	ज्ञान प्रबंधन	15.12.2014 से 20.12.2014	आईआईएम अहमदाबाद

8.17.2.2 बीपीआरएंडडी द्वारा चार दीर्घकालिक पाठ्यक्रम भी संचालित किए गए। ये इस प्रकार है : (क) डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन में दिनांक 09.06.2014 से 70वां स्टाफ पाठ्यक्रम (ख) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली में दिनांक 01.07.2014 से लोक प्रशासन में 40वां उन्नत पेशेवर कार्यक्रम (ग) टीईआरआई विश्वविद्यालय, दिल्ली में दिनांक 21.07.2014 से लोक नीति एवं सतत विकास में एक वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम/लोक नीति एवं सतत विकास में दो वर्षीय एम.ए. (घ) प्रबंध विकास संस्थान (एमडीआई), गुडगांव में दिनांक 08.04.2014 से लोक नीति एवं प्रबंधन में 9वां स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम।

8.17.2.3 विभिन्न केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा कमांडो कोर्स, हथियार एवं युक्ति, बम निष्क्रिय करना, शस्त्र–रहित लड़ाई, आंतरिक सुरक्षा, भीड़ को तितर–बितर करना, वी आई पी सुरक्षा, विद्रोह–रोधी एवं जंगल युद्धकला (सी आई जे डब्ल्यू) आदि जैसे विषयों पर आयोजित 40 विविध पाठ्यक्रमों के लिए राज्यों/सीएपीएफ को उनके पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए 1,445 स्लाट्स आबंटित किए गए।

8.17.2.4 सैन्य प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा विद्रोह–रोधी, इम्प्रोवाइज्ड विस्फोटक उपकरण एवं जंगल युद्धकला, रात्रि दृश्य उपकरण, थर्मल साइट्स आदि जैसे विषयों पर आयोजित 87 पाठ्यक्रमों हेतु उनके लिए 1,704 स्लाट्स आबंटित किए गए।

8.17.2.5 महिला पुलिस अधिकारियों (स.उ.नि. से उप पुलिस अधीक्षक तक) के लिए अनन्य रूप से 'आत्म विकास एवं संघर्ष प्रबंधन' के विषय पर केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, कोलकाता और गाजियाबाद में (09.09.2014 से 11.09.2014 तक और 09.07.2014 से 11.07.2014 तक) दो पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें 43 महिला पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

विदेशी प्रशिक्षण

8.17.2.6 डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, यू एस ए के सहयोग से नीचे उल्लिखित विभिन्न विषयों पर 08 आतंकवाद सहायता–रोधी (ए टी ए) पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें 143 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गयाः–

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि		स्थान	सहभागियों की सं.	रैंक
		से	तक			
1	ए टी ए – 10419, सीनियर संकट प्रबंधन संगोष्ठी (एससीएम)	02.06.2014	06.06.2014	वाशिंगटन डीसी एरिया यूएसए	24	महानिरीक्षक से अपर महानिदेशक
2	ए टी ए–10196, विस्फोट उपरांत	10.06.2014	09.07.2014	मयोक, यूएसए	18	उप निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक
3	ए टी ए – 9677, आतंकवादी घटनाओं की जांच (आईटीआई)	14.07.2014	25.07.2014	आरपीए, जयपुर	19	निरीक्षक से पुलिस अधीक्षक
4	ए टी ए – 9676, संदिग्ध आतंकवादियों का साक्षात्कार	04.08.2014	08.08.2014	नेपा, शिलांग	21	निरीक्षक से पुलिस अधीक्षक
5.	ए टी ए – 9678, आतंकवादियों की गतिविधियों का निषेध करना	08.09.2014	19.09.2014	एचपीए, मधुबन, करनाल, हरियाणा	18	निरीक्षक से पुलिस अधीक्षक
6.	ए टी ए–10149, विस्फोट की घटनाओं के प्रतिरोधी कदम (ईआईसी)	29.09.2014	14.11.2014	मयोक, यूएसए	15	उप निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक
7.	ए टी ए–10139, सीमा नियंत्रण प्रबंधन पाठ्यक्रम	27.10.2014	07.11.2014	सी.सु.बल अकादमी, टेकनपुर	14	पुलिस उपाधीक्षक से उप महानिरीक्षक
8.	ए टी ए–10777, आत्मघाती बमवर्षक निवारण कार्यशाला	08.12.2014	12.12.2014	एपीपीए, हैदराबाद	14	पुलिस अधीक्षक से पुलिस महानिरीक्षक
				कुल	**143**	

8.17.2.7 केन्द्र सरकार तथा राज्यों के प्रशिक्षण संस्थानों में 'वीआईपी सुरक्षा', ''पीड़ित विज्ञान एवं पीड़ित न्याय'', ''फॉरेंसिक विज्ञान एवं फॉरेंसिक औषधि'', ''साइबर अपराध जांच एवं साइबर फॉरेंसिक'', ''अपराध स्थल जांच'', ''आई ई डी बम निपटान'', ''आसूचना संग्रह एवं विवेकपूर्ण पूछताछ पर पाठ्यक्रम'', ''नारकोटिक श्वान प्रशिक्षण'', ''बटालियन कमांडर पाठ्यक्रम'', आदि जैसे विषयों पर सार्क देशों के 329 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षित अधिकारियों का देश–वार ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(क) नेपाल – 170 अधिकारी

(ख) भूटान – 36 अधिकारी

(ग) बांग्लादेश – 02 अधिकारी

(घ) अफगानिस्तान – 74 अधिकारी

(ङ) अन्य – 47 अधिकारी

होमलैंड सिक्यूरिटी डायलॉग

8.17.2.8 डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्यूरिटी, यू एस ए और भारत सरकार के बीच होमलैंड सिक्यूरिटी डायलॉग के अंतर्गत, 'कम्प्यूटर एवं इलेक्ट्रानिक अपराधों की उन्नत/बुनियादी जांच' और 'कंटेनर की जांच के लिए समुद्री प्रशिक्षण' के संबंध में 02 पाठ्यक्रमों का प्रस्ताव रखा गया जिसके अंतर्गत यूएस भारत में सचल प्रशिक्षण दलों को भेजेगा। वर्ष 2015–16 के दौरान भारतीय पुलिस अधिकारियों के लिए विधि प्रवर्तन प्रशिक्षण केन्द्र, जार्जिया, यूएसए में भौतिक सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम, सुरक्षात्मक सेवा संचालन प्रशिक्षण कार्यक्रम और बंदरगाह सुरक्षा आतंकवाद–विरोधी प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधी 03 पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाना है।

8.17.2.9 दिनांक 24.08.2014 से 31.08.2014 तक मालदीव में सीमा पार वित्तीय जांच पर एक पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चार अधिकारी प्रशिक्षित किए गए।

8.17.2.10 रिपोर्ट की अवधि के दौरान, निम्नलिखित विदेशी प्रतिनिधिमंडलों ने बीपीआरएंडडी मुख्यालय का दौरा किया:–

क) लीबियाई प्रतिनिधिमंडल: लीबियाई पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के बीपीआरएंडडी के प्रस्ताव पर चर्चा करने और भारत की पुलिस प्रशिक्षण सुविधाओं का अवलोकन करने के लिए दिनांक 06.06.2014 को कर्नल

रेदा अब्दुलहदी अल जलाह के नेतृत्व में 06 सदस्यों वाले एक लीबियाई प्रतिनिधिमंडल ने बीपीआरएंडडी, नई दिल्ली का दौरा किया।

ख) यूएस प्रतिनिधिमंडलः श्री फ्रांसिस एक्स. टेलर, अंडर सेक्रेटरी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (डीएचएस) के नेतृत्व में 08 सदस्यों वाले यूएस के एक प्रतिनिधिमंडल ने आपसी सहयोग के विभिन्न मामलों पर चर्चा करने के लिए दिनांक 01.08.2014 को बीपीआरएंडडी, नई दिल्ली का दौरा किया।

ग) इज़राइली प्रतिनिधिमंडलः श्री इयाल कैलिफ, निदेशक रक्षा सहयोग, एशिया, अफ्रीका एवं प्रशांत प्रभाग, एसआईबीएटी के नेतृत्व में 04 सदस्यों वाले एक इज़राइली प्रतिनिधिमंडल ने आपसी सहयोग के विभिन्न मामलों पर चर्चा करने के लिए बीपीआरएंडडी, नई दिल्ली का दौरा किया।

महानिदेशक बीपीआरएंडडी दिनांक 20.08.2014 को इजराइली प्रतिनिधि श्री इयाल कैलिफ, निदेशक, रक्षा सहयोग को बीपीआरएंडडी का स्मृति चिह्न भेंट करते हुए

महानिदेशक, बीपीआरएंडडी दिनांक 18.07.2014 को बीपीआरएंडडी के मुख्यालय में पुलिस महानिरीक्षक नेपाल को स्मृति चिह्न भेंट करते हुए

घ) नेपाली प्रतिनिधिमंडलः श्री सुरेन्द्र बहादुर शाह, अपर महानिरीक्षक के नेतृत्व में 05 सदस्यों वाले एक नेपाली प्रतिनिधिमंडल ने प्रशिक्षण संबंधी विभिन्न मामलों पर चर्चा करने के लिए बीपीआरएंडडी, नई दिल्ली का दौरा किया। यह बैठक दिनांक 18.09.2014 को आयोजित की गई।

ङ) सेशेल्स प्रतिनिधिमंडलः सेशेल्स के 02 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सेशेल्स के आगामी दौरे के संबंध में चर्चा करने के लिए बीपीआरएंडडी, नई दिल्ली का दौरा किया। यह बैठक दिनांक 09.09.2014 को आयोजित की गई।

च) यूएसए के एटीए/एआरई क्षमता मूल्यांकन दल ने दिनांक 17.11.2014 को बीपीआरएंडडी मुख्यालय का दौरा किया और उन्होंने एटीए ग्रेजुएट्स के साथ बैठक की।

छ) विशेषज्ञ जांचकर्ता योजना के अंतर्गत विदेशी घटक : गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित विशेषज्ञ तैयार करने की योजना में विदेशी प्रशिक्षण का एक घटक शामिल है जिसके अंतर्गत भारत में आयोजित इन पाठ्यक्रमों में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वालों को विदेशी एक्सपोज़र प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत मानव तस्करी–रोधी विषय पर उन्नत पाठ्यक्रम के प्रथम बैच का प्रशिक्षण दिनांक 07.07.2014 से 11.07.2014 तक पेरिस में संचालित किया गया जिसमें विभिन्न राज्यों के 08 पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण मध्यस्थता योजना

8.17.3 सरकार ने 'प्रशिक्षण मध्यस्थता' नामक एक योजनागत स्कीम अनुमोदित की है। इस योजना का मूल उद्देश्य पुलिस से अपेक्षित और उनके वास्तविक कार्य निष्पादन के बीच अंतर का पता लगाना और इन अंतरों को पाटने के लिए उपर्युक्त प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है, ताकि पुलिस कार्मिक उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों को पूरा करने करने के लिए अधिक प्रभावी ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। इस योजना की शुरुआत 11वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। बी पी आर एंड डी को 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 36.96 करोड़ रु. की कुल लागत से प्रशिक्षण मध्यस्थता योजना को जारी रखने की मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। इस योजना के 12 घटक हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया गया हैः–

(i) 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/केन्द्रीय पुलिस संगठनों (सी पी ओ) के लिए मानव संसाधन योजना का विकास (मेसर्स रैंडस्टैंड इंडिया लि., चेन्नई)।

इस फर्म ने आंध्र प्रदेश, असम और बीपीआरएंडडी की मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस फर्म को राज्य के

बंटवारे के मद्देनजर आंध्र प्रदेश की रिपोर्ट को अलग करने और असम तथा बीपीआरएंउडी की रिपोर्टों में आगे संशोधन करने के लिए कहा गया है।

(ii) 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पुलिस कर्मियों के मौजूदा आचरण और अपेक्षित आचरण के बीच अंतर का विश्लेषण करना और उपयुक्त प्रशिक्षण/अन्य मध्यस्थता का सुझाव देना (मेसर्स विप्रो लि., गुड़गांव)।

इस फर्म ने कांस्टेबल से पुलिस उपाधीक्षक के रैंक के लिए वांछित आचरण की एक सूची तैयार की है और यह फर्म मौजूदा आचरण के आकलन के लिए साधन (टूल) भी विकसित करेगी।

(iii) 05 राज्यों में प्रत्येक रैंक की ''विशेषताओं एवं क्षमताओं'' का पता लगाने के लिए उपयुक्त साधनों का विकास एवं उनका वैधीकरण (मेसर्स विप्रो लि., गुड़गांव)।

इस फर्म ने कांस्टेबल से पुलिस उपाधीक्षक के रैंक की वांछित क्षमता एवं विशेषताओं की एक सूची तैयार की है और यह फर्म मौजूदा विशेषताओं के आकलन के लिए साधन भी विकसित करेगी।

(iv) 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वांछनीय कार्य निष्पादन एवं वास्तविक कार्य निष्पादन के बीच अंतर का विश्लेषण करना और उपयुक्त प्रशिक्षण/अन्य मध्यस्थता का विकास करना (मेसर्स आईएल एंड एफएस एजुकेशन एंड टेक्नालॉजी सर्विसेज लि., नई दिल्ली)।

इस फर्म ने कांस्टेबल से पुलिस उपाधीक्षक तक विभिन्न रैंकों द्वारा की गई ड्यूटियों का मूल्यांकन किया है और महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्षेत्रों तथा महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन क्षेत्रों का मसौदा तैयार किया है।

(v) 12 राज्यों में 6000 थाना प्रभारियों के लिए सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण (मेसर्स आईएल एंड एफएस एजुकेशन एंड टेक्नालॉजी सर्विसेज लि., नई दिल्ली)।

इस फर्म ने संवाद कौशल, समय प्रबंधन, तनाव प्रबंधन आदि सहित थाना प्रभारियों के लिए सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण के लिए एक पांच दिवसीय प्रशिक्षण माड्यूल तैयार किया है। दिल्ली पुलिस के साथ इस प्रशिक्षण माड्यूल का प्रयोगिक का संचालन किया गया था, जिसके पश्चात इस फर्म ने प्रशिक्षण माड्यूल में आगे और संशोधन किया है।

(vi) प्रशिक्षण (85 विषयों) के लिए, फिल्में, इंटरएक्टिव मॉड्यूल्स एवं अभ्यास पुस्तिका/मैनुअल तैयार करना (मेसर्स जेनेसिस मीडिया (प्रा.) लि., नई दिल्ली)।

इस फर्म ने 'लैंगिक संवेदनशीलता/घरेलू हिंसा' पर अभ्यास पुस्तिका और इंटरएक्टिव मॉड्यूल के साथ एक प्रशिक्षण फिल्म तैयार की है। इसके अतिरिक्त यह फर्म दो और फिल्में तैयार करने की प्रक्रिया में है। बच्चों, अल्पसंख्यकों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रति संवेदनशीलता, तलाशी एवं जामातलाशी और नाकाबंदी तथा चेक पोस्टों पर पांच फिल्मों का अवधारणा संबंधी नोट सौंप दिया गया है जिन पर यह फर्म इस फिल्म के लिए स्क्रिप्ट नोट तैयार करेगी।

(vii) 28 राज्यों एवं 01 संघ राज्य क्षेत्र के विभिन्न रैंकों के लिए पदोन्नति–पूर्व पाठ्यक्रम तैयार करना (महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान, चंडीगढ़)। इस संस्थान ने पांच राज्यों, अर्थात् राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर, हरियाणा, पंजाब और हिमांचल प्रदेश से आंकड़ों के संग्रहण का कार्य पूरा कर लिया है। इसके अलावा, इस प्रकार एकत्र की गई जानकारी के विश्लेषण की प्रक्रिया संचालित की जा रही है और रिपोर्ट जल्द ही सौंप दी जाएगी।

(viii) राज्यों में जांच की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना और उपयुक्त प्रशिक्षण इंटरवेंशन्स/जांच उपकरण तैयार करना (20 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)। किसी निजी फर्म को संविदा प्रदान करने की प्रक्रिया चल रही है।

(ix) महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करना (10 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)–किसी निजी फर्म को संविदा प्रदान करने की प्रक्रिया चल रही है।

(x) आतंकवाद से निपटने के लिए 8 मॉक एक्सरसाइज/मैनुअल एवं फिल्म तैयार करना। किसी निजी फर्म को संविदा प्रदान करने की प्रक्रिया चल रही है।

(xi) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण की आवश्यकता के विश्लेषण और प्रशिक्षण क्षमता में अंतर का मूल्यांकन करना–किसी निजी फर्म को संविदा प्रदान करने की प्रक्रिया चल रही है।

(xii) विभिन्न रैंकों के लिए प्रशिक्षण सामग्रियों में अंतर का मूल्यांकन और प्रशिक्षण सामग्रियों का निर्माण एवं उन्हें अद्यतन बनाना। किसी निजी फर्म को संविदा प्रदान करने की प्रक्रिया चल रही है।

8.17.4 विशेषज्ञ जांचकर्ता तैयार करनाः इस योजना के अंतर्गत संचालित पाठयक्रमों में हत्या/मानव हत्या के मामलों की जांच, आर्थिक अपराध के मामलों की जांच, फॉरेंसिक विज्ञान में उन्नत प्रौद्योगिकी, साइबर अपराध के मामलों की जांच, पूछताछ तकनीक, मानव तस्करी–रोधी मामलों, यातायात प्रबंधन आदि जैसे पाठ्यक्रम शामिल हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान, विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में कोर दक्षता तैयार करने वाले घटक के अंतर्गत विशेषज्ञ जांचकर्ता तैयार करने के लिए 11

प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें उपर्युक्त विषयों में 254 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

राष्ट्रीय यातायात प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान

8.17.5 बीपीआरएंडडी द्वारा इस संस्थान की स्थापना की प्रक्रिया चलाई जा रही है। इस संस्थान के संक्षिप्त उद्देश्य यातायात प्रबंधन हेतु एसओपी तैयार करना, यातायात दुर्घटना के मामलों की जांच में पुलिस कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करना, यातायात के प्रवर्तन एवं विनियमन के लिए नई प्रौद्योगिकी एवं उपकरणों का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना, विभिन्न महानगरों एवं अन्य महत्वपूर्ण शहरों में यातायात समस्याओं का अध्ययन करना और निराकरण का सुझाव देना तथा यातायात के मुद्दों के संबंध में अंतर–विभागीय अनुसंधान को बढ़ावा देना आदि हैं।

8.17.5.1 सड़क यातायात शिक्षण संस्थान (आईआरटीई), फरीदाबाद को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। इस संस्थान की स्थापना सीएपीटी, भोपाल के कैंपस में की जानी है। इस संस्थान की स्थापना के लिए ईएफसी मेमो तैयार किया जा रहा है।

विद्रोह–रोधी और आतंकवाद–रोधी (सीआईएटी) स्कूल

8.17.6.1 भारत सरकार ने असम(3), बिहार(3), झारखंड(4), छत्तीसगढ़(4), ओडिशा(3), पश्चिम बंगाल(1), मणिपुर(1), नागालैंड(1) और त्रिपुरा(1) के वामपंथी उग्रवाद–प्रभावित राज्यों में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय स्तर पर प्रायोजित योजना के अंतर्गत विद्रोह–रोधी और आतंकवाद–रोधी (सीआईएटी) स्कूलों की स्थापना की थी। यह एक निरंतर चलने वाली योजना है और यह 11वीं योजनावधि से 12वीं योजनावधि में जारी है। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए 12वीं योजनावधि के दौरान 21 सीआईएटी स्कूलों की स्थापना और इससे संबंधित चालू व्यय के वहन के लिए 99.77 करोड़ रूपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष (2014–15) के दौरान, गृह मंत्रालय ने ओडिशा, नागालैंड एवं त्रिपुरा की राज्य सरकारों को 3.76 करोड़ रुपए जारी किए हैं। सभी 21 स्कूलों ने राज्य पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना शुरु कर दिया है। दिनांक 01.12.2009 से 30.11.2014 तक की अवधि के दौरान सीआईएटी स्कूलों में 40,844 पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। 12वीं योजना अवधि के दौरान, सरकार ने निम्नानुसार 04 नए सीआईएटी स्कूलों की स्थापना का अनुमोदन प्रदान किया है:–

(i) सीटीसी लेथपुरा, श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर;

(ii) पुणे, महाराष्ट्र के हदसर, रामटेकड़ी में;

(iii) आंध्र प्रदेश;

(iv) तेलंगाना।

8.17.6.2 11वीं योजना के दौरान परिचालित सीआईएटी स्कूलों में प्रशिक्षण की पाठ्यचर्या में वर्तमान जरूरत के अनुसार संशोधन किया गया है और उसे जुलाई, 2014 के दौरान सभी राज्यों को परिचालित कर दिया गया है। साआईएटी स्कूलों के लिए नौ सप्ताह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया गया है जिसमें एक सप्ताह का जंगल कैंप प्रशिक्षण शामिल है।

8.17.6.3 सीआईएटी स्कूलों की प्रगति एवं मानकीकृत/संघटित अवधि, पाठ्यचर्या और अवसंरचना की समीक्षा के लिए सीआईएटी स्कूलों के नोडल अधिकारियों के साथ दिनांक 21.05.2014 को बैठक का आयोजन किया गया।

केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल (सीडीटीएस)

8.17.7.1 गृह मंत्रालय ने गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में एक नए केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना के लिए 65.14 करोड़ रूपए के योजनागत परिव्यय को अनुमोदित कर दिया है। सीडीटीएस, गाजियाबाद के भवन का निर्माण एनबीसीसी द्वारा किया जा रहा है। इसका लगभग 60 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। वर्ष 2014–15 (दिनांक 31.12.2014 तक) के दौरान 3.75 करोड़ रु. की निधि का उपयोग किया जा चुका है। वर्तमान में यह संस्थान के.लो.नि.वि. के भवन (सीजीओ कॉम्पलेक्स, गाजियाबाद) से संचालित किया जा रहा है।

8.17.7.2 जयपुर में सीडीटीएस की स्थापना के लिए गांव–धामी कलां, जिला–जयपुर में 8.09 हेक्टेयर भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया गया है। इस संस्थान की स्थापना के लिए एसएफसी ने दिनांक 29.10.2014 को 90.29 करोड़ रु. का अनुमोदन प्रदान किया है। बीपीआरएंडडी तथा डब्ल्यूएपीसीओएस के बीच दिनांक 30.12.2014 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और डब्ल्यूएपीसीओएस को दिनांक 01.01.2015 को 6,46,19,292 रु. की धनराशि का 10 प्रतिशत संग्रहण अग्रिम जारी कर दिया गया है। निर्माण कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। वर्तमान में, इस संस्थान का संचालन के.लो.नि.वि. के भवन (सीजीओ कॉम्पलेक्स, जयपुर) से किया जा रहा है।

8.17.7.3 सीडीटीएस, चंडीगढ़ का स्थान–परिवर्तनः गृह मंत्रालय ने 86.18 करोड़ रु. की लागत से डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड द्वारा निष्पादित किए जाने वाले सीडीटीएस, चंडीगढ़ के स्थान परिवर्तन एवं वहां अवसंरचना की सुविधाओं के विकास से संबंधित कार्य के लिए एसएफसी की सिफारिशों को अनुमोदित कर दिया है। दिनांक 11.11.2014 को, 5.0 एकड़

(24,200 गज) के भूखंड के लिए भूमि की लागत की 50 प्रतिशत धनराशि के रूप में 14.97 करोड़ रु. जीएमएडीए, मोहाली को जारी कर दिए गए थे।

8.17.7.4 जहां तक सीडीटीएस, हैदराबाद का संबंध है, उसके आवासीय खंड का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

8.17.7.5 वर्तमान में, पांच केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल (सीडीटीएस) बीपीआरएंडडी के संरक्षण में कार्यरत हैं और ये चंड़ीगढ़, हैदराबाद, कोलकाता, गाजियाबाद ओर जयपुर में स्थित हैं। ये प्रशिक्षण संस्थान राज्यों, केन्द्र और विदेशों के अधिकारियों को अपराध की जांच में उन्नत वैज्ञानिक विधियों का प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। इनमें दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2014 तक 79 पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें 1570 पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

राज्यों में इंडिया रिजर्व बटालियनों का गठन

8.18.1 विभिन्न प्रकार की कानून और व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा की स्थितियों से निपटने में राज्यों की क्षमता सुदृढ़ करने और सी ए पी एफ पर उनकी निर्भरता कम करने के उद्देश्य से वर्ष 1971 में राज्यों में इंडिया रिजर्व बटालियनें गठित किए जाने की एक योजना प्रारंभ की गई थी।

8.18.2 अब तक, 153 आई आर बटालियनों की मंजूरी दी जा चुकी है और राज्यों द्वारा इनमें से 144 बटालियनों का गठन किया जा चुका है। झारखंड राज्य के लिए स्वीकृत शेष 01 आई आर बटालियन को स्पेशलाइज्ड इंडिया रिजर्व बटालियन (एसआईआरबी) में परिवर्तित किया गया है। शेष बटालियनों के मामले में दिनांक 24.12.2014 के गृह मंत्रालय के आदेश के माध्यम से 08 आई आर बटालियनों के गठन के आदेश जारी किए गए हैं जिनमें से निम्नानुसार संशोधित वित्तीय मानकों के साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में से प्रत्येक के लिए 04–04 आईआरबी का गठन किया जाना है:

(i) एक आईआर बटालियन के गठन की मानक लागत 34.92 करोड़ रु. है, जिसमें भारत सरकार द्वारा अनुदान सहायता के रूप में राज्यों को इसके 75 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी और राज्यों द्वारा अपने हिस्से के रूप में शेष 25 प्रतिशत राशि का वहन स्वयं किया जाएगा।

(ii) इसके अतिरिक्त, भारत सरकार वास्तविक व्यय के आधार पर 25.00 करोड़ रु की अधिकतम सीमा के अध्यधीन, आई आर बटालियनों की अवसंरचना लागत के 50 प्रतिशत हिस्से की प्रतिपूर्ति करेगी। बटालियनों के लिए भूमि राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की जानी है। इस प्रकार, एक आईआर बटालियन के लिए भारत सरकार द्वारा कुल 51.19 करोड़ रु. की धनराशि की प्रतिपूर्ति की जानी है।

8.18.3 पहले, राज्य को प्रतिपूर्ति की जाने वाली अधिकतम राशि 28.3875 करोड़ रु. (13.3875 करोड़ रु. गठन की लागत+15.00 करोड़ रु. अवसरंचना की लागत) थी।

8.18.4 बजट अनुमान 2014–15 में, आईआरबी के गठन की लागत की प्रतिपूर्ति के लिए अनुदान सहायता के अंतर्गत 40.00 करोड़ रू. और ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत 5.00 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई है। दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार, सिक्किम एवं चंडीगढ़ के दावों की प्रतिपूर्ति के लिए वित्तीय वर्ष में 38.8875 करोड़ रु. की धनराशि का उपयोग किया जा चुका है और 6.1125 करोड़ रु. की शेष राशि उपलब्ध है।

8.18.5 सरकार ने 10 विशेषज्ञता प्राप्त आई आर बटालियनों के गठन और 01 स्वीकृत आई आर बटालियन को एसआईआर बटालियन में परिवर्तित करने का अनुमोदन प्रदान किया है। गठित की जाने वाली एसआईआरबी में 02 इंजीनियरिंग कम्पनियां और 05 सुरक्षा कम्पनियां हैं। ये बटालियनें वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र में ग्रामीण सड़कों, स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, ग्रामीण जल आपूर्ति जैसे छोटे एवं मध्यम आकार वाले निर्माण कार्य करने में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए स्वीकृत की गई हैं। इनका राज्य–वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

क्र.सं.	राज्य का नाम	नई एसआईआर बटालियन	विद्यमान आई आर बटालियनों का एस आई आर बी में परिवर्तन
1	बिहार	2	–
2	छत्तीसगढ़	2	–
3	झारखंड	1	1
4	मध्य प्रदेश	1	–
5	ओडिशा	3	–
6	पश्चिम बंगाल	1	–
	कुल	**10**	**01**

पुलिस प्रशिक्षण अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए 13वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता

8.19 13वें वित्त आयोग ने पुलिस प्रशिक्षण अवसंरचना के निर्माण/उन्नयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 2,441 करोड़ रु. अनुमोदित किए थे। पुलिस प्रशिक्षण अवसंरचना के उन्नयन के लिए दिनांक 31.12.2014 तक राज्य सरकारों को 1354.89 करोड़ रु. की राशि जारी की जा चुकी है। राज्य–वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	राज्य का नाम	राशि	संक्षिप्त योजना	(2011–12) जारी अनुदान (करोड़ रु.)	(2012–13) जारी अनुदान (करोड़ रु.)	(2013–14) जारी अनुदान (करोड़ रु.)	कुल जारी राशि 31.12.2014 तक (करोड़ रु.)
1	आंध्र प्रदेश	113.00	पुलिस प्रशिक्षण	28.25	25.00	-	53.25
2	असम	50.00	पुलिस प्रशिक्षण	12.50	-	-	12.50
3	बिहार	206.00	पुलिस प्रशिक्षण	60.55	51.86	-	112.41
4	छत्तीसगढ़	42.00	पुलिस प्रशिक्षण	10.50	10.50	-	21.00
5	गुजरात	215.00	पुलिस प्रशिक्षण	53.75	53.75	53.75	161.25
6	हरियाणा	100.00	पुलिस प्रशिक्षण	25.00	25.00	25.00	75.00
7	झारखंड	73.00	पुलिस प्रशिक्षण	15.86	18.25	18.25	52.36
8	कर्नाटक	150.00	पुलिस प्रशिक्षण	37.50	38.64	52.00	128.14
9	केरल	100.00	पुलिस प्रशिक्षण	25.00	25.00	25.00	75.00
10	मध्य प्रदेश	180.00	पुलिस प्रशिक्षण	45.00	45.00	45.00	135.00
11	महाराष्ट्र	223.00	पुलिस प्रशिक्षण	55.75	55.75	55.75	167.25
12	मणिपुर	84.00	पुलिस प्रशिक्षण	21.00	21.00	-	42.00
13	मेघालय	50.00	पुलिस प्रशिक्षण	12.50	-	-	12.50
14	ओडिशा	70.00	पुलिस प्रशिक्षण	17.50	17.50		35.00
15	पंजाब	200.00	पुलिस प्रशिक्षण	50.00	-	-	50.00
16	राजस्थान	100.00	पुलिस प्रशिक्षण	26.56	-	-	26.56
17	सिक्किम	10.00	पुलिस प्रशिक्षण	2.40	2.50	2.50	7.40
18	तमिलनाडु	100.00	पुलिस प्रशिक्षण	25.55	25.00	-	50.55
19	त्रिपुरा	10.00	पुलिस प्रशिक्षण	1.00	2.00	4.00	7.00
20	उत्तर प्रदेश	132.00	पुलिस प्रशिक्षण	33.00	33.00	-	66.00
21	उत्तराखंड	70.00	पुलिस प्रशिक्षण	21.00	21.00	-	42.00
22	पश्चिम बंगाल	91.00	पुलिस प्रशिक्षण	22.72	-	-	22.72
		72.00	पुलिस प्रशिक्षण	-	-	-	0.00
	कुल	**2441.00**		**602.89**	**470.75**	**281.25**	**1354.89**

8.20 वर्ष 2014–15 के दौरान, पुलिस कार्मिकों द्वारा की गई सेवा के सम्मानस्वरूप उन्हें निम्नलिखित वीरता/सेवा पदक प्रदान किए गए:–

स्वतंत्रता दिवस 2014 के अवसर पर पदक प्राप्त करने वाले पुलिस कार्मिकों का संगठन–वार/राज्य–वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संगठन का नाम	वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक (पी पी एम जी)	वीरता के लिए पुलिस पदक (पी पी एम जी)	विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक (पी पी एम जी)	सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक (पी पी एम जी)
1	आंध्र प्रदेश	.	02	03	26
2	अरुणाचल प्रदेश	.	.	.	03
3	असम	.	11	2	10
4	बिहार	.	.	.	.
5	छत्तीसगढ़	.	04	1	10
6	दिल्ली	01	02	02	15
7	गोवा	.	.	.	01
8	गुजरात	.	.	03	16
9	हरियाणा	.	.	01	09
10	हिमाचल प्रदेश	.	.	01	03
11	जम्मू एवं कश्मीर	.	09	02	19
12	झारखंड	.	08	01	12
13	कर्नाटक	.	.	03	17
14	केरल	.	.	01	06
15	मध्य प्रदेश	.	02	04	16
16	महाराष्ट्र	03	20	03	41
17	मणिपुर	.	.	01	06
18	मेघालय	.	06	.	02
19	मिजोरम	.	.	.	02
20	नागालैंड	.	.	.	04
21	ओड़िशा	08	11	03	11
22	पंजाब	.	.	01	14
23	राजस्थान	.	.	02	16
24	सिक्किम	.	.	.	01
25	तमिलनाडु	.	01	03	19
26	त्रिपुरा	.	.	01	06
27	उत्तर प्रदेश	.	04	06	72
28	उत्तराखंड	.	02	01	06
29	पश्चिम बंगाल	01	.	04	40

क्र. सं.	राज्य/संगठन का नाम	वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक (पी पी एम जी)	वीरता के लिए पुलिस पदक (पी पी एम जी)	विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक (पी पी एम जी)	सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक (पी पी एम जी)
30	संघ राज्य क्षेत्र				
	क) अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	.	.	.	.
	ख) चंडीगढ़	.	.	01	02
	ग) दादरा और नगर हवेली	.	.	.	01
	घ) दमन और दीव	.	.	.	01
	ङ) लक्षदीप	.	.	.	.
	च) पुदुचेरी	.	.	01	01
31	केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल/ अन्य संगठन				
	छ) असम राइफल्स	.	.	.	15
	ज) बी एस एफ	01	06	06	46
	झ) सी बी आई	.	.	04	20
	ञ) सी आई एस एफ	.	04	02	23
	ट) सी आर पी एफ	01	70	05	58
	ठ) गृह मंत्रालय	.	.	07	25
	ड) आई टी बी पी	.	01	02	12
	ढ) एन एस जी	.	.	.	03
	ण) एस एस बी	.	.	02	10
	त) एस पी जी	.	.	.	04
	थ) मंत्रिमंडल सचिवालय	.	.	.	.
	द) बी पी आर एंड डी	.	.	01	02
	ध) एन सी आर बी	.	.	.	04
	न) एन ई पी ए	.	.	.	.
	प) एलएनजेएन एनआईसीएफएस	.	.	.	02
	फ) एन एच आर सी	.	.	.	01
	ब) एन आई ए	.	.	.	03
	भ) एन डी आर एफ	.	.	01	03
	म) एस वी पी एन पी ए	.	.	.	06
	य) गृह मंत्रालय सचिवालय	.	.	.	01
32	रेल मंत्रालय (आर पी एफ)	.	.	01	13
	कुल	**15**	**163**	**82**	**659**

*****

अध्याय 9

अन्य पुलिस संगठन एवं संस्थाएं

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी)

9.1.1 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना देश में पुलिस की जरुरतों और समस्याओं का पता लगाने, समुचित अनुसंधान परियोजना एवं अध्ययन करने तथा उभरती हुई चुनौतियों के समाधान हेतु नीतिगत विकल्पों का सुझाव देने के लिए दिनांक 28.08.1970 को की गई थी। इसे भारत और विदेश, दोनों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों के अद्यतन घटनाक्रमों की जानकारी रखने का कार्य भी सौंपा गया था। इस समय, इसके 6 प्रभाग हैं, जिनके नाम हैं अनुसंधान और सुधारात्मक प्रशासन, प्रणिक्षण, आधुनिकरकरण तथा प्रौद्योगिकी विकास, राष्ट्रीय पुलिस मिशन, विशेष इकाइयां और प्रशासन।

ड्यूटियों का चार्टर

9.1.2 पुलिस को प्रभावित करने वाले सामान्य स्वरूप के विभिन्न प्रकार के अपराध और समस्याओं का अध्ययन :

(क) (i) विभिन्न प्रकार के अपराधों की प्रवृत्ति और कारण।

(ii) अपराध निवारण उपाय, उनकी प्रभावकारिता और विभिन्न प्रकार के अपराधों के साथ संबंध।

(iii) पुलिस प्रशासन, पुलिस अधिनियम और नियमावली का संयोजन, शक्ति, प्रशासन, पद्धति, प्रक्रिया और तकनीक।

(iv) वैज्ञानिक सहायता प्रदान करके जांच–पड़ताल, उपयोगिता और परिणामों की पद्धतियों में सुधार।

(v) दंडात्मक उपबंधों सहित कानून की अपर्याप्तता।

(ख) (i) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यक्रमों में सहायता, अनुसंधान परियोजनाओं के संसाधन में समन्वय।

(ii) व्यावसायिक हित वाले क्षेत्र में अनुसंधान परियोजनाएं प्रायोजित करना।

(iii) अपराध विज्ञान, पुलिस विज्ञान और सुधारात्मक प्रशासन में डॉक्टोरल कार्य के लिए प्रत्येक वर्ष भारतीय विश्वविद्यालयों के विद्वानों को सभी फेलोशिप प्रदान करने के लिए भारत सरकार की फेलोशिप योजना कार्यान्वित करना।

(iv) भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ परस्पर व्यावसायिक हित के क्षेत्र में उन्नत अनुसंधान को बढ़ावा देना।

(v) विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय स्थापित करना और विभिन्न स्तरों पर पुलिस और कारागार संबंधी विषयों पर शैक्षणिक पाठ्यक्रम शुरु करने के लिए प्रेरित करना।

(vi) अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस आयोजित करना और साथ ही अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और सेमिनारों में सक्रिय रूप से भाग लेना/समन्वय करना।

(vii) समय–समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में समान रूप से पुलिस सुधार लागू करने के लिए श्रेष्ठ प्रक्रियाओं और मानकों की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा अन्य संबंधित संगठनों में उनका प्रसार करना।

(viii) पुलिस और कारागार संबंधी आंकड़ों और सामान्य प्रशासन की समस्याओं का विश्लेषण और अध्ययन करना।

(ix) पुलिस और सुधारात्मक प्रशासन के क्षेत्र में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सूचना एकत्र करना और उसका प्रसार करना।

(x) कारागार प्रमुखों का अखिल भारतीय कारागार ड्यूटी शिखर सम्मेलन और अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित करना।

(xi) क्षेत्रीय सुधारात्मक प्रशासन संस्थानों (आरआईसीए) और सुधारात्मक प्रशासन के अन्य शैक्षणिक/ अनुसंधान संस्थानों द्वारा आयोजित अनुसंधान अध्ययनों का समन्वय करना।

(xii) बदलती सामाजिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कारागार स्टाफ के लिए विभिन्न प्रकार के

प्रशिक्षण कार्यक्रमों (बुनियादी और सेवाकालीन दोनों) की समीक्षा करना और प्रायोजित करना, नई वैज्ञानिक तकनीकें और अन्य संबंधित पहलू शुरु करना।

9.1.3 अनुसंधान और सुधारात्मक प्रशासन निदेशालय ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक 245 अनुसंधान अध्ययन किए हैं। इन अध्ययनों की रिपोर्टें और सिफारिशें उनके उपयोग के आधार पर उचित कार्रवाई हेतु संबंधित पुलिस बलों को भेजी जाती हैं। इस ब्यूरो द्वारा किए गए सभी अनुसंधान अध्ययनों का संकलन ब्यूरो द्वारा नियमित आधार पर निकाला गया है। बीपीआरएंडडी ने पहले ही अनुसंधान अध्ययन संबंधी संकलन के तीन संस्करण प्रकाशित कर दिए हैं और उसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य संबंधितों में परिचालित कर दिया है।

9.1.4 पुलिस अनुसंधान संबंधी स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित अनुसंधान के विषय जिन पर 12वीं पंचवर्षीय योजना स्कीम के तहत कार्रवाई की जाएगी :–

(i) अधीनस्थ रैंक में मानव संसाधनों की क्षमता का निर्माण।

(ii) भारत में महिला पुलिस के नेतृत्व का विकास।

(iii) साइबर सुरक्षा के विशेष संदर्भ में साइबर अपराध।

(iv) भारत में प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियां–वर्तमान स्थिति और भविष्य की चुनौतियां और मुद्दे।

(v) पुलिस कार्य में ई–शासन के क्षेत्रों का पता लगाना।

(vi) मूल स्तर पर पुलिस की जबावदेही।

(vii) ग्रामीण पुलिस व्यवस्था की श्रेष्ठ पद्धतियां।

(viii) शहरी पुलिस व्यवस्था की श्रेष्ठ पद्धतियां।

(ix) अपराध की जांच पड़ताल को कानून एवं व्यवस्था से अलग करना।

(x) तेजी से आपदा प्रबंधन और राहत को सुकर बनाने के लिए भूकंप वाले क्षेत्रों में पुलिस कार्रवाही संबंधी अध्ययन।

(xi) कैदियों के परिवार पर कारावास की सजा का प्रभाव।

(xii) भारत में कारावास की सजा का विकल्प।

(xiii) भारत में रिहा किए गए अपराधियों का अनुवर्ती अध्ययन।

(xiv) कारागार प्रबंधन में मानवाधिकार पहलों को लागू करना।

(xv) भारत में कारागारों के प्रबंधन संबंधी विभिन्न क्रियाकलापों की आउटसोर्सिंग करना।

9.1.5 12वीं पंचवर्षीय योजना (योजनागत स्कीम के तहत) के लिए पहचाने गए अनुसंधान के अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र जिन्हें विज्ञापित किया जाना है:–

(i) प्रभावी पुलिस कार्रवाई के लिए जनसांख्यिकी परिवर्तन और उपाय।

(ii) प्रभावी तटीय पुलिस व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना।

(iii) पुलिस में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कार्य योजना।

(iv) भारतीय पुलिसः (विज़न) 2050

(v) उग्रवाद और आतंकवाद संबंधी तुलनात्मक विश्लेषण।

(vi) एलडब्ल्यूई राज्यों में विकास कार्यों में पुलिस की भूमिका और एलडब्ल्यूई और विद्रोहियों का मुकाबला करने के लिए सहायता के रूप में प्रौद्योगिकी उन्नयन।

(vii) पुलिस स्टेशन स्तर पर आसूचना एकत्र करने की दक्षता और उन्नयन।

(viii) आई.ओ. स्तरों पर व्यावसायिकता और विशेषज्ञता।

(ix) पर्यावरणीय अपराध और पुलिस कार्रवाई।

(x) गैर–परंपरागत युद्ध संबंधी कार्य योजना तैयार करना।

(xi) पुलिस स्टेशन से लेकर जिला पुलिस मुख्यालय स्तर तक रिकार्ड प्रबंधन।

(xii) राज्य पुलिस में शीर्ष से लेकर न्यूनतम स्तर का अनुपात सुनिश्चित करने के लिए भर्ती (पुलिस सुधार संबंधी समीक्षा समिति की मद 12)।

(xiii) राज्यों में पुलिस अभियानों को सुकर बनाने के लिए भारत सरकार की प्रभावी भूमिका संबंधी अध्ययन।

(xiv) मूल परिस्थितियों पर आधारित किसी पुलिस स्टेशन का पुनर्गठन करने के लिए मानदंडों/मापदंडों की पहचान।

(xv) रिहा किए गए कैदियों के लिए बाद की देखभाल संबंधी सेवाओं के कार्यान्वयन की स्थिति।

(xvi) भारत में कारागार कर्मचारियों का विकास।

(xvii) भारत में कारागार प्रबंधन में ई–गवर्नेंस।

(xviii) भारत में कारागार प्रबंधन में श्रेष्ठ पद्धतियों का राष्ट्रीय सर्वेक्षण।

(xix) भारतीय कारागारःदृष्टिकोण (विज़न) 2050

(xx) कारागार के अधिकारियों के लिए उपलब्ध प्रशिक्षण अवसंरचना का मूल्यांकन और उनकी प्रशिक्षण संबंधी जरुरतों की पहचान।

9.1.6 पूरे किए गए अनुसंधान अध्ययन (योजनागत स्कीम के तहत)

8 घंटों की शिफ्ट के लिए पुलिस जनशक्ति की राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यकता।

9.1.7 जारी अनुसंधान अध्ययन (योजनेतर स्कीम के तहत) :

(i) दूसरे देशों की स्थिति के संदर्भ में अपराध के पीड़ितों को मुआवजे के तौर–तरीके तैयार करना ताकि इसे हमारे देश में आपराधिक न्याय प्रणाली के एक भाग के रूप में बनाया जा सके।

(ii) सुशासन को बढ़ावा देने के लिए विधि विज्ञान के उपायों का प्रयोग।

(iii) बैंक धोखाधड़ियों की संख्या और क्रियाविधिः तमिलनाडु राज्य में बैंक धोखाधड़ियों से निपटने में पुलिस की भूमिका।

(iv) अपराध की घटनाओं, उत्पीड़न और अपराध की लागत की मापः तमिलनाडु में अन्वेषणात्मक विश्लेषण।

(v) गोवा में लिंगभेद संबंधी मुद्दों का परिस्थितिजन्य विश्लेषण।

(vi) राज्य पुलिस कार्मिकों और केन्द्रीय अर्द्ध–सैनिक कार्मिकों के आत्महत्या के मामलों का अध्ययन और ऐसे मामलों को रोकने के सुझाव

(vii) आतंकवाद और उग्रववाद से संबंधित अपराध इटियोलाजीः तुलनात्मक विश्लेषण।

(viii) पुलिस कार्मिकों की थकानः कारण और उपचार।

(ix) बचाए गए लोगों के पुनर्वास में मानवरोधी अवैध व्यापार और बहु–स्टेकहोल्डर की अंतर्ग्रस्तता।

(x) मूल्यांकन के लिए आंतरिक सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण में सामुदायिक भागीदारी के लिए विशिष्ट उपायों की पहचान।

(xi) पुलिस जवाबदेही, प्रेरणा और नियंत्रण का अध्ययन।

(xii) मूल स्तर (पुलिस स्टेशन) पर विवाद प्रबंधन और विवाद समाधान।

(xiii) बच्चों के अवैध व्यापार के साथ गुमशुदा बच्चों का संबंधः विश्लेषणात्मक अध्ययन।

(xiv) केन्द्रीय सशस्त्र बलों में महिला सशक्तिकरण और भावी दृष्टिकोण।

(xv) उग्र भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस की कार्रवाई के संबंध में स्टेकहोल्डर की प्रतिक्रिया समझना।

(xvi) पुलिस की खुशहाली पर पुलिस प्रभावकारिता के प्रभाव की जांच।

(xvii) राष्ट्रीय स्तर के सूचना विनिमय मॉडल की अवधारणा करना जो खुले मानकों पर आधारित होगी और विभिन्न क्षेत्रों में एजेंसियों के बीच अपराध/आपराधिक संबंधों के बारे में सूचना का बेरोक–टोक आदान–प्रदान करेगी (जैसे कि प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर या पब्लिक डाटा बेस के कस्टोडियन)।

(xviii) बेंगलूर शहर के पुलिस कार्मिकों में तनाव का स्तर और संबंधित रोग।

(xix) केन्द्रीय पुलिस संगठनों –सीआईएसएफ और आईटीबीपी में व्यक्तिपरक खुशहाली संबंधी कल्याण योजना (एस डब्ल्यू बी) का प्रभाव।

(xx) एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक विश्वास निर्माण के उपाय।

(xxi) कैदियों के सुधार और पुनर्वास में एनजीओ की भूमिका।

(xxii) महिला कैदियों तथा उनके साथ रहने वाले बच्चों की सामाजिक–मनोवैज्ञानिक और आर्थिक समस्यायें और उनके पुनर्वास की स्थिति।

(xxiii) कैदियों के सुधार और पुनर्वास में एनजीओ की भूमिका और कारगरता।

(xxiv) कारागार प्रबंधन और कैदियों के पुनर्वास में भारतीय कारागार की शिक्षा की दक्षता और प्रभावः अनुभवजन्य अध्ययन।

9.1.8 योजनेत्तर स्कीम के तहत शुरु किए गए अनुसंधान अध्ययनः

(i) पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों द्वारा सामना की गई गलत–फहमी, पूर्वाग्रह तथा हिंसा के पीड़ित।

(ii) पुलिस द्वारा तथाकथित ज्यादती सहित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रति अपराध, ताकि उनके कारणों की छानबीन की जा सके तथा निवारक उपाय समझाए जा सकें।

9.1.9 वर्ष 2014–15 के लिए महिलाओं से संबंधित मुद्दों का अनुसंधान अध्ययनः

(i) पूर्वोत्तर क्षेत्र में महिलाओं के प्रति अपराध की स्थिति।

(ii) पूर्वी क्षेत्र में महिलाओं के प्रति अपराध की स्थिति।

(iii) उत्तरी क्षेत्र में महिलाओं के प्रति अपराध की स्थिति।

(iv) पश्चिमी क्षेत्र में महिलाओं के प्रति अपराध की स्थिति।

(v) केन्द्रीय सशस्त्र बलों में महिला सशक्तिकरण और भावी दृष्टिकोण।

(vi) मानव तस्करी को रोकना और बचाए गए लोगों के पुनर्वास में बहु–स्टेकहोल्डर की अंतर्ग्रस्तता।

(vii) पुलिस द्वारा तथाकथित ज्यादती सहित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रति अपराध, ताकि उनके कारणों की छानबीन की जा सके तथा निवारक उपाय समझाए जा सकें।

(viii) महिला कैदियों तथा उनके साथ उनके साथ रहने वाले बच्चों की सामाजिक–मनोवैज्ञानिक और आर्थिक समस्यायें और उनके पुनर्वास की स्थिति।

(ix) कारागार प्रबंधन और कैदियों के पुनर्वास में भारतीय कारागार की शिक्षा की दक्षता और प्रभावः अनुभवजन्य अध्ययन।

अपराधविज्ञान और पुलिस विज्ञान संबंधी डॉक्टोरल फेलोशिप प्रदान करना

9.1.10 प्रत्येक वर्ष इससे संबंधित विषयों पर पीएच.डी कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए 12 फेलोशिप प्रदान की जाती हैं। अनुसंधान प्रभाग ने अब तक अपराध विज्ञान और पुलिस विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टोरल कार्य के लिए 78 फेलोशिप प्रदान की हैं। चार अनुसंधान फेलो ने वर्ष 2014–15 के दौरान अपना डॉक्टोरल कार्य पूरा कर दिया है और अपनी थेसिस प्रस्तुत कर दी है। इस समय, सत्रह बीपीआरएंडडी अनुसंधान फेलो अपना अनुसंधान कार्य कर रहे हैं।

आधुनिकीकरण विंग

एमपीएफ स्कीम के तहत राज्य पुलिस बलों की कमियों का अध्ययन

9.1.11 गृह मंत्रालय ने दिनांक 06.12.2013 को बीपीआरएंडडी को आगामी तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2016–17 तक राज्य पुलिस बलों में कमियों तथा अनुमानित मांग संबंधी अध्ययन करने का कार्य सौंपा है। बीपीआरएंडडी ने सभी राज्य पुलिस बलों के संबंध में गैर–योजना तथा योजना के तहत पृथक रूप से आंकड़ों के संग्रहण के लिए एक प्रश्नावली तैयार की तथा इसे परिचालित किया। राज्यों से प्राप्त आंकड़ों को गैर–योजना (अर्थात् आवाजाही, हथियार, संचार उपकरण, प्रशिक्षण उपकरण और विधि विज्ञान संबंधी उपकरण) और योजना (अर्थात् पुलिस भवन अवसंरचना का निर्माण) के घटकों के तहत संकलित किया गया। आंकड़ों की जांच के बाद, बीपीआरएंडडी ने रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें आज की तारीख के अनुसार कमी तथा अगले तीन वर्षों अर्थात् 2014–15 से 2016–17 तक के लिए निधियों संबंधी भावी आवश्यकता को दर्शाया गया है। राज्य पुलिस ने राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम के विभिन्न घटकों के तहत गैर–योजना के अंतर्गत 16,000.51 करोड़ रु. और योजना के तहत 99,259.81 करोड़ रु. का अनुमान लगया है।

12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत मॉडल पुलिस स्टेशन ग्रेड–।।। का निर्माण

9.1.12 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) के तहत बीपीआरएंडडी द्वारा चम्पई, मिजोरम, जिला मुख्यालय, इम्फाल, मणिपुर तथा चौपंकी, अलवर, राजस्थान में तीन मॉडल पुलिस स्टेशनों का निर्माण शुरू किया गया तथा इसे गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 26.12.2013 को 3.00 करोड़ रु. की लागत अर्थात् प्रत्येक के लिए एक करोड़ या वास्तविक निर्माण लागत पर अनुमोदन प्रदान किया गया था। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के पश्चात मिजोरम तथा मणिपुर में कार्य प्रारम्भ हो गया है।

सम्मेलन

9.1.13 ओडिशा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा बीपीआर एंड डी के सहयोग से दिनांक 25.09.2014 से 26.09.2014 तक भुवनेश्वर में चौथे अखिल भारतीय पुलिस हाउसिंग सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। राज्य पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रमुखों/अपर महानिदेशकों, तकनीकी विशेषज्ञों और सीएपीएफ के प्रतिनिधियों ने उक्त सम्मेलन में भाग लिया।

उपकरण के सार–संग्रह का प्रकाशन

9.1.14 बीपीआरएंडडी सीएपीएफ और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस बलों द्वारा अक्तूबर, 2011 से मार्च, 2014 तक प्राप्त किए गए उपकरणों का तृतीय सार–संग्रह प्रकाशित कर रहा है। यह प्रकाशन राज्य पुलिस बलों के लिए शीघ्र प्रापण को सुकर बनाने तथा राज्य पुलिस बलों को आधुनिक बनाने के लिए उत्पाद, उपकरण, प्रौद्योगिकी, मूल उपकरण निर्माता तथा उपकरण के खरीद मूल्य संबंधी उपयुक्त आंकड़े उपलब्ध कराता है। सभी सीएपीएफ, राज्य पुलिस बलों तथा स्टेकहोल्डरों को सार–संग्रह परिचालित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय पुलिस मिशन का प्रादुर्भाव

9.1.15 बीपीआरएंडडी में वर्ष 2009 में राष्ट्रीय पुलिस मिशन निदेशालय की स्थापना की गई है। इस निदेशालय में निम्नलिखित सात माइक्रो–मिशन कार्य कर रहे हैं:

एम एमः01 मानव संसाधन विकास

(पुलिस जनसंख्या अनुपात–कैरियर की प्रगति–नेतृत्व–उत्तरदायित्व–निष्पादन का मूल्यांकन–प्रशिक्षण–नेशनल पुलिस युनिवर्सिटी–मानसिकता में परिवर्तन–पुलिस कर्मियों का कल्याण आदि)।

एम एमः 02 सामुदायिक पुलिस व्यवस्था

(पुलिस व्यवस्था में समुदाय को शामिल करना–मीडिया उद्योग और अन्य संगत घटकों से पुलिस का आमना–सामना (इन्टरफेस)–पुलिस की छवि आदि)।

एम एमः 03 संचार और प्रौद्योगिकी

(पोलनेट–सी आई पी ए–साइबर तकनीक–विधिविज्ञान–डीएनए–नार्को विश्लेषण आदि)।

एम एमः 04 अवसंरचना

(भवन–शासकीय और आवासीय उपकरण और अस्त्र–शस्त्र आदि)।

एम एमः 05 नई प्रक्रियाएं (इंजीनियरिंग की प्रक्रिया)

(जारी पुलिस पद्धतियां–पुनरीक्षा और प्रभाव विश्लेषण–मौजूदा सर्वोत्तम पद्धतियां–भारत और अन्य स्थानों पर नवीनीकरण और

उनकी स्वीकार्यता–प्रापण पद्धति–प्रत्यायोजन और विकेन्द्रीकरण आदि)।

एम एमः 06 सक्रिय पुलिस व्यवस्था और भविष्य की चुनौतियों के प्रति दृष्टिकोण

(उग्रवाद और नकसलवाद–भीड़ द्वारा हिंसा–साइबर अपराध–धनशोधन–नार्को आतंकवाद–मानव दुर्व्यापार आदि)।

एम एमः 07 महिलाओं के प्रति अपराध और महिलाओं संबंधी मुद्दे

(बलात्कार पर विशेष बल सहित महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकना और जानकारी पर आधारित अपराध रोकने की रणनीति)।

भारतीय पुलिस के लिए आतंकवाद–रोधी कौशल निर्माण संबंधी प्रशिक्षण कार्यालय

9.1.16 पुलिस अनुसंधान एवं बाल विकास ब्यूरो में दिनांक 29.01.2014 को आयोजित कार्यशाला, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, श्री अजीत डोवाल समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया था, के परिणामस्वरूप आतंकवाद से लड़ने में भारतीय पुलिस के लिए कौशल निर्माण संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने का निर्णय लिया गया। इस मुद्दे पर राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में भी विचार–विमर्श किया गया। जून, 2014 में इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में पाठयक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए आसूचना जांच तथा अभियान संबंधी तीन समूह तैयार किए गए। इन समूहों की अध्यक्षता क्रमशः श्री आर.एन. रवि, श्री एस.पी. बालाजी और श्री राजन मेधेकर द्वारा की गई। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम एसपी से एएसआई रैंक तक के अधिकारियों को कवर करने के लिए तैयार किए गए। आई पी एस अधिकारियों के लिए पहला पाठ्यक्रम दिनांक 17 नवम्बर, 2014 से राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में शुरू हो गया है।

पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया (एमएमः01)

9.1.17 पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया (टी आर पी) परियोजना का उद्देश्य ओ एम आर शीट, लम्बाई और वजन की डिजिटल रिकार्डिंग, आर एफ आई डी चिप, सी सी टी वी, वीडियोग्राफी और बायोमेट्रिक डिवाइस आदि जैसी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के साथ–साथ सरल और सुपरिभाषित प्रक्रियाओं का उपयोग करके पुलिस कर्मियों की सुस्पष्ट, निष्पक्ष, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ, अभेद्य (टैम्पर प्रूफ), वैज्ञानिक और योग्यता पर आधारित भर्ती सुनिश्चित करना है। यह परियोजना वर्ष 2009 में कार्यान्वयन के लिए गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की गई थी।

9.1.18 सितम्बर 2009 में, गृह मंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों को टीआरपी के कार्यान्वयन के लिए पत्र लिखा था। बीपीआरएंडडी द्वारा सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को भी पत्र भेजे गए थे। मिशन निदेशालय ने टीआरपी के संबंध में एक सार–संग्रह प्रकाशित किया है तथा इसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया है। टीआरपी के कार्यान्वयन की राज्य–वार स्थिति निम्नानुसार हैः–

श्रेणी 'क' (80% से अधिक अंगीकरण)	मेघालय, छत्तीसगढ़, पुदुचेरी, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, नई दिल्ली, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश
श्रेणी 'ख' (45% से 70% अंगीकरण)	तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, महाराष्ट्र
श्रेणी 'ग' (10% से 40% अंगीकरण)	पंजाब, दादरा एवं नगर हवेली, उत्तराखंड, ओडिशा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, गोवा, असम, दमन एवं दीव, लक्षदीप, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, हरियाणा, मिजोरम, जम्मू एवं कश्मीर

9.1.19 जहां तक सीएपीएफ (अर्थात् सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी और असम राइफल्स) का संबंध है, उन्होंने 80 % से अधिक की सीमा तक टीआरपी को अपना लिया है।

नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सामुदायिक पुलिस–व्यवस्था कार्यक्रम (एम एमः 02)

9.1.20 इस परियोजना का उद्देश्य आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था और स्थानीय लोगों को विकास योजनाओं के लाभों की व्यवस्था की सुविधाएं प्रदान करना और रोजगार सृजित करने हेतु युवाओं को व्यावसायिक ट्रेडों में प्रशिक्षित करना है। उक्त परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्रभावित क्षेत्रों के स्थानीय लोगों के दिलो–दिमाग को जीतना है। दिनांक 06.11.2014 को, गृह मंत्रालय ने इस परियोजना को सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के अंतर्गत नक्सलवाद से प्रभावित सुरक्षा संबंधी व्यय वाले 106 जिलों में परिचालित किया है और इस प्रकार प्रत्येक जिला सामुदायिक पुलिस व्यवस्था पर 10 लाख रु. प्रति वर्ष खर्च कर सकता है और मीडिया तथा प्रचार पर 5 लाख रु. प्रति वर्ष खर्च किया जा सकता है।

वैकल्पिक विवाद समाधान

9.1.21 एक और परियोजना विकसित की गई है, जिसका लक्ष्य स्वयंसेवी संगठनों तथा अन्य संपन्न व्यक्तियों के सहयोग से महिलाओं, बच्चों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों को प्रभावित करने वाले विवादों के समाधान को सुगम बनाना है। उक्त परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 12.02.2014 को एक परामर्शी पत्र जारी किया गया है।

9.1.22 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के तहत एनपीएम की निम्नलिखित 04 परियोजनाएं शुरू की गई हैं और इन परियोजनाओं के लिए 75.54 करोड़ रु. का बजट आबंटित किया गया हैः–

1. सामुदायिक परामर्श केन्द्र,
2. पुलिस स्टूडेंट कैडेट कार्यक्रम,
3. सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का सामुदायिक पुलिस भागीदारी संबंधी महत्वपूर्ण
4. पुलिस स्टेशनों के लिए जांच में सहयोग संबंधी इकाइयां।

एसपीडी प्रभाग

9.1.23 बीपीआरएंडडी में नवम्बर, 2014 माह में महिला मामलों संबंधी प्रभाग बनाया गया। इस प्रभाग का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के प्रति अपराध, महिला लक्षित हिंसा, मानव दुर्व्यापार, महिलाओं संबंधी मामलों, एससी/एसटी तथा अल्पसंख्यक समुदाय संबंधी मामलों का निपटान करना है।

9.1.24 इस प्रभाग को जयपुर में माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा घोषित राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में स्थापित किए जाने वाले नए संस्थान अर्थात् ''सेंटर फॉर जेंडर स्टडीज'' का ब्लूप्रिंट तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। प्रस्तावित उत्कृष्ट केन्द्र अनुसंधान, प्रशिक्षण, विधान तथा इसके कार्यान्वयन संबंधी अन्तरालों आदि के अधिदेश के साथ महिला पुलिस व्यवस्था संबंधी मामलों की देखभाल और निम्नलिखित आदर्शों के साथ महिला सुरक्षा तथा महिलाओं के प्रति अपराध से संबंधित मामलों पर नीति–निर्माताओं की सहायता करेगाः–

संवेदनशील पुलिस – सुरक्षित महिला

सुरक्षित महिला – सुरक्षित समुदाय

सुरक्षित समुदाय – सशक्त समुदाय

9.1.25 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी), गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 08 मई, 2014 को नई दिल्ली में डॉ. आनन्द स्वरूप गुप्ता मेमोरियल व्याख्यान का आयोजन किया गया। डॉ. न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान, भारत के उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ने ''अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और तिरस्कारपूर्ण भाषण : राजनैतिक सिविल सोसाइटी की भूमिका'' पर व्याख्यान दिया।

माननीय मुख्य अतिथि डॉ. न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान, भारत के उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ने श्री राजन गुप्ता, महानिदेशक, बीपीआरएडडी (एल) के साथ व्याख्यान का उदघाटन किया।

9.1.26 भारतीय पुलिस पत्रिका (आईपीजे): बीपीआरएंडडी, भारतीय पुलिस पत्रिका (आईपीजे) प्रकाशित करता है जो पुलिस व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में सुप्रसिद्ध तिमाही पत्रिका है। वर्ष 1954 से यह अधिसंख्य पाठकों की जरुरतों को पूरा कर रही है, जिनमें राष्ट्रीय से लेकर अंतरराष्ट्रीय, नीति निर्माताओं से लेकर शिक्षा शास्त्री और पुलिस व्यवस्था के विभिन्न स्टेकहोल्डर शामिल हैं।

9.1.27 बीपीआरएंडडी, ''भारत में पुलिस संगठन संबंधी आंकड़े'' नामक बुकलेट वार्षिक आधार पर तैयार करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय पुलिस बलों से आंकड़े एकत्र करता है, उसकी संवीक्षा करता है, संकलित करता है, सारणीबद्ध करता है और उनका विश्लेषण करता है, जिसमें पुलिस बलों के विभिन्न पहलुओं से संबंधित आंकड़े होते हैं। यह आंकड़ा आपराधिक प्रणाली में सामान्य रूप से सभी स्टेकहोल्डरों तथा विशेषरूप से पुलिस अधिकारियों के लिए उपयोगी है। यह उन्हे समस्त देश में पुलिस प्रशासन के बारे में आधारभूत और महत्वपूर्ण सांख्यिकी तक पहुंच तथा इसकी जानकारी प्रदान करता है। यह पुलिस के लिए अवसंरचनात्मक भवनों संबंधी योजना, विभिन्न असामान्य प्रवृतियों के मूल तक पहुंचने के लिए अनुसंधनात्मक परियोजनाएं शुरू करने, इसे देश में पुलिस और पुलिस व्यवस्था के संबंध में नीति निर्धारण के लिए वस्तुनिष्ट तथा आनुभविक इनपुट के रूप में प्रयोग करने आदि जैसे विविध उपयोगों के लिए एक स्थान पर पुलिस के बारे में महत्वपूर्ण आंकड़ों का स्रोत है। श्री राजनाथ सिकह, केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा दिनांक 1.1.2015 को नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में अद्यतन संस्करण जारी किया गया।

श्री राजनाथ सिंह, माननीय गृह मंत्री ने श्री राजन गुप्ता, महानिदेशक, बीआरएंडडी के साथ 'दिनांक 01.01.2015 की स्थिति के अनुसार भारत में पुलिस संगठन संबंधी आंकड़े' जारी किए।

9.1.28 बीपीआरएंडडी ने एक सुसज्जित पुस्तकालय भी विकसित किया है। पुस्तकालय ने पुलिस विज्ञान के क्षेत्र में व्यापक रूप से अपनी पुस्तकों की संख्या बढ़ाई है। पुलिस विज्ञान में अपराध, अपराध विज्ञान और आपराधिक कानून,

सुधारात्मक प्रशासन, कानून और व्यवस्था और सुरक्षा, विधि विज्ञान, जनता–पुलिस संबंध, हथियार, यातायात और परिवहन, साइबर अपराध, पुलिस सुधार, पुलिस संगठन का इतिहास, दर्शन और समाजशास्त्र जैसे क्षेत्र शामिल हैं। पुस्तकालय में परंपरागत और ई–संसाधन, दोनों हैं। पुस्तकालय में पीएच.डी थीसिस और अनुसंधान रिपोर्टों का अनूठा संग्रह है और यह कई विद्वानों को आकृष्ट करता है। पुस्तकालय, विशेषज्ञ अभिरुचि वाली 20 विदेशी और 32 भारतीय पत्रिकाओं में भी अभिदान करता है। इसके अलावा, पुस्तकालय, ऑन–लाइन संसाधनों में भी अभिदान करता है। यह पुस्तकालय इन–हाउस अनुसंधानकर्ताओं के साथ–साथ दूसरी जगह के अनुसंधानकर्ताओं की जरुरतों को भी पूरा करता है। यह पुस्तकालय, दिल्ली पुस्तकालय नेटवर्क का भाग है और इस प्रकार यह विश्व को एक झरोखा प्रदान करता है।

9.1.29 गृह मंत्रालय ने योजनागत स्कीम के तहत 117.34 करोड़ रु. की संशोधित लागत से एक नए स्थान महिपालपुर में बीपीआरएंडडी के नए मुख्यालय के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने प्रस्तावित नए मुख्यालय के लिए महिपालपुर गांव में 3.063 हेक्टेयर भूमि आबंटित कर दी है। वर्ष 2014–15 के दौरान निर्माणकर्ता एजेंसी द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां शुरू की गई हैं:–

(क) सभी भवनों में आरसीसी ढांचागत संरचना का निर्माण पूरा किया गया;

(ख) सभी भवनों की बाहरी परिसज्जा का कार्य पूरा किया गयाय

(ग) एनसीआरबी ब्लॉक, सामान्य सुविधा ब्लॉक तथा पारगमन आवास का आन्तरिक फर्श संबंधी कार्य (पूरा किया गया)।

बीपीआरएंड और एनसीआरबी के नए मुख्यालय

9.1.30 परियोजना की निर्माणकर्ता एजेंसी ने 69 % वास्तविक कार्य पूरा कर लिया है। वित्तीय वर्ष 2014–15 (दिसम्बर 2014 तक) के दौरान 25.67 करोड़ रु. की राशि खर्च की गई है। इस परियोजना के सितम्बर, 2015 तक पूरा होने की संभावना है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो

9.2.1 राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की स्थापना राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के अपराध और अपराधियों सहित इनसे संबंधित सूचना के क्लियरिंग हाउस के रूप में कार्य करने के लिए वर्ष 1986 में की गई थी ताकि अपराध को अपराधकर्ताओं, अपराध और अंगुलि छाप संबंधी आंकड़ों का संग्रहण और संसाधन से जोड़कर जांचकर्ताओं और अन्यों की सहायता की जा सके, राज्य अपराध रिकार्ड का समन्वय, मार्ग दर्शन और सहायता तथा पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। एन सी आर बी भारतीय पुलिस को सूचना प्रौद्योगिकी एवं अपराध आसूचना से सशक्त बनाने के प्रयास करता है ताकि वे कानून का प्रभावकारी ढंग से एवं कुशलतापूर्वक प्रवर्तन करने में सक्षम हो सकें और लोक सेवा प्रदान करने में सुधार किया जा सकें। इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस बलों के साथ समन्वय करके, अपराध विश्लेषण प्रौद्योगिकी का उन्नयन करके और सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता एवं आई टी समर्थित समाधान का विकास करके हासिल किया जाता है।

पुलिस का प्रशिक्षण

9.2.2 इस क्षेत्र में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा महत्वूपर्ण भूमिका निभाई गई है। अंगुली छापों और कम्प्यूटरों संबंधी तकनीकी प्रशिक्षण तथा कम्प्यूटर केन्द्र प्रबंधन सहित अपराध रिकार्ड प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में राज्य पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक गहन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।

9.2.3 एन सी आर बी भारतीय पुलिस अधिकारियों के लिए वर्ष 1986 से और विदेशी पुलिस अधिकारियों के लिए वर्ष 1990 से सूचना प्रौद्योगिकी एवं अंगुलिछाप विज्ञान के संबंध में पाठ्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रति राज्यों तथा केन्द्रीय पुलिस संगठनों की प्रतिक्रिया अत्यंत उत्साहवर्धक रही है और प्रतिवर्ष प्रशिक्षार्थियों की वार्षिक संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। एन सी आर बी औसतन प्रतिवर्ष लगभग 22–24 पाठ्यक्रमों का आयोजन करता है।

9.2.4 एन सी आर बी में दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2014 की अवधि के दौरान निम्नलिखित पाठ्यक्रम आयोजित किए गए।

पर्यवेक्षण स्तर के अधिकारियों के लिए

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि(सप्ताह)
1	क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम	1
2	क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम(वरिष्ठ अधिकारियों के लिए)	3 दिवसीय
3	नेटवर्क एवं ई–सुरक्षा संबंधी पाठ्यक्रम	1
4	भारत में साख्यिकी साफ्टवेयर अपराध पर आपरेटरों का पाठ्यक्रम/ दुर्घटना के कारण मृत्यु और आत्महत्या	1
5	कारागार आंकड़ों पर आपरेटरों का पाठ्यक्रम	3 दिवसीय
6	अंगुलिछाप विज्ञान संबंधी पुनश्चर्या पाठयक्रम	1
7	रंगीन चित्र निर्माण प्रणाली संबंधी पाठ्यक्रम	3 दिवसीय
8	उन्नत अंगुलिछाप विज्ञान	1
9	अंगुलिछाप विज्ञान संबंधी प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	1

आईटीईसी/एससीएएपी/टीसीएस योजनाओं के तहत विदेश मंत्रालय द्वारा प्रायोजित पाठ्यक्रम

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि (सप्ताह)
1	विधि प्रवर्तन में सूचना प्रौद्योगिकी	12
2	अंगुलिछाप विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में उन्नत पाठ्यक्रम	12
3	विधि प्रवर्तन में सूचना प्रौद्योगिकी	6
4	उन्नत अंगुलिछाप विज्ञान	6
5	कंम्प्यूटर नेटवर्किंग और सुरक्षा में उन्नत कार्यक्रम	6
6	उन्नत अंगुलिछाप विज्ञान	6

9.2.4.1 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने विशेष राष्ट्रमंडल अफ्रीकन सहायता योजना (एससीएएपी)/भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग संगठन (आईटीईसी) और कोलंबो योजना संबंधी तकनीकी सहयोग स्कीम (टीसीएस) के तहत विकसित देशों के 1,128 विदेशी पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है।

9.2.5 एनसीआरबी के वर्तमान संसाधनों को देखते हुए राज्यों की प्रशिक्षण संबंधी जरुरतें कहीं अधिक हैं। एनसीआरबी के मार्गदर्शन में क्षेत्रीय स्तर पर प्रशिक्षण का विकेन्द्रीकरण करने की योजना को गृह मंत्रालय ने अनुमोदित कर दिया था। देश में ये पुलिस कंम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र (पीसीटीसी) चार स्थानों (कोलकाता, लखनऊ, गांधीनगर और हैदराबाद) पर स्थापित किए गए थे और एनसीआरबी प्रशिक्षण के विस्तार के रूप में वर्ष 1990 से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। ये केन्द्र उप–निरीक्षक से लेकर उप–पुलिस अधीक्षक के रैंक के अधिकारियों की प्रशिक्षण संबंधी जरुरतों को पूरा करने में सक्षम हैं।

9.2.6 एनसीआरबी की सलाह पर और इसके द्वारा प्रदान की गई प्रशिक्षण सामग्रियों सहित आवधिक दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो कुछ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चला रहे हैं और उन्होंने रंगरूटों के लिए पुलिस प्रशिक्षण कॉलेजों/स्कूलों में कंम्प्यूटर प्रशिक्षण माड्यूल शुरु किए हैं।

9.2.7 दिनांक 31.12.2014 तक एनसीआरबी द्वारा अयोजित किए गए कुल पाठ्यक्रमों की संख्या और प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या नीचे दी गई है:–

	एनसीआरबी में			क्षेत्रीय पुलिस पुलिस प्रशिक्षण	कुल
	भारतीय	विदेशी	कुल		
आयोजित किए गए कार्यक्रमों की संख्या	758	61	819	1,146	1,965
भाग लेने वाले अधिकारी	13,565	1,128	14,693	26,353	41,046

अपराध रिकॉर्ड शाखा (सीआरबी)

रंगीन चित्र निर्माण प्रणाली (सीपीबीएस)

9.2.8 इस साफ्टवेयर को पीड़ित या गवाहों द्वारा अपराधी और अपहृत/गुमशुदा व्यक्तियों का चित्र बनाने में सहायता करने के लिए विकसित किया गया है।

जाली मुद्रा सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीसीआईएमएस)

9.2.9 समूचे देश में भारतीय रिजर्व बैंक की 19 शाखाओं द्वारा एफआईसीएन की बरामदगी तथा 36 राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा एफआईसीएन की जब्ती से प्राप्त सूचना के आधार पर जाली मुद्रा सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीसीआईएमएस) नोटों के मूल्य वर्ग, श्रृंखला और संख्या आदि जैसे पैरामीटरों पर जाली भारतीय करेंसी नोटों (एफआईसीएन) से संबंधित डाटाबेस का सृजन करती है।

9.2.10 केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), एफआईसीएन के लिए नोडल एजेंसी और केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सीईआईबी) के प्रयोग के लिए रिपोर्टें तैयार की जाती हैं। दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार एनसीआरबी में जब्त और बरामद किए गए 11,53,111 रिकार्डों का डाटाबेस उपलब्ध है। वर्ष 2003 में शुरू होने के बाद से, सभी राज्य और आरबीआई नियमित रूप से आंकड़े भेज रहे हैं।

मोटर वाहन समन्वय प्रणाली (एमवीसीएस)

9.2.11 मोटर वाहन समन्वय प्रणाली (एम वी सी एस) चुराए गए तथा बरामद किए गए मोटर वाहनों और उनसे संबंधित पूछ–ताछ के समन्वय के लिए डिजाइन तैयार की गई है। इसका प्रयोग आम नागरिक द्वारा, किसी लेनदेन में शामिल होने से पहले प्रयुक्त वाहन की स्थिति का पता लगाने के लिए भी किया जा रहा है। दिनांक 11.03.2014 से एक नई ऑनलाइन मोटर वाहन समन्वय प्रणाली ''वाहन समन्वय" शुरू की गई है। यह ऑनलाइन प्रणाली पुलिस को खोए/बरामद किए गए मोटर वाहन के ब्यौरे ऑनलाइन दर्ज करने में सक्षम बनाती है। दूसरी ओर, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय और बीमा कंपनियां मोटर वाहन की स्थिति का सत्यापन कर सकती हैं। जबकि पुलिस/आरटीओ और बीमा कंपनियां लॉग–इन/पासवर्ड के माध्यम से ''वाहन समन्वय'' को देख सकते हैं, सामान्य लोग बिना लॉग–इन अथवा पासवर्ड के अपने वाहन की स्थिति का सत्यापन कर सकते हैं। पैन–भारत में फैले मोटर वाहन पूछताछ काउंटरों के अतिरिक्त, सामान्य लोग ऑनलाइन पूछताछ का अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं और औसतन लगभग 4,800 व्यक्ति ऑनलाइन पूछताछ कर रहे हैं। कई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ऑनलाइन आंकड़े डाल रहे हैं और लगभग 10,000 खोए/बरामद किए गए वाहनों के आंकड़े ऑनलाइन दर्ज किए जा रहे हैं। दिल्ली के सभी आरटीओ तथा राजस्थान, उ.प्र. उत्तराखंड, केरल, पश्चिम बंगाल के कई आरटीओ ''वाहन समन्वय'' का प्रयोग करके वाहन की स्थिति का ऑनलाइन सत्यापन कर रहे हैं।

9.2.12 एमवीसीएस द्वारा संकलित आंकड़े बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों (आरटीए) के लिए उपयोगी हैं। दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार 11,93,133 वाहनों का डाटाबेस मौजूद है। वर्ष 1989 में शुरू होने के बाद, सभी राज्य नियमित रूप से आंकड़े भेज रहे हैं।

तलाश सूचना प्रणाली

9.2.13 तलाश सूचना प्रणाली लापता, अपहृत, वांछित, पता लगाए गए, गिरफ्तार किए गए, अज्ञात व्यक्तियों तथा अज्ञात शवों के मिलान के लिए तैयार की है। यह प्रणाली एनसीआरबी में चालू है और मुख्यतः पुलिस से प्राप्त होने वाली पूछताछ पर कार्यवाही की जा रही है। आम नागरिक द्वारा देखे जाने के लिए

एनसीआरबी वेबसाइट पर भी आंकड़े अपलोड कर दिए गए हैं। दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार, 4,99,618 व्यक्तियों के आंकड़े उक्त प्रणाली में उपलब्ध थे।

9.2.14 निम्नलिखित राज्य नियमित रूप से ये आंकड़े भेज रहे हैं:–

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमण और दीव, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिसा, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

आग्नेयास्त्र समन्वय प्रणाली

9.2.15 आग्नेयास्त्र समन्वय प्रणाली, चोरी किए गए और बरामद किए गए आग्नेयास्त्रों का समन्वय करने में सहायता करती है और मुख्यतः विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार डाटाबेस का आकार 95,878 है।

अपराध एवं अपराधी सूचना प्रणाली (सीसीआईएस)

9.2.16 आपराधिक पूर्ववृत्त मुहैया कराने तथा विभिन्न प्रकार की रिपोर्टें तैयार करने के लिए एससीआरबी से यथा प्राप्त अपराध एवं अपराधी और संपत्ति से संबंधित आंकड़ों को रिकार्ड करने के लिए एनसीआरबी में अपराध एवं अपराधी सूचना प्रणाली साफ्टवेयर का प्रयोग किया जा रहा है। सीसीआईएस के डाटाबेस में इस समय 4,24,19,922 रिकॉर्ड हैं। एक बार सीसीटीएनएस के परिचालित होने के पश्चात, यह बन्द हो जाएगा।

केन्द्रीय अंगुलिछाप ब्यूरो (सी एफ पी बी)

9.3.1 केन्द्रीय अंगुलिछाप ब्यूरो (सीएफपीबी) कोलकाता में वर्ष 1955 में अस्तित्व में आया। सी एफ पी बी देश का एक शीर्ष निकाय है जो अंगुलिछाप विज्ञान से संबंधित सभी मामलों में राज्य अंगुलिछाप ब्यूरो, जाँच एजेन्सियों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का समन्वय करता है, मार्गदर्शन करता है, मानीटर करता है और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। यह ब्यूरो राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय अपराधियों का अंगुलिछाप रिकार्ड रखता है। यह विभिन्न एजेन्सियों से प्राप्त विवादित अंगुलिछापों वाले प्रश्नगत दस्तावेजों की जांच करता है ताकि वह उन पर विशेषज्ञ राय प्रस्तुत कर सकें।

9.3.2 सीएफपीबी ने ''ऑटोमेटिड फिंगर प्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (एस ए आई एस)'' का प्रयोग करके राष्ट्रीय स्तर पर अंगुलिछाप के स्वचलन में अग्रणी कार्य किया है। एनसीआरबी और सीएमसी लि. द्वारा एक साथ मिलकर विकसित किए गए ''फिंगरप्रिंट एनालिसिस एण्ड क्रिमिनल ट्रेसिंग सिस्टम (एफ ए सी टी एस)'' नामक इस साफ्टवेयर की स्थापना सर्वप्रथम सी एफ पी बी में वर्ष 1992 में की गई थी। यह रिज–करेक्टरस्टिक्स के आधार पर अंगुलिछाप की मैचिंग की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली है। सीएफपीबी में ए एफ आई एस का वर्तमान वर्ज़न एफ ए सी टी एस वर्ज़न 5.0 है। ए एफ आई एस डाटाबेस में दस अंक के अंगुलिछाप स्लिप के 9,69,469 रिकॉर्ड हैं (दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार)।

9.3.3 देश के अंगुलिछाप विशेषज्ञों को मान्यता दिलाने के लिए, सी एफ पी बी वार्षिक अखिल भारतीय अंगुलिछाप विशेषज्ञ बोर्ड परीक्षा का आयोजन करता है। यह ब्यूरो एन सी आर बी, नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय द्वारा प्रायोजित विदेशी पुलिस अधिकारियों के लिए अंगुलिछाप विज्ञान में उन्नत पाठ्यक्रम आयोजित करता है। यह ब्यूरो अपनी कोलकाता इकाई में अंगुलिछाप विज्ञान में दो दक्षता पाठ्यक्रम (छह महीने की अवधि के) भी आयोजित करता है। दो पाठ्यक्रम नामतः अंगुलिछाप विज्ञान संबंधी प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) और अंगुलिछाप विज्ञान में उन्नत पाठ्यक्रम नई दिल्ली में पुनः प्रारम्भ किए गए और इस अवधि के दौरान कोलकाता तथा नई दिल्ली दोनों में अंगुलिछाप विज्ञान में एक पांच दिवसीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। पाठ्यक्रमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

क्रम सं.	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का नाम	दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2014 तक आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	वर्ष 2014–15 की शेष अवधि में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
1	2	3	4
1.	नई दिल्ली में विदेशी पुलिस अधिकारियों के के लिए उन्नत अंगुलिछाप विज्ञान	1. 14.07 2014 से 22.08.2014 2. 13.10.2014 से 21.11.2014	• 05.01.2015 से 27.03.2015
2.	कोलकाता में अंगुलिछाप विज्ञान में छह छह महीने का दक्षता पाठ्यक्रम	• 01.01.2014 से 30.06 2014 • 01.07.2014 से 31.12.2014	• 01.01.2015 से 30.06.2015
3.	अंगुलिछाप विज्ञान में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी)	• 19.05.2014 से 23.05.2014	
4.	अंगुलिछाप विज्ञान में उन्नत पाठ्यक्रम	• 09.06.2014 से 13.06.2014	

क्रम सं.	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का नाम	दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2014 तक आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	वर्ष 2014–15 की शेष अवधि में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
1	2	3	4
5.	नई दिल्ली में अंगुलिछाप विज्ञान में पांच दिवसीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (हाल में प्रारम्भ)	• 08.09.2014 से 12.09.2014	
6.	कोलकाता में अंगुलिछाप विज्ञान में पांच दिवसीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (हाल में प्रारम्भ)	• 22.09.2014 से 26.09.2014	
7.	स्नातक पुलिस कांस्टेबलों के लिए अंगुलिछाप विज्ञान में दो सप्ताह का पाठ्यक्रम (हाल में प्रारंभ)	• 08.12.2014 से 19.12.2014	

9.3.4 यह ब्यूरो ''फिंगर प्रिंट इन इंडिया'' नामक एक वार्षिक प्रकाशन निकालता है जो स्टेट फिंगर प्रिंट ब्यूरेक्स, सीएफपीबी और अंगुलिछाप विज्ञान से संबंधित अन्य सहायक मामलों के कार्य निष्पादन और क्रियाकलापों का संकलन है। इस प्रकार का पिछला प्रकाशन सितम्बर, 2014 में निकाला गया था।

विधिविज्ञान सेवा निदेशालय (डी एफ एस एस)

9.4.1 गृह मंत्रालय के तहत विधिविज्ञान सेवा निदेशालय (डी एफ एस एस) देश में विधिविज्ञान के संवर्धन के लिए नोडल एजेंसी है। यह कोलकाता, हैदराबाद, चण्डीगढ़, भोपाल, पुणे और गुवाहाटी स्थित छह केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालाओं (सीएफएसएल) के कार्य का प्रबंधन करता है। यह संगठन देश में विधिविज्ञान सेवाओं के लिए गुणवत्ता, क्षमता और क्षमता निर्माण का संवर्धन करने के लिए योजनाएं और नीतियां तैयार करके विधिविज्ञान की सर्वोत्तम प्रथाओं का संबंर्धन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

9.4.2 डीएफएसएस तथा इसके सहयोगियों का कार्य निष्पादन

(i) **मामला परीक्षण कार्यः** सभी केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालाओं का कार्य संबंधी मुख्य चार्टर न्यायालयों, विभिन्न विधि प्रवर्तन एजेंसियों, पुलिस आदि से प्राप्त मामला प्रदर्शों की फॉरेंसिक ढंग से जांच करना है। दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2014 तक, डीएफएसएस, गृह मंत्रालय के अधीन छह सीएफएसएल को 1,45,246 पार्सलों/प्रदर्शों के साथ 5,007 मामले प्राप्त हुए और 1,08,455 प्रदर्शों के साथ 4,842 मामलों की जांच की गई।

(ii) **न्यायालयी साक्ष्यः** उक्त अवधि के दौरान छह सीएफएसएल के विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों ने 731 न्यायालयी साक्ष्य प्रस्तुत किए।

(iii) **प्रशिक्षण कार्यक्रमः** उक्त अवधि के दौरान छह सीएफएसएल के 30 वैज्ञानिकों को उनके तकनीक ज्ञान तथा कौशल का उन्नयन करने के लिए नेशनल अक्रेडिटेशन बोर्ड फोर टेस्टिंग एंड केलिब्रेशन लेबोरेट्रीज (एनएबीएल) और प्रबंधन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान आईएमटीआर आदि जैसी विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नामित किया गया।

9.4.2.1 उपर्युक्त के अतिरिक्त, सीएफएसएल ने पुलिस अधिकारियों, न्यायाधीशों तथा वैज्ञानिकों के लिए भी विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

9.4.2.2 जुलाई, 2014 माह में, सीएफएसएल चंडीगढ़ ने पंजाब और हरियाणा राज्य के 28 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के लिए विधिविज्ञान संबंधी 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। सितम्बर, 2014 माह के दौरान, सीएफएसएल हैदराबाद ने वियतनाम के 14 वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया। डीएफएसएस हाई–टेक साइबर अपराध प्रयोगशाला की स्थापना के लिए वियतनाम को तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहा है।

नई प्रयोगशालाएं एवं मौजूदा प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण

9.4.3 भारत सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डीएफएसएस के लिए नई केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा डीएफएसएस के अंतर्गत मौजूदा सीएफएसएल का आधुनिकीकरण नामक एक योजनागत स्कीम को अनुमोदन प्रदान किया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित, इस स्कीम का वित्तीय परिव्यय 285.24 करोड़ रु. है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य हाई–टेक तथा नए अपराधों से निपटने में विधि प्रवर्तन एजेंसियों के लिए विधि–विज्ञान संबंधी सहायता को सुदृढ़ करना है।

9.4.3.1 चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान, पुणे, भोपाल तथा गुवाहाटी में अत्याधुनिक प्रयोगशाला भवनों का निर्माण किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए विधिविज्ञान सेवा निदेशालय तथा राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन

दिनांक 29.11.2014 को माननीय गृह मंत्री ने असम के मुख्यमंत्री तथा अन्य लोगों की उपस्थिति में गुवाहाटी में नए सीएफएसएल भवन की आधारशिला रखी।

दिनांक 29.11.2014 को माननीय गृह मंत्री ने गुवाहाटी में नए सीएफएसएल भवन की आधारशिला रखी। श्री तरूण गोगोई, मुख्यमंत्री, असम एवं श्री अनिल गोस्वामी, केन्द्रीय गृह सचिव भी उपस्थित थे।

पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं और निर्माण कार्य शुरू करने के लिए एनबीसीसी को 14.29 करोड़ रु. की अग्रिम राशि जारी कर दी गई है। दिनांक 29.11.2014 को माननीय गृह मंत्री ने असम के मुख्यमंत्री तथा अन्य लोगों की उपस्थिति में गुवाहाटी में नए सीएफएसएल भवन की आधारशिला रखी।

9.4.3.2 ईएफसी दस्तावेज में यथा अनुमोदित, के.लो.नि.वि. द्वारा राजरहाट में सीएफएसएल कोलकाता के लिए एक नए कॉम्पलेक्स का निर्माण किया जाएगा। निर्माण कार्य शुरू करने के लिए के.लो.नि.वि., कोलकाता को 10 करोड़ रु. की राशि अंतरित की गई है।

शुरू की गई नई पहलें

9.4.4 12वीं योजना के तहत यथा अनुमोदित सभी छह केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालाओं में मौजूदा प्रभागों के अतिरिक्त निम्नलिखित छह नए प्रभाग भी खोले जाएंगे:–

(i) **डिजिटल विधिविज्ञान प्रभाग (विधिविज्ञान इलेक्ट्रॉनिक्स):** यह प्रभाग साइबर अपराधों, कम्प्यूटर अपराधों, मोबाइल फोन फॉरेंसिक, जीपीएस फॉरेंसिक, इंटरनेट फॉरेंसिक, मालवेयर फॉरेंसिक, हार्डवेयर फॉरेंसिक, ऑडियो–विडियो अधिप्रमाणनों तथा इमेज प्रोसेसिंग का विधिविज्ञान संबंधी विश्लेषण करेगा।

(ii) **विधिविज्ञान डीएनए प्रभाग:** यह प्रभाग यौन हमलों तथा बलात्कार संबंधी मामलों, माइटोकोंड्रियल डीएनए, पैतृक विवादों, आपदा पीड़ित की पहचान से संबंधित मामलों की जांच ऑटोसोमल डीएनए विश्लेषण तथा लापता व्यक्तियों की पहचान संबंधी कार्य करेगा।

(iii) **विधिविज्ञान इंजीनियरिंग प्रभाग:** यह प्रभाग बीमा संबंधी बड़ी धोखाधड़ियों, औद्योगिक आगजनी, मिलावटी भवन सामग्री, मानव जनित तथा प्राकृतिक सड़क/रेल दुर्घटनाओं, विमान दुर्घटना, नौका दुर्घटना आदि कार्य करेगा।

(iv) **विधिविज्ञान आसूचना प्रभाग :** यह प्रभाग सभी प्रकार के निवारक अथवा सक्रिय विधिविज्ञान संबंधी कार्य,

स्याही (इंक), टेक्सटाइल फाइबर, ऑटोमोटिव पेंट तथा पॉलीमर, वॉयस प्रिंट के क्षेत्र में विधिविज्ञान संबंधी डाटाबेस, आग्नेयास्त्र संबंधी डाटाबेस, डीएनए डाटाबेस तैयार करने से जुड़े सभी प्रकार के कार्य करेगा।

(v) **विधि विज्ञान मनोविज्ञान प्रभाग:** यह प्रभाग पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग अंगुलिछाप, आक्रामक और गैर–आक्रामक संज्ञान संबंधी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से सभी प्रकार की मनोवैज्ञानिक जांच करेगा।

(vi) **स्वापक औषधि प्रभाग:** यह प्रभाग सभी प्रकार के मनः प्रभावी पदार्थों, परिकल्पित पदार्थों तथा स्वापक मादक पदार्थ तथा मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम से संबंधित सभी मामलों की जांच करेगा।

जूनियर रिसर्च फेलोशिप स्कीम

9.4.5 विधिविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान संबंधी कार्य को बढ़ावा देने के लिए विधिविज्ञान सेवा निदेशालय (डीएफएसएस) प्रति वर्ष 12 फेलोशिप प्रदान करता है। उक्त फेलोशिप अपेक्षित अर्हताएं पूरा करने वाले सभी भारतीय राष्ट्रिकों के लिए है। वर्ष 2014–15 के लिए डीएफएसएस की वेबसाइट तथा अग्रणी समाचार पत्रों में पहले ही विज्ञापन प्रकाशित कर दिया है।

विधिविज्ञान परिचालनों में तकनीकी सहायता

9.4.6 डीएफएसएस और इसकी प्रयोगशालायें गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों की कार्यशालाओं, विशेषज्ञ प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यान्वयन, मानक परिचालन प्रक्रियाओं के विकास और समीक्षा आयोजित करने में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं और उन्होंने निम्नलिखित उद्देश्य प्राप्त किए हैं:

(i) डिजिटल अपराधों में साक्ष्यों का विश्लेषण और साक्ष्य के महत्व की समीक्षा करके न्यायपालिका में जागरूकता का सृजन किया।

(ii) बैंकों, बीमा, ई–शासन, वित्तीय संगठनों आदि के लिए नेटवर्क सुरक्षा, घटना संबंधी प्रतिक्रिया आदि में आईटी के अंतिम प्रयोक्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया।

(iii) विधिविज्ञान के वैज्ञानिकों के लिए समावेशन और उन्नत प्रशिक्षण की सुविधा।

(iv) पुलिस, न्यायपालिका, बैंकों आदि द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षुकों के लिए प्रशिक्षण की सुविधा।

(v) जांचकर्ताओं, विशेषज्ञों और शिक्षण संस्थानों के लिए प्रमाण–पत्र, डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रमों सहित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने की सुविधा।

(vi) अपराध दृश्य प्रबंधन और अपराध के साक्ष्य का विधिविज्ञान विश्लेषण करने के लिए वैधीकरण और दक्षता परीक्षण की प्रक्रियाएं विकसित करने की सुविधा।

(vii) विधिविज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रत्यायन और दक्षता परीक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान की।

9.4.6.1 मानकों में सुधार करने के लिए विधिविज्ञान की समान सूचना प्रदान करना एक अनिवार्य बेंचमार्क है। डीएफएसएस, विधिविज्ञान के सभी क्षेत्रों में समान सूचना सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में एक उच्च स्तरीय समिति के माध्यम से दस्तावेज परीक्षण के लिए मानक परिचालन प्रक्रियाएं तैयार की गई हैं और सभी विधिविज्ञान प्रयोगशालाओं को भेजी गई हैं।

भारतीय विधिविज्ञान विनियामक और विकास प्राधिकरण (एफ आर डी ए)

9.4.7 डीएफएसएस, सभी स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श करके विधिविज्ञान विनियामक विकास प्राधिकरण (एफआरडीए) शुरु करने की कार्रवाई कर रहा है ताकि विधिविज्ञान सेवाओं और विधिविज्ञान का कार्य कर रहे लोगों और इससे जुड़े अन्य सभी मामलों के प्रमाणन का विनियमन, मानकीकरण और प्रत्यायन करने की व्यवस्था की जा सके।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

9.4.8 डीएफएसएस, कई देशों को विधिविज्ञान संबंधी परामर्शी सेवाएं प्रदान करता है। मालदीव में आधुनिक विधिविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई है और भारतीय सहायता से हनोई, वियतनाम में भी एक उच्च तकनीकी कंम्प्यूटर विधिविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई है।

9.4.8.1 विधिविज्ञान आदान प्रदान कार्यक्रम के एक भाग के रूप में मोजांरिक के माननीय उप आंतरिक मंत्री के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने डीएफएस के मुख्यालय का दौरान किया।

केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल)

प्रस्तावना

9.5.1 केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल), (सीबीआई) नई दिल्ली की स्थापना अपराध की जांच–पड़ताल करने के लिए वैज्ञानिक सहायता और सेवायें प्रदान करने के लिए एक वैज्ञानिक विभाग के रूप में वर्ष 1968 में की गई थी। इसके अलावा, सीएफएसएल की वैज्ञानिक एड्स यूनिट भी है जो चेन्नई तथा मुम्बई में सीबीआई की शाखाओं में स्थित है। आज केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशाला, सीबीआई, नई दिल्ली देश की सबसे बड़ी प्रयोगशालाओं में से है जिसमें 10 पूर्ण सुसज्जित प्रभाग नामतः प्रक्षेपण विज्ञान, जीव विज्ञान और डीएनए प्रोफाइलिंग यूनिट, रसायन विज्ञान, दस्तावेज, अंगुलिछाप, विधि विज्ञान संबंधी मनोविज्ञान, फोटो, भौतिकी, सीरम विज्ञान तथा कम्प्यूटर संबंधी विधिविज्ञान प्रभाग हैं।

केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशाला केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो नई दिल्ली

अधिकारिता

9.5.2 केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशाला (सीबीआई), नई दिल्ली केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के प्रशासनिक नियंत्रण और गृह मंत्रालय के समग्र नियंत्रण के अधीन है। सी एफ एस एल, सी बी आई, दिल्ली पुलिस, न्यायपालिका और मंत्रालयों एवं उपक्रमों के सतर्कता विभागों तथा राज्य/केन्द्र सरकार के विभागों द्वारा भेजे गए अपराध प्रदर्शों का वैज्ञानिक विश्लेषण करता है। सी एफ एस एल के विशेषज्ञ, जांचकर्ता एजेंसियों द्वारा भेजे गए प्रदर्शों की जांच करते हैं और अपनी विशेषज्ञ राय प्रकट करते हैं तथा न्यायालयी सबूतों एवं साक्ष्यों के माध्यम से अपनी राय को अदालत में सिद्ध करते हैं। सी.बी.आई. द्वारा अपराध स्थल पर भौतिक सुरागों का पता लगाने के लिए पूरे भारत में इस प्रयोगशाला के वैज्ञानिक विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिक/विशेषज्ञ, सी.बी.आई. के जांचकर्ता अधिकारियों और विधि विज्ञान के अन्य प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण भी देते हैं। यह प्रयोगशाला विधिविज्ञान के क्षेत्र में होने वाले कला एवं दक्षता विकास से संबंधित अनुसंधान और विकास कार्य भी करती है।

अदालत में उपस्थिति और अपराध स्थल का दौरा

9.5.3 दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2014 के दौरान, प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने दिल्ली और भारत के अन्य भागों के न्यायालयों में 422 मामलों में अपनी विशेषज्ञ राय प्रदान की और अपराधों की वैज्ञानिक जांच के लिए दिल्ली और इसके बाहर 246 अपराध स्थलों का निरीक्षण किया।

गुणवत्ता आश्वासन की ओर पहल

9.5.4 केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशाला, सीबीआई, नई दिल्ली अपने सभी कार्यात्मक क्षेत्रों के लिए काम की गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्ध है। सीएफएसएल (सीबीआई) नई दिल्ली का आईएसओ आईईसी 17025 और नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्ट एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज (एनएबीएल) 113 के अनुरूप गुणवत्ता प्रणाली के अनुसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली के तहत नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्ट एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज (एन ए बी एल) द्वारा प्रमाणीकरण किया गया है। प्रयोगशाला ने इसके विभिन्न प्रभागों को भेजे गए विभिन्न प्रकार के अपराध प्रदर्शों के संबंध में विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक परीक्षण करने के लिए विस्तृत गुणवत्ता नियमावली और कार्यशील प्रक्रिया नियमावली तैयार की है। वर्ष के दौरान 1,768 मामलों (लगभग) में उपयुक्तता की जांच की गई। एन ए बी एल की जरुरत के अनुसार गुणवत्ता नियमावली में संशोधन किया गया। प्रयोगशाला में एक नया मानक प्रारूप (प्रोफार्मा) अर्थात् आईएसओ आईईसी 17025–2005 शुरू किया गया है। अपराध प्रदर्शों के विश्लेषण संबंधी कार्य के लिए प्रयुक्त उपकरणों का एनएबीएल द्वारा प्रमाणित एजेंसियों के माध्यम से अंशांकन किया गया है। गुणवत्ता प्रणाली, प्रयोगशाला प्रबंधन के साथ–साथ प्रलेखन प्रक्रियाओं की जांच करने के लिए सी एफ एस एल के सभी प्रभागों में आंतरिक लेखा परीक्षा, नामित आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई। यह प्रयोगशाला, जनता और जांचकर्ता एजेंसियों और न्यायपालिकाओं को प्रमाणित मानकों की आश्वस्त सेवायें प्रदान करने की अपनी गुणवत्ता नीति का कड़ाई से पालन करने के प्रति प्रतिबद्ध है ताकि किसी भी प्रकार के अपराध के मामलों की विधिविज्ञान जांच करने संबंधी जटिलताओं का प्रभावी उपचारात्मक हल निकाला जा सके और उचित न्याय किया जा सके।

डी एन ए प्रोफाइलिंग यूनिट में रीयल टाइम पी सी आर प्रणाली

मौजूदा जांच सुविधाएं

9.5.5 सीएफएसएल (सीबीआई), नई दिल्ली के निम्नलिखित प्रभाग हैं जो प्रदर्शों का वैज्ञानिक विश्लेषण करने और अपराध स्थलों से संबंधित भौतिक सुराग प्राप्त करने/पता लगाने में विभिन्न जांचकर्ता एजेंसियों को विधिविज्ञान सहायता सेवायें प्रदान करते हैं। प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों को मौजूदा विधि विज्ञान संबंधी कौशल को उन्नत करने तथा विधि विज्ञान के क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकी से अवगत कराने के उद्देश्य से भारत तथा विदेश में गहन प्रशिक्षण दिया जाता है।

प्रक्षेपण विज्ञान (बलिस्टिक) प्रभाग

9.5.6 यह प्रभाग, आग्नेयास्त्रों और विस्फोटकों से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता से सज्जित है। इसके कार्य में अपराध में प्रयुक्त हथियारों के स्वरूप और प्रकार का निर्धारण करने के लिए आग्नेयास्त्रों की जांच करना; संदिग्ध हथियारों से की गई फाइरिंग की दूरी, फायर किए गए बुलेटों/कारतूसों के केसों को संदिग्ध हथियार से जोड़ना और अचानक चली गोली के साक्ष्य के लिए हथियार के तंत्र की जांच करना शामिल है। विस्फोटक पदार्थ के जांच कार्य में अपराध, लोक व्यवस्था को भंग करके, दंगों, पुलिस गोलीबारी, मुठभेड़ आदि में प्रयुक्त विस्फोटक पदार्थों (सिविल, मिलिट्री और आई ई डी) और विस्फोटक यंत्रों की जांच करना और राय देना, अपराध/विस्फोट वाली जगह आदि पुनः तैयार करना, विस्फोटक पदार्थों का प्रयोगशाला विश्लेषण करना और उनका पता लगाना शामिल हैं। विस्फोटक पदार्थों की कार्य प्रणाली और विस्फोट के अवशिष्टों के विश्लेषण का उन्नयन करने के लिए इस प्रभाग को हाई परफार्मेंस लिक्विड

क्रोमैटोग्राफी (एचपीएलसी) सिस्टम जैसे अत्याधुनिक उपकरणों से सज्जित किया गया है।

विस्फोटक के विश्लेषण के लिए एचपीएलसी प्रणाली पर कार्य करना

जीव विज्ञान और डीएनए प्रोफाइलिंग प्रभाग

9.5.7 यह प्रभाग, विधिविज्ञान जीव विज्ञान से संबंधित सभी प्रकार के विश्लेषणात्मक कार्य करने के लिए प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता से सज्जित है। इस प्रभाग में किए जा रहे जीव वैज्ञानिक विश्लेषणों में रक्त, वीर्य, लार, मूत्र, पसीना और दूध जैसे सभी प्रकार के जीव वैज्ञानिक द्रवों का पता लगाना और उन्हें सिद्ध करना शामिल है। इसके अलावा, प्रयोगशाला को बाल, फाइबर, टिसू और वनस्पतीय प्रदर्शों की सटीक माइक्रोस्कोपिक जांच करने के लिए सज्जित किया गया है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, डी एन ए प्रोफाइलिंग प्रयोगशाला को जीव विज्ञान प्रभाग की देख–रेख में चलाया जा रहा है। जीवविज्ञान प्रभाग की हाई टेक डी एन ए प्रोफाइलिंग प्रयोगशाला प्रचालनात्मक है और इस प्रभाग को सीबीआई के साथ–साथ राज्य सरकारों और न्यायपालिका से भी सभी प्रकार के जीव वैज्ञानिक नमूने प्राप्त हो रहे हैं। विभिन्न प्रकार के मामले भेजे जाते हैं जिनमें हत्या/मानव हत्या, आत्महत्या, हमला, अप्राकृतिक यौन अपराध, डकैती, लूटपाट, और शस्त्र अधिनियम, चोरी, दंगा, धार्मिक, संपत्ति की क्षति का निवारण अधिनियम आदि के अंतर्गत आने वाले मामले शामिल होते हैं।

जेनेटिक एनालाइजर पर कार्य करना

रसायन विज्ञान प्रभाग

9.5.8 इस प्रभाग में विष विज्ञान, स्वापक पदार्थ और सामान्य रसायन विश्लेषण अनुभाग शामिल हैं। यह प्रभाग आधुनिक विश्लेषणात्मक उपकरणों से सज्जित है और शरीर के भीतरी अंगों (विसरा), जीवविज्ञान से संबंधित द्रवों, ट्रैप के मामलों, दहेज हत्या के मामलों, पेट्रोलियम उत्पादों, एसिड और जांचकर्ता एजेंसियाँ द्वारा भेजे गए विविध प्रकार के अन्य प्रदर्शों का रासायनिक विश्लेषण करता है। जीव वैज्ञानिक द्रवों सहित शरीर के भीतरी अंगों (विसरा) की जांच, मानव हत्या और आत्महत्या के उन मामलों में जहर का पता लगाने के लिए की जाती है जिन्हें सीबीआई, दिल्ली पुलिस, माननीय न्यायालयों जैसी जांचकर्ता एजेंसियों और देश के अन्य भागों से भेजा जाता है। मामले की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुसंधान और विकास संबंधी गतिविधियां अद्यतन तकनीकों और विश्लेषणों के महत्वूपर्ण तरीकों को कार्यक्रम का हिस्सा भी बनाती हैं।

गैस क्रोमेटोग्राफ पर कार्य करना

प्रलेखन प्रभाग

9.5.9 प्रलेखन प्रभाग में हस्तलेख, हस्ताक्षर, टाइप स्क्रिप्ट, रबड़ की मोहर की छाप, सील की छाप, जाली करेंसी नोट और लॉटरी के टिकटों की जांच, प्रक्षेप, स्थानापन्न, वृद्धि, लिखे हुए पर लिखे का निर्धारण करने, यांत्रिक और रासायनिक रूप से मिटाई गई लिखावट का पता लगाने, अदृश्य स्याही का पता लगाने, झुलसाये गए और जलाए गए दस्तावेजों को पुनः तैयार करने, परस्पर मिलने वाले बिंदुओं पर स्ट्रोकों के क्रम का निर्धारण करने, कागज के टुकड़ों या क्षतिग्रस्त किनारों की जांच करने और उसका अन्य भागों के साथ मिलान करने, दस्तावेजों की निरपेक्ष या आपेक्षिक आयु का निर्धारण करने, स्याही, कागज और लेखन सामग्री आदि की जांच करने का कार्य किया जाता है।

अंगुलिछाप प्रभाग

9.5.10 अंगुलि छाप प्रभाग, सीबीआई की सभी शाखाओं को प्रश्नगत अंगूठे की छाप की जांच करने, घटनास्थल पर मौजूद छाप लेने के लिए वहां का दौरा करने, गुप्त छापों का विकास करने, अभियुक्त/संदिग्ध व्यक्ति के दस अंक के अंगुलियों के छाप के नमूने लेने और अदालतों में प्रस्तुत करने के संबंध में सेवायें प्रदान करता है। इसी प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण अपराध जांच–पड़ताल में दिल्ली पुलिस और न्यायिक अदालतों तथा केन्द्र सरकार के अन्य विभागों द्वारा भी उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। घटना स्थल पर मौजूद छापों का विकास करने के लिए हाई इंटेंसिटी लाइट सोर्स नामक हाई पावर लेजर बीम लाइट सोर्सेज और पोर्टेबल इक्विपमेंट से इस प्रभाग को सज्जित किया गया है।

विधिविज्ञान मनोविज्ञान प्रभाग

9.5.11 भारत में सीएफएसएल, सीबीआई नई दिल्ली ऐसा पहला संस्थान है, जहां पर पूर्ण विधिविज्ञान मनोविज्ञान प्रभाग स्थापित है। वर्ष 1973 से आज तक मनोवैज्ञानिक–शरीर विज्ञान संबंधी धोखों का पता लगाने के लिए लगभग 10,180 विषयों की जांच की गई है। यह प्रभाग राष्ट्रीय महत्व के लगभग सभी मामलों में न केवल सीबीआई को बल्कि दिल्ली पुलिस और देश की अन्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों को अपनी सेवायें प्रदान करता है। विधिविज्ञान संबंधी मनोविज्ञान प्रभाग कंम्प्यूटरीकृत (डेस्कटॉप और लैपटॉप) पोलीग्राफ उपकरणों के आधुनिक मॉडल रखता है। लैपटॉप पोलीग्राफ उपकरण का प्रयोग दिल्ली से बाहर अन्य कई स्थानों पर (यहां तक कि जेल में भी) विषयों की पोलीग्राफ जांच के लिए किया गया है।

9.5.12 इस प्रभाग ने सीबीआई के कुछ महत्वपूर्ण मामलों की जांच–पड़ताल करने में पर्सनैलिटी असेसमेंट, क्रिमिनल प्रोफाइलिंग की है। प्रभाग ने विषय के मष्तिष्क 'X' में मौजूद सूचना का विश्लेषण करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी शामिल करने के लिए कार्य योजना शुरु की है। इसकी स्थापना किए जाने से अपराध की जांच–पड़ताल करने में सहायता मिलेगी।

मरीज की पॉलीग्राफ जांच करते हुए

फोटो और वैज्ञानिक सहायता प्रभाग

9.5.13 फोटोग्राफी प्रभाग, अपराध प्रदर्शों की जांच करने में सीएफएसएल/सीबीआई के सभी प्रभागों को वैज्ञानिक सहायता प्रदान करता है। फोटोग्राफ भी मुहैया कराए जाते हैं। प्रश्नगत फोटो प्रिंट पर प्रभाग के विशेषज्ञ अपनी विशेषज्ञ राय भी देते हैं। समूचे भारत में अदालतों में सीडी/ऑडियो/वीडियो कैसेट की रिकार्डिंग की जाती है और उन्हें चलाया जाता है। डिजिटल रूप में समकक्ष वीडियो आंकड़े अंतरित करने के अलावा फोटो प्रभाग के पास अधुनातन प्रौद्योगिकी वीडियो मेजरमेंट सिस्टम है ताकि वीडियो फिल्मों की प्रमाणिकता की जांच की जा सके।

भौतिक विज्ञान प्रभाग

9.5.14 भौतिक विज्ञान प्रभाग में पेंट, ग्लास, मिट्टी, फाइबर, धातु के टुकड़ों, धागों और रस्सियों, कपड़े के टुकड़ों, संघर्ष के चिन्हों और कपड़े पर काट के चिह्नों, गांठ की जांच, धातु की सील, डाक सील की जांच, वाहनों की मिटाई गई चेसिस और इंजन संख्या, वाहनों की पंजीकरण प्लेट का पता लगाने, उपकरणों के चिह्न आदि की जांच करने जैसी विभिन्न प्रकार की जांच की जाती है। यह प्रभाग, स्पीकर आइडेंटिफिकेशन के संबंध में टेलीफोनिक और प्रत्यक्ष रिकार्डिंग की जांच भी कर रहा है। इसके लिए कंप्यूटरीकृत स्पीच लैब मॉडल सीएसएल–4500 नामक कंप्यूटरीकृत वॉइस स्पेक्ट्रोग्राफ का अत्याधुनिक मॉडल प्राप्त कर लिया गया है और इसका उपयोग स्पीकर आइडेंटिफिकेशन के मामलों का विश्लेषण करने के लिए किया जा रहा है। इन क्रियाकलापों के अलावा, भौतिक विज्ञान प्रभाग घटना स्थल का दौरा करता है और नियमित आधार पर घटना स्थल की पुनः संरचना करने का कार्य भी करता है। प्रभाग ने नॉइज रिडक्शन/सिग्नल इनहांसमेंट और ऑडियो टेप ऑथेंटिकेशन के क्षेत्र में नई परियोजना संबंधी कार्य शुरु किया है।

सीरम विज्ञान प्रभाग

9.5.15 सीरम विज्ञान प्रभाग द्वारा प्रदान की गई वैज्ञानिक सहायता में शरीर के द्रव, टिशू, लार, वीर्य और शरीर के अन्य द्रव्यों के मूल रूप और किस्मों का निर्धारण करना शामिल है। सूचित किए गए मामलों में हत्या, लापरवाही के कारण मृत्यु, हत्या की कोटि में न आने वाली सदोष मानव हत्या, हत्या करने की कोशिश में घायल करने, यौन अपराध (बलात्कार/अप्राकृति यौन), मृत्यु के कारण की जांच और विविध स्वरूप के मामले शामिल होते हैं।

कंम्प्यूटर विधिविज्ञान प्रभाग

9.5.16 कंप्यूटर विधिविज्ञान प्रभाग ने जनवरी, 2004 से कार्य करना शुरु किया। इसका मुख्य उद्देश्य प्रयोगशाला को भेजे गए

कंप्यूटर से संबंधित विभिन्न अपराधों में कंप्यूटर साक्ष्य सुरक्षित रखना, पहचान करना, प्राप्त करना और प्रलेखन करना है। कंप्यूटर विधिविज्ञान में अत्याधुनिक प्रौद्योगिक उपकरणों और प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। पृथक और स्वतंत्र विकासकों द्वारा विकसित मल्टिपल साफ्टवेयर हार्डवेयर उपकरणों का प्रयोग करके साक्ष्य संसाधन प्रक्रियाओं की सटीकता सुनिश्चित की जाती है। परिणामों की वैधता के लिए विकसित किए गए विभिन्न प्रकार के जिन उपकरणों का उपयोग किया जाता है, वह महत्वपूर्ण है ताकि साफ्टवेयर डिजाइन में संभावित कमियों और साफ्टवेयर बग के कारण अशुद्धता से बचा जा सके। परिणाम की शुद्धता अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसलिए प्रयोगशाला में मल्टिपल टूल्स और तकनीकों का प्रयोग करके दोहरा वैधीकरण मानक प्रोटोकॉल है। कंप्यूटर के विशेषज्ञों द्वारा मल्टिपल टूल्स और प्रक्रियाओं का उपयोग करके वैधीकरण करने से संभावित समस्यायें दूर हो जाती हैं।

वैज्ञानिक सहायता यूनिट

9.5.17 सीएफएसएल, नई दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण में कोलकाता, मुम्बई और चेन्नई में एक–एक अतिरिक्त वैज्ञानिक सहायता यूनिटें सृजित की गई हैं। मुम्बई और कोलकाता स्थित दोनों यूनिटें कार्य कर रही हैं। कोलकाता यूनिट में अवसंरचना विकास कार्य सक्रिय रूप से प्रगति पर है और यहां पर कार्य शीघ्र ही शुरु होने की आशा है।

भावी विकास

9.5.18 यह प्रयोगशाला नई अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा प्रौद्योगिकी और अवसंरचना को अद्यतन करने पर ध्यान दे रही है। नई प्रौद्योगिकी को (1) ब्रेन फिंगर प्रिटिंग, (2) टाक्सीकोलॉजी, (3) एनालाग/डिज़िटल ऑडियो/वीडियो एनालिसिस नामक प्रभाग के लिए खरीदा जा रहा है। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, तकनीकी उन्नयनों, अंशांकन प्रणालियों इत्यादि के लिए पहलें की गई हैं। वर्तमान समय में मेट्रो एसएयू यूनिट में केवल चार प्रभाग कार्यरत हैं। तथापि, भविष्य में संबंधित जोनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एसएयू यूनिटों को पूर्णरूपेण विधिविज्ञान प्रयोगशालाओं में परिवर्तित करने के लिए प्रयास शुरु किए जाएंगे।

लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और विधिविज्ञान संस्थान (एनआईसीएफएस)

9.6.1 इस संस्थान की स्थापना आपराधिक न्याय प्रणाली के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए वर्ष 1972 में की गई थी। इसके प्रारम्भ से दिनांक 31.12.2014 तक भारत के पुलिस और सिविल प्रशासन, अभियोजन, न्यायपालिका, सुधारात्मक प्रशासन, सीमा शुल्क, रक्षा बलों और विधिविज्ञान प्रयोगशालाओं के 38,481 अधिकारियों और लगभग 18 देशों ने संस्थान के विभिन्न अभिमुखीकरण और विशेषज्ञ पाठयक्रमों में भाग लिया।

प्रशिक्षण और अनुसंधान

9.6.2 दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2014 के बीच, इस संस्थान ने पुलिस, न्यायपालिका, अभियोजन और कारागार के पदाधिकारियों के लिए 33 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, 05 सेमिनार और 05 कार्यशालाएं आयोजित कीं। कुल मिलाकर भारत के विभिन्न भागों से 1,643 अधिकारियों और 61 विदेशी अधिकारियों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

9.6.3 यह संस्थान वर्ष 2004 से अपराध विज्ञान और विधिविज्ञान में एम.ए./एम.एससी. पाठ्यक्रम भी चला रहा है जो गुरू गोविन्द सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से संबद्ध है। शुरु में, संस्थान ने सभी विद्यार्थियों के लिए साझा पाठ्यचर्या के साथ ये पाठ्यक्रम शुरु किए थे। संस्थान ने नई पाठ्यचर्या शुरु की है जिसमें अपराध विज्ञान में विशेषज्ञता की 3 समानांतर स्ट्रीम और विधिविज्ञान में विशेषज्ञता की 4 समानांतर स्ट्रीम शामिल हैं। ये स्ट्रीम हैं (क) एम.ए. (अपराध विज्ञान) पाठ्यक्रम में आर्थिक अपराध और निवारण, (ख) सुरक्षा प्रबंधन और (ग) आपराधिक न्याय में मानवाधिकार और एम.एससी. (विधिविज्ञान) पाठ्यक्रम में (क) विधिविज्ञान बॅलिस्टिक, (ख) विधिविज्ञान प्रलेख परीक्षा, (ग) विधिविज्ञान संबंधी रसायन विज्ञान और विष विज्ञान और (घ) विधिविज्ञान जीव विज्ञान, सीरम विज्ञान और डीएनए प्रोफाइलिंग। संस्थान के एम.ए./एम.एससी. शिक्षण का निरीक्षण हर वर्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और जीजीएस इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की संयुक्त टीम द्वारा किया जाता है। जुलाई, 2014 में किए गए निरीक्षण के बाद संस्थान का उन्नयन ''श्रेणी ए'' में कर दिया गया।

9.6.4 विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों के अध्यापन और परीक्षा संबंधी मानदंडों में काफी भिन्नता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा विद्यार्थियों की शैक्षणिक सक्षमता का मूल्यांकन करने के एक सामान्य बेंचमार्क के रूप में अस्तित्व में आई है। संस्थान के विद्यार्थियों ने यूजीसी द्वारा जून, 2013 तथा दिसम्बर, 2013 में आयोजित परीक्षाओं में अनुकरणीय प्रदर्शन किया। कुल 21 विद्यार्थियों ने इन कड़ी परीक्षाओं को पास किया।

पहलें

9.6.5 यह संस्थान नई अवसंरचना का सृजन और ''अपराध नियंत्रण अनुसंधान केन्द्र'' स्थापित कर रहा है और प्रस्ताव सक्रिय रूप से गृह मंत्रालय के विचाराधीन है। ये दोनों प्रस्ताव 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हैं। संस्थान 40 करोड़

रुपए की अनुमानित लागत से 80 कमरों वाले नए होस्टल ब्लॉक, फैकल्टी के लिए आवास और नए पुस्तकालय ब्लॉक का निर्माण करने पर विचार कर रहा है। मौजूदा होस्टल ब्लॉक का नवीकरण करने पर भी विचार किया जा रहा है।

स्वच्छ भारत अभियान

9.6.6 दिनांक 25.09.2014 से 2.10.2014 तक स्वच्छ भारत अभियान का आयोजन किया गया और सभी अधिकारियों/कर्मचारियों/विद्यार्थियों ने स्वच्छता–शपथ ली और स्वेच्छा से अपने कार्यालय परिसर की अन्दर और बाहर से सफाई की।

एलएनजेपी एनआईएफएस, नई दिल्ली में स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छता शपथ

पुलिस वायरलेस समन्वय निदेशालय (डीसीपीडब्ल्यू)

9.7.1 देश में विभिन्न पुलिस संचार सेवाओं के समन्वय संबंधी नोडल एजेंसी के रूप में, डीसीपीडब्ल्यू पुलिस संचार से संबंधित सभी मामलों में गृह मंत्रालय तथा राज्य/केन्द्रीय पुलिस संगठनों के तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्यों के साथ–साथ विभिन्न परिस्थितियों में कार्य करता है। राज्य/केन्द्रीय पुलिस संगठनों और गृह मंत्रालय के कार्यालयों के बीच संदेशों के आदान–प्रदान के लिए संचार सुविधाएं प्रदान करने के अतिरिक्त, निदेशालय, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और राज्य पुलिस रेडियो संगठनों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे क्रिप्टोग्राफिक दस्तावेजों और डिवाइसों के लिए केन्द्रीय वितरण प्राधिकरण (सीडीए) का उत्तरदायित्व भी निभा रहा है।

अनुरक्षण एवं संचार विंग

9.7.2 यह निदेशालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानियों में स्थित पूरे देश में फैले हुए सभी अंतर–राज्य पुलिस वायरलेस स्टेशनों के संचार नेटवर्क के इष्टतम कार्यकुशलता स्तर पर चौबीसों घंटे अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। सभी अंतर राज्य पुलिस वायरलेस स्टेशन नेटवर्क की संचार सुविधाओं का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान आपातकालीन संदेशों के लिए भी किया जाता है। निदेशालय, डीसीपीडब्ल्यू के साथ–साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के रेडियो संचार के सर्किटों की खराबी दूर करने के लिए डीसीपीडब्ल्यू के आंतरिक मानीटरिंग सेल के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सहित सभी एजेंसियों के साथ समन्वय कर रहा है। राज्य/केन्द्रीय/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस स्तर पर इन खराबियों को कम करने के लिए निदेशालय द्वारा उचित उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं और कार्यान्वित किए जाते हैं।

सैटेलाइट आधारित संचार नेटवर्क (पोलनेट)

9.7.3 पुलिस वायरलेस समन्वय निदेशालय (डीसीपीडब्ल्यू), गृह मंत्रालय प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की राजधानी, राज्य पुलिस संगठनों में जिला स्तर तथा सीएपीएफ के स्थानों पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तथा अन्तर–राज्य पुलिस वायरलेस स्टेशनों (आईएसपीडब्ल्यू) के बीच सैटेलाइट आधारित संचार नेटवर्क का अनुरक्षण कर रहा है।

समन्वय विंग

9.7.4 डी सी पी डब्ल्यू, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की फ्रीक्वेंसी आबंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति (एसएसीएफए) का सदस्य है तथा इसने राष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी आबंटन योजना के निर्माण में बहुत अधिक योगदान प्रदान किया है और इससे संबंधित गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय सशस्त्र बलों के रेडियो संचार नेटवर्कों के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाता है और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वायरलेस प्लानिंग और समन्वय (डब्ल्यूपीसी) विंग द्वारा उनके आबंटन के लिए उपयुक्त सिफारिशें की जाती हैं। यह डब्ल्यूपीसी के साथ राज्य, संघ–राज्य क्षेत्र पुलिस और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के

स्पेक्ट्रम के मिलान में सक्रिय रूप से शामिल है ताकि प्रयोक्ता संगठनों के बीच व्यवधान मुक्त संचार सुनिश्चित हो सके। केन्द्रीय, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की पुलिस के स्पेक्ट्रम के मिलान संबंधी मुद्दे का दूर संचार विभाग के साथ उचित परामर्श करके अत्यंत सावधानीपूर्वक समाधान कर दिया गया है।

साइफर विंग

9.7.5 डीसीपीडब्ल्यू के साइफर प्रभाग ने वर्गीकृत संदेशों की निकासी को पूरा कर लिया है और अन्तर–राज्य सुरक्षित संचार को बनाए हुए है। संयुक्त साइफर ब्यूरो (जेसीबी), रक्षा मंत्रालय से साइफर दस्तावेजों/उपकरणों की प्राप्ति के उद्देश्य से केन्द्रीय वितरण प्राधिकरण (सीडीए) की भूमिका क्रिप्टोसिस्टम का प्रयोग करके सुरक्षित संचार की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस संगठनों तथा आईएसपीडब्ल्यू स्टेशनों को वितरित करना है। इस विंग द्वारा क्रिप्टोग्राफी के सभी पहलुओं के संबंध में सीएपीएफ तथा राज्य पुलिस रेडियो संगठनों के अधिकारियों/कार्मिकों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है। वर्तमान वर्ष के दौरान, केन्द्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान (सीपीआरटीआई) में 16 साइफर पाठ्यक्रमों के माध्यम से 198 पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया है। वर्तमान वर्ष में दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2014 तक की अवधि के दौरान, सीपीआरटीआई (साइफर विंग) में 24 साइफर पाठ्यक्रमों के माध्यम से 264 पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया है।

9.7.6 इस विंग ने प्रयोग किए जा रहे किप्टोग्राफिक सिस्टम को अद्यतन बनाने हेतु जेसीबी तथा एसएजी के साथ निकट संपर्क बनाए रखा। डीसीपीडब्ल्यू क्रिप्टो संचार नेटवर्क में पर्सनल कम्प्यूटर (पीसी) आधारित साइफर सिस्टम शामिल किया गया है और 17 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस संगठनों में इसी सिस्टम को शामिल किया गया है।

प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास

9.7.7 देश के पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना वर्ष 1971 में की गई थी। केन्द्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान (सीपीआरटीआई), नई दिल्ली के दो प्रशिक्षण विंग (तकनीकी और साइफर) हैं, जिसमें विभिन्न रैंक के पुलिस दूरसंचार कार्मिकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रशिक्षण संस्थान का उद्देश्य निदेशालय और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/केन्द्रीय अर्ध–सैनिक बलों के अधिकारियों के लिए दक्षता पाठ्यक्रमों, कौशल विकास पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, विशेष पाठ्यक्रमों जैसे नियमित पाठ्यक्रमों को आयोजित करना है। केन्द्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ने वर्तमान वर्ष में दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2014 तक राष्ट्रीय नीति अनुसंधान, नवीकरण एवं प्रशिक्षण टेलिकॉम संस्थान (एनटीआईपीआरआईटी), दूर संचार विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के सहयोग से पुलिस संगठनों के सुरक्षित संचार प्रतिष्ठानों के प्रभावी प्रबंधन को सुकर बनाने के उद्देश्य से अधिकारियों सहित पुलिस कार्मिकों के लिए तकनीकी और साइफर, दोनों में विशेष पाठ्यक्रम नामतः लोक सुरक्षा और आपदा राहत एवं मोबाइल नेटवर्क (पीपीडीआर एंड एमएन समेत) कुल 67 पाठ्यक्रम आयोजित किए और 893 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

9.7.8 सामग्री और श्रमशक्ति के संदर्भ में वर्तमान अवसंरचना का विस्तार करके गुणात्मक बढ़ोतरी की गई है। चूंकि आधुनिकीकरण के वर्तमान युग का मुख्य जोर तकनीकी प्रबंधकीय कौशल पर है, इसलिए अतिरिक्त प्रौद्योगिकी और प्रबंधन उन्मुख कार्यक्रमों के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के प्रौद्योगिकी उन्नयन और प्रबंधन का क्षेत्र बढ़ा दिया गया है।

कार्यशाला और तकनीकी मूल्यांकन

9.7.9 निदेशालय की केन्द्रीय कार्यशाला में, वायरलेस उपकरण तथा सहायक सामग्री संबंधी 382 परीक्षण और मरम्मत कार्य पूरे किए गए। महत्वपूर्ण रूप से, वायरलेस उपकरण तथा उनकी सहायक सामग्री के परीक्षण का कार्य हाल में आई बाढ के दौरान राहत उपाय के रूप में श्रीनगर भेजने की अल्पकालिक सूचना पर पूरा किया गया। जम्मू एवं कश्मीर में हाल में आई बाढ़ के दौरान, श्रीनगर में आपातकालीन संचार प्रणाली स्थापित करने के लिए वायरलेस उपकरण के साथ केन्द्रीय कार्यशाला से एक दल भी भेजा गया। डीजीएसएंडडी को दर संविदा के उद्देश्य से अद्यतन विशेषताओं के साथ तकनीकी विशिष्टताएं मुहैया कराने के अलावा परिचालन संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध नेटवर्क/प्रौद्योगिकी के समेकित उपकरणों के संबंध में तकनीकी विनिर्देश तैयार करने की प्रकिया शुरू की गई है। कार्यशाला ने सीएपीएफ को तकनीकी प्रस्तावों के संबंध में उपयुक्त परामर्शी सेवाएं भी प्रदान की गई। केन्द्रीय कार्यशाला की परीक्षण अवसंरचना को सुदृढ़ करने के प्रयास में, गुणात्मक आवश्यकताएं तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है।

वायरलेस उपकरणों और सहायक उपकरणों का रिजर्व स्टॉक

9.7.10 आपदाओं, आम चुनावों आदि जैसी परिचालनात्मक आपात स्थितियों के दौरान केन्द्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस संगठनों को उधार के आधार पर वायलेस उपकरणों और सहायक उपकरणों की सहायता प्रदान करना डीसीपीडब्ल्यू की एक सबसे कठिन जिम्मेदारी है। डीसीपीडब्ल्यू ने दिनांक 31.12.2014 तक 21 राज्यों और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) को रेडियो सेट और सहायक उपकरण

जारी कर दिए हैं। वर्ष 2014 के चुनाव के दौरान, राज्यों और केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों को आपातकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए सहायक उपकरणों सहित कुल 18,732 वायरलेस सेट जारी किए गए थे।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी)

9.8.1 स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की स्थापना, मादक पदार्थों एवं मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार से निपटने के लिए स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में की गई है। एन सी बी विभिन्न मंत्रालयों, अन्य कार्यालयों एवं राज्य/केन्द्रीय प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए उत्तरदायी है। एनसीबी, स्वापक औषधियों एवं मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के संबंध में हुए विभिन्न संयुक्त राष्ट्र अभिसमयों, 1961, 1971, 1988 (जिन पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं) के लिए अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व भी निभाता है। यह स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने एवं उसके दमन के लिए की जाने वाली वैश्विक कार्रवाईयों को सुकर बनाने हेतु विभिन्न देशों के संबंधित प्राधिकारियों को सहायता भी प्रदान करता है।

9.8.2 स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके तीन क्षेत्रीय उप महानिदेशक के कार्यालय अर्थात दिल्ली में उत्तरी क्षेत्रीय, मुम्बई में दक्षिण–पश्चिम क्षेत्रीय और कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय हैं, 13 क्षेत्रीय इकाइयाँ दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, जोधपुर, चंडीगढ़, जम्मू, अहमदाबाद, गुवाहाटी, इंदौर, बेगलूर और पटना में, 12 आसूचना प्रकोष्ठ कोच्चि, हैदराबाद, गोवा, मंदसौर, अमृतसर, अजमेर, रांची, मण्डी, मदुरै, इम्फाल, देहरादून और भुवनेश्वर में तथा 5 प्रकोष्ठ एन सी बी मुख्यालय में अर्थात इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन सेल, प्रिकर्सर सेल, स्ट्रेटेजिक स्टडी सेल, ट्रेनिंग सेल और लीगल सेल हैं। इसके अतिरिक्त, संगठन के विभिन्न कार्यों के निपटान के लिए एक प्रवर्तन इकाई है।

9.8.3 अवधि के दौरान, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने अपनी क्षमताओं को सुदृढ करने के लिए निम्नलिखित अवसंरचना प्राप्त की/उनका निर्माण किया:–

(क) एनसीबी कोलकाता/चेन्नई जोनल यूनिटों के कार्यालय–सह–आवासीय कॉम्पलेक्स का निर्माण कार्य।

(ख) एनसीबी चंडीगढ़ जोनल यूनिट के लिए कार्यालय–सह–आवासीय कॉम्पलेक्स के निर्माण हेतु ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण (जीएमएडीए) से 22.8080/– करोड़ रु. की लागत से 1.60 एकड़ भूमि खरीदी गई है।

(ग) असम सरकार से 03 बीघा (43,200 वर्ग फुट) भूमि की खरीद के संबंध में एनसीबी गुवाहाटी को भूमि अंतरण करने के लिए दिनांक 31.12.2014 को, उप–अधीक्षक, कामरूप को 45,00,469/– रु. का भुगतान कर दिया है।

(घ) एनसीबी बेंगलूर जोनल यूनिट के कार्यालय–सह–आवासीय कॉम्पलेक्स के निर्माण के लिए कर्नाटक सरकार से 21,87,555/– रु. की लागत से 25 गुंटा (0.625 एकड़) भूमि खरीदी गई है।

प्रवर्तन के प्रयास

9.8.4 वर्ष 2014–15 (01.04.2014 से 31.12.2014 तक) की अवधि के दौरान देश की विभिन्न एजेंसियों और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा सूचित की गई विभिन्न मादक पदार्थों की जब्तियों का उल्लेख निम्नलिखित तालिका में किया गया है:–

मादक पदार्थ का नाम	सभी एजेंसियों द्वारा भारत में जब्त मादक पदार्थ (किग्रा. में) (अनंतिम)	एनसीबी द्वारा जब्त मादक पदार्थ (किग्रा. में)	सम्पूर्ण भारत में जब्ती की तुलना में एनसीबी द्वारा जब्त मादक पदार्थों का प्रतिशत
स्वापक पदार्थ			
हेरोइन	490.372	290.752	59.29%
अफीम	802.1	81.28	10.13%
मार्फिन	14.080	0.70	4.97%
गांजा	60369.6	10658.43	17.65%
हशीश	867	105.63	12.18%
कोकीन	7.242	3.312	45.73%
मेथाक्वालोन	48	6.30	13.12%
एमफिटामिंस	159.460	155.560	97.55%

मादक पदार्थ का नाम	सभी एजेंसियों द्वारा भारत में जब्त मादक पदार्थ (किग्रा. में) (अनंतिम)	एनसीबी द्वारा जब्त मादक पदार्थ (किग्रा. में)	सम्पूर्ण भारत में जब्ती की तुलना में एनसीबी द्वारा जब्त मादक पदार्थों का प्रतिशत
मनःप्रभावी पदार्थ			
मनःप्रभावी पदार्थ	167.464 कि.ग्रा., 640222 टेबलेट एवं 3632 इंजक्शन	167.464 कि.ग्रा., 73895 टेबलेट 0 इंजक्शन	100% 11.54% 0%
केटामाइन	17	13.27	78.05%
प्रिकर्सर रसायन			
इफेड्रिन/सूडो–इफेड्रिन	876.98	258.030	29.42%
सूडो–इफेड्रिन गोलियां (संख्या में)	246760	0	0%
एसेटिक एनहाइड्राइड	0	0	0%

9.8.5 वर्ष 2014–15 (दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2014) के दौरान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा की गई कुछ प्रमुख जब्तियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

क्रम सं.	तारीखें	मादक पदार्थ को जब्त करने वाली एजेंसी	जब्ती का स्थान	जब्त किए गए मदों का ब्यौरा (कि.ग्रा. में)		गिरफ्तार गिए गए व्यक्तियों की संख्या		टिप्पणियां (यदि कोई हो)
						भारतीय	विदेशी	
1.	01.04.2014	एनसीबी	दिल्ली	हेरोइन	0.220	1	0	
2.	02.04.2014	बीएसएफ/एनसीबी	अमृतसर	हेरोइन	26.890	0	0	
3.	03.04.2014	एनसीबी	दिल्ली	पी/एफेड्राइन	20.150	0	1	
4.	03.04.2014	एनसीबी	दिल्ली	पी/एफेड्राइन	15	0	1	
5.	03.04.2014	बीएसएफ/एनसीबी	अमृतसर	हेरोइन	12.750	0	0	
6.	06.04.2014	बीएसएफ/एनसीबी	अमृतसर	हेरोइन	35.325	0	0	
7.	07.04.2014	एनसीबी	अमृतसर	पोस्त	230	0	0	
8.	08.04.2014	एनसीबी	मुम्बई	एफेड्राइन	0.880	0	0	
9.	10.04.2014	एनसीबी	अहमदाबाद	हशीश	0.550	0	0	
10.	10.04.2014	बीएसएफ/एनसीबी	अमृतसर	हेरोइन	2.010	0	0	
11.	15.04.2014	एनसीबी	पटना	गांजा	19.350	1	0	
12.	16.04.2014	एनसीबी	अमृतसर	हेरोइन	7.900	0	0	01 पाकिस्तानी मारा गया
13.	16.04.2014	एनसीबी	इंदौर	एफेड्राइन	88.754	3	0	02 प्रयोगशालाएं नष्ट की गई
				एलप्राजोलम	67.80			
14.	16.04.2014	एनसीबी	कोलकाता	गांजा	0.420	0	0	
15.	24.04.2014	बीएसएफ/एनसीबी	अमृतसर	हेरोइन	3.810	1	0	
				अफीम	0.260			

क्रम सं.	तारीखें	मादक पदार्थ को जब्त करने वाली एजेंसी	जब्ती का स्थान	जब्त किए गए मदों का ब्यौरा (कि.ग्रा. में)		गिरफ्तार गिए गए व्यक्तियों की संख्या		टिप्पणियां (यदि कोई हो)
						भारतीय	विदेशी	
16.	25.04.2014	बीएसएफ/एनसीबी	अमृतसर	हेरोइन	9.130	0	0	
17.	26.04.2014	एनसीबी	चंडीगढ़	हशीश	0.990	2	0	
18.	01.05.2014	एनसीबी	कोलकाता	गांजा	83	3	0	
19.	02.05.2014	एनसीबी	दिल्ली	कोकीन	0.610	1	1	नियंत्रित सुपुर्दगी
20.	02.05.2014	बीएसएफ/एनसीबी	अमृतसर	हेरोइन	1.990	0	0	
21.	07.05.2014	एनसीबी	कोलकाता	अफीम	1	1	0	
22.	09.05.2014	एनसीबी	कोलकाता	गांजा	28	0	0	
23.	13.05.2014	बीएसएफ/एनसीबी	अमृतसर	हेरोइन	2.030	0	0	
24.	16.05.2014	एनसीबी	मुम्बई	हेरोइन	0.165	0	0	
25.	18.05.2014	एनसीबी	कोलकाता	गांजा	1.50	2	0	
				हशीश	1			
26.	19.05.2014	एनसीबी	मुम्बई	हेरोइन	0.200	0	0	
27.	20.05.2014	एनसीबी	गुवाहाटी	गांजा	2000	0	0	
28.	22.05.2014	एनसीबी	दिल्ली	मेथेमफेटामाइन	3.350	0	4	
				फिनायल–2 प्रोपेन	57			
				माइक्रो क्रिस्टेलाइन सूल्यूसोज	100			
				स्टियरेट	99			
29.	26.05.2014	एनसीबी	दिल्ली	कोकीन वेस्ट बेबी मेट		0	0	
30.	26.05.2014	एनसीबी	दिल्ली	हेरोइन	0.200	0	0	
31.	27.05.2014	एनसीबी	पटना	गांजा	213	2	0	
32.	02.06.2014	एनसीबी	भुवेश्वर	गांजा	2506.250	1	0	
				अफीम	29.500			
33.	02.06.2014	एनसीबी	दिल्ली	हेरोइन	0.265	0	1	
				हशीश	0.170			
34.	03.06.2014	एनसीबी	कोलकाता	गांजा	23.500	1	0	
35	06.06.2014	एनसीबी	मदुरै	गांजा	36.133	3	0	
36.	10.06.2014	एनसीबी	इम्फाल	मेथेमफेटामाइन टेबलेट	2965	1	0	
37.	13.06.2014	एनसीबी	कोलकाता	पोपी स्ट्रा	151.200	5	0	

क्रम सं.	तारीखें	मादक पदार्थ को जब्त करने वाली एजेंसी	जब्ती का स्थान	जब्त किए गए मदों का ब्यौरा (कि.ग्रा. में)		गिरफ्तार गिए गए व्यक्तियों की संख्या		टिप्पणियां (यदि कोई हो)
						भारतीय	विदेशी	
38.	15.06.2014	एनसीबी	चंडीगढ़	अफीम	4.950	2		
39.	15.06.2014	एनसीबी	लखनऊ	हेरोइन	0.265	3	0	
				एलप्राजोलम	0.505			
				ब्रूसिन–एआर	25			
40.	20.06.2014	एनसीबी	कोलकाता	पोपी स्ट्रा	362	1	0	
41.	20.06.2014	एनसीबी	मुम्बई	केटामाइन	3.025	0	0	
42.	21.06.2014	एनसीबी	गुवाहाटी	हेरोइन	2.015	2	0	
43.	21.06.2014	एनसीबी	इंदौर	हेरोइन	0.750	0	0	
44.	23.06.2014	एनसीबी	कोलकाता	अफीम	4.100	3	0	
45.	24.06.2014	एनसीबी	गुवाहाटी	हेरोइन	2.005	0	0	
46.	24.06.2014	एनसीबी	बेंगलुरू	गांजा	5.320	3	2	
47.	28.06.2014	एनसीबी	कोलकाता	गांजा	3326.500	1	0	
48.	28.06.2014	एनसीबी	अहमदाबाद	हशीश	17.650	1	0	
49.	02.07.2014	एनसीबी	इंदौर	गांजा	284	3	0	
50.	03.07.2014	एनसीबी	मुम्बई	एफेड्राइन	5.410	0	2	
				मेथेमफेटामाइन	3.350			
51.	05.07.2014	एनसीबी	इम्फाल	हेरोइन	0.070	1	0	
52.	07.07.2014	एनसीबी	हैदराबाद	एमफेटामाइन	154.100	12	0	
				एफेड्राइन	69			
53.	10.07.2014	बीएसएफ / एनसीबी	अमृतसर	हेरोइन	3.985	0	0	
				अफीम	0.217			
54.	14.07.2014	एनसीबी	गुवाहाटी	अफीम	3.120	2	0	
55.	14.07.2014	एनसीबी	गुवाहाटी	हेरोइन	1.548	3	0	
56.	16.07.2014	सीआईएसएसएफ / एनसीबी	दिल्ली	पी / एफेड्राइन	22	0	1	
57.	16.07.2014	एनसीबी	मुम्बई	एफेड्राइन	2	0	0	
58.	16.07.2014	एनसीबी	गुवाहाटी	फिनसेडिल	248 बोतलें	0	0	
59.	19.07.2014	एनसीबी	चेन्नई	हेरोइन	1.160	4	0	
				मेथेमफेटामाइन	1.020			
60.	19.07.2014	एनसीबी	चंडीगढ़	अफीम	5.20	1	0	
61.	19.07.2014	एनसीबी	अहमदाबाद	हशीश	15.090	1	0	
62.	21.07.2014	एनसीबी	मुम्बई	एफेड्राइन	2.040	0	0	
63.	23.07.2014	बीएसएफ / एनसीबी	जम्मू	हेरोइन	0.910	0	0	

क्रम सं.	तारीखें	मादक पदार्थ को जब्त करने वाली एजेंसी	जब्ती का स्थान	जब्त किए गए मदों का ब्यौरा (कि.ग्रा. में)		गिरफ्तार गिए गए व्यक्तियों की संख्या		टिप्पणियां (यदि कोई हो)
						भारतीय	विदेशी	
64.	22.07.2014	एनसीबी	चेन्नई	हशीश	0.980	0	0	
				हेरोइन	0.190			
65.	24.07.2014	एनसीबी	कोच्चि	गांजा	24.905	1	0	
66.	26.07.2014	एनसीबी	इंदौर	हेरोइन	0.475	2	0	
67.	29.07.2014	एनसीबी	गुवाहाटी	हेरोइन	3.540	2	0	
68.	31.07.2014	एनसीबी	दिल्ली	कोकीन	0.370	0	1	
69.	31.07.2014	एनसीबी	दिल्ली	कोकीन	0.120	0	1	
70.	31.07.2014	बीएसएफ/एनसीबी	अमृतसर	हेरोइन	3.865	0	0	
71.	02.08.2014	एनसीबी	दिल्ली	मेथेमफेटामाइन	6.300	0	1	
72.	02.08.2014	एनसीबी	कोलकाता	हेरोइन	3.250	3	0	
73.	02.08.2014	एनसीबी	चेन्नई	गांजा	16.350	1	0	
74.	06.08.2014	एनसीबी	कोलकाता	अफीम	1.100	0	0	
75.	08.08.2014	एनसीबी	मदुरै	गांजा	40.05	2	0	
76.	13.08.2014	एनसीबी	चंडीगढ़	बूपेनोरफाइनटेबलेट	71200	0	0	
77.	16.08.2014	एनसीबी	चेन्नई	गांजा	170	3	0	
78.	19.08.2014	एनसीबी	चेन्नई	गांजा	9.9	1	0	
79.	21.08.2014	असम राइफल्स/एनसीबी	इम्फाल	कोकीन	0.87	1	0	
80.	21.08.2014	असम राइफल्स/एनसीबी	इम्फाल	कोकीन	0.68	1	0	
81.	23.08.2014	एनसीबी	भुवनेश्वर	गांजा	70	2	0	
82.	29.08.2014	बीएसएफ/एनसीबी	अमृतसर	हेरोइन	3.76	0	0	
83.	03.09.2014	एनसीबी	मुम्बई	केटामाइन	10.22	0	0	
84.	09.09.2014	बीएसएफ/एनसीबी	अमृतसर	हेरोइन	0.93	0	0	
85.	09.09.2014	एनसीबी	मुम्बई	केटामाइन	10.02	0	0	
86.	12.09.2014	एनसीबी	दिल्ली	हेरोइन	30.4	3	1	
87.	12.09.2014	एनसीबी	मुम्बई	कोकीन	0.516	0	0	
88.	12.09.2014	एनसीबी	रांची	गांजा	1	1	0	
89.	14.09.2014	एनसीबी	इंदौर	अफीम	9.5	4	0	
90.	15.09.2014	एनसीबी	चेन्नई	हेरोइन	1.377	1	0	
				मेथेमफेटामाइन	0.01			
91.	15.09.2014	बीएसएफ/एनसीबी	अमृतसर	हेरोइन	1.9	0	0	

क्रम सं.	तारीखें	मादक पदार्थ को जब्त करने वाली एजेंसी	जब्ती का स्थान	जब्त किए गए मदों का ब्यौरा (कि.मी. में)		गिरफ्तार गिए गए व्यक्तियों की संख्या		टिप्पणियां (यदि कोई हो)
						भारतीय	विदेशी	
92.	16.09.2014	एनसीबी	मंडी	कोकीन	0.006	0	2	
93.	17.09.2014	एनसीबी	बेंगलुरू	एलएसडी	61 ब्लॉट्स	13	0	
				एमडीएमए	0.012			
				गांजा	1.6			
				हशीश	0.004			
94.	19.09.2014	बीएसएफ/एनसीबी	अमृतसर	हेरोइन		0	0	
95.	25.09.2014	एनसीबी	अजमेर	गांजा	11.8	2	0	
96.	26.09.2014	एनसीबी	अहमदाबाद	हेरोइन	1.39	2	0	
97.	27.09.2014	बीएसएफ/ एनसीबी	अमृतसर	हेरोइन	0.95	0	0	
				मोरफिन	0.335			
98.	27.09.2014	एनसीबी	कोलकाता	पोपी हुस्क	745	3	0	
99.	27.09.2014	एनसीबी	देहरादून	पी/इयेडिरिनटेबलेट	110070	0	0	
100.	27.09.2014	एनसीबी	गुवाहाटी	हेरोइन	2.03	3	0	
101.	30.09.2014	बीएसएफ/एनसीबी	अमृतसर	हेरोइन	1.005	0	0	
102.	02.10.2014	बीएसएफ/एनसीबी	अमृतसर	हेरोइन	5.07	0	0	
103.	02.10.2014	एनसीबी	चेन्नई	पी/एफेड्राइन	16.81	0	0	
104.	02.10.2014	असम राइफल्स/ एनसीबी	इम्फाल	हेरोइन	0.052	3	0	
105.	03.10.2014	एनसीबी	अहमदाबाद	हशीश	3.15	1	0	
106.	03.10.2014	एनसीबी	चेन्नई	हेरोइन	1	1	0	
107.	04.10.2014	बीएसएफ/एनसीबी	अमृतसर	हेरोइन	2	0	0	
108.	09.10.2014	एनसीबी	पटना	गांजा	18.93	1	0	
109.	11.10.2014	एनसीबी	अहमदाबाद	हशीश	7	3	0	
110.	11.10.2014	एनसीबी	अजमेर	गांजा	20.1	1	0	
111.	15.10.2014	एनसीबी	दिल्ली	मोरफिन	0.28	0	0	
112.	17.10.2014	एनसीबी	चंडीगढ़	अफीम	4.49	5	0	
113.	18.10.2014	एनसीबी	अजमेर	गांजा	154.5	2	0	
114.	20.10.2014	एनसीबी	मंडी	हशीश	19.78	1	0	
115.	23.10.2014	एनसीबी	जम्मू	हशीश	3.84	4	0	
116.	26.10.2014	एनसीबी	चेन्नई	पी/एफेड्राइन	1	0	0	
117.	27.10.2014	बीएसएफ/एनसीबी	अमृतसर	हेरोइन	7.04	0	0	
118.	27.10.2014	असम राइफल्स/ एनसीबी	इम्फाल	हेरोइन	0.083	1	0	
119.	27.10.2014	असम राइफल्स	इम्फाल	हेरोइन	0.047	0	0	

क्रम सं.	तारीखें	मादक पदार्थ को जब्त करने वाली एजेंसी	जब्ती का स्थान	जब्त किए गए मदों का ब्यौरा (कि.ग्रा. में)		गिरफ्तार गिए गए व्यक्तियों की संख्या		टिप्पणियां (यदि कोई हो)
						भारतीय	विदेशी	
120.	28.10.2014	एनसीबी	बेंगलुरू	एलएसडी	23 ब्लॉट्स	3	0	
121.	02.11.2014	बीएसएफ/एनसीबी	अमृतसर	हेरोइन	21.805	0	0	
122.	02.11.2014	एनसीबी	दिल्ली	हशीश	1.544	3	0	
123.	04.11.2014	बीएसएफ/एनसीबी	अमृतसर	हेरोइन	20.95	0	0	
124.	04.11.2014	एनसीबी	कोलकाता	हशीश	0.09	1	0	
125.	07.11.2014	एनसीबी	दिल्ली	हेरोइन	0.152	0	0	
126.	11.11.2014	एनसीबी	कोलकाता	गांजा	369	1	0	
127.	13.11.2014	एनसीबी	कोच्चि	हेरोइन	1.938	3	0	
128.	17.11.2014	एनसीबी	अहमदाबाद	हशीश	9.75	1	0	
129.	17.11.2014	असम राइफल्स/ एनसीबी	इम्फाल	अफीम	0.74	0	0	
130.	21.11.2014	एनसीबी	दिल्ली	हशीश	0.025	0	0	
131.	23.11.2014	एनसीबी	अमृतसर	हेरोइन	4.8	0	0	
132.	23.11.2014	एनसीबी	मुम्बई	हशीश	3.7	0	0	
133.	25.11.2014	एनसीबी	हैदराबाद	एफेड्राइन	0.002	0	0	
134.	26.11.2014	असम राइफल्स/ एनसीबी	इम्फाल	हेरोइन	0.205	1	0	
135.	27.11.2014	असम राइफल्स/ एनसीबी	इम्फाल	हेरोइन	0.06	1	0	
136.	27.11.2014	एनसीबी	जम्मू	हशीश	1.07	1	0	
137.	28.11.2014	असम राइफल्स/ एनसीबी	इम्फाल	हेरोइन	0.11	1	0	
138.	28.11.2014	एनसीबी	गोवा	हशीश	1.48	0	2	
139.	29.11.2014	एनसीबी	दिल्ली	हशीश	17.77	3	0	
140.	29.11.2014	एनसीबी	कोलकाता	गांजा	50	1	0	
141.	30.11.2014	एनसीबी	अजमेर	गांजा	915.72	2	0	
142.	30.11.2014	एनसीबी	कोलकाता	गांजा	80	1	0	
143.	01.12.2014	एनसीबी	चेन्नई	पी/एफेड्राइन	1.98	0	1	
144.	01.12.2014	असम राइफल्स/ एनसीबी	इम्फाल	हेरोइन	0.14	1	0	
145.	01.12.2014	असम राइफल्स/ एनसीबी	इम्फाल	हेरोइन	0.05	1	0	
146.	02.12.2014	एनसीबी	बेंगलुरू	गांजा	25.5	1	0	
147.	03.12.2014	एनसीबी	देहरादून	डिजेपम टेबलेट	151.284	1	0	
148.	04.12.2014	एनसीबी	बेंगलुरू	कोकीन	0.01	0	1	

क्रम सं.	तारीखें	मादक पदार्थ को जब्त करने वाली एजेंसी	जब्ती का स्थान	जब्त किए गए मदों का ब्यौरा (कि.मी. में)		गिरफ्तार गिए गए व्यक्तियों की संख्या		टिप्पणियां (यदि कोई हो)
						भारतीय	विदेशी	
149.	05.12.2014	एनसीबी	बेंगलुरू	कोकीन	0.102	0	0	
150.	05.12.2014	एनसीबी	मुम्बई	हेरोइन	0.3	1	0	
151.	05.12.2014	एनसीबी	कोलकाता	पोपी स्ट्रा	108	1	0	
152.	06.12.2014	असम राइफल्स/ एनसीबी	इम्फाल	हेरोइन	0.37	1	0	
153.	09.12.2014	एनसीबी	कोलकाता	गांजा	26.1	2	0	
154.	10.12.2014	एनसीबी	चंडीगढ़	अफीम	4.5	3	0	
155.	10.12.2014	एनसीबी	दिल्ली	गांजा	32	1	0	
156.	11.12.2014	एनसीबी	लखनऊ	अफीम	12.6	2	0	
				मोरफिन	0.08			
157.	16.12.2014	एनसीबी	कोच्चि	हेरोइन	0.395	2	0	
158.	18.12.2014	एनसीबी	कोच्चि	हेरोइन	1.44	4	0	
159.	19.12.2014	एनसीबी	कोच्चि	हेरोइन	3.742	2	0	
160.	24.12.2014	बीएसएफ/एनसीबी	जम्मू	हेरोइन	2.915	0	0	
161.	25.12.2014	एनसीबी	चेन्नई	एफेड्राइन	13	2	0	
162.	25.12.2014	एनसीबी	पटना	गांजा	54	1	0	
163.	28.12.2014	बीएसएफ/एनसीबी	अमृतसर	हेरोइन	3.02	0	0	
164.	29.12.2014	एनसीबी	बेंगलुरू	कोकीन	0.01	0	1	
165.	29.12.2014	एनसीबी	मुम्बई	एमफेटामाइन	1.46	0	0	
166.	30.12.2014	एनसीबी	कोलकाता	गांजा	40	1	0	
167.	31.12.2014	एनसीबी	दिल्ली	कोकीन	0.12	0	0	

पोस्त की अवैध खेती को नष्ट करना

9.8.6 फसल वर्ष 2014 के दौरान, विभिन्न मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता से स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मिलकर प्रयास किए जिसके परिणामस्वरूप अंततः जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश तथा मणिपुर राज्यों में 22,857 एकड़ भूमि पर फैली अफीम की खड़ी एवं फलदार अवैध खेती को नष्ट किया गया। एनसीबी ने राज्य एजेंसियों के साथ कुल 2857 एकड़ में से 2,656 एकड़ में फैली अवैध खेती को नष्ट करने के लिए कार्रवाई शुरू की जो फसल वर्ष 2014 के दौरान नष्ट की गई।

9.8.7 अवैध अफीम पोस्त की खेती का पता लगाने और उसे नष्ट करने के संबंध में अभिनिर्धारित राज्यों और केन्द्रीय एजेंसियों के नोडल अधिकारियों की एक बैठक दिनांक 05.09.2014 को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के मुख्यालय में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया:

(क) फसल वर्ष 2013–14 के दौरान प्रत्येक राज्य में नष्ट की गई खेती।

(ख) अवैध अफीम पोस्त को नष्ट करने के दौरान होने वाली कठिनाइयां।

(ग) एडवांस्ड डाटा प्रोसेसिंग रिचर्स इंस्टीट्यूट (एड्रिन) द्वारा उपलब्ध कराए गए सैटेलाइट चित्रों की प्रभावोत्पादकता।

(घ) अवैध खेती को नष्ट करने के लिए पश्चिम बंगाल की सर्वोत्तम प्रथाएं।

(ङ) आगामी वर्ष के लिए अवैध पोस्त की खेती की पहचान करने और उसे नष्ट करने के लिए कार्य योजना तैयार करना।

9.8.8 डीडीजी (ऑपरेशन), एनसीबी ने बैठक का समन्वय किया और एडवांस्ड डाटा प्रोसेसिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (एडीआरआईएन), केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो (सीबीएन), अभिनिर्धारित राज्यों, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सीईआईबी), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), असम राइफल्स आदि के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया।

दोषसिद्धि

9.8.9 एन सी बी द्वारा विनिर्धारित न्यायालय के समक्ष दायर की गई शिकायतों के आधार पर दिनांक 01.04.2014 से 30.11.2014 की अवधि के दौरान 39 मामलों में दोषसिद्धि हुई।

मादक पदार्थों का निपटान

9.8.10 दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2014 की अवधि के दौरान 362.948 कि.ग्रा. हेरोइन, 2,525.5 किग्रा. मेथाक्वालोन तथा 255.301 किग्रा. गांजे का निपटान किया गया।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता

9.8.11 केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को स्वापक मादक पदार्थों तथा मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार से निपटने के लिए अपनी प्रवर्तन संबंधी क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराने हेतु दिनांक 24.10.2004 को 10 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से एक स्कीम शुरू की गई। उक्त स्कीम 05 वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् दिनांक 31.03.2009 तक वैध थी। केन्द्रीय सहायता स्कीम को जारी रखने की आवश्यकता और इसके उद्देश्य पर विचार करते हुए, भारत सरकार ने 15 करोड़ रु. के अनुमानित बजट के साथ इस स्कीम को 5 वर्ष अर्थात् 2009–10 से 2013–14 तक की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया। भारत सरकार ने ''राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता'' नामक एक योजना शुरु की है जिसमें मादक पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए आवश्यक अवसंरचना और उपकरण प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की एजेंसियों की मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। निम्नलिखित उपकरणों के लिए वस्तु रूप में सहायता दी जाती है जैसे (क) निगरानी उपकरण (ख) प्रयोगशाला उपकरण (ग) गश्त/निगरानी के लिए वाहन (घ) कम्प्यूटर और अन्य सहायक उपकरण (ङ) फैक्स मशीन और फोटो कापी मशीन और (च) प्रवर्तन के लिए उपयोगी अन्य उपकरण।

9.8.12 मार्च, 2014 में उक्त स्कीम के समाप्त होने के उपरांत, भारत सरकार ने दिनांक 04.12.2014 को 15 करोड़ रु. के अनुमानित बजट से इस स्कीम को 3 वर्ष की अतिरिक्त अवधि अर्थात वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक और बढ़ाने का निर्णय लिया। दिनांक 04.12.2014 को स्कीम के विस्तार के समय, विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से उनको वित्तीय सहायता मुहैया करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए।

प्रशिक्षण

9.8.13 स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन के संबंध में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण अकादमियों और मादक पदार्थ संबंधी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ नियमित रूप से समन्वय करता है। दिनांक 01.04.2013 से 31.12.2014 की अवधि के दौरान, दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, गोवा, मणिपुर, नागालैण्ड, पंजाब, केरल, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्यों में 512 ऐसे पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिनमें राज्य पुलिस बलों, वन विभाग, केन्द्रीय/राज्य उत्पाद, सीमा शुल्क, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), तटरक्षक और कुरियर एजेंसियों के लगभग 12,210 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया था। बीएसएफ/एसएसबी/केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ)/दिल्ली पुलिस, राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) और तटरक्षक कार्मिकों आदि के लिए एनसीबी के मादक पदार्थ संग्रहालय के 24 दौरे आयोजित किए गए। जब भी अनुरोध किया गया, एनसीबी द्वारा विभिन्न संस्थानों यथा बीएसएफ/एसएसबी/सीआईएसएफ/राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वापक अकादमी (एनएसीईएन)/सरदार बल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपीएनपी ए)/आसूचना ब्यूरो (आईबी)/पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी)/सीमा शुल्क/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई)/लोक नायक जयप्रकाश राष्ट्रीय अपराध विज्ञान संस्थान (एलजेएनएनआईसीएफएस) आदि को कुशल कर्मी उपलबध कराए गए।

अंतर्राष्ट्रीय दायित्व/सहयोग

9.8.14 स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के चार्टर में विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों, जिन पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं, के अन्तर्गत दायित्वों का कार्यान्वयन शामिल है। एनसीबी, मादक पदार्थों तथा मनःप्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी की रोकथाम करने तथा नियंत्रित करने के कार्य के समन्वय और व्यापक कार्रवाई सुकर बनाने के दृष्टिकोण से दूसरे देशों के संबंधित प्राधिकरणों तथा संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को सहायता भी प्रदान करता है।

9.8.15 मादक पदार्थ की तस्करी और दुरुपयोग ने वैश्विक आयाम हासिल कर लिए हैं। इस आम लड़ाई में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एक अत्यंत सक्षम माध्यम है। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए, भारत ने विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय समझौते, परस्पर विधिक सहायता संधि (एमएलएटी) तथा संयुक्त कार्य दल (जेडब्ल्यूजी) हस्ताक्षरित किए हैं। यह विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों, क्षेत्रीय एसएएआरसी (साउथ एशियन

एसोशिएसन फॉर रीजनल कोऑपरेशन), एसडीओएमडी (सार्क ड्रग ऑफेन्सेज मॉनिटरिंग डेस्क) तथा [सीएनडी (कमीशन फॉर नार्कोटिक ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़), आईडीईसी (इंटरनेशनल ड्रग इन्फोर्समेंट कान्फ्रेंस), एडीईसी (एशिया–पेसिफिक ऑपरेशनल ड्रग इन्फोर्समेंट कान्फ्रेंस), एडीएलओएमआईसी (एन्टी ड्रग लायजन ऑफिसियल्स मीटिंग फॉर इंटरनेशनल कान्फ्रेंस], इत्यादि जैसे अंतर क्षेत्रीय स्तर पर एक सक्रिय भागीदार भी है।

9.8.16 द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए, एनसीबी/भारत सरकार ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बुल्गारिया, कम्बोडिया, चीन, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, इजराइल, इटली, कुवैत, लाओस पीडीआर, मॉरीशस, म्यांमार, पोलैण्ड, कतर, रुमानिया, रुस, तज़ाकिस्तान, तुर्की, यूएई,यूएसए तथा ज़ाम्बिया नामक 23 देशों के साथ मादक पदार्थों, मनःप्रभावी पदार्थों एवं प्रिकर्सर रसायनों की मांग को कम करने और अवैध तस्करी को रोकने के लिए आपसी सहयोग करने हेतु द्विपक्षीय समझौते किए हैं।

9.8.17 एन सी बी/भारत सरकार ने 11 देशों अर्थात ऑस्ट्रेलिया भूटान, इण्डोनेशिया, ईरान, ओमान, पाकिस्तान, यू एस ए, वियतनाम, मालदीव, इंडोनेशिया और बांग्लादेश के साथ मादक पदार्थों से संबंधित मामलों पर समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षरित किए हैं।

9.8.18 इन समझौतों में स्वापक पदार्थों और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार में संलिप्त अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ सिंडिकेटों की आपराधिक गतिविधियों का पता लगाने, अवरुद्ध करने और रोकथाम करने के लिए जानकारी के आदान–प्रदान में सहायता करने पर बल दिया गया है।

मांग में कमी

9.8.19 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसम्बर, 1987 में पारित एक संकल्प में प्रत्येक वर्ष 26 जून को ''मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस'' के रूप में घोषित किया है। इस घोषणा के अनुसरण में, यह दिन मादक पदार्थों के खतरे के प्रति जनता को जागरुक बनाने के लिए मनाया जाता है। मादक पदार्थों से संबंधित मामलों में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और राज्यों की कार्रवाईयों का समन्वय करने के लिए एनसीबी नोडल एजेंसी है। मादकपदार्थ की कुरीतियों के संबंध में जनता, विशेषकर छात्रों को जागरूक बनाने के लिए, एन सी बी मुख्यालय तथा इसकी ज़ोनल इकाइयों ने विभिन्न राज्य मादक पदार्थ–रोधी कार्यबलों, राज्य एवं केन्द्रीय एजेंसियों, गैर–सरकारी संगठनों के साथ मिलकर मांग में कमी संबंधी 300 गतिविधियों का आयोजन किया। एनसीबी जनता को जागरूक बनाने के लिए नियमित रूप से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करता है। आयोजित किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

क) मादक पदार्थ की बुराई के विरुद्ध जागरूकता दौड़।

ख) पदयात्राएं/रैलियां/नाटक।

ग) नुक्कड़ नाटक/प्रदर्शन।

घ) संगोष्ठी/कार्यशालाएं।

ङ) चित्रकारी, भाषण, नारा लेखन प्रतियोगिता।

च) शपथ ग्रहण समारोह।

छ) सेवा प्रदाताओं के माध्यम से एस एम एस का प्रसार।

ज) सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा संबोधित जागरूकता संदेशों के साथ पोस्टरों तथा बैनरों का प्रदर्शन।

झ) जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एनसीबी प्रतिनिधियों की स्कूलों की यात्राएं।

ञ) मादक पदार्थ के दुर्व्यापार तथा इसके दुरूपयोग के संबंध में विधि में प्रावधान किए गए दण्ड के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पबों, बारों तथा एयरपोर्टों में प्रदर्शन बोर्ड स्थापित किए गए हैं/किए जा रहे हैं।

ट) स्कूल बसों में प्रदर्शन बोर्ड।

ठ) दिल्ली मेट्रो में प्रदर्शन बोर्ड।

ड) एनसीबी के फेसबुक पेज पर मादक पदार्थ संबंधी जागरूकता प्रदर्शन।

एनसीबी द्वारा दिनांक 26.06.2014 को इंडिया गेट पर मादक पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध जागरूकता के लिए दौड का आयोजन

जम्मू जोन ने दिनांक 26.06.2014 को नुक्कड नाटक का आयोजन किया

देहरादून सब–जोन ने दिनांक 26.06.2014 को (नुक्कड नाटक) का आयोजन किया

जम्मू जोन ने दिनांक 26.06.2014 को वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया

जोधपुर जोन ने दिनांक 26.06.2014 को चाक बलवाल में रैली आयोजित की।

पटना जोन ने गैर–सरकारी संगठन दिशा के सहयोग से दिनांक 26.06.2014 को पटना, बिहार में रैली आयोजित की

इंदौर जोन ने दिनांक 26.06.2014 को रैली आयोजित की

चेन्नई जोन ने 26.06.2014 को रैली आयोजित की

दिनांक 26.06.2014 को बेंगलुरू एयरपोर्ट पर मादक पदार्थों के प्रति जागरूकता संबंधी प्रदर्शनी वैन

अवधि के दौरान महत्वपूर्ण कार्यक्रम/कार्यकलाप

9.8.20 एनसीबी ने दिनांक 28.04.2014 से 30.04.2014 तक मनामा, बहरीन में आयोजित ''प्रिकर्सर नियंत्रण'' रसायन उद्योग को बढ़ावा–सरकार का सहयोग संबंधी कार्यशाला में भाग लिया।

9.8.21 एनसीबी ने दिनांक 15.05.2014 को रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ संबंधी समस्या का सामना करने के संबंध में मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।

9.8.22 एनसीबी ने दिनांक 16.05.2014 को मास्को, रूस में आयोजित ब्रिक्स की स्वापक विरोधी एजेंसी के प्रमुखों की दूसरी

श्री राजीव मेहता, डीजी, एनसीबी और श्री ए.के. जायसवाल, डीडीजी (मुख्यालय एवं समन्वय), एनसीबी ने रोम में 31वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ प्रवर्तन सम्मेलन (आईडीईसी XXXI) में भाग लिया

बैठक में भाग लिया।

9.8.23 एनसीबी ने दिनांक 17.06.2014 से 19.06.2014 तक रोम, इटली में आयोजित 31वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ प्रवर्तन सम्मेलन (आईडीईसी XXXI) में भाग लिया।

9.8.24 एनसीबी ने दिनांक 01.07.2014 से 07.07.2014 तक मकाती शहर, फिलिपींस में आयोजित मादक पदार्थ के मामलों से संबंधित आशियान के वरिष्ठ अधिकारियों (एएसओडी) की 35वीं बैठक में भाग लिया।

9.8.25 महानिदेशक एनसीबी, भारत और श्रीलंका के बीच दिनांक 20.08.2014 एवं 21.08.2014 को नई दिल्ली में महानिदेशक स्तरीय वार्ता आयोजित की गई।

9.8.26 एनसीबी ने दिनांक 25.08.20104 एवं 26.08.2014 को नई दिल्ली में आयोजित भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी तथा रॉयल भूटान सरकार की समन्वय समिति की चौथी बैठक में भाग लिया।

9.8.27 एनसीबी ने दिनांक 28.08.2014 एवं 29.08.2014 को सिओल, साउथ कोरिया में आयोजित मादक पदार्थ की तस्करी संबंधी कार्रवाइयों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय कार्य दल की 5वीं बैठक में भाग लिया।

9.8.28 एनसीबी ने दिनांक 02.09.2014 से 04.09.2014 तक ढाका, बांग्लादेश में भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित 15 गृह सचिव स्तरीय और 14 जेडब्ल्यूजी बैठकों में भाग लिया।

9.8.29 एनसीबी ने दिनांक 03.09.2014 से 05.09.2014 तक चियांग माई, थाईलैंड में आयोजित कोलंबो प्लान ड्रग फोकल प्वाइंट्स बैठक और मादक पदार्थ की मांग में कमी करने संबंधी विशेषज्ञ दल के परामर्श में भाग लिया।

9.8.30 एनसीबी ने दिनांक 17.09.2014 से 19.09.2014 तक काठमांडू, नेपाल में आयोजित छ सार्क बैठक में भाग लिया।

9.8.31 एनसीबी ने भारत और म्यांमार के बीच दिनांक 17.11.2014 एवं 18.11.2014 को म्यांमार में आयोजित 19वीं राष्ट्र स्तरीय बैठक में भाग लिया।

9.8.32 एन सी बी ने एल्कॉहलिज्म और मादक पदार्थ के दुरुपयोग की रोकथाम के क्षेत्र में विशिष्ट सेवाओं संबंधी राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामांकन की संवीक्षा करने के लिए दिनांक

श्री रोहित कटियार, डी डी (प्रशा.), एनसीबी मुख्यालय ने ''लोकवित्तीय प्रबंधन'' संबंधी कार्यशाला में भाग लिया।

03.04.2014 को शास्त्री भवन, नई दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में भाग लिया।

9.8.33 एनसीबी ने दिनांक 03.04.2014 से 05.04.2014 तक पंचकुला, हरियाणा में आईटीबीपी की आधारभूत प्रशिक्षण अकादमी में ''लोकवित्तीय प्रबंधन'' संबंधी कार्यशाला में भाग लिया।

9.8.34 दिनांक 30.04.2014 को, एनसीबी के परिचालनात्मक तथा प्रशासनिक मामलों पर चर्चा करने के लिए एनसीबी मुख्यालय, नई दिल्ली में जोनल निदेशकों का सम्मेलन हुआ। जोनल निदेशक तथा इसके ऊपर के रैंक के सभी अधिकारियों ने इसमें भाग लिया।

9.8.35 एनसीबी ने दिनांक 10.06.2014 को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी (एलबीएसएनएए), मसूरी (उत्तराखंड) में ''मादकपदार्थ दुर्व्यापार संबंधी सुरक्षा मामले'' विषय पर ''21वें संयुक्त सिविल–मिलिट्री प्रशिक्षण कार्यक्रम'' में भाग लिया।

श्री राजीव मेहता, महानिदेशक, एनसीबी और श्री ए.के. जायसवाल, उप महानिदेशक (मुख्यालय एवं समन्वय) दिनांक 30.04.2014 को एनसीबी मुख्यालय में जोनल निदेशकों के सम्मेलन मे भाग ले रहे प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए

9.8.36 एनसीबी ने दिनांक 26.06.2014 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एल्काहलिज्म तथा मादक पदार्थ के दुरुपयोग की रोकथाम के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं से संबंधित संबंध में राष्ट्रीय पुरस्कार कार्यक्रम में भाग लिया।

9.8.37 एनसीबी ने दिनांक 28.07.2014 को नई दिल्ली में एनडीपीएस (आवश्यक स्वापक पदार्थ) नियमावली, 2014 संबंधी राष्ट्रीय कार्यशाला से संबंधित बैठकों में भाग लिया।

9.8.38 एनसीबी ने दिनांक 12.09.2014 को पुलिस मुख्यालय, शिमला, हिमाचल प्रदेश में अन्तर–राज्य समन्वय बैठक में भाग लिया।

9.8.39 एनसीबी ने दिनांक 10.11.2014 से 13.11.2014 तक वियतनाम, ऑस्ट्रिया में आयोजित निकटवर्ती और मिडल ईस्ट में अवैध मादक पदार्थ दुर्व्यापार तथा संबंधित मामलों संबंधी उप–आयोग के 49वें सत्र में भाग लिया।

9.8.40 एनसीबी ने दिनांक 17.11.2014 से 21.11.2014 तक वाशिंगटन, यूएसए में आयोजित साउथ एंड सेंट्रल एशियन कंट्री ड्रग रेगुलेटर्स के सेमिनार में भाग लिया।

9.8.41 एनसीबी ने दिनांक 03.12.2014 को नई दिल्ली में कार्यकारी निदेशक (ईडी), मादक पदार्थ और अपराध संबंधी संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के साथ बैठक में भाग लिया।

9.8.42 एनसीबी ने दिनांक 05.12.2014 को दिल्ली में मादक पदार्थ के दुर्व्यापार के संबंध में दिल्ली पुलिस के साथ परस्पर विचार–विमर्श बैठक में भाग लिया।

*****

अध्याय 10

आपदा प्रबंधन

सिंहावलोकन

10.1 भारत बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकम्प, भू–स्खलन, हिम–स्खलन और दावानल सहित विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के प्रति काफी संवेदनशील है। लगभग 58.6% भू–भाग मामूली से लेकर अति तीव्रता वाले भूकम्पों से संभावित है, 12% भूमि में बाढ़ और नदी का कटाव संभावित है, 7,516 कि.मी. तटरेखा में से 5,700 कि.मी. तटरेखा चक्रवात और सुनामी सम्भावित है, 68% कृषि योग्य भूमि सूखे के प्रति संवदेनशील है। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र भू–स्खलन और हिम–स्खलन के कारण जोखिमपूर्ण हैं। आग की घटनाओं, औद्योगिक दुर्घटनाओं और रासायनिक, जैविक तथा रेडियोएक्टिव सामग्री का प्रयोग करके मानवजनित अन्य आपदाओं ने इन खतरों को बढ़ाया है। इन सभी ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रशमन, क्षमता–निर्माण, तैयारी और कार्रवाई संबंधी उपायों को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

केन्द्र और राज्य सरकारों की भूमिका

10.2 आपदा के समय बचाव, राहत और पुनर्वास उपाय करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। केन्द्र सरकार, भयंकर स्वरूप की आपदाओं के मामले में संभारिकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है। संभारतंत्र संबंधी सहायता में ये शामिल हैं– एयरक्राफ्टों एवं नावों, सशस्त्र बलों के विशेषज्ञ दलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन डी आर एफ) के कार्मिकों की तैनाती करना, चिकित्सीय भंडारों सहित राहत सामग्रियों और जरूरी वस्तुओं की व्यवस्था करना, संचार नेटवर्क सहित अत्यावश्यक अवसंरचना सुविधाओं की बहाली करना तथा हालात से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए प्रभावित राज्यों द्वारा अपेक्षित अन्य सहायता प्रदान करना।

10.3 सरकार ने आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण में परिवर्तन किया है। यह परिवर्तन राहत–केन्द्रित दृष्टिकोण के बजाय समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण का है जिसमें सभी प्रकार के क्रियाकलापों को कवर करते हुए रोकथाम, प्रशमन, क्षमता–निर्माण, तैयारी, कार्रवाई, राहत, पुनर्निर्माण और पुनर्वास को सम्मिलित किया गया है। यह दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि विकास तब तक स्थिर नहीं रह सकता है जब तक कि विकास की प्रक्रिया में आपदा प्रशमन के प्रबंध न किये जायें।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

10.4 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन डी एम ए) प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है। प्राधिकरण में तीन सदस्य मनोनीत किए गए हैं।

10.5 राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विभिन्न कार्यों का निर्वहन करता है, जिनमें आपदा प्रबंधन संबंधी ऐसी नीतियां और दिशानिर्देश तैयार करना शामिल है, जिनका अनुपालन भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपनी विकास योजनाओं एवं परियोजनाओं में आपदा की रोकथाम अथवा इसके प्रभावों के प्रशमन संबंधी उपायों को समेकित करने के प्रयोजन से किया जाएगा। यह, राज्य प्राधिकरणों के लिए भी ऐसे दिशानिर्देश तैयार करेगा जिनका अनुपालन उनके द्वारा राज्य योजनाएं तैयार करने और आपदा की रोकथाम अथवा प्रशमन के उपाय करने अथवा भयावह आपदा की स्थिति अथवा आपदा से निपटने के लिए ऐसी तैयारी एवं क्षमता निर्माण करने के लिए किया जाएगा जो वह आवश्यक समझे।

10.6 एन डी एम ए ने अपने गठन के समय से आपदाओं में मनोवैज्ञानिक–सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य सेवा, भूकम्प, दुर्घटना कार्रवाई प्रणाली, सुनामी, सूखा, शहरी बाढ़, चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन, हिम–स्खलन, चिकित्सा संबंधी तैयारी, जन–हताहत प्रबंधन, नाभिकीय और विकिरणीय आपात स्थितियों, रासायनिक आपदा तथा जैविक आपदा आदि जैसे विभिन्न आपदा संबंधी और विषयगत दिशानिर्देश जारी किए हैं।

राज्य आपदा प्रबंधन योजनाएं

10.7 एन डी एम ए ने जुलाई 2007 में आपदा प्रबंधन की योजना तैयार करने संबंधी दिशानिर्देश जारी किए थे। एन डी एम ए ने अपेक्षित दिशानिर्देश निर्धारित किए, इस कार्य में राज्यों की सहायता की तथा राज्य सरकारों से गहन संपर्क बनाए रखा। सभी राज्यों ने अपनी राज्य आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार कर ली हैं।

भूकंप के खतरों से संबंधित अपग्रेडेड मानचित्र तैयार करना

10.8 इस परियोजना का उद्देश्य 76.83 लाख रु. की लागत से भूकंप के खतरों से संबंधित मानचित्रों को अपग्रेड करना है। ये मानचित्र, भवन सामग्री प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन परिषद (बी एम टी पी सी) द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें 19.2 लाख रु. की धनराशि जारी की गई है।

10.9 मृदा–नलिका (सॉइल पाइपिंग) सतह के नीचे मृदा–अपरदन की एक प्रक्रिया है, जो केरल के कुछ भागों में देखी गई है। इस नए पहलू के लिए उचित सहायता की आवश्यकता है, ताकि इसका अध्ययन किया जा सके और इसके रोकथाम हेतु उपाय सुझाए जा सकें। एन डी एम ए ने इस परियोजना के लिए 49.70 लाख रु. की सहायता स्वीकृत की है, जिसमें से 32.67 लाख रु. की राशि जारी की जा चुकी है।

10.10 पुनश्चर्या और अभिमुखीकरण कार्यक्रमों में अद्यतन जानकारी सहित बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में आपदा–प्रबंधन के पाठ्यक्रम को पुष्ट करने के लिए 2.16 करोड़ रु. की लागत से लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के आपदा प्रबंधन केन्द्र में केन्द्रीय सेवा के कार्मिकों के क्षमता–निर्माण हेतु एक परियोजना क्रियान्वित की जा रही है।

10.11 एन डी एम ए दूरदर्शन, आकाशवाणी और एफ.एम. रेडियो चैनलों के माध्यम से भूकंप, बाढ़, शहरी बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं और सुरक्षा–किटों के बारे में श्रव्य–दृश्य स्पॉट्स की व्यवस्था कर रहा है।

10.12 एन डी एम ए का दसवां स्थापना दिवस दिनांक 29.09.2014 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में मनाया गया। उद्घाटन– सत्र के बाद ''फैलिन पर सफलता की कहानी–सीखे गए पाठ'' और नए दिशानिर्देशों (अर्थात विद्यालय सुरक्षा संबंधी एन डी एम ए दिशानिर्देश और समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन संबंधी एन डी एम ए दिशानिर्देश) की प्रस्तुतियों के बारे में दो तकनीकी सत्र आयोजित किए गए।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 10वें स्थापना दिवस का आयोजन

34वें भारत–अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला, 2014 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की भागीदारी

10.13 एन डी एम एम ए ने दिनांक 14 से 27 नवम्बर, 2014 के दौरान प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित 34वें भारत–अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला, 2014 में हिस्सा लिया ताकि विभिन्न प्रकार की आपदाओं के प्रबंधन के बारे में आम–जनता, छात्रों और विभिन्न हितधारियों के बीच जागरुकता फैलाई जा सके।

नवम्बर, 2014 में नई दिल्ली में प्रधान मंत्री के अपर प्रधान सचिव श्री पी.के. मिश्रा द्वारा एन डी एम ए पॅविलियन का उद्घाटन

10.14 **एनडीएमए निम्नलिखित परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है:–**

(i) आन्ध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम–प्रशमन परियोजना की केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम का चरण–। चक्रवात के प्रति तटीय समुदायों की संवेदनशीलता का समाधान करने हेतु 1,496.71 करोड़ रू. की लागत से कार्यान्वयनाधीन है। परियोजना का आशय चक्रवात की भविष्यवाणी, ट्रैकिंग और चेतावनी प्रणालियों का उन्नयन करना, चक्रवात जोखिम प्रशमन और बहु–आपदा जोखिम प्रबंधन में क्षमता निर्माण और बहु–उद्देशीय चक्रवात आश्रयों (आश्रय–सह–गोदाम तथा निवासियों के लिए पहुंच सड़कों/पुलों सहित) और तटबंधों का निर्माण करना है।

(ii) एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 48.47 करोड़ रू. के कुल प्रावधान से राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। सूचना, शिक्षा और संचार कार्यकलाप आरंभ करके, चयनित स्कूलों में गैर–संरचना प्रशमन उपायों और प्रदर्शनात्मक संरचना रेट्रोफिटिंग को बढ़ावा देकर स्कूलों में सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ाने के

लिए यह एक समग्र परियोजना है। इस परियोजना में भूकम्प क्षेत्र IV और V में आने वाले 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 43 जिलों के 8,600 स्कूल शामिल हैं।

आपदाओं के कारण क्षति

10.15 वर्ष 2014–15 के दौरान, 21 राज्यों ने विभिन्न मात्रा में बाढ़/चक्रवाती तूफानों/भारी वर्षा/सूखा/भूस्खलनों/बादल फटने आदि से हुई क्षति की सूचना दी है। ये राज्य हैं; आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल। वर्ष 2014–15 के दौरान देश में हुई क्षति का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

मारे गए व्यक्ति	1,674
मारे गए मवेशी	92,180
क्षतिग्रस्त मकान	7,25,390
प्रभावित फसली क्षेत्र	26.72 लाख हेक्टेयर

क्षति का राज्य–वार ब्यौरा **अनुलग्नक–XI** में दिया गया है।

राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल

10.16 वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल के कार्मिकों ने देश के विभिन्न भागों में अनेक खोज एवं बचाव कार्यों में हिस्सा लिया। इनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है:

(i) **जम्मू एवं कश्मीर राज्य में बाढ़ और भूस्खलन:** निरंतर भारी वर्षा और भूस्खलनों से जम्मू एवं कश्मीर राज्य में हुई जबरदस्त तबाही और गंभीर त्रासदी के तुरंत बाद एन डी आर एफ ने जम्मू और कश्मीर के विभिन्न भागों में 35 गोताखोरों, 148 नौकाओं तथा अन्य जीवन रक्षक उपकरण सहित 22 टीमें तैनात कीं। अभियान के दौरान, एन डी आर एफ की टीमों ने 50,815 व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकाला, 15 शव बरामद किए, 88.22 टन राहत सामग्री का वितरण किया तथा चिकित्सा शिविर स्थापित किया, जिसका लाभ 10,145 बाढ़ प्रभावित लोगों ने उठाया। इसके अतिरिक्त, एन डी आर एफ ने अपने हेल्पलाइन नंबर स्थापित किए और उन पर पूरे भारतवर्ष से 4,000 से अधिक अनुरोध तथा विदेशों से भी कुछ अनुरोध प्राप्त हुए, जिन पर तत्काल कार्रवाई की गई।

(ii) **चक्रवात "हुदहुद":** दिनांक 06.10.2014 को भारतीय मौसम–विज्ञान विभाग से उत्तरी अंडमान समुद्र तथा साथ लगे दक्षिण–पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर अधिक दबाव का क्षेत्र बनने तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के संबंध में चक्रवात और उत्तरी आन्ध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों पर चक्रवात–पूर्व निगरानी रखने की चेतावनी प्राप्त होने पर, एन डी आर एफ ने ओडिशा में 16 तथा आन्ध्र प्रदेश में 26 टीमों सहित 42 टीमें तैनात कीं। टीमें आन्ध्र प्रदेश में दिन–रात कार्य में लगी रहीं और उन्होंने बाढ़/चक्रवात से प्रभावित 14,193 लोगों को बचाया, 83 पशुओं को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया तथा 01 व्यक्ति और 04 पशुओं के शव बरामद किए, 1,175 किमी. सड़क को चालू करने के लिए 14,305 पेड़ों को काटा तथा बिजली के 1,619 खंभों को हटाया। इसके अतिरिक्त, 50 क्विंटल राहत सामग्री का वितरण किया। ओडिशा में तैनात एन डी आर एफ की टीमों ने 1,403 व्यक्तियों को बचाया, 185 पेड़ों को काटकर सड़क यातायात को बहाल किया तथा 07 क्विंटल राहत सामग्री का वितरण किया।

हुदहुद चक्रवात

(iii) **मलिन गांव में भूस्खलनः** मलिन गांव, तहसील–अम्बेगांव, जिला–पुणे में भारी भूस्खलन होने की सूचना प्राप्त होने पर, एन डी आर एफ की 05वीं बटालियन की 09 टीमें तत्काल तैनात की गईं तथा उन्होंने एक सप्ताह की अवधि के दौरान खोज और बचाव अभियान चलाए, जिनमें उन टीमों ने 08 लोगों को बचाया, 151 शव और 5 अज्ञात शव और 58 मवेशी बरामद किए। इसके अतिरिक्त, अभियान–स्थल से नकद धनराशि, स्वर्ण–आभूषण और चांदी के बर्तन सहित लगभग पांच लाख रु. की संपत्ति बरामद की गई।

मलिन गांव में भूस्खलन

(iv) **थलौट गांव, जिला–मंडी (हिमाचल प्रदेश) के निकट व्यास नदीः** गांव थलौट, जिला–मंडी (हिमाचल प्रदेश) के निकट व्यास नदी में एक टूर ऑपरेटर सहित वी एन आर विज्ञान ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद के 24 छात्रों के बह जाने की सूचना प्राप्त होने पर, राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल ने 05 टीमें तैनात कीं और दस दिनों तक खोज अभियान चलाए, जिनमें एन डी आर एफ की टीमों द्वारा 24 शवों में से 17 शव बरामद किए गए। बाद में शेष 7 शवों को भी अन्य एजेंसियों द्वारा बरामद कर लिया गया।

व्यास नदी घटना, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश

(v) **मौलीवक्कम, चेन्नई में भवन ढहनाः** दिनांक 28.06.2014 को मौलीवक्कम, चेन्नई में 11 मंजिला निर्माणाधीन भवन का ढहना एन डी आर एफ के कार्मिकों के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य था। इस कार्य में 10 टीमें लगाई गईं। भारी वर्षा के कारण टीमों के अभियान में बाधा आती रही। इन बाधाओं की परवाह किए बिना एन डी आर एफ के कार्मिकों ने खोज और बचाव अभियान चलाए और अकेले 12 लोगों की जान बचाई और 52 शव बरामद किए। इस अभियान की उल्लेखनीय बात यह रही कि घटना के 72 घंटे के बाद मलबे से एक व्यक्ति को सुरक्षित जीवित बाहर निकाला गया। इस अभियान का पर्यवेक्षण श्री संदीप राय राठौर, आईपीएस, महानिरीक्षक, एन डी आर एफ द्वारा व्यक्तिगत रुप से किया गया।

चेन्नई में 11 मंजिला भवन के ढहने पर चलाया गया अभियान

(vi) **असम और मेघालय में बाढ़ः** असम और मेघालय में हुई भारी वर्षा के कारण ये राज्य बाढ़ से प्रभावित रहे। इस प्रकार की स्थिति में अपनी दक्षता के लिए ज्ञात एन डी आर एफ ने असम के विभिन्न जिलों अर्थात् कामरूप (ग्रामीण), कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी, ग्वालपारा, लखीमपुर, तिनसुकिया, धेमाजी एवं आई डब्ल्यू टी गुवाहाटी तथा मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स, नॉर्थ गारो हिल्स और ईस्ट गारो हिल्स में अपनी 15 टीमें तैनात की। इन टीमों ने असम में 3,439 व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया, 02 शव बरामद किए तथा 40 क्विंटल राहत सामग्रियों का वितरण तथा मेघालय में 3,889 व्यक्तियों को बचाया, 04 शव बरामद किए और

184 क्विंटल राहत सामग्रियों का वितरण किया। एन डी आर एफ द्वारा तैनात किए गए चिकित्सा अधिकारियों ने बड़ी संख्या में रोगियों की देखभाल की।

असम में बाढ़ बचाव अभियान

10.17 **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम)**

(i) वर्ष के दौरान, एन आई डी एम ने 47 आमने–सामने के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें लगभग 1,209 सहभागियों ने भाग लिया। आमने– सामने के इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त, संस्थान ने 10 वेब आधारित आनलाइन पाठ्यक्रमों का भी आयोजन किया, जिनमें 434 सहभागियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त, एन आई डी एम ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों और इस प्रकार के अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनका ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

क्रम संख्या	वर्ष 2014–15 के दौरान कार्यक्रम
1.	दिनांक 07.04.2014 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में एन सी आर एम पी के अंतर्गत भारत के लिए आपदा पश्चात आवश्यकता आकलन (पी डी एन ए) अध्ययन विषय पर एक परामर्शदात्री कार्यशाला।
2.	दिनांक 30.05.2014 को "फैलिन चक्रवात 2013: सीखे गए पाठ" विषय पर एन आई डी एम द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला।
3.	दिनांक 22.06.2014 से 26.06.2014 के दौरान बैंकाक, थाइलैंड में आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी छठा एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन।
4.	दिनांक 04.06.2014 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, "आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए पर्यावरण की सुरक्षा" संबंधी राष्ट्रीय जागरुकता अभियान और कार्यक्रम का आयोजन।
5.	चेंग्डू, चीन में दिनांक 10.06.2014 से 12.06.2014 तक "एशिया में मजबूत आपदा जोखिम प्रबंधन (डी आर एम) प्रणालियां विकसित करना'' संबंधी विषय पर एक नीतिगत वार्ता में एन आई डी एम की भागीदारी।
6.	दिनांक 16.06.2014 से 21.06.2014 तक बोगोर, इंडोनेशिया में जैव प्रणाली आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं जलवायु परिवर्तन आत्मसात करने संबंधी अंतरराष्ट्रीय विज्ञान नीति कार्यशाला और ईको डी आर आर–सी सी ए विषयक अनुदेशकों के वैश्विक प्रशिक्षण के आयोजन में एन आई डी एम संकाय सदस्य शामिल हुए।
7.	दिनांक 11.07.2014 से 12.07.2014 के दौरान काठमांडू, नेपाल में आईसीआईएमओडी के कोसी बेसिन कार्यक्रम फोरम में जल–आपदा–पर्वत–डीआरआर समूह की अध्यक्षता एन आई डी एम संकाय ने की।
8.	दिनांक 08.07.2014 से 11.07.2014 तक ओडिशा "रासायनिक (औद्योगिक) आपदा प्रबंधन" संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम।
9.	दिनांक 04.07.2014 को एन आई डी एम में "बुंदेलखण्ड के अर्ध–शुष्क क्षेत्र के लिए सूखा–रोधी रणनीति" विषय पर एक दिवसीय वैज्ञानिक आदान–प्रदान कार्यशाला।
10.	"सतत विकास के लिए डी आर आर रणनीतियां – नियोजन एवं नीतिगत लिखत'' संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम– 21.08.2014 से 22.08.2014
11.	हिन्दी दिवस, 15.09.2014
12.	दिनांक 23.09.2014 को भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (आई डी आर एन) के बारे में नेशनल लेवल ब्रेन स्टार्मिंग वर्कशॉप।

क्रम संख्या	वर्ष 2014–15 के दौरान कार्यक्रम
13.	दिनांक 24.09.2014 से 25.09.2014 तक पर्यावरणीय स्वास्थ्य आपदाएं – जोखिम विश्लेषण और नियोजन विषय पर सम्मेलन–पूर्व कार्यशाला।
14.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने दिनांक 02.10.2014 को स्वच्छता अभियान का आयोजन किया।
15.	दिनांक 08.10.2014 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने "आपदा न्यूनीकरण दिवस" का आयोजन किया।
16.	जैविक उद्यान, नई दिल्ली के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के संबंध में दिनांक 18.10.2014 को दौरा किया गया।
17.	दिनांक 13.10.2014 से 17.10.2014 तक "वनाग्नि प्रशमन एवं प्रबंधन'' संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम।
18.	दिनांक 20.10.2014 को "विकास संबंधी नीतियों और प्रक्रियाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण का समावेशन तथा जलवायु–परिवर्तन के अनुकूलन" के बारे में सम्मेलन।

"फैलिन चक्रवात, 2013" के बारे में राष्ट्रीय कार्यशाला

छठे एएमसीडीआरआर का उद्घाटन समारोह

"सतत विकास के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी रणनीतियां" संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम

आईडीआरएन पर नेशनल लेवल ब्रेनस्टार्मिंग वर्कशॉप

(ii) एन आई डी एम ने 'वनाग्नि आपदा प्रबंधन' नामक एक पुस्तक प्रकाशित की है। इस पुस्तक में वनों, वनाग्नियों और इनके प्रभाव, वनाग्नि प्रबंधन संबंधी रणनीतियों और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर संबंधित मुद्दों के बारे में नवीनतम जानकारी दी गई है। वनाग्नि के बारे में एक अद्यतन एवं अच्छी टीका ग्रंथ–सूची भी इस पुस्तक में दी गई है, जो प्रशिक्षकों, अनुसंधानकर्ताओं और वन रक्षकों के लिए निश्चित ही उपयोगी सिद्ध होगी।

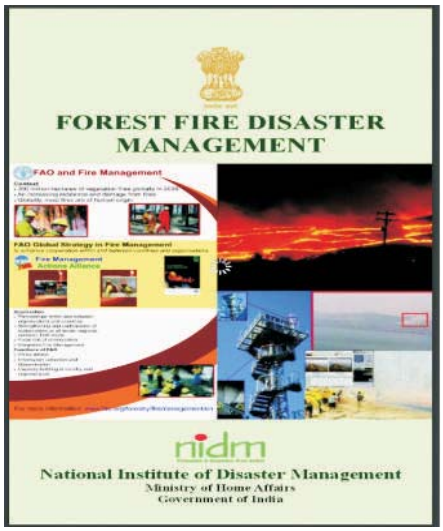

(iii) एन सी आर एम पी कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण भाग 'आपदा जोखिम विश्लेषण; क्षमता–निर्माण; तथा नुकसान एवं क्षति के आकलन के लिए तकनीकी सहायता' है। इस परियोजना का एक संभावित परिणाम प्रशिक्षण के कार्यान्वयन के लिए रणनीतिक ढांचा और प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण माड्यूल विकसित करना है। एन आई डी एम द्वारा तैयार किए गए सात प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण माड्यूलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1) विकास में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डी आर आर) और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (सी सी ए) के समावेश हेतु पंचायती राज संस्थानों का सुदृढ़ीकरण।
2) ग्रामीण विकास संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों में जोखिम न्यूनीकरण एवं जलवायु परिवर्तन–प्रतिरोध का समावेशन।
3) नगर विकास संबंधी योजना में डी आर आर एवं सी सी ए का समावेश।
4) अस्पताल आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना और उसका कार्यान्वयन।
5) शिक्षकों के लिए ज्ञान और शिक्षा के माध्यम से सुरक्षा की संस्कृति विकसित करना।
6) प्रवेश स्तर के पत्रकारों के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण माड्यूल – आपदा की रिपोर्टिंग संबंधी सिद्धांतों की जांच।
7) वरिष्ठ स्तर के पत्रकारों के लिए टी ओ टी माड्यूल – आपदा की रिपोर्टिंग संबंधी सिद्धांतों की पुनः जांच।

(iv) एन आई डी एम ने प्रमुख आपदाओं का प्रलेखन किया है तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अनेक माड्यूल तैयार किए हैं। इन मुद्रित प्रकाशनों के अतिरिक्त, एन आई डी एम ने वृत्तचित्रों को तैयार करने की योजना बनाई है। इस वर्ष एन आई डी एम ने इस प्रकार के दो वृत्तचित्रों का निर्माण किया है। पहला वृत्तचित्र एन आई डी एम पर आधारित कॉरपोरेट फिल्म है, जिसमें उसकी उत्पत्ति, योजना, लक्ष्य और कार्यों की चर्चा की गई है। इसमें एन आई डी एम द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रलेखन कार्यों, अनुसंधान परियोजनाओं, सहयोग आदि के बारे में भी सूचना दी गई है। दूसरा वृत्तचित्र भूकंप जोखिम प्रबंधन विषय पर आधारित है। इस फिल्म में भूकंप की तैयारी के प्रति कदम–दर–कदम दृष्टिकोण को उजागर किया गया है। इसमें खराब निर्माण की पहचान करने तथा ऐसे ढांचों को सुधारने के तरीके के बारे में बताया गया है। इसमें श्रोताओं का अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री और भवन की बढ़िया डिजाइन, जो भूकंप को सह सके, के बारे में मार्गदर्शन भी किया गया है। वर्ष 2014 में तैयार किए गए ये दो वृत्तचित्र हैं : i) एन आई डी एम, एक नजर में (16 मिनट और 39 सेकंड) तथा ii) भूकंप संबंधी तैयारी के बारे में गृह स्वामी की रेसिपी (21 मिनट और 02 सेकंड) और ये दोनों एन आई डी एम की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

(v) आपदाओं के बारे में जागरुकता फैलाने तथा जोखिम/क्षति को कम करने के लिए एन आई डी एम ने 12 प्रकार की सामान्य आपदाओं अर्थात् भूकंप, बाढ़, चक्रवात, आग, भूस्खलन, सूखा, सुनामी, लू, महामारी, बिजली कड़कने तथा गिरने और वनाग्नि के संबंध में क्या करें और क्या न करें का उल्लेख करते हुए ''हिन्दी'' में एक छोटी पुस्तिका तैयार की है।

(vi) एन आई डी एम ने 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए पर्यावरण की रक्षा' के बारे में छात्रों तथा समाज के अन्य वर्गों के बीच जागरुकता फैलाने के उद्देश्य से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जागरुकता संबंधी कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मुद्दे पर छात्रों के बीच जागरुकता पैदा करने के लिए एन आई डी एम ने इस

विषय पर निबंध–लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया।

(vii) आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन) एक वेब आधारित सूचना प्रणाली है और उपकरण–सूची, कुशल जनशक्ति संसाधनों एवं आपातकालीन कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए एक प्लेटफार्म है। दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार आईडीआरएन के पास 1,57,566 रिकार्ड हैं। इस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य निर्णायक प्राधिकारियों द्वारा किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए उपकरणों की उपलब्धता, अपेक्षित महत्वपूर्ण आपूर्ति और मानव संसाधनों का पता लगाना है। यह डाटाबेस उन्हें विशिष्ट जोखिमों और आपदाओं की तैयारी के स्तर का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है। इस समय आईआरडीएन की निगरानी एवं रखरखाव केन्द्रीय रूप से एनआईडीएम द्वारा किया जाता है। एनआईडीएम आईडीआरएन पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। इस परियोजना के अन्तर्गत, एन आई डी एम ने 2 प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है जिनमें 48 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

नागरिक सुरक्षा

10.18 नागरिक सुरक्षा एक ऐसा संगठन है जिनमें स्वयंसेवी शामिल होते हैं। इसमें भारत या इसके किसी भू–भाग के किसी भी क्षेत्र में किसी व्यक्ति, सम्पत्ति, स्थान अथवा वस्तु पर किसी हवाई, भूमि, समुद्री अथवा अन्य स्थानों से होने वाले किसी शत्रु के हमले से सुरक्षा प्रदान करने अथवा ऐसे किसी हमले को रोकने/उसके प्रभाव का प्रशमन करने के लिए किए जाने वाले वे उपाय शामिल हैं, जो वास्तव में युद्ध नहीं हैं, भले ही ये उपाय ऐसे हमले के पूर्व, उसके दौरान अथवा उसके बाद किए जाएं। इसमें आपदा प्रबंधन हेतु किए गए उपाय भी शामिल हैं।

10.19 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को तैयार करने, प्रशिक्षण देने और उन्हें सामग्री उपलब्ध कराने के लिए नागरिक सुरक्षा उपाय आरंभ करने हेतु राज्यों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता इस समय श्रेणीकृत नगरों तक सीमित है। पूर्वोत्तर राज्यों (असम के अलावा) को 50% तक और असम सहित सभी अन्य राज्यों के लिए 25% प्रतिपूर्ति की जाती है। वर्ष 2014–15 के दौरान, राज्यों को 4.89 करोड़ रू. की प्रतिपूर्ति की गई थी।

10.20 सरकार ने 290.89 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ "आपदा जोखिम न्यूनीकरण में नागरिक सुरक्षा को सम्मिलित करना" नामक एक नई केन्द्रीकृत अनुमोदित योजना मंजूर की है, जो 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित की जाएगी। वर्ष 2014–15 में राज्यों को 15 करोड़ रु. की धनराशि जारी की जा चुकी है।

10.21 राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय नियमित रूप से राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल एवं अन्य केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रशिक्षकों को ऐसे आतंकवादी खतरों से निपटने संबंधी दक्षता विकसित करने का प्रशिक्षण दे रहा है जिसमें जन संहारक हथियारों के प्रयोग एवं किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा के परिणामों से संबंधित प्रशिक्षण भी शामिल है। महाविद्यालय की प्रशिक्षण क्षमताओं और भौतिक अवसंरचना में वृद्धि करने हेतु आधुनिक सुविधाओं के साथ इसका उन्नयन किया गया है।

10.22 'होमगार्ड' एक स्वैच्छिक बल है, जिसकी स्थापना पहली बार भारत में दिसम्बर, 1946 में नागरिक अशांति एवं साम्प्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने में पुलिस की सहायता करने के लिए की गई थी। बाद में, कई राज्यों द्वारा स्वैच्छिक नागरिक बल की अवधारणा को अपना लिया गया था। वर्ष 1962 में चीन के आक्रमण के परिणामस्वरूप, केन्द्र ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अपने मौजूदा स्वैच्छिक संगठनों का होमगार्ड के रूप में विदित एक वर्दीधारी स्वैच्छिक संगठन में विलय करने का सुझाव दिया था। कानून एवं व्यवस्था और आन्तरिक सुरक्षा को बनाए रखने, किसी भी प्रकार की आपात स्थिति जैसे कि हवाई हमला, आग लगना, चक्रवात, भूकंप, महामारी आदि में समुदाय की सहायता करने, जरूरी सेवाएं बनाए रखने, सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने तथा कमजोर वर्गों की सुरक्षा करने में प्रशासन की सहायता करने, सामाजिक–आर्थिक एवं कल्याणकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने तथा नागरिक सुरक्षा कार्यों को करने में पुलिस के सहयोगी बल के रूप में होमगार्डों की भूमिका है।

10.23 दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार, देश में होमगार्डों की कुल स्वीकृत संख्या 5.74 लाख है और इसकी तुलना में 5.02 लाख होमगार्ड कार्यरत हैं।

10.24 'होमगाड्र्स' का गठन, होमगाड्र्स अधिनियम और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नियमों के अधीन किया जाता है। इनकी भर्ती समाज के विभिन्न वर्गों यथा डाक्टरों, इंजीनियरों, वकीलों, निजी क्षेत्र के संगठनों, कालेज और विश्वविद्यालय के छात्रों, कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र के कामगारों आदि में से की जाती है, जो समुदाय की भलाई के लिए अपना अतिरिक्त समय इस संगठन को दे सकें। होमगार्डों को दी जाने वाली सुख–सुविधाओं में मुफ्त पोशाक, ड्यूटी भत्ता एवं विशिष्ट और सराहनीय सेवाओं के लिए वीरता पुरस्कार शामिल हैं। संगठन में तीन वर्षों की सेवा वाले होमगाड्र्स के सदस्यों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने, अपराध रोकने, डकैती–निरोधी उपायों, सीमा गश्त, निषेधाज्ञा, बाढ़ राहत, अग्निशमन, चुनाव ड्यूटियों और समाज कल्याण की गतिविधियों के संबंध में पुलिस का प्रशिक्षण दिया जाता है।

10.25 गृह मंत्रालय, होमगार्ड्स संगठन की भूमिका, गठन, प्रशिक्षण, उपस्कर, स्थापना और अन्य महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित नीति तैयार करता है। सामान्य तौर पर होमगार्ड्स पर होने वाला व्यय, केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा क्रमशः 25% और 75% के अनुपात में इनके गठन, प्रशिक्षण और साजो–सामान से सुसज्जित करने के लिए प्रतिपूर्ति आधार पर वहन किया जाता है। असम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह भागीदारी केन्द्र और राज्यों के बीच 50:50 के अनुपात में है। वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए, दिनांक 31.12.2014 तक राज्यों को 9.98 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति की गई थी।

10.26 अग्निशमन सेवाओं का गठन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। गृह मंत्रालय, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय मंत्रालयों को आग से बचाव, आग पर नियंत्रण, अग्निशमन विधायन एवं प्रशिक्षण के बारे में तकनीकी परामर्श देता है।

10.27 अग्निशमन सेवा के अधिकारियों को राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर में प्रशिक्षित किया जाता है। इस महाविद्यालय के फायर इंजीनियरों को आग से बचाने और रोकने के कार्य के लिए भारत और विदेशों में तैनात किया जाता है। यह महाविद्यालय आपदा प्रबंधन के लिए फायर ग्राउंड आपरेशन, पैरामेडिक्स और वास्तविक जीवन की स्थिति के बारे में भी प्रशिक्षण प्रदान करता है। आग की रोकथाम करने और आग से संरक्षण प्रदान करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों, राज्य सरकारों, नगर निगमों, फायर ब्रिगेडों, पोर्ट ट्रस्टों, विमानपत्तन प्राधिकरण के वरिष्ठ अग्निशमन इंजीनियर एवं अधिकारी, महाविद्यालय के अतिथि संकाय के पैनल में हैं। अग्निशमन सेवा अधिकारी वैज्ञानिक इंजीनियरी समाधान उपलब्ध कराके अग्नि एवं विस्फोट के खतरों से सुरक्षा प्रदान करते हैं और इस प्रकार वे अर्थव्यवस्था में भी सहायता पहुंचाते हैं।

प्राकृतिक आपदाओं के दौरान समन्वय

10.28 केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी) प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विभिन्न राज्यों में बचाव और राहत कार्यों को समन्वित करती है।

10.29 राष्ट्रीय आपातकालीन अभियान केन्द्र (जो नॉर्थ ब्लॉक में 24×7 आधार पर कार्य करता है), भारत सरकार से सहायता का समन्वय करने के अलावा, आवश्यक तैयारी संबंधी उपाय करने के लिए राज्य सरकारों को परामर्शी पत्र जारी करता है और प्रतिदिन की स्थिति संबंधी रिपोर्ट तैयार करता है जिसे सभी संबंधितों को भेजा जाता है और दैनिक आधार पर वेबसाइट 'ndmindia.nic.in' पर भी अपलोड किया जाता है। इस मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों और राहत आयुक्तों के निरंतर सम्पर्क में रहते हैं। नोडल मंत्रालय होने के कारण, गृह मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), राज्यों तथा जिलों के नियंत्रण कक्षों और अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ निकट बातचीत के माध्यम से बाढ़ और चक्रवात की स्थिति की सतत निगरानी करता है।

राहत आयुक्तों और सचिवों, राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के आपदा प्रबंधन विभागों का वार्षिक सम्मेलन

10.30 राहत आयुक्तों/सचिवों/राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के आपदा प्रबंधन विभागों का वार्षिक सम्मेलन आरंभ होने वाले दक्षिण–पश्चिम मानसून, 2014 हेतु तैयारी की समीक्षा करने और अन्य आपदा प्रबंधन संबंधी मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए नई दिल्ली में दिनांक 27.05.2014 को आयोजित किया गया था। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रतिनिधियों के अलावा आपातकालीन सहायता कार्य करने वाले विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। इसमें प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में प्रत्येक राज्य की तैयारी की समीक्षा एक जांच–सूची के माध्यम से की गई।

वित्तीय तंत्र

10.31 राहत व्यय की वित्तीय व्यवस्था की योजना क्रमिक वित्त आयोगों की सिफारिशों पर आधारित है। वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक लागू मौजूदा योजना तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि हिमस्खलन, चक्रवात, बादल फटने, सूखे, भूकम्प, सुनामी, आग लगने, बाढ़, ओला–वृष्टि, भू–स्खलन और कीट–आक्रमण को राज्य आपदा कार्रवाई निधि (एस डी आर एफ) और राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि (एन डी आर एफ) से वित्तीय सहायता देने के लिए प्राकृतिक आपदाएं माना जाए। भारत सरकार ने भी शीत लहर/पाला को भी राज्य आपदा कार्रवाई निधि (एस डी आर एफ) और राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि (एन डी आर एफ) से सहायता के लिए पात्र आपदा की सूची में शामिल करने का अनुमोदन प्रदान किया है और दिनांक 13.08.2012 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.ndmindia.nic. पर उपलब्ध है।

10.32 13वें वित्त आयोग की सिफारिश पर, वित्त मंत्री, भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण, क्षमता–निर्माण और कार्रवाई तंत्रों के लिए निधियां आबंटित की हैं।

10.33 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48(1) में राज्य सरकारों द्वारा राज्य आपदा कार्रवाई निधि

(एस डी आर एफ) के गठन का प्रावधान है। गृह मंत्रालय ने राज्यों को एस डी आर एफ चलाने संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं। राज्य राहत निधियों में आबंटन क्रमिक वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। विभिन्न राज्यों को पांच वर्ष की अवधि के लिए निधियां आवंटित करते समय, जिन घटकों पर विचार किया जाता है, उनमें पिछले लगभग 10 वर्षों के दौरान राज्य सरकारों द्वारा राहत कार्यों पर किया गया व्यय, राज्यों की प्राकृतिक आपदा के प्रति संवेदनशीलता और राज्यों की आर्थिक स्थिति शामिल है। इस समय, 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने सभी राज्यों को राज्य आपदा राहत निधि के लिए 33,580.93 करोड़ रू. के आवंटन की मंजूरी प्रदान की है, जिसमें केन्द्र का अंशदान 25,847.93 करोड़ रू. और राज्य का अंशदान 7,733.00 करोड़ रू. है। एसडीआरएफ योजना में केन्द्रीय अंशदान को जून और दिसम्बर में दो समान किस्तों में जारी करने का प्रावधान है। वर्ष 2010–15 की अवधि के लिए एस डी आर एफ में राज्य–वार और वर्ष–वार आबंटन को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक–XII** में दिया गया है।

राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि

10.34 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46(1) में किसी भी आसन्न आपदा की स्थिति अथवा आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि के गठन का प्रावधान है। तदनुसार, गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि (एन डी आर एफ) के गठन के लिए दिनांक 28.09.2010 को अधिसूचना जारी की थी।

अतिरिक्त वित्तीय सहायता

10.35 राज्य आपदा कार्रवाई निधि के प्रावधानों के अतिरिक्त, गंभीर प्रकृति की आपदाओं की स्थिति में राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि से निधियां प्रदान की जाती हैं। प्रभावित राज्य से ज्ञापन प्राप्त होने पर, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों की एक अंतर–मंत्रालयी केन्द्रीय टीम गठित की जाती है। इस टीम की रिपोर्ट की जांच राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की उप–समिति द्वारा की जाती है। उप–समिति की सिफारिशों को विचारार्थ और एनडीआरएफ से निधियों के अनुमोदन हेतु उच्च स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

10.36 वर्ष 2014–15 के लिए, एस डी आर एफ में 7,387.00 करोड़ रू. आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 5,685.94 करोड़ रू. भारत सरकार तथा 1,701.06 करोड़ रूपए राज्य सरकारों का अंश है। वर्ष 2014–15 के दौरान, 26 राज्यों को एस डी आर एफ के केन्द्रीय अंशदान के रूप में 2,626.72 करोड़ रू. की राशि (461.705 करोड़ रू. पिछले वर्ष की बकाया राशि+2,165.01 करोड़ रू. की पहली किस्त) जारी की गई है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2014–15 के लिए, एस डी आर एफ के केन्द्रीय अंश की दूसरी किस्त की 807.84 करोड़ रू. की राशि 08 राज्यों को जारी की गई है। इसके अतिरिक्त, 07 राज्यों को एन डी आर एफ से 795.95 करोड़ रू. की वित्तीय सहायता जारी की गई है। वर्ष 2014–15 के दौरान एस डी आर एफ/एन डी आर एफ से निधियों का राज्य–वार निर्गम दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक–XIII** में दिया गया है। एनडीआरएफ/एसडीआरएफ के तहत व्यय की मदों एवं मानकों को समय–समय पर संशोधित किया जाता है।

प्रथम अखिल भारतीय एसडीआरएफ सम्मेलन

10.37 13वें वित्त आयोग की सिफारिश पर, प्रशासनिक मशीनरी की क्षमता संवर्धन की गतिविधियाँ शुरू करने के लिए राज्यों को 525.00 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2010–15 की अवधि के लिए राज्य–वार आवंटन **अनुलग्नक–XIV** में दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने इस निधि के उपयोग के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में वर्ष 2010–15 की सम्पूर्ण अवधि के लिए कार्य–योजना तैयार करने के साथ–साथ प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कार्य योजना तैयार करने का प्रावधान है। इन योजनाओं में, अन्य बातों के साथ–साथ, राज्यों में स्टेकहोल्डरों और अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता संवर्धन, खतरा, जोखिम और संवेदनशीलता के विश्लेषण पर आधारित आपदा प्रबंधन की योजनाएं तैयार करने और राज्यों में आपातकालीन प्रचालन केन्द्रों की स्थापना और उसका सुदृढ़ीकरण करने की मदें शामिल होंगी।

*****

अध्याय 11

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

11.1 अपराध करने वालों अथवा सम्भावित अपराधकर्ताओं, खासकर, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध और स्वापक औषधियों का अवैध व्यापार करने वालों की कार्यप्रणाली में तकनीकी उन्नयन के साथ–साथ तेजी से बदलाव आया है और इसने राष्ट्रपारीय एवं वैश्विक आयाम का रूप ले लिया है। तदनुसार, गृह मंत्रालय ने ऐसे अपराधों की घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा संबंधी क्षेत्रों में विविध बहुपक्षीय और द्विपक्षीय पहलें की हैं।

बहुपक्षीय सहयोग

दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क)

11.2 दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क), राष्ट्रों के एक संघ के रूप में, इसके सहयोगी राष्ट्रों के बीच दक्षिण एशिया के लोगों में खुशहाली लाने और उनके रहन–सहन के स्तर में सुधार करने, आर्थिक विकास बढ़ाने, सामाजिक प्रगति एवं सांस्कृतिक विकास करने; इस क्षेत्र के देशों के बीच सम्पर्क का संवर्धन करने के लिए वर्ष 1985 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में, सार्क के आठ सदस्य देश हैं– नामतः अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। यह संगठन व्यापार को सुकर बनाने के कार्य को बढ़ावा देने और वर्ष 2006 में शुरु हुए दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार करार (एस ए एफ टी ए) को कार्यान्वित करने का प्रयास भी करता है। सार्क का सचिवालय काठमाण्डू (नेपाल) में स्थित है।

11.3 नवम्बर, 2005 में ढाका में हुए 13वें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान, अन्य बातों के साथ–साथ, यह निर्णय लिया गया था कि सार्क के आंतरिक/गृह सचिवों की बैठक के उपरान्त, सार्क के आंतरिक/गृह मंत्रियों की बैठक वार्षिक रूप से हुआ करेगी। अब तक सार्क के आंतरिक/गृह मंत्रियों की छह बैठकें– ढाका (11.05.2006), नई दिल्ली (25.10.2007), इस्लामाबाद (26.06.2010), थिंपू (23.07.2011), मालदीव (26.09.2012) और काठमांडू (19.09.2014) में आयोजित की गई हैं।

भारत–अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन (आई ए एफ एस)

11.4 अप्रैल, 2008 में आयोजित पहले आई ए एफ एस का उद्देश्य अफ्रीका के साथ भारत के आबन्ध में प्रचुर विषयों को जोड़ना और पृथक–पृथक अफ्रीकी देशों के साथ व्यापक और स्थायी संबंध कायम करना था। इस शिखर सम्मेलन में की गई पहल, भारत–अफ्रीका संवाद को विकसित करने के लिए भारत की आवश्यकता के भी अनुरूप है। शिखर सम्मेलन का औपचारिक परिणामी दस्तावेज, एक घोषणा और कार्य–योजना था। गृह मंत्रालय ने अफ्रीकी देशों के विधि प्रवर्तन अधिकारियों की क्षमता का संवर्धन करने के अलावा, उनके साथ द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र की व्यवस्था के रूप में सहयोग का प्रस्ताव किया। दिनांक 01.01.2014 से 31.03.2015 तक की अवधि के दौरान, इस कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित पाठ्यक्रम आयोजित किए गयेः

(i) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी बी आई) अकादमी, गाज़ियाबाद द्वारा दिनांक 09.02.2015 से 15.02.2015 तक साइबर अपराध सहित आर्थिक अपराधों की छानबीन के बारे में पाठ्यक्रम आयोजित किया गया।

(ii) राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं स्वापक पदार्थ अकादमी (एनएसीईएन) द्वारा दिनांक 02.02.2015 से 06.02.2015 तक मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन के संबंध में बुनियादी पाठ्यक्रम आयोजित किया गया।

द्विपक्षीय सहयोग

11.5 पारदेशीय/अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के कानूनी ढांचे में आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता प्रदान करना, संगठित अपराधों का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन/करार करना, आतंकवाद/अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए संयुक्त कार्य दल और नशीले पदार्थों और इनसे संबंधित मामलों को रोकने के लिए द्विपक्षीय करार करना शामिल है, जिन पर भारत और अन्य देशों के बीच द्विपक्षीय आधार पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। ऐसी संधियों/करारों पर हस्ताक्षर इस बात को ध्यान में रख कर किए जाते हैं कि आतंकवाद, नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार, काले धन को वैध बनाने, जाली भारतीय करेंसी नोटों आदि को रोकने के संबंध में द्विपक्षीय सहयोग किया जाए।

परस्पर विधिक सहायता संधि (एम एल ए टी)

11.6 परस्पर विधिक सहायता संधि (एम एल ए टी), आतंकवाद

से संबंधित अपराध सहित अपराध की जांच और अभियोजन में संविदाकर्ता देशों की प्रभावकारिता में सुधार लाने और इसे सुकर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण विधिक दस्तावेज है, जिसके द्वारा आपराधिक मामलों में विधिक सहायता प्रदान करने/प्राप्त करने से संबंधित आवश्यक विधिक रूपरेखा का प्रावधान किया जाता है। दिनांक 10.02.2015 की स्थिति के अनुसार, आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता संबंधी संधि/ करार 37 देशों नामतः ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान, बहरीन, बांग्लादेश, बेलारूस, बुल्गारिया, बोस्निया और हरज़ेगोविना, कनाडा, मिस्र, फ्रांस, चीन गणराज्य के लोगों का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हाँगकाँग, ईरान, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, किरगिज गणराज्य, कुवैत, मॉरीशस, मलेशिया, मेक्सिको, म्यांमार, मंगोलिया, रूस, सिंगापुर, स्पेन, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, स्विटजरलैण्ड, ताज़िकिस्तान, थाईलैण्ड, तुर्की, यूक्रेन, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंग्डम, संयुक्त राज्य अमेरिका, उज़बेकिस्तान और वियतनाम के साथ प्रभावी है।

11.7 उपर्युक्त के अलावा, इजराइल और ओमान नामक दो देशों के साथ भी क्रमशः दिनांक 27.02.2014 और 29.10.2014 को 'आपराधिक मामलों में एम एल ए टी' पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

श्री राजनाथ सिंह, माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार और डॉ. अली मसूद अल सुनैदी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, सल्तनत ऑफ ओमान दिनांक 29.10.2014 को हस्ताक्षरित आपराधिक मामलों संबंधी परस्पर विधिक सहायता संधि का आदान–प्रदान करते हुए

11.8 भारत ने अन्य सार्क देशों के साथ वर्ष 2008 में 'आपराधिक मामलों में परस्पर सहायता' संबंधी अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने इस अभिसमय का अनुसमर्थन कर दिया है। यह अभिसमय सभी सदस्य देशों द्वारा इसका अनुसमर्थन किए जाने के बाद प्रभावी होगा। इस अभिसमय का उद्देश्य, अपराधों की छान–बीन करने और अभियोजन चलाने में क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ बनाना है।

नशीले पदार्थों और संबंधित मामलों को रोकने के लिए द्विपक्षीय करार

11.9 भारत ने नशीले पदार्थों से संबंधित मुद्दों पर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बुल्गारिया, कंबोडिया, चीन, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, इजराइल, इटली, कुवैत, लाओस जनतांत्रिक गणराज्य, मॉरीशस, म्यांमार, पोलैंड, कतर, रोमानिया, रूस, ताज़िकिस्तान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका और जांबिया के साथ द्विपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। नशीले पदार्थों से संबंधित मुद्दों पर भूटान, इंडोनेशिया, ईरान, ओमान, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

सजा प्राप्त व्यक्तियों का अंतरण करने संबंधी करार

11.10 भारत में दोषसिद्ध विदेशी कैदियों और विदेशों में दोषसिद्ध भारतीय कैदियों को अपनी सजा का बाकी भाग अपने

ही देश में काटने के लिए उन्हें अपने देश की जेल में अंतरित किए जाने का समर्थकारी प्रावधान करने के लिए कैदी प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम, दिनांक 01.01.2004 को अधिसूचित और प्रभावी हुआ। बाद में, कैदी प्रत्यावर्तन नियमावली, 2004 दिनांक 09.08.2004 को राजपत्र में प्रकाशित की गई थी। उक्त अधिनियम को लागू करने के लिए, व्यक्तिगत रूप से इच्छुक देशों के साथ संधि/समझौता पर हस्ताक्षर किए जाने अपेक्षित हैं।

11.11 भारत सरकार ने अब तक 23 देशों, यथा, यूनाइटेड किंग्डम (यू.के.), मॉरीशस, बुल्गारिया, कम्बोडिया, मिस्र, फ्रांस, बांग्लादेश, कोरिया, सऊदी अरब, ईरान, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, मालदीव, थाईलैंड, टर्की, इटली, बोस्निया एवं हर्जेगोविना, इजराइल, रूस, वियतनाम, कुवैत, ब्राजील और आस्ट्रेलिया के साथ करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। कनाडा, हांगकांग, स्पेन, नाइजीरिया और बहरीन की सरकारों के साथ बातचीत को भी अंतिम रूप दिया जा चुका है।

11.12 इस अधिनियम के अन्तर्गत, अब तक जिन कैदियों को अपनी सजा का बाकी भाग अपने ही संबंधित देश में काटने के लिए प्रत्यावर्तित किया गया है, उनकी संख्या निम्नानुसार है:–

प्रत्यावर्तित विदेशी कैदी जिस देश के हैं			भारतीय कैदी जिस देश से प्रत्यावर्तित किए गए		
क्रम सं.	देश	वापस भेजे गए विदेशी कैदियों की संख्या	क्रम सं.	देश	वापस लाए गए भारतीय कैदियों की संख्या
1	यू.के.	6	1	यू.के.	2
2	फ्रांस	1	2	मॉरीशस	13
3	इजराइल	1	3	श्रीलंका	29
4	जर्मनी	1			
	कुल	**9**		**कुल**	**44**

11.13 करार की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:–

i) हस्तांतरण तभी किया जाएगा जब सज़ा प्राप्त व्यक्ति प्राप्तकर्ता राष्ट्र का नागरिक हो।

ii) हस्तांतरण का अनुरोध सज़ा प्राप्त व्यक्ति अथवा उसकी उम्र, शारीरिक अथवा मानसिक स्थिति के मद्देनज़र उसकी ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है।

iii) हस्तांतरण करने वाले और प्राप्त करने वाले राष्ट्रों को हस्तांतरण के अनुरोध पर सहमत होना होगा।

iv) हस्तांतरण तब किया जाएगा जब सज़ा दिए जाने का फैसला अंतिम हो और हस्तांतरण करने वाले राष्ट्र के किसी भी न्यायालय में कोई भी जांच, विचारण अथवा कोई अन्य कानूनी कार्यवाही लंबित नहीं हो।

v) हस्तांतरण पर तभी विचार किया जाएगा, जब उस व्यक्ति के द्वारा किया गया ऐसा कृत्य अथवा चूक, जिसके लिए उसे हस्तांतरण करने वाले राष्ट्र में सज़ा सुनाई गई हो, हस्तांतरण प्राप्त करने वाले राष्ट्र में अपराध के रूप में दंडनीय हो अथवा यदि वह उसके क्षेत्र में किया जाए तो उसे आपराधिक कृत्य माना जाएगा।

vi) सुनाई गई सज़ा को हस्तांतरण प्राप्त करने वाले राष्ट्र के कानून के अनुसार विनियमित किया जाएगा और वह राष्ट्र ही सभी प्रकार के उपयुक्त निर्णय लेने के लिए सक्षम होगा।

vii) यदि हस्तांतरण करने वाले राष्ट्र में सज़ायाफ्ता व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई हो, तो उस सजायाफ्ता व्यक्ति का हस्तांतरण नहीं किया जा सकेगा।

viii) हस्तांतरण प्राप्त करने वाले राष्ट्र को सज़ा प्राप्त व्यक्ति की हिरासत का हस्तांतरण, उसे हस्तांतरित करने वाले राष्ट्र की संप्रभुता, सुरक्षा अथवा किसी अन्य हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं होना चाहिए।

भारत तथा यू.एस.ए. के बीच होमलैंड सिक्योरिटी डायलाग

11.14 'भारत–अमेरिका होमलैंड सिक्योरिटी डायलाग' (एचएसडी) की घोषणा नवम्बर 2010 में भारत के प्रधान मंत्री और यूएसए के राष्ट्रपति द्वारा भारत और संयुक्त राज्य के बीच सार्वभौमिक युक्तिपूर्ण भागीदारी के भाग के रुप में की गई थी। भारत और यूएसए के बीच पहली एचएसडी का आयोजन वर्ष 2011 में नई दिल्ली में किया गया था। भारत और यूएसए के बीच दूसरी बैठक का आयोजन वर्ष 2013 में वाशिंगटन डी.सी. यूएसए में किया गया था।

11.15 होमलैंड सिक्योरिटी डायलाग (एचएसडी) से संबंधित मुद्दों के संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए भारत सरकार और यूएसए सरकार के बीच दिनांक 01.08.2014 को नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की सह–अध्यक्षता भारत की ओर से गृह मंत्रालय के अपर सचिव, श्री राजीव गौबा द्वारा और यू एस की ओर से श्री फ्रांसिस एक्स. टेलर, अंडर सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी द्वारा किया गया।

दिनांक 01.08.2014 को नई दिल्ली में आयोजित होमलैंड सिक्योरिटी डायलाग के संबंध में भारत–यूएसए की प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बैठक

भारत–बांग्लादेश संबंध

11.16 सुरक्षा और सीमा प्रबंधन संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ष 1994 में एक त्रिस्तरीय द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र की स्थापना की गई थी। इसमें पहला स्तर महानिदेशक (डीजी), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और डीजी, सीमा रक्षक बल, बांग्लादेश (बीजीबी) स्तर है, दूसरे स्तर पर दोनों देशों के संयुक्त सचिवों के स्तर पर संयुक्त कार्य दल (जे डब्ल्यू जी) है और तीसरा स्तर दोनों देशों के गृह सचिवों के स्तर पर है।

11.17 आपसी सहमति से यह निर्णय लिया गया था कि त्रिस्तरीय तंत्र के अतिरिक्त, भारत तथा बांग्लादेश के बीच वर्ष में एक बार गृह मंत्री के स्तर पर वार्ता की जाएगी। गृह मंत्री के स्तर की पहली वार्ता ढ़ाका में जुलाई, 2011 में आयोजित की गई थी, जिसके दौरान अंतरराष्ट्रीय सीमा के उचित प्रबंधन के लिए दोनों देशों के बीच समन्वित सीमा प्रबंधन योजना (सी बी एम पी) पर हस्ताक्षर किए गए थे। गृह मंत्रियों के स्तर की दूसरी और तीसरी वार्ता क्रमशः फरवरी, 2012 और दिसम्बर, 2012 में आयोजित की गई थी। भारत और बांग्लादेश के बीच गृह मंत्रियों के स्तर की चौथी वार्ता ढाका में जनवरी, 2013 में आयोजित की गई थी जिसमें दोनों के बीच प्रत्यर्पण संधि और संशोधित यात्रा प्रबंधों पर हस्ताक्षर किए गए थे। बांग्लादेशी पक्ष ने भारत की सुरक्षा संबंधी चिंता का समाधान किया।

11.18 गृह सचिव स्तर की वार्ता, संयुक्त कार्य दल की बैठकें, डीजी, बीएसएफ और डीजी, बीजीबी स्तर की वार्ताओं का नियमित रुप से आयोजन किया जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच दिनांक 02.09.2014 से 04.09.2014 के बीच आयोजित हाल ही के गृह सचिव स्तर की वार्ता और संयुक्त कार्य दल की बैठक में भारतीय पक्ष ने बांग्लादेश में आईआईजी के कैंपों की मौजूदगी सहित सुरक्षा संबंधी मुद्दे उठाए थे। बांग्लादेश सरकार ने सर्वोच्च स्तर से यह आश्वासन दिया कि उनकी जमीन पर भारत के लिए अहितकर किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विभिन्न करारों का कार्यान्वयन,

सजा प्राप्त व्यक्तियों और मछुआरों के प्रत्यावर्तन, हथियार/गोलाबारूद एवं जाली मुद्रा की तस्करी और मानव दुर्व्यापार तथा मादक पदार्थों की तस्करी को नियंत्रित करने और सीमा पार से आवाजाही की गतिविधियों पर रोक लगाने के तंत्र आदि से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। दोनों देशों के बीच करारों से सीमा पार से अवैध रूप से आवाजाही और अन्य संगठित अपराधों से निपटने और भारतीय जेलों में कैद बांग्लादेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेजने में भी मदद मिली है। सुरक्षा बलों द्वारा भारत–बांग्लादेश सीमा पर प्रभावी आधिपत्य रखे जाने और भारत–बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने तथा तेज रोशनी की व्यवस्था किए जाने से सीमा पार से अवैध रूप से आवाजाही, हथियार/गोलाबारूद, जाली करेंसी नोटों, मादक पदार्थों की तस्करी तथा सीमा पार से अन्य अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण में भी मदद मिली है।

श्री अनिल गोस्वामी, केन्द्रीय गृह सचिव, भारत सरकार सितम्बर, 2014 के दौरान ढाका, बांग्लादेश में आयोजित 15वीं भारत–बांग्लादेश गृह सचिव स्तरीय वार्ता के दौरान बांग्लादेश जनतांत्रिक गणराज्य की माननीय प्रधान मंत्री शेख हसीना से मुलाकात करते हुए

श्री अनिल गोस्वामी, केन्द्रीय गृह सचिव, भारत सरकार सितम्बर 2014 के दौरान ढाका, बांग्लादेश में आयोजित 15वीं भारत–बांग्लादेश गृह सचिव स्तरीय वार्ता के दौरान बांग्लादेश जनतांत्रिक गणराज्य सरकार के गृह मंत्रालय के वरिष्ठ सचिव डा. मोजम्मल हक खान के साथ

भारत–म्यांमार संबंध

11.19 भारत सरकार और म्यांमार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और अमन–चैन बनाए रखने के लिए जनवरी, 1994 में एक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौता ज्ञापन के अनुसरण में, भारत और म्यांमार में प्रत्येक वर्ष बारी–बारी से दोनों देशों के बीच संयुक्त सचिव और गृह सचिव के स्तर की वार्ताएं आयोजित की जाती हैं।

11.20 आतंकवाद तथा उसके वित्पोषण के प्रयोजन वाली निधियों से संबंधित अपराधों सहित अपराध संबंधी मामलों पर नियंत्रण करने, उसकी जांच करने और अभियोजन चलाने के लिए दोनों के बीच सहयोग को मजबूती प्रदान करने के दृष्टिकोण से भारत और म्यांमार के बीच दिसम्बर, 2010 में राष्ट्रीय स्तर की 16वीं बैठक के दौरान परस्पर विधिक सहायता संधि (एमएलएटी) पर हस्ताक्षर किए गए थे। वर्ष 2012 और 2013 में आयोजित क्षेत्रीय स्तर की बैठकों में दोनों देशों ने भारत और म्यांमार परस्पर विधिक सहायता संधि के अधीन अपने संबंधित नोडल प्वाइंट्स के बारे में सूचनाओं का आदान–प्रदान किया। भारत और म्यांमार मौजूदा संस्थागत फ्रेमवर्क के माध्यम से हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के मामले में नजदीकी सहयोग बनाए रखते हैं।

11.21 भारत और म्यांमार के बीच आयोजित बैठकों के अनुसरण में, भारत–म्यांमार सीमा पर हथियारों, वन्यजीव एवं वन्यजीव उत्पादों तथा मादक पदार्थों की तस्करी एवं आप्रवासन के मामलों सहित पार–देशीय अपराधों से निपटने हेतु अपेक्षित उपायों पर चर्चा करने और इन मुद्दों से संबंधित आसूचना साझा करने के लिए मोरेह (भारत)/तामू (म्यांमार), जोवाखतर (भारत)/रही (म्यांमार) और चांगलांग (भारत)/पांगसान (म्यांमार) में सीमा संपर्क कार्यालय (बीएलओ) स्थापित किए गए हैं। अब बीएलओ कार्यशील हैं और मोरेह/तामू, जोवाखतर/रही और चांगलांग/पांगसान में नियमित अंतराल पर बैठकें आयोजित की जाती हैं।

11.22 भारत और म्यांमार के बीच दिनांक 17.11.2014 से 18.11.2014 तक यांगोन में सुरक्षा संबंधी मामलों पर 19वीं राष्ट्र स्तरीय बैठक (गृह सचिव स्तरीय वार्ता) का आयोजन किया गया था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री अनिल गोस्वामी, केन्द्रीय गृह सचिव द्वारा और म्यांमार के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ब्रिगेडियर जनरल क्याव ज़ान मिन्ट, उप मंत्री, गृह मंत्रालय, म्यांमार यूनियन गणतंत्र की सरकार द्वारा किया गया। इस बैठक में सुरक्षा एवं सीमा प्रबंधन से संबंधित मामलों, म्यांमार में आईआईजी के शिविरों को ध्वस्त करने, अंडमान एवं निकोबार की जेलों में बंद म्यांमार के मछुआरों के प्रत्यर्पण, मादक पदार्थों तथा वन्य जीव के अंगों की अवैध तस्करी आदि पर नियंत्रण के मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में, भारतीय पक्ष ने पूर्वोत्तर (एनई) क्षेत्र में शांति एवं आर्थिक समृद्धि के लिए म्यांमार में आईआईजी की भारत–विरोधी गतिविधियों की अनुमति नहीं देने और उनके शिविरों को ध्वस्त करने के लिए म्यांमार के सहयोग की मांग की। म्यांमार

यांगोन, म्यांमार में 17–18 नवम्बर, 2014 को भारत और म्यांमार के बीच आयोजित 19वीं राष्ट्र स्तरीय बैठक

के पक्ष ने भारत की चिंता के समाधान के लिए सहयोग पर सहमति जताई।

11.23 दोनों देशों के बीच जारी सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए केन्द्रीय गृह सचिव, भारत सरकार ने भारत के गृह मंत्री की ओर से मंत्री, गृह मंत्रालय, म्यांमार को भारत की सरकारी यात्रा के लिए आमंत्रण पत्र सौंपा।

उच्च स्तरीय द्विपक्षीय दौरे

11.24 श्री राजनाथ सिंह, केन्द्रीय गृह मंत्री, भारत सरकार की अगुवाई में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 05.11.2014 से 07.11.2014 तक इज़राइल का दौरा किया। माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री ने इज़राइल के प्रधानमंत्री श्री बेन्जामिन नेतानयाहू, रक्षा मंत्री श्री मोशे यालोन और लोक सुरक्षा मंत्री श्री यिझाक अहरोनोविच से मुलाकात की और द्विपक्षीय सुरक्षा मामलों तथा भावी सहयोग पर व्यापक विचार–विमर्श किया।

माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल के दौरे के दौरान इज़राइल में माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री के साथ इज़राइल के माननीय प्रधानमंत्री नेतानयाहू

माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री इज़राइल के माननीय लोक सुरक्षा मंत्री श्री यिझाक अहरोनोविच के साथ

क्षमता निर्माण

11.25 गृह मंत्रालय न केवल अपने पुलिस बलों के लिए, बल्कि विदेशी पुलिस कार्मिकों के लिए भी क्षमता निर्माण के कार्यक्रम संचालित करता है। दिनांक 01.04.2014 से आरंभ हुई अवधि के दौरान, द्विपक्षीय सहयोग के अंतर्गत अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मंगोलिया, मालदीव और अन्य देशों के पुलिस कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की पेशकश की गई।

11.26 सार्क सचिवालय के माध्यम से नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा श्रीलंका के पुलिस कार्मिकों के लिए भी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की पेशकश की गई।

11.27 संयुक्त राज्य अमेरिका (यू एस एस) की सरकार ने आतंकवाद–रोधी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत और यू एस ए में पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित/संचालित किए हैं। दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2014 तक भारत और यू एस ए में ऐसे कुल 8 पाठ्यक्रम संचालित किए गए। इन पाठ्यक्रमों में अब तक 143 पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया है।

आस्ट्रियाई प्रतिनिधिमंडल का दौरा

11.28 आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में आस्ट्रियाई प्रौद्योगिकी की जानकारी देने के लिए श्री मिशेल लेडरर, वरिष्ठ सलाहकार, फेडरल परिवहन, अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नेतृत्व में एक आस्ट्रियाई प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 12.09.2014 को एनडीएमए के संयुक्त सचिव (मिटिगेशन) से मुलाकात की।

मॉरीशस के प्रतिनिधिमंडल का दौरा

11.29 मॉरीशस के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 11.09.2014 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) का दौरा किया और ''आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन'' के विभिन्न पहलुओं पर विचार–विमर्श किया।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तृतीय विश्व सम्मेलन

11.30 श्री ताकेहिरो कगावा, राजदूत, महानिदेशक वैश्विक मामले, विदेश मंत्रालय, जापान ने दिनांक 19.03.2014 को एनडीएमए के अधिकारियों से मुलाकात की और उन्होंने आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) में वृद्धि करने के लिए वन विज्ञान तथा उसके प्रबंधन/विभिन्न अन्य परियोजनाओं/विशेषज्ञता और दिनांक 14.03.2015 से 18.03.2015 तक सेन्दई, जापान में आयोजित किए जाने वाले डीआरआर पर तृतीय विश्व सम्मेलन में भारतीय दल की भागीदारी सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग से संबंधित मामलों पर चर्चा की।

फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल का दौरा

11.31 श्री फेब्रिश ग्रोसिर, पुलिस आयुक्त, पुलिस अटैची, फ्रांसीसी दूतावास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग निदेशालय, नई दिल्ली ने दिनांक 28.04.2014 को एनडीएमए में एक बैठक में भाग लिया और उन्होंने फ्रांस तथा हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में उसके द्वीपसमूहों की आपदा के प्रति संवेदनशीलता के परिप्रेक्ष्य में एनडीएमए की विशेषज्ञता की जानकारी प्राप्त करने में रूचि दिखाई।

मॉरीशस के प्रतिनिधिमंडल का एनडीएमए का दौरा

भारत, रूस और चीन के विशेषज्ञों की छठी त्रिपक्षीय बैठक

11.32 राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केन्द्र, हैदराबाद में दिनांक 15.12.2014 से 16.12.2014 तक आपदा प्रशमन एवं आपात नियंत्रण प्रबंधन के क्षेत्र में भारत, रूस और चीन के विशेषज्ञों की छठी त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की गई। विचार–विमर्श के दौरान, निम्नलिखित मामलों में सहमति जताई गई:

क) आपदा प्रबंधन में सहयोग को और सुदृढ़ करना।

ख) रुस और चीन द्वारा विशेषज्ञता के आदान–प्रदान के लिए आईआरसी सहयोग के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

ग) आपदा संबंधी कार्रवाई और राहत के कार्य में तकनीकी विशेषज्ञता के आदान–प्रदान के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना।

घ) आईआरसी में उपलब्ध तरीकों और कौशलों को प्रदर्शित करने के लिए उत्तरवर्ती बैठकों में सामान्य उद्देश्य वाली प्रायोगिक परियोजनाओं पर विचार–विमर्श किया जा सकेगा।

ङ) रुसी फेडरेशन से वर्ष 2015 में विशेषज्ञों की सातवीं बैठक आयोजित करने का अनुरोध किया गया।

आपदा और जलवायु परिवर्तन के प्रति संस्थागत और सामुदायिक प्रतिरोध क्षमता में वृद्धि संबंधी भारत सरकार– यूएनडीपी परियोजना (2013–2017)

11.33 6.235 मिलियन यूएस डॉलर (लगभग 37.41 करोड़) के कुल परिव्यय से भारत सरकार–यूएनडीपी आपदा और जलवायु परिवर्तन के प्रति संस्थागत तथा सामुदायिक प्रतिरोध क्षमता में

वृद्धि संबंधी भारत सरकार–यूएनडीपी परियोजना वर्तमान में कार्यान्वयानाधीन है। इस परियोजना का लक्ष्य आपदा जोखिम नियंत्रण एवं जलवायु परिवर्तन अनुकूलन संबंधी योजना के ढांचे के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए सरकार, समुदायों तथा संस्थानों की क्षमता को मजबूती प्रदान करने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करना है। यह परियोजना 10 राज्यों, यथा, आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना की अवधि के दौरान कुल 24 जिलों, 10 शहरों और 10,000 गांवों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

11.34 गृह मंत्रालय ने जनवरी, 2015 में जर्मन प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में एक बैठक के आयोजन का प्रस्ताव रखा है। जर्मन प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व फेडरल आंतरिक मंत्रालय के एक अधिकारी द्वारा किया जाएगा और उसमें फेडरल नागरिक सुरक्षा एवं आपदा सहायता कार्यालय और फेडरल तकनीकी राहत एजेंसी के विशेषज्ञ शामिल होंगे।

11.35 दिनांक 22.07.2011 को बाली में आयोजित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) में विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत में अधिकांश देशों ने आपदा प्रबंधन एवं राहत के क्षेत्र में ईएएस के सदस्य राष्ट्रों के बीच समन्वय में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया था। दिनांक 19.11.2011 को बाली, इंडोनेशिया में हुए पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) और नई दिल्ली में प्रथम ईएएस–भारत कार्यशाला, 2012 के सफल आयोजन के पश्चात नवम्बर, 2013 में एशिया–यूरोप बैठक (एएसईएम), विदेश मंत्री बैठक (एफएमएम) से संकेत लेते हुए एएसईएम/ईएएस/आसियान के देशों के लिए आपदा प्रबंधन पर गोलमेज बैठकों के लिए एक पहल उभरकर सामने आई।

11.36 भारत द्वारा दिनांक 04.12.2014 से 05.12.2014 तक एशिया–यूरोप बैठक (एएसईएम) के देशों के बीच आपदा से बचाव के प्रयासों के लिए प्रौद्योगिकी में हुए नवोन्मेष और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) के सदस्य राष्ट्रों के वर्चुअल नॉलेज पोर्टल (वीकेपी) के उदघाटन तथा 24x7 प्वाइंट ऑफ कॉन्टैक्ट (पीओसी) की बैठक के संबंध में दो दिवसीय गोलमेज बैठक की मेजबानी की गई।

11.37 इन बैठकों में एशिया–यूरोप बैठक (एएसईएम) के देशों के 26 सदस्य देशों और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों, यूरोपीय संघ (ईयू) और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र परिसंघ (आसियान) सचिवालय के प्रतिनिधि, एशियाई आपदा तैयारी केन्द्र (एडीपीसी), आपदा प्रबंधन एवं आपातकालीन कार्रवाई हेतु अंतरिक्ष–आधारित सूचना के लिए संयुक्त राष्ट्र प्लेटफार्म (यूएन–एसपीआईडीईआर), यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रन्स फन्ड्स (यूनिसेफ), एशिया एवं प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी), दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) आपदा प्रबंधन केन्द्र, यूरोपीय संघ मानवीय सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग (ईसीएचओ) जैसे 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के गणमान्य व्यक्तियों तथा विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों, सशस्त्र बलों, राज्य सरकारों और भारत के तकनीकी संगठनों के अधिकारियों एवं विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में 360 से अधिक प्रतिनिधियों ने भागीदारी की।

11.38 इन गोलमेज बैठकों में एएसईएम के देशों के बीच आपदा काल में बचाव के प्रयासों के लिए प्रौद्योगिकी में हुए

विज्ञान भवन, नई दिल्ली में दिनांक 04.12.2014 से 05.12.2014 तक दो दिवसीय गोलमेज बैठक के दौरान माननीय गृह राज्य मंत्री दीप प्रज्ज्वलित करते हुए

नवोन्मेष के उपयोग पर चर्चा की गई और उसका विश्लेषण किया गया। इन बैठकों में आपदा की स्थिति में सीमा पार सहायता में बहुपक्षीय पटल का संवर्धन करने तथा ईएएस के देशों के 24x7 संपर्क बिंदु को कार्यरत बनाने के लिए एक तंत्र स्थापित करने के अवसरों पर विचार किया गया और इस पर भी चर्चा की गई कि सरकारों द्वारा आपदा की स्थिति में लोगों की जान बचाने और प्रभावी कार्रवाई करने में लगने वाले समय में कमी लाने के लिए प्रौद्योगिकी में हुए नवोन्मेष का उपयोग कैसे किया जा सकता है। इन बैठकों में वीकेपी के व्यापक ढांचों और पीओसी की जिम्मेवारियों पर भी चर्चा की गई। इन बैठकों का समापन आपदा प्रबंधन के लिए ईएएस और एएसईएम के देशों के बीच बेहतर समन्वय के संकल्प के साथ हुआ।

11.39 ईएएस के देशों के बीच प्राकृतिक आपदा संबंधी जोखिम के मूल्यांकन, प्रशमन और कार्रवाई से संबंधित जानकारी और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक वेब–आधारित

दो दिवसीय गोलमेज बैठक का उद्घाटन सत्र

माध्यम (टूल), वर्चुअल नालेज पोर्टल (वीकेपी) की शुरूआत 04 दिसम्बर, 2014 को माननीय गृह राज्य मंत्री श्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी द्वारा उद्घाटन सत्र के दौरान की गई।

11.40 गृह राज्य मंत्री श्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी ने दिनांक 04 दिसम्बर, 2014 को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ (फिक्की) द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी ''आपदा से बचाव के प्रयास हेतु प्रौद्योगिकी में हुए नवोन्मेष'' का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में 40 से अधिक स्वदेशी एवं अंतर्राष्ट्रीय उद्योगों ने भागीदारी की।

अंतर्राष्ट्रीय बैठकें / पाठ्यक्रम / प्रशिक्षण

11.41 वर्ष 2014 के दौरान, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एनडीआरएफ) के अधिकारियों सहित आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय बैठकों / कार्यशालाओं / प्रशिक्षणों / पाठ्यक्रमों में कुल 24 अधिकारियों / कार्मिकों ने भाग लिया।

दिनांक 22.06.2014 से 26.06.2014 तक बैंकाक, थाईलैंड में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में छठा एशियाई मंत्री सम्मेलन (एएमसीडीआरआर)

11.42 भारत सरकार ने दिनांक 22.06.2014 से 26.06.2014 तक छठे एएमसीडीआरआर में भाग लेने के लिए माननीय गृह राज्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू के साथ–साथ सचिव (सीमा प्रबंधन), भारत सरकार और एनआईडीएम के नीति नियोजन प्रभाग के प्रमुख के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजा। यह सम्मेलन क्षेत्र में आपदा के जोखिम में कमी लाने के लिए किए जाने वाले उपायों पर बैठक एवं चर्चा करने के लिए देशों, संगठनों और अलग–अलग विशेषज्ञों के लिए एक मंच था। यह जनवरी, 2015 में ह्योगो फ्रेमवर्क फार एक्शन 2005–15 की समाप्ति और मार्च 2015 में सेंदई (जापान) में तृतीय विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन (डब्ल्यूसीडीआरआर) से पहले एशिया में अंतिम क्षेत्रीय अंतर–शासकीय बैठक भी थी। छठे एएमसीडीआरआर के महत्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार थेः–

(i) आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वर्ष 2015 के पश्चात के फ्रेमवर्क के लिए एशिया–प्रशांत इनपुट डॉक्यूमेंट, (एचएफए 2)

(ii) एशिया एवं प्रशांत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में बैंकाक घोषणा, 2014 और

(iii) एशियाई स्टेकहोल्डर समूहों के स्वैच्छिक प्रतिबद्धता संबंधी वक्तव्य – बैंकाक घोषणा के अनुलग्नक।

चेंगदू, चीन में 10–12 जून, 2014 को एशिया में मजबूत आपदा जोखिम प्रबंधन प्रणालियों के निर्माण से संबंधित नीतिगत संवाद में एनआईडीएम की भागीदारी

11.43 एशियाई विकास बैंक संस्थान (एडीबीआई), जापान और आपदा प्रबंधन एवं पुनर्निर्माण संस्थान (आईडीएमआर), चीन ने दिनांक 10.06.2014 से 12.06.2014 तक चेंगदू, चीन में ''एशिया में मजबूत आपदा जोखिम प्रबंधन प्रणालियों के निर्माण'' के संबंध में नीतिगत संवाद का संयुक्त रूप से आयोजन किया। इस संवाद में सिचुआन भूकंप 2008, पूर्वी जापान भूकंप 2011, फैलिन चक्रवात 2013 और हैयान तूफान 2013 जैसी हाल की आपदाओं से संबंधित अनुभवों के साथ–साथ इन देशों में आपदा जोखिम प्रबंधन प्रणालियों से संबंधित अपने अनुभवों को साझा करने और उस पर चर्चा करने के लिए 15 अलग–अलग देशों के लगभग 25 सहभागियों और वक्ताओं को आमंत्रित किया गया था।

6ठे एएमसीडीआरआर के उद्घाटन समारोह में माननीय गृह राज्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू

16–21 जून के दौरान बोगोर, इंडोनेशिया में ईकोसिस्टम– आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (ईको डीआरआर) तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (सीसीए) और ईको डीआरआर–सीसीए पर अनुदेशकों के वैश्विक प्रशिक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान नीति कार्यशाला में एनआईडीएम की सहभागिता

11.44 पर्यावरण एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु भागीदारी (पीईडीआरआर), प्राकृतिक संसाधन एवं विकास केन्द्र (सीएनआरडी) और इंडोनेशियाई विज्ञान संस्थान (एलआईपीआई) ने दिनांक 16.06.2014 से 21.06.2014 तक बोगोर, इंडोनेशिया में ईकोसिस्टम–आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और ईको डीआरआर–सीसीए पर अनुदेशकों के वैश्विक प्रशिक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान नीति कार्यशाला का आयोजन किया। इस नीतिगत कार्यशाला का लक्ष्य ईकोसिस्टम–आधारित पहल के माध्यम से डीआरआर तथा सीसीए का अधिकाधिक एकीकरण करना और यह देखना था कि ये एकीकृत रणनीतियां ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण में किस प्रकार से सहायक हो सकती हैं जिनका लक्ष्य आपदाओं के प्रति स्थानीय एवं राष्ट्रीय प्रतिरोध क्षमता का निर्माण करना और अगले दस वर्षों के लिए अनुसंधान की कार्यसूची का अभिनिर्धारण करना है जिसका नीति बनाने एवं निर्णय लेने के कार्य से प्रत्यक्ष संबंध होगा।

चेंगदू, चीन में 10–12 जून, 2014 के दौरान भूकम्प प्रभावित स्थलों का दौरा करने वाले और एशिया में मजबूत आपदा प्रबंधन प्रणालियों के निर्माण से संबंधित नीतिगत संवाद में भाग लेने वाले सहभागियों का सामूहिक फोटो

11–12 जून, 2014 के दौरान काठमांडू, नेपाल में आईसीआईएमओडी का कोसी घाटी कार्यक्रम मंच

11.45 समसामयिक वैश्विक एवं क्षेत्रीय जलवायु एवं अन्य पर्यावरणीय और सामाजिक–आर्थिक बदलाव कोसी नदी घाटी में जल संसाधन प्रबंधन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में प्रचुर चुनौतियां पेश करते हैं। संबद्ध ज्ञान में सुधार करने तथा जल–केंद्रित क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, आईसीआईएमओडी और उसके भागीदारों ने वर्ष 2010–2012 के दौरान संयुक्त रूप से कोसी घाटी कार्यक्रम–चरण–। (केवीपी) तैयार किया है। आईसीआईएमओडी ने भावी प्रगति और योजनाओं पर चर्चा करने, परिणामों का जायजा लेने, प्रभाव की समीक्षा करने और सबसे अधिक महत्वपूर्ण भागीदारी नेटवर्क को मजबूती प्रदान करने के लिए दिनांक 11.06.2014 से 12.06.2014 तक भारत, नेपाल और चीन के कोसी घाटी कार्यक्रम के भागीदारों के साथ भागीदारों की एक मंच बैठक और कार्यशाला का आयोजन किया।

*****

अध्याय 12

महत्वपूर्ण पहलें और योजनाएं

राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना

12.1 पुलिस बलों की आधुनिकीकरण (एमपीएफ) योजना विशेष रूप से वामपंथी उग्रवाद, नक्सलवाद के रूप में आंतरिक सुरक्षा के सामने आ रही चुनौतियों से निपटने हेतु राज्य पुलिस बलों की क्षमता निर्माण के लिए गृह मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के अन्तर्गत जिन प्रमुख मदों को निधियां प्रदान की जाती हैं, उनमें ये शामिल हैं: सुरक्षित पुलिस थानों, आउट पोस्टों, पुलिस लाइनों का निर्माण, आवाजाही, आधुनिक हथियारों का प्रावधान, सुरक्षा/निगरानी/संचार/ विधि–विज्ञान उपकरण, प्रशिक्षण अवसंरचना का उन्नयन, पुलिस आवास, कम्प्यूटरीकरण आदि की सुनिश्चितता।

उद्देश्य

12.2 इस योजना का मुख्य उद्देश्य पुलिस प्रशासन के विभिन्न पहलुओं में पहचान की गई कमियों को दूर करना, कानून और व्यवस्था की समस्याओं से समुचित रुप से निपटने के लिए राज्य पुलिस बलों को पर्याप्त रूप से सुसज्जित करके राज्य सरकारों की सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों पर निर्भरता को कम करना और अपेक्षित प्रशिक्षण देना है। यह योजना सुरक्षित पुलिस थानों के निर्माण, अपेक्षित आवाजाही, आधुनिक हथियार, संचार उपकरण, विधि–विज्ञान स्थापना, आवास आदि से पुलिस स्टेशनों को सुसज्जित करके अग्रणी स्तर पर पुलिस अवसंरचना को सुदृढ़ करने पर केन्द्रित है।

12.3 इस योजना के अंतर्गत, गैर–योजना और योजना दोनों के अंतर्गत निधीयन के उद्देश्य से राज्यों को दो श्रेणियों नामतः श्रेणी 'क' और श्रेणी 'ख' में बांटा गया है। 'क' श्रेणी के राज्य नामतः जम्मू एवं कश्मीर तथा सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के 8 राज्य 90% वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं और उन्हें अपनी निधियों से 10% उपलब्ध कराना होगा। शेष राज्य, श्रेणी 'ख' में हैं और वे केन्द्र सरकार से 60% वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं। वे अपनी ओर से शेष 40% उपलब्ध कराएंगे।

वर्ष 2011–12 के बाद एमपीएफ योजना को आगे बढ़ाना

12.4 इस योजना को वर्ष 2012–13 से वर्ष 2016–17 तक पांच वर्ष की और अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, जिसका आंशिक रुप से गैर–योजना और आंशिक रुप से योजना के तहत निधीयन किया जाएगा। आवाजाही, हथियारों, उपकरण, प्रशिक्षण उपकरण, विधि–विज्ञान उपकरण आदि घटकों के अंतर्गत राज्य पुलिस द्वारा अपेक्षित सामग्रियों का निधीयन गैर–योजना के तहत किया जाएगा। पुलिस स्टेशनों/आउट पोस्टों, पुलिस लाइनों, पुलिस आवास के निर्माण/उन्नयन, विधि–विज्ञान प्रयोगशालाओं और प्रशिक्षण अवसंरचना (भवन) के निर्माण का निधीयन इस योजना के योजनागत बजट के तहत किया जा रहा है।

12.5 एमपीएफ योजना के गैर योजना भाग के अंतर्गत पांच वर्षों (2012–2013 से 2016–2017) के लिए 8195.53 करोड़ रु. का समग्र आवंटन अनुमोदित किया गया है और 12वीं योजना अवधि (2012–2013 से 2016–2017) के लिए 3750.87 करोड़ रु. का प्रावधान अनुमोदित किया गया है। मेगा सिटी पुलिस व्यवस्था गैर–योजना के तहत एमपीएफ योजना का उप–भाग (सब–सेट) बना रहेगा। छः शहरों में मेगा सिटी पुलिस व्यवस्था के लिए दो वर्षों अर्थात् 2012–13 और 2013–14 के लिए 432.90 करोड़ रू. का आबंटन अनुमोदित किया गया है। एमपीएफ योजना के मेगा सिटी पुलिस व्यवस्था के उप–भाग में शामिल किए जाने वाले शहरों में हैदराबाद, चेन्नई, मुम्बई, बेंगलुरू, कोलकाता और अहमदाबाद हैं।

निधियों की वर्ष–वार रिलीज और उपयोग

12.6 एमपीएफ योजना के अंतर्गत राज्यों को वर्ष 2000–01 से 2013–14 तक जारी की गई वर्ष–वार कुल निधियां और राज्यों द्वारा सूचित की गई उनके उपयोग की स्थिति निम्नलिखित है:–

तालिकाः एमपीएफ निधि के उपयोग की स्थिति

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	वर्ष	जारी निधियां	खर्च की गई राशि (दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार)	खर्च न की गई राशि (दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार)
1.	2000-01	1,000.00	1,000.00	0.00
2.	2001-02	1,000.00	1,000.00	0.00
3.	2002-03	695.00	695.00	0.00
4.	2003-04	705.27	705.11	0.16
5.	2004-05	960.00	960.00	0.00
6.	2005-06	1,025.00	1,025.00	0.00
7.	2006-07	1,065.22	1,062.24	2.98
8.	2007-08	1,248.70	1,243.06	5.64
9.	2008-09	1,157.64	1,145.66	11.98
10.	2009-10	1,230.00	1,213.26	16.74
11.	2010-11	1,224.63	1,180.88	43.75
12.	2011-12	800.00	700.38	99.62
13.	2012-13	300.00	204.16	95.84
	कुल योग	**12,411.46**	**12,134.75**	**276.71**
14.	2013-14	1341.62	उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी देय नहीं हुए हैं	--
15.	2014-15*	1311.11*	उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी देय नहीं हुए है	--

*दिनांक 31.12.2014 तक

12.7 चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में 'गैर–योजना' और 'योजना' के तहत स्कीम के लिए 1500.00 करोड़ रु. का बजटीय प्रावधान किया गया है। इसकी तुलना में, राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित वार्षिक कार्य योजनाओं के लिए दिनांक 31.12.2014 तक 1311.11 करोड़ रु. की राशि पहले ही जारी कर दी गई है।

12.8 माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा की कि राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना की समीक्षा की जाएगी।

12.9 तदनुसार गृह मंत्रालय ने अपर महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है, जिसने राज्यों को निधि के आबंटन के मानदंड सहित एमपीएफ योजना की समीक्षा की और राज्य कार्य योजनाओं के मूल्यांकन और अनुमोदन तथा राज्यों को एमपीएफ निधियां जारी करने हेतु त्वरित प्रक्रिया का सुझाव दिया। समीक्षा समिति ने दिनांक 03.12.2014 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। सरकार रिपोर्ट पर विचार कर रही है।

बड़े शहरों की पुलिस व्यवस्था

12.10 बड़े शहरों (मेगा सिटी) की पुलिस व्यवस्था (एमसीपी) पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की गैर–योजना के उप–भाग के रुप में जारी रहेगी और इसका वित्तपोषण 60:40 (केन्द्र और राज्यों के बीच भागीदारी का अनुपात) के अनुपात में लागत की भागीदारी के आधार पर किया जाएगा। अहमदाबाद, मुम्बई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और बेंगलुरू की उनकी राज्य पुलिस की मेगा सिटी पुलिस व्यवस्थाओं की आवश्यकताओं का निधीयन दो वर्षों के लिए किया जाएगा। गृह मंत्रालय द्वारा अहमदाबाद, हैदराबाद और बेंगलुरू शहरों के लिए मेगा सिटी पुलिस व्यवस्था योजनाएं अनुमोदित कर दी गई हैं। इन

योजनाओं में अन्य बातों के साथ–साथ, इन शहरों को सुरक्षित बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरा नेटवर्क, कमांड और कंट्रोल सेंटर, डायल 100 सुविधाएं स्थापित करना, मानवरहित वायुयानों द्वारा राजमार्गों की गश्त और अन्य प्रौद्योगिकी घटक शामिल हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान, निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार अहमदाबाद, हैदराबाद और बेंगलुरू शहरों के लिए मेगासिटी पुलिस व्यवस्था के लिए निधियां जारी की गई हैं।

(करोड़ रु. में)

शहर	वर्ष 2014–15 के दौरान जारी राशि
अहमदाबाद	10.03
हैदराबाद	16.03
बैंगलुरू	40.73
कुल	**66.79**

विशेष शाखाओं का सुदृढ़ीकरण

12.11 राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अधीन आधुनिक उपकरण, संचार के उपकरण आदि उपलब्ध कराके राज्यों में विशेष शाखाओं/आसूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। जब कभी एम पी एफ योजना के अधीन राज्यों की वार्षिक कार्य योजना में इस घटक को शामिल किया जाता है, तब राज्य सरकारों को निधियां प्रदान की जाती हैं।

अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली (सी सी टी एन एस)

12.12 अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना की मिशन मोड परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य सही समय पर अपराध एवं अपराधी संबंधी सूचना का आदान–प्रदान करने के लिए देश के 29 राज्यों एवं 7 संघ राज्य क्षेत्रों के 15,000 से अधिक पुलिस स्टेशनों और लगभग 6,000 बड़े कार्यालयों को जोड़ने हेतु एक व्यापक एवं एकीकृत प्रणाली तथा एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क सोल्यूशन सृजित करना है।

12.13 इस परियोजना की संकल्पना 'केन्द्रीकृत आयोजना एवं विकेंद्रित कार्यान्वयन' के सिद्धांत के आधार पर की गई है। कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर (सी ए एस) को केंद्रीय स्तर पर सामान्य परिभाषाओं, योजना एवं विनिर्देशों के साथ विकसित किया जा रहा है जिसे राज्य विशेष की जरूरत के अनुरूप बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सौंपा जाएगा। तथापि, ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिनको उनके मौजूदा एप्लीकेशनों पर चलते रहने की अनुमति दी गई है, को सी ए एस के साथ सूचना के आदान–प्रदान को सुगम बनाने के लिए अपने मौजूदा साफ्टवेयर को अनुकूल बनाना होता है।

12.14 सीसीटीएनएस के उद्देश्यः

क) विभिन्न स्तरों पर थानों और अन्य पुलिस कार्यालयों के स्तर पर प्रक्रिया और कार्यों को स्वचालित बनाकर पुलिस की कार्यप्रणाली को नागरिक अनुकूल, पारदर्शी, जबावदेह, प्रभावी और दक्ष बनाना।

ख) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के प्रभावी उपयोग के माध्यम से नागरिक केन्द्रित सेवाओं की शैली में सुधार करना।

ग) अपराधों की त्वरित और अधिक परिशुद्ध जांच और अपराधियों का पता लगाने के कार्य को सुकर बनाने के लिए जांच अधिकारियों को साधन, प्रौद्योगिकियां और सूचना उपलब्ध कराना।

घ) कानून और व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, संगठित अपराधों को नियंत्रित करने, संसाधन प्रबंधन आदि जैसे विभिन्न अन्य क्षेत्रों में पुलिस कार्य–प्रणाली को सुधारना।

ङ) भारत सरकार के स्तर सहित थानों, जिलों, राज्य मुख्यालयों और अन्य संगठनों/एजेंसियों के बीच सूचना के संग्रहण, भंडारण, प्राप्ति, विश्लेषण, अंतरण और आदान प्रदान को सुकर बनाना।

च) पुलिस बल के बेहतर प्रबंधन में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को समर्थ बनाना और उनकी सहायता करना।

छ) न्यायालयों में चल रहे मामलों की प्रगति सहित अपराध और अपराधी की जांच और अभियोजन के मामलों की प्रगति की जानकारी रखना।

ज) हस्तचालित और अनावश्यक रिकॉर्ड कीपिंग को कम करना।

प्राप्त की गई प्रमुख उपलब्धियां और वर्तमान स्थिति

12.15 सी सी टी एन एस योजना के अन्तर्गत प्राप्त की गई प्रमुख उपलब्धियां और इसकी वर्तमान स्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार हैः–

12.15.1 वर्ष 2014–15 के दौरान, बीएसएनएल द्वारा आज तक सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 3,412 स्थलों पर कार्य आरंभ किया गया था। समग्र रुप से, 21,283 स्थलों में से 16,536 स्थलों पर नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध है।

12.15.2 वर्ष 2014–15 के दौरान, राज्य परियोजना प्रबंधन यूनिट (एसपीएमयू) के संदर्भ में, 7 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा करार पर हस्ताक्षर करने और अग्रिम भुगतान की राशि जारी करने का कार्य पूर्ण कर लिया गया था। समग्र रुप से, राज्य परियोजना प्रबंधन यूनिट करार पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हस्ताक्षर किये गये हैं।

12.15.3 कुल 902 यूनिटों में से 895 यूनिटों में क्षमता निर्माण (अवसंरचना) का कार्य पूर्ण हो गया है। आज की तिथि तक, 6,27,524 की योजनाबद्ध संख्या में से भूमिका आधारित प्रदत्त प्रशिक्षणों की कुल संख्या 3,34,863 है।

12.15.4 वर्ष के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 236.25 करोड़ रु. की अतिरिक्त धनराशि जारी की गई। जारी की गई कुल 806.34 करोड़ रु. की राशि में से विभिन्न शीर्षों के तहत समग्र रुप से 521.34 करोड़ रु. की राशि का उपयोग किया गया है।

12.15.5 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीएएस का एसटीक्यूसी प्रमाणित रुपांतरण नवम्बर, 2013 में जारी किया गया था। सॉफ्टवेयर डबलपमेंट एजेंसी (एसडीए) ने दिनांक 01.10.2014 को परीक्षण के लिए एनसीआरबी को सीएएस का नवनिर्मित सीएएस रुपांतरण 4.1 अभिरूचि की विशेषता, जिला स्तरीय प्रशासन, जनरल डायरी (जीडी) के माध्यम से प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति, शेष कार्यों–नागरिक सेवाओं के लिए ई–फार्म, मास्टर डाटा प्रबंधन यूटिलिटी, मिसिंग वर्जन कंप्लायंश यूटिलिटी एनसीआरबी के आस्थगित बग (पीओआई, सीमित अवधि और ई–फार्म से संबंधित) आदि जैसी उन्नत विशिष्टताओं और कार्यप्रणाली के साथ जारी किया। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी करने के लिए एनसीआरबी द्वारा इसका परीक्षण किया जा रहा है।

12.15.6 शास्त्री पार्क, नई दिल्ली में राष्ट्रीय डाटा केन्द्र (एनडीसी) की स्थापना की गई है। 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य डाटा केन्द्र कार्य कर रहे हैं, जबकि 15 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वैकल्पिक डाटा केन्द्रों से जुड़े हैं।

12.15.7 दिल्ली, पुणे और हैदराबाद में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आपदा रिकवरी केन्द्रों की पहचान की गई है। वर्ष 2014–15 के दौरान 2 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में डीआर उपकरण लगाए गए हैं। समग्र रूप से, 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से, 18 राज्यों/और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उपकरण संस्थापित किए गए हैं।

12.15.8 वर्ष 2014–15 के दौरान 6 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और उत्तर प्रदेश के लिए राज्य डाटा केन्द्र (एसडीसी)– आपदा रिकवरी केन्द्र (डीआरसी) कनेक्टिविटी संस्थापित कर दी गई है और इसका परीक्षण कर लिया गया है। समग्र रूप से 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एसडीसी–डीआरसी कनेक्टिविटी संस्थापित कर दी गई है और उसका परीक्षण कर लिया गया है।

12.15.9 20,048 स्थलों में से 17,039 स्थलों पर ग्राहक प्रणालियां भेज दी गई हैं। अब तक, समूचे देश में 3.45 करोड़ रिकार्डों के लिए डाटा डिजिटीकरण का कार्य पूर्ण हो गया है।

तेलंगाना

12.16 सरकारी स्तरों पर अनेक बार वार्ता करने के बाद, केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 03.10.2013 को आयोजित अपनी बैठक में आंध्र प्रदेश राज्य को विभाजित करके एक अलग तेलंगाना राज्य बनाने का निर्णय लिया।

12.17 आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2013 को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था (दिनांक 18.02.2014 को लोक सभा द्वारा और दिनांक 20.02.2014 को राज्य सभा द्वारा)। इस विधेयक पर दिनांक 01.03.2014 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गई थी और दिनांक 02.06.2014 से नया राज्य तेलंगाना अस्तित्व में आया।

12.18 पोलावरम बहु उद्देश्यीय राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के पहलू को कार्यान्वित करने के लिए क्षेत्रों की पहचान करने में और अधिक लचीलेपन के लिए आंध्र प्रदेश के उत्तरवर्ती राज्य को समर्थ बनाने के साथ हस्तांतरित किए जाने वाले क्षेत्रों की निकटता सुनिश्चित करने और प्रशासनिक सुविधा के लिए आंध्र प्रदेश को 188 अतिरिक्त गांव हस्तांतरित किए गए गए थे। इस संशोधन को पहले राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश के रूप में जारी किया गया था, जिसे बाद में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया और इस पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त की गई तथा यह आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2014 बना और इसे दिनांक 18.07.2014 को अधिसूचित किया गया।

12.19 भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ समय–समय पर बैठकें और बातचीत करके गृह सचिव की

अध्यक्षता में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन की निरंतर निगरानी की जा रही है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन में काफी प्रगति हुई है।

कारागारों के आधुनिकीकरण की स्कीम

12.20 केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 2002–2003 में 27 राज्यों में 1,800 करोड़ रुपए के परिव्यय से केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच क्रमशः 75:25 के अनुपात में लागत की भागीदारी के आधार पर एक गैर–योजना स्कीम शुरु की थी, जो जेलों में भीड़भाड़ कम करने के लिए नई जेलों के निर्माण, जेलों की मरम्मत, नवीकरण और मौजूदा जेलों में अतिरिक्त बैरकों के निर्माण, सफाई और जल आपूर्ति में सुधार करने और जेल कार्मिकों के रहने के लिए आवास के निर्माण के लिए थी। यह स्कीम आगे बढ़ाए बिना दिनांक 31.03.2009 को समाप्त हो गई है।

12.21 कारागारों के आधुनिकीकरण की स्कीम के तहत, राज्य सरकारों द्वारा अब तक 125 नई जेलों, विद्यमान कारागारों में 1,579 अतिरिक्त बैरकों और कारागार कर्मियों के लिए 8,658 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण किया गया है। इस स्कीम के तहत निर्मित अधिकांश जेलों को वर्ष 2009 के बाद चालू कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरुप, कुछ वर्षों में कारागारों में भीड़ की दर धीरे–धीरे कम हो गई और वर्ष 2008 में 129.2% से वर्ष 2009 में 122.8%, वर्ष 2010 में 115.1% और वर्ष 2011 में 112.1% थी और यह वर्ष 2012 में 112.2% के स्तर पर थी। तथापि, वर्ष 2013 में कारागारों में भीड़ की दर 118.4% थी।

13वें वित्त आयोग द्वारा कारागारों हेतु उपलब्ध कराई गई अनुदान–सहायता

12.22 कारागारों के उन्नयन हेतु निधियों की आवश्यकता के लिए राज्यों के प्रस्तावों के आधार पर, तेरहवें वित्त आयोग ने 8 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा और त्रिपुरा को कारागारों के लिए वर्ष 2011–2015 की अवधि में 609 करोड़ रु. मंजूर किए गए।

12.23 तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के तहत अब तक राज्यों को जारी की गई निधियां निम्नानुसार हैं:–

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	वित्तीय वर्ष 2011-12	वित्तीय वर्ष 2012-13	वित्तीय वर्ष 2013-14	वित्तीय वर्ष 2014-15
1	आंध्र प्रदेश	22.50	0.00	22.50	22.50 [तेलंगाना को 12.50 करोड़ रु. एवं आंध्र प्रदेश को 10 करोड़ रु.]
2	अरूणाचल प्रदेश	0.00	2.50	0.00	2.50
3	छत्तीसगढ़	37.50	22.76	0.00	37.50
4	केरल	38.50	38.50	0.00	38.50
5	महाराष्ट्र	15.22	0.00	0.00	15.15
6	मिजोरम	5.00	8.33	0.00	8.33
7	ओडिशा	25.00	25.00	0.00	0.00
8	त्रिपुरा	10.00	2.50	0.00	2.50
	कुल	**153.72**	**99.59**	**22.50**	**126.98**

सुधारात्मक प्रशासन संस्थान (आई0 सी0 ए0)

12.24 कारागार प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार करने और कारागार कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 1989 में केन्द्र से पूर्ण वित्तीय सहायता से चंडीगढ़ में सुधारात्मक प्रशासन संस्थान की स्थापना की थी। सुधारात्मक प्रशासन संस्थान, चंडीगढ़ सम्पूर्ण भारत के, विशेषकर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और चंडीगढ़ आदि जैसे पड़ोसी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र के कारागार कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है।

12.25 वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान (31.12.2014 तक) सुधारात्मक प्रशासन संस्थान, चंडीगढ़ ने निम्नलिखित पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं जिसमें 232 कारागार/पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया:

क्रम संख्या	पाठ्यक्रम/कार्यशाला का नाम	तारीखें	सहभागियों की संख्या
1	सुधारात्मक प्रशासन और कारागार प्रशासन में मौलिक प्रशिक्षण' पर छह सप्ताह का पाठ्यक्रम	10.03.2014 से 16.04.2014	35
2	लिंग संवेदनशीलता' पर आउटरीच प्रशिक्षण कार्यक्रम	19.06.2014 से 20.06.2014	45
3	सुधारात्मक प्रशासन और कारागार प्रबंधन पर पाठ्यक्रम	23.06.2014 से 27.06.2014	35
4	कारागार प्रबंधन में स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर पाठ्यक्रम	21.07.2014 से 25.07.2014	18
5	सुधार हेतु परामर्श तकनीकों पर पाठ्यक्रम	08.09.2014 से 12.09. 2014	17
6	विचाराधीन कैदियों के संबंध में हिरासत प्रबंधन पर पाठ्यक्रम	27.10.2014 से 31.10. 2014	29
7	कारागार अधिकारियों के लिए अपराध–विज्ञान और सुधार में समकालीन प्रगति पर पाठ्यक्रम	10.11.2014 से 13.11.2014	10
8	पुलिस अधिकारियों के लिए श्रेष्ठ कारागार व्यवहार पर पाठ्यक्रम	07.11.2014 से 21.11.2014	11
9	पुलिस अधिकारियों के लिए श्रेष्ठ कारागार व्यवहार पर पाठ्यक्रम	15.12.2014 से 18.12.2014	16
10	कारागार अधिकारियों के लिए कैदियों की अस्थायी रिहाई : दर्शन और आचरण पर कार्यशाला	19.12.2014	16
		कुल	**232**

12.26 इसके अतिरिक्त, वेल्लोर, तमिलनाडु में सुधारात्मक प्रशासन हेतु एक क्षेत्रीय संस्थान, नामतः कारागार और सुधारात्मक प्रशासन अकादमी (एपीसीए) भी कार्यरत है। उक्त अकादमी का वित्तपोषण संयुक्त रुप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की राज्य सरकारों के द्वारा किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने संस्थान को स्थापित करने के लिए एकबारगी अनुदान प्रदान किया था।

12.27 वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान (31.12.2014 तक) एपीसीए वेल्लोर ने कारागार अधिकारियों के लिए निम्नलिखित पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें 112 सहभागियों ने भाग लिया:–

क्रम स0	पाठ्यक्रम / कार्यशाला का नाम	तारीखें	सहभागियों की संख्या
1	10 दिवसीय कम्प्यूटर पाठ्यक्रम का VIIवां बैच	20.06.2014 से 01.07.2014	14
2	एक माह के पुनश्चर्या पाठयक्रम का VIIवां बैच	02.06.2014 से 01.07.2014	14
3	सेवा कालीन पाठ्यक्रम का XXवां बैच	02.07.2014 से 30.09.2014	16
4	सुधारात्मक सामाजिक कार्य पर अभिमुखीकरण कार्यक्रम	23.08.2014 से 26.08.2014	14
5	परामर्श कौशल एवं तकनीक	10.09.2014 से 12.09.2014	16
6	सेवा कालीन पाठ्यक्रम का XXIवां बैच	08.10.2014 से जारी	5
7	परामर्श कौशल एवं तकनीक	29.10.2014 से 30.10.2014	5
8	एक माह के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का VIIवां बैच	08.10.2014 से 07.11.2014	9
9	परामर्श कौशल एवं तकनीक	29.10.2014 से 30.10.2014	9
10	10 दिवसीय कम्प्यूटर कोर्स का VIIवां बैच	10.11.2014 से 20.11.2014	10
		कुल	**112**

12.28 उपर्युक्त के अलावा, एपीसीए वेल्लोर ने वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान (31.12.2014 तक) कारावास अधिकारियों से इतर अधिकारियों के लिए निम्नलिखित पाठ्यक्रम भी आयोजित किए हैं, जिनमें 23 सहभागियों ने भाग लिया:

क्र.सं.	पाठ्यक्रम / कार्यशाला का नाम	तारीखें	सहभागियों की संख्या
1	परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए तीन माह के पाठयक्रम का दूसरा बैच	02.07.2014 से 30.09.2014	5
2	परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए सुधारात्मक सामाजिक कार्य पर अभिमुखीकरण कार्यक्रम	23.08.2014 से 26.08.2014	5
3	परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए परामर्श कौशल और तकनीक	10.09.2014 से 12.09.2014	5
4	कारागार चिकित्सा अधिकारियों के लिए अभिमुखीकरण पाठ्यक्रम	09.09.2014 से 10.09.2014	8
		कुल	**23**

12.29 पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों की सहभागिता से कोलकाता में क्षेत्रीय सुधारात्मक प्रशासन संस्थान (आरआईसीए) की स्थापना की है, जिसके लिए भारत सरकार ने संस्थान को 1.55 करोड़ रु. का एकबारगी अनुदान प्रदान किया है।

एशियाई एवं प्रशांत सुधारात्मक प्रशासक सम्मेलन, 2014

12.30 एशियाई एवं प्रशांत सुधारात्मक प्रशासक सम्मेलन 23 देशों अर्थात् आस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कम्बोडिया, कनाडा, चीन, फिजी, हांगकांग, भारत, इंडोनेशिया, जापान, किरिबाती, कोरिया, मकाऊ, मलेशिया, मंगोलिया, न्यूजीलैंड, फिलिपीन्स, सिंगापुर, सोलोमन द्वीपसमूह, श्रीलंका, थाईलैंड, टोंगा और वियतनाम का संगठन है। भारत इस संगठन का संस्थापक सदस्य है। वर्ष 2008 से भारत संगठन के शासी मंडल का चयनित सदस्य है।

12.31 प्रत्येक वर्ष सदस्य देशों द्वारा बारी–बारी से वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसमें सदस्य देशों के सुधारात्मक प्रशासक एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में कारागार सुधारों से संबंधित नवीनतम और श्रेष्ठ पद्धतियों के बारे में विचारों का आदान–प्रदान करते हैं। यह सम्मेलन सुधारात्मक अधिकारियों को अपनी जानकारी व्यक्त करने और विभिन्न देशों में अपनाई जा रही श्रेष्ठ पद्धतियों का आदान–प्रदान करने का अवसर देता है। वर्ष 2013 में इस सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की गई थी।

12.32 श्री राधाकृष्ण किनी, अपर महानिदेशक, बीपीआरएंडडी के नेतृत्व में एक भारतीय शिष्टमंडल ने 34वें एशियाई एवं प्रशांत सुधारात्मक प्रशासक (एपीसीसीए) सम्मेलन में भाग लिया, जो दिनांक 07.09.2014 से 12.09.2014 तक विक्टोरिया, ब्रिटिश कोलम्बिया, कनाडा में आयोजित किया गया था।

सुधारात्मक सेवा पदक

12.33 सरकार ने कारागार कार्मिकों को पुरस्कृत करने के लिए निम्नलिखित पदक शुरू किए हैं:

शौर्य पदक

(क) शौर्य के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक (पी सी एस एम जी)

(ख) शौर्य के लिए सुधारात्मक सेवा पदक (सी एस एम जी)

सेवा पदक

(क) विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक (पी सी एस एम डी एस)

(ख) सराहनीय सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदक (सी एस एम एम एस)

12.34 एक वर्ष में प्रदान किए जा सकने वाले विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के सुधारात्मक सेवा पदकों और सराहनीय सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदकों की संख्या क्रमशः 25 और 75 है। एक वर्ष में शौर्य के लिए प्रदान किए जाने वाले पदकों की संख्या की कोई सीमा नहीं है।

12.35 विशिष्ट सेवा/शौर्य के लिए राष्ट्रपति के सुधारात्मक सेवा पदक और सराहनीय सेवा/शौर्य के लिए सुधारात्मक सेवा पदक निम्नलिखित के संबंध में प्रदान किए जाते हैं:–

(i) सुधारात्मक सेवा में विशिष्ट रुप से सराहनीय रिकार्ड के लिए;

(ii) अधिक संख्या में कैदियों को दाखिल करने जैसी कठिन परिस्थिति में सुधारात्मक सेवा आयोजित करने या प्रशासन चलाने में सफलता के लिए; और

(iii) दंगों का शमन करने, कैदियों को भागने से रोकने, अधिकारियों का बचाव करने, खेल भावना, लोक कार्य और सक्षमता, कर्तव्य के प्रति निष्ठा, सत्यनिष्ठा, वफादारी, अनुशासनबद्धता और त्याग की भावना सहित अनुकरणीय सेवा की छाप छोड़ने के संबंध में उत्कृष्ट योग्यता के लिए।

12.36 शौर्य के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक और शौर्य के लिए सुधारात्मक सेवा पदक किसी कैदी को गिरफ्तार करने अथवा उनको भागने से रोकने में विशिष्ट/असाधारण शौर्य के लिए दिया जाता है। इसके अंतर्गत जोखिम का आकलन संबंधित अधिकारी के दायित्यों एवं कर्तव्यों तथा पूर्ववर्ती वर्ष में किए गए असाधारण कार्य से किया जाता है।

12.37 वर्ष 2000 से अब तक कारागार कार्मिकों को निम्नलिखित सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान किए गए हैं:

वर्ष	गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदान किए गए सुधारात्मक सेवा पदकों की संख्या	स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदान किए गए सुधारात्मक सेवा पदकों की संख्या
2000	21	14
2001	11	32
2002	28	23
2003	22	09
2004	20	15
2005	13	12
2006	30	29
2007	34	19
2008	24	15
2009	13	13
2010	14	21
2011	24	16
2012	38	28
2013	37	41
2014	41	37

राज्यपाल (भत्ते और विशेषधिकार) नियमावली, 1987

12.38 राज्यपाल (भत्ते और विशेषधिकार) नियम, 1987 में संशोधन किया गया है और इसे दिनांक 21.07.2014 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग–।।, खण्ड 3–उप खण्ड (i) में अधिसूचित किया गया है। संशोधित नियमों के अनुसार, भूतपूर्व राज्यपाल एक निजी सहायक के रूप में लिपिकीय सहायता का पात्र है, जिसकी नियुक्ति 25,000/– रु. प्रति माह के अधिकतम पारिश्रमिक पर प्रतिपूर्ति के आधार पर भूतपूर्व राज्यपाल द्वारा की जाएगी। इस पारिश्रमिक का वहन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

पुलिस सुधार

12.39 गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुलिस आयोग और अन्य समितियों (2004) की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए एक समीक्षा समिति गठित की थी। वर्ष 2005 में सरकार को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में, समिति ने 49 सिफारिशें कीं, जिन्हें तुरंत कार्यान्वयन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजा गया था। सरकार पुलिस सुधारों संबंधी उक्त सिफारिशों के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से आग्रह कर रही है।

12.39.1 समीक्षा समिति की एक सिफारिश पुलिस अधिनियम, 1861 को बदलने के लिए नए पुलिस अधिनियम को लागू करने से संबंधित थी। गृह मंत्रालय ने सितम्बर, 2015 में नए मॉडल पुलिस अधिनियम को तैयार करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया।

12.39.2 समिति ने दिनांक 30.10.2006 को मॉडल पुलिस अधिनियम प्रस्तुत किया। मॉडल अधिनियम में एक लोकतांत्रिक समाज में एक व्यवसायिक पुलिस 'सेवा' की आवश्यकता पर बल दिया गया, जो दक्ष, प्रभावी, लोगों की आवश्यकताओं के अनुकूल और विधि के नियम के लिए जवाबदेह है। अधिनियम में पुलिस की सामाजिक जिम्मेदारियों का प्रावधान किया गया और इस पर बल दिया गया कि पुलिस अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों का संरक्षण करने पर विशेष ध्यान देने के साथ निष्पक्षता और मानवाधिकार मानदंडों के सिद्धांतों द्वारा शासित होगी।

12.39.3 उपलब्ध सूचना के अनुसार, अब तक 17 राज्यों अर्थात् असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तराखंड ने पुलिस अधिनियम को लागू किया है अथवा विद्यमान अधिनियमों को संशोधित किया है।

12.40 इसी बीच भारत के उच्चतम न्यायालय ने भी पुलिस सुधारों से संबंधित अनेक मुद्दों पर वर्ष 1996 की रिट याचिका (सिविल) सं. 310–प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में दिनांक 22.09.2006 को एक फैसला दिया है। उक्त फैसले में न्यायालय ने दिनांक 31.12.2006 तक केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को तंत्र स्थापित करने और दिनांक 03.01.2007 तक अनुपालन का शपथ–पत्र दायर करने का निर्देश दिया। इसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित निर्देश शामिल थेः

(i) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, रिबेरो समिति अथवा सोराबजी समिति द्वारा सिफारिश किए गए किसी भी मॉडल पर राज्य सुरक्षा आयोग स्थापित करना।

(ii) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उस रैंक में पदोन्नति हेतु सूची में शामिल किए गए विभाग के तीन वरिष्ठतम अधिकारियों में से राज्य के पुलिस महानिदेशक का चयन और एक बार चयन होने पर उनकी अधिवर्षिता की तारीख पर ध्यान दिए बिना उन्हें कम से कम दो वर्ष का कार्यकाल उपलब्ध कराना।

(iii) आपरेशनल ड्यूटी वाले पुलिस अधिकारियों के लिए कम से कम दो वर्ष का कार्यकाल निर्धारित करना।

(iv) दस लाख अथवा इससे अधिक की आबादी वाले नगरों/शहरी क्षेत्रों से आरंभ करके जांच पुलिस को कानून और व्यवस्था पुलिस से अलग करना और धीरे–धीरे इसका विस्तार छोटे नगरों/शहरी क्षेत्रों तक करना।

(v) अन्य बातों के साथ–साथ उप पुलिस अधीक्षक और इससे नीचे के रैंक वाले अधिकारियों के समस्त स्थानांतरण, तैनाती, पदोन्नति और अन्य सेवा संबंधी मामलों में निर्णय लेने के लिए राज्य स्तर पर एक पुलिस स्थापना बोर्ड स्थापित करना, और

(vi) पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें सुनने के लिए राज्य और जिला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण गठित करना।

(vii) उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को केन्द्रीय पुलिस संगठनों (सीपीओ) के प्रमुखों के चयन और तैनाती के लिए उपयुक्त नियुक्ति प्राधिकरण के सामने रखे जाने हेतु एक पैनल तैयार करने के लिए केन्द्र स्तर पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग स्थापित करने का भी निर्देश दिया है, जिन्हें इन बलों की प्रभावकारिता को बढ़ाने, अपने कार्मिकों की सेवा दशाओं में सुधार करने, यह सुनिश्चित करने कि उनके बीच उचित समन्वय है और यह कि बलों का प्रयोग उसी काम के लिए किया जाता है जिसके लिए उनकी स्थापना हुई है और इस संबंध में सिफारिशें करने के उपायों की समय–समय पर समीक्षा करने के अतिरिक्त अधिदेश के साथ–साथ, कम से कम दो वर्ष का कार्यकाल दिया जाना चाहिए।

12.41 उपर्युक्त सात निर्देशों में से, पहले छह निर्देश राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के लिए थे, जबकि सातवां निर्देश केवल केन्द्र सरकार से संबंधित था।

12.42 विभिन्न तारीखों पर क्रमिक रुप से इस मामले की सुनवाई हुई। दिनांक 16.05.2008 को, माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायमूर्ति के.टी थॉमस, उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में दो अन्य सदस्यों के साथ एक समिति गठित की। समिति के विचारार्थ विषयों में, अन्य बातों के साथ–साथ, जमीनी यथार्थ के संदर्भ में न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दायर शपथ–पत्रों की जांच करना; प्रतिवादियों द्वारा कार्यान्वयन के संबंध में बताई गई कमियों पर विचार करने के बाद न्यायालय के आदेशों का पालन न होने पर प्रतिवादियों को कार्यान्वयन में कमी के बारे में सलाह देना; किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में विद्यमान विशिष्ट परिस्थितियों के मद्देनजर प्रतिवादियों की वास्तविक समस्याओं को न्यायालय के ध्यान में लाना आदि शामिल था।

12.43 समिति ने माननीय उच्चतम न्यायालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उक्त रिपोर्ट को दिनांक 04.10.2010 को उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है।

12.44 पिछली बार दिनांक 16.10.2012 को मामला सुनवाई के लिए आया। सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और भारत संघ को यह स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था कि उन्होंने दिनांक 22.09.2006 को न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों पर कितना कार्य किया है। गृह मंत्रालय ने दिनांक 26.02.2013 को माननीय उच्चतम न्यायालय में शपथ–पत्र के द्वारा अपनी स्टेटस रिपोर्ट दायर कर दी है। मामला न्यायाधीन है और माननीय उच्चतम न्यायालय इस पर सक्रिय रुप से विचार कर रहा है।

12.45 संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार हैः–.

सुरक्षा आयोग

12.46 सुरक्षा आयोग के संबंध में स्थिति निम्नानुसार हैः–

(i) गृह मंत्रालय ने दिनांक 01.01.2011 के अपने कार्यालय ज्ञापन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली और अन्य छह संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक सुरक्षा आयोग का गठन किया था। अब तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के सुरक्षा आयोग की पांच बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

(ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अलावा सभी संघ राज्य क्षेत्रों के सुरक्षा आयोग की पहली बैठक पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में दिनांक 18.01.2013 को गृह सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। उक्त बैठक में अन्य बातों के साथ–साथ, यह निर्णय लिया गया था कि एक सुरक्षा आयोग के बजाय, प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के लिए अलग सुरक्षा आयोग गठित किया जाना चाहिए।

(iii) तदनुसार, गृह मंत्रालय ने दिनांक 07.02.2013 के अपने का.ज्ञा. सं. 14040/127/2010–यूटीपी के द्वारा निम्निलिखत प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के लिए अलग सुरक्षा आयोग का गठन किया है:–

(क) अंडमान एवं निकोबार (ख) लक्षद्वीप (ग) दमण एवं दीव (घ) दादरा एवं नगर हवेली (ङ) चंडीगढ़ (च) पुदुचेरी

(iv) सुरक्षा आयोग की संरचना निम्नानुसार है:

i) केन्द्रीय गृह सचिव – अध्यक्ष

ii) संबंधित संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव/प्रशासक – सदस्य

iii) संबंधित संघ राज्य क्षेत्र के लिए स्वतंत्र सदस्य – सदस्य

iv) संयुक्त सचिव (संघ राज्य क्षेत्र)–संयोजक

(v) प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र अर्थात् लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दमण एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली और चंडीगढ़ के संबंध में सुरक्षा आयोग की अलग–अलग बैठकें गृह सचिव की अध्यक्षता में क्रमशः दिनांक 13.02.2013, 12.08.2013, 12.09.2013 और 11.10.2013 को आयोजित की गई थीं।

पुलिस शिकायत प्राधिकरण

12.47 सभी संघ राज्य क्षेत्रों ने पुलिस शिकायत प्राधिकरण के संबंध में उपयुक्त तंत्र बनाया है। इसका ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने दिनांक 15.03.2012 को लोक शिकायत आयोग, दिल्ली को पुलिस शिकायत प्राधिकरण के रूप में नामित किया है।

(ii) पुदुचेरी सरकार ने दिनांक 03.01.2011 को अपनी अधिसूचना के द्वारा पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन किया।

(iii) दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने दिनांक 10.08.2011 की अपनी अधिसूचना के द्वारा पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन किया।

(iv) चंडीगढ़ प्रशासन ने दिनांक 08.11.2013 की अपनी अधिसूचना के द्वारा पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन किया।

(v) लक्षद्वीप प्रशासन ने दिनांक 18.03.2007 की अपनी अधिसूचना के द्वारा पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन किया।

(vi) अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने दिनांक 18.10.2011 की अपनी अधिसूचना के द्वारा पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन किया।

पुलिस महानिदेशक और प्रमुख अधिकारियों का चयन/कार्यकाल

12.48 पुलिस महानिदेशक के चयन की पद्धति, न्यूनतम कार्यकाल और क्षेत्रीय महानिरीक्षकों, रेंज उप महानिरीक्षकों, जिला पुलिस अधीक्षकों और एसएचओ जैसे प्रमुख अधिकारियों के न्यूनतम कार्यकाल से संबंधित निर्देश की स्थिति निम्नानुसार है:

(i) पुलिस महानिदेशकों के चयन के लिए राज्य सरकारों द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण यह है कि चुनी हुई सरकारें होने के नाते वे कानून एवं व्यवस्था के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। इसलिए, उन्हें पुलिस महानिदेशकों का चयन करने का अधिकार होना चाहिए। गृह मंत्री के अनुमोदन से, गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त एजीएमयूटी कैडर के पुलिस अधिकारियों के संबंध में इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लिया गया था।

(ii) संघटकों में वरिष्ठ स्तर के पुलिस अधिकारियों का कार्यकाल यथासंभव न्यूनतम दो वर्ष का होगा।

(iii) इस मंत्रालय द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 12.02.2007 के पत्र द्वारा यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि जहां तक संभव हो, प्रमुख पुलिस अधिकारियों का कार्यकाल कम से कम दो वर्ष का रखा जाए।

(iv) दिल्ली के संबंध में, विधायन के स्तर पर पुलिस आयुक्त, रेंज के प्रभारी संयुक्त आयुक्त, उप पुलिस आयुक्त और

एसएचओ सहित प्रमुख अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के अध्यधीन, न्यूनतम दो वर्ष के कार्यकाल का प्रस्ताव किया जाना चाहिए।

(v) जहां तक दिल्ली–अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह पुलिस सेवा (दानिप्स) अधिकारियों का संबंध है, प्रमुख अधिकारियों को, न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 29.03.2010 को दानिप्स नियमों को संशोधित किया गया है।

(vi) जहां तक चंडीगढ़ का संबंध है, पंजाब पुलिस अधिनियम, 2007, जो चंडीगढ़ में लागू है, में प्रमुख अधिकारियों के लिए न्यूनतम दो वर्ष के कार्यकाल का प्रावधान है।

'जांच' और 'कानून एवं व्यवस्था' को अलग करना

12.49 'जांच' और 'कानून एवं व्यवस्था' को अलग करने के संबंध में स्थिति निम्नानुसार है:–

(i) माननीय उच्चतम नयायालय के निर्देश के अनुसार, इसे अलग करने का कार्य 10 लाख अथवा इससे अधिक की आबादी वाले नगरों/शहरी क्षेत्रों में आरंभ होना है। जहां तक संघ राज्य क्षेत्रों का संबंध है, दिल्ली ही इस मानदंड को पूरा करता है। इसे दिल्ली में कार्यान्वित किया गया है और अलग आईओ की नियुक्ति की गई है।

(ii) विधायन के स्तर पर, आर्थिक और जघन्य अपराधों की जांच करने के लिए सभी पुलिस स्टेशनों में अपराध जांच यूनिटें सृजित करने का प्रस्ताव किया जाए।

(iii) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में पुलिस स्टेशनों में अपराध जांच यूनिटों का सृजन करने के संबंध में, पंजाब पुलिस अधिनियम, 2007 जो चंडीगढ़ में भी लागू है, पहले ही समर्थकारी प्रावधान किया गया है।

(iv) संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी में, प्रमुख पुलिस स्टेशनों में, यह व्यवस्था पहले से ही लागू है।

पुलिस स्थापना बोर्ड

12.50 संघ राज्य क्षेत्रों में पुलिस स्थापना बोर्ड की स्थिति निम्नानुसार है:

(i) विशिष्ट संघ राज्य क्षेत्र में अधिकारियों की उपलब्धता के अनुसार पुलिस स्थापना बोर्ड स्थापित किए हैं।

(ii) पुलिस स्थापना बोर्ड, क्षेत्रीय स्थापना समिति और जिला पुलिस स्थापना समिति के गठन का प्रस्ताव विधायन के स्तर पर किए जाने की संभावना है।

(iii) पंजाब पुलिस अधिनियम, 2007, जो चंड़ीगढ़ में लागू है, में चंडीगढ़ के संबंध में पुलिस स्थापना बोर्ड के गठन का प्रावधान है।

12.51 इस प्रकार संघ राज्य क्षेत्रों में, उन मुद्दों के अलावा, जिनमें उच्चतम न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.02.2007 के आवेदन में उपयुक्त स्पष्टीकरण और संशोधनों की मांग की गई है, भारत सरकार द्वारा सार्थक और पर्याप्त अनुपालन किया गया है।

राज्य विधायन

12.52 भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने अथवा भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त विधायन (संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के अंतर्गत) से संबंधित प्रस्तावों पर कार्रवाई करने के लिए भारत सरकार में गृह मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। सविधान के अनुच्छेद 201 के अंतर्गत विधेयक, संविधान के अनुच्छेद 304 (ख) के परंतुक के अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति हेतु विधेयक, संविधान के अनुच्देद 213 के खंड–1 के परंतुक के अंतर्गत राष्ट्रपति के अनुदेशों हेतु अध्यादेश और संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 4(3) के साथ पठित अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों हेतु विनियम इस श्रेणी में आते हैं।

12.53 भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके अनुमोदन के लिए विधायन संबंधी प्रस्तावों की जांच की जाती है। विधेयकों के शीघ्र अनुमोदन/सहमति को सुकर बनाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों और अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ बैठकें करके समय–समय पर स्थिति की समीक्षा की जाती है।

12.54 पहले से लंबित राज्य विधायन संबंधी प्रस्तावों के अतिरिक्त, गृह मंत्रालय को दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2014 की अवधि के दौरान भारत सरकार के अनुमोदन/भारत के राष्ट्रपति की सहमति के लिए 29 नए राज्य विधायन संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए। इस अवधि के दौरान अंतिम रूप प्रदान किए गए प्रस्तावों की संख्या निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	विवरण	संख्या
I.	संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के विचारार्थ और उनकी सहमति वाले विधेयक	
	(i) राष्ट्रपति द्वारा सहमति प्रदान किए गए विधेयक	31
	(ii) राष्ट्रपति के संदेश के साथ राज्य सरकार को वापस किए गए विधेयक	03
	(iii) विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति रोक लेना	08
	(iv) संबंधित राज्य सरकार द्वारा वापस लिए गए विधेयक	05
II	संविधान के अनुच्छेद 213(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति के पूर्व अनुदेशों हेतु अध्यादेश	
	(i) बंद किए गए अध्यादेश	01
	(ii) प्रख्यापन हेतु राष्ट्रपति के अनुदेश की सूचना देना	02
III	संविधान के अनुच्छेद 304 (ख) के अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति हेतु विधेयक	01
IV	संविधान की पांचवी अनुसूची के पैरा 4(3) के साथ पठित अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों हेतु विनियमः	..
	कुल	**51***

* इस आंकड़े में दिनांक 01.04.2014 से पहले प्राप्त विधायी प्रस्ताव भी शामिल हैं।

आईपीसी और सीआरपीसी

12.55 गृह मंत्रालय का संबंध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 के विधायी पहलुओं से है। इन्हें सामाजिक परिवर्तनों के अनुरूप बनाने के लिए इन संहिताओं के प्रावधानों को समय–समय पर संशोधित किया जाता है। ये संशोधन भारतीय विधि आयोग की सिफारिशों, इस संबंध में स्थापित आयोगों/समिति की सिफारिशों और न्यायालयों के आदेशों के आधार पर भी किए जाते हैं।

12.56 इस मंत्रालय ने विधि आयोग से इसकी जांच करने और दंड विधि के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए एक व्यापक रिपोर्ट देने का अनुरोध किया है ताकि तेजी से हो रहे सामाजिक परिवर्तनों के अनुसार सीआरपीसी/आईपीसी में व्यापक संशोधन किए जा सकें। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय ने सीआरपीसी/आईपीसी की ऐसी कुछ धाराओं को संशोधित करने की भी पहल की है, जिन पर भारतीय विधि आयोग ने पहले ही अपनी सिफारिशें दे दी हैं और जिन पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है।

दया याचिकाएं

12.57 गृह मंत्रालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की गई माफी संबंधी दया याचिकाओं को भी देखता है। मंत्रालय प्रत्येक दया याचिका का शीघ्रता से निपटान सुनिश्चित करता है। दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2014 की अवधि तक, 08 सजा प्राप्त कैदियों की 7 दया याचिकाओं का निपटान किया जा चुका है।

संसद में पारित विधायी प्रस्ताव

12.58 आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2014 लोक सभा में दिनांक 11.07.2014 को और राज्य सभा में दिनांक 14.07.2014 को पारित हुआ था।

संसद में प्रस्तुत विधायी प्रस्ताव

12.59 नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2014 लोक सभा में दिनांक 23.12.2014 को प्रस्तुत किया गया था।

*****

अध्याय 13

विदेशी राष्ट्रिक, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन और पुनर्वास

विदेशी राष्ट्रिक और नागरिकता

13.1 गृह मंत्रालय आप्रवासन, वीजा, विदेशी अभिदाय तथा नागरिकता संबंधी मामलों के निपटान के लिए उत्तरदायी है। भारत में विदेशियों के प्रवेश, यहां ठहरने और प्रस्थान करने का विनियमन आप्रवासन ब्यूरो (बी ओ आई) और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है।

विदेशी राष्ट्रिक और वीजा

विदेशी राष्ट्रिकों का प्रवेश तथा आवाजाही

13.2 भारत में विदेशी राष्ट्रिकों का प्रवेश, यहां ठहरना और यहां से प्रस्थान, दो अधिनियमों अर्थात् विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 द्वारा अभिशासित किया जाता है। जहां विदेशी राष्ट्रिकों को भारतीय वीजा, विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों/पोस्टों द्वारा प्रदान किया जाता है, वहीं देश में उनका ठहरना तथा देश से बाहर जाना, आप्रवासन ब्यूरो और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा विनियमित किया जाता है।

13.3 वर्ष 2013 के दौरान 69,67,601 विदेशी राष्ट्रिक भारत आए जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 5.93% की वृद्धि दर्ज की गई। भारत आने वाले विदेशी राष्ट्रिकों में सबसे ज्यादा संख्या यूएसए (10,85,309), की थी और इसके बाद यूके (8,09,444), बांग्लादेश (5,24,923), श्रीलंका (2,62,345), रुसी परिसंघ (2,59,120), कनाडा (2,55,222), जर्मनी (2,52,003), फ्रांस (2,48,379), मलेशिया (2,42,649) और जापान (2,20,283) की थी। इन दस देशों की प्रतिशतता भारत आने वाले कुल विदेशियों की 59.70% थी।

13.4 वर्ष 2013 के दौरान, विदेशी विषयक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अथवा अन्य आप्रवासन नियंत्रण नियमों और विनियमों के प्रावधानों के उल्लंघनों के लिए 10,043 विदेशी राष्ट्रिक गिरफ्तार किए गए और वर्ष 2013 के दौरान 6,903 विदेशी राष्ट्रिकों को उनके देश वापस भेजा गया।

13.5 भारत एक पसंदीदा पर्यटक स्थल के रुप में उभर रहा है और बड़ी संख्या में विदेशी राष्ट्रिक पर्यटन के उद्देश्य से भारत का दौरा करना चाहते हैं। पर्यटन के उद्देश्य से भारत का दौरा करने के इच्छुक विदेशी राष्ट्रिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने दिनांक 27.11.2014 को 43 देशों के राष्ट्रिकों हेतु इलेक्ट्रानिक यात्रा प्राधिकार (ई टी ए) आधारित आगमन पर पर्यटन वीजा (टी वी ओ ए) की शुरुआत की है।

पाकिस्तानी और भारतीय कैदियों का प्रत्यावर्तन

13.6 वर्ष 2013 के दौरान, भारत सरकार ने अपनी सजा पूरी कर चुके 38 पाकिस्तानी सिविल कैदियों और 28 पाकिस्तानी मछुआरों को पाकिस्तान प्रत्यावर्तित किया। दिनांक 1.1.2014 से 31.12.2014 तक की अवधि के दौरान, अन्य 26 पाकिस्तानी कैदियों और 74 पाकिस्तानी मछुआरों को पाकिस्तान प्रत्यावर्तित किया गया।

आप्रवासन नियंत्रण

13.7 आप्रवासन सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रधान कार्य है जो आप्रवासन चेक पोस्टों (आई सी पी) के माध्यम से किया जाता है। देश में 83 आप्रवासन चेक पोस्ट (आई सी पी) हैं, जिनमें से 37 आई सी पी आप्रवासन ब्यूरो के नियंत्रणाधीन हैं और शेष 46 आई सी पी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं।

मिशन मोड परियोजना (एम एम पी)

13.8 गृह मंत्रालय "आप्रवासन, वीजा और विदेशी विषयक पंजीकरण और पता लगाना (ट्रैकिंग) (आई.वी.एफ.आर.टी.)" नामक एक योजनागत स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य एक सुरक्षित और एकीकृत सेवा व्यवस्था विकसित और कार्यान्वित करना है जो सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए वैध यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करे। आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने एम एम पी के कार्यान्वयन के लिए 1,011 करोड़ रूपए की धनराशि वाली एक योजनागत स्कीम अनुमोदित की थी। इस परियोजना का कार्यान्वयन प्रभावी संचार, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की सहायता से स्थानों की अवसंरचना/संयोजकता की तैयारी के समरूप योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

13.9 एम.एम.पी. के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :–

i. वीजा आवेदन पत्रों का मानकीकरण कर दिया गया है। विदेशों में स्थित 155 भारतीय मिशनों में वीजा आवेदकों के लिए एकीकृत आनलाइन वीजा आवेदन प्रणाली कार्यान्वित की गई है (दिनांक 31.12.2014 तक)।

ii. विदेशों में स्थित 61 भारतीय मिशनों में बायमैट्रिक्स इंरोलमेंट सॉफ्टवेयर का कार्यान्वयन किया गया है।

iii. देशभर में स्थित 400 विदेशी पंजीकरण कार्यालयों (एफआरओ) और 13 क्षेत्रीय विदेशी पंजीकरण कार्यालयों (एफआरआरओ) में सी–एफ आर ओ का कार्यान्वयन किया गया है।

iv. 400 विदेशी पंजीकरण कार्यालयों और 13 क्षेत्रीय विदेशी पंजीकरण कार्यालयों में सी–फार्म का कार्यान्वयन किया गया है।

v. 400 विदेशी पंजीकरण कार्यालयों और 13 क्षेत्रीय विदेशी पंजीकरण कार्यालयों में एस–फॉर्म का कार्यान्वयन किया गया है।

vi. आई.वी.एफ.आर.टी. का अनुपालन करने वाले भारतीय मिशनों के लिए और अधिक सुरक्षित वीजा स्टिकर लागू किए गए हैं। नए वीजा स्टिकर पर निर्माण के समय बार कोड लगाने और पहचान की जानकारी देते समय फोटो लगाने जैसे अतिरिक्त सुरक्षा चिन्ह बनाए गए हैं। पूर्व वीजा स्टिकरों के विपरीत, अप्राधिकृत प्रिंटरों द्वारा इनकी नकल करना बहुत कठिन है।

vii. दिन–प्रतिदिन के प्रचालनात्मक मुद्दों के समाधान के लिए मिशनों की सहायतार्थ नई दिल्ली में केन्द्रीय आई वी एफ आर टी कार्यालय क्रियाशील हो गया है और नई दिल्ली में वीजा सहायता केन्द्र की स्थापना की गई है। यह केन्द्र प्रतिदिन 03 पारियों (शिफ्टों) में कार्य करता है। इसके अलावा, एक सहायता केन्द्र आप्रवासन ब्यूरो में कार्य कर रहा है जो सभी आई.सी.पी./क्षेत्रीय विदेशी पंजीकरण कार्यालयों (एफ आर आर ओ)/विदेशी पंजीकरण कार्यालयों (एफ आर ओ) को प्रचालन, प्रबंधन और तकनीकी (साफ्टवेयर सहित) सहायता प्रदान करता है।

viii. सभी 81 आई.सी.पी. में कम्प्यूटर हार्डवेयर लगाने और आई.सी.एस. साफ्टवेयर लगाने करने का कार्य पूरा हो गया है। अब 79 आई सी पी केन्द्रीय विदेशी विषयक ब्यूरो (सी एफ बी) से जुड़ गए हैं।

ix. एन.आई.सी. ने केन्द्रीकृत उन्नत यात्री सूचना प्रणाली (ए.पी.आई.एस.) के लिए एक माड्यूल विकसित किया है। इस माड्यूल के अंतर्गत, नई दिल्ली में 25 हवाईअड्डों की सभी उड़ानों से संबंधित ए.पी.आई.एस. डाटा प्राप्त किया जा रहा है। दिल्ली को छोड़कर, हवाईअड्डों के आई.सी.पी. से संबंधित डाटा बाद में संबंधित हवाईअड्डों को भेजा जा रहा है।

x. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों को आई वी एफ आर टी के बारे में सुग्राही बनाने के लिए नियमित प्रशिक्षण/अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आई.वी.एफ.आर.टी. के अंतर्गत एक राष्ट्रीय सम्मेलन, 6 राज्य–स्तरीय सम्मेलन/कार्यशालाएं, 100 जिला–स्तरीय कार्यशालाएं/प्रशिक्षण कार्यक्रम, 6 प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं तथा भारतीय मिशनों/क्षेत्रीय विदेशी पंजीकरण कार्यालयों/विदेशी पंजीकरण कार्यालयों के 2,000 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

भारत की विदेशी नागरिकता (ओ सी आई)

13.10 भारत सरकार ने भारत में वीज़ामुक्त यात्रा की सुविधा प्रदान करने और भारत में व्यवसाय एवं शैक्षिक क्रियाकलापों में आवास और भागीदारी का अधिकार प्रदान करने के लिए भारत की विदेशी नागरिकता (ओसीआई) कार्ड और भारतीय मूल के लोग (पीआईओ) कार्ड योजना शुरू की थी। ओ सी आई कार्ड योजना दिनांक 02.12.2005 से चल रही है। आवेदन–पत्र, प्रक्रिया विवरणिका और प्रायः पूछे जाने वाले नवीनतम प्रश्नों (एफ ए क्यू) संबंधी जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट (http://mha.nic.in) पर उपलब्ध है। इस स्कीम के बारे में विदेशी भारतीयों से उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार, 17,18,498 व्यक्तियों को भारत की विदेशी नागरिकता का पंजीकरण (ओ सी आई) प्रदान किया गया है। दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2014 तक की अवधि के दौरान 1,71,046 ओ सी आई कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

13.11 भारत में विदेशी नागरिकता (ओ सी आई) और भारतीय मूल के लोग (पी आई ओ) कार्डों के एक साथ अस्तित्व में रहने से विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के बीच इनको लेकर काफी भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। इस पूरी प्रक्रिया को सरल करने तथा विश्वभर में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को अधिक लाभ देने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री ने यूएसए और आस्ट्रेलिया के हालिया दौरे के दौरान यह घोषणा की कि पीआईओ तथा ओसीआई कार्डों का विलय कर दिया जाएगा तथा विदेशों में रहने वाले भारतीय लोगों को अधिकतम संभावित लाभ दिए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए वचन को ध्यान में रखते हुए दिनांक 06.01.2015 को एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया जिसके जरिए ओसीआई कार्ड में पीआईओ कार्ड की पात्रता और अतिरिक्त लाभ शामिल किए गए तथा नागरिकता अधिनियम, 1955 को संशोधित करके

ओसीआई कार्ड धारकों को कतिपय अन्य छूटें प्रदान की गई। तत्पश्चात्, दिनांक 09.01.2015 को पीआईओ कार्ड संबंधी अधिसूचना तत्काल प्रभाव से वापस ले ली गई तथा यह अधिसूचित किया गया कि सभी मौजूदा पीआईओ कार्ड धारक दिनांक 09.01.2015 से ओसीआई कार्ड धारक समझे जाएंगे। अब अतिरिक्त लाभों सहित केवल एक ओसीआई कार्ड अस्तित्व में है। इससे विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की काफी लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो जाएगी।

विदेशी अभिदाय

13.12 विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 संस्थानों, संघों और अन्य स्वैच्छिक संगठनों द्वारा प्राप्त और उपयोग किए गए विदेशी अभिदाय को विनियमित करता है। इस अधिनियम का प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि किसी व्यक्ति अथवा संगठन द्वारा प्राप्त किए गए विदेशी अभिदाय का दुरूपयोग न किया जाए अथवा राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक गतिविधि में न लगाया जाए। यह अधिनियम राष्ट्रीय जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्र में लगे कतिपय व्यक्तियों द्वारा विदेशी आतिथ्य को स्वीकार किए जाने का विनियमन यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भी करता है कि वे संप्रभु जनतांत्रिक गणतंत्र के रुप में भारतीय मूल्यों के अनुरूप कार्य कर सकें।

13.13 विदेशी अभिदाय की प्राप्ति/उपयोग विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 द्वारा विनियमित होता है जो दिनांक 01.05.2011 से लागू है। वार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं करना या विलंब से प्रस्तुत करना एक अपराध है। नियमों में संघों को उक्त अधिसूचना में यथा निर्धारित अर्थदंड की प्रस्तुति के माध्यम से अपने अपराध के संयोजन का विकल्प चुनने की अनुमति दी गई है।

13.14 दिनांक 01.01.2014 से 31.12.2014 तक की अवधि के दौरान, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन विदेशी अभिदाय लेने हेतु 155 संघों को पूर्वानुमति दी गई। दिनांक 01.01.2014 से 31.12.2014 तक की अवधि के दौरान, विदेशी अभिदाय लेने हेतु विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अंतर्गत 1,108 संघों का पंजीकरण किया गया। वर्ष 2012–13 के दौरान 18,519 संघों द्वारा सूचित की गई विदेशी अभिदाय की प्राप्ति की राशि 11,909.07 करोड़ रू. थी। वर्ष 2013–14 के दौरान, दिनांक 31.12.2014 तक 16,868 संघों द्वारा सूचित की गई विदेशी अभिदाय की प्राप्ति की कुल राशि 13,813.068 करोड़ रू. है।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

13.15 मानव इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक अनोखी मिसाल है। इसमें सभी वर्गों के लोगों ने सभी प्रकार की जाति, पंथ या धर्म से ऊपर उठकर एवं एकजुट होकर एक उद्देश्य के लिए कार्य किया। यह संघर्ष 1857 से शुरू होकर 1947 तक जारी रहा, जिसमें लोगों की अनेक पीढ़ियों का संघर्ष और बलिदान था, जिसके परिणामस्वरूप ही देश को आजादी प्राप्त हुई। स्वतंत्रता संग्राम में लाखों–करोड़ों लोगों ने भाग लिया।

पेंशन योजना

13.16 भारत सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करने के लिए वर्ष 1969 में 'पूर्व–अंडमान राजनीतिक कैदी पेंशन योजना' नामक एक योजना शुरू की थी। वर्ष 1972 में, स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के लिए ''स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्कीम'' नामक एक नियमित योजना शुरू की गई थी। दिनांक 01.08.1980 से इस योजना को उदारीकृत करके इसका नाम बदलकर 'स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना' कर दिया गया। 'स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980' की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:–

13.16.1 **पात्रता:** इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों के स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन के लिए पात्र हैं:–

(क) शहीदों के पात्र आश्रित।

(ख) स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण कम से कम छह माह का कारावास भोगने वाले व्यक्ति।

(ग) स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण छह माह से अधिक समय के लिए भूमिगत रहने वाले व्यक्ति।

(घ) स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण कम से कम 6 माह की अवधि के लिए अपने घर में नजरबंद रहने अथवा जिले से निष्कासित कर दिए जाने वाले व्यक्ति।

(ङ) वह व्यक्ति जिसकी सम्पत्ति को स्वतंत्रता संग्राम में उसके द्वारा भाग लेने की वजह से जब्त अथवा कुर्क कर दिया गया था और बेच दिया गया था।

(च) स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण गोलीबारी अथवा लाठी चार्ज के दौरान स्थायी रूप से विकलांग होने वाले व्यक्ति।

(छ) ऐसा व्यक्ति जिसे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण अपनी सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ा हो।

(ज) ऐसा व्यक्ति जिसे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण दस या इससे अधिक बार डंडों/बेंत से पीटा गया/कोड़े मारे गए।

13.16.2 **आश्रित:** इस योजना के अंतर्गत आश्रित परिवार पेंशन की मंजूरी हेतु मृत स्वतंत्रता सेनानी (शहीदों के भी) की पत्नी/पति(विधवा/विधुर), अविवाहित और बेरोजगार पुत्रियां (अधिक से अधिक तीन तक) तथा माता और पिता पात्र हैं। किसी एक समय पर, ऊपर उल्लिखित आश्रितों की श्रेणियों में से केवल एक श्रेणी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र है।

13.16.3 **महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष रियायतः** पेंशन की मंजूरी के लिए पात्रता का मानदंड कम से कम छह माह की अवधि तक जेल में रहने की यातना, जो स्वतंत्रता सेनानी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भोगी है, निर्धारित की गई है। तथापि, महिला स्वतंत्रता सेनानियों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित स्वतंत्रता सेनानियों के लिए विशेष रियायत के रूप में न्यूनतम अवधि तीन माह रखी गई है।

स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अन्य सुविधाएं

13.17 पेंशन के अलावा, स्वतंत्रता सेनानियों को भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं:–

(i) स्वतंत्रता सेनानी अथवा उनकी विधवा के लिए एक साथी के साथ आजीवन निःशुल्क रेलवे पास (राजधानी में ।। ए सी, शताब्दी में चेयरकार और अन्य सभी गाड़ियों में प्रथम श्रेणी/ए.सी. स्लीपर);

(ii) केन्द्र सरकार के सभी अस्पतालों और लोक उद्यम ब्यूरो के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं;

(iii) स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को सी.जी.एच.एस. की सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं;

(iv) यदि व्यवहार्य हो तो, स्थापना प्रभार के बिना और केवल आधे किराए के भुगतान पर टेलीफोन का कनेक्शन;

(v) दिल्ली में सामान्य पूल का रिहाइशी आवास (समग्र 5% विवेकाधीन कोटे के भीतर);

(vi) स्वतंत्रता सेनानियों/पात्र आश्रितों के लिए नई दिल्ली में बनाए गए स्वतंत्रता सेनानी गृह में आवास;

(vii) पूर्व–अंडमान स्वतंत्रता सेनानियों/उनकी विधवाओं को एक साथी के साथ वर्ष में एक बार अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की मुफ्त हवाई यात्रा सुविधा; और

(viii) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा पेट्रोल पंपों, गैस एजेंसियों आदि के आवंटन के लिए सामान्य चयन प्रक्रिया में स्वतंत्रता सेनानी श्रेणी के अंतर्गत 2% आरक्षण का प्रावधान।

13.18 स्वतंत्रता सेनानियों को उपलब्ध सभी प्रमुख सुविधाएं उनकी विधवाओं को भी प्रदान की जाती हैं।

पेंशन की राशि

13.19 स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन की दर की आवधिक समीक्षा की जाती है। वर्ष 1972 में निर्धारित पेंशन की आरंभिक राशि 200 रु. प्रति माह थी। विभिन्न श्रेणियों के स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों को देय मासिक पेंशन और महंगाई राहत की मौजूदा दर नीचे दी गई है:–

क्रम सं.	स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी	मूल पेंशन (रुपए में)	दिनांक 01.08.2014 से 218% की दर से मंहगाई राहत (रुपए में)	पेंशन की कुल राशि (रुपए में)
i.	पूर्व–अंडमान राजनीतिक कैदी	7,330	15,979	23,309
ii.	स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने ब्रिटिश भारत के बाहर यातना भोगी (आई एन ए को छोड़कर)	6,830	14,889	21,719
iii.	अन्य स्वतंत्रता सेनानी (आई एन ए सहित)	6,330	13,799	20,129
iv.	उपर्युक्त श्रेणियों के स्वतंत्रता सेनानियों की विधवा/विधुर	वही पात्रता है, जो संबंधित मृत स्वतंत्रता सेनानी की थी		
v.	प्रत्येक अविवाहित एवं बेरोजगार पुत्री (तीन तक)	1,500	3,270	4,770
vi.	माता और पिता प्रत्येक को	1,000	2,180	3,180

स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण पर व्यय

13.20 वर्ष 2013–14 में केन्द्रीय सम्मान पेंशन के संवितरण पर लगभग 833 करोड़ रु. का व्यय हुआ। पेंशन के भुगतान के लिए वर्ष 2014–15 में 800 करोड़ रु. का बजट प्रावधान मौजूद है।

केन्द्रीय सम्मान पेंशनधारियों की संख्या

13.21 योजना के अंतर्गत, दिनांक 31.12.2014 तक 1,71,582 स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों को सम्मान पेंशन स्वीकृत की गई है। स्वतंत्रता सेनानियों/उनके आश्रितों को स्वीकृत की गई सम्मान पेंशन का राज्य–वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

क्रम सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / संगठन का नाम	उन स्वतंत्रता सेनानियों / उनके पात्र आश्रितों की संख्या जिन्हें पेंशन स्वीकृत की गई है (दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार)
1.	आंध्र प्रदेश	15,282
2.	अरुणाचल प्रदेश	0
3.	असम	4,441
4.	बिहार	24,900
5.	झारखंड	
6.	गोवा	1,508
7.	गुजरात	3,599
8.	हरियाणा	1,689
9.	हिमाचल प्रदेश	630
10	जम्मू और कश्मीर	1,807
11.	कर्नाटक	10,100
12.	केरल	3,403
13.	मध्य प्रदेश	3,487
14.	छत्तीसगढ़	
15.	महराष्ट्र	17, 964
16.	मणिपुर	62
17.	मेघालय	86
18.	मिजोरम	04
19.	नागालैंड	03
20.	ओडिशा	4,196
21.	पंजाब	7,032
22.	राजस्थान	814
23.	सिक्किम	0
24.	तमिलनाडु	4126
25.	त्रिपुरा	888
26.	उत्तर प्रदेश	17,999
27.	उत्तराखंड	
28.	पश्चिम बंगाल	22518
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	03
30.	चंडीगढ़	91
31.	दादरा और नगर हवेली	83
32.	दमण और दीव	33
33.	लक्षद्वीप	0
34.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2,046
35.	पुडुचेरी	320
36.	आजाद हिन्द फौज (आई एन ए)	22,468
	कुल	**1,71,582**

स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान

13.22 परम्परा के अनुसार, भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के अवसर पर भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने दिनांक 09.08.2014 को राष्ट्रपति भवन में एक स्वागत समारोह – 'एट होम' आयोजित किया और विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के कुछ स्वतंत्रता सेनानियों को अंगवस्त्रम से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त, आमंत्रित स्वतंत्रता सेनानियों को शॉल और छोटे उपहार प्रदान किए गए। देश के विभिन्न भागों से आए 90 स्वतंत्रता सेनानियों ने इस समारोह में भाग लिया और राष्ट्रपति के साथ बातचीत की।

दिनांक 09.08.2014 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित 'एट होम' समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ भारत के माननीय राष्ट्रपति

दिनांक 09.08.2014 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित 'एट होम' समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों से बातचीत करते हुए भारत के माननीय राष्ट्रपति

हैदराबाद मुक्ति आंदोलन

13.23 1947–48 के दौरान पूर्ववर्ती हैदराबाद राज्य के भारत संघ के साथ विलय हेतु हैदराबाद मुक्ति आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों को वर्ष 1985 में ''स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980'' के अंतर्गत पेंशन की मंजूरी के लिए पात्रता शर्तों में ढील देकर पात्र बनाया गया था। श्राफ समिति (वर्ष 1985 से 1996 तक) ने 98 सीमा शिविरों की सूची बनाई और लगभग 7,000 मामलों की सिफारिश की। श्राफ समिति द्वारा संस्तुत सभी मामलों में पेंशन स्वीकृत की गई थी।

13.24 तदनंतर दिसम्बर 1996 में, श्री एन. गिरि प्रसाद की अध्यक्षता में एक अन्य अनुवीक्षण समिति गठित की गई थी और श्री गिरि प्रसाद की मृत्यु होने के बाद जून, 1997 में सीएच. राजेश्वर राव को अनुवीक्षण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। सीएच. राजेश्वर राव समिति (वर्ष 1997 से 1998 तक) ने लगभग 13,500 मामलों की सिफारिश की। जुलाई 2004 में, गृह मंत्रालय ने 18 अतिरिक्त सीमा शिविरों को मान्यता प्रदान की। जनवरी, 2005 में, सरकार ने इस शर्त पर कि केवल वे ही आवेदक, जिन्होंने दिनांक 15.09.1948 तक अर्थात् हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई से पूर्व हैदराबाद मुक्ति आंदोलन में भाग लिया था, पेंशन के पात्र होंगे, लाभार्थियों की अनुमानित संख्या लगभग 11,000 (वर्ष 1985 में अनुमानित) में वृद्धि करके लगभग 15,000 करने का अनुमोदन प्रदान किया। यह शर्त हैदराबाद मुक्ति आन्दोलन के सभी लंबित मामलों में पेंशन की मंजूरी के लिए भविष्यलक्षी प्रभाव से अपनाई गई है।

13.25 फर्जी दावेदारों के संबंध में प्राप्त शिकायतों और बाद में महानिदेशक (सतर्कता और प्रवर्तन) द्वारा की गई जांच के आधार पर यह निर्णय लिया गया था कि सीएच. राजेश्वर राव समिति द्वारा संस्तुत सभी मामले पुनर्सत्यापन के लिए राज्य सरकारों को भेजे जाएंगे। यह निर्धारित किया गया था कि पहले से स्वीकृत मामलों सहित प्रत्येक मामले की गहराई से पुनः जांच की जाएगी और तत्पश्चात् पुनः जांच के परिणामों की संवीक्षा प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों की एक समिति करेगी और यह सुनिश्चित करते हुए अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देगी कि कोई भी फर्जी दावेदार पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा है और किसी भी वास्तविक स्वतंत्रता सेनानी की अनदेखी नहीं की गई है। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया था कि वे प्रत्येक मामले में अपनी विशिष्ट सिफारिशें प्रस्तुत करें। राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे दावों की जांच करते समय निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखें:–

क) आवेदक की आयु मार्च, 1947 में (अर्थात् हैदराबाद मुक्ति आंदोलन प्रारंभ होने के समय) 15 वर्ष से अधिक होनी चाहिए;

ख) आयु का प्रमाण जन्म पंजीकरण प्रमाणपत्र अथवा विद्यालय के प्रमाणपत्र अथवा मतदाता पहचान–पत्र, 1995 की अथवा उससे पहले की मतदाता सूची जैसे सरकारी रिकार्डों पर आधारित होना चाहिए; और

ग) दावे की सीमा शिविर के उस शिविर प्रभारी से जिसने आवेदक के पक्ष में प्रमाणपत्र जारी किया था अथवा यदि सीमा शिविर प्रभारी जीवित न हो तो आवेदक के जिले के दो केन्द्रीय स्वतंत्रता सेनानियों से पुनः जांच/संपुष्टि कराई जाए।

13.26 प्रामाणिक स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन की मंजूरी के लिए प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने दिनांक 10.09.2009 को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए थे। इन दिशानिर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन किया जा रहा है।

13.27 हैदराबाद मुक्ति आंदोलन के दौरान सीमा शिविर में यातनाओं को झेलने वाले व्यक्तियों से संबंधित पुनः जांच किए गए मामलों की संवीक्षा के लिए मई, 2009 में श्री बोइनापल्ली वेंकट रामा राव की अध्यक्षता में प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों की एक संवीक्षा समिति गठित की गई है। समिति ने राज्य सरकारों से प्राप्त पुनः जांच रिपोर्टों की संवीक्षा करना शुरू कर दिया है। दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार, राज्य सरकारों से कुल 3,802 पुनः जांच रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। मंत्रालय में सभी पुनः जांच रिपोर्टों की संवीक्षा की गई है; समिति की सिफारिश पर 875 मामलों में पेंशन मंजूर की गई है और 32 मामले राज्य सरकार को वापस भेजे गए हैं तथा शेष मामलों को स्कीम के पात्रता मानदंडों को पूरा न करने के कारण रद्द कर दिया गया है।

गोवा मुक्ति आंदोलन

13.28 यह एक ज्ञात सत्य है कि गोवा मुक्ति आन्दोलन अनेक वर्षों तक चला। बड़ी संख्या में स्वतंत्रता सेनानियों ने पुर्तगाली प्राधिकारियों के हाथों गंभीर यातनाएं झेली थीं। गोवा मुक्ति आन्दोलन को निम्नलिखित तीन चरणों में बांटा गया थाः–

1.	चरण–I	1946 से 1953 तक
2.	चरण–II	1954 से 1955 तक
3.	चरण–III	1955 से 1961 तक

13.29 चरण–I वर्ष 1946 में हुआ था। इस आन्दोलन के सभी सहभागी (सत्याग्रही) गोवा क्षेत्र अर्थात गोवा, दीव, दमण, दादरा और नगर हवेली से थे। यह आन्दोलन अहिंसा के सिद्धांत पर आरंभ किया गया था लेकिन छोटे स्तर पर था। सहभागी सत्याग्रही अपने नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिए गए थे, उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 10 से 28 वर्ष के कठोर कारावास की सजा हुई।

13.30 चरण–II आन्दोलन वर्ष 1954–55 में हुआ। इस आन्दोलन के सभी सहभागी (सत्याग्रही) गोवा क्षेत्र को छोड़कर पूरे भारत से थे। यह सत्याग्रह बड़े स्तर पर लेकिन अहिंसा के सिद्धांत पर किया गया था। बैच के नेताओं सहित 67 सत्याग्रहियों को घटनास्थल पर ही गोली मार दी गई थी। मृतकों के शवों तथा अपंग और अचेत सत्याग्रहियों को सुनसान भारतीय सीमाओं में फेंक दिया गया था। गंभीर रूप से जख्मी, घायल और क्षतिग्रस्त बैच नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा उन पर मुकदमा चलाया गया था और उन्हें पुर्तगाली मार्शल लॉ अदालत द्वारा 10 वर्षों का कठोर कारावास दिया गया था।

13.31 चरण–III आन्दोलन के द्वितीय चरण के सत्याग्रहियों की सार्वजनिक हत्या के बाद, देश के उन युवा देशभक्तों के दिमाग में पुर्तगाली शासन के विरुद्ध अभूतपूर्व रोष पैदा हुआ जिनका सशस्त्र विद्रोह में गहन विश्वास था। इस आन्दोलन के नेता भी गिरफ्तार कर लिए गए थे, उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 10 से 28 वर्ष के कठोर कारावास की सजा हुई।

13.32 केन्द्र सरकार ने स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के तहत पेंशन देने के लिए गोवा मुक्ति आन्दोलन को मान्यता दी। आन्दोलन के पहले और तीसरे चरण के उन सभी जीवित बैच नेताओं को पेंशन प्रदान की गई थी जिन्हें गिरफ्तार किया गया था तथा जिन पर मुकदमा चलाया गया था और पुर्तगाली सरकार तथा मार्शल लॉ अदालत द्वारा 10 से 28 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई थी।

13.33 चरण–I और चरण–III के आन्दोलनों को एसएसएस पेंशन योजना, 1980 के तहत पेंशन देने के उद्देश्य से पहले ही मान्यता मिल गई है। जहां तक चरण–II के सहभागियों का संबंध है, उन्होंने गोवा की सीमा में सत्याग्रह में भाग लिया था। तथापि, उन्हें न तो गिरफ्तार किया गया था और न ही जेल में डाला गया था। इसके बावजूद, भारत सरकार ने फरवरी, 2003 में गोवा मुक्ति आन्दोलन के चरण–II के उन स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन प्रदान करने के लिए स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के तहत पात्रता मानदंडों में ढील प्रदान की, जिन्हें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा दिनांक 01.08.2002 तक अथवा इससे पहले राज्य स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्वीकृत की गई थी।

13.34 दिनांक 31.12.2014 तक, गोवा मुक्ति आन्दोलन चरण–II में भाग लेने वाले कुल 2,190 स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान पेंशन प्रदान की जा चुकी है। जहां तक चरण–I और III के लिए स्वीकृतियों का संबंध है, चरण–I के लिए 336 मामले तथा चरण–III के लिए 244 मामले चिन्हित किए गए हैं।

नीतिगत पहलें

13.35 सम्मान पेंशन स्कीम को सरल और कारगर बनाने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित पहलें की गई हैं:–

13.35.1 सावधानीपूर्वक जाँच के बाद सम्मान पेंशन के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के दावों पर विचार करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेने के समय 15 वर्ष से अधिक निर्धारित की गई है।

13.35.2 ''स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम, 1980'' के अनुसार, स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों को पेंशन का संवितरण पूरे देश में फैली सरकारी क्षेत्र की बैंकों की विभिन्न शाखाओं और राज्य के राजकोषों के माध्यम से किया जाता है। चूंकि आश्रित परिवार पेंशन के अन्तरण की शक्ति संवितरण करने वाले प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित की गई है, इसलिए जीवित और सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा राजकोषों से पेंशन प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सम्मान पेंशनधारियों/पात्र आश्रितों के आंकड़े वर्ष 2010 में प्राप्त किए गए थे। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए गए कुछ आंकड़ों की संवीक्षा की गई थी। पेंशन के संवितरण में पाई गई विसंगतियों की सूचना बैंकों को दी गई थी और उन्हें आंकड़ों को संशोधित करने तथा उसे गृह मंत्रालय को भेजने की सलाह दी गई थी।

13.35.3 पिछले कुछ महीनों में, मंत्रालय ने पेंशन संवितरित करने वाले सभी 25 बैंकों और 22 राज्य सरकारों के साथ अनेक बैठकें की हैं। काफी प्रयत्न करके, मंत्रालय ने केन्द्रीय सम्मान पेंशनरों के आंकड़े और उनके विस्तृत ब्यौरे प्राप्त कर लिए हैं। इस समय, पेंशन पाने वाले जीवित स्वतंत्रता सेनानियों/पात्र आश्रितों की संख्या 38,669 है। वर्ष 2011 के आरंभ में, सरकारी क्षेत्र के बैंकों और राज्य के खजानों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार यह संख्या लगभग 49,000 थी।

13.35.4 स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन के संवितरण की सरकारी क्षेत्र के बैंकों के साथ सतत समीक्षा की गई है। समीक्षा के दौरान यह ध्यान में आया कि केन्द्रीय सम्मान पेंशन के संवितरण से संबंधित नीतिगत दिशानिर्देशों के बारे में उचित जानकारी न होने के कारण अनेक पेंशनधारी उस धनराशि से कम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं जो उन्हें देय है। ऐसे मामलों में बैंकों को स्वतंत्रता सेनानियों को देय बकाया राशि की गणना करने तथा तत्काल उसका भुगतान करने के निदेश दिए गए। इसी प्रकार कई मामलों में बैंक पेंशनधारी को अधिक राशि का भुगतान कर रहे थे। किए गए अधिक भुगतान की वसूली बैंकों द्वारा कर ली गई है और दिनांक 31.12.2014 तक बैंकों द्वारा किए गए अधिक और गलत भुगतान के संबंध में 33.5 करोड़ रु. केन्द्रीय सरकारी खाते में जमा कराए जा चुके हैं।

13.35.5 आंकड़ों में उपर्युक्त अंतर को देखते हुए तथा यह विचार करते हुए कि केन्द्रीय सम्मान पेंशन की मद में वार्षिक निकासी लगभग 800 करोड़ रु. है, यह सुनिश्चित करना अनिवार्य हो जाता है कि पेंशन, पात्र लाभभोगियों को तथा योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार संवितरित की जाए। इस उद्देश्य के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से केन्द्रीय सम्मान पेंशन के संवितरण के मामले में एजेंसी बैंकों के साथ–साथ राज्य कोषागारों की लेखापरीक्षा करवाने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है।

13.35.6 केन्द्रीय सम्मान पेंशन के भुगतान में एकरुपता लाने तथा अधिक संतुलित आंकड़े रखने के उद्देश्य से पेंशन के भुगतान के लिए सभी पेंशनधारियों को अनिवार्य रुप से राज्य कोषागारों से सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अंतरित करने का निर्णय लिया गया है।

13.35.7 केन्द्रीय सम्मान पेंशन के संवितरण पर प्रभावी निगरानी रखने तथा आंकड़ों को अद्यतन बनाए रखने के लिए मंत्रालय में एक पेंशन संवितरण निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।

13.35.8 केन्द्रीय सम्मान पेंशन को शासित करने वाली नीतियों के बारे में जागरुक करने तथा स्पष्ट जानकारी देने हेतु संशोधित नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं तथा संवितरण प्राधिकारियों में इसे व्यापक रुप से परिचालित किया गया है।

13.35.9 नई दिल्ली में स्थित स्वतंत्रता सेनानी आवास में ट्रांजिट आवास के आबंटन के लिए, दिशानिर्देश को उदार बनाया गया है और इनका सरलीकरण किया गया है। स्वतंत्रता सेनानी आवास को फिर से नया रूप देने का निर्णय भी लिया गया है ताकि इसे और अधिक आरामदायक, वृद्ध–जनों के अनुकूल तथा अतिरिक्त सुविधाओं से युक्त बनाया जा सके।

13.35.10 पेंशन की स्वीकृति से संबंधित आवेदनों के निपटान में और पारदर्शिता लाने के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर नए मामलों, जिनमें स्वतंत्रता सेनानी को पेंशन स्वीकृत की गई होती है, के साथ–साथ अस्वीकृति के कारणों सहित उन मामलों को भी मासिक आधार पर अपलोड किया जाता है, जिन्हें अस्वीकार किया गया होता है।

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

श्रीलंकाई शरणार्थी

13.36 श्रीलंका में जातीय हिंसा और अशांत स्थिति के कारण जुलाई, 1983 और अगस्त, 2012 के बीच विभिन्न चरणों में 3,04,269 श्रीलंकाई शरणार्थी भारत आए।

13.37 शरणार्थियों की निम्नलिखित दो श्रेणियां हैं:–

(i) राज्य विहीन व्यक्ति जिन्होंने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन नहीं किया है अथवा जिन्हें अभी तक श्रीलंका की नागरिकता प्रदान नहीं की गई है; तथा

(ii) श्रीलंकाई नागरिक।

13.38 भारत सरकार का दृष्टिकोण शरणार्थियों के रूप में लोगों की आवाजाही को हतोत्साहित करना है परन्तु यदि इन वर्गों से संबंधित कोई शरणार्थी भारत में आते हैं, तो उन्हें मानवीय आधार पर राहत प्रदान की जाती है। इसका अंतिम लक्ष्य उन्हें श्रीलंका प्रत्यावर्तित किया जाना है। ऐसा प्रत्यावर्तन किए जाने तक उनको राहत प्रदान की जाती है।

13.39 यद्यपि मार्च, 1995 तक 99,469 शरणार्थी श्रीलंका को प्रत्यावर्तित किए जा चुके हैं, तथापि मार्च, 1995 के पश्चात कोई व्यवस्थित प्रत्यावर्तन नहीं हुआ है। तथापि, कुछ शरणार्थी श्रीलंका लौट गए हैं अथवा स्वयं दूसरे देशों में चले गए हैं। दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार, 65,079 श्रीलंकाई शरणार्थी तमिलनाडु में 109 शरणार्थी शिविरों में और उड़ीसा में एक शिविर में रह रहे हैं। इसके अतिरिक्त, लगभग 15,727 शरणार्थी समीप के पुलिस थाने में अपना पंजीकरण कराने के पश्चात् शिविरों के बाहर रह रहे हैं।

13.40 शरणार्थियों के आगमन पर उनका संगरोधन किया जाता है तथा उनके पूर्ववृत्त के पूर्ण सत्यापन के पश्चात् उन्हें शरणार्थी शिविरों में भेज दिया जाता है। प्रत्यावर्तन होने तक इन्हें मानवता के आधार पर कुछ आवश्यक राहत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इन सुविधाओं में शिविरों में शरण, नकद सहायता, सस्ता राशन, वस्त्र, बर्तन, चिकित्सा–देखभाल और शिक्षा संबंधी सहायता शामिल हैं। श्रीलंकाई शरणार्थियों की राहत पर सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है और बाद में भारत सरकार द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति की जाती है। जुलाई, 1983 से 31.12.2014 तक की अवधि के दौरान इन शरणार्थियों को राहत और आवास उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा 725 करोड़ रू. (लगभग) की राशि व्यय की गई है।

13.41 भारत सरकार ने वर्ष 1964, 1974 और 1986 के भारत–श्रीलंका समझौतों के अंतर्गत भारतीय मूल के 5.06 लाख व्यक्तियों को, उनकी संख्या में प्राकृतिक वृद्धि सहित, भारतीय नागरिकता प्रदान करने तथा उनका प्रत्यावासन स्वीकार करने की सहमति प्रदान की थी। इन 5.06 लाख व्यक्तियों में से, 1,16,152 परिवारों के 3.35 लाख व्यक्तियों को 1.26 लाख की उनकी प्राकृतिक वृद्धि सहित अक्तूबर, 1964 से दिसम्बर, 2006 तक प्रत्यावर्तित किया गया था। प्रत्यावर्तित परिवारों को पुनर्वास संबंधी सहायता उपलब्ध कराई गई है। श्रीलंका में अशांत स्थिति के कारण वर्ष 1984 के बाद वहां से कोई संगठित प्रत्यावर्तन नहीं हुआ है। तथापि, स्वयं भारत आने वाले कुछ प्रत्यावासियों को तमिलनाडु में विभिन्न स्कीमों के तहत पुनर्वासित किया जा रहा है।

प्रत्यावासी सहकारी वित्त एवं विकास बैंक लिमिटेड (आर ई पी सी ओ) (रेपको), चेन्नई

13.42 श्रीलंका, म्यांमार, वियतनाम और अन्य देशों के प्रत्यावासियों के पुनर्वास में सहायता करने और इसे बढ़ावा देने के लिए मद्रास सहकारी समिति अधिनियम, 1961 (1961 की सं. 53) (अब बहु–राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002) (2002 की संख्या 39) के तहत वर्ष 1969 में समिति के रूप में रेपको बैंक की स्थापना की गयी थी। बैंक का प्रबंधन निदेशक मंडल करता है। भारत सरकार का प्रतिनिधित्व दो निदेशक करते हैं। बैंक की कुल प्राधिकृत पूंजी 500.25 करोड़ रुपए थी, जिसमें से अंशदान पूंजी की राशि 115.75 करोड़ रुपये है। भारत सरकार ने प्रदत्त पूंजी में 76.32 करोड़ रु. की राशि का योगदान किया है। चार दक्षिणी राज्यों, तमिलनाडु (7.13 करोड़ रू.), आन्ध्र प्रदेश (1.80 करोड़ रु.), कर्नाटक (17.47 लाख रु.) और केरल (61.16 लाख रु.) ने भी शेयर पूंजी में योगदान किया है। प्रत्यावासियों ने 29.72 करोड़ रु. का योगदान किया है।

13.43 इसके उप–नियमों के अनुसार, इस समय रिपको, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। इस बैंक ने भारत सरकार को वर्ष 2013–14 के लिए 20% की दर से लाभांश के रूप में 15.26 करोड़ रू. की राशि का भुगतान किया है। बैंक की लेखापरीक्षा अद्यतन है। वर्ष 2013–14 के लिए रेपको बैंक की लेखा एवं वार्षिक रिपोर्ट लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर क्रमशः दिनांक 16.12.2014 और 17.12.2014 को रखी गई थी।

पुनर्वास बागान लिमिटेड (आरपीएल), पुनालूर, केरल

13.44 पुनर्वास बागान लिमिटेड (आर पी एल) भारत सरकार तथा केरल सरकार के संयुक्त स्वामित्व वाला उपक्रम है। इसका निगमन कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत केरल में रबड़ के बागान लगाकर प्रत्यावर्तित लोगों को श्रमिकों और कर्मचारियों के रूप में पुनः स्थापित करने के लिए वर्ष 1976 में किया गया था। कम्पनी का प्रबंधन, निदेशक मंडल करता है जिसमें भारत सरकार का प्रतिनिधित्व दो निदेशक करते हैं। कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी (31.03.2014 की स्थिति के अनुसार) 339.27 लाख रु. थी। कंपनी में केरल सरकार की इक्विटी 205.85 लाख रु. तथा भारत सरकार की इक्विटी 133.42 लाख रु. है। चूंकि बड़ी शेयरधारक राज्य सरकार है, इसलिए आर पी एल राज्य सरकार

के प्रशासनिक नियंत्रण में है। वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान, कम्पनी ने कर के पश्चात् 1278.83 लाख रू. का लाभ अर्जित किया। कंपनी ने भारत सरकार को वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए 26.68 लाख रूपये के लाभांश का भुगतान किया है। वर्ष 2013–14 के लिए रेपको बैंक की लेखा एवं वार्षिक रिपोर्ट लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर क्रमशः दिनांक 16.12.2014 और 17.12.2014 को रखी गई थी।

तिब्बती शरणार्थी

13.45 वर्ष 1959 में धर्मगुरु दलाई लामा द्वारा तिब्बत छोड़ने के बाद से तिब्बती शरणार्थियों का भारत में आना शुरु हो गया। भारत सरकार ने उन्हें शरण देने के साथ–साथ अस्थायी तौर पर बसाने के लिए सहायता देने का निर्णय लिया। उनकी पृथक जातीय और सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण बनाए रखने का ध्यान रखा गया है।

13.46 धर्मगुरु दलाई लामा के ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2009 में भारत में तिब्बती शरणार्थियों की जनसंख्या 1,10,095 थी। इनमें से अधिकांश शरणार्थी स्व–रोजगार के माध्यम से या कृषि और हथकरघा योजनाओं के तहत सरकार की सहायता से देश के विभिन्न राज्यों में बस गए हैं। इनमें से तिब्बती शरणार्थियों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक (44,468), हिमाचल प्रदेश (21,980), अरुणाचल प्रदेश (7,530), उत्तराखंड (8,545), पश्चिम बंगाल (5,785) तथा जम्मू और कश्मीर (6,920) में हैं। गृह मंत्रालय ने तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास पर दिनांक 31.03.2014 तक 18.81 करोड़ रुपए व्यय किए हैं। तिब्बती शरणार्थियों का पुनर्वास लगभग पूरा हो गया है और उत्तराखंड राज्य में केवल एक शेष आवास योजना कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। इस योजना के लिए अनुमोदित कुल 28.07 लाख रु. के सहायता अनुदान में से, 9 लाख रु. की धनराशि राज्य सरकार को वर्ष 2013–14 के दौरान जारी की गई थी। बजट अनुमान 2014–15 में 18 लाख रु. की धनराशि आवंटित की गई है।

13.47 देश के विभिन्न भागों में बसने वाले तिब्बती शरणार्थियों को केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा दी जा रही विभिन्न सुविधाओं में एकरुपता लाने के उद्देश्य से, मंत्रालय ने दिनांक 20.10.2014 को तिब्बती पुनर्वास नीति, 2014 जारी की है। दिनांक 17.11.2014 को तिब्बती नीति के बारे में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें संबंधित राज्य सरकारों, तिब्बती बस्तियों और सी टी आर सी कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से नीति क्रियान्वित करने तथा देश के विभिन्न राज्यों में प्रवास रहे तिब्बती शरणार्थियों को हरसंभव सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

पाक–अधिकृत कश्मीर के विस्थापित व्यक्तियों, 1947 और छम्ब–नियाबात क्षेत्र के गैर–शिविर विस्थापित व्यक्तियों, 1971 को अनुग्रह राशि की अदायगी

13.48 वर्ष 1947 में जम्मू एवं कश्मीर में पाकिस्तानी आक्रमण के बाद, कश्मीर के पाक अधिकृत क्षेत्र (पी ओ के) से बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन हुआ और पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्रों से पलायन करने वाले वर्ष 1962 तक पंजीकृत 31,619 परिवार जम्मू एवं कश्मीर में बस गए थे। भारत सरकार ने छम्ब–नियाबात क्षेत्र (1971) के गैर–शिविर विस्थापित व्यक्तियों और पाक–अधिकृत कश्मीर (1947) के विस्थापित व्यक्तियों के लिए क्रमशः अप्रैल और अगस्त, 2000 में राहत पैकेजों की घोषणा की थी। पात्र विस्थापित व्यक्तियों के वास्तविक दावों का सत्यापन करने के लिए जम्मू के प्रभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति भी नियुक्त की गई थी। उन्हें निम्नलिखित लाभ उपलब्ध कराए गए हैं:–.

(i) छम्ब–नियाबात क्षेत्र (1971) के गैर–शिविर विस्थापित व्यक्तियों को प्रति परिवार 25,000 रु. की दर से अनुग्रह का भुगतान;

(ii) पाक अधिकृत कश्मीर (1947) के विस्थापित व्यक्तियों को प्रति परिवार 25,000 रु. की दर से अनुग्रह राशि का भुगतान;

(iii) पाक अधिकृत कश्मीर (1947) के विस्थापित व्यक्तियों को प्रति कनाल 25,000 रु. की दर से भूमि की कमी के बदले प्रति परिवार अधिकतम 1.50 लाख रूपये नकद मुआवजे का भुगतान;

(iv) जम्मू और कश्मीर राज्य में पहले ही बस गए विस्थापित लोगों और जिन्हें विगत में भूखंड आबंटित नहीं किए गए हैं, ऐसे लोगों को भूखंड के आबंटन के लिए दिए जाने वाले 2 करोड़ रु. की राशि का भुगतान;

(v) विस्थापित व्यक्तियों की 46 नियमित कालोनियों में नागरिक सुविधाओं में सुधार करने के लिए राज्य सरकार को 25 लाख रु. का भुगतान।

13.49 अनुग्रह राहत/पुनर्वास सहायता के भुगतान के लिए वास्तविक दावेदारों की जांच करने के लिए प्रभागीय आयुक्त, जम्मू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इस समिति ने पाक अधिकृत कश्मीर (1947) के पात्र लाभार्थियों की पहचान करने का कार्य शुरु कर दिया है। जांच किए गए और पात्र परिवारों को संवितरित किए जाने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार को कुल 6.17 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। भारत सरकार ने अप्रैल, 2008 में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पैकेज के अनुसार जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार को दिनांक

24.12.2008 को पाक अधिकृत कश्मीर (1947) के विस्थापित व्यक्तियों को भूमि की कमी के लिए मुआवजे के भुगतान के लिए 49 करोड़ रु. की अतिरिक्त राशि जारी की है। जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार द्वारा यह सूचित किया गया है कि 1947 के पाक अधिकृत कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए जारी की गई कुल 55.17 करोड़ रु. की सहायता में से 31.07 करोड़ रुपए की राशि दिनांक 31.12.2014 तक 2,550 पात्र परिवारों/लाभार्थियों को संवितरित की गई है।

13.50 जहां तक छम्ब–नियाबात क्षेत्र (1971) के गैर–शिविर विस्थापित व्यक्तियों का संबंध है, समिति ने प्रति पात्र परिवार को 25,000 रु. की दर से अनुग्रह भुगतान के लिए कुल 1,965 मामलों में से 1,502 मामलों की जांच कर ली है। राज्य सरकार ने दिनांक 31.12.2014 तक प्रति परिवार 25,000 रूपए के अनुग्रह राशि के भुगतान का संवितरण 1,230 पात्र लाभार्थियों को किया है।

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) के विस्थापित व्यक्तियों (डी पी) के पुनर्वास से संबंधित शेष कार्य

13.51 वर्ष 1946 और 1971 के बीच लगभग 52.31 लाख विस्थापित व्यक्ति (डी पी) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए थे। इनमें से, लगभग 41.17 लाख विस्थापित व्यक्तियों को, जो दिनांक 31.03.1958 तक भारत आए थे, 'पुराने प्रवासी' कहा जाता है और दिनांक 01.01.1964 और 25.03.1971 के बीच आए लगभग 11.14 लाख विस्थापित व्यक्तियों को 'नए प्रवासी' कहा जाता है। 41.17 लाख 'पुराने प्रवासियों' में से, लगभग 31.32 लाख व्यक्ति पश्चिम बंगाल में बस गए। शेष पुराने एवं नए प्रवासियों का भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत देश के विभिन्न राज्यों में पुनर्वास किया गया है।

13.52 पुराने एवं नए प्रवासियों के पुनर्वास के लिए भारत सरकार ने राहत और पुनर्वास के अनेक उपाय किए थे। पुराने प्रवासियों के पुनर्वास का कार्य कुल मिलाकर वर्ष 1960 की समाप्ति तक और नए प्रवासियों के पुनर्वास का कार्य 1980 के अन्त तक पूरा कर लिया गया था। तथापि, इन विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित कुछ शेष योजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। इन शेष योजनाओं में आबादकारों की कॉलोनियों को नियमित करना, पश्चिम बंगाल में ग्रामीण डी पी कॉलोनियों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का प्रावधान करना और मध्य प्रदेश राज्य सरकार के पुराने बकाये के दावों की प्रतिपूर्ति करना शामिल है। दिनांक 20.01.2011 को सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास संबंधी योजना के लिए 79.10 करोड़ रूपये की राशि अनुमोदित की गई है। दिनांक 31.12.2014 तक पश्चिम बंगाल सरकार को 31 करोड़ रूपये की धनराशि जारी कर दी गई है। इस योजना की समय–सीमा मार्च, 2015 तक बढ़ा दी गई है।

शत्रु सम्पत्ति

13.53 पहले वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया जाने वाला शत्रु सम्पत्ति का प्रशासन संबंधी कार्य, भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 में संशोधन किए जाने से भारत के संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा जारी की गई दिनांक 28.06.2007 की अधिसूचना सं. 1/22/4/2007–कैब के माध्यम से गृह मंत्रालय को अंतरित कर दिया गया था।

13.54 भारतीय शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक का कार्यालय इस समय शत्रु सम्पत्ति अधिनियम, 1968 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत कार्य कर रहा है, जो भारतीय शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक में निहित शत्रु सम्पत्ति की सतत अभिरक्षा और प्रबंधन के लिए अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत, दिनांक 10.09.1965 से 26.07.1977 तक निहित करने संबंधी महत्वपूर्ण अवधि के दौरान पाकिस्तानी राष्ट्रिकों से संबंधित अथवा उनकी ओर से धारित अथवा प्रबंध की गईं पूरे भारत में सभी अचल और चल सम्पत्तियां भारतीय शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक में निहित हैं।

13.55 भारतीय शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक का कार्यालय मुंबई में स्थित है और उसका एक–एक शाखा कार्यालय कोलकाता, लखनऊ और दिल्ली में है। दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार, शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक विभिन्न राज्यों में स्थित 14,759 अचल सम्पत्तियों का प्रबंधन कर रहा है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित चल शत्रु सम्पत्ति भी भारतीय शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक, मुम्बई (सीईपीआई) में निहित हैं:

1.	शेयर	2690 करोड़ रु.
2.	एफडीए राजकोषीय बिल और सरकारी स्टॉक	402 करोड़ रु.
3.	सोने और चांदी के गहने	37,54,060 रु.

13.56 वर्ष 1965 और 1971 के भारत–पाक युद्ध के पश्चात्, भारत सरकार ने उक्त युद्धों के दौरान पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के भारतीय राष्ट्रिकों और कंपनियों को उनकी गुम सम्पत्तियों के 25% तक अनुग्रह भुगतान मंजूर करने के लिए दिनांक 15.03.1971 को एक संकल्प संख्या 12/1/1971–ई आई एंड ई पी पारित किया। दिनांक 31.12.2014 तक ऐसे दावेदारों को अनुग्रह भुगतान के रूप में 71.04 करोड़ रु. की राशि प्रदान की जा चुकी है।

13.57 शत्रु सम्पत्ति अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के अनुसार, अभिरक्षक में निहित सम्पत्तियों से अर्जित आय के 2% के बराबर शुल्क लगाया जाता है और उसे केन्द्रीय सरकार के पास जमा किया जाता है। तदनुसार, भारत की समेकित निधि में वर्ष 1965 से दिनांक 31.12.2014 तक 9.25 करोड़ रु. (2% लेवी के रूप में) जमा किए जा चुके हैं।

13.58 शत्रु सम्पत्ति (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) द्वितीय विधेयक, 2010 दिनांक 15.11.2010 को लोक सभा में पेश किया गया था। विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति से संबंधित नियमों के अनुसरण में, राज्य सभा के सभापति ने दिनांक 30.12.2010 को शत्रु संपत्ति (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) द्वितीय विधेयक, 2010 की जांच करने और रिपोर्ट भेजने के लिए समिति को भेज दिया। समिति ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 01.11.2011 को प्रस्तुत कर दी है। समिति ने सिफारिश की है कि सरकार मौजूदा विधेयक को वापस ले सकती है और समिति के विचारों और टिप्पणियों को शामिल करके एक नया विधेयक संसद के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। तथापि, विधेयक को वापस न लेने और राजनैतिक दलों के विभिन्न वर्गों के नेताओं से मामले पर विचार–विमर्श करके विधेयक में उचित संशोधन करने का निर्णय लिया गया। राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ विचार–विमर्श की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। इस बीच संसदीय कार्य मंत्रालय ने अपने दिनांक 21.05.2014 के पत्र सं. एफ.79(1)/2014–विधा–। के तहत यह सूचित किया है कि 15वीं लोक सभा के भंग होने के साथ ही उपर्युक्त विधेयक व्यपगत हो गया है।

13.59 भारतीय शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक कार्यालय की दो नई शाखाएं लखनऊ (जिसने जनवरी, 2014 से कार्य करना आरंभ कर दिया है) तथा दिल्ली (जिसने अक्तूबर, 2014 से कार्य करना आरंभ कर दिया है) में खोली गई हैं, जिनके प्रमुख सहायक शत्रु संपत्ति अभिरक्षक हैं।

13.60 व्यवस्थित तरीके से देशव्यापी सर्वेक्षण करके विभिन्न राज्यों में अधिक से अधिक शत्रु संपत्ति का पता लगाने के लिए सर्वेक्षकों/प्रबंधन विशेषज्ञों के निम्नलिखित पद स्वीकृत/नियुक्त किए गए हैं:–

कार्यालय	अकाउंटेन्सी/प्रबंधन विशेषज्ञों की संख्या		सर्वेक्षकों की संख्या	
	स्वीकृत	नियुक्त	स्वीकृत	नियुक्त
मुम्बई शाखा	06	06	16	16
कोलकाता शाखा	04	04	20	16
लखनऊ शाखा	03	03	37	17
दिल्ली	02	02	10	01
कुल	**15**	**15**	**83**	**50**

13.61 नई शत्रु संपत्तियों की पहचान हेतु पांच राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, मध्य प्रदेश और केरल में सर्वेक्षण कार्य आरंभ हो गया है।

*****

अध्याय 14

भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त

14.1 भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय (ओआरजी एण्ड सीसीआई) गृह मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। यह कार्यालय निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी है :

(i) **मकानों तथा जनसंख्या की गणना:** भारत के जनगणना आयुक्त एक ऐसे सांविधिक प्राधिकारी हैं जिन्हें जनगणना अधिनियम, 1948 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत भारत में मकानों एवं जनसंख्या की गणना करवाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इस कार्यालय पर क्षेत्र संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाने, समन्वय, पर्यवेक्षण; आंकड़ा संसाधन; जनगणना परिणामों के सारणीकरण, संकलन और प्रसार का उत्तरदायित्व है।

(ii) **सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (सीआरएस):** जन्म एवं मृत्यु का रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1969 के अंतर्गत जनगणना आयुक्त को भारत के महारजिस्ट्रार (आरजीआई) के रूप में भी नामोद्दिष्ट किया गया है। इस भूमिका में, वह देश में सिविल रजिस्ट्रीकरण और जीवनांक प्रणाली के कार्यकरण का समन्वय करता है।

(iii) **सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एसआरएस):** हर छमाही में सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एसआरएस), जो जन्म एवं मृत्यु संबंधी घटनाओं का एक वृहद सैम्पल सर्वे है, के संचालन का उत्तरदायित्व भी इसी कार्यालय का है। एसआरएस देश में राज्य स्तर पर जन्म–दर, मृत्यु–दर, शिशु मृत्यु–दर तथा मातृ मृत्यु–दर जैसी जन्म एवं मृत्यु दरों का एक मात्र स्रोत है।

(iv) **राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर):** भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता (रजिस्ट्रीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी किया जाना) नियमावली, 2003 के तहत महारजिस्ट्रार, नागरिक रजिस्ट्रीकरण (आरजीसीआर) के सांविधिक कार्य का भी निर्वहन करते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर), जो भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने की दिशा में पहला कदम है, को उपर्युक्त संविधि के प्रावधानों के तहत तैयार किया जा रहा है।

(v) **वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण(एएचएस):** यह योजना, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा योजना आयोग के अनुरोध पर बनाई गई है। इसे जिला–स्तर पर जन्म एवं मृत्यु तथा स्वास्थ्य विषयक प्रमुख संकेतकों के मानदण्ड संबंधी परिणाम प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया है।

(vi) **सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना:** भारत सरकार, पूरे देश में सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना करवा रही है। जहां एक ओर भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय क्रमशः ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के संबंध में नोडल मंत्रालय हैं, वहीं दूसरी ओर भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, संपूर्ण संभारतंत्रीय तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध करवा रहा है।

(vii) **मातृभाषा–सर्वेक्षण:** जनगणना 2001 में बताई गई अवर्गीकृत मातृभाषाओं के सर्वेक्षण की प्रक्रिया चल रही है।

(viii) **भाषायी सर्वेक्षण:** भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही भारत के भाषायी सर्वेक्षण की परियोजना निरन्तर चलती रहने वाली परियोजना है।

जनगणना 2011

14.2 भारत में वर्ष, 1872 से नियमित दशकीय जनगणनाओं की एक लंबी परम्परा रही है। जनगणना 2011, देश की 15वीं तथा स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद की 7वीं जनगणना है।

14.3 जनसंख्या की गणना देश में सबसे बड़ी प्रशासनिक कवायद है जिससे जनसंख्या के विभिन्न सामाजिक–आर्थिक मानदण्डों के संबंध में महत्वपूर्ण आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। जनगणना संबंधी कार्य दो चरणों, अर्थात् मकानसूचीकरण और मकानों की गणना तथा जनसंख्या की गणना, में किया जाता है। जनगणना 2011 का प्रथम चरण– मकानसूचीकरण और मकानों की गणना, अप्रैल–सितम्बर, 2010 में आयोजित किया गया तथा दूसरा चरण– जनसंख्या की गणना, फरवरी–मार्च, 2011 में आयोजित किया गया। जनगणना 2011 के प्रथम चरण में

परिवारों के संबंध में आवासों की मात्रा एवं गुणवत्ता, उपलब्ध सुविधाओं, स्वामित्व के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों जैसे सामाजिक–आर्थिक और जनसांख्यिकीय मानदण्डों विषयक आंकड़े एकत्र किए गए जबकि द्वितीय चरण के दौरान व्यक्तियों के संबंध में आयु, लिंग, साक्षरता, धर्म, निःशक्तता, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, भाषाओं/मातृभाषाओं, आर्थिक गतिविधि की स्थिति तथा स्थान–परिवर्तन इत्यादि से संबंधित आंकड़े एकत्र किए गए हैं।

14.4 विभिन्न सामाजिक–आर्थिक कार्यक्रमों संबंधी योजना बनाने में उपयोग करने हेतु देश के लिए परिणाम तैयार करने वाली प्रत्येक जनगणना के दौरान एकत्र किए गए वृहत आंकड़ों का समय पर संसाधन करना सदैव से ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। विगत में प्रत्येक जनगणना के दौरान जनगणना के आंकड़ों के तेजी से संसाधन और संकलन के लिए उपलब्ध अद्यतन सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों/प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना आवश्यक हो गया है। यद्यपि सभी जनगणनाओं के दौरान फील्ड से आंकड़ों को एकत्र करने का प्रतिशत शत–प्रतिशत था लेकिन 1991 तक इसके कम्प्यूटराइजेशन का स्तर 5 से 45 प्रतिशत तक रहा है। ऑप्टिकल मार्क रीडर (ओएमआर)/ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन (ओसीआर)/इन्टेलिजेन्ट करेक्टर रिकग्निशन (आईसीआर) इत्यादि जैसे अत्याधुनिक आईटी टूल्स के आविष्कार के पश्चात, 2001 की जनगणना के समय पहली बार इन आईटी टूल्स के माध्यम से लगभग 100% आंकड़े एकत्र किए गए तथा पूर्ववर्ती जनगणनाओं, जिनमें रिपोर्टें जारी करने में 8–11 वर्ष तक का समय लग जाता था, की तुलना में 4–5 वर्षों की अवधि के भीतर रिपोर्टें जारी कर दी गईं। जनगणना 2011 में भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने अपने लिए अत्यधिक उच्चस्तरीय मानदंड निर्धारित किया है। इसका उद्देश्य जनगणना परिणामों की गुणवत्ता को बनाए रखने और उन्हें शीघ्रतापूर्वक जारी किए जाने के अतिरिक्त, जनगणना अनुसूची में दर्ज की गई 100% सूचना को आईसीआर प्रौद्योगिकी के माध्यम से डिजिटल रूप में परिवर्तित करना है।

14.5 जनगणना 2011 पर आधारित अनन्तिम जनसंख्या के योग मार्च, 2011 में तीन सप्ताह की रिकार्ड अवधि में जारी कर दिए गए, इनके पश्चात जनसंख्या का ग्रामीण–शहरी वितरण जारी किया गया। तदनन्तर, बड़ी संख्या में डाटासेट जारी किए गए हैं जिनका ब्यौरा **अनुलग्नक–XV** में दिया गया है। केवल इसी वर्ष में ही 45 डाटासेट जारी किए गए हैं।

भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित नगर मानचित्रण

14.6 जनगणना करने की एक पूर्व–शर्त के रूप में बिना किसी चूक और दोहराव के जनगणना आयोजित करने के लिए जनगणना से पहले और बाद में किए जाने वाले मानचित्रण कार्यों के रूप में विभिन्न प्रकार के मानचित्र तैयार किए जाते हैं। देश के समग्र भौगोलिक क्षेत्र को उपयुक्त रूप से समाहित करने के लिए जनगणना से पहले शुरू किए जाने वाले मानचित्रण से संबंधित कार्य–कलापों में राज्यों, जिलों, उप–जिलों, गांवों, नगरों और वार्डों की प्रशासनिक इकाइयों को दर्शाने वाले मानचित्रों को तैयार करने और अद्यतन करने का कार्य शामिल है। जनगणना के पश्चात किए जाने वाले मानचित्रण से संबंधित कार्यों में विभिन्न प्रकाशनों अर्थात आवास एटलसों, जनगणना एटलसों, जिला जनगणना पुस्तिकाओं (डीसीएचबीएस), पीसी, संबंधी मानचित्र/एटलस तथा सारणीकरण योजना के अनुसार जनगणना संबंधी अन्य प्रकाशनों के लिए जनगणना के आंकड़ों संबंधी थीमैटिक मानचित्र तैयार किया जाना शामिल है। प्रत्येक जनगणना के दौरान, यह संगठन दस हजार से अधिक प्रशासनिक और थीमैटिक मानचित्र तैयार करता है जो प्रयोक्ता अभिकरणों, विभागों, शिक्षाविदों, योजनाकारों, अनुसंधानकर्ताओं, विद्यार्थियों और नीति–निर्माताओं को उपलब्ध करवाए जाते हैं।

14.7 उपर्युक्त क्रियाकलापों के अतिरिक्त भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय तथा जनगणना कार्य निदेशालयों के डाटा केन्द्रों में जनगणना 2011 के लिए तैयार किए गए सभी मानचित्रों की एक सेन्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक डिपाजिटरी स्थापित की गई है। मानचित्र संसाधनों में सभी स्तरों के प्रशासनिक मानचित्रों के अलावा, हाथ से तैयार किए गए 25 लाख से अधिक रेखाचित्रों की स्कैन्ड इमेज शामिल हैं जो शासन व्यवस्था संबंधी कार्यकलापों में असीम उपयोग वाली हैं। अब तक जनगणना, 2011 के निम्नलिखित मानचित्र प्रकाशित किए जा चुके हैं:–

i) भारतीय प्रशासनिक एटलस 2011, राष्ट्रीय खंड।

ii) राज्य/संघ राज्य प्रशासनिक एटलस 2011

iii) प्रशासनिक इकाइयों की सीमा में परिवर्तन संबंधी एटलस 2001–2011, राष्ट्रीय खण्ड।

iv) जनगणना 2011–पर आधारित एटलस आन स्टेट ऑफ इंडियाज चिल्ड्रन–विषयक एक प्रस्तुतीकरण– राष्ट्रीय खण्ड।

v) मकानों, परिवार संबंधी सुख–सुविधाओं और परिसम्पत्तियों पर एटलस– जनगणना 2011– राष्ट्रीय और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र खण्ड।

vi) प्राथमिक जनगणना सार (पीसीए) संबंधी एटलस, 2011

vii) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्राथमिक जनगणना सार संबंधी एटलस 2011

viii) ई.बुक एटलस : डिस्ट्रिक्ट एट ए ग्लांस।

ix) पंचायत एटलस–2011, केरल राज्य।

14.7.1 आंकड़ा प्रयोक्ताओं के बीच इस जानकारी के प्रसार के लिए वेक्टर डाटा सहित इन सभी प्रकाशनों को डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के लिए एनआईसी स्थित ओआरजी एण्ड सीसीआई सर्वर पर अपलोड कर दिया गया है। ये एटलस मुख्यतः दशकीय प्रकाशन हैं। अस्थायी आवश्यकता के अनुसार कभी–कभी कुछ विशेष खण्ड भी प्रकाशित किए जाते हैं।

14.8 जनगणना संबंधी कार्य की गुणवत्ता और कवरेज में सुधार करने तथा उसकी त्वरित पुनःप्राप्ति के लिए जनगणना 2011 में भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) पर आधारित नगर मानचित्रण आरम्भ किया गया। पहली बार विस्तृत वार्ड मानचित्र तैयार किए गए जोकि देश के 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 2132 वार्डों में प्रत्येक मकान/भवन, बड़ी और छोटी सड़कों, गलियों, उप–गलियों तथा सभी महत्वपूर्ण भू–चिह्न संबंधी विशेषताओं को दर्शाते हैं। जीआईएस पर आधारित नगर मानचित्रण की एक महत्वपूर्ण विशेषता, इन शहरों के भीतर सभी क्षेत्रों की पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए पहले से बनाए गए गणना ब्लाकों (ईबी) और पर्यवेक्षी सर्किल को तैयार किया जाना था। जनगणना 2011 के दौरान इसकी उपयोगिता और महत्व के दृष्टिगत हाई रिजोलूशन सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करते हुए विस्तृत वार्ड मानचित्रण को देश के 6 मेगा शहरों और दस लाख से अधिक आबादी वाले 31 शहरों के ग्रोथ पोल सेन्टरों को कवर करने के लिए पुनः विस्तारित किया गया। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केन्द्र, अन्तरिक्ष विभाग से अपेक्षित सैटेलाइट आंकड़े प्राप्त कर लिए गए हैं और जनशक्ति को उपग्रह से प्राप्त चित्रों की विशेषता निष्कर्षण, व्याख्या और विश्लेषण के संबंध में प्रशिक्षित कर दिया गया है।

भारत का मातृभाषा सर्वेक्षण (एमटीएसआई)

14.9 भारत का मातृभाषा सर्वेक्षण (एमटीएसआई) एक विशिष्ट परियोजना है जिसका उद्देश्य देश में बोली जाने वाली सभी मातृभाषाओं का सुव्यवस्थित तरीके से एक इलेक्ट्रॉनिक (श्रव्य/दृश्य) अभिलेख तैयार करना है। इसके पश्चात इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का प्रशिक्षित भाषाविदों द्वारा लिप्यंतरण किया जाता है और भाषा विज्ञान संबंधी सिद्धांतों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक यह पहली बार हुआ है कि ऐसी परियोजना को शुरू किया गया है। अब तक 28 राज्यों में 219 मातृभाषाओं का सर्वेक्षण किया जा चुका है। सभी श्रव्य/दृश्य फाइलों के भण्डारण के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और विश्लेषण के लिए सुव्यवस्थित तरीके से इन्हें पुनः प्राप्त करने हेतु एक साफ्टवेयर भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा विकसित किया जा चुका है। इस योजना का ब्यौरा इस प्रकार हैः–

क) अद्यतन सर्वेक्षण उपकरणों का प्रयोग करते हुए भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय और जनगणना निदेशालयों द्वारा श्रव्य–दृश्य भाषाई फील्ड डाटा का एकत्रीकरण।

ख) सम्पूर्ण भारत वर्ष के विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों के प्रशिक्षित लिप्यंतरकों/भाषाविदों को बाह्य स्रोतों से लेकर विविधिता–वार वीडियोग्राफ्ड भाषाई फील्ड डाटा का लिप्यंतरण और विश्लेषण।

ग) एकल मातृभाषा से वैयक्तिक भाषा/मातृभाषा रिपोर्ट के लिए 4–8 सैम्पल डाटा के विश्लेषण का समेकन और भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों के बाह्य भाषाई विशेषज्ञों/प्रोफेसरों द्वारा इस रिपोर्ट का पर्यवेक्षण।

घ) भारत की मातृभाषा सर्वेक्षण (एमटीएसआई) प्रबन्धन प्रणाली में अपलोडिंग द्वारा प्रतिलेखन–विश्लेषण–रिपोर्ट के साथ वीडियोग्राफ्ड डाटा का परिरक्षण अथवा अभिलेखन विकसित किया गया है।

ङ) भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय के अपने भाषाविदों द्वारा सर्वेक्षण साधनों और सर्वेक्षण निर्देशों का सुधार/अद्यतनीकरण।

च) फील्ड से दिग्दर्शित श्रव्य/दृश्य भाषाई डाटा के एकत्रीकरण के लिए विभिन्न अनुमोदित जनगणना कार्य निदेशालयों (डीसीओ) के अधिकारियों वाली नई सांख्यिकीय टीम (239 के लगभग) के लिए प्रशिक्षण का निष्पादन।

भारत का भाषाई सर्वेक्षण (एलएसआई)

14.10 भारत का भाषाई सर्वेक्षण (एलएसआई), छठी पंचवर्षीय योजना से भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय में अनुसंधान संबंधी एक नियमित क्रियाकलाप रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत दिसम्बर, 2014 तक पहले के प्रकाशनों के अनुक्रम में अब तक एलएसआई–सिक्किम (भाग–I), एलएसआई– सिक्किम (भाग–II) और एलएसआई– राजस्थान (भाग–I) प्रिंट रूप में प्रकाशित किए जा चुके हैं।

14.10.1 जनगणना 2011 के मातृभाषा संबंधी नए विवरणों को युक्तिसंगत बनाने के लिए उनकी जांच की जा रही है।

आंकड़ा प्रसार

14.11 गणना कार्य और आंकड़ा संसाधन के पूरा हो जाने के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण कदम सरकारों, गैर सरकारी संगठनों– राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों, विद्वानों, विद्यार्थियों और अन्य डाटा उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने के लिए इन परिणामों का प्रसार करना है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, जनसंख्या, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, साक्षरों, कामगारों और गैर–कामगारों, मलिन बस्ती डाटा, आयु संबंधी डाटा और मकानों संबंधी डाटा, परिवार संबंधी सुख–सुविधाओं और परिसम्पत्तियों सहित विभिन्न डाटासेटों की उपयोगिता और जारी किए जाने के बारे में आंकड़ा उपयोगकर्ताओं को भिज्ञ बनाए रखने के लिए एक विस्तृत आंकड़ा प्रसार योजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

14.12 डाटासेट निःशुल्क डाउनलोड करने के लिए भारत की जनगणना वेबसाइट http://www.censusindia.gov.in पर अपलोड कर दी गई है। ये कम्पैक्ट डिस्क (सीडी) और कुछ मामलों में मुद्रित खण्डों में भी उपलब्ध करवाई गई हैं।

14.13 भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा शुरू की गई एक और महत्वपूर्ण नवप्रवर्तनकारी

पहल जनगणना से सैम्पल माइक्रो–डाटा लेकर उन पर अनुसंधान करने हेतु कार्यस्थलों की स्थापना करना है। इस कार्यालय ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के दौरान स्थानीय शोध छात्रों के साथ–साथ विश्वविद्यालय की किसी वरिष्ठ फैकल्टी के पर्यवेक्षण के अधीन बाहरी शोध छात्रों के द्वारा भी उपयोग में लाये जाने हेतु इन कार्यस्थलों की स्थापना करने के लिए सोलह विश्वविद्यालयों के साथ करार किया है। शोध छात्रों को सैम्पल (1% और 5%) माइक्रो–डाटा फाइलों की नकल लेने की अनुमति नहीं है किंतु अनुसंधान के लिए इनका उपयोग करने की अनुमति है। नवकृष्ण चौधरी विकास अध्ययन केन्द्र (एनसीडीएस), भुवनेश्वर, पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला, त्रिवेन्द्रम में केरल विश्वविद्यालय, पुणे में गोखले पालिटिक्स एवं इकोनोमिक्स संस्थान, गोवा में गोवा विश्वविद्यालय, श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय और अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय में सात कार्यस्थल पहले से ही कार्य कर रहे हैं। दस अतिरिक्त कार्यस्थल विभिन्न राज्यों में प्रगति के भिन्न–भिन्न स्तरों पर हैं।

14.14 भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने जनगणना, 2011 की प्रमुख बातों के बारे में स्कूल के छात्रों को जागरूक बनाने की विशिष्ट परियोजना प्रारंभ की है। इस परियोजना के लिए देश के प्रत्येक 640 जिलों में 150 स्कूलों का चयन किया गया था और देश भर में एक लाख स्कूल किट स्कूलों में भेजे गए थे।

14.15 भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने भावी पीढ़ियों के प्रयोग के लिए 1872 से प्रकाशित सभी पुरानी जनगणना रिपोर्टों को डिजिटीकृत करने और अभिलेखबद्ध करने की एक अन्य प्रमुख पहल भी की है। इन पुरानी जनगणना रिपोर्टों के 12 लाख से अधिक पृष्ठों को डिजिटीकृत करके माइक्रोफिल्म बनाई जा रही है। दिसम्बर, 2014 के अंत तक लगभग 12 लाख पृष्ठों को पहले ही डिजिटीकृत किया जा चुका है। अध्येताओं और प्रयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग में लाए जाने हेतु डिजिटल अभिलेखों की उपलब्धता के लिए 33 जनगणना कार्य निदेशालयों में से प्रत्येक जनगणना कार्य निदेशालय में कार्यस्थल (वर्क स्टेशन) बनाए जा रहे हैं।

14.16 जनगणना, सिविल रजिस्ट्रेशन और जीवनांक तथा कारटोग्राफी से संबंधित विभिन्न विषयों पर अपने अधिकारियों/कार्मिकों के लाभ के लिए ओआरजी एवं सीसीआई द्वारा दिसम्बर, 2014 में वर्षांत सेमिनारों की एक श्रृंखला आयोजित की गई थी। विश्वविद्यालयों, संस्थानों और सरकारी विभागों के प्रमुख व्यक्तियों को विभिन्न विषयों पर अपने अनुभव बांटने के लिए आमंत्रित किया गया था।

14.17 श्री राजनाथ सिंह, माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री ने भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त तथा यूएनएफपीए द्वारा संयुक्त रूप से तैयार भारत के किशोरों और युवकों से संबंधित एक मोनोग्राफ जारी किया और यूएनएफपीए द्वारा विकसित यूथ–इन्फो वेबपोर्टल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर माननीय मंत्री जी ने जनगणना के डिजिटल पुस्तकालय का भी उद्घाटन किया। यह समारोह 17.07.2014 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

14.18 दिनांक 31.12.2014 तक जारी किए गए जनगणना के आंकड़ों की उपलब्धता और प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से 2014–15 के दौरान देशभर में 39 आंकड़ा प्रसार कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं जिनमें जारी किए गए अद्यतन जनगणना आंकड़ों का विश्लेषण किया गया और चर्चा की गई। इस विश्लेषण में भागीदारी के लिए विभिन्न क्षेत्रों से विद्वान आमंत्रित किए जाते हैं। भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय ने भी देश के विभिन्न भागों में आयोजित 7 पुस्तक मेलों में भाग लिया है।

श्री राजनाथ सिंह, माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त एवं यूएनएफपीए द्वारा संयुक्त रूप से तैयार भारत के किशोरों एवं युवाओं से संबंधित मोनोग्राफ को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 17.7.2014 को आयोजित समारोह में जारी करते हुए

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ में 19.11.2014 को आयोजित जनगणना, 2011 से संबंधित डाटा प्रसार कार्यशाला

अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, 2014 (29.11.2014 – 8.12.2014) कोच्चि में प्रदर्शनी–सह–जनगणना प्रकाशनों की बिक्री

जनगणना संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र (सीआरटीसी)

14.19 उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में जनगणना संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र (सीआरटीसी) की स्थापना भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, विशेषकर दक्षिण एशियाई और अफ्रीकी देशों के प्रतिभागियों को जनगणना पद्धति और इसकी कार्य प्रणाली से संबंधित प्रशिक्षण देने हेतु की गई थी। विभिन्न देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने आरंभ से ही इस केन्द्र का दौरा किया। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इथोपिया से अधिकारियों ने जनगणना के विभिन्न पहलुओं को सीखने के लिए ओआरजी एवं सीसीआई का दौरा किया। भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय से अनेक विशेषज्ञों ने भी जनगणना से संबंधित कार्यकलापों में परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए भिन्न–भिन्न देशों का दौरा किया।

जीवनांक

सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (सीआरएस)

14.20 राज्य सरकारों द्वारा जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण (आर.बी.डी.) अधिनियम, 1969 के अंतर्गत नियुक्त किए गए पदधारियों द्वारा देश में जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण किया जाता है। भारत के महारजिस्ट्रार पूरे देश में रजिस्ट्रीकरण संबंधी कार्यकलापों को समन्वित और एकीकृत करते हैं जबकि मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु इस अधिनियम के उपबंधों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए संबंधित राज्यों में मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी हैं।

14.21 पिछले कुछ वर्षों से रजिस्ट्रीकृत जन्म और मृत्यु के अनुपात में नियमित वृद्धि देखी गई है। देश के संबंध में जन्म का रजिस्ट्रीकरण स्तर बढ़कर 83.6% तक हो गया है, जो पिछले वर्ष से 2011 में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है। दूसरी ओर पिछले वर्ष की तुलना में मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के स्तर में 0.4% की मामूली वृद्धि हुई जो 67.4% तक पहुंच गया। पिछले वर्ष की तुलना में 2011 में अरूणाचल प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में मृत्यु के पंजीकरण के स्तर में गिरावट के कारण राष्ट्रीय स्तर पर मृत्यु के पंजीकरण के स्तर में मामूली वृद्धि हुई है।

14.22 राज्यों में रजिस्ट्रीकरण के स्तर में व्यापक विभिन्नताएं बनी रही हैं। अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल तथा संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी ने जन्म के रजिस्ट्रीकरण का 100% स्तर प्राप्त कर लिया है। गोवा, कर्नाटक, राजस्थान, ओडिशा और संघ राज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, दमन व दीव ने जन्म के रजिस्ट्रीकरण का 90% से अधिक का स्तर प्राप्त कर लिया है। तथापि, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों में यह 70% से भी कम है।

14.23 मणिपुर (+24.0%), पश्चिम बंगाल (+13.3%), बिहार (+13.2%), त्रिपुरा (+10.1%), उत्तराखंड (+5.9%), झारखंड (+4.5%), कर्नाटक (+4.3%) और मध्य प्रदेश (+4.2%) राज्यों में जन्म के रजिस्ट्रीकरण के स्तर में 2010 की तुलना में 2011 में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ (+3.3%), ओडिशा (+3.2%) और सिक्किम (+1.5%) में जन्म के रजिस्ट्रीकरण के स्तर में इस अवधि के दौरान आंशिक वृद्धि हुई है।

14.24 मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के स्तर के दृष्टिगत केरल और मिजोरम राज्यों और अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दमन और दीव, दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्रों ने मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण का 100% स्तर प्राप्त कर लिया है। गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, नागालैंड, पंजाब और तमिलनाडु राज्यों में मृत्यु का 90 प्रतिशत से अधिक रजिस्ट्रीकरण किया जा रहा है। नागालैंड (+8.3%), बिहार (+7.1%), पश्चिम बंगाल (+6.8%), त्रिपुरा (+5.6%), मेघालय (+4.9%), मध्यप्रदेश (+4.3%) और झारखंड (+4.1%) राज्यों में मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण में पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अरुणाचल प्रदेश और बिहार राज्यों में मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण 30% से कम है। छत्तीसगढ़, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और दादरा एवं नगर हवेली को छोड़कर अधिकांश राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में जन्म के रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण का स्तर अपेक्षाकृत निम्न है। मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के निम्न स्तर का अंशतः कारण निवास–स्थान पर हुई मृत्युओं और महिला एवं नवजात शिशुओं की मृत्युओं की रिपोर्ट न करना हो सकता है।

मृत्यु के कारण का चिकित्सीय अनुप्रमाणन

14.25 जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन (आरबीडी) अधिनियम, 1969 के अंतर्गत मृत्यु के कारण का चिकित्सीय अनुप्रमाणन संबंधी योजना (एमसीसीडी) में मृत्यु के कारणों संबंधी आंकड़ों जो कि जनसंख्या की स्वास्थ्य से संबंधित प्रवृत्तियों के अनुवीक्षण के लिए एक अनिवार्य शर्त है, का प्रावधान है। निर्धारित फार्मों में प्राप्त आंकड़े रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के दसवें संशोधन (आईसीडी–10) पर आधारित मृत्यु के कारणों की राष्ट्रीय सूची के अनुसार सारणीकृत किए जाते हैं।

14.26 वर्ष 2011 के लिए ''मृत्यु के कारण का चिकित्सीय अनुप्रमाणन'' संबंधी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 32 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कुल रजिस्ट्रीकृत 48,29,664 मृत्युओं में से कुल 9,65,992 मृत्युओं (5,95,784 पुरुष और 3,70,208 महिला) की चिकित्सीय रूप से अनुप्रमाणित होने की सूचना दी गई है।

14.27 एमसीसीडी का दायरा शहरी क्षेत्र के चुनिन्दा अस्पतालों तक ही सीमित है। एमसीसीडी का सभी संस्थानों तक विस्तार किए जाने के लिए राज्यों द्वारा कदम उठाए जाते हैं।

सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एसआरएस)

14.28 सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एसआरएस) राष्ट्रीय और उप राष्ट्रीय स्तरों पर जन्म दर, मृत्यु दर तथा अन्य प्रजनन और मृत्यु दर संकेतकों का विश्वसनीय आकलन प्रदान करने के लिए एक बड़े पैमाने का जनांकिकी सर्वेक्षण है। एसआरएस एक दोहरे रिकार्ड वाली प्रणाली है तथा इसमें निवासी अंशकालिक गणनाकर्ताओं द्वारा जन्म और मृत्यु की सतत जनगणना और पर्यवेक्षकों द्वारा एक स्वतंत्र अर्धवार्षिक सर्वेक्षण सम्मिलित है। इन स्रोतों से मेल न खाते आंकड़ों को क्षेत्र में पुनः सत्यापित किया जाता है। यह प्रकिया इसे स्व–मूल्यांकन प्रणाली बनाती है। सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली के अंतर्गत क्षेत्र सर्वेक्षण और परिणाम जारी किए जाने के बीच समय–सीमा को घटाकर एक वर्ष से कम कर दिया गया है। यह सर्वेक्षण भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा 1964–65 में कुछ चुनिंदा राज्यों में प्रायोगिक आधार पर आरंभ किया गया था, जो लगभग 3,700 सैम्पल इकाइयों को कवर करते हुए वर्ष 1969–70 में पूरी तरह से संचालित हो गया। जन्म और मृत्यु दरों में परिवर्तनों का अनुवीक्षण करने के उद्देश्य से, एसआरएस सैम्पलिंग फ्रेम को इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार करने और इस प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने संबंधी प्रयासों के अतिरिक्त हर दस वर्ष में संशोधित किया जाता है। पिछली रजिस्ट्रीकरण प्रणाली में सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में फैली हुई 7,597 सैम्पल इकाइयां (4,433 ग्रामीण और 3,164 शहरी) हैं, जिनके दायरे में 1.5 मिलियन परिवार तथा लगभग 7.44 मिलियन जनसंख्या आती है जो 2001 जनगणना पर आधारित है और 01.01.2004 से 31.12.2014 तक प्रभावी है।

14.29 जनगणना, 2011 के आधार पर 1.1.2014 से 8,861 सैम्पल यूनिटों (ग्रामीण, 4,964 और शहरी 3,897) का चयन किया गया है)। इन नए चयनित सैम्पलों पर आधारभूत सर्वेक्षण किया जा रहा है। लैपटाप/कम्प्यूटरों पर सीधे ही आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। हाथों से पकड़े जाने वाले उपकरण से प्रत्यक्ष डाटा संग्रह के माध्यम से छमाही सर्वेक्षण किया जाएगा। इससे प्रक्रिया में कम समय लगेगा और परिणामस्वरूप एसआरएस रिपोर्टें शीघ्र जारी होंगी।

14.30 सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एसआरएस) के अंतर्गत, सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में एसआरएस बुलेटिन–2014 जारी कर दिया गया है। वर्ष 2013 के लिए जन्म दर, मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर के बारे में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग–अलग आकलन जारी कर दिए गए हैं, जो **अनुलग्नक–XVI** में दिए गए हैं। वर्ष 2013 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख निष्कर्ष निम्नवत् हैं :–

(i) प्रति 1000 की जनसंख्या पर आशोधित जन्म दर (सीबीआर) 21.4 है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 22.9 और शहरी क्षेत्रों में 17.3 है। अपेक्षाकृत बड़े राज्यों में, सीबीआर केरल में सबसे कम (14.7) और बिहार में सर्वाधिक (27.6) है।

अनुमानित जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, 1971–2013

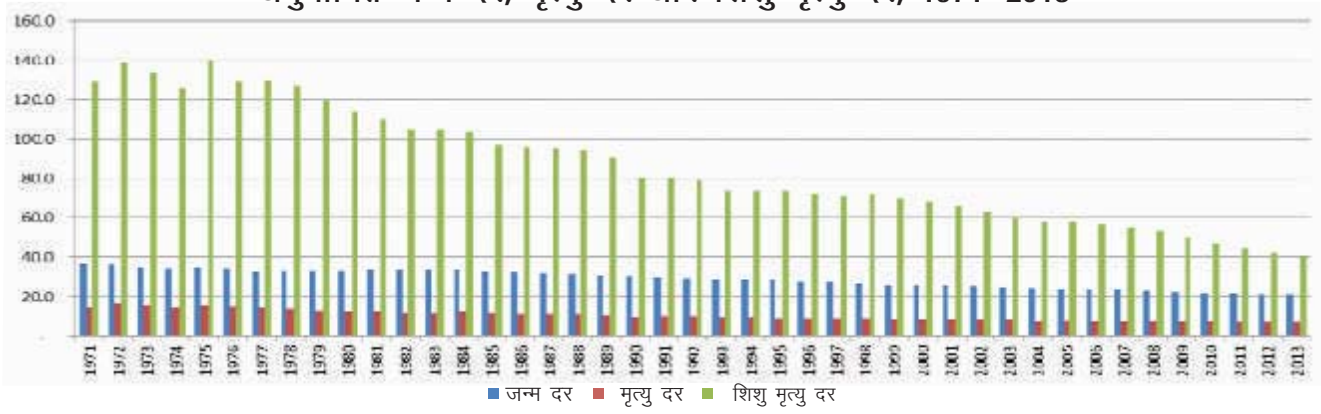

(ii) प्रति 1000 की जनसंख्या पर आशोधित मृत्यु दर (सीडीआर) 7.0 है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 7.5 तथा शहरी क्षेत्रों में 5.6 है। अपेक्षाकृत बड़े राज्यों में दिल्ली में सबसे कम (4.1) और ओडिशा में सर्वाधिक (8.4) है।

(iii) जन्म के दौरान प्रति 1000 जीवित नवजात के संबंध में नवजात मृत्यु दर (आईएमआर) 40 (< एक वर्ष) है; जो ग्रामीण क्षेत्रों में 44 तथा शहरी क्षेत्रों में 27 है। अपेक्षाकृत बड़े राज्यों में केरल ने यह नवजात मृत्यु दर निम्नतम (12) दर्ज की है जबकि असम और मध्य प्रदेश ने सर्वाधिक (54) दर्ज की है।

14.31 उपर्युक्त के अलावा, एसआरएस सांख्यिकीय रिपोर्ट–2013, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ पांच वर्ष की आयु से कम की मृत्यु दर, जन्म के समय लिंगानुपात, कुल प्रजननता दर शामिल है, को रिलीज किया जा चुका है। वर्ष 2013 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

- 2013 में, देश में पांच वर्ष की आयु से कम के संबंध में मृत्यु दर 2012 की तुलना में 3 अंकों की गिरावट दर्शाती है (2012 में 52 की तुलना में 2013 में 49 है) । इस अवधि के दौरान पांच वर्ष की आयु से कम की मृत्यु दर पुरूषों के संबंध में 2 अंक और महिलाओं के संबंध में 3 अंक की गिरावट दर्शाती है।
- देश में जन्म के समय लिंगानुपात 2010–2012 में 908 थी जो एक अंक बढ़कर 2011–2013 में 909 हो गई। छत्तीसगढ़ ने जन्म के समय सबसे अधिक लिंग अनुपात रिपोर्ट किया है (970) जबकि हरियाणा में सबसे कम है (864)।
- देश में कुल प्रजननता दर 2012 में 2.4 की तुलना में 2013 में 2.3 तक पहुंच गई है । 2013 के दौरान बिहार ने सबसे अधिक कुल प्रजननता दर रिपोर्ट की है (3.4) जबकि पश्चिम बंगाल ने सबसे कम प्रजननता दर रिपोर्ट की है (1.6)।

14.32 सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एसआरएस) के अंतर्गत भारत में मातृ मृत्यु दर संबंधी विशेष बुलेटिन 2010–12 जारी

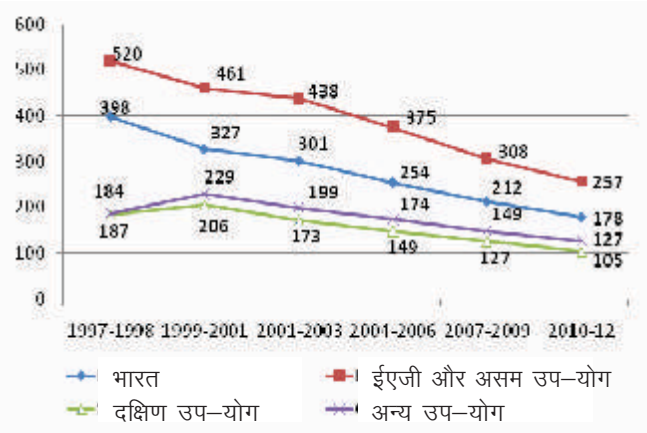

क्षेत्रों के आधार पर मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) के स्तर, 1997–2012

कर दिया गया है । भारत में मातृ मृत्यु अनुपात 2007–2009 के 212 से घटकर 2010–12 में 178 रह गया है। अधिकार प्राप्त कार्य दल (ईएजी) राज्यों और असम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गिरावट 308 से 257 तक की रही है । दक्षिणी राज्यों में यह गिरावट 127 से 105 और अन्य राज्यों में 149 से 127 रह गई है।

14.33 2007–11 और 2008–12 के लिए एसआरएस आधारित संक्षिप्त जीवन सारणियां इस वर्ष रिलीज कर दी गई हैं। इस अवधि के लिए भारत और बड़े राज्यों में लिंग और आवास के संबंध में जीवन प्रत्याशा **अनुलग्नक–XVII** और **अनुलग्नक–XVIII** में दी गई हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2007–11 में 66.5 वर्ष थी और 2008–12 में 67.0 वर्ष थी जोकि 37 सालों के दौरान 17.3 वर्षों की वृद्धि दर्शाती है। पुरूषों के लिए 2008–12 में 65.4 वर्ष थी जबकि महिलाओं के लिए 68.8 थी । बड़े राज्यों 2008–12 के लिए जीवन प्रत्याशा केरल में सबसे अधिक (74.7 वर्ष) और असम में सबसे कम (62.7 वर्ष) थी। 2008–12 में ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 65.8 वर्ष थी, पुरूषों के लिए 64.2 वर्ष और महिलाओं के लिए 67.6 वर्ष थी। शहरी क्षेत्रों में 2008–12 के लिए जीवन प्रत्याशा 70.6 वर्ष, पुरूषों के लिए 69.0 वर्ष और महिलाओं के लिए 72.4 वर्ष थी ।

वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (ए.एच.एस.)

14.34 वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (ए.एच.एस.) को राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा योजना आयोग के अनुरोध पर तैयार किया गया ताकि जिला स्तर पर जीवनांक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुख्य सूचकांक मिल सकें और इस तरह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के अंतर्गत हो रहे हस्तक्षेपों सहित स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न हस्तक्षेपों की प्रभावकारिता के आकलन के लिए इनमें हो रहे परिवर्तनों को सतत आधार पर मापा जा सके । वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण अन्य बातों के साथ–साथ अशोधित जन्म दर (सी.बी.आर.), अशोधित मृत्यु दर (सी.डी.आर.), शिश मृत्यु दर (आई.एम.आर.), कुल प्रजननता दर (टी.एफ.आर.), मातृ मृत्यु दर (एम.एम.आर.), जन्म पर लिंग अनुपात संबंधी सूचकांक तथा मातृत्व एवं शिशु देख–रेख, परिवार नियोजन पद्धतियों इत्यादि पर कई अन्य सूचकांक सृजित करेगा और इनमें वर्ष–दर–वर्ष आधार पर होने वाले परिवर्तनों को उपयुक्त स्तर पर संकलित करेगा। वर्ष 2010–2011 से प्रारंभ हुई अभियान अवधि 2007–2012 के दौरान ए.एच.एस. को अधिकार प्राप्त कार्य समूह (ई.ए.जी.) राज्यों (बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड) तथा असम (इसके पश्चात ए.एच.एस. राज्यों के रूप में संदर्भित) के सभी 284

जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है । इस सर्वेक्षण को प्रति वर्ष 20,694 सांख्यिकीय रूप से चयनित सैंपल इकाइयों में किया जाता है (शहरी क्षेत्रों के मामले में जनगणना गणना ब्लाक और ग्रामीण क्षेत्रों में 2000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों के संबंध में गांव अथवा उनका कोई हिस्सा) जो नौ (9) ए.एच.एस. राज्यों में फैले हुए हैं और कुल लगभग 20.61 मिलियन जनसंख्या तथा 4.28 मिलियन परिवारों (2001 की जनगणना अनुसार) को कवर करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में प्रत्येक जिले में किसी गांव में लगभग 1000 की जनसंख्या वाली लगभग 70 सैंपल इकाइयों और शहरी क्षेत्र में एक गणना ब्लाक की 650 इकाइयों को कवर किया जाएगा। तथापि, वर्ष 2012–13 में सर्वेक्षण के अंतिम चक्र (द्वितीय अद्यतनीकरण) में कुल 20.94 मिलियन जनसंख्या और 4.32 मिलियन परिवारों को वास्तविक रूप में कवर किया गया है।

14.35 बेस–लाइन सर्वेक्षण का ए.एच.एस. बुलेटिन वर्ष 2011 में जारी किया गया जिसमें 9 मुख्य जीवनांक सूचकांक अर्थात अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, पांच साल से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु दर, जन्म पर लिंग अनुपात इत्यादि के संबंध में जिला स्तरीय आंकड़े थे, जिले–वार विस्तृत फैक्टशीट जुलाई, 2012 में जारी की गई जिसमें बेस–लाइन सर्वेक्षण के संबंध में कुल प्रजननता दर, गर्भपात, परिवार नियोजन पद्धतियां, प्रसव–पूर्व देख–रेख, प्रसव देख–रेख, प्रसवोत्तर देख–रेख, टीकाकरण, बच्चों की बीमारियां, स्तनपान एवं अनुपूरण, जन्म रजिस्ट्रीकरण, निःशक्तता, चोट, मृत्य दर, व्यक्तिगत आदतें इत्यादि के शेष 152 सूचकांकों के आंकड़े शामिल थे । तत्पश्चात पहले अद्यतनीकरण सर्वेक्षण की बुलेटिन और फैक्टशीट क्रमशः मई, 2013 और दिसम्बर, 2013 में जारी की गई । दूसरी अद्यतनीकरण सर्वेक्षण बुलेटिन मार्च, 2014 में जारी की गई और दूसरी अद्यतनीकरण फैक्ट शीट जुलाई, 2014 में जारी की गई।

14.36 दूसरे अद्यतनीकरण सर्वेक्षण की ए.एच.एस. फैक्ट शीट, जो कि ए.एच.एस. का अंतिम प्रकाशन है, की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:–

i) कुल प्रजननता दर (टीएफआर) उत्तराखण्ड में 2.1 से लेकर बिहार में 3.5 तक है। 284 जिलों में यह पिथौरागढ़ में 1.7 से लेकर श्रावस्ती में 5.4 तक का अंतर दर्शाती है। 284 जिलों में से 35 ने 2.1 का प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त कर लिया है। 2.4 के वर्तमान राष्ट्रीय स्तर (एसआरएस 2012) से कम टीएफआर 63 जिलों में रिपोर्ट हुई है।

ii) परिवार नियोजन पद्धति का वर्तमान उपयोग बिहार के 41.2 प्रतिशत से राजस्थान में 70.2 प्रतिशत के मध्य है। जिलों में, सीवान (बिहार) में 27.9 से लेकर हनुमानगढ़ (राजस्थान) में 90.4 प्रतिशत जिला स्तर पर 4 गुना परिवर्तन दर्शाता है।

iii) कुल अपूर्ण आवश्यकता असम में न्यूनतम 13.1 प्रतिशत और बिहार में 31.5 प्रतिशत है। 284 जिलों में राजस्थान के हनुमानगढ (4.2 प्रतिशत) और बिहार में सीवान (56.4 प्रतिशत) में सबसे अधिक हैं।

iv) पूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल (एएनसी) में उत्तर प्रदेश में न्यूनतम कवरेज 6.8 प्रतिशत और ओडिशा में उच्चतम कवरेज 27.8 प्रतिशत है। पूर्ण एएनसी कवरेज में 3 अथवा अधिक एएनसी, कम से कम एक टीटी इंजेक्शन और 100 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए आयरन और फॉलिक एसिड (आईएफए) गोलियों का सेवन शामिल है। पूर्ण एएनसी कवरेज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर (1.0) में न्यूनतम और ओडिशा के जगतसिंहपुर (54.6) में उच्चतम है।

v) सुरक्षित प्रसव झारखण्ड में 56.2 प्रतिशत से मध्य प्रदेश में 89.8 प्रतिशत के मध्य है। जिलों में पाकुड़ (झारखण्ड) में 38.5 प्रतिशत से इन्दौर (मध्य प्रदेश) में 97.9 प्रतिशत के मध्य है। सुरक्षित प्रसव में डॉक्टर/नर्स/एएनएम/एलएचपी से सहायता प्राप्त संस्थागत प्रसव और आवासीय प्रसव शामिल हैं।

vi) पूर्ण टीकाकरण उत्तर प्रदेश में 52.7 प्रतिशत से लेकर उत्तराखण्ड में 79.6 प्रतिशत के मध्य है। बच्चों को पूरी तरह टीकाकरण प्राप्त तभी माना जाता है जब उन्हें ट्यूबरकुलोसिस, डीपीटी और पोलियो के 3 डोस और मीसल्स के 1 डोस टीकाकरण प्राप्त हो। जिलों में, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में यह न्यूनतम (24.9 प्रतिशत) प्रतिवेदित हुआ। तथापि, उच्चतम (92.1 प्रतिशत) राजस्थान के हनुमानगढ़ से प्रतिवेदित हुआ।

vii) संस्थागत प्रसव छत्तीसगढ़ में 39.5 प्रतिशत से लेकर मध्य प्रदेश में 82.6 प्रतिशत के मध्य है। 4 गुना से अधिक की परिवर्तनशीलता दिखाते हुए कावर्धा (छत्तीसगढ़) में न्यूनतम (23.8 प्रतिशत) संस्थागत प्रसव रिकार्ड हुआ जबकि जगतसिंहपुर (ओडिशा) में सबसे अधिक (95.9 प्रतिशत) रिकार्ड हुआ। 114 जिलों में संस्थागत प्रसव 60% से कम है।

viii) जननी सुरक्षा योजना का लाभ उठाने वाली माताओं (जेएसवाई) के संबंध में प्रतिशत कवरेज झारखण्ड में 23.9 से लेकर मध्य प्रदेश में 72.9 प्रतिशत के मध्य है।

ix) 6 से 35 माह की आयु वाले बच्चों को विटामिन ए अनुपूरण, श्रावस्ती (उत्तर प्रदेश) में 16.1 प्रतिशत से लेकर बांसवाड़ा (राजस्थान) में 87.5 प्रतिशत के बीच है। 284 जिलों में से 197 जिलों में 50 प्रतिशत से अधिक कवरेज रिपोर्ट हुई है।

x) 6 से 35 माह की आयु वाले बच्चों को आईएफए अनुपूरण, पिछले 3 महीनों में राजस्थान में 11.6 प्रतिशत और छत्तीसगढ़ में 42.7 प्रतिशत तक रहा।

xi) 6 महीनों तक केवल स्तनपान करने वाले बच्चों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में 20.8 प्रतिशत और छत्तीसगढ़ में 50.8 प्रतिशत रहा।

14.37 एकबारगी किया जाने वाला क्लीनिकल, एंथ्रोपोमैट्रिक और बायो–केमिकल (कैब) सर्वेक्षण, जो कि वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण का एक अपरिहार्य हिस्सा है, 9 वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (ए.एच.एस.) राज्यों, जो लगभग 3.74 लाख परिवार और लगभग 16.83 लाख की जनसंख्या को सम्मिलित करते हुए पोषण और स्वास्थ्य संबंधी कमजोर सूचकांकों के लिए जाने जाते हैं, के 284 जिलों में अल्प और अधि–पोषण, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमियों, मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसे जीवन शैली संबंधी रोग और खाली पेट उच्च शर्करा की मात्रा के बारे में जिला–विशिष्ट जानकारी के संग्रहण के लिए, अक्तूबर, 2013 में प्रारंभ किया गया था। यह सर्वेक्षण 31.12.2014 को पूरा हो चुका है और आंकड़ा प्रविष्टि का कार्य प्रगति पर है।

देश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर)

14.38 नागरिकता अधिनियम, 1955 में 2003 में संशोधन किया गया और धारा 14 क अंतर्वेशित की गई, जिसमें यह व्यवस्था है कि ''केन्द्रीय सरकार भारत के प्रत्येक नागरिक को रजिस्टर करे और उसे राष्ट्रीय पहचान कार्ड जारी करे''। भारत के महारजिस्ट्रार को अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय रजिस्ट्रेशन प्राधिकारी/महारजिस्ट्रार, नागरिक रजिस्ट्रेशन के रूप में पदनामित किया गया है। साथ–साथ नागरिकता (रजिस्ट्रेशन एवं राष्ट्रीय पहचान कार्ड जारी करना) नियम, 2003 अधिनियमित किए गए हैं, जिनमें इस आशय पर कार्रवाई करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

14.39 भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरआईसी) सृजित करने की शुरूआत के तौर पर सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) तैयार करने का निर्णय लिया है। अनुमोदित योजना के अनुसार एनपीआर में देश के सभी सामान्य निवासियों की कुछ जनांकिकीय सूचना होगी। इसमें उन सभी सामान्य निवासियों, जो 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के हैं, के छायाचित्र (फोटो), 10 उंगलियों की छाप और दो आयरिस छाप संबंधी जानकारी होगी। दोहराव से बचने (डी–डुप्लीकेशन) और "आधार'' (यूआईडी संख्या) जारी करने के लिए एनपीआर डाटाबेस भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को भेजा जाएगा। एनपीआर के सृजन के लिए मंत्रिमंडल द्वारा 6649.05 करोड़ रूपए का नियतन अनुमोदित किया गया है।

14.40 **वर्तमान स्थिति**

क) एनपीआर के सृजन के लिए अपेक्षित जनांकिकीय आंकड़े घर–घर जाकर गणना द्वारा 2010 में एकत्रित किए गए थे। इस राष्ट्रीय महत्व की योजना के लिए 2.5 मिलियन से अधिक सरकारी कर्मचारी नियुक्त किए गए थे।

ख) सभी भरे हुए फार्म (लगभग 27 करोड़) इलेक्ट्रानिक–अभिलेखागार तैयार करने के लिए स्कैन किए जा चुके हैं।

ग) 119.19 करोड़ व्यक्तियों का इलेक्ट्रानिक डाटाबेस तैयार करने के लिए डाटा डिजिटाइजेशन (अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में) का कार्य पूरा हो चुका है।

घ) एनपीआर के सृजन के लिए 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी सामान्य निवासियों के तीन बायोमेट्रिक अर्थात फोटोग्राफ, दस फिंगर–प्रिंट और आयरिश की छाप का संग्रहण करने का कार्य प्रगति पर है। आज तक एनपीआर के अंतर्गत 26.95 करोड़ व्यक्तियों के बायोमेट्रिक नामांकन का कार्य पूरा हो चुका है।

ङ) 23.51 करोड़ से अधिक व्यक्तियों का एनपीआर डाटा दोहराव को रोकने (डी–डुप्लीकेशन) और आधार संख्या तैयार करने के लिए यूआईडीएआई को भेज दिया गया है। इनमें से यूआईडीएआई ने 19.67 करोड़ 'आधार संख्याएं' तैयार कर दी हैं।

14.41 एक बार जब बायोमेट्रिक्स के साथ इलेक्ट्रानिक डाटाबेस तैयार हो जाएगा तो उसके बाद प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित आधार सहित कुछ मूल विवरण अर्थात सामान्य निवासियों का स्थानीय रजिस्टर (एलआरयूआर) दावे/आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए स्थानीय क्षेत्रों में प्रदर्शित किया जाएगा। एलआरयूआर की जांच जन प्रतिनिधियों (ग्राम पंचायतों/वार्ड समितियों) द्वारा भी की जाएगी। दावों/आपत्तियों पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर का सृजन (एनआरआईसी)

14.42 एनपीआर एनआरआईसी के सृजन के लिए पहली शुरूआत है। एनपीआर की समीक्षा की गई है और यह निर्णय

लिया गया है कि एनपीआर का कार्य पूरा किया जाना चाहिए और उसे उसकी न्यायसंगत परिणति तक पहुंचाया जाना चाहिए अर्थात एनपीआर में प्रत्येक सामान्य निवासी की नागरिकता की स्थिति का सत्यापन करके एनआरआईसी का सृजन किया जाए।

भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय पहचान पत्र

14.43 भारत के नागरिकों, जो 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के हैं, को राष्ट्रीय पहचान कार्ड जारी करने का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है।

एनपीआर डाटाबेस का रख–रखाव और अद्यतनीकरण

14.44 पहले चरण में, सक्षम प्राधिकारी ने 12 एनपीआर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में तहसीलों/तालुकों में 2,500 एनपीआर केन्द्रों की स्थापना का अनुमोदन किया है। ये एनपीआर केन्द्र बाकी रह गए व्यक्तियों के नामांकन के लिए हैं।

तटीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर)

14.45 नवम्बर, 2008 में मुंबई आक्रमण के बाद तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए। इनमें से एक उपाय एनपीआर का सृजन और तटीय क्षेत्रों में पहचान (स्मार्ट) कार्ड जारी करना है। इस परियोजना को दो चरणों में आरम्भ करने का प्रस्ताव था। इस परियोजना के पहले चरण में, 9 तटवर्ती राज्यों और 4 संघ राज्यक्षेत्रों के 3331 तटीय गांवों में कार्यान्वयन आरम्भ किया गया।

14.46 216.31 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर, तटीय क्षेत्रों में चयनित 3331 गांवों और अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के सभी शहरों में एनपीआर के सृजन और 18 वर्ष और उससे अधिक की आयु के सभी सामान्य निवासियों को पहचान (स्मार्ट) कार्ड जारी करने की योजना मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 10.12.2009 को अनुमोदित की गई।

14.47 यह परियोजना इन क्षेत्रों में 65.53 लाख से अधिक सामान्य निवासियों के पहचान (स्मार्ट) कार्ड मूर्त रूप में बनाकर और भेज कर पूरी कर दी गई है।

14.48 सुरक्षा एजेन्सियों को स्मार्ट–कार्ड–रीडर उपलब्ध कराने के लिए रीडर खरीदने का आदेश जारी किया जा चुका है।

असम में नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर

14.49 भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरआईसी) के सृजन की प्रक्रिया असम राज्य के लिए अलग है। इसका सृजन नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6क के अनुसार किया जाएगा और एनआरसी को, जो असम में 1951 में बनाया गया, इसमें दिए गए नियमों के अनुसार अद्यतन किया जाएगा।

14.50 भारत सरकार ने असम सरकार द्वारा यथा–प्रस्तावित 288.18 करोड़ की लागत पर एनआरसी के अद्यतनीकरण का अनुमोदन कर दिया है। 31.12.2014 तक 140.58 करोड़ रूपए की राशि असम राज्य सरकार को दे दी गई है और कार्य आरम्भ किया जा चुका है। इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना जारी की जा चुकी है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने समयसीमा घटाकर 36 मास से 25 मास कर दी है और निदेश दिए हैं कि कार्य दिसम्बर, 2015 तक पूरा कर दिया जाए।

सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी) 2011

14.51 भारत सरकार द्वारा सारे देश में जून, 2011 से चरणबद्ध तरीके से सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी) करवायी जा रही है। भारत सरकार में ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) और आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (एमओएचयूपीए) क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इस संयुक्त कार्य के लिए नोडल मंत्रालय हैं। भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त का कार्यालय पूरी लोजिस्टिक और तकनीकी सहायता दे रहा है।

14.52 भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त का कार्यालय की तकनीकी और संभारतंत्रीय सहायता में प्रत्यक्ष अन्तर्निविष्ट साधन यथा चार्ज रजिस्टर, नज़री नक्शा और संक्षिप्त मकानसूची उपलब्ध कराना शामिल है, जिनका प्रयोग जनगणना, 2011 के दौरान किया गया, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सभी स्तरों के कार्यकर्ताओं को ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा शहरी आवास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय सहित राज्य निदेशालयों में स्थित अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण देना और फील्ड कार्यों के दौरान पर्यवेक्षण करना भी शामिल है।

14.53 एस.ई.सी.सी. औपचारिक तौर पर 29.06.2011 को त्रिपुरा राज्य से शुरू की गई थी। एस.ई.सी.सी. का फील्ड कार्य सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कमोवेश पूरा हो चुका है। सभी 35 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के कुल 24.68 लाख गणना ब्लाकों (ईबी) (विशेष चार्ज गणना ब्लॉकों को छोड़कर) में से दिसम्बर, 2014 तक 24.67 लाख गणना ब्लाकों (99.9%) में फील्ड कार्य पूरा किया जा चुका है।

14.54 फील्ड से हैंड हेल्ड यंत्रों में डाटा संग्रहण करने के बाद भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त का कार्यालय जाति आधारित डाटा का संसाधन करेगा और जातियों/जनजातियों के ब्यौरे श्रेणीकरण और वर्गीकरण हेतु विशेषज्ञ दल (जिसका गठन अभी सरकार द्वारा किया जाना है) को सुपुर्द कर देगा।

*****

अध्याय 15

विविध विषय

पुरस्कार एवं अलंकरण

भारत रत्न पुरस्कार

15.1.1 भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह पुरस्कार मानव प्रयत्न के किसी भी क्षेत्र में की गई विशिष्ट सेवा/उच्चकोटि के कार्यनिष्पादन के सम्मान स्वरूप दिया जाता है। वर्ष 1954 में शुरू किए गए इस पुरस्कार से अब तक 43 लोगों को सम्मानित किया जा चुका है। अंतिम बार वर्ष 2014 के लिए यह पुरस्कार प्रो. सी.एन.आर. राव और सचिन रमेश तेंदुलकर को प्रदान किया गया था। दिनांक 24.12.2014 को भारत के राष्ट्रपति ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा पंडित मदन मोहन मालवीय (मरणोपरान्त) को भारत रत्न प्रदान करने की अनुमति दे दी है।

पद्म पुरस्कार

15.1.2 पद्म पुरस्कार तीन श्रेणियों, नामतः पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार सभी विषयों/गतिविधियों के क्षेत्रों अर्थात कला, सामाजिक कार्य, लोक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा और अन्य कार्यों के लिए दिए जाते हैं।

15.1.3 पद्म विभूषण अलंकरण विशिष्ट और उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण उच्च कोटि की उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है।

15.1.4 प्रति वर्ष, सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, उत्कृष्ट संस्थानों और भारत रत्न/पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तियों से पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन मांगे जाते हैं। उनके अतिरिक्त, केन्द्रीय मंत्रियों, राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों, निजी व्यक्तियों, संगठनों आदि से स्वयं अपनी ओर से भी अनेक सिफारिशें प्राप्त होती हैं। इन सभी सिफारिशों को विचारार्थ मंत्रिमडल सचिव की अध्यक्षता वाली पद्म पुरस्कार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। पद्म पुरस्कार समिति की सिफारिशें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाती हैं और ये पुरस्कार गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित किए जाते हैं।

15.1.5 वर्ष 2014 में, भारत के राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस, 2014, के अवसर पर घोषित अलंकरण दिनांक 31.03.2014 और 26.04.2014 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में आयोजित दो समारोहों में प्रदान किये। दोनों समारोहों में प्रदान किए गए 126 पुरस्कारों में 02 पद्म विभूषण, 24 पद्म भूषण और 100 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम मंत्रालय की वेबसाइट (http://mha.gov.in) पर उपलब्ध हैं।

वीरता पुरस्कार

15.1.6 प्रत्येक वर्ष, रक्षा मंत्रालय की देखरेख में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर अशोक चक्र श्रृंखला के वीरता पुरस्कार घोषित किए जाते हैं। सिविलियन नागरिकों से संबंधित सिफारिशों पर गृह मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जाती है।

15.1.7 राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस, 2013 पर अशोक चक्र श्रृंखला के वीरता पुरस्कार के लिए एक अशोक पुरस्कार, एक कीर्ति चक्र तथा एक शौर्य चक्र पुरस्कार सहित तीन नागरिकों के नामों का और गणतंत्र दिवस 2014 पर एक कीर्ति चक्र पुरस्कार का अनुमोदन प्रदान किया है।

जीवन रक्षा पदक पुरस्कार

15.1.8 जीवन रक्षा पदक (जेआरपी) पुरस्कार वर्ष 1961 में शुरू किए गए थे। जैसा कि पुरस्कार के नाम से ही प्रतीत होता है, यह पुरस्कार किसी व्यक्ति की जान बचाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है।

15.1.9 ये पुरस्कार तीन श्रेणियों, नामतः–सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक के अंतर्गत दिए जाते हैं। सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, बचाने वाले व्यक्ति के जीवन को गंभीर खतरे की परिस्थितियों में अदम्य साहस का परिचय देने के लिए दिया जाता है। उत्तम जीवन रक्षा पदक, बचाने वाले व्यक्ति के जीवन को गंभीर खतरे की परिस्थितियों में साहस एवं तत्परता के लिए प्रदान किया जाता है और जीवन रक्षा पदक, किसी व्यक्ति को डूबने, आग, दुर्घटना,

बिजली द्वारा जान जाने, भूस्खलन, पशु आक्रमण इत्यादि से बचाने के मानवीय कार्य या कार्यों में जान बचाने वाले व्यक्ति के गम्भीर रूप से घायल होने की परिस्थितियों में साहस और तत्परता के लिए प्रदान किया जाता है।

15.1.10 इन पुरस्कारों के लिए नामांकन प्रत्येक वर्ष समस्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से आमंत्रित किए जाते हैं। इन पर मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक पुरस्कार समिति द्वारा विचार किया जाता है। पुरस्कार समिति की सिफारिशों को प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

15.1.11 इन पुरस्कारों के लिए अलंकरण समारोह पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं से संबंधित राज्य की राजधानियों में आयोजित किए जाते हैं, जहाँ पुरस्कार विजेताओं को पदक और गृह मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र दिया जाता है। पुरस्कार विजेताओं को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक के लिए 1,00,000/–रूपए, उत्तम जीवन रक्षा पदक के लिए 60,000/– रूपए और जीवन रक्षा पदक के लिए 40,000/– रूपए की दर से एकमुश्त धनराशि भी दी जाती है।

15.1.12 वर्ष 2013 के लिए, भारत के राष्ट्रपति ने 03 सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 06 उत्तम जीवन रक्षा पदक और 28 जीवन रक्षा पदक प्रदान करने का अनुमोदन किया है। प्राप्तकर्ताओं के नाम मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलबध हैं।

सतर्कता तंत्र

15.2.1 गृह मंत्रालय का सतर्कता तंत्र संयुक्त सचिव (प्रशासन) के अधीन कार्य करता है जो मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी भी हैं। इनके कार्यों में सहायता करने के लिए एक निदेशक और एक अवर सचिव हैं। सतर्कता तंत्र गृह मंत्रालय के सभी अनुशासनिक मामलों तथा वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों से संबंधित सभी मामलों को देखता है और मंत्रालय के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में सतर्कता गतिविधियों का समन्वय करता है।

15.2.2 निवारक सतर्कता को सुदृढ़ करने के लिए, गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित उपाय किए:–

क) मुख्य सतर्कता अधिकारी ने सतर्कता से संबंधित विभिन्न कार्यों को समय पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों से संपर्क बनाए रखा।

ख) मंत्रालय में स्वतंत्रता सेनानी और पुनर्वास प्रभाग, विदेशी प्रभाग और पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग के प्रापण विंग जैसे प्रभागों का जनता के साथ काफी अधिक संबंध होता है, अतः इन प्रभागों पर गहन नजर रखी गई।

ग) संवेदनशील अनुभागों/प्रभागों में कार्य करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को एक विशेष सुरक्षा प्रश्नावली भरनी होती है और उनके मामले में आसूचना एजेंसियों द्वारा सकारात्मक पुनरीक्षण कराया जाता है। यह इस बात को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी हथियार के रूप में कार्य करता है कि मंत्रालय में संवेदनशील स्थानों पर केवल वे व्यक्ति ही तैनात हों जिनकी सत्यनिष्ठा संदेह से परे हो।

घ) जिन प्रभागों को संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उनके प्रमुखों के साथ संपर्क बनाए रखा जाता है ताकि ऐसे प्रभागों में कार्य करने वाले कार्मिकों की गतिविधियों पर निकट से नजर रखा जाना सुनिश्चित किया जा सके।

ङ) मुख्य सतर्कता अधिकारी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों के निपटान की प्रगति और लंबित अनुशासनिक/सतर्कता मामलों की नियमित रूप से निगरानी करते हैं।

च) निहित स्वार्थों को विकसित होने से रोकने के लिए, मंत्रालय में स्टाफ की विभिन्न प्रभागों के बीच अदला–बदली की जाती है। स्टाफ की अदला–बदली को सुगम बनाने के लिए पदों को संवेदनशील और गैर–संवेदनशील श्रेणियों में विभक्त किया जाता है।

छ) संदेहास्पद सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची बनाई जाती है और आवधिक रूप से इसकी समीक्षा की जाती है।

15.2.3 दिनांक 27.10.2014 से 01.11.2014 तक ''सतर्कता जागरूकता सप्ताह'' मनाया गया। गृह सचिव ने दिनांक 27.10.2014 को गृह मंत्रालय के कर्मचारियों को शपथ दिलाई। भ्रष्टाचार से निपटना–प्रौद्योगिकी एक सामर्थ्य प्रदाता के रूप में विषय पर दिनांक 29.10.2014 को एक वाद–विवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। सतर्कता जागरुकता सप्ताह मंत्रालय के सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में भी मनाया गया।

15.2.4 मुख्य सतर्कता अधिकारी अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में लंबित पड़े मामलों सहित विभिन्न चरणों में लंबित मामलों पर नजर रखता है, ताकि ऐसे मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाया जा सके। मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा लंबित मामलों की स्थिति की निगरानी की जाती है और समुचित अंतरालों पर संबंधित सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों और सतर्कता अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित की जाती हैं।

15.2.5 वर्ष 2013–2014 के दौरान गृह मंत्रालय और इसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में निपटाए गए सतर्कता और अनुशासनात्मक मामलों से संबंधित ब्यौरा **अनुलग्नक– XIX** में दिया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

15.3 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत, इस मंत्रालय ने निम्नलिखित कार्य शुरू किए हैं:–

क) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत संबंधित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों/लोक प्राधिकारियों से आवेदनों के संग्रहण, अंतरण तथा केन्द्रीय सूचना आयोग को आरटीआई आवेदनों/अपीलों की प्राप्ति तथा निपटान संबंधी तिमाही विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए एक आरटीआई अनुभाग स्थापित किया गया है।

ख) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (ख) के अंतर्गत यथा अपेक्षित अधिकारियों आदि के साथ–साथ मंत्रालय के कार्यों का ब्यौरा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट (http://mha.gov.in) के आर टी आई पोर्टल पर डाला गया है।

ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के तहत सभी उप सचिव/निदेशक स्तर के अधिकारियों को उनके द्वारा निपटाए जा रहे विषयों के संबंध में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) के रूप में पदनामित किया गया है।

घ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अनुसार सभी संयुक्त सचिवों को उनके अधीन कार्यरत एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों के रूप में पदनामित सभी उप सचिवों/निदेशकों के संबंध में अपील प्राधिकारियों के रूप में पदनामित किया गया है।

ङ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदनों की प्राप्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए, इस मंत्रालय के तीन भवनों अर्थात् नॉर्थ ब्लॉक और एनडीसीसी–।। भवन तथा जैसलमेर हाउस के स्वागत काउंटर पर आवेदनों को प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। इस तरह प्राप्त आवेदनों को इसके बाद आर टी आई अनुभाग द्वारा संबंधित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) लोक प्राधिकारियों को भेज दिया जाता है।

च) वर्ष 2014–15 के दौरान (दिनांक 01.01.2014 से 31.12.2014 तक) गृह मंत्रालय में 7,249 आरटीआई आवेदन तथा 243 अपीलें व्यक्तिगत रूप से तथा 5,265 आरटीआई आवेदन तथा 390 अपीलें ऑनलाइन प्राप्त हुई और अनुरोध की गई सूचना मुहैया कराने के लिए संबंधित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों/लोक प्राधिकारियों को अग्रेषित की गई।

छ) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा उनके दिनांक 15.04.2013 के का. ज्ञा. सं. 1/5/2011–आई आर के तहत जारी दिशानिर्देशों के पैरा 1.4.1 के अनुसार, यह मंत्रालय सभी आरटीआई तथा अपीलों के उत्तरों को नियमित रूप से वेबसाइट पर अपलोड कर रहा है।

सचिवालय सुरक्षा संगठन

15.4.1 गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवर के अन्तर्गत आने वाले सरकारी भवनों की सुरक्षा करने के लिए सचिवालय सुरक्षा संगठन (एस एस ओ) नोडल एजेंसी है। इस समय मंत्रालय के सुरक्षा कवर में आने वाले ऐसे 51 भवन हैं, जिनमें भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के कार्यालय स्थित हैं। ये भवन दिल्ली में लगभग 16 किमी. की परिधि में विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं।

15.4.2 गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवर के अन्तर्गत सरकारी भवनों में प्रवेश–नियंत्रण का विनियमन भी सचिवालय सुरक्षा संगठन द्वारा स्वागत संगठन के माध्यम से किया जाता है। स्वागत संगठन में 137 कार्मिक हैं जो 38 सरकारी भवनों में स्थित 54 स्वागत कार्यालयों में कार्यरत हैं। इन भवनों में आगन्तुकों के प्रवेश का विनियमन विभिन्न स्वागत अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है जहां आगन्तुक पास जारी किए जाते हैं और उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। आगन्तुक पास पूर्व निर्धारित स्तर के अधिकारियों की इस संपुष्टि के बाद कि आगन्तुक को अंदर आने दिया जाए या नहीं, जारी किए जाते हैं।

15.4.3 सचिवालय सुरक्षा संगठन का दायित्व गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवर वाले भवनों की सुरक्षा और प्रवेश नियंत्रण से संबंधित नीतियां बनाना और उनका कार्यान्वयन करना है। इस समय, सरकारी भवनों की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के साथ–साथ सचिवालय सुरक्षा बल (एसएसएफ) के सुरक्षा कर्मियों को वर्गीकरण के आधार पर तैनात किया जाता है। सीआईएसएफ में ''सरकारी भवनों की सुरक्षा (जी बी एस)'' यूनिट नामक एक समर्पित यूनिट गृह मंत्रालय के प्रशासनिक प्रभाग के नियंत्रणाधीन विशेष रूप से, सरकारी भवनों की सशस्त्र सुरक्षा हेतु बनायी गई है। सीआईएसएफ की जी बी एस यूनिट 'ए' (अति संवदेनशील) और 'बी' (संवेदनशील) श्रेणी के सरकारी भवनों की सुरक्षा की देखभाल करती है और उन्हें निम्नलिखित कार्य सौंपे जाते हैं:–

क) **प्रवेश नियंत्रण**– वे यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी अनधिकृत व्यक्ति, वाहन या सामग्री को सरकारी भवनों और उनके परिसरों में प्रवेश की अनुमति न दी जाए। केवल गृह मंत्रालय द्वारा जारी वैध पहचान पत्रधारी वास्तविक व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाती है। इसके अलावा, वैध अस्थायी/दैनिक आगन्तुक पासधारी आगन्तुकों को उनके बैगों/ब्रीफकेसों आदि की जांच सहित उनकी जांच/जामा तलाशी के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाती है।

ख) **आतंकवाद–रोधी उपाय**– भवनों में आतंकवाद–रोधी उपायों के लिए मुख्य रूप से बल उत्तरदायी हैं।

ग) **बलात प्रवेश/सशस्त्र आक्रमण**– इन भवनों में किसी भी बलात प्रवेश/ सशस्त्र आक्रमण के प्रयास को रोकना/उनका सामना करना और ऐसे बलात प्रवेश/सशस्त्र आक्रमण के खिलाफ सर्वप्रथम कार्रवाई करने वालों के रूप में प्रभावी कार्रवाई करना।

घ) **अनधिकार प्रवेश**–भवन में किसी भी प्रकार के अनधिकार प्रवेश को रोकना, उसका पता लगाना और उसे निष्प्रभावी करना।

ङ) **निकास नियंत्रण**– भवन से सरकारी सम्पत्ति की चोरी रोकना।

15.4.4 सचिवालय सुरक्षा बल (एसएसएफ) गृह मंत्रालय का 1,032 कार्मिकों वाला असैनिक निरस्त्र बल है, जिसका गठन विशेष रूप से गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवर वाले 'सी' (कम संवेदनशील) श्रेणी के सरकारी भवनों की सुरक्षा के लिए किया गया है।

राजभाषा

15.5.1 राजभाषा अधिनियम 1963 (वर्ष 1967 में यथासंशोधित), राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (वर्ष 1987 में यथासंशोधित) और समय–समय पर इस विषय पर जारी किए गए अन्य प्रशासनिक अनुदेशों के प्रावधानों को कार्यान्वित करने तथा गृह मंत्रालय और इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने में गृह मंत्रालय का राजभाषा प्रभाग सहायता प्रदान करता है।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

15.5.2 मंत्रालय के बड़े आकार को ध्यान में रखते हुए, प्रभाग स्तर पर 20 राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की गई हैं और प्रत्येक समिति के अध्यक्ष संबंधित प्रभाग के संयुक्त सचिव हैं। संबंधित प्रभाग के अनुभाग अधिकारी/डेस्क अधिकारी और इससे ऊपर निदेशक रैंक तक के सभी अधिकारी संबंधित समिति के सदस्य हैं। संबंधित प्रभागों के अनुभागों/डेस्कों से प्राप्त सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्टों की इन समितियों द्वारा समीक्षा की जाती है और कमियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए उपचारी उपाय सुझाए जाते हैं।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन

15.5.3 राजभाषा अधिनियम, 1963 (वर्ष 1967 में यथासंशोधित) की धारा 3(3) का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जा रहा है और इस धारा के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज अनिवार्य रूप से हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जा रहे हैं। हिन्दी में प्राप्त अथवा हस्ताक्षरित सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिये जा रहे हैं। केन्द्र सरकार के कार्यालयों, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा 'क' 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में आम जनता के साथ हिन्दी में पत्र व्यवहार को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

राजभाषा संबंधी निरीक्षण

15.5.4 राजभाषा प्रभाग के कार्मिकों के आठ निरीक्षण दलों ने गृह मंत्रालय के अधीन दिल्ली के बाहर स्थित 22 कार्यालयों में दिनांक 13 जनवरी, 2015 से 20 फरवरी, 2015 तक राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया है। इसके अतिरिक्त, राजभाषा प्रभाग के कार्मिकों द्वारा उपर्युक्त अवधि के दौरान मंत्रालय के 25 अनुभागों का निरीक्षण भी किया गया है। संसदीय राजभाषा समिति की पुनर्गठित प्रथम उप–समिति ने दिनांक 12 जनवरी, 2015 से 10 फरवरी, 2015 की अवधि के दौरान मंत्रालय के पांच कार्यालयों का निरीक्षण किया।

हिन्दी दिवस/हिन्दी माह

15.5.5 मंत्रालय में दिनांक 15 सितम्बर, 2014 से 15 अक्तूबर, 2014 तक हिन्दी माह का आयोजन किया गया। विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं एवं हिन्दी कार्यशाला तथा हिन्दी के प्रख्यात विद्वान श्री लक्ष्मीशंकर वाजपेयी, उप महानिदेशक, आकाशवाणी, नई दिल्ली के शिक्षाप्रद व्याख्यान जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें बड़ी संख्या में मंत्रालय के हिन्दी भाषी एवं गैर–हिन्दी भाषी कार्मिकों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। 131 प्रतिस्पर्धियों ने कुल 1,86,600/– रु. (एक लाख छियासी हजार छः सौ रूपए मात्र) के नकद पुरस्कार जीते।

हिन्दी टंकण/हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण

15.5.6 कुल 74 अवर श्रेणी लिपिकों में से, इस समय 70 लिपिक हिन्दी टंकण में प्रशिक्षित हैं। इसी प्रकार, कुल 203 आशुलिपिकों में से, 37 आशुलिपिक हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित हैं।

हिन्दी कार्यशाला

15.5.7 कर्मचारियों को अपना काम हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित करने और हिन्दी में मूल रूप में टिप्पण और प्रारूप तैयार करने के लिए उन्हें प्रभावी रूप से प्रशिक्षित करने हेतु दिनांक 14.06.2014 और 16.09.2014 को दो हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में 52 कर्मचारियों ने भाग लिया।

हिन्दी सलाहकार समिति

15.5.8 इस मंत्रालय की हिन्दी सलाहलकार समिति का तीन

वर्षीय कार्यकाल दिनांक 20.10.2013 को समाप्त हो गया था। राजभाषा विभाग द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार इस समिति के पुनर्गठन की प्रक्रिया दिनांक 21.10.2013 से शुरु कर दी गई थी। जबकि केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद से अपेक्षित नामांकन प्राप्त हो गए हैं। किंतु संसदीय कार्य मंत्रालय से चार संसद सदस्यों (लोक सभा तथा राज्य सभा से दो–दो) के अपेक्षित नामांकन और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा से एक सदस्य (मनोनीत व्यक्ति का नाम) का नामांकन अभी तक प्रतीक्षित है। इन नामांकनों के प्राप्त होते ही, उक्त समिति के गठन के लिए आवश्यक कदम उठाए जाऐंगे।

लोक शिकायतों का निवारण

15.6.1 इस मंत्रालय में कार्यरत आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र सभी शिकायतों पर कार्रवाई करता है। दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2014 तक की अवधि के दौरान, 4,131 लोक शिकायतें ऑनलाइन प्राप्त हुईं और 4,276 लोक शिकायतें सीधे ही प्राप्त हुईं। इन पर तुरंत कार्रवाई की जाती है।

15.6.2 संयुक्त सचिव (समन्वय और लोक शिकायत) को निदेशक, लोक शिकायत के रूप में नामित किया गया है। निदेशक, लोक शिकायत का नाम, पदनाम, कमरा संख्या, दूरभाष संख्या इत्यादि स्वागत काउंटर और मंत्रालय की वेबसाइट (http://mha.gov.in) पर प्रदर्शित किए गए हैं।

15.6.3 प्रत्येक प्रभाग में एक लोक शिकायत अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है, जो अपने प्रभाग से संबंधित लोक शिकायतों के निवारण की प्रगति की निगरानी करता है।

संसदीय कार्य

15.7.1 गृह मंत्रालय ऐसे व्यापक विषयों को निपटाता है, जिनकी प्रकृति जटिल और संवेदनशील होती है और जिन पर सतत संसदीय ध्यानाकर्षण की आवश्यकता होती है। यह संसद में किए जाने वाले गृह मंत्रालय के विधायी और गैर विधायी कार्य से परिलक्षित होता है। मंत्रालय के कार्यकरण की विभिन्न संसदीय समितियों यथा गृह मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति, लोक लेखा समिति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति आदि द्वारा सतत निगरानी की जाती है।

15.7.2 दिनांक 01.09.2014 को गृह मंत्रालय की विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति का गठन किया गया और नव गठित समिति ने दो विषयों नामतः (i) गृह मंत्रालय का अधिदेश, कार्यकरण तथा निष्पादन; और (ii) जम्मू एवं कश्मीर में हाल ही में आई बाढ़ के पश्चात जारी बचाव, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण की गतिविधियों पर विचार–विमर्श करने के लिए दिनांक 10.10.2014 को अपनी पहली बैठक आयोजित की।

15.7.3 तत्पश्चात, उक्त समिति ने विभिन्न मामलों पर विचार–विमर्श करने के लिए दो अन्य अवसरों पर भी बैठकें कीं अर्थात्

i) दिनांक 21.10.2014–'जम्मू एवं कश्मीर में शरणार्थियों तथा विस्थापित व्यक्तियों द्वारा सामना की जा रही समस्याएं;' और

ii) दिनांक 11.12.2014–(i) जम्मू एवं कश्मीर में शरणार्थियों तथा विस्थापित व्यक्तियों द्वारा सामना की जा रही समस्याएं; और (ii) हाल के विध्वंसक हुदहुद चक्रवात के परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा के प्रभावित राज्यों में बचाव, राहत अभियान और पुनर्वास योजनाएं।

15.7.4 केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में 'वामपंथी उग्रवाद की स्थिति' विषय पर दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2014 की अवधि के दौरान दिनांक 12.11.2014 को परामर्शदात्री समिति की एक बैठक आयोजित की गई।

विभागीय लेखा संगठन

लेखा–परीक्षा आपत्तियां / पैरा

15.8.1 गृह मंत्रालय का विभागीय लेखा संगठन (डी ए ओ) गृह मंत्रालय, के आन्तरिक वित्त प्रभाग के भाग के रूप में कार्य करता है। यह मंत्रालय एवं इसके सभी संबद्ध कार्यालयों के भुगतान, लेखांकन एवं आन्तरिक लेखा–परीक्षा के लिए उत्तरदायी है। विभागीय लेखा संगठन मंत्रालय से संबंधित मासिक एवं वार्षिक वित्तीय विवरण प्रकाशित करता है और इसे लेखा महानियंत्रक को प्रस्तुत करता है जो समग्र रूप से भारत सरकार के पूरे विवरणों को समेकित करता है। विभागीय लेखा संगठन का प्रमुख मुख्य लेखा नियंत्रक होता है, जो मंत्रालय के मुख्य लेखा प्राधिकारी (अर्थात गृह सचिव) के प्रधान लेखा सलाहकार के रूप में कार्य करता है। मंत्रालय के आन्तरिक वित्त स्कंध के एक अभिन्न अंग के रूप में, मुख्य लेखा नियंत्रक मंत्रालय में वित्तीय प्रबंधन की सक्षम प्रणाली को बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। विभागीय लेखा संगठन अपने भुगतान एवं लेखा कार्यों को संचालित करने के लिए ''कम्पैक्ट'' नामक व्यय लेखा सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके एक कम्प्यूटरीकृत वातावरण में कार्य करता है। कम्पैक्ट के आँकड़ों को ई–लेखा नामक वेब–आधारित एप्लीकेशन पर डाला जाता है, जिसमें सही समय पर रिपोर्टें तैयार करने की क्षमता है, जो मंत्रालय के लिए व्यय सूचना प्रणाली के रूप में कार्य करता है। विभागीय लेखा संगठन बजट को तैयार करने, बजट को निष्पादित करने तथा बजट की रिपोर्टिंग करने में आन्तरिक वित्त प्रभाग की भी सहायता करता है।

15.8.2 लेखा महानियंत्रक के समग्र मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय के आन्तरिक लेखा–परीक्षा स्कंध ने मंत्रालय की

विभिन्न योजनाओं की जोखिम आधारित लेखा परीक्षा की है। संशोधित आन्तरिक लेखा परीक्षा नियमावली, 2009 में भी मंत्रालय के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं की जोखिम आधारित एवं निष्पादन लेखा परीक्षा करने के लिए आन्तरिक लेखा–परीक्षा कार्य को पुनर्गठित करने पर जोर दिया गया है। मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया है जो मंत्रालय तथा इसके संबद्ध कार्यालयों में जोखिम प्रबंधन एवं नियंत्रण की कार्यप्रणाली की निगरानी करेगी। विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (एसएसएंडएफए) इस समिति के उपाध्यक्ष हैं और मुख्य लेखा नियंत्रक, जो मुख्य लेखा परीक्षा कार्यपालक भी हैं, इसके सदस्य सचिव हैं। एक आंतरिक लेखा परीक्षा चार्टर भी अनुमोदित करके जारी कर दिया गया है। आन्तरिक लेखा परीक्षा स्कंध पुलिस बल के आधुनिकीकरण की समवर्ती लेखा परीक्षा और विभिन्न राज्यों में सुरक्षा संबंधी व्यय की अर्ध–वार्षिक लेखा परीक्षा करता है। साथ ही, स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग के अनुरोध पर लेखा परीक्षा समिति द्वारा इसे स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के संवितरण की लेखा परीक्षाएं करने का कार्य भी सौंपा गया है।

15.8.2.1 संदर्भाधीन अवधि के दौरान, आन्तरिक लेखापरीक्षा समिति की चौथी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा स्कंध द्वारा निम्नलिखित विशेष लेखापरीक्षा की गईः

1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की लेखापरीक्षा।
2. अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली।
3. गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) के संबंध में विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) लेखापरीक्षा।
4. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की लेखापरीक्षा।
5. गुरुद्वारा चुनाव आयोग, पंजाब के संबंध में लेखापरीक्षा।
6. गृह मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन (एनबीसीसी) द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं की लेखापरीक्षा।
7. गृह मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय परियोजना निर्माण संगठन (एनपीसीसी) द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं की लेखापरीक्षा।
8. कारागार आधुनिकीकरण स्कीम की लेखापरीक्षा।
9. दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (डीआईएएल), इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, दिल्ली की लेखापरीक्षा।
10. इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, दिल्ली पर तैनात केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के संबंध में जनशक्ति की लेखापरीक्षा।
11. कांगो में भारत–तिब्बत सीमा पुलिस, सीमा सुरक्षा बल ओर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कार्मिकों की संयुक्त राष्ट्र तैनाती के लिए धनराशि की प्रतिपूर्ति।

15.8.3 गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों में, विभिन्न अर्ध–सैनिक बलों, केन्द्रीय पुलिस संगठनों, संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल वाले और उसके बगैर), भारत के महा–रजिस्ट्रार, राजभाषा विभाग इत्यादि की बजटीय आवश्यकताएं शामिल हैं। आन्तरिक लेखा–परीक्षा के अतिरिक्त, गृह मंत्रालय के कार्यों एवं वित्तीय विवरणों की सांविधिक लेखापरीक्षा भी की जाती है, जिसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एण्ड ए जी) के कार्यालय द्वारा किया जाता है।

15.8.4 प्रारंभ में व्यय की लेखा–परीक्षा करने के पश्चात लेखा परीक्षा की टिप्पणियों को दर्शाते हुए निरीक्षण नोट संबंधित इकाईयों/संगठनों को उपलब्ध कराए जाते हैं, जो इन टिप्पणियों का निपटाने करने का प्रयास करते हैं। नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक, संसद को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के माध्यम से लेखापरीक्षा पैरा तैयार करते हैं जिन पर मंत्रालय को की गई कार्रवाई की टिप्पणियां तैयार करनी होती हैं। लेखापरीक्षा पैरा का तत्परता से निपटान करने हेतु, लेखापरीक्षा समिति द्वारा लम्बित पैरा की स्थिति की निगरानी की जाती है। लेखापरीक्षा पैरा की प्राप्ति और निपटान एक सतत प्रक्रिया है। दिनांक 01.01.2014 की स्थिति के अनुसार, इस मंत्रालय में ऐसे 64 लेखापरीक्षा पैरा लंबित थे। दिनांक 01.01.2014 से 31.12.2014 की अवधि के दौरान, 25 नए पैरे प्राप्त हुए थे, जिससे इनकी कुल संख्या 89 हो गई। इनमें से, इस अवधि के दौरान 10 पैराओं का निपटान कर दिया गया है और दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार ऐसे 79 पैरे शेष हैं।

15.8.5 दिनांक 01.01.2014 की स्थिति के अनुसार. गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी संगठनों के संबंध में बकाया निरीक्षण नोटों/पैरा की संख्या 4,973 थी। दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2014 की अवधि के दौरान, निपटान किए गए तथा प्राप्त निरीक्षण नोटों/पैरा की कुल संख्या क्रमशः 1273 तथा 784 थी। इस प्रकार, दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार, बकाया निरीक्षण नोटों/पैरा की संख्या 5,462 थी। इन पैरा के निपटान की प्रगति को निगरानी के लिए मंत्रालय में तदर्थ समितियों का गठन किया गया है। प्रत्येक संगठन की स्थिति **अनुलग्नक–XX** में दी गई है।

15.8.6 गृह मंत्रालय से संबंधित वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा प्रेषित और सी एंड ए जी कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों का सार प्राप्त हो गया है।

अपेक्षित सूचना **अनुलग्नक XXI, XXII** और **XXIII** के रुप में संलग्न है।

महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण

कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों का निवारण

15.9.1 गृह मंत्रालय की पीड़ित महिला कर्मचारियों द्वारा की गई शिकायतों का निवारण करने के लिए दिनांक 23.12.2014 को शिकायत निवारण समिति का पुर्नगठन किया गया है। इस समिति में अध्यक्ष सहित एक पुरूष और पांच महिला सदस्य हैं तथा स्वतंत्र सदस्य के रूप में यंग वूमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन की एक सदस्य और गैर–सरकारी संगठन के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।

15.9.2 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और विकलांग व्यक्तियों से संबंधित सेवा संबंधी मामलों के लिए, उप–सचिव स्तर के एक अधिकारी को सम्पर्क अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।

विकलांग व्यक्तियों को लाभ

15.9.3 सरकार ने विकलांग व्यक्तियों को नौकरियों में 3% आरक्षण (नेत्रहीनता अथवा कमजोर नजर, बहरेपन, चलने–फिरने लोकोमीटर की अपंगता और प्रमस्तिष्कीय घात प्रत्येक के लिए 1%) निर्धारित किया है।

15.9.4 गृह मंत्रालय में 14 नेत्रहीन, 01 बधिर और 10 शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति कार्यरत हैं।

15.9.5 काम के स्वरूप के आधार पर, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 'वर्दीधारी कार्मिकों' की सभी श्रेणियों के पदों को अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 से छूट प्राप्त है।

लिंग सापेक्ष बजट प्रावधान

15.9.6 गृह मंत्रालय में महिलाओं के लाभ के लिए की गई पहलों का ब्यौरा निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी आई एस एफ)

15.9.7 सी आई एस एफ ने योजनागत स्कीम के अन्तर्गत निधियों का उपयोग करते हुए अनन्य रूप से महिलाओं के लाभ के लिए रिजर्व बटालियनों और प्रशिक्षण संस्थानों जैसी अपनी सभी संस्थापनाओं में परिवार कल्याण केन्द्रों (एफडब्ल्यूसी) का निर्माण करने की पहल की है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा उपलब्ध कराए गए भवन में, जहां बल को तैनात किया गया है, सी आई एस एफ की यूनिटों में भी परिवार कल्याण केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

15.9.8 सी आई एस एफ की लगभग सभी संस्थापनाओं में, ऐसे परिवार कल्याण केन्द्र स्थापित किए गए हैं और कार्य कर रहे हैं। सी आई एस एफ की चौथी रिजर्व बटालियन शिवगंगई (तमिलनाडु) में परिवार कल्याण केन्द्र का निर्माण कार्य दिनांक 30.09.2013 को पूरा हो गया है। सी आई एस एफ की दूसरी रिजर्व बटालियन, रांची में, परिवार कल्याण केन्द्र का निर्माण कार्य वर्ष 2013–14 में शुरु हो गया है और वर्ष 2015–16 के दौरान पूरा हो जाएगा।

15.9.9 ये परिवार कल्याण केन्द्र अनन्य रूप से महिलाओं के लिए हैं ताकि वे सिलाई, हस्तशिल्प, खाद्य सामग्रियों के उत्पादन जैसी गतिविधियों के माध्यम से अपने परिवार की आय में वृद्धि करने के लिए नए कौशल सीख सकें।

15.9.9.1 दिनांक 01.01.2015 की स्थिति के अनुसार विभिन्न ग्रुपों में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या निम्नानुसार है:–

ग्रुप ए	ग्रुप बी	ग्रुप ग	कुल
41	817	5268	6126

15.9.9.2 केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी आई एस एफ) में अनन्य रुप से महिलाओं को लाभ पहुचाने वाली योजना और वर्ष 2014–15 और 2015–16 के दौरान उसके लिया किया गया बजट आबंटन निम्नानुसार है:–

(करोड़ रुपए में)

योजना का ब्यौरा	बजट अनुमान 2014–15	संभावित अनुमान 2014–15 (स्वीकृत)	बजट अनुमान 2015–16(प्रस्तावित)
कोड शीर्ष–50 अन्य प्रभार (योजनेत्तर) के अधीन क्रेच सुविधाएं	00.65	00.59	00.49

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ)

15.9.10 सरकार ने प्रारम्भ में वर्ष 1985 के दौरान, सीआरपीएफ में एक महिला बटालियन के गठन का अनुमोदन प्रदान किया था। अल्प समयावधि के भीतर, सरकार ने वर्ष 1994 में एक अन्य महिला बटालियन का अनुमोदन प्रदान किया था। वर्ष 2009 में, सरकार ने वर्ष 2009–10 और 2014–15 में 2 और महिला बटालियनों के गठन का अनुमोदन प्रदान किया था। तीसरी महिला बटालियन वर्ष 2009–10 में गठित की जा चुकी हैं और चौथी महिला बटालियन का गठन किया जा रहा है। अक्तूबर, 2014 में, सरकार ने वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 में जीडी बटालियनों के स्थान पर दो अतिरिक्त महिला बटालियनों के गठन का अनुमोदन प्रदान किया है। इस प्रकार, सरकार द्वारा कुल 6 महिला बटालियने मंजूर की गई हैं।

15.9.11 बल ने महिलाओं के लाभ के लिए परिवार कल्याण केन्द्रों का निर्माण किया है। इन परिवार कल्याण केन्द्रों का निर्माण अनन्य रूप से महिलाओं के लिए किया जाता है ताकि वे सिलाई, हस्तशिल्प और खाद्य पदार्थों के उत्पादन आदि के माध्यम से अपनी पारिवारिक आय में वृद्धि के लिए नए कौशल सीख सकें। सी आर पी एफ में अनन्य रूप से महिलाओं के लाभ के लिए निम्नलिखित योजनाएं हैं:–

i) महिला हॉस्टल।

ii) मनोरंजन/कर्मचारी कक्ष में महिलाओं से संबंधित पत्रिकाएं, पुस्तकें तथा जर्नल।

iii) महिलाओं हेतु अनन्य रूप से शारीरिक गतिविधियों के लिए व्यायामशाला एवं अन्य सुविधाएं।

iv) महिला कक्ष में महिलाओं के मनोरंजन के लिए म्यूजिक और टी वी आदि का प्रावधान।

v) सेवारत महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए आया की सुविधा सहित डे केयर सेंटर/क्रेच।

vi) अतिरिक्त कुशलता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए महिलाओं को पृथक रूप से कढ़ाई मशीनें मुहैया कराना।

15.9.11.1 उपर्युक्त के अतिरिक्त तथा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों का निपटान करने के उद्देश्य से, सीआरपीएफ ने सेक्टर स्तर पर चार सदस्यीय समिति का गठन किया है। शिकायत, यदि कोई हो, के शीघ्र निपटान के लिए, समिति नियमित रूप से तिमाही बैठकें आयोजित कर रही है।

15.9.12 सी आर पी एफ में महिला कर्मचारियों को पृथक विश्राम कक्ष, मनोरंजन कक्ष, चल प्रसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। तैनाती के दौरान, महिलाओं को यूनिट वाहनों में भी पृथक प्रसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, गर्भावस्था के दौरान पैंट, शर्ट और वेब बेल्ट पहनने से छूट प्रदान की गई है। महिला कार्मिकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए उपयुक्त स्तर पर समस्त प्रयास किए जाते हैं। नियमित विचार–विमर्श, साक्षात्कारों, रोल कॉल और सैनिक सम्मेलनों के माध्यम से महिलाओं के प्रति सुग्राहीकरण का कार्य भी किया जा रहा है। फील्ड अधिकारी अपनी कमान के तहत महिला कार्मिकों की गतिविधियों और उनके मानसिक स्वास्थ्य की गहन निगरानी कर रहे हैं।

15.9.13 सी आर पी एफ में तीन विशिष्ट महिला बटालियनें शामिल हैं– जिसमें से एक बटालियन दिल्ली में, दूसरी बटालियन गांधीनगर (गुजरात) में और तीसरी बटालियन नागपुर (महाराष्ट्र) में है। चौथी बटालियन (232 महिला बटालियन) अजमेर, राजस्थान में गठित की गई हैं, जिसके लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। प्रशिक्षित बटालियनों की महिला कार्मिकों को कानून एवं व्यवस्था संबंधी विभिन्न ड्यूटियों के लिए तैनात किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न स्तरों पर ग्रुप सेंटरों तथा आर ए एफ में तैनात महिला कर्मचारी कानून और व्यवस्था संबंधी अन्य ड्यूटियां भी कर रही हैं। चौथी बटालियन जो गठित की जा रही है, उसे कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित किया जाएगा।

15.9.14 प्रत्येक समूह में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या निम्नानुसार है:–

गुप ए	गुप बी	गुप सी	कुल
269	763	4922	5954

15.9.15 125 महिला फॉर्म्ड पुलिस अधिकारियों से युक्त पहली भारतीय महिला फॉर्म्ड पुलिस यूनिट (एफ एफ पी यू) दिनांक 30.01.2007 को लाइबेरिया पहुंची और दिनांक 08.02.2007 से यूनिटी कान्फ्रेंस सेंटर पर कार्य प्रारम्भ कर दिया। एफ एफ पी यू की तैनाती आज तक जारी है और बाद के बैचों को वर्ष 2008 से 2014 तक वर्ष–वार तैनात किया गया है। वर्तमान बैच, अर्थात 125 अधिकारियों/महिलाओं की एफएफपीयू की 8वीं टुकड़ी फरवरी, 2014 से लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन (यूएनएमआईएल) के अधीन मोनरोविया, लाइबेरिया में तैनात है। टुकड़ी की फरवरी, 2015 माह में अदला–बदली की जानी है और फरवरी, 2015 के दौरान इसे एफएफपीयू के 9वें बैच से बदला जाएगा जिसके लिए कार्रवाई चल रही है।

15.9.16 सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए विशेष रूप से क्रेच सुविधाओं हेतु 45.00 लाख रुपए प्रदान किए हैं। केवल महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली स्कीमों के नाम और वर्ष 2014–15 और 2015–16 के दौरान सीआरपीएफ के कुल अनुदान में से प्रत्येक के लिए किए गए प्रावधान निम्नानुसार हैं:–

स्कीमों का ब्यौरा

(करोड़ रूपए में)

	2014-15			2015-16		
	योजनागत	गैर–योजनागत	कुल	योजनागत	गैर–योजनागत	कुल
महिलाओं के प्रति सुग्राहीकरण		2.00	2.00		2.00	2.00
हेल्थ केयर सेंटर		10.00	10.00		10.00	10.00
उन्नत सेवाएं		11.00	11.00		10.00	10.00
न्यूट्रीशनल केयर सेटर		10.00	10.00		8.00	8.00
महिलाओं का छात्रावास/पारिवारिक आवास	30.00	0	30.00	25.00	0	25.00
कुल	**30.00**	**33.00**	**63.00**	**25.00**	**30.00**	**55.00**

सशस्त्र सीमा बल (एस एस बी)

15.9.17 एसएसबी में कार्मिकों की प्राधिकृत स्वीकृत नफरी 91,234 है जिसमें से 1,186 महिला कार्मिक एसएसबी की नफरी में हैं। एसएसबी को दिनांक 07.08.2014 को 21 महिला कंपनियां अर्थात महिला बटालियन गठित करने के लिए 2, 772 कार्मिकों की मंजूरी प्रदान की गई है।

15.9.17.1 सशस्त्र सीमा बल में अनन्य रूप से महिलाओं के लाभार्थ निम्नलिखित योजनाएं/परियोजनाएं चल रही हैं:–

i) सीमा चौकियों में तैनात महिला कर्मचारियों के लिए प्रसाधन, बाथरुम, कुकहाउस एवं डाइनिंग हाल की सुविधा सहित अलग आवास।

ii) सशस्त्र सीमा बल में कार्यरत महिलाओं के बच्चों के लिए क्रेच सुविधाएं।

iii) कार्यालयों में कार्य करने वाली महिलाओं के लिए अलग प्रसाधन।

iv) सेवारत महिलाओं के लिए अलग मनोरंजन सुविधाएं अर्थात– म्यूजिक सिस्टम, टेलीविजन एवं डी वी डी आदि और मनोरंजन कक्ष/पुस्तकालय में महिलाओं से संबंधित पत्रिकाएं, पुस्तकें और समाचार–पत्र।

v) कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों, यदि कोई हों, का शीघ्रता से निपटान करने हेतु एसएसबी में बल मुख्यालय/फ्रंटियर मुख्यालय स्तर पर एक समिति है।

15.9.17.2 महिलाओं के लिए उदार स्थानांतरण नीतिः जहां तक संभव हो, सभी महिला कार्मिकों को उनके मूल स्थान के नजदीक स्थित यूनिटों/फ्रंटियर में नियुक्त किया जाएगा और यदि पति और पत्नी दोनों एसएसबी कर्मचारी हैं, तो उन्हें एक स्थान पर तैनात किया जाएगा।

15.9.17.3 विभिन्न ग्रुपों में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या निम्नानुसार है:–

ग्रुप ए	ग्रुप बी	ग्रुप सी	कुल
34	85	1067	1186

15.9.17.4 एस एस बी के संबंध में केवल महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली स्कीमें और वर्ष 2014–15 के दौरान उनके लिए किये गये प्रावधान तथा वर्ष 2015–16 के लिए अनुमानित प्रावधान निम्नानुसार हैं:–

(करोड़ रुपए में)

कोड शीर्ष	बजट अनुमान 2014–15	संशोधित अनुमान 2014–15(स्वीकृत)	बजट अनुमान 2015–16 (अनुमानित)
कोड शीर्ष–50 अन्य प्रभार (योजनेत्तर) के अधीन क्रेच सुविधाऐं	0.22	0.20	0.22

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ)

15.9.18 महिलाओं को अनन्य रूप से लाभ पहुंचाने वाली निम्नलिखित योजनाएं/परियोजनाएं सीमा सुरक्षा बल द्वारा पूरी कर दी गई हैं:–

(i) साउथ बंगाल फ्रंटियर की 16 बी ओ पी में प्रसाधन, कुक हाउस एवं डाइनिंग हाल सहित समस्त महिला आवास।

(ii) नार्थ बंगाल फ्रंटियर की 14 बी ओ पी में प्रसाधन, कुक हाउस एवं डाइनिंग हाल सहित समस्त महिला आवास।

(iii) एसटीसी बी एस एफ, नार्थ बंगाल में प्रसाधन सहित महिला आवास।

(iv) 25 बटालियन छावला कैम्प, दिल्ली में 05 बैरक और 09 प्रसाधन एवं बाथरूम सहित महिला आवास।

15.9.18.1 विभिन्न ग्रुपों में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या निम्नानुसार है:–

ग्रुप ए	ग्रुप बी	ग्रुप सी	कुल
81	305	2,508	2,894

15.9.18.2 सीमा सुरक्षा बल के संबंध में अनन्य रुप से महिलाओं के लाभ के लिए योजनाएं और वर्ष 2014–15 और 2015–16 के दौरान उनके लिए किए गए प्रावधान निम्नानुसार हैं:–

(करोड़ रुपए में)

योजना का ब्यौरा	बजट अनुमान 2014–15	संशोधित अनुमान 2014–15(स्वीकृत)	बजट अनुमान 2015–16(अनुमानित)
कोड शीर्ष–50 अन्य प्रभार (योजनेत्तर) के अधीन क्रेच सुविधाएं	00.30	00.27	00.30

भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आई टी बी पी)

15.9.19 भारत–तिब्बत सीमा पुलिस, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत हिमवीर वाइव्ज वेलफेयर एसोसिएशन (एच डब्ल्यू डब्ल्यू ए) नामक एक पंजीकृत कल्याण सोसाइटी चला रही है। हिमवीर वाइव्ज वेलफेयर एसोसिएशन भारत–तिब्बत सीमा पुलिस में कार्यरत है तथा इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसके उप–कार्यालय बटालियनों और अलग–अलग प्रशिक्षण केन्द्रों में स्थित हैं जहां भारत–तिब्बत सीमा पुलिस के कर्मियों के परिवारों की सक्रिय भागीदारी से बहु–आयामी कल्याण की गतिविधियां की जा रही हैं। इन केन्द्रों में, इन परिवारों द्वारा ऊनी वस्त्रों की बुनाई, होजरी की मदें, जैम/जूस बनाने और आईटीबीपी के जवानों की वर्दी तैयार करने के कार्य किए जाते हैं। इन गतिविधियों से न केवल आईटीबीपी के कर्मियों के परिवारों की आय बढ़ाने में सहायता मिलती है, बल्कि बल के सभी स्तरों के सदस्यों और उनके परिवारों के बीच साहचर्य का भी विकास होता है। हिमवीर वाइव्ज वेलफेयर एसोसिएशन की आय का स्रोत स्वैच्छिक दान, अनुदान एवं संगठनों और व्यक्तियों द्वारा किए गए अंशदान तथा हिमवीर वाइव्ज वेलफेयर एसोसिएशन के बिक्री केन्द्रों आदि द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों (मेला) में बिक्री से हुई आय है। एच डब्ल्यू डब्ल्यू ए की समस्त आय का उपयोग केवल परिवारों के कल्याण और आईटीबीपीएफ के कर्मियों के बच्चों की उच्च तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए किया जाता है।

15.9.20 अनन्य रूप से आईटीबीपी की महिला कर्मचारियों के लाभ के लिए निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं:–

(i) भारत–तिब्बत सीमा पुलिस की सभी सेवारत महिलाओं को 05 फ्रंटियर मुख्यालयों (एफटीआर एचक्यू), 15 सेक्टर मुख्यालयों (एस एच क्यू), 56 यूनिट बटालियन मुख्यालयों (बी एच क्यू), 03 रंगरुट प्रशिक्षण केन्द्रों (आर टी सी), 13 प्रशिक्षण केन्द्रों (अन्य) और लॉजिस्टिक एवं संचार (एल एण्ड सी) एस एच क्यू की 04 विशिष्ट बटालियनों में प्रसाधन, कुक हाउस एवं डाइनिंग हाल सहित पृथक महिला बैरक आबंटित किए गए हैं।

(ii) पुस्तकालय और सामूहिक कर्मचारी कक्ष में महिलाओं से संबंधित निम्नलिखित पत्रिकाएं तथा जर्नल खरीदे जा रहे हैं यथा मुक्ता, सरस सलिल, गुड हाउस कीपिंग, फेमिना, हेल्थ एण्ड न्यूट्रिशन, बेटर होम, एली, वूमेन एरा, जनरल नॉलेज टुडे आदि।

(iii) महिलाओं को उदर व्यायाम आदि के लिए जिम और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

(iv) महिला बैरक और डाइनिंग हाल में महिलाओं के मनोरंजन के लिए म्यूजिक सिस्टम, टी वी और डीवीडी आदि का प्रावधान किया गया है।

(v) सेवारत महिलाओं के बच्चों की देखभाल करने के लिए आया मुहैया कराने सहित डे केयर सेंटर/क्रेच/महिला कर्मचारियों की सुविधा के लिए निम्नलिखित स्थानों पर सात क्रेच/डे केयर सेंटर स्थापित किए गए हैं:–

क. सेक्टर मुख्यालय (देहरादून), सेमाद्वार, जिला देहरादून (उत्तराखंड)

ख. आई टी बी पी अकादमी, पी.ओ. मसूरी, जिला देहरादून (उत्तराखंड)

ग. एम एण्ड एस आई औली, जोशी मठ, जिला चमोली (उत्तराखंड)

घ. टी पी टी बटालियन, पी.ओ. एयरपोर्ट, चंडीगढ़

ङ. 11वीं बटालियन, पी.ओ. पीगांग, सिक्किम

च. 12वीं बटालियन, पी.ओ. मातली, जिला उत्तरकाशी (उत्तराखंड)

छ. 50वीं बटालियन–रामगढ़, जिला पंचकुला (हरियाणा)

(vi) अतिरिक्त आय प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए महिलाओं को अनन्य रूप से कढ़ाई और सिलाई की मशीनें उपलब्ध कराना।

15.9.21 महिलाओं को पृथक विश्राम कक्ष और चल प्रसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तैनाती के दौरान, महिलाओं को यूनिट वाहनों में भी पृथक प्रसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, गर्भावस्था के दौरान पैंट, शर्ट और वेब बेल्ट पहनने से छूट प्रदान की गई है। महिला कार्मिकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए उपयुक्त स्तर पर समस्त प्रयास किए जाते हैं। नियमित विचार–विमर्श, साक्षात्कार, रोल काल और सैनिक सम्मेलनों के माध्यम से महिलाओं के प्रति सुग्राहीकरण का कार्य भी किया जा रहा है। फील्ड अधिकारी अपनी कमान के तहत महिला कार्मिकों की गतिविधियों और उनके मानसिक स्वास्थ्य की गहन निगरानी कर रहे हैं। महिला अधिकारियों और जवानों के यौन–उत्पीड़न के मामलों के निपटान के लिए एक समिति गठित की गई है।

15.9.22 प्रत्येक ग्रुप में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या निम्नानुसार है:–

ग्रुप ए	ग्रुप बी	ग्रुप सी	ग्रुप डी	कुल
80	221	815	शून्य	1,116

15.9.23 इस समय 10 महिला आई टी बी पी कार्मिक कांगो/अफगानिस्तान में प्रतिनियुक्ति पर हैं।

15.9.24 आईटीबीपी में केवल महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली स्कीमों के नाम और वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के दौरान उनके लिए किया गया प्रावधान निम्नानुसार है:–

(करोड़ रूपए में)

योजना का ब्यौरा	बजट अनुमान 2014–15	संशोधित अनुमान 2014–15(स्वीकृत)	बजट अनुमान 2015–16(अनुमानित)
कोड शीर्ष–50 अन्य प्रभार (योजनेत्तर) के अधीन क्रेच सुविधाएं	00.10	00.09	00.19

*****

अनुलग्नक

वर्ष 2014–2015 के दौरान (दिनांक 26.02.2015 की स्थिति के अनुसार) गृह मंत्रालय में पदों पर रहे/पदस्थ मंत्री, सचिव, विशेष सचिव, अपर सचिव और संयुक्त सचिव	
श्री सुशीलकुमार शिंदे (25.05.2014 तक) श्री राजनाथ सिंह (26.05.2014 से)	गृह मंत्री
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (25.05.2014 तक) श्री आर.पी.एन. सिंह (25.05.2014 तक) श्री किरेन रिजिजू (26.05.2014 से) श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी (09.11.2014 से)	गृह राज्य मंत्री
श्री अनिल गोस्वामी (04.02.2015 तक) श्री एल.सी. गोयल (05.02.2015 से)	गृह सचिव
श्रीमती स्नेह लता कुमार	सचिव (सीमा प्रबंधन)
श्री प्रकाश मिश्रा (08.08.2014 से 31.12.2014 तक) श्री अशोक प्रसाद (12.01.2015 से)	विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा)
श्री एस.सी. पंडा (16.10.2014 से)	विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
श्री एस.सी. पंडा (15.10.2014 तक) श्री राजीव शर्मा (31.05.2014 तक) श्री ब्रज किशोर प्रसाद (09.06.2014 से) श्री राजीव गौबा (27.01.2015 तक) श्री अनंत कुमार सिंह (31.12.2014 से)	अपर सचिव
श्री भगवान शंकर श्री जी.वी. वेणुगोपाल शर्मा श्री इकबाल सिंह चहल (10.10.2014 तक) श्री के.के. पाठक श्री संजय कुमार मिश्रा (28.10.2014 तक) श्री एम. गोपाल रेड्डी श्री एम.ए. गणपति डॉ. निर्मलजीत सिंह कलसी (13.10.2014 तक) श्री आर.के. श्रीवास्तव (28.08.2014 तक) श्री राकेश सिंह श्रीमती रश्मि गोयल श्री सतपाल चौहान श्री शंभु सिंह श्री एस. सुरेश कुमार (29.09.2014 तक) श्री वी. वुमलुनमां सुश्री वीना कुमारी मीना श्री कुमार आलोक श्री राजित पुनहानी (08.10.2014 से) श्री हितेश कुमार मकवाना (29.09.2014 से) श्री दिलीप कुमार (25.09.2014 से) श्री गोपाल कृष्ण द्विवेदी (25.09.2014 से) श्री वी. शशांक शेखर (17.11.2014 से) श्री शैलेश डॉ. सी. चन्द्रमौलि (महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, भारत) डॉ. ए.के. सक्सेना (30.11.2014 तक) सुश्री बीना प्रसाद डॉ. आर.के. मित्रा श्री जे.पी. अग्रवाल	संयुक्त सचिव
श्री भूपाल नंदा	मुख्य लेखा नियंत्रक

गृह मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट (दिनांक 26.02.2015 की स्थिति के अनुसार)

अनुलग्नक - II
(संदर्भः पैरा 1.4)

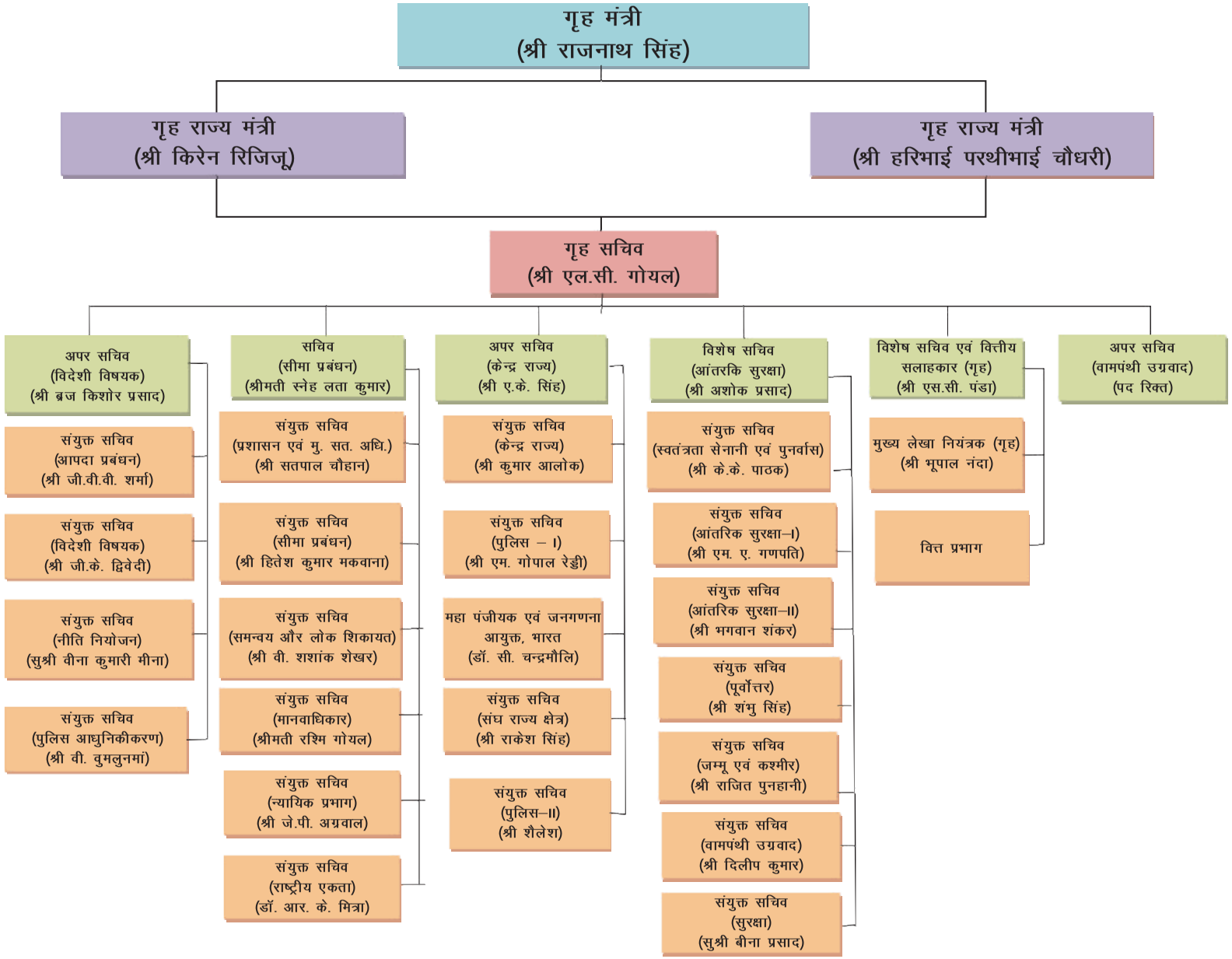

वर्ष 2007–2014 के दौरान सुरक्षा की राज्य–वार स्थिति
(दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार)

अरुणाचल प्रदेश

वर्ष	घटनाएं	गिरफ्तार किए गए उग्रवादी	मारे गए उग्रवादी	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कर्मी	मारे गए सिविलियन
2007	35	17	25	11	5	12
2008	28	12	6	8	-	3
2009	53	32	19	57	-	3
2010	32	53	11	52	-	2
2011	53	51	21	23	-	6
2012	54	66	14	17	-	5
2013	21	49	7	2	1	2
2014	33	86	9	7	-	2

असम

वर्ष	घटनाएं	गिरफ्तार किए गए उग्रवादी	मारे गए उग्रवादी	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कर्मी	मारे गए सिविलियन
2007	474	408	122	229	27	287
2008	387	403	110	724	18	245
2009	424	359	194	616	22	152
2010	251	370	109	547	12	53
2011	145	378	46	789	14	18
2012	169	412	59	757	05	27
2013	211	348	52	92	05	35
2014	246	319	102	102	04	168

मणिपुर

वर्ष	घटनाएं	गिरफ्तार किए गए उग्रवादी	मारे गए उग्रवादी	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कर्मी	मारे गए सिविलियन
2007	584	1217	219	07	39	130
2008	740	1711	364	37	16	137
2009	659	1532	336	28	19	81
2010	367	1458	108	60	06	33
2011	298	1365	28	284	10	26
2012	518	1286	65	350	08	21
2013	225	918	25	513	05	28
2014	278	1052	23	80	08	16

मेघालय						
वर्ष	घटनाएं	गिरफ्तार किए गए उग्रवादी	मारे गए उग्रवादी	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कर्मी	मारे गए सिविलियन
2007	28	31	14	40	01	09
2008	16	67	07	14	02	01
2009	12	41	06	20	-	03
2010	29	78	14	27	-	04
2011	56	57	11	39	08	12
2012	127	92	16	20	01	36
2013	123	75	21	10	07	30
2014	179	173	35	733	06	24
मिजोरम						
वर्ष	घटनाएं	गिरफ्तार किए गए उग्रवादी	मारे गए उग्रवादी	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कर्मी	मारे गए सिविलियन
2007	02	02	06	13	-	02
2008	01	13	-	-	04	-
2009	01	-	-	-	-	01
2010	-	-	-	-	-	-
2011	01	04	-	02	-	-
2012	-	02	-	-	-	-
2013	01	03	-	-	-	-
2014	03	-	-	03	-	-
नागालैंड						
वर्ष	घटनाएं	गिरफ्तार किए गए उग्रवादी	मारे गए उग्रवादी	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कर्मी	मारे गए सिविलियन
2007	272	98	109	04	01	44
2008	321	316	140	04	03	70
2009	129	185	15	06	-	16
2010	64	247	05	12	-	-
2011	61	267	08	-	-	07
2012	151	275	66	04	-	08
2013	145	309	33	01	-	09
2014	77	296	12	-	-	01
त्रिपुरा						
वर्ष	घटनाएं	गिरफ्तार किए गए उग्रवादी	मारे गए उग्रवादी	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कर्मी	मारे गए सिविलियन
2007	94	64	19	220	06	14
2008	68	44	13	325	03	10
2009	19	14	01	293	01	08
2010	30	07	-	148	02	02
2011	13	19	-	25	-	01
2012	06	12	02	13	-	-
2013	06	10	-	22	-	01
2014	08	08	-	40	02	01

पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय प्रमुख उग्रवादी/विद्रोही ग्रुप	
असम	
(i)	यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा)
(ii)	नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एन डी एफ बी)
(iii)	कामतापुर लिब्रेशन आग्रेनाइजेशन (केएलओ)***
	मणिपुर
(i)	पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पी एल ए)
(ii)	यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यू एन एल एफ)
(iii)	पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेईपाक (पी आर ई पी ए के)
(iv)	कांगलेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी (के सी पी)
(v)	कांगलेई याओल कांबा लुप (के वाई के एल)
(vi)	मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (एम पी एल एफ)
(vii)	रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (आर पी एफ) और
(viii)	कोआर्डिनेशन कमेटी कोर–कम (घाटी में स्थित छह यूजी दलों का समूह)
	मेघालय
(i)	हिन्नीवट्रेप नेशनल लिबरेशन कांउसिल (एच एन एल सी)
(ii)	गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी (जीएनएलए) ***
	त्रिपुरा
(i)	आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ए टी टी एफ)
(ii)	नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एन एल एफ टी)
	नागालैंड
(i)	दी नेशनल सोसलिस्ट कांउसिल ऑफ नागालैंड (इजाक मुइवाह)– [एन एस सी एन (आई/एम)]
(ii)	दी नेशनल सोसलिस्ट कांउसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) [एन एस सी एन (के)]
(iii)	दी नेशनल सोसलिस्ट कांउसिल ऑफ नागालैंड (खोले–किटोवी) [एन एस सी एन (केके)]

*** असम और पश्चिम बंगाल में सक्रिय केएलओ और मेघालय में सक्रिय जीएनएलए को केवल "आतंकवादी संगठन" के रुप में घोषित किया गया है।

टिप्पणी 1 : नेशनल सोसलिस्ट काउन्सिल ऑफ नागालैंड के दो गुटों को छोड़कर ऊपर उल्लिखित सभी आतंकवादी गुटों को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत 'विधिविरूद्ध संघ' के रुप में घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त असम, मणिपुर और त्रिपुरा (एन एस सी एन के दो गुटों को छोड़कर) के संबंध में ऊपर उल्लिखित गुटों को भी उक्त अधिनियम की अनुसूची में "आतंकवादी संगठन" के रुप में सूचीबद्ध किया गया है।

टिप्पणी 2 : इसके अतिरिक्त, नागा नेशनल काउन्सिल (एन एन सी) आदि जैसे अन्य उग्रवादी समूह भी पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय हैं।

दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार

राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के तहत जारी निधियों का राज्य–वार ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

राज्य	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (31-12-2004 तक
अरूणाचल प्रदेश	9.13	7.00	11.53	10.07	14.72	11.50	10.75	7.08	2.00	10.77	6.44
असम	41.37	56.68	52.18	87.82	68.11	60.79	48.51	48.02	13.41	59.93	42.35
मणिपुर	15.24	16.97	14.09	32.07	39.23	27.44	26.63	38.76	4.85	20.64	28.08
मेघालय	7.58	6.57	8.59	15.44	10.81	9.73	8.48	6.69	1.91	8.12	6.85
मिजोरम	7.45	6.00	10.48	11.00	12.69	11.48	19.55	13.18	6.40	17.92	11.63
नागालैंड	13.09	17.52	22.68	30.72	38.42	31.50	33.77	30.08	5.46	37.15	27.74
सिक्किम	5.90	2.43	3.46	4.42	6.12	4.72	2.17	5.02	0.90	5.09	3.50
त्रिपुरा	11.17	11.83	11.34	14.47	20.66	22.92	23.08	16.35	3.99	20.19	22.41
कुल	**110.93**	**125.00**	**134.35**	**206.01**	**210.76**	**180.08**	**172.94**	**165.18**	**38.92**	**179.81**	**149.00**

(संदर्भः पैरा 2.3.42)

वर्ष 2004–05 से 2014–15 तक सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को उपलब्ध कराई गई सहायता का राज्य–वार ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

जारी निधियां	असम	नागालैंड	मणिपुर	त्रिपुरा	मेघालय	अरूणाचल प्रदेश	कुल
2004-05	75.40	26.49	9.44	36.17	1.56	1.35	150.41
2005-06	63.91	24.83	33.65	27.00	13.17	1.35	163.91
2006-07	90.86	25.55	13.60	18.24	3.91	1.28	153.44
2007-08	75.61	21.97	14.45	16.47	5.88	3.02	137.40
2008-09	108.60	33.13	21.58	45.04	6.24	5.45	220.04
2009-10	60.56	41.23	27.26	11.85	1.93	7.17	150.00
2010-11	92.04	79.81	27.28	21.12	3.16	16.57	239.98
2011-12	153.04	83.11	28.88	39.25	27.82	17.90	350.00
2012-13	112.86	69.36	20.62	11.32	-	50.74	264.90
2013-14	159.18	42.50	25.01	42.18	16.60	4.53	290.00
2014-15 (31.12.2014 तक)	106.56	57.88	21.65	20.41	10.05	17.14	233.69

अनुलग्नक - VII
(संदर्भः पैरा 2.3.43)

सिविक कार्रवाई कार्यक्रम के तहत जारी निधियों का विवरण (लाख रुपए में)								
संगठन का नाम	**2007-08**	**2008-09**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15 (31.12.14 तक)**
बीएसएफ	215.00	200.00	330.00	345.80	200.00	230.00	262.50	50.00
सीआरपीएफ	120.00	200.00	249.43	216.00	51.00	150.00	-	-
आईटीबीपी	70.00	130.00	175.00	0.00	85.00	100.00	68.00	75.00
एसएसबी	105.00	170.00	235.00	218.16	165.00	150.00	17.76	69.00
असम राइफल्स	190.00	200.00	330.00	405.45	300.00	200.00	350.00	200.00
सेना	शून्य	100.00	0.00	105.00	100.00	120.00	150.00	179.00
कुल	**700.00**	**1000.00**	**1319.43**	**1290.41**	**901.00**	**950.00**	**848.26**	**573.00**

अनुलग्नक - VIII
(संदर्भः पैरा 4.6)

वर्ष 1990–2006 के दौरान आयोजित अंतर राज्य परिषद की बैठकें	
आयोजित बैठकों की संख्या	बैठक की तारीख
पहली बैठक	10.10.1990
दूसरी बैठक	15.10.1996
तीसरी बैठक	17.07.1997
चौथी बैठक	28.11.1997
पांचवीं बैठक	22.01.1999
छठी बैठक	20.05.2000
सातवीं बैठक	16.11.2001
आठवीं बैठक	27-28.08.2003
नौवीं बैठक	28.06.2005
दसवीं बैठक	09.12.2006

अनुलग्नक - IX
(संदर्भः पैरा 7.2)

क्रम. सं.	संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी. में)	जनसंख्या (2011 की जनगणना)
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8,249	3,79,944
2	चंडीगढ़	114	10,54,686
3	दादरा और नगर हवेली	491	3,42,853
4	दमण और दीव	112	2,43,911
5	लक्षद्वीप	32	64,429
6	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1,483	1,67,53,235
7	पुदुचेरी	479	12,44,464
	कुल	**10,960**	**2,00,82,522**

अनुलग्नक - X
(संदर्भः पैरा 7.2)

(करोड़ रुपए में)

संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2012–13			2013–14			2014–15
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमान
पुदुचेरी							
योजनागत	609.28	568.02	546.59	672.48	642.48	642.48	625.90
गैर–योजनागत	585.00	585.00	585.00	585.00	585.00	585.00	585.00
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली							
योजनागत	1031.61	831.61	701.57	1075.31	662.52	582.52	325.45
गैर–योजनागत	1.00	4.50	-	2.00	1.00	00.00	2.50

अनुलग्नक - XI
(संदर्भः पैरा 10.15)

वर्ष 2014–15 के दौरान चक्रवात/आकस्मिक बाढ़/बाढ़/भूस्खलन/बादल फटने आदि के कारण हुई क्षति का राज्य–वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(अनंतिम)
दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मारे गए लोगों की संख्या	मारे गए मवेशियों की संख्या	क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	प्रभावित फसली क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
1	आन्ध्र प्रदेश	61	4,777	40,379	3.30
2	अरुणाचल प्रदेश	61	1,992	2,742	0.80
3	असम	90	8,961	1,38,000	3.67
4	बिहार	144	28	5,621	1.16
5	छत्तीसगढ़	27	199	6,053	0.004
6	गोवा	--	--	41	--
7	गुजरात	27	112	875	--
8	हिमाचल प्रदेश	45	698	1,963	0.136
9	जम्मू और कश्मीर	282	61,326	2,53,184	6.48
10	कर्नाटक	27	85	19,125	0.91
11	केरल	132	527	8,292	0.20
12	महाराष्ट्र	151	53	44	--
13	मेघालय	66	8,822	10,701	0.159
14	नागालैंड	17	2,860	14,537	0.31
15	ओडिशा	50	672	83,140	3.65
16	पंजाब	31	127	24,795	1.06
17	तमिलनाडु	75	341	3750	--
18	त्रिपुरा	21	--	1,139	0.015
19	उत्तर प्रदेश	132	107	75,564	5.00
20	उत्तराखंड	66	348	1,824	0.013
21	पश्चिम बंगाल	169	145	33,621	0.508
	कुल	**1,674**	**92,180**	**7,25,390**	**26.85**

अनुलग्नक - XII
(संदर्भः पैरा 10.33)

वर्ष 2010–2015 के दौरान राज्य आपदा राहत कोष

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	कुल 2010-15
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	508.84	534.28	560.99	589.04	618.49	2811.64
2.	अरूणाचल प्रदेश	36.74	38.58	40.51	42.54	44.67	203.04
3.	असम	263.77	276.96	290.81	305.35	320.62	1457.51
4.	बिहार	334.49	351.21	368.77	387.21	406.57	1848.25
5.	छत्तीसगढ़	151.32	158.89	166.83	175.17	183.93	836.14
6.	गोवा	2.96	3.11	3.27	3.43	3.60	16.37
7.	गुजरात	502.12	527.23	553.59	581.27	610.33	2774.54
8.	हरियाणा	192.90	202.55	212.68	223.31	234.48	1065.92
9.	हिमाचल प्रदेश	130.76	137.30	144.17	151.38	158.95	722.56
10.	जम्मू और कश्मीर	172.46	181.08	190.13	199.64	209.62	952.93
11.	झारखंड	259.45	272.42	286.04	300.34	315.36	1433.61
12.	कर्नाटक	160.96	169.01	177.46	186.33	195.65	889.41
13.	केरल	131.08	137.63	144.51	151.74	159.33	724.29
14.	मध्य प्रदेश	392.75	412.39	433.01	454.66	477.39	2170.20
15.	महाराष्ट्र	442.69	464.82	488.06	512.46	538.08	2446.11
16.	मणिपुर	7.22	7.58	7.96	8.36	8.78	39.90
17.	मेघालय	14.65	15.38	16.15	16.96	17.81	80.95
18.	मिजोरम	8.55	8.98	9.43	9.90	10.40	47.26
19.	नागालैंड	4.97	5.22	5.48	5.75	6.04	27.46
20.	ओडिशा	391.58	411.16	431.72	453.31	475.98	2163.75
21.	पंजाब	222.92	234.07	245.77	258.06	270.96	1231.78
22.	राजस्थान	600.66	630.69	662.22	695.33	730.10	3319.00
23.	सिक्किम	22.75	23.89	25.08	26.33	27.65	125.70
24.	तमिलनाडु	293.52	308.20	323.61	339.79	356.78	1621.90
25.	त्रिपुरा	19.31	20.28	21.29	22.35	23.47	106.70
26.	उत्तर प्रदेश	385.39	404.66	424.89	446.13	468.44	2129.51
27.	उत्तराखंड	117.66	123.54	129.72	136.21	143.02	650.15
28.	पश्चिम बंगाल	304.83	320.07	336.07	352.87	370.51	1684.35
	कुल	**6077.30**	**6381.18**	**6700.22**	**7035.22**	**7387.01**	**33580.93**

अनुलग्नक - XIII
(संदर्भः पैरा 10.36)

वर्ष 2010–2015 के दौरान एसडीआरएफ/एनडीआरएफ से आबंटित और जारी की गई निधियां दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	एसडीआरएफ का आवंटन			एसडीआरएफ से जारी निधियां		एनडीआरएफ से जारी निधियां
		केन्द्रीय हिस्सा	राज्य का हिस्सा	कुल	पहली किस्त	दूसरी किस्त	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश *	230.85	92.77	323.62	115.43	115.42	427.06
2.	अरुणाचल प्रदेश	40.20	4.47	44.67	20.10	20.10	10.74
3.	असम	288.56	32.06	320.62	281.69 @	144.28	--
4.	बिहार	304.93	101.64	406.57	152.465	--	--
5.	छत्तीसगढ़	137.95	45.98	183.93	65.69	--	--
6.	गोवा	2.70	0.90	3.60	1.285	--	--
7.	गुजरात	457.75	152.58	610.33	228.875	--	--
8.	हरियाणा	175.86	58.62	234.48	167.48 @	--	--
9.	हिमाचल प्रदेश	143.06	15.89	158.95	71.53	71.53	1.4191667
10.	जम्मू और कश्मीर	188.66	20.96	209.62	184.17 @	94.33	--
11.	झारखंड	236.52	78.84	315.36	118.26	--	--
12.	कर्नाटक	146.74	48.91	195.65	73.37	--	82.77
13.	केरल	119.50	39.83	159.33	59.75	--	--
14.	मध्य प्रदेश	358.04	119.35	477.39	179.02	--	83.13
15.	महाराष्ट्र	403.56	134.52	538.08	--	--	--
16.	मणिपुर	7.90	0.88	8.78	3.95	--	--
17.	मेघालय	16.03	1.78	17.81	8.015	8.015	--
18.	मिजोरम	9.36	1.04	10.40	4.68	--	--
19.	नागालैंड	5.44	0.60	6.04	2.72	--	--
20.	ओडिशा	356.99	118.99	475.98	98.485	178.495	--
21.	पंजाब	203.22	67.74	270.96	101.61	--	--
22.	राजस्थान	547.58	182.52	730.10	273.59	--	--
23.	सिक्किम	24.89	2.76	27.65	12.445	--	--
24.	तमिलनाडु	267.59	89.19	356.78	--	--	--
25.	तेलंगाना *	153.90	61.85	215.75	76.95	--	18.51
26.	त्रिपुरा	21.12	2.35	23.47	10.56	--	--
27.	उत्तर प्रदेश	351.33	117.11	468.44	175.665	175.665	--
28.	उत्तराखंड	128.72	14.30	143.02	--	--	172.325
29.	पश्चिम बंगाल	277.88	92.63	370.51	138.94	--	--
	कुल	**5685.95**	**1701.06**	**7387.01**	**2626.72**	**807.84**	**795.95**

@ पिछले वर्ष अर्थात् वर्ष 2013–14 के लिए केन्द्रीय हिस्से की बकाया राशि शामिल है।

* वर्ष 2014–15 के लिए आन्ध्र प्रदेश और नव गठित राज्य तेलंगाना के बीच एसडीआरएफ का आबंटन 59.38:40.62 के अनुपात में किया गया है।

टिप्पणीः वर्ष 2014–15 के लिए एसडीआरएफ के केन्द्रीय हिस्से की शेष किस्त राज्य सरकार द्वारा मार्गनिर्देशों के पैरा 11 में यथा उल्लिखित अपेक्षित पुष्टिकरण और सहायक दस्तावेज [अर्थात् उपयोग प्रमाण–पत्र, वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना आदि] प्रस्तुत न किए जाने की वजह से जारी नहीं की गई है।

अनुलग्नक - XIV
(संदर्भः पैरा 10.37)

वर्ष 2010–2015 की अवधि के लिए क्षमता निर्माण हेतु अनुदान का राज्य–वार आबंटन

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	कुल 2010-15
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आन्ध्र प्रदेश	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	30.00
2	अरुणाचल प्रदेश	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
3	असम	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
4	बिहार	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
5	छत्तीसगढ़	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00
6	गोवा	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
7	गुजरात	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	30.00
8	हरियाणा	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
9	हिमाचल प्रदेश	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00
10	जम्मू और कश्मीर	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00
11	झारखंड	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
12	कर्नाटक	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00
13	केरल	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00
14	मध्य प्रदेश	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
15	महाराष्ट्र	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
16	मणिपुर	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
17	मेघालय	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
18	मिजोरम	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
19	नागालैंड	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
20	ओडिशा	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
21	पंजाब	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
22	राजस्थान	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	30.00
23	सिक्किम	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
24	तमिलनाडु	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
25	त्रिपुरा	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
26	उत्तर प्रदेश	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
27	उत्तराखंड	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00
28	पश्चिम बंगाल	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
	कुल	**105.00**	**105.00**	**105.00**	**105.00**	**105.00**	**525.00**

अनुलग्नक - XV
(संदर्भः पैरा 14.5)

जनगणना 2011 के आधार पर रिलीज किए गए आंकड़ों (डेटा सेट) का विवरण

मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना

1. सभी परिवारों के संबंध में मकानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों पर सारणियां
2. अनुसूचित जाति (अ.ज.) परिवारों के संबंध में मकानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों पर सारणियां
3. अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) परिवारों के संबंध में मकानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों पर सारणियां
4. महिला मुखिया वाले परिवारों के संबंध में मकानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों पर सारणियां
5. स्लम परिवारों के संबंध में मकानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों पर सारणियां

जनसंख्या की गणना

6. कुल जनसंख्या, बाल जनसंख्या (0–6 आयु), शिक्षित, लिंग और आवास के आधार पर मजदूरों को दर्शाने वाली प्राथमिक जनगणना सार (पीसीए): ग्राम/वार्ड स्तर (ए5) तक
7. आयु पर सारणियां – कुल जनसंख्या के संबंध में एकल वर्ष आयु विवरणियां (सी 13)
8. आयु पर सारणियां – अनुसूचित जातियों के संबंध में एकल वर्ष आयु विवरणियां (सी 13 एससी)
9. आयु पर सारणियां – अनुसूचित जनजातियों के संबंध में एकल वर्ष आयु विवरणियां (सी 13 एसटी)
10. आयु पर सारणियां – कुल जनसंख्या के संबंध में 5 वर्ष का आयु समूह (सी 14)
11. आयु पर सारणियां – अनुसूचित जातियों के संबंध में 5 वर्ष का आयु समूह (सी 14एससी)
12. आयु पर सारणियां – अनुसूचित जनजातियों के संबंध में 5 वर्ष का आयु समूह (सी 14एसटी)
13. स्लम का पीसीए
14. अनुसूचित जातियों का पीसीए (ए8)
15. अनुसूचित जनजातियों का पीसीए (ए9)
16. आवास रहित जनसंख्या का पीसीए (ए6)
17. शारीरिक अक्षमता के प्रकार पर आधारित आंकड़े – कुल (सी20)
18. शारीरिक अक्षमता के प्रकार पर आधारित आंकड़े – अनुसूचित जाति (सी20एससी)
19. शारीरिक अक्षमता के प्रकार पर आधारित आंकड़े – अनुसूचित जनजाति (सी20एसटी)
20. संस्थागत परिवार एवं जनसंख्या (ए7)
21. जनसंख्या के आकार के आधार पर गांवों का विभाजन (ए3)
22. "अन्य" लिंग के संबंध में आवास के आधार पर जनसंख्या
23. कुल जनसंख्या के संबंध में आवास, लिंग और साक्षरता के आधार पर एकल वर्ष आयु विवरणियां (परिशिष्ट सी 13)

24. अनुसूचित जाति जनसंख्या के संबंध में आवास, लिंग और साक्षरता के आधार पर एकल वर्ष आयु विवरणियां (परिशिष्ट सी 13 एससी)

25. अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के संबंध में आवास, लिंग और साक्षरता के आधार पर एकल वर्ष आयु विवरणियां (परिशिष्ट सी 13 एसटी)

26. मुख्य कर्मियों, अनियत कर्मियों, और गैर कर्मियों में शारीरिक अक्षमता के प्रकार, आयु और लिंग के आधार पर शारीरिक अक्षमता वाली जनसंख्या (सी 23)

27. वैयक्तिक अनुसूचित जाति का पीसीए (ए10)

28. प्रत्येक जाति की जिलेवार जनसंख्या (परिशिष्ट ए10)

29. वैयक्तिक अनुसूचित जनजातियों का पीसीए (ए11)

30. प्रत्येक जनजाति की जिलेवार जनसंख्या (परिशिष्ट ए11)

31. 1901 से जनसंख्या में दशकीय परिवर्तन पर सारणी (ए2)

32. कुल जनसंख्या के संबंध में आयु और लिंग के आधार पर मुख्य कर्मी, अनियत कर्मी, गैर कर्मी तथा अनियत कर्मी, गैर कर्मी जो काम ढूंढ रहे हैं/जिन्हें काम उपलब्ध है (बी1)

33. अनुसूचित जनजाति के संबंध में आयु और लिंग के आधार पर मुख्य कर्मी, अनियत कर्मी, गैर कर्मी तथा अनियत कर्मी, गैर कर्मी जो काम ढूंढ रहे हैं/जिन्हें काम उपलब्ध है (बी 1 एससी)

34. अनुसूचित जनजाति के संबंध में आयु और लिंग के आधार पर मुख्य कर्मी, अनियत कर्मी, गैर कर्मी तथा अनियत कर्मी, गैर कर्मी जो काम ढूंढ रहे हैं/जिन्हें काम उपलब्ध है (बी 1 एसटी)

35. कुल जनसंख्या के संबंध में परिवार के आकार पर आधारित सामान्य परिवार (एचएच 1)

36. अनुसूचित जाति के संबंध में परिवार के आकार पर आधारित सामान्य परिवार (एचएच 1 एससी)

37. अनुसूचित जनजाति के संबंध में परिवार के आकार पर आधारित सामान्य परिवार (एचएच 1 एसटी)

38. कुल जनसंख्या के संबंध में मुख्य गैर – आर्थिक गतिविधि, आयु और लिंग के आधार पर अनियत कर्मी (बी 11)

39. कुल जनसंख्या के संबंध में मुख्य गैर – आर्थिक गतिविधि, आयु और लिंग के आधार पर गैर कर्मी (बी 13)

40. अनुसूचित जाति के संबंध में मुख्य गैर – आर्थिक गतिविधि, आयु और लिंग के आधार पर गैर कर्मी (बी 13 एससी)

41. अनुसूचित जनजाति के संबंध में मुख्य गैर – आर्थिक गतिविधि, आयु और लिंग के आधार पर गैर कर्मी (बी 13 एसटी)

42. अनुसूचित जाति के संबंध में मुख्य गैर – आर्थिक गतिविधि, आयु और लिंग के आधार पर अनियत कर्मी (बी 11 एससी)

43. अनुसूचित जनजाति के संबंध में मुख्य गैर – आर्थिक गतिविधि, आयु और लिंग के आधार पर अनियत कर्मी (बी 11 एसटी)

44. परिवार आकार के आधार पर आवासहीन परिवार (एचएच – 02)

45. प्रतिशत आधार पर परिवार जिन्हें सुविधाएं और परिसंपत्तियां उपलब्ध हैं (ग्राम/वार्ड स्तर पर) (एचएच – 14)

46. शारीरिक अक्षमता और लिंग के आधार पर शारीरिक रूप से अक्षम गैर कर्मी (सी – 24)

47. शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की संख्या और परिवार आकार के आधार पर परिवार (सामान्य एवं आवासहीन) (एचएच 13)

48. कुल जनसंख्या के संबंध में कर्मियों की संख्या और परिवार आकार के आंधार पर परिवार (सामान्य एवं आवासहीन) (एचएच 11)

49. अनुसूचित जाति के संबंध में कर्मियों की संख्या और परिवार आकार के आधार पर परिवार (सामान्य एवं आवासहीन) (एचएच 11 एससी)

50. अनुसूचित जनजाति के संबंध में कर्मियों की संख्या और परिवार आकार के आधार पर परिवार (सामान्य एवं आवासहीन) (एचएच 11 एसटी)

51. काम ढूंढ़ते हुए / काम की उपलब्धता वाले सदस्यों की संख्या और आकार के आधार पर परिवार (एचएच 12)

52. काम ढूंढ़ते हुए / काम की उपलब्धता वाले महिला सदस्यों की संख्या और आकार के आधार पर परिवार (परिशिष्ट एचएच 12)

53. लिंग और परिवार आकार के आधार पर 60 साल की उम्र वाले वृद्ध व्यक्तियों की संख्या वाले परिवार (एचएच 5)

54. गणना उपरांत सर्वेक्षण पर रिपोर्ट (पीईएस)

55. किशोरों और युवकों पर विशेष सारणी

56. अक्षमता के प्रकार, साक्षरता, लिंग और आवास के आधार पर शारीरिक रूप से अक्षम जनसंख्या

57. अक्षमता के प्रकार, साक्षरता, लिंग और आवास के आधार पर शारीरिक रूप से अक्षम जनसंख्या (एससी)

58. अक्षमता के प्रकार, साक्षरता, लिंग और आवास के आधार पर शारीरिक रूप से अक्षम जनसंख्या (एसटी)

59. परिवार में 7 वर्ष की आयु और उससे अधिक सदस्यों की साक्षरता संख्या के आधार पर परिवार (एचएच 08)

60. परिवार में 7 वर्ष की आयु और उससे अधिक सदस्यों की साक्षरता संख्या के आधार पर परिवार (एचएच 08 एससी)

61. परिवार में 7 वर्ष की आयु और उससे अधिक सदस्यों की साक्षरता संख्या के आधार पर परिवार (एचएच 08 एसटी)

62. अक्षमता के प्रकार, लिंग और आवास के आधार पर 0–6 आयु–समूह में शारीरिक रूप से अक्षम (भारत और राज्य / संघ राज्यक्षेत्र)

63. अनुसूचित जाति के संबंध में अक्षमता के प्रकार, लिंग और आवास के आधार पर 0–6 आयु–समूह में शारीरिक रूप से अक्षम (भारत और राज्य / संघ राज्यक्षेत्र)

64. अनुसूचित जनजाति के संबंध में अक्षमता के प्रकार, लिंग और आवास के आधार पर 0–6 आयु–समूह में शारीरिक रूप से अक्षम (भारत और राज्य / संघ राज्यक्षेत्र)

65. आवास, लिंग और कार्य के आधार पर एकल वर्ष आयु विवरणियां (सी 13 परिशिष्ट बी) (भारत और राज्य / संघ राज्यक्षेत्र)

66. अनुसूचित जाति के संबंध में आवास, लिंग और कार्य के आधार पर एकल वर्ष आयु विवरणियां (सी 13 एससी परिशिष्ट बी) (भारत और राज्य / संघ राज्यक्षेत्र)

67. अनुसूचित जनजाति के संबंध में आवास, लिंग और कार्य के आधार पर एकल वर्ष आयु विवरणियां (सी 13 एसटी परिशिष्ट बी) (भारत और राज्य / संघ राज्यक्षेत्र)

अनुलग्नक - XVI
(संदर्भः पैरा 14.30)

अनुमानित जन्म दर, मृत्यु दर, प्राकृतिक वृद्धि दर तथा शिशु मृत्यु दर, 2013

भारत/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	जन्म दर			मृत्यु दर			प्राकृतिक वृद्धि दर			शिशु मृत्यु दर		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
भारत	**21.4**	**22.9**	**17.3**	**7.0**	**7.5**	**5.6**	**14.4**	**15.4**	**11.7**	**40**	**44**	**27**
बड़े राज्य												
1. आंध्र प्रदेश	17.4	17.7	16.7	7.3	8.3	5.0	10.0	9.4	11.6	39	44	29
2. असम	22.4	23.5	15.4	7.8	8.2	5.6	14.5	15.3	9.9	54	56	32
3. बिहार	27.6	28.3	21.5	6.6	6.7	5.5	21.0	21.5	16.1	42	42	33
4. छत्तीसगढ़	24.4	25.8	17.9	7.9	8.4	5.9	16.5	17.5	12.0	46	47	38
5. दिल्ली	17.2	18.9	16.9	4.1	4.6	4.1	13.1	14.3	12.9	24	35	22
6. गुजरात	20.8	22.2	18.5	6.5	7.2	5.5	14.3	15.1	13.0	36	43	22
7. हरियाणा	21.3	22.4	19.0	6.3	6.7	5.3	15.0	15.6	13.7	41	44	32
8. जम्मू और कश्मीर	17.5	18.7	12.6	5.3	5.5	4.5	12.1	13.2	8.1	37	39	28
9. झारखंड	24.6	25.9	18.5	6.8	7.2	5.0	17.8	18.8	13.5	37	38	27
10. कर्नाटक	18.3	19.1	16.7	7.0	8.0	5.2	11.3	11.2	11.5	31	34	24
11. केरल	14.7	15.0	14.0	6.9	7.0	6.6	7.8	7.9	7.3	12	13	9
12. मध्य प्रदेश	26.3	28.2	19.6	8.0	8.5	6.1	18.4	19.7	13.4	54	57	37
13. महाराष्ट्र	16.5	17.2	15.4	6.2	7.1	5.0	10.2	10.1	10.4	24	29	16
14. ओडिशा	19.6	20.5	14.4	8.4	8.7	6.3	11.3	11.8	8.2	51	53	38
15. पंजाब	15.7	16.3	14.7	6.7	7.5	5.4	9.0	8.8	9.4	26	28	23
16. राजस्थान	25.6	26.7	22.0	6.5	6.8	5.6	19.1	19.9	16.4	47	51	30
17. तमिलनाडु	15.6	15.7	15.5	7.3	8.1	6.3	8.3	7.6	9.2	21	24	17
18. उत्तर प्रदेश	27.2	28.1	23.3	7.7	8.1	5.9	19.5	20.0	17.4	50	53	38
19. पश्चिम बंगाल	16.0	17.7	11.4	6.4	6.3	6.6	9.6	11.4	4.8	31	32	26

भारत/राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	जन्म दर			मृत्यु दर			प्राकृतिक वृद्धि दर			शिशु मृत्यु दर		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
छोटे राज्य												
1. अरुणाचल प्रदेश	19.3	20.8	13.8	5.8	6.7	2.7	13.4	14.1	11.1	32	36	14
2. गोवा	13.0	12.4	13.4	6.6	8.0	5.8	6.4	4.4	7.6	9	8	10
3. हिमाचल प्रदेश	16.0	16.5	10.9	6.7	7.0	3.7	9.4	9.6	7.3	35	35	23
4. मणिपुर	14.7	14.5	15.1	4.0	4.0	4.2	10.6	10.5	10.9	10	10	10
5. मेघालय	23.9	26.1	14.2	7.6	8.0	5.4	16.4	18.0	8.8	47	48	40
6. मिजोरम	16.1	20.0	12.0	4.3	5.5	3.1	11.8	14.5	9.0	35	44	19
7. नागालैंड	15.4	15.5	15.0	3.1	3.2	2.7	12.3	12.3	12.3	18	18	19
8. सिक्किम	17.1	17.1	16.7	5.2	5.6	3.2	11.8	11.6	13.5	22	23	15
9. त्रिपुरा	13.7	14.3	10.6	4.7	4.6	5.1	9.0	9.8	5.5	26	27	19
10. उत्तराखंड	18.2	18.9	15.7	6.1	6.4	4.8	12.1	12.5	10.9	32	34	22
संघ राज्यक्षेत्र												
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	14.6	14.5	15.0	4.6	5.2	3.4	10.0	9.3	11.5	24	29	13
चंडीगढ़	14.7	20.5	14.1	4.0	3.4	4.0	10.7	17.1	10.0	21	18	21
दादरा और नगर हवेली	25.5	24.9	27.8	4.4	4.8	2.9	21.1	20.1	24.8	31	34	22
दमन और दीव	17.9	18.2	17.5	4.9	5.1	4.6	13.0	13.1	12.9	20	17	26
लक्षद्वीप	14.8	16.2	13.3	6.3	6.0	6.6	8.5	10.3	6.6	24	20	28
पुदुचेरी	15.7	15.9	15.6	7.0	8.0	6.6	8.7	7.9	9.1	17	20	15

नोट : छोटे राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के लिए शिशु मृत्यु दर तीन वर्ष की अवधि 2011–13 पर आधारित है।

अनुलग्नक - XVII
(संदर्भः पैरा 14.33)

लिंग और आवास के आधार पर जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, भारत और बड़े राज्य, 2007–11									
भारत और बड़े राज्य	कुल			ग्रामीण			शहरी		
	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला
भारत*	**66.5**	**64.9**	**68.2**	**65.3**	**63.8**	**67.0**	**70.1**	**68.4**	**71.9**
आंध्र प्रदेश	66.3	64.0	68.6	64.9	62.6	67.2	69.9	67.6	72.4
असम	62.2	61.2	63.6	61.3	60.3	62.5	69.0	67.2	71.3
बिहार	66.3	65.9	66.8	66.1	65.7	66.4	68.7	67.4	70.3
गुजरात	67.3	65.2	69.6	65.5	63.2	68.0	70.5	68.6	72.5
हरियाणा	67.3	65.0	69.8	66.2	63.6	69.2	69.7	68.4	71.1
हिमाचल प्रदेश	70.1	67.9	72.3	69.7	67.4	72.0	74.9	72.9	77.4
जम्मू और कश्मीर	70.5	69.4	71.9	69.6	68.7	70.8	74.5	72.7	76.6
कर्नाटक	67.5	65.2	70.0	65.8	63.3	68.6	70.7	68.8	72.8
केरल	74.4	71.5	77.3	74.4	71.2	77.6	74.5	72.5	76.6
मध्य प्रदेश	62.8	61.3	64.5	61.5	60.0	63.3	68.5	67.4	69.8
महाराष्ट्र	70.3	68.3	72.4	69.3	67.0	71.7	71.8	70.2	73.6
ओडिशा	63.7	62.9	64.5	63.2	62.4	63.9	67.6	66.3	69.1
पंजाब	69.8	67.7	72.2	68.7	66.5	71.1	72.0	70.1	74.1
राजस्थान	66.8	65.0	68.7	66.1	64.4	68.0	69.3	67.3	71.5
तमिल नाडु	69.4	67.6	71.4	68.2	66.3	70.1	71.3	69.5	73.2
उत्तर प्रदेश	63.0	61.9	64.2	62.3	61.3	63.5	66.3	64.9	67.8
पश्चिम बंगाल	69.4	67.8	71.3	68.6	67.0	70.5	71.4	69.7	73.3

* भारत में सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र शामिल हैं
टिप्पणी 1 : बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में क्रमशः झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखण्ड शामिल नहीं हैं।
टिप्पणी 2 : छोटे सैंपल आकार के कारण छोटे राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए हैं।

अनुलग्नक - XVIII
(संदर्भः पैरा 14.33)

लिंग और आवास के आधार पर जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, भारत और बड़े राज्य, 2008–12

भारत और बड़े राज्य	कुल			ग्रामीण			शहरी		
	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला
भारत*	**67.0**	**65.4**	**68.8**	**65.8**	**64.2**	**67.6**	**70.6**	**69.0**	**72.4**
आंध्र प्रदेश	67.0	64.7	69.4	65.5	63.2	68.0	71.5	69.1	74.0
असम	62.7	61.2	64.8	61.8	60.3	63.8	69.5	67.7	71.7
बिहार	67.2	66.7	67.6	66.9	66.6	67.3	69.5	68.3	70.9
गुजरात	67.7	65.5	70.1	66.0	63.5	68.8	70.8	69.0	72.7
हरियाणा	67.6	65.4	70.1	66.5	64.0	69.5	70.2	69.2	71.3
हिमाचल प्रदेश	70.5	68.3	72.7	70.1	67.8	72.4	75.6	73.9	77.5
जम्मू और कश्मीर	71.0	69.9	72.4	70.2	69.2	71.2	74.7	72.8	77.4
कर्नाटक	68.0	65.8	70.3	66.4	64.0	68.9	71.1	69.3	73.0
केरल	74.7	71.6	77.7	74.6	71.3	77.9	74.8	72.5	77.1
मध्य प्रदेश	63.3	61.9	65.0	62.1	60.6	63.9	68.8	67.7	70.1
महाराष्ट्र	70.8	68.8	72.9	69.7	67.4	72.0	72.4	70.8	74.1
ओडिशा	64.3	63.4	65.3	63.8	62.8	64.7	68.2	67.2	69.3
पंजाब	70.3	68.1	72.9	69.2	66.8	71.9	72.3	70.3	74.7
राजस्थान	67.2	65.2	69.4	66.5	64.5	68.9	69.7	67.8	71.9
तमिल नाडु	69.8	67.9	71.9	68.6	66.6	70.6	71.7	69.7	73.7
उत्तर प्रदेश	63.5	62.3	64.8	62.8	61.7	64.1	66.9	65.7	68.3
पश्चिम बंगाल	69.7	68.1	71.5	69.0	67.3	70.8	71.6	70.1	73.4

*: भारत में सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र शामिल हैं
टिप्पणी 1 : बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में क्रमशः झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखण्ड शामिल नहीं हैं।
टिप्पणी 2 : छोटे सैंपल आकार के कारण छोटे राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए हैं।

अनुलग्नक - XIX
(संदर्भः पैरा 15.2.5)

दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार गृह मंत्रालय और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में सतर्कता/अनुशासनिक मामलों का ब्यौरा					
क्र.सं.	मद	राजपत्रित		अराजपत्रित	
		मामले	अधिकारी	मामले	अधिकारी
1.	दिनांक 01.04.2014 की स्थिति के अनुसार सतर्कता/अनुशासनिक मामलों की संख्या	144	168	1342	1386
2.	दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2014 तक प्रारंभ किए गए सतर्कता/अनुशासनिक मामले	92	88	4805	4834
3.	दिनांक 31.12.2014 तक निपटाए गए सतर्कता/अनुशासनिक मामले	81	77	4857	4882
4.	दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार सतर्कता/अनुशासनिक मामले (1+2-3)	155	179	1290	1338
5.	निपटाए गए सतर्कता/अनुशासनिक मामलों के संबंध में की गई कार्रवाई (क्रम सं. 3 के संदर्भ में) :–				
	(क) बर्खास्तगी	9	9	326	341
	(ख) निष्कासन	1	1	319	323
	(ग) अनिवार्य सेवानिवृत्ति	1	1	115	115
	(घ) रैंक/वेतन आदि में कटौती	6	6	416	417
	(ड.) वेतन वृद्धि रोकना	2	2	520	523
	(च) पदोन्नति रोकना	0	0	7	7
	(छ) वेतन से वूसली के आदेश	3	3	979	990
	(ज) निंदा	8	9	772	763
	(झ) चेतावनी	6	6	231	234
	(ञ) असंतोष	6	6	1	1
	(ट) दोषमुक्ति	7	8	341	345
	(ठ) मामले का स्थानांतरण	6	6	10	10
	(ड) कार्यवाही रोकी गई	15	9	95	94
	(ढ़) पेंशन में कटौती	2	2	1	1
	(ण) त्यागपत्र स्वीकार	1	1	72	72
	(त) यूनिट में परिबद्ध	0	0	123	122
	(थ) क्वार्टर गार्ड में परिबद्ध	0	2	428	426
	(द) अन्यत्र स्थानांतरण	6	4	60	60
	(ध) प्रास्थगन	1	1	43	43
	(न) इंस्टी. एरिया से निष्कासन	0	0	0	0
	(प) न्यायालय के आदेशों के अनुसार कार्यवाही रोकी गई	1	1	8	2
	कुल (क से प)	**81**	**77**	**4867**	**4889**

*क्रम सं. 5 में मामलों की संख्या में अंतर एक ही मामले में एक से अधिक व्यक्तियों की संलिप्तता अथवा एक व्यक्ति को दिए गए दण्ड की संख्या एक से अधिक होने की वजह से है।

अनुलग्नक - XX
(संदर्भः पैरा 15.8.5)

दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन संगठनों के संबंध में बकाया निरीक्षण पैरा का ब्यौरा					
क्रम सं.	संगठन का नाम	दिनांक 01.04.2014 की स्थिति के अनुसार बकाया निरीक्षण	दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2014 के दौरान प्राप्त निरीक्षण पैरा की सं.	दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2014 के दौरान निपटाए गए निरीक्षण पैरा की सं.	दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार बकाया निरीक्षण पैरा की सं.
1	गृह मंत्रालय (मुख्य)	32	46	29	49
2	राजभाषा विभाग	38	2	5	35
3	भारत के महारजिस्ट्रार	335	101	62	374
4	सीमा सुरक्षा बल	450	156	104	502
5	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	136	48	31	153
6	राष्ट्रीय सुरक्षा गारद	51	27	3	75
7	आसूचना ब्यूरो	105	18	27	96
8	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	274	81	54	301
9	राष्ट्रीय पुलिस अकादमी	10	27	27	10
10	असम राइफल्स	93	21	32	82
11	भारत तिब्बत सीमा पुलिस	86	75	54	107
12	पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो	8	0	1	7
13	राष्ट्रीय अपराध एवं विधि–विज्ञान संस्थान	12	21	20	13
14	राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो	23	9	22	10
15	लक्षद्वीप	461	78	8	531
16	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1330	289	131	1488
17	दमण और दीव	250	106	106	250
18	दादरा और नगर हवेली	97	34	3	128
19	चंडीगढ़	1182	134	65	1251
	कुल	**4973**	**1273**	**784**	**5462**

अनुलग्नक - XXI
(संदर्भः पैरा 15.8.6)

पूर्व वार्षिक रिपोर्टों में शामिल की गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई की स्थिति

क्रम सं.	वर्ष	उन पैराओं/पीएसी रिपोर्टों की सं. जिनके संबंध में लेखापरीक्षा के द्वारा पुनरीक्षण किए जाने के बाद की गई कार्रवाई पीएसी को प्रस्तुत की गई	उन पैरा/पीएसी रिपोर्टों का ब्यौरा जिनके संबंध में एटीएन लंबित हैं।		
			उन एटीएन की संख्या जिन्हें मंत्रालय द्वारा एक बार भी नहीं भेजा गया	उन एटीएन की संख्या जिन्हें भेजा गया किन्तु जिन्हें टिप्पणियों सहित वापस भेजा गया और लेखापरीक्षा उन्हें मंत्रालय द्वारा पुनः प्रस्तुत किए जाने की प्रतीक्षा कर रहा है	उन एटीएन की संख्या जिनका लेखापरीक्षा द्वारा अंतिम रुप से पुनरीक्षण कर दिया गया है किन्तु मंत्रालय द्वारा पीएसी को प्रस्तुत नहीं किया गया है
1.	**2014–15**	**3** (वर्ष 2011–12 की रिपोर्ट संख्या 1 का **4.2.2,** वर्ष 2013 की रिपोर्ट सं. 19 का **7.1, 14.5**)	**7** (वर्ष 2013 की रिपोर्ट सं. 19 का **14.2, 14.3, 14.4, 14.6, 14.8, 14.10** और **14.11**)	**5** (वर्ष 2013 की रिपोर्ट सं. 19 का **7.2, 14.1, 14.7, 14.12** एवं वर्ष 2013 की **पूर्ण रिपोर्ट** सं. 5)	**0**

अनुलग्नक - XXII
(संदर्भः पैरा 15.8.6)

वर्ष 2014 की रिपोर्ट सं. 25
केन्द्र सरकार (सिविल) संयुक्त सिविल और स्वायत्त निकाय
• गृह मंत्रालय
• सशस्त्र सीमा बल
1. बेदावा तैनाती प्रभार : सशस्त्र सीमा बल द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से शीघ्र उगाही तथा तैनाती लागत के संग्रहण के लिए अपनाया गया तंत्र त्रुटिपूर्ण था। जनवरी, 2008 तथा मार्च, 2013 के बीच विभिन्न अवसरों पर बिल उगाहने में इसकी असफलता की वजह से तैनाती प्रभारों की वूसली 25.32 करोड़ रु. कम हुई। वर्ष 2014 की रिपोर्ट सं. 25 का पैरा सं. 8.1

अनुलग्नक - XXIII
(संदर्भः पैरा 15.8.6)

दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार गृह मंत्रालय से संबंधित अद्यतन और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों की स्थिति				
क्रम सं.	पैरा सं.	संक्षिप्त विषय–वस्तु	विषय–वस्तु से संबंधित मंत्रालय/विभाग	वर्तमान स्थिति
1.	**वर्ष 2014 की रिपोर्ट सं. 25 का 8.1**	**<u>बेदावा तैनाती प्रभार सशस्त्र</u>** सीमा बल द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से शीघ्र उगाही तथा तैनाती लागत के संग्रहण के लिए अपनाया गया तंत्र त्रुटिपूर्ण था। जनवरी, 2008 तथा मार्च, 2013 के बीच विभिन्न अवसरों पर बिल उगाहने में इसकी असफलता की वजह से तैनाती प्रभारों की वूसली 25.32 करोड़ रु. कम हुई।	पी-II प्रभाग	मसौदा एटीएन पर कार्रवाई की जा रही है।

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

गृह मंत्रालय